उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम

376 - प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा

पुस्तक-1

विद्याधनम् सर्वधनंप्रधानम्

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान)

ए-24-25 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा-201301 (उ. प्र.)

वेबसाइट : www.nios.ac.in टोल फ्री नं. - 18001809393

सलाहकार समिति

प्रो. सरोज शर्मा
अध्यक्ष
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
नोएडा (उप्र)

डॉ राजीव कुमार सिंह
निदेशक (शैक्षिक)
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
नोएडा (उप्र)

पाठ्यक्रम समिति

अध्यक्ष
प्रो. आशा सिंह
प्रोफेसर हयूमन डेवलेपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टड़ीज
लेडी इर्विन कॉलिज, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

प्रो. रीता सोनावत
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
मानव विकास
मानव विकास विभाग, एसएनडीटी
महिला विश्वविद्यालय, मुंबई

डॉ भानुमति शर्मा
ऐसोसिएट प्रोफेसर
हयूमेन डेवलेपमेंट एंड चाइल्ड स्टड़ीज
लेडी इर्विन कॉलिज, दिल्ली विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

डॉ भारती
ऐसोसिएट प्रोफेसर
डिपार्टमेंट ऑफ ऐजुकेशन ऑफ ग्रुप्स विद स्पेशल
नीडस, एनसीईआरटी, नई दिल्ली

श्री बी. साहू
उप निदेशक प्रशिक्षण
एनआईपीसीसीडी, नई दिल्ली

डॉ. संध्या संघई
ऐसोसिएट प्रोफेसर
प्रारंभिक शिक्षा विभाग
एनसीईआरटी, नई दिल्ली

प्रो. रोमिला सोनी
असिस्टेंट प्रोफेसर
प्रारंभिक शिक्षा विभाग
एनसीईआरटी, नई दिल्ली

डॉ. संगीता चौधरी
वरिष्ठ प्रवक्ता
डायट, राजेन्द्र नगर
नई दिल्ली

डॉ. प्रेमलता मूलिक
पूर्व निदेशक
सुशीला देवी पॉलिटेक्निक फॉर वूमन
गाजियाबाद (उप्र)

सुश्री सोनिया मेंहदीरत्ता
प्रवक्ता
हैप्पी मॉडल स्कूल
नई दिल्ली

सुश्री फरीहा सिद्दीकी
कार्यक्रम प्रबंधक
बी वोक इन अर्ली चाइल्डहुड
मेनेजमेंट एंड आंत्रप्रीन्यौरशिप
अम्बेडकर विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

डॉ. मधुर भाटिया
शैक्षिक अधिकारी (शिक्षक शिक्षा)
एनआईओएस, नोएडा (उप्र)

पाठ लेखक

प्रो. आशा सिंह
प्रोफेसर हयूमन डेवलेपमेंट एंड चाइल्डहुड
स्टड़ीज, लेडी इर्विन कॉलिज,
दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

डॉ. पदमा यादव
ऐसोसिएट प्रोफेसर
प्रारंभिक शिक्षा विभाग
एनसीईआरटी, नई दिल्ली

डॉ. संध्या संघई
ऐसोसिएट प्रोफेसर
प्रारंभिक शिक्षा विभाग
एनसीईआरटी, नई दिल्ली

डॉ भारती
ऐसोसिएट प्रोफेसर
डिपार्टमेंट ऑफ ऐजुकेशन ऑफ ग्रुप्स विद स्पेशल
नीडस, एनसीईआरटी, नई दिल्ली

प्रो. रोमिला सोनी
असिस्टेंट प्रोफेसर
प्रारंभिक शिक्षा विभाग
एनसीईआरटी, नई दिल्ली

डॉ. सविता कौशल
असिस्टेंट प्रोफेसर
डिपार्टमेट ऑफ कैपिसिटी बिल्डिंग इन
ऐजुकेशन, न्यूपा, नई दिल्ली

डॉ. पी. डी. सुभाष
ऐसिस्टेंट प्रोफेसर
प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग डिवीजन
एनसीईआरटी, नई दिल्ली

डॉ. रीतु चंद्रा
ऐसिस्टेंट प्रोफेसर
प्रारंभिक शिक्षा विभाग
एनसीईआरटी, नई दिल्ली

डॉ. शशि शुक्ला
ऐसिस्टेंट प्रोफेसर
प्रारंभिक शिक्षा विभाग, मिरांडा हाऊस,
दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

सुश्री अर्चना
ऐसिस्टेंट प्रोफेसर
गृह विज्ञान विभाग, द आईआईएस
विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान

सुश्री जया कांडपाल
शिक्षक प्रशिक्षक
नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज
नई दिल्ली

डॉ. मधुर भाटिया
शैक्षिक अधिकारी (शिक्षक शिक्षा)
एनआईओएस, नोएडा, (उप्र)

संपादक मंडल

प्रो. आशा सिंह
हयूमन डेवलेपमेंट एंड चाइल्डहुड
स्टड़ीज, लेडी इर्विन कॉलिज
दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

प्रो. जनक वर्मा
पूर्व प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऐजुकेशन
ऑफ ग्रुप्स ऑफ स्पेशनल नीडस
एनसीईआरटी, नई दिल्ली

डॉ. रवनीत कौर
ऐसिस्टेंट प्रोफेसर, प्रारंभिक शिक्षा विभाग
माता सुंदरी कॉलिज फॉर वूमन
दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

डॉ. संगीता चौधरी
वरिष्ठ प्रवक्ता
डायट, राजेन्द्र नगर
नई दिल्ली

डॉ. प्रेमलता मूलिक
पूर्व निदेशक
सुशीला देवी पॉलिटेक्निक फॉर वूमन
गाजियाबाद (उप्र)

डॉ. रीतु चन्द्रा
ऐसिस्टेंट प्रोफेसर
प्रारंभिक शिक्षा विभाग
एनसीईआरटी, नई दिल्ली

सुश्री फरीहा सिद्‌दीकी
कार्यक्रम प्रबंधक
बी वोक इन अर्ली चाइल्डहुड
मेनेजमेंट एंड आंत्रप्रीन्यौरशिप
अम्बेडकर विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

डॉ. रत्नर्तुः मिश्रा
सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग,
छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय
कानपुर (उप्र)

डॉ. नवनीत शर्मा
सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश
केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धौलाधार परिसर-1,
धर्मशाला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

डॉ. उमेश कुमार शुक्ल
सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं भाषा विज्ञान विभाग
उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड

डॉ. बी.जी. सिंह
प्राचार्य (सेवानिवृत्त), माता भगवती देवी
राजकीय महिला महाविद्यालय आगरा, (उप्र)

डॉ सत्यवीर सिंह
प्राचार्य, श्री नेहरू इंटर कॉलिज, पिलाना,
बागपत, (उप्र)

डॉ. अनुराधा
टीजीटी, श्री गुरू हर कृष्ण बालिका उच्चतर
माध्यमिक विद्यालय, माता सुंदरी, नई दिल्ली

डॉ. मधुर भाटिया
शैक्षिक अधिकारी (शिक्षक शिक्षा)
एनआईओएस, नोएडा, (उप्र)

अनुवादक

डॉ. रत्नर्तुः मिश्रा
सहायक प्रोफेसर, शिक्षा प्रशिक्षण विभाग
छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय
कानपुर (उप्र)

डॉ. ऋषभ कुमार मिश्र
सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी
अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र

सुश्री कुसुमलता अग्रवाल
सेवानिवृत भाषा अध्यापिका
सर्वोदय बाल विद्यालय, रमेश नगर
नई दिल्ली

श्रीमति सोनिया मेहंदीरत्ता
टीजीटी मनोविज्ञान, हेप्पी मॉडल स्कूल
जनकपुरी, दिल्ली

डॉ. अनुराधा
टीजीटी, श्री गुरू हर कृष्ण बालिका उच्चतर
माध्यमिक विद्यालय, माता सुंदरी, नई दिल्ली

श्रीमति प्रज्ञा प्रभाती
टीजीटी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय
बुलंदशहर, (उप्र)

विषय समन्वयक

डॉ. मधुर भाटिया
शैक्षिक अधिकारी (शिक्षक शिक्षा)
एनआईओएस, नोएडा, (उप्र)

डॉ. उदयना
सलाहकार (शिक्षक शिक्षा)
एनआईओएस, नोएडा, (उप्र)

डीटीपी कार्य

मैसर्स शिवम ग्राफिक्स
431, ऋषि नगर, रानी बाग, दिल्ली-110034

मैसर्स मल्टी ग्राफिक्स, प्रेस टू प्रिंट प्रोडेक्शन
8ए/101, डबल्यू, ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005

आपसे दो शब्द

प्रिय शिक्षार्थी,

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) में आपका स्वागत है। वैश्विक स्तर पर यह निर्विवाद है कि आजीवन विकास, सीखना, अभिवृत्ति एवं मूल्यों को आत्मसात करने की नींव प्रारंभिक वर्षों में एक अनुकूल वातावरण पर निर्भर करती है। बच्चों की गुणवत्तापूर्ण देखभाल तथा शिक्षा प्रदान करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता के लिए आवश्यक है कि हम ईसीसीई के महत्व एवं अन्य पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करें। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान ने विद्यालयी स्तर पर ऐसा करने की योजना तैयार की है।

उपरोक्त का अनुसरण करते हुए उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ईसीसीई हेतु पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। आपकी सुविधा के लिए पाठ्यक्रम की स्व-अध्ययन सामग्री को दो भागों में बाँटा गया है। पहले भाग में 2 मॉडयूल्स तथा 9 पाठ शामिल हैं। दूसरे भाग में 3 मॉडयूल्स तथा 13 पाठ शामिल हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम में 5 मॉडयूल्स तथा 22 पाठ शामिल हैं। प्रत्येक पाठ में ऐसी गतिविधियाँ दी गई हैं जो आपको अवधारणाओं में प्रवीणता हासिल करने, व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने तथा सीखने को अर्थपूर्ण बनाने में सहायक होंगी। पाठगत प्रश्नों तथा पाठांत अभ्यासों को इस दृष्टिकोण से शामिल किया गया है ताकि आप स्वयं के सीखने का आकलन कर सकें तथा पाठ्यक्रम में आगे बढ़ते हुए प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकें।

आइए, पाठ्यक्रम का कुछ विवरण आपके साथ साक्षा करते हैं–

माड्यूल 1 : प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का उद्देश्य देश में सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ईसीसीई के प्रावधानों को समझना है।

माड्यूल 2 : बाल विकास के सिद्धान्त, बच्चों में वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया के साथ-साथ उनके समग्र विकास के तरीकों एवं साधनों पर केन्द्रित है।

माड्यूल 3 : पाठयक्रम मान्यताएं एवं प्रगति, ईसीसीई कार्यक्रम को बाल केन्द्रित अन्तर्क्रियात्मक, सहभागी, आनन्ददायी तथा अर्थपूर्ण बनाने की आवश्यकता एवं महत्व पर चर्चा करता है।

माड्यूल 4 : ईसीसीई केन्द्र का संगठन और प्रबंधन, भौतिक, मानवीय तथा वित्तीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग के जरिए ईसीसीई केन्द्र की स्थापना एवं प्रबंधन की आधारभुत अवधारणाओं के इर्द-गिर्द संगठित किया गया है।

माड्यूल 5 : विविधता एवं समावेशन, ईसीसीई में विविधता के महत्व तथा समावेशन को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करता है। साथ ही यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता करने के लिए समय पर हस्तक्षेप के महत्व पर भी चर्चा करता है।

इस पाठ्यक्रम में एक प्रयोगात्मक पुस्तिका भी शामिल है जिसकी सहायता से आप बच्चों की बेहतर समझ हासिल कर सकेंगे।

पाठ्यक्रम के अध्ययन के दौरान आपके कुछ प्रश्न एवं शंकाएं हो सकती हैं। हम आशा करते हैं कि आप अपने प्रश्नों एवं शंकाओं को व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) के दौरान अपने अनुशिक्षकों से साझा करेंगे।

सीखी गई अवधारणाओं को समृद्ध करने के लिए मुक्त विद्या वाणी लाइव कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों को लाइव एनआईओएस की वेबसाइट nios.irdioindia.in पर लॉग ईन करके लाइव सुना जा सकता है।

पुस्तक-2 के अन्त में अभ्यास एवं परीक्षा की तैयारी हेतु प्रश्न पत्र डिजाइन तथा अंकन योजना के साथ एक नमूना प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया है।

आशा है कि यह स्व-अध्ययन सामग्री आपको ज्ञानवर्धक, रुचिकर एवं उपयोगी लगेगी।

हम, आप सभी की सफलता एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यदि आप कोई कठिनाई महसूस करते हैं तो कृपया बेझिझक हमें लिखें। इस पाठ्यक्रम के बारे में हमें आपकी प्रतिक्रिया एवं सुझावों की प्रतीक्षा है।

पाठ्यक्रम समिति

अध्ययन सामग्री का उपयोग कैसे करें

बधाई! आपने स्व-अध्ययन करने की चुनौती स्वीकार की है। एनआईओएस प्रत्येक कदम पर आपके साथ है तथा आपको ध्यान में रखते हुए विषय विशेषज्ञों की सहायता से पाठ्यक्रम 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा' पर स्व-अध्ययन सामग्री का विकास किया है। यदि आप दिये गये निर्देशों का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से इस सामग्री से सर्वोत्तम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। स्व-अध्ययन सामग्री में उपयोग किये गये उपयुक्त चिह्न आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपकी सुविधा के लिए इन चिह्नों की व्याख्या नीचे की गई है।

शीर्षक : यह अन्दर दी गयी सामग्री का स्पष्ट संकेत देता है। इसे अवश्य पढ़ें।

अधिगम प्रतिफल : ये ऐसे कथन हैं जो बताते हैं कि इस पाठ से आपसे क्या सीखने की अपेक्षा की जाती है। दिये गये उद्देश्य यह जाँचने में सहायता करेंगे कि पाठ को पढ़ने के पश्चात आपने क्या और कितना सीखा। उन्हें अवश्य पढ़ें।

नोटस : आपके द्वारा महत्वपूर्ण बिन्दु लिखने या नोट्स बनाने के लिए प्रत्येक पेज के साइड हाशिये में खाली जगह दी गई है।

पाठगत प्रश्न : अति लघु उत्तरीय स्व-आकलन प्रश्न प्रत्येक खंड के अंत में पूछे गये हैं। जिनके उत्तर पाठ के अंत में दिये गये हैं। ये आपकी प्रगति की जाँच करने में आपकी सहायता करेंगे। उन्हें अवश्य हल करें। आपके द्वारा दिये गये उत्तर यह तय करेंगे कि आप आगे बढ़े या फिर पुनः उसी को सीखें।

सुझाई गई गतिविधियाँ : अवधारणा की स्पष्ट समझ हेतु कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं।

आपने क्या सीखा : यह पाठ के मुख्य बिंदुओं का सारांश है। यह दोहराने तथा संशोधन करने में आपकी सहायता करेगा। इसमें आपके द्वारा जोड़े जाने वाले महत्वपूर्ण बिन्दुओं का भी स्वागत है।

पाठांत अभ्यास : ये लघु तथा दीर्घउत्तरीय प्रश्न हैं जो आपको संपूर्ण प्रकरण की समझ हेतु अभ्यास का अवसर प्रदान करते हैं।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर : ये आपको यह जानने में सहायता करेंगे कि आपके द्वारा दिये गये सवालों के उत्तर कितने सही हैं।

शब्दावली : बेहतर समझ के लिए पाठ के अन्तर्गत विषय से संबंधित कठिन शब्दों की वर्णक्रम के अनुसार सूची दी गई है तथा उनका अर्थ समझाया गया है।

वेब संसाधन: ये वेबसाइट, संबंधित विषय के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करती है। पाठ में विषय से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान की गई है। और विस्तृत जानकारी हेतु आप इनका संदर्भ ले सकते हैं।

मॉडयूल का नाम	पाठ संख्या	पाठ का नाम
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा	01	प्रारंभिक बाल्यवस्था देखभाल और शिक्षाः अर्थ एवं महत्व
	02	भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था
	03	बच्चों की आवश्यकताएँ एवं अधिकार
	04	भारत में ईसीसीई नीतियाँ, योजनाएँ तथा कार्यक्रम
	05	ईसीसीई के मुद्दे एवं दिशा-निर्देश
बाल विकास के सिद्धान्त	06	वृद्धि और विकास
	07	विकास के आयाम
	08	बाल विकास की अवस्थाएँ : प्रसव पूर्व तथा जन्म से 3 वर्ष तक
	09	बाल विकास की अवस्थाएँ : 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, 6 वर्ष से 8 वर्ष तक
पाठ्यक्रम मान्यताएं एवं प्रगति	10	प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की देखभाल
	11	खेल और प्रारंभिक अधिगम
	12	विकासोचित ईसीसीई पाठ्यचर्या की योजना
	13	बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? (प्रारंभिक अधिगम एवं शिक्षण)
	14	बाल अध्ययन के तरीके
ईसीसीई केन्द्र का संगठन एवं प्रबंधन	15	ईसीसीई केन्द्र की रूपरेखा (प्रोफाइल)
	16	ईसीसीई केन्द्र का प्रशासन और प्रबंधन
	17	ईसीसीई शिक्षक के गुण एवं भूमिका
	18	अभिभावकों एवं समुदाय की सहभागिता
	19	सुगम पारगमन
विविधता एवं समावेशन	20	विविधता की समझ
	21	समावेशनः अवधारणा एवं मान्यताएँ
	22	प्रारंभिक पहचान एवं हस्तक्षेप

1

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षाः अर्थ और महत्व

प्रारम्भिक बाल्यावस्था का अर्थ जन्म से 6 वर्ष तक के शुरूआती जीवन से है। इन वर्षों को निर्माण के वर्ष कहते हैं क्योंकि इन्हीं वर्षों में शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक-संवेगात्मक और भाषा के विकास की नींव पड़ती है। तंत्रिकाविज्ञान के क्षेत्र में हुए अनुसन्धानों ने इन वर्षों के महत्व को इस रूप में माना है कि इन वर्षों में मस्तिष्क का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। प्रारम्भिक वर्षों में लालन-पालन, उद्दीप्त करने वाला परिवेश और सीखने के अनुकूलतम अवसर छोटे बच्चों के जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं। इन निर्माणात्मक वर्षों में सभी बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) की सुनिश्चितता द्वारा ऐसा किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का वंचन बच्चों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अतः ईसीसीई के अर्थ और महत्व को समझना अनिवार्य हो जाता है।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप–

- ईसीसीई के अर्थ और महत्व का वर्णन करते हैं;
- ईसीसीई के उद्देश्यों की चर्चा करते हैं;
- ईसीसीई के घटकों की व्याख्या करते हैं;
- प्रारंभिक हस्तक्षेप के महत्व को चिन्हित करते हैं; और
- भारतीय और वैश्विक संदर्भों में ईसीसीई का वर्णन करते हैं।

टिप्पणी

1.1 ईसीसीई का अर्थ और महत्व

1.1.1 ईसीसीई का अर्थ

ईसीसीई शब्द तीन मुख्य शब्दों से मिलाकर बना है- 'प्रारम्भिक बाल्यावस्था', 'देखभाल' और 'शिक्षा'। प्रारम्भिक बाल्यावस्था में जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि आती है। ईसीसीई की राष्ट्रीय नीति, 2013 के अनुसार विकासात्मक विशेषताओं के आधार पर प्रारम्भिक वर्षों की तीन उप-अवस्थाएँ हैं जिनमें से प्रत्येक की अपनी आयु के अनुरूप विकासात्मक प्राथमिकताएँ होती हैं। ये उप-अवस्थाएँ हैं– (a) गर्भ धारण से जन्म, (b) जन्म से तीन वर्ष तथा (c) तीन से छह वर्ष। ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्थाएँ हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि और विकास होता है। देखभाल से हमारा आशय सभी बच्चों को प्रेम और स्नेह प्रदान करना तथा स्वस्थ, स्वच्छ, सुरक्षात्मक और सक्रिय वातावरण उपलब्ध कराना है। शिक्षा खोज, प्रयोग, अवलोकन, सहभागिता और अन्त:क्रिया द्वारा ज्ञान, कुशलता, अभिवृत्ति और मूल्यों को गृहण करने की प्रक्रिया है। ये समस्त अनुभव बच्चों को अपने बारे में और दुनिया के बारे में जानने में मदद करते हैं।

अत: ईसीसीई का अर्थ बच्चों को विकास के प्रारम्भिक वर्षों के दौरान स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल और सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है। खेल-आधारित एवं विकासात्मक जरूरतों के अनुसार गतिविधियों वाला एक सुरक्षात्मक और उद्दीपित वातावरण बच्चों के शारीरिक-गत्यात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक-सांवेगिक और भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्षत: ईसीसीई बच्चों के समग्र विकास के लिए, बाद की अवस्थाओं में अधिगम के लिए और उनके स्वस्ति भाव के लिए आधार तैयार करने का कार्य करती है।

1.1.2 ईसीसीई का महत्व

विकास की अन्य अवस्थाओं की तुलना में बच्चों के जीवन के प्रारंभिक 6 वर्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान सभी आयामों में उनका विकास तीव्र गति से होता है। तंत्रिका तंत्र के क्षेत्र में शोधकार्य ने बच्चों के जीवन में प्रारम्भिक वर्षों की महत्ता को स्वीकृति दी है। इन शोधकार्यों के अनुसार इन वर्षों में मस्तिष्क का विकास तीव्र गति से होता है। जब तक बच्चा 6 वर्ष का होता है तब तक उसके 90 प्रतिशत दिमाग का विकास हो चुका होता है। परिणामस्वरूप, बच्चे के समग्र विकास की दृष्टि से, विशेष रूप से मस्तिष्क के विकास की दृष्टि से ये वर्ष अति महत्वपूर्ण हैं। वंशानुक्रम या वातावरण के कारण विकासात्मक प्रक्रिया में आई कोई बाधा उनके विकास को बाधित कर सकती है। घर और विद्यालय में स्वस्थ वातावरण का अभाव, उद्दीपन की कमी, अपर्याप्त पोषण, स्वास्थ्य की देखभाल में लापरवाही कुछ सामान्य कारक हैं जिनके कारण बच्चों में विकासात्मक विलम्बन होता है। इन वर्षों के दौरान बच्चे अनेक शारीरिक-गत्यात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक-सांवेगिक और भाषा सम्बन्धी दक्षताओं का अर्जन करते हैं। अत: उन्हें सकारात्मक अनुभवों से पूर्ण उद्दीपक और सहभागिता वाला वातावरण मिलना चाहिए। ईसीसीई कार्यक्रमों के दौरान बच्चों को उपलब्ध करायी गयी गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक देखभाल और शिक्षा उन्हें समर्थ बनाती है कि वे अपनी उम्र के अनुसार ज्ञान और कौशल को प्राप्त कर सकें जिसके आधार पर बाद में वे औपचारिक स्कूल के वातावरण में समायोजन कर सकें।

अत: बच्चों के एकीकृत, स्वस्थ और समग्र विकास के लिए ईसीसीई को प्राथमिक महत्व देना चाहिए। ईसीसीई के अलग-अलग सेवा प्रदाताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को समतामूलक और गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई प्राप्त हो, खासकर उन बच्चों को जो इससे वंचित हैं।

1.2 ईसीसीई के उद्देश्य

ईसीसीई का उद्देश्य सभी बच्चों को उनके समग्र विकास के लिये निर्माणात्मक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण देखभाल और अधिगम के अवसर उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय ईसीसीई के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2013 में इसके उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है। आइए, इसी आलोक में ईसीसीई के उद्देश्यों को समझते हैं। ईसीसीई के उद्देश्य है–

- यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे सुरक्षित, सलामत, स्वीकृत और सम्मानित महसूस करें।
- सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को अच्छा और संतुलित पोषण प्राप्त हो।
- बच्चों में स्वस्थ आदतों, स्वच्छता संबंधी चलन और खुद की सहायता कर सकने वाली कुशलताओं का विकास हो।
- उनकी भाषा, सम्प्रेषण और अभिव्यक्ति की क्षमता का सम्यक विकास हो।
- उनकी सम्भाव्य क्षमता के अनुसार शारीरिक और गत्यात्मक क्षमताओं का अनुकूलतम विकास किया जाए।
- सहभागिता पूर्ण उद्दीपक गतिविधियों में संलग्नता द्वारा बच्चों की संवेदी और संज्ञानात्मक क्षमताओं को पोषित किया जाए।
- बच्चों के भावानात्मक समायोजन को ध्यान में रखते हुए समाजोन्मुख कौशलों और सामाजिक दक्षताओं का विकास किया जाए।
- बच्चों को विद्यालयों में औपचारिक अधिगम के लिए तैयार किया जाए।

गतिविधि 1.1

अपने समुदाय के अभिभावकों से चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि वे ईसीसीई के महत्व के बारे में कितने जागरूक हैं?

टिप्पणी

पाठगत प्रश्न 1.1

1. बताइए कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य।

   (क) बच्चों के जीवन के प्रारम्भिक वर्ष महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस दौरान उनका सभी आयामों में तीव्र वृद्धि और विकास होता है।

   (ख) ईसीसीई का अभिप्राय बच्चों के जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में उनके स्वास्थ्य और पोषण संबंधी देखभाल एवं सीखने के शुरूआती अवसरों को उपलब्ध कराना है।

   (ग) घर और स्कूल का वातावरण बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता है।

   (घ) वंशानुक्रम या वातावरणीय कारणों से बच्चों के विकास में आई बाधा उनके समग्र विकास को प्रभावित करती है।

   (ङ) एक सुरक्षात्मक और उद्दीपक वातावरण बच्चों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है।

1.3 ईसीसीई के घटक

ईसीसीई एक एकीकृत कार्यक्रम है जिसके अनेक घटक हैं। ये सभी मिलकर बच्चों के विकास और कल्याण में योगदान करते हैं। आइए, इसके प्रमुख घटकों को विस्तार से समझते हैं।

चित्र 1.1 : ईसीसीई के घटक

1.3.1 स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता

इस घटक में माताओं और बच्चों को नियमित स्वास्थ्य संबंधी हस्तक्षेप प्रदान करना शामिल है। इसमें प्रसव पूर्व और प्रसव बाद की देखभाल जैसे– पौष्टिक आहार, गर्भवती माता की प्रतिरक्षा हेतु टीकाकरण, स्वास्थ्य की नियमित जांच, तनावमुक्त वातावरण, अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्र में सुरक्षित प्रसव शामिल है।

इसी प्रकार, बच्चों को सन्तुलित और पौष्टिक भोजन, संक्रमण से संरक्षण, समय पर टीकाकरण तथा चिकित्सकीय देखभाल हेतु प्रावधान समेत स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण प्रदान करने की जरूरत है।

1.3.2 देखभाल और संरक्षण

सभी बच्चों की अनुकूलतम वृद्धि और स्वस्थ विकास के लिए भौतिक और भावनात्मक रूप से सलामत, सुरक्षित एवं संरक्षित परिवेश अत्यन्त आवश्यक है। देखभाल और सुरक्षा वाला परिवेश प्रदान करना ईसीसीई का एक अभिन्न घटक है। बच्चों की देखभाल करने वालों के लिए आवश्यक है कि वे उनकी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांवेगिक जरूरतों को पूरा करें। यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी आवश्यकतानुसार उपयुक्त उद्दीपक दिया जा सकता है, सहयोगी और सुखद अन्त:क्रिया की जा सकती है, एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है।

1.3.3 प्रारम्भिक उद्दीपन

जैसा कि आपने पढ़ा है विकास शारीरिक-गत्यात्मक, सामाजिक-सांवेगिक, संज्ञानात्मक और भाषा के आयामों में होता है। ये सभी आयाम परस्पर संबंधित होते हैं। जीवन के प्रारम्भिक कुछ वर्षों में इन सभी आयामों में तीव्र वृद्धि और विकास होता है।

प्रारम्भिक उद्दीपन का अभिप्राय तीन वर्ष की आयु तक बच्चों को देखने, सुनने, स्पर्श करने, सूंघने और स्वाद लेने के उद्दीपन प्रदान करने से है। उद्दीपन का उद्देश्य बच्चों की संभाव्य क्षमता की वृद्धि करना है। इसके लिए माता-पिता, देखभाल करने वालों के साथ अन्त:क्रिया में सकारात्मक वृद्धि और परिवेश के खोज के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। शोध कार्य बताते हैं कि उद्दीपन तन्त्रिका मार्गों के निर्माण द्वारा मस्तिष्क के विकास में भी मदद करता है जो भविष्य के अधिगम में सहायता करते हैं। अत: यह महत्वपूर्ण है कि प्रारम्भिक वर्षों में बच्चों को उद्दीप्त करने वाला वातावरण उपलब्ध कराया जाए जिसमें आयु के अनुसार विविध सामग्री, अनुभव और विकास के अवसर हों।

1.3.4 प्रारम्भिक अधिगम

ईसीसीई का एक महत्वपूर्ण घटक बच्चों के प्रारम्भिक वर्षों में उन्हें सीखने का अवसर उपलब्ध कराना है। तीन से छह आयु वर्ष के बच्चों को उम्र और विकास के अनुरूप सीखने का अवसर अनिवार्यत: उपलब्ध कराना चाहिए। यह जरूरी है कि इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध

कराई जाए जिसमें खेल, मूर्त अनुभव, अवलोकन, हस्तकौशल और प्रयोग शामिल हों। इससे उन्हें अपने बारे में, दूसरे के बारे में और अपने चारों ओर की दुनिया के बारे में सीखने का मौका मिलता है।

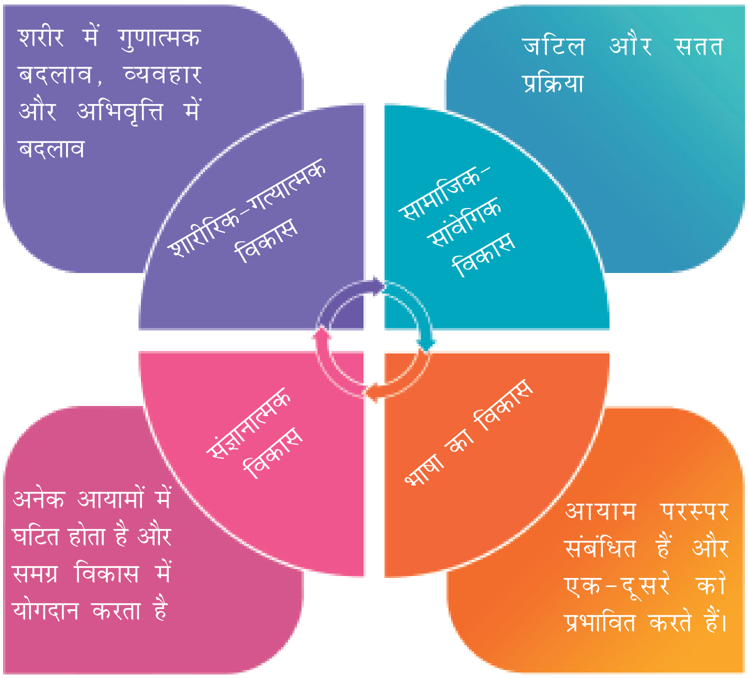

चित्र 1.2 : विकास की प्रक्रिया

शारीरिक-गत्यात्मक विकास

शारीरिक वृद्धि और विकास में लंबाई, भार और शरीर के अन्य अंगों में आनुपातिक परिवर्तनों को शामिल करते हैं। इसमें हड्डियों का विकास भी शामिल है। शरीर की पूरी संरचना हड्डियों के आकार, अनुपात और घनत्व पर निर्भर करती है। यह पूरे शरीर की आकृति को निर्धारित करती है। शारीरिक-गत्यात्मक विकास में स्थूल एवं सूक्ष्म मांस-पेशियों का विकास और हाथ-आंख के तालमेल की प्रक्रिया भी शामिल है। बच्चों में स्थूल मांस-पेशियों का विकास उन्हें रेंगने, चलने, दौड़ने, साइकिल चलाने, चढ़ने, कूदने आदि जैसी गतिविधियों में मदद करता है। सूक्ष्म मांस-पेशियों का विकास क्रेयान पकड़ने, रेखाएं खींचने, रंगने, धागे डालने, काटने और लिखने आदि जैसी गतिविधियों में मदद करता है।

सामाजिक-सांवेगिक विकास

सामाजिक विकास की प्रक्रिया द्वारा बच्चे सामाजिक मानक और सांस्कृतिक मूल्य ग्रहण करते हैं। स्वस्थ सामाजिक विकास बच्चों की मदद करता है कि वे परिवार, दोस्त और जीवन के अन्य लोगों से सकारात्मक संबंध का विकास कर सकें। संवेगात्मक विकास का

अभिप्राय बच्चों में संवेगों और मूल्यों का विकास है। बच्चों का जन्म आधारभूत संवेगों जैसे-प्रेम, भय, क्रोध और खुशी के साथ होता है। समय के साथ वे जटिल भावनाओं को विकसित करते हैं और वे भावनाओं को पहचानना, अभिव्यक्त और प्रबंध करना सीख लेते हैं।

संज्ञानात्मक विकास

यह सोचने, याद करने, पहचानने, वर्गीकरण करने, कल्पना करने, तर्क करने और निर्णय करने जैसी मानसिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास की ओर संकेत करता है।

भाषा का विकास

यह भाषा को ग्रहण करने, समझने और उपयोग करने की प्रक्रिया है। इसमें सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल शामिल हैं। यह कौशल बच्चों को संप्रेषण करने और उन्हें उनकी भावनाओं को व्यक्त करने में सहायता करता है।

पाठगत प्रश्न 1.2

1. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।

   (क) ईसीसीई बच्चों के .... विकास में सहायता करता है।

   (ख) भाषा विकास का अभिप्राय है भाषा को ग्रहण, ... और .... करना।

   (ग) शारीरिक-गत्यात्मक विकास में .... मांस-पेशियों का विकास और .... समन्वयन की प्रक्रिया शामिल है।

   (घ) .... सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं।

1.4 प्रारम्भिक हस्तक्षेप

इसके पहले कि हम प्रारम्भिक हस्तक्षेप के अर्थ और महत्व की चर्चा करें यह आवश्यक है कि हम विकासात्मक पड़ाव (माइलस्टोन) और विकासात्मक विलंबन का अर्थ जान लें।

विकासात्मक पड़ाव का अभिप्राय आयु के अनुसार विकास के प्रत्येक आयाम में अर्जित कौशल एवं दक्षताएं हैं। सामान्य परिस्थितियों में बच्चों से अपेक्षित है कि वे संबंधित आयामों में अपेक्षित विकासात्मक पड़ाव प्राप्त कर लें अर्थात् यह अपेक्षित है कि कुछ दक्षताएं एक खास आयु सीमा में ही प्राप्त होगी। यदि बच्चे विकास के सामान्य प्रारूप से पीछे रह जाते हैं तो उनका विकास विलंबित हो जाता है। इसका अर्थ है कि उन बच्चों ने निर्धारित समय पर विकासात्मक पड़ाव को प्राप्त नहीं किया। एक उम्र विशेष में जैसी आशा की जाती है वे उस दर से प्रगति करने

और विकासात्मक पड़ाव तक पहुंचने में असफल रहते हैं। बच्चों में विकास के विलम्बन के विभिन्न कारण हो सकते हैं जैसे कि वंशानुक्रम, प्रसव या जन्म के समय की जटिलताएं, बीमारी, जन्म के बाद की दुर्घटना।

बच्चों के विलंबित विकास के संकेतों का अवलोकन करना आवश्यक है जिससे उन्हें उपयुक्त एवं समयानुसार हस्तक्षेप उपलब्ध कराया जा सके। प्रारंभिक हस्तक्षेप का तात्पर्य बच्चों की विकासात्मक और अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र उठाए गए कदमों से है जिससे विकासात्मक विलंबन के प्रभाव को कम किया जा सके। इससे अभिप्राय है कि बच्चों को जीवन में शीघ्रातिशीघ्र सही हस्तक्षेप प्राप्त हो, जिस समय पर उनका मस्तिष्क नयी चीजें सीखने को सर्वाधिक ग्रहणशील होता है।

इसलिए बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी जांच नियमित होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड भी रखा जाना चाहिए। उनकी स्वास्थ्य संबंधी जांच में सामान्य स्वरूप, शरीर की संरचना, धड़कनों का रिकॉर्ड, श्वसन दर, तापमान, लंबाई और वजन की माप, छाती और पेट की माप शामिल है। गले, आंख, कान, नाक, दांत, त्वचा, बाल, नाखून, दृष्टि, श्रवण, मानसिक प्रतिक्रिया, अगों का संचालन, पेशाब और मल का परीक्षण भी होना चाहिए। ये परीक्षण उनकी कमियों को शुरूआत में ही पहचानने में मदद करते हैं। यदि प्रारंभ में ही किसी समस्या को पहचाना जाता है तो उस पर तत्काल ध्यान दिया जा सकता है।

शारीरिक और संवेदी क्षति बच्चों के विकास में सबसे बड़ी बाधक है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे में संवेदी क्षति है तो उसे अपने वातावरण के साथ अन्तर्क्रिया करने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। यहाँ रिपेल प्रभाव (ऐसी परिस्थिति जिसमें किसी स्थिति के परिणामस्वरूप एक समस्या उत्पन्न हो, नवीन समस्या के परिणामस्वरूप पुनः एक नवीन समस्या उत्पन्न हो और यह क्रम आगे तक चलता रहे) हो सकता है तथा बच्चे का भाषा और सामाजिक-सांवेगिक विकास भी धीमा हो सकता है। यदि किसी बच्चे को बार-बार बुलाया जाता है फिर भी वह नहीं सुनता है तो इसका अर्थ हुआ कि उसकी सुनने की क्षमता में कोई समस्या है। इसी तरह यदि कोई बच्चा एक निश्चित आयु के बाद भी नहीं बोल पाता है तो उसे बोलने की कुशलता के विकास के लिए सहयोग की आवश्यकता होगी। अतः समय पर समस्या की पहचान बच्चों को प्रारम्भिक हस्तक्षेप प्रदान करने में सहायता करती है। यदि समय रहते बच्चों के विकासात्मक विलंबन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो यह तात्कालिक देरी स्थायी हो जाती है। देर से दिया हुआ कोई भी हस्तक्षेप अंतराल को भरने में पर्याप्त नहीं होगा। अपने देश में बच्चों की बड़ी संख्या है जो जीवन के शुरूआती वर्षों में खराब स्वास्थ्य, कुपोषण एवं घरेलू वातावरण में उद्दीपन के निम्न स्तर जैसे विभिन्न प्रकार के जोखिम से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिये प्रारम्भिक विकासात्मक पिछड़ेपन की खोज और इसके लिये उचित कदम उठाए जाने ज्यादा जरूरी हैं।

1.5 भारतीय संदर्भ में ईसीसीई

बच्चों के प्रारम्भिक वर्षों के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। बच्चों को उनके प्रारंभिक वर्षों में गुणवत्तापूर्ण देखभाल और सीखने के अवसरों को उपलब्ध कराने के महत्व को स्वीकारा जा

रहा है। अनेक शैक्षिक विचारकों ने ईसीसीई के क्षेत्र में उल्लेखनीय विचार दिए हैं। इन विचारकों ने विशेष रूप से बच्चे कैसे बड़े होते हैं, विचार करते हैं, विकास करते हैं जैसे प्रश्नों का उत्तर दिया है। भारतीय संदर्भ में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के बारे में गिजुभाई बधेका, ताराबाई मोदक और मारिया माण्टेसरी अग्रपंक्ति के विचारक हैं।

गिजुभाई बधेका का मानना था कि बच्चों के उचित विकास के लिए अच्छी शिक्षा आवश्यक है। इसके लिए आपने गुजरात के भावनगर में 1920 में 'बालमंदिर' नाम से पूर्व-प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की।

ताराबाई मोदक ने भी भारत की पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 1926 में इन्होंने तत्कालीन बम्बई (वर्तमान मुंबई) में नूतन बाल शिक्षण संघ की स्थापना की। यहाँ विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थी, गतिविधियों और वास्तविक जीवन के अनुभवों से सीखते थे।

मारिया मॉटेंसरी द्वारा प्रतिपादित मांटेसरी विधि पूर्व प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा में प्रयुक्त होने वाला एक उपागम है। इसका दुनिया के सारे बच्चों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह एक सुव्यवस्थित माहौल में बच्चों के स्वाभाविक विकास को सहयोग करने की विधि है।

महान भारतीय शैक्षिक विचारकों जैसे-महात्मा गांधी, रबीन्द्रनाथ टैगोर, जाकिर हुसैन के लेखन में भी जीवन के निर्माणात्मक वर्षों के दौरान बच्चों की देखभाल और शिक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया है। इनका विचार रहा है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए और उनकी शिक्षा उनके सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से घनिष्ठता से संबंधित होनी चाहिए। यह उस समुदाय से भी संबंधित होनी चाहिए जिसमें बच्चे और उनका परिवार रहते हैं।

वर्तमान में भारत में ईसीसीई से जुड़ी सेवाएं सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाती हैं। भारत सरकार ने प्रारम्भिक बाल्यावस्था में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। वर्ष 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) [Integrated Child Development Services (ICDS)] योजना का प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना था। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक एकीकृत और विशिष्ट कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं की देखभाल भी शामिल थी।

हाल के वर्षों में पंचवर्षीय योजनाओं में ईसीसीई पर ध्यान और प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2013 ईसीसीई की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास रहे हैं। इनके द्वारा प्रारम्भिक बाल्यावस्था के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण देखभाल और शिक्षा के अवसर सुनिश्चित हुए हैं।

निजी और गैर-अनुदानित केन्द्र जैसे- नर्सरी, किंडरगार्टेन और निजी विद्यालयों के पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी विभाग भी देश में पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। ये केन्द्र मुख्यत: नगरीय क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इनके अलावा अनेक गैरसरकारी संगठन भी ईसीसीई से जुड़े कार्यक्रम संचालित करते हैं।

टिप्पणी

1.6 वैश्विक संदर्भ में ईसीसीई

ईसीसीई के महत्व को वैश्विक स्तर पर भी स्वीकारा गया है। यह 1989 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेन्शन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड (यूएनसीआरसी) अर्थात् संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते के साथ प्रारंभ हुआ। यह बाल अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता है। यह बच्चों के उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, शिक्षा और संरक्षण के सन्दर्भ में बच्चों के कल्याण को संरक्षित करने और प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखता है।

''सबके लिए शिक्षा'' पर वैश्विक सम्मेलन, जोकि जोमेटियन, थाईलैंड, 1990 में हुआ था, ने बल दिया कि ''सीखना जन्म से प्रारंभ होता है'' और प्रारम्भिक देखभाल और शिक्षा को अनिवार्य रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसे परिवार और समुदाय के सहयोग से प्रदान किये जाने की जरूरत है।

इसके साथ ही, वर्ल्ड एजुकेशन फोरम जो 2010 में डाकर, सेनेगल में हुआ था, में भी ईसीसीई के महत्व को दोहराया गया है। इसमें पुनः पुष्टि की गयी कि शिक्षा एक मूलाधिकार है और सभी बच्चों के लिए आधारभूत शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु ''सबके लिये शिक्षा'' [Eduction For All (EFA)] के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये उद्देश्य निर्धारित किये गये।

हाल में ही वर्ष 2015 में कोरिया गणतंत्र के इंचियोन में हुए वर्ल्ड शिक्षा फोरम में शिक्षा को विकास का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हुए सतत विकास के लिए 2030 तक के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सतत विकास का चौथा लक्ष्य है कि– ''वर्ष 2030 तक सभी लड़के और लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक बाल्यावस्था विकास, सुरक्षा और पूर्व प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित की जाए जिससे वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो जाएं।''

इन वैश्विक प्रतिबद्धताओं के समान्तर भारत भी गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई की पहुँच की सुनिश्चितता हेतु प्रयास कर रहा है।

पाठगत प्रश्न 1.3

1. हाँ/नहीं पर निशान लगाइए–

   (क) भारत में ईसीसीई संबंधी सेवाएं सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाती है। (हाँ/नहीं)

   (ख) विकासात्मक विलंबन का अभिप्राय है कि बच्चे विकासात्मक पड़ावों को अपेक्षित आयु पर प्राप्त कर लेते हैं। (हाँ/नहीं)

   (ग) आईसीडीएस प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम है। (हाँ/नहीं)

   (घ) प्रारम्भिक हस्तक्षेप का तात्पर्य है बच्चों की विकासात्मक और अधिगम आवश्यकताओं के सन्दर्भ में जितने जल्दी संभव हो उतने जल्दी कदम उठाना। (हाँ/नहीं)

   (ङ) सतत विकास का चौथा लक्ष्य छोटे बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। (हाँ/नहीं)

टिप्पणी

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा कि–

- प्रारंभिक वर्षो का अभिप्राय जीवन के पहले 6 वर्षो से है।
- ईसीसीई का अर्थ जन्म से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को उनके समग्र विकास के लिए दी जाने वाली देखभाल और सीखने के अवसरों से है।
- ईसीसीई में स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल, सुरक्षा, प्रारंभिक उद्दीपन और प्रारंभिक अधिगम इसके घटक के रूप में शामिल हैं।
- विकास एक जटिल और सतत प्रक्रिया है। यह शारीरिक–गत्यात्मक, सामाजिक–सांवेगिक, भाषा और संज्ञानात्मक आयामों में होती है। ये आयाम परस्पर संबंधित होते हैं और बच्चे के समग्र विकास को प्रभावित करते हैं।
- बच्चों में विकास के विलंबन के अनेक कारण हो सकते हैं जैसे– वंशानुक्रम, गर्भावस्था या बच्चे के जन्म के समय की जटिलताएं, बीमारी या जन्म के बाद की दुर्घटनाएं आदि। बच्चों में विकासात्मक विलंबन को जानने के लिये प्रारम्भिक पहचान आवश्यक है। विकासात्मक विलंबन वाले बच्चों की विकासात्मक और अधिगम संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए समयानुसार हस्तक्षेप आवश्यक है।
- भारतीय संदर्भ में ईसीसीई के अन्तर्गत भारतीय शैक्षिक विचारकों के विचार और भारत सरकार की पहल जैसे– आईसीडीएस, 1975 एवं ईसीसीई की राष्ट्रीय नीति 2013 शामिल हैं।
- वैश्विक स्तर पर ईसीसीई की स्वीकृति पर बल के साथ सतत विकास का लक्ष्य–4 सभी छोटे बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण विकास, देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सुनिश्चित पहुँच का लक्ष्य रखता है जिससे वे 2030 तक प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें।

पाठान्त प्रश्न

1. ईसीसीई के अर्थ और महत्व की व्याख्या कीजिए।
2. ईसीसीई के मुख्य लक्ष्यों को संक्षेप में लिखिए।
3. ईसीसीई के मुख्य घटकों पर चर्चा कीजिए।
4. बच्चों के समग्र विकास के लिए ईसीसीई क्यों महत्वपूर्ण है?
5. भारतीय संदर्भ में ईसीसीई का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
6. वैश्विक संदर्भ में ईसीसीई की चर्चा कीजिए।

टिप्पणी

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

1.1

(क) सत्य

(ख) सत्य

(ग) असत्य

(घ) सत्य

(ङ) सत्य

1.2

(क) समग्र

(ख) संप्रेषण, अभिव्यक्ति

(ग) स्थूल एवं सूक्ष्म, आंख-हाथ

(घ) लिखना, रंगना, चित्र बनाना

1.3

(क) हाँ

(ख) नहीं

(ग) नहीं

(घ) हाँ

(ङ) हाँ

शब्दावली

- दक्षताएँ– किसी कार्य को करने के लिये आवश्यक क्षमताएं या कौशल।
- समग्र– बच्चों की शारीरिक-गत्यात्मक, सामाजिक-सांवेगिक, संज्ञानात्मक और भाषायी दक्षताओं का एकीकृत विकास।
- तंत्रिका विज्ञान (न्यूरोसाइंस)– तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क का अध्ययन।

संदर्भ

- Inter-Agency Commission, WCEFA (2019). *World Conference on Education for All: Final Report.* Retrieved from http:/ /www.unesco.org/education/pdf/11_93.pdf
- Ministry of Women and Child Development. (1975). *Integrated Child Development Services Scheme*. Retrieved from https:// icds-wcd.nic.in/
- Ministry of Women and Child Development. (2013). *National Curriculum Framework for ECCE, 2013*. New Delhi: Government of India.
- Ministry of Women and Child Development. (2013*). National Early Childhood Care and Education Policy, 2013.* Retrieved from https://wcd.nic.in/ sites/default/files/National%20Early%20Childhood%20Care%20 and%20Education-Resolution.pdf
- National Council of Educational Research and Training. (2006). *Position Paper National Focus Group on Early Childhood Education*. Retrieved from http://www.ncert.nic.in/new_ncert/ncert/rightside/links/pdf/focus_group/early_childhood_education.pdf
- *UNESCO (2000). World Education Forum, Dakar, Senegal, 26-28 April 2000: Final Report*. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121117

2

भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था

पिछले पाठ में आपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के महत्व के बारे में पढ़ा। आइए, अब हम कुछ बुनियादी सवालों पर विचार करते हैं। बच्चा किसे कहते हैं? बाल्यावस्था कब शुरु अथवा खत्म होती है? बाल्यावस्था के विशिष्ट अनुभव क्या हैं? बड़े होने की वास्तविकताएं क्या हैं? संस्कृतियों का बाल्यावस्था के प्रति कैसा दृष्टिकोण है?

पुरानी दुनिया की ज्यादातर सभ्यताओं ने बाल्यावस्था को जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था नहीं माना है, जिसे विशेष ध्यान और पहचान की आवश्यकता हो। ऐतिहासिक रूप से 18वीं सदी के प्रारंभ तक बाल्यावस्था एक स्वतंत्र श्रेणी नहीं थी। तब परिवार साथ-साथ रहते थे और बच्चे उस परिवार और समुदाय का हिस्सा होने के साथ-साथ जीवन के कार्यों को सीखते थे। औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् जब मशीनों ने मानव की जगह ली, तब वयस्क भूमिकाओं में एक विभाजन आया। बच्चों को कारखानों में काम पर रखने का पहली बार सामूहिक रूप से विरोध किया गया और बच्चों की सुरक्षा की माँग की गयी।

इस विचार के साथ कि बाल्यावस्था आत्मनिर्भरता सीखने की अवस्था है, बच्चों को पढ़ाने के नये तरीकों को अपनाया गया। स्कूली शिक्षा सामाजिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण अंग बन गयी। अब समाज अनिवार्य स्कूली शिक्षा के बारे में विचार कर रहा है। धीरे-धीरे लोगों के रहन-सहन में बदलाव ने बच्चों की देखभाल के लिए परिवार के अतिरिक्त बाह्य सहायता की माँग को बढ़ावा दिया है। मानव वृद्धि एवं विकास के बारे में शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था है। भारत में व्यापक रूप से पायी जाने वाली सामाजिक और आर्थिक विविधता का कुछ समूहों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और बच्चे अपनी पूरी क्षमता को जानने में असमर्थ हो सकते हैं। सांस्कृतिक, जातीय और भौगोलिक बदलाव विभिन्न संदर्भों को जन्म देते हैं।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप–

- भारत में छोटे बच्चों की स्थिति का वर्णन करते हैं;
- प्रारंभिक बाल्यावस्था में विविधता में योगदान करने वाले कारकों की व्याख्या करते हैं;
- प्रारंभिक बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करते हैं; और
- विभिन्न सूचकों पर भारत में बच्चों की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं।

2.1 प्रारंभिक बाल्यावस्था

जन्म से छह वर्ष तक की अवधि में विकास की गति तीव्र होती है। इस अवस्था में, अनुभव का अभाव और वंचितता विकास के लिए हानिकारक हो सकती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के पहले तीन वर्षों में देखभाल और उद्दीपन का बहुत महत्व होता है।

विश्व स्तर पर बच्चों को पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है, इसलिए वे किसी न किसी रूप में वयस्कों की निगरानी में रहते हैं। अधिकांश समुदायों में बच्चों के समाजीकरण के द्वारा उन्हें वयस्कों भूमिकाओं के लिए तैयार किया जाता है। बच्चे, विशेषकर छोटी आयु में अति-संवेदनशील होते हैं। उन्हें अपनी क्षमता को पहचानने हेतु भौगोलिक स्थिति, सामाजिक परिस्थितियों और जैविक स्वभाव पर निर्भर अलग-अलग संदर्भों के बावजूद अवसरों के अतिरिक्त देखभाल और संरक्षण की भी आवश्यकता होती है। बच्चों की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी आवश्यक होती है, जिसका वास्तविक अर्थ है बच्चों के निवास स्थान के आवश्यक के पर्यावरण और परिस्थितिकी का ज्ञान। बच्चों के अनुभव, गरीबी, शिथिल परिवार, कामकाजी बच्चे, बेघर बच्चे आदि उनको प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक हैं। यदि बच्चों को पौष्टिक भोजन, प्यार, देखभाल और सुरक्षित वातावरण में खोज-बीन के अवसर प्रदान किये जाये तो वे उन्नति करेंगे और अपनी इष्टतम क्षमता को पहचानेंगे। किन्तु यदि परिवार भोजन कपड़े और आश्रय के लिए सीमित संसाधनों के साथ विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं तो बच्चों को वंचित रहना पड़ता है। बच्चों की आवश्कताओं की पूरा करने में असमर्थता के कारण परिवार में उनकी अनदेखी हो जाती है। हालांकि, ये चरम स्थितियां हैं, ऐसे अनेक कारक हैं जो बच्चे और उनकी परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं।

2.2 बच्चे और बाल्यावस्था

प्रत्येक संस्कृति, बच्चे और बाल्यावस्था को अलग-अलग रूप से परिभाषित करती है, जिसका कारण है सदियों से उन संस्कृतियों के लोगों की सांस्कृतिक चेतना का विकास। यह बताता है कि विभिन्न संस्कृतियों में लोग बच्चों से कैसा व्यवहार करते हैं और उनसे किस प्रकार संबंधित हैं। बाल्यावस्था, सामान्यतया माता-पिता के अतिरिक्त अन्य किसी वयस्क के हस्तक्षेप के बिना खेलने, सीखने, समाजीकरण करने, खोजबीन करने और चिंतित होने की अवस्था है।

2.2.1 भारत में छोटे बच्चों की स्थिति और प्रोफाइल

बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं। अतः यह महत्वपूर्ण है कि सभी बच्चे स्वस्थ और सकारात्मक सोच वाले शिक्षित वयस्कों के रूप में विकसित हों, जो राष्ट्रीय विकास में सार्थक योगदान दे

सकें। एक राष्ट्र तब प्रगति करता है जब उसके नागरिक स्वस्थ, शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों और राष्ट्रीय विकास में योगदान दें। वर्तमान में राष्ट्रों की प्रगति का मूल्यांकन केवल आर्थिक संपत्ति से ही नहीं किया जाता, बल्कि बच्चों और बुजुर्गों की स्थिति से भी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) के महत्वपूर्ण निर्धारक शिशु मृत्युदर, आयु और साक्षरता दर आदि हैं।

भारत एक बहु-सांस्कृतिक, बहुलवादी समाज है, जहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग विविध सामाजिक वातावरण में एक साथ रहते हैं। यह दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा दूसरा विशाल देश है, जहाँ 1.21 अरब से अधिक लोग निवास करते हैं। भारत में 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 440 मिलियन से अधिक बच्चे रहते हैं, जोकि दुनिया में सर्वाधिक हैं। बाल जनसंख्या के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में 0-6 वर्ष आयु वर्ग के 158, 789, 287 बच्चे हैं जो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 13.12 प्रतिशत है। (*http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/india/paper_contentsetc.pdf*)

2.2.1.1 भारत में बच्चों की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल

सांख्यिकीय आंकड़े जनसंख्या के बड़े हिस्से में होने वाले नुकसान का संकेत देते हैं। आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण, पहुँच और जागरूकता की कमी के कारण यह आँकड़े असंतोषजनक हैं। संसाधनों की कमी और न्यून क्रय शक्ति, खराब स्वास्थ्य, उच्च जनसंख्या घनत्व आदि अस्वास्थ्यकर जीवन दशाओं को बढ़ावा देते हैं। कुछ आंकड़े बच्चों के स्वास्थ्य की खराब स्थिति और परिवार द्वारा बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता का अनुमान प्रदान करते हैं। अन्य अधिकांश देशों की भांति भारत में भी बच्चों की स्थिति को समझने के लिए कई सर्वेक्षण किये गये हैं। आइए, हम 2005-2006 और 2015-2016 में किये गए सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान (http://rchiips.org/nfhs/pdf/NFHS4/India.pdf) के द्वारा आयोजित चतुर्थ राष्ट्रीय परिवार स्थास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4) 2015-2016 से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि बाल जनसंख्या (0-6 वर्ष) 158 मिलियन है। इसमें पिछले 10 वर्षों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अन्य जनसंख्या संकेतक जैसे जन्म नियन्त्रण विधियों का उपयोग अथवा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के अतिरिक्त प्रजनन दर में कमी आयी है। पुरुष-महिला बाल लिंगानुपात में दस वर्षों में 914 से 919 की मामूली वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्रों में अनुपात कम है, जो शहरों और कस्बों में पुरुष बच्चों के लिए लिंग पूर्वाग्रह का संकेत देता है।

उच्च जनसंख्या घनत्व और अपर्याप्त सेवाओं के बावजूद भारत में बच्चों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है जिसके लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल और जागरूकता हेतु मदद पाने में अब पहले से अधिक परिवार सक्षम हैं। शिशुओं के जन्म के समय प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की सहायता लेने में वृद्धि हुई है। अधिक बच्चे जीवित रह पा रहे हैं और प्रतिरक्षित हो रहे हैं।

2.2.1.2 बाल रुग्णता और मृत्यु दर

बाल मृत्यु दर से तात्पर्य है प्रति 1000 जन्में जीवित बच्चों पर पाँच वर्ष से कम आयु में होने वाली बाल मृत्यु। शिशु मृत्युदर से तात्पर्य है एक वर्ष की आयु से छोटे बच्चों की मृत्यु। यह मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर (IMR) द्वारा मापी जाती है, अर्थात् प्रति 1000 जीवित जन्मों में एक वर्ष से कम उम्र में मरने वाले बच्चों की संख्या। (https://en.wikipedia.org/wiki/Infant_mortality)

संस्थागत जन्मों में वृद्धि हुई है, और नवजात शिशुओं के लिए चिकित्सीय देखरेख बढ़ी है। शिशु मृत्यु दर 2015-2016 में 2.5% नवजात शिशुओं को 24 घंटे के भीतर चिकित्सीय देखरेख मिल सकी, जोकि दस साल पहले 0.3% थी।

पिछले दस वर्षों में शिशु मृत्युदर (आईएमआर) 57 से घटकर 41 हो गई है। उत्तरजीविता का स्तर निम्न होने के कई कारण हैं जैसे– रोग, संक्रमण एवं स्वच्छ जीवन दशाओं का अभाव आदि।

पांच वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्युदर (U5IMR) में भी 24 बच्चों तक की गिरावट हुई है। 2015-2016 में U5IMR 50 था जो दस वर्ष पहले 74 बच्चे प्रति 1000 जीवित जन्म था। अधिकांश परिवारों ने स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल में सुधार किया है।

संकेतक	**शहरी**	**ग्रामीण**	**कुल**
शिशु मृत्युदर (IMR)	29	46	41
पाँच वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्युदर (U5IMR)	34	56	50

Source: India Fact Sheet, National Family Health Survey (NFHS-4, 2015-2016), Ministry of Health and Family Welfare. Government of India

2.2.1.3 मातृ मृत्यु दर और स्वास्थ्य

मातृ मृत्यु दर से तात्पर्य उस मृत्यु से है, जो गर्भावस्था और प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताओं से होती है। यदि कोई स्त्री गर्भवती है और वह गर्भावस्था के दौरान अथवा प्रसव पश्चात 42 दिनों के भीतर मर जाती है, तो वह भी मातृ-मृत्यु कहलाती है। मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत में मातृ-मृत्यु अनुपात (MMR) को 77% तक कम करने की प्रगति सराहना की है। मृत्यु दर 1990 में 556 प्रति 1000 जीवित जन्म था जोकि 2016 में 130 प्रति 1000 जीवित जन्म रह गया था। (https://currentaffairs.gktoday.in/tags/maternal-mortality-ratio) मातृ-मृत्यु दर बच्चे की उत्तरजीविता और विकास को प्रभावित करती है। यह माता की आयु, स्वास्थ्य और सेहत से संबंधित है। NFHS (2015-16) उत्साहजनक विवरण प्रदान करता है कि 18 वर्ष से कम आयु की विवाहित महिलाओं की संख्या में कमी आई है। 2005-2006 में 47.4 की तुलना में यह 26.8 है। यह सीधे तौर पर आईएमआर पर प्रभाव डालता है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लडकियाँ सुदृढ़ मातृत्व के लिए तैयार न हों।

2.2.1.4 स्वास्थ्य और पोषण

अच्छे स्वास्थ्य और विकास के बीच सीधा संबंध है। जब एक बच्चे का जन्म होता है, परिवार को टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में सलाह दी जाती है। स्थानीय समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS) केन्द्र नियमित क्लीनिक, या विशेष रूप से व्यवस्थित शिविर के द्वारा अक्सर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और टीकाकरण प्रदान करते हैं। भारत में बच्चों के पोषण की स्थिति बहुत ही खराब है। हालांकि, हाल ही में कुछ प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, विशेषत: पोलियो के पूर्ण उन्मूलन से। बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कई कार्यक्रमों की शुरूआत की गयी है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (NFHS-4) 2015-2016 के आँकड़े दर्शाते हैं कि पाँच साल से कम उम्र के 35.8% बच्चे वजन में कम हैं, जबकि लगभग 38.4% की लम्बाई नहीं बढ़ पा रही है। वेस्टिंग (पर्याप्त वजन न होना) और स्टंटिंग (पर्याप्त ऊंचाई न होना) कुपोषण और उद्दीपन की कमी के संकेत हैं।

माँ और बच्चे दोनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्तनपान सर्वोत्तम है जो नवजात शिशु के लिए पौष्टिक आहार का काम करता है और संक्रमण से सुरक्षा भी करता है। वर्तमान में यह सुझाव दिया जाता है कि नवजात शिशुओं को पहले छह महीने केवल स्तनपान पर ही निर्भर होना चाहिए। NFHS-4 के आंकड़ों के अनुसार 41.6% माताएं प्रसव के 1 घंटे के भीतर शिशु को स्तनपान करा सकती हैं, जबकि 54.9% माताओं ने छह माह से कम उम्र के शिशुओं को स्तनपान कराया है।

अधिकांश समुदायों में कुछ ऐसे निश्चित खाद्य पदार्थ होते हैं जो माताओं में दुग्धवर्धन में सहायक होते हैं और लगभग छह महीने की उम्र में स्तनपान से अर्द्ध ठोस खाद्य पदार्थों में शिशु के पारगमन का उत्सव मनाने की परम्परा भी है।

2.2.1.5 शिक्षा

NFHS-4 के आंकड़े दर्शाते हैं कि 68.8% बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो 2005 की तुलना में 10% अधिक है। हालांकि स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या में सुधार हुआ है, परंतु बच्चों के अधिकतम लाभ हेतु शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। छोटे बच्चों के लिए खेल आधारित अधिगम वातावरण बनाने का प्रयास किया गया है। छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति 2013 की अभूतपूर्व भूमिका रही है।

मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 तीन वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल की आवश्यकता पर केंद्रित है। यह अधिनियम कार्यक्षेत्रों के लिए बच्चों की देखभाल की अनिवार्य सुविधाओं पर बल देता है। राज्य के इस प्रकार के निर्देश ने बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रेरणा और खेल की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया है।

2.2.1.6 लिंग

समाज में बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाता है, इसका बाल्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक राष्ट्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक समाज के सभी सदस्यों को समान अधिकार और अवसर प्रदान न किये जायें। लैंगिक असमानताओं के होते हुए हम कभी भी एक राष्ट्र के रूप में उन्नति नहीं कर सकते।

आइए, अब हम आंकड़ों द्वारा प्रस्तुत लैंगिक स्थिति की समीक्षा करते हैं। लड़कियों से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और पोषण से वंचितता, लड़कों की तुलना में लड़कियों को स्कूली शिक्षा से जल्दी निकाल देना, लड़कों की तुलना में कम साक्षरता दर (65.5% लड़कियां और 82.1% लड़के, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार) और आर्थिक अवसरों का अभाव आदि। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 944 महिलाएं थीं।

NFHS-4 के आंकड़े 1991 पर 10 वर्षों में सामान्य आबादी के लिए लिंगानुपात 9 की गिरावट का संकेत देते हैं। 2016 में शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कम था। कुल मिलाकर 2015-2016 में दस वर्षों में अधिक लड़कियों के जीवित रहने के आंकड़ों में वृद्धि हुई। 2005 में यह संख्या 914 थी जो 2015 में 919 हो गयी।

2.2.2 विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ

भिन्नता को परिभाषित करने वाले सांस्कृतिक कारकों जैसे- विश्वास प्रणाली, संसाधनों की उपलब्धता और अभिवृत्ति की प्रकृति, प्रभाव और अनुभव जो बच्चों के समक्ष प्रकट होते हैं, उन पर चर्चा करना आवश्यक है। भारत में विविधता भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषायी, धार्मिक और अन्य सजातीय कारकों जैसे भोजन, कपड़े और रीतिरिवाजों आदि पर आधारित है। भौगोलिक विविधता के आधार पर भारत को कई क्षेत्रों जैसे हिमालय, उत्तरी मैदान, मध्य पठार और दक्कन, पश्चिमी और पूर्वी घाट, भार मरुस्थल आदि। जलवायु, तापमान, वनस्पति और जीव-जंतुओं में अंतर प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को एक विशिष्ट विशेषता प्रदान करता है। इसलिए वे देखने में और पहनावे में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और भौतिक परिस्थितियां सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है।

2.2.2.1 संस्कृति, जाति और जनजाति

भारत में कई जाति समूह हैं एवं जातियां भारतीय समाज में विविधता का एक मुख्य कारण रही हैं और यह अक्सर भेदभाव का कारण भी बन जाती हैं। प्राचीन समय में भारत में निम्न जातियों को उत्पादक संसाधनों, भूमि शिक्षा, प्रतिष्ठा और पूजा स्थलों में प्रवेश आदि से वंचित रखा जाता था। आर्थिक अभाव ने भेदभाव के अन्य रूपों जैसे अस्पृश्यता, भोजन और पानी बांटने पर सांस्कृतिक प्रतिबंध और ग्राम समुदायों के भीतर अलगाव आदि को जन्म दिया।

ऐसी नकारात्मक सामाजिक और सांस्कृति स्थितियां बच्चों के आत्म-सम्मान और पहचान को खत्म करती हैं और उन्हें दब्बू बनाती हैं। प्रेरणा की कमी बच्चे की वृद्धि और विकास पर

नकारात्मक प्रभाव डालती है। यह उनके लिए अवसरों को सीमित करती है और उनकी वृद्धि की संभावनाओं को कम कर देती है।

अनुसूचित जनजातियाँ अधिकांशतः वन या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है, जिनमें अलग-अलग सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताएं और प्रथाएं हैं, जोकि वन्य परिस्थितिकी से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। उनकी अलग जीवन शैली और दूरस्थ निवास के कारण उन्हें नौकरियों से अलग रखा जाता है अथवा स्तरीकृत समाज की मुख्यधारा में प्रतिकूल समावेशन की कीमत संस्कृतियों और भाषाओं के लोप से चुकानी पड़ती है।

2.2.2.4 विकलांग बच्चे

विकलांग बच्चे समाज में सबसे अधिक अधिकार हीन और बहिष्कृत समूह है। अनेक बच्चे प्राथमिक अथवा उच्च शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं। सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों द्वारा विकलांग बच्चों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया है। परिवारों को विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की विशेष जरूरतों पर ध्यान देना होगा। ऐसे बच्चों को माता-पिता की अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। जो बच्चे अक्षम नहीं हैं, उनको भी क्षमता में अंतर और सबके साथ सहानुभूतिपूर्वक रहना सिखाने के लिए प्रायः परामर्श की आवश्यकता होती है।

2.2.2.5 प्रवासी

लगभग चार से छह मिलियन बच्चे प्रवास का शिकार हैं। असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत अर्द्धकुशल और अकुशल प्रवासी असुरक्षित हैं। ये बुनियादी सेवाओं और आजीविका की सुरक्षा से वंचित है। इनको शोषक कार्य दशाओं (यानी न्यूनतम मजदूरी और मजदूरी का भुगतान न करना, सामाजिक सुरक्षा की कमी और सौदेबाजी की शक्ति का अभाव), लिंग आधारित मजदूरी भेदभाव और मातृत्व अधिकारों और बच्चों की देखभाल सेवाओं से (बाल कल्याण निहितार्थ के साथ) वंचितता आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मौसमी प्रवास बच्चों के लिए विशेषरूप से हानिकारक हैं क्योंकि यह प्रायः बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचितता का कारण होता है।

पाठगत प्रश्न 2.1

कॉलम अ का कॉलम ब के साथ मिलान कीजिए–

कॉलम अ	कॉलम ब
(i) संसाधनों की कमी	(क) खेल-आधारित शिक्षा का वातावरण
(ii) बाल मृत्यु दर	(ख) राष्ट्र का भविष्य
(iii) बच्चे	(ग) बहु-सांस्कृतिक बहुलतावादी समाज

(iv) भारत	(घ) खराब स्वास्थ्य, उच्च घनत्व वाला जीवन और रहने की अस्वास्थ्यकर दशाएं
(v) ICDS केन्द्र	(ङ) प्रति 1000 जीवित जन्मों पर पांच साल से कम उम्र के बच्चों की कुल मौतें
(vi) प्रारम्भिक वर्षों में शिक्षा	(च) प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और टीकाकरण

टिप्पणी

2.3 प्रारंभिक बाल्यावस्था का आगामी जीवन पर प्रभाव

प्रारंभिक बाल्यावस्था बाल विकास में एक संवेदनशील अवस्था है, जिसे बच्चे की आनुवांशिक प्रकृति और पोषण द्वारा आकार दिया गया है। प्रकृति का अर्थ है एक व्यक्ति के विकास और सीखने पर उसके आनुवांशिक गुणों (जीन) का प्रभाव और पोषण का अर्थ है बच्चों के विकास और सीखने पर विभिन्न पर्यावरणीय कारक जैसे– परिवार, देखभाल, खोजबीन के अवसर, शिक्षा, परवरिश आदि का प्रभाव। प्रकृति और पोषण दोनों बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं।

पिछले पाठ में, प्रारंभिक वर्षों के महत्व पर चर्चा की गई है। यह वह अवधि है, जब, मस्तिष्क का विकास तीव्र गति से होता है, जो विकास के अन्य आयामों के लिए भी महत्वपूर्ण कारक है। प्रारम्भिक तीन वर्ष अति महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बच्चा इस काल में प्राप्त अनुभवों के आधार पर ही अपने जीवन में उनका अनुप्रयोग करता है इसे 'सेवा और वापसी' (Serve and return) भी कहते हैं। बच्चों के मस्तिष्क के विकास और देखभाल में प्रेरणा के महत्व को व्यक्त करने के लिए इन दो शब्दों (सेवा और वापसी) का उल्लेख एक शोधपत्र (Shonk off 2005) में किया गया है। यदि मस्तिष्क का उपयोग नये अनुभवों हेतु नहीं किया जाता है, तो सीखने की कोई इच्छा नहीं रह जाती है। हो सकता है कि बच्चा उदासीन हो जाये, जबकि दूसरी तरफ बच्चों की उपलब्धि इस बात पर निर्भर करती है कि आप इनकी देखभाल और उनके प्रति प्रतिक्रिया किस प्रकार करते हैं।

प्रारंभिक वर्षों में बढ़ने के लिए उद्दीपन, आनंददायी, देखभाल वाले एवं स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता होती है जो कि उचित विकास एवं अधिगम के लिए खोजबीन करने, प्रयोग करने, स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने तथा अन्तर्क्रिया करने के अवसर प्रदान करता है।

इस प्रकार का वातावरण बच्चे के प्रारंभिक विकास और शिक्षा सकारात्मक प्रभाव डालता है। दूसरी ओर यदि बच्चा उदास वातावरण में बड़ा होता है, उचित पोषण नहीं मिलता है, दुर्व्यवहार अथवा अनदेखी का सामना करता है, या बार-बार बीमार पड़ता है तो इसका बच्चे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

शोध द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि जो बच्चे शुरुआती जीवन में गरीबी और वंचितता जैसी विपत्तियों का सामना करते हैं, उनकी बाद में भी अनेक बाधाओं का सामना करने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार की विषम परिस्थितियां, सामाजिक, भावात्मक, व्यवहारगत,

टिप्पणी

पारस्परिक अथवा स्कूल समायोजन समस्याएं और इससे भी अधिक गंभीर समस्याओं जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ, अपराध और आपराधिक प्रवृत्ति आदि को बढ़ावा दे सकती है।

यह आवश्यक नहीं है कि बचपन के प्रतिकूल अनुभव जो बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं, वह केवल एक बार की ही नाटकीय घटनाएं हों। ये दैनिक दिनचर्या की घटनाएं भी हो सकती हैं बच्चों को कुपोषण, खराब पालन-पोषण और अन्य प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है, जो बच्चों के विकास के लिए हानिकारक हैं।

संवेदनशील पालन-पोषण, व्यापक पारिवारिक सहयोग, परामर्श, सुविधाओं का प्रावधान, सामुदायिक स्तर पर सामाजिक सहायता और सहायक बाल्य देखभाल सेवाएं आदि कारकों के द्वारा ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सकता है और शुरुआती प्रतिकूलता के प्रभावों को नियंत्रित किया जा सकता है।

बचपन में प्रतिकूल अनुभवों के संपर्क में आने वाले व्यक्ति वयस्क होने पर विषम परिस्थितियों के संदर्भ में अभिभावक की भूमिका का निर्वहन करने में कम सक्षम होते हैं और किसी भी रूप में सामाजिक सहयोग अथवा हस्तक्षेप के अभाव से उनमें अनुचित पालन-पोषण के व्यवहार को अपनाने की अधिक संभावना रहती है तथा नकारात्मक और प्रतिकूल पालन-पोषण का चक्र पीढ़ियों तक चलता रहता है।

2.4 प्रारंभिक बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक

बचपन बच्चों के स्कूल जाने, खेलने और अपने परिवार और समुदाय के वयस्कों की देखभाल, प्यार एवं प्रोत्साहन के द्वारा सुदृढ़ एवं आत्मविश्वासी बनने का समय होता है। बचपन का अर्थ जन्म के पश्चात केवल वयस्कता की प्राप्ति से कहीं अधिक है। यह बच्चों के तीव्र शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक और भाषायी विकास का काल होता है। बच्चों को अनेक सामाजिक कारक जैसे– शिक्षा, छेडछाड़, बाल गरीबी, बिखरा हुआ परिवार, बाल श्रम, भुखमरी और बेघर होना आदि प्रभावित करते हैं।

बचपन आमतौर पर प्रसन्नता, आश्चर्य, चिंता और नमनीयता का मिश्रण होता है। सामान्यतया यह खेलने, सीखने, समाजीकरण करने और माता-पिता के अलावा अन्य किसी वयस्क की हस्तक्षेप के बिना खोजबीन करने का समय होता है। यह वयस्क जिम्मेदारियों का निर्वहन किये बिना, उन जिम्मेदारियों को जानने का समय होता है।

बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्ष बच्चों की वृद्धि और विकास में निर्माणात्मक वर्ष होते हैं, क्योंकि इसी काल में उनके जीवन पर्यन्त विकास और सीखने की नींव रखी जाती है। प्रेरणात्मक वातावरण समग्र विकास को बढ़ावा देता है, जिसमें विकास के विभिन्न आयाम जैसे-संज्ञानात्मक, भाषायी, सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक क्षमता जिसकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है, शामिल हैं। कोई भी दीर्घकालिक प्रतिकूल परिस्थिति विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। बाल्यावस्था, परिवार और राज्य में बहुत गहरी अन्योन्याश्रितता है, विशेषकर वंचित समूहों के लिए गरीबी, बच्चों के लिए सर्वोत्तम संसाधनों को जुटाने के लिए परिवार की पहुँच, गुणवत्ता और सामर्थ्य को सीमित कर देती है।

2.4.1 बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक

प्रकृति या आनुवंशिकता और पोषण या देखभाल बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। आइए, अब हम इनका संक्षिप्त अध्ययन करते हैं।

आनुवंशिकता

शारीरिक विशेषताएँ माता–पिता से बच्चों तक उनके जीन के माध्यम से प्रेषित होती हैं। बच्चों की शारीरिक बनावट जैसे ऊँचाई, वजन, शरीर की संरचना, आँखों का रंग, बालों की बनावट और कुछ हद तक बुद्धिमता और अभिवृत्ति माता–पिता पर निर्भर करती है। बच्चों का रोग, स्वास्थ्य भी माता–पिता से वंशानुगत रूप में मिल सकता है, जैसे हृदय रोग, मोटापा आदि जो कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करेगा। हस्तक्षेप और अनुकूल वातावरण बच्चों की अन्तर्निहित क्षमताओं का सर्वोत्तम विकास कर सकता है।

वातावरण

शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रेरणा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सकारात्मक भौतिक परिवेश के साथ–साथ अन्तर्क्रियात्मक सामाजिक वातावरण और परिवार एवं साथियों के साथ प्रेमपूर्ण संबंध आदि महत्वपूर्ण वातावरणीय कारक हैं जो बच्चों में महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देते हैं। एक अच्छा स्कूल और एक प्यार करने वाला परिवार बच्चों में मजबूत सामाजिक और अन्तरव्यैक्तिक कौशलों को विकसित करता है, जो उन्हें शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करने और योग्य नागरिक बनने की प्रेरणा प्रदान करेगा। तनाव पूर्ण वातावरण में पलने वाले बच्चों पर निश्चित रूप से इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले अन्य कारक इस प्रकार हैं–

व्यायाम

बच्चों को शारीरिक रूप से विकसित होने के लिए खेल और व्यायाम की आवश्यकता होती है। बच्चों को उनके अंगों, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सक्रियता की आवश्यकता होती है। उपयुक्त व्यायाम बच्चों को तंदरूस्त और स्वस्थ बनाए रखता है और उन्हें उचित उपलब्धि तक पहुंचने में मदद करता है।

बच्चे का लिंग

लड़के और लड़कियाँ अलग तरह से बड़े होते हैं। उनकी अधिकांश शारीरिक विशेषताएँ आनुवांशिक होती हैं लेकिन विकास की दर लिंग के अनुसार विशेष रूप से यौवनारम्भ के समय भिन्न–भिन्न होती है। लड़के और लड़कियों का स्वभाव भी अलग–अलग होता है जिसके कारण उनकी रुचियों में भी अन्तर दिखायी देता है।

पोषण

जनसांख्यिकी की सांख्यिकी प्रस्तुति में संकेत दिया है कि भारत में अनेक बच्चे अल्पपोषित हैं और स्टंटिंग एवं वेस्टिंग अधिक है। संतुलित आहार और भोजन की आवश्यक मात्रा बच्चों को बढ़ने, बीमारी से बचने और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन अति महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें बढ़ने और स्वस्थ रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुपोषण, विशेषरूप से प्रोटीन का अभाव, स्टंटिंग पैदा कर सकता है। अत्याहार मोटापे का कारण बन सकता है। एक संतुलित आहार जो प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और वसा से भरपूर होता है, मस्तिष्क और शरीर के विकास के लिए आवश्यक है।

पारिवारिक प्रभाव

सामाजिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य के लिए प्यार और उत्तरदायित्वपूर्ण देखभाल की आवश्यकता होती है। जो वयस्क निरंतर बच्चों के संपर्क में रहते हैं, उनके प्रति बच्चों का लगाव और घनिष्ठता बढ़ती जाती है। यह पारस्परिक संबंध बच्चों में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्थिरता लाने में योगदान देता है। तनाव की स्थिति में परिवार अपने बच्चों की अनदेखी अथवा उनके प्रति दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं जिसके कारण बच्चे समाज के प्रति नकारात्मक हो सकते हैं। बहुत ज्यादा ध्यान और खोजबीन की कम स्वतंत्रता बच्चों को दब्बू और आश्रित बना देता है।

प्राय: यह कहा जाता है कि एक बच्चे को पालने के लिए एक गाँव चाहिए। जिन परिवारों का अनौपचारिक सामुदायिक दायरा अथवा परिवारों में आपसी सहयोग होता है, वहाँ बच्चों के साथ कम दुर्व्यवहार होता है। प्रारंभिक दो वर्षों के दौरान बच्चे की माँ की भावनात्मक और शाब्दिक प्रतिक्रिया, बच्चे के साथ माता की भागीदरी, और उपयुक्त खिलौनों की व्यवस्था, चार वर्ष की आयु तक होने वाले संज्ञानात्मक विकास और वृद्धि से संबंधित है। पितृ आक्रामकता, मातृ-प्रेम की कमी और तनावपूर्ण घटनाएं बच्चों में व्यवहारगत समस्याओं का कारण हो सकती हैं।

भौगोलिक प्रभाव

परिवेश बच्चों की रुचियों और क्षमताओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगी-साथी और सामुदायिक सुविधाएँ दिनचर्या का हिस्सा हैं। आस-पास के पार्क बाहरी खेलों को संभव बनाते हैं। पुस्तकालय या सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं, कौशल और प्रतिभा का विकास करते हैं। बच्चों के लिए खेलने के स्थानों की कमी बच्चों को घर के अंदर रहने और वीडियो गेम खेलने के लिए मजबूर कर सकती है। इसलिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चे तेज धावक होते हैं। जंगलों के पास रहने वाले बच्चे स्थानीय वनस्पतियों और जीवों का वर्णन करने में सक्षम होते हैं। इसी तरह शहरी बच्चों में कारों एवं अन्य उपकरणों के बारे में बात करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। बच्चों का अच्छा और संपूर्ण विकास स्कूल और शिक्षकों के सहयोग पर निर्भर है।

टिप्पणी

सामाजिक आर्थिक स्थिति

आर्थिक साधन और संसाधनों तक पहुँच, किसी परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति द्वारा निर्धारित की जाती है। संपन्न परिवार बेहतर स्कूलों का उपयोग कर सकते हैं और सहायता सामग्री भी प्रदान कर सकते हैं। प्रायः गरीबी अशिक्षा और शिक्षा के अभाव से जुड़ी होती है जो परिवार को कम रचनात्मक मान्यताओं से घेरे रखती हैं। हो सकता है कि गरीब कामकाजी माता-पिता बच्चों की अच्छी देखरेख न कर पाएँ। यह समुदाय का कर्तव्य है कि वह बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं सुनिश्चित करें।

लंबे समय तक गरीबी का अनुभव करने वाले बच्चों में अल्पकालिक गरीबी का सामना करने वाले बच्चों की तुलना में ध्यान की कमी, दुर्बल स्मरण शक्ति और विकास की गति धीमी पायी जाती है।

यद्यपि प्रकृति बच्चों की वृद्धि और विकास में बहुत योगदान देती है, तथापि पालन-पोषण प्रकृति के साथ अन्तर्क्रिया पर निर्भर करता है। हेलन केलर नेत्रहीन और मूक पैदा हुई थी, लेकिन एक समर्पित शिक्षक की सहायता से विश्व प्रसिद्धि हासिल करने में सक्षम रही। बच्चों की देखभाल करने के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करें कि बच्चों को प्रतिदिन पर्याप्त आराम भी मिले, क्योंकि विकास, नींद और आराम की मात्रा पर भी निर्भर करता है। पोषण और व्यायाम पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये भी बच्चों की नियमित वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2.5 बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक

स्वास्थ्य शारीरिक शक्ति, सतर्कता, भावात्मक, मानसिक और सामाजिक सुखों का मिश्रण है जो हमें पूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाता है। यह बीमारी की अनुपस्थिति और एक सक्रिय और कार्यात्मक स्थिति है। हम बच्चों की देखभाल करके उनकी बीमारी का ध्यान रखते हैं। उन्हें बीमारी से प्रतिरक्षित करके, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हम उनकी रोग-प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाते हैं और निवारक कार्य करते हैं। खेल, स्वच्छ पर्यावरण और उत्तरदायी देखभाल बच्चों के सम्पूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ाती है।

2.5.1 स्वच्छता (आत्म और पर्यावरणीय)

स्वच्छता बीमारी या रोग का प्रसार रोकने के लिए स्वयं को और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का अभ्यास है। पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि आस-पास कहीं पर भी पानी जमा न हो और पीने का पानी घर, स्कूल या कार्यस्थलों पर ढ़क कर रखा जाता हो।

व्यक्तिगत स्वच्छता में शौचालय का उपयोग करने के बाद हाथ धोना, दाँतों को रोजाना दो बार साफ करना, नहाना, बाल धोना, साफ कपड़े पहनना, नाखून काटना, मुंह को खांसते समय ढ़कना, छींकते समय नाक को ढ़कना आदि शामिल हैं। अस्वच्छता की स्थिति में संक्रमण फैलता है।

टिप्पणी

2.5.2 स्वच्छता संबंधी मान्यताएँ

स्वच्छता का तात्पर्य जल, पर्याप्त उपचार, मल-मूत्र निष्कासन और गंदे पानी की प्रवाह पद्धति से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थितियों से है। स्वच्छता प्रणालियों का उद्देश्य मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु एक स्वच्छ वातावरण जोकि रोगों के हस्तांतरण को विशेष तथा मल अथवा मुख के माध्यम से फैलने वाले रोगों को रोक देगा, प्रदान करना है।

2.5.3 पोषण

हमें अपनी दैनिक शारीरिक क्रियाओं को करने, शारीरिक वृद्धि, रोग से लड़ने, उपचार और संरक्षण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यदि अधिक समय तक पोषण की कमी होती है तो यह बच्चे के स्वास्थ्य और विकास को प्रभावित कर सकती है। आंकड़े इंगित करते हैं कि काफी बच्चों में पोषण की कमी है। अच्छी सेहत काफी हद तक बच्चों के संतुलित आहार के सेवन पर निर्भर करती है। कुछ किस्म के खाद्य पदार्थों का सही अनुपात बच्चे के पोषण के लिए आवश्यक है। बच्चों को प्राटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन, फाइबर और पानी जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आयुवार पोषाहार संबंधी आवश्यकताओं के दिशा-निर्देश निर्धारित हैं और इन्हें अनुशंसित आहार भत्ता (आरडीए) कहा जाता है। उदाहरणार्थ, भोजन और पोषण आवश्यकताएँ बाल्यावस्था की वयस्क की भोजन और पोषण आवश्यकताओं से भिन्न होती हैं। इसलिए प्रत्येक आयु वर्ग को तदनुसार भोजन और पोषण लेना होता है।

कुपोषण एक व्यक्ति के पोषक तत्वों के सेवन में कमी अथवा असंतुलन को दर्शाता है। इसकी दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति कम पोषक तत्वों का सेवन जिसका परिणाम है स्टंटिंग (आयु के अनुसार ऊँचाई कम होना), वेस्टिंग (ऊंचाई के अनुसार कम वजन) और पोषक तत्वों की कमी या अपर्याप्तता (महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज की कमी), और दूसरी स्थिति में अधिक खाने के कारण अधिक वजन या मोटापा जिसके कारण हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसे विभिन्न रोग हो सकते हैं।

2.5.4 प्रतिरक्षण

प्रतिरक्षण जिसे टीकाकरण भी कहा जाता है, हमें कई संक्रामक बीमारियों से बचाने में मदद करता है। यह संक्रमणों को नियंत्रित करने और खत्म करने में हमारी मदद करता है। इसका सबसे ताजा उदाहरण पोलियो का खात्मा है। विभिन्न संक्रमणों जैसे- टेटनस, बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, डीपीटी, टायफाइड, रोटा वायरस, विटामिन ए और खसरा, रुबेला और कण्ठमाल (MMR) आदि के लिए टीकाकरण उपलब्ध है। इन टीकों को निश्चित समय पर गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और बच्चों को लगाने के लिए प्रशासित किया गया है जिसके लिए सरकार द्वारा एक समय सारणी निर्धारित की गयी है। माता-पिता की जागरूकता एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में सहायक होगी। टीकाकरण के लाभ केवल स्वास्थ्य में सुधार और व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यह सामुदायिक और राष्ट्रीय स्तरों पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी डालता है।

2.5.5 मातृ स्वास्थ्य

मातृ स्वास्थ्य बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है क्योंकि स्वस्थ माताओं के बच्चे स्वस्थ पैदा होते हैं। पहले छह महीनों में शिशु पूर्ण आहार के लिए माता के दूध पर ही निर्भर होते हैं। मातृ स्वास्थ्य महिलाओं में गर्भावस्था प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान स्वास्थ्य को दर्शाता है। हालांकि मातृत्व अक्सर सकारात्मक और पूर्णता का अनुभव देने वाला होता है, कई महिलाओं के लिए यह दुख, अस्वस्थता और मृत्यु का कारण भी बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के अनुसार, पांच साल से कम उम्र के बच्चों में कम से कम 20% बीमारियां मातृ स्वास्थ्य और कुपोषण की समस्याओं के साथ-साथ प्रसव और नवजात अवधि के दौरान देखभाल की गुणवत्ता से जुड़ी हैं। इसके अतिरिक्त जिस बच्चे की माँ प्रसव के दौरान मर जाती है उसके जीवित रहने की संभावना कम होती है और जिन बच्चों ने अपनी माँ को खो दिया है उनकी अपनी माँ की मृत्यु के दो साल के भीतर उनके मरने की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है।

गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के दो साल बाद तक माताओं को पोषण संबंधी कमियों से सबसे अधिक खतरा होता है। यह प्रमाणित हो चुका है कि पोषण हस्तक्षेप बच्चों के जीवित रहने और इष्टतम वृद्धि और विकास तक पहुचने का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है। उसके बाद बच्चों को होने वाला नुकसान अपूर्णीय होता है।

पाठगत प्रश्न 2.2

रिक्त स्थानों को भरिए–

(क) कुपोषण एक व्यक्ति के .... के सेवन में कमियों या असंतुलन को दर्शाता है।

(ख) स्वच्छता प्रणाली का लक्ष्य, एक स्वच्छ वातावरण प्रदान करके .... की रक्षा करना है।

(ग) स्वच्छता रोग या बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए .... और .... को साफ रखने का अभ्यास है।

(घ) बच्चों की .... तथा .... को आकार देने में परिवेश एक महत्वूर्ण भूमिका निभाता है।

(ङ) .... और .... प्रेरणा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

2.6 बच्चों के संदर्भ में भारतीय संविधान और प्रावधान

भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान राष्ट्र के नागरिकों के मूल अधिकारों और कर्तव्यों को स्थापित करता है। सभी नागरिकों को उनको मानना और उनका

पालन करना पड़ता है। नीचे बच्चों और उनकी शिक्षा से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान दिये गए हैं।

वंचित वर्गों के उत्थान के लिए भारतीय संविधान में शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान है, जो जाति और सामाजिक-आर्थिक पिछडेपन पर आधारित है। यह आरक्षण सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों तक सीमित हैं और निजी क्षेत्र इससे स्वतंत्र हैं।

मौलिक अधिकार

धारा 14 – कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है अर्थात् भारत में सभी को कानून का समान सरंक्षण प्राप्त होगा।

धारा 15 – धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। (3) कोई भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोक सकेगा। (4) कोई भी राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की उन्नति हेतु कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकेगा।

धारा 17 – ''अस्पृश्यता'' को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका चलन निषेध है।

धारा 19(1) – सभी नागरिकों को (क) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, (ख) शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने का अधिकार होगा, (ग) संघों या संगठनों को बनाने का अधिकार होगा, (घ) भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार होगा।

धारा 21 – कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपने जीवन अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा।

धारा 21A – छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चां को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जायेगी।

धारा 24 – कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी कारखाने, खदान या किसी अन्य जोखिम वाले रोजगार में नियोजित नहीं किये जायेंगे।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्त

धारा 39 – बच्चों की कच्ची उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाए... आर्थिक आवश्यकता के कारण ऐसे काम में प्रवेश करने पर मजबूर नहीं किया जाए जो उनकी उम्र अथवा सामर्थ्य की दृष्टि से अनुचित हो, (च) बच्चों को विकास के स्वस्थ, स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण अवसर तथा सुविधाएं प्रदान की जाएं और बचपन और युवावस्था को शोषण और नैतिक व भौतिक परित्याग से संरक्षित किया जाए।

टिप्पणी

धारा 42 – राज्य काम की न्यायपूर्ण और मानवीय दशाओं और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा (बच्चे भी इस वैधानिक प्रावधान से लाभान्वित हैं)।

धारा 45 – राज्य इस संविधान के लागू होने के दस वर्षों की अवधि के भीतर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

धारा 46 – कमजोर वर्गों, विशेषरूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान किया जायेगा।

धारा 47 – अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार।

धारा 51 (k) – माता-पिता या अभिभावक को अपने छह से चौदह वर्ष के बच्चों का शिक्षा का अवसर प्रदान करना होगा।

पाठगत प्रश्न 2.3

कॉलम 'अ' का कॉलम 'ब' के साथ मिलान कीजिए–

कॉलम अ	कॉलम ब
(i) धारा 14	(क) पोषण के स्तर में वृद्धि
(ii) धारा 45	(ख) बच्चों की कच्ची उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाये।
(iii) धारा 47	(ग) कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक
(iv) धारा 39	(घ) नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा
(v) धारा 24	(ङ) किसी भी व्यक्ति की समानता से इनकार नहीं करेगा।

2.7 भारत में बच्चों के पालन-पोषण संबंधी गतिविधियाँ

भारतीय समाज 5,000 वर्षों से भी अधिक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत वाला समाज है। यह एक बहुलवादी और विविधता वाला देश होने के साथ-साथ, बाल-पालन से संबंधित विविध रुढ़ियों, रीति-रिवाजों और मान्यताओं वाला देश है।

बाल्य-पालन गतिविधियाँ वे गतिविधियाँ हैं, जो सांस्कृतिक प्रतिमानों और मान्यताओं पर आधारित हैं, और जिन्हें माता-पिता और अभिभावकों द्वारा बच्चों की देखभाल और परवरिश के लिए अपनाया जाता है।

एक निश्चित समय के लिए बाल्य-पालन गतिविधियाँ बच्चे के विकास की उम्र और वह स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जिन जोखिमों से गुजर रहा है उस पर बड़े स्तर पर निर्भर करती हैं। कुछ पारंपरिक मान्यताएं और गतिविधियाँ माता के स्वास्थ्य और स्वस्थ शिशु को जन्म देने की तैयारी पर प्रभाव डालती है।

जन्म के समय और जीवन के पहले वर्ष के दौरान, बच्चे को मृत्यु का सबसे अधिक खतरा होता है। यही कारण है कि विभिन्न संस्कृतियों में बच्चे के जन्म के आसपास बहुत सी पारंपरिक मान्यताएं और प्रथाएं प्रचलित हैं। यह बच्चे और माँ दोनों के लिए नाजुक समय माना जाता है। जहाँ प्रसूतावस्था परंपरा का एक अंग है, जो माँ को, अपने कार्यों को फिर से संभालने के लिए, शारीरिक रूप से सक्षम होने और बच्चे के साथ संबंध प्रगाढ बनाने का अवसर देता है, वही इस प्रथा का नकारात्मक पक्ष यह है कि यह माँ को आवश्यक चिकित्सीय देखभाल प्राप्त करने से रोक सकती है।

प्रसव के बाद और प्रारंभिक शैशवावस्था में बच्चा देखभाल के लिए पूर्णरूप से दूसरों पर निर्भर होता है। आमतौर पर माँ ही कभी-कभी दूसरों के सहयोग से और कभी-कभी अकेले ही प्राथमिक देखभाल करती है। वह एक शिशु के लिए आवश्यक सभी चीजों जैसे– शारीरिक खतरों से सुरक्षा, पर्याप्त पोषण और स्वास्थ्य देखभाल आदि को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होती है। वह एक ऐसा इंसान होती है जो संकेतों को समझ सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है। वह चीजों को देखने, छूने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और उपयुक्त भाषायी प्रेरणा एवं दुनिया को समझने के अवसर प्रदान करती है। वह एक ऐसा वयस्क होती है जिसके साथ बच्चा लगाव महसूस करता है। इस काल के दौरान परिवार और समाज का सहयोग, माँ के द्वारा बच्चे की देखरेख के तरीके में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार इस अवधि के दौरन पिता, परिवार के अन्य सदस्यों और समुदाय की भूमिका के संदर्भ में सांस्कृतिक मान्यताएं, बच्चे के जीवित रहने और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा कि–

- प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अवधि के दौरान अधिकतम विकास होता है और समग्र विकास की नींव रखी जाती है।
- भारत में छोटे बच्चों की स्थिति और जनसांख्यिकीय प्रोफाइल में उनकी स्थिति शिशु मृत्युदर और पांच साल की आयु से छोटे शिशुओं की मृत्युदर (U5IMR)।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक:
  - आनुवंशिकता और पर्यावरण
  - व्यायाम
  - बच्चे का लिंग

- पोषण
- पारिवारिक प्रभाव
- भौगोलिक प्रभाव
- सामाजिक-आर्थिक स्थिति
- स्वच्छता
- स्वच्छता संबंधी मान्यताएँ
- टीकाकरण
- मातृ स्वास्थ्य

- भारत का संविधान बच्चों के अस्तित्व, विकास और सुरक्षा पर जोर देता है। संविधान में मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के रूप में प्रावधान किये गये हैं। जाति के कारण उत्पन्न होने वाले भेदभाव से रक्षा के लिए भारत का संविधान धर्म, वर्ण, लिंग, जाति या जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है (धारा 15) सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता को बढ़ावा देता है (धारा 16), अस्पृश्यता का अन्त करता है (धारा 17) और अनुसूचित जाति (SC) एवं जनजाति (ST) और अन्य कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाता है।

- भारत के विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों में बाल्य-पालन के तरीके भिन्न-भिन्न हैं। ये बचपन, किशोरावस्था और इन बच्चों द्वारा वयस्कों के रूप में माता-पिता की भूमिका को निभाने के तरीकों को प्रभावित करता है।

पाठान्त प्रश्न

1. बाल्यावस्था के अर्थ और महत्व पर प्रकाश डालिए।
2. प्रारंभिक बाल्यावस्था का बचपन के बाद के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
3. बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।
4. भारत में बाल्यावस्था का संवैधानिक दृष्टिकोण क्या है?
5. भारत में बाल्य-पालन संबंधी मान्यताओं पर टिप्पणी कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

2.1

(i) (घ) (ii) (ङ) (iii) (ख) (iv) (ग) (v) (च) (vi) (क)

टिप्पणी

2.2

(क) पोषक तत्व, (ख) मानव स्वास्थ्य, (ग) स्वयं, परिवेश (घ) रुचियों, क्षमताओं, (ङ) शारीरिक, मनोवैज्ञानिक

2.3

(i) (च) (ii) (घ) (iii) (क) (iv) (ख) (v) (ग)

संदर्भ

- Ministry of Women and Child Development. (1975). *Integrated Child Development Services Scheme*. Retrieved from https:// icds-wcd.nic.in/
- Ministry of Women and Child Development. (2013). *National Curriculum Framework for ECCE, 2013*. New Delhi: Government of India.
- Ministry of Women and Child Development. (2013). *National Early Childhood Care and Education Policy, 2013*. Retrieved from https:// wcd.nic.in/ sites/default/files/National%20Early%20Childhood%20 Care%20 and%20Education-Resolution.pdf
- National Council of Educational Research and Training. (2005). National Curriculum Framework, 2005. Retrieved from http://www.ncert.nic.in/ rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf
- Shonkoff, J. P., & Phillips, D. A. (Eds.). (2000). *From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development*. Washington D.C: National Academy Press.
- Singh, A (Ed). (2015). *Foundations of Human Development*. New Delhi: Orient Blackswan.

WEB RESOURCES

- *http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/india/ paper_contentsetc.pdf*
- http://rchiips.org/nfhs/pdf/NFHS4/India.pdf
- https://currentaffairs.gktoday.in/tags/maternal-mortality-ratio
- https://en.wikipedia.org/wiki/Infant_mortality

टिप्पणी

3

बच्चों की आवश्यकताएँ एवं अधिकार

भारत ने बच्चों के बुनियादी अधिकारों की सुनिश्चितता के लिये महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास तथा सहभागिता के अधिकार हैं। वर्तमान में शिशु मृत्युदर कम हुई है, बच्चों की उत्तरजीविता की दर बढ़ी है, साक्षरता दर में सुधार हुआ है तथा विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आयी है। इन उपलब्धियों के बाद भी अपूर्ण आवश्यकताओं (अर्थात् ऐसी आवश्यकताएँ जो पूरी नहीं हुई हैं) के रूप में कुछ छूटा हुआ सा है जिनके कारण बच्चे उपेक्षित और असुरक्षित महसूस करते हैं। वे सुरक्षित, संरक्षित और स्वतंत्र महसूस नहीं करते। एक कारण यह भी हो सकता है कि बच्चे और यहाँ तक कि वयस्क भी बच्चों की जरूरतों और अधिकारों के बारे में बहुत जागरूक नहीं हैं जिस कारण से वे अपने चारों ओर फैली असुरक्षा से निपटने के लिये अपनी सामर्थ्य और सही दृष्टिकोण को समझ नहीं पा रहे हैं। बच्चों के अधिकारों और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में जानने के लिये बहुत कुछ है। आइए, बच्चों की जरूरतों और बच्चों के अधिकारों के बारे में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानें।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप–

- बच्चों की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी तथा शैक्षिक आवश्यकताओं का वर्णन करते हैं;
- अपूर्ण आवश्यकताएँ बच्चे के विकास को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, उसका वर्णन करते हैं;
- बच्चों के अधिकारों की चर्चा करते हैं;
- संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते (UNCRC) द्वारा सुझावित बाल अधिकारों का वर्णन करते हैं; और
- बालिका शिशु के अधिकारों और सीडब्लूएसएन (CWSN) पर परिचर्चा करते हैं।

टिप्पणी

3.1 बच्चों की आवश्यकताएँ

बच्चे के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिये उद्दीपित अनुभवों को प्रदान करने की आवश्यकता और महत्व के बारे में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। इसलिये बच्चों के विकास तथा अधिगम के लिये अनुकूल वातावरण के निर्माण तथा पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिये माता-पिता और अन्य देखभालकर्ताओं की आवश्यकता होती है। अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया के दौरान बच्चों की कुछ मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएँ होती हैं जिन्हें समय पर पूरा किया जाना आवश्यक है। आवश्यकता को एक ऐसे रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति के लिये स्वस्थ एवं उत्पादक जीवन हेतु अनिवार्य है। यह समझना चाहिए कि 'आवश्यकताओं' और 'इच्छाओं' में अन्तर होता है। इच्छाओं की कामना तो हो सकती है लेकिन यह व्यक्ति के लिये अनिवार्य नहीं हैं। आइए, हम कुछ आवश्यकताओं का अध्ययन करें।

3.1.1 मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ

(1) **सुरक्षा, सलामती और संरक्षण** - बच्चों के सकारात्मक मानसिकता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और राष्ट्र के एक समर्पित नागरिक के रूप में विकसित होने की जरूरत है। इसके लिये यह अपरिहार्य है कि वे एक ऐसे वातावरण में बड़े हों जहाँ वे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक रूप से सलामती और सुरक्षित महसूस करें। जब बच्चे सुरक्षा और सलामती का अनुभव करते हैं तब वे अन्य व्यक्तियों और अपने वातावरण पर भरोसा करना सीखते हैं। जो बच्चे सुरक्षा और सलामती का अनुभव नहीं करते हैं वे चिन्तायुक्त, असुरक्षित और अप्रसन्न हो जाते हैं। यह उनके विकास, स्वास्थ्य और अधिगम को प्रभावित कर सकता है। सुरक्षा की कमी से अन्य लोगों के साथ भरोसे तथा लगाव की समस्या को बढ़ावा मिल सकता है। ऐसे बच्चे कुसमायोजित वयस्क के रूप में विकसित हो सकते हैं।

(2) **प्रेम तथा स्नेह** - प्रत्येक बच्चे को प्यार की जरूरत है। प्रेम और स्नेह की आवश्यकता अन्य व्यक्तियों के साथ सम्बन्धों के विकास और भरोसा पैदा करने का आधार है। एक देखभाल और प्यार भरे वातावरण में रहने वाले बच्चे आत्मविश्वासी और सुसमायोजित व्यक्तियों के रूप में विकसित होते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे बच्चे जिन्हें ऐसा वातावरण नहीं मिलता वे अकेला और उपेक्षित महसूस करते हैं, कोई पहल नहीं करते और अलग रहते हैं। प्रेम और स्नेह की आवश्यकता पूर्ण न होने पर अन्य व्यक्तियों के साथ संवेगात्मक रूप से न जुड़ पाने के कारण कुसमायोजन को बढ़ावा मिलता है।

चित्र 3.1 : अभिभावक एवं बच्चों के मध्य प्यार एवं स्नेह

(3) **समझना तथा स्वीकारना-** माता-पिता और देखभालकर्ताओं द्वारा बच्चे को स्वीकारना और समझना बच्चों की एक अन्य मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। मूल्यवान होने की भावना बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है।

बच्चों की उनके अपने बारे में समझ उनके दैनिक जीवन के अनुभवों और उनके परिवारों और समुदाय के साथ उनकी अन्तर्क्रिया के आधार पर विकसित होती है। इसमें बच्चों के लोगों, स्थानों और वस्तुओं के साथ सम्बन्ध तथा अन्य लोगों के व्यवहार और प्रतिक्रियाएँ भी शामिल हैं। बच्चों की उपरोल्लिखित मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति एक सकारात्मक आत्मसम्प्रत्यय (अपनी छवि या अपने प्रति अपना दृष्टिकोण) के विकास में सहायक होती है। इसलिये बच्चों में सकारात्मक आत्मसम्प्रत्यय का विकास आवश्यक है जिसके लिये स्वस्थ पारिवारिक वातावरण, सहयोगी पास-पड़ोस और सकारात्मक विद्यालयी अनुभव महत्वपूर्ण हैं। बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु देखभाल करने वालों को सुरक्षित और सलामत तथा प्यार भरा माहौल सुनिश्चित करना चाहिए जिसमें उन्हें उनके नाम से बुलाया जाए, मुस्करा कर उनका स्वागत किया जाए, उनकी प्रशंसा की जाए एवं उन्हें प्रात्साहित किया जाए तथा दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में उनकी सहायता की जाए।

3.1.2 पूरक पोषण सहित स्वास्थ्य एवं पोषण की आवश्यकता

एक स्वस्थ और प्रसन्न बाल्यावस्था एक स्थिर और दृढ़ वयस्कावस्था का आधार है। जीवन के प्रारम्भिक वर्षों के दौरान अच्छे स्वास्थ्य की नींव रखी जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य अनेक कारकों से प्रभावित होता है जैसे कि जैविक कारक- जीन्स आदि और वातावरणीय कारक जैसे- पोषण, टीकाकरण और शारीरिक गतिविधियों और व्यायाम के अवसर। यदि बच्चों को प्रारम्भिक वर्षों में अच्छा पोषण या चिकित्सकीय देखभाल नहीं मिलती है तो उनकी सामान्य अभिवृद्धि

प्रभावित होती है। स्वास्थ्यप्रद और पौष्टिक भोजन की कमी के कारण अभिवृद्धि में कमी आ सकती है और कमजोरी, अस्वस्थ रहने तथा विभिन्न रोग जैसी स्वास्थ्य-सम्बन्धी समस्याएँ बढ़ सकती हैं। आगे चलकर यह बच्चों की शारीरिक क्षमता और संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करेगा। इन वर्षों में माता-पिता और देखभाल करने वालों को बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक होने की जरूरत है। इसके लिये उन्हें अपने बच्चे के स्वास्थ्य और शारीरिक विकास की नियमित देख-रेख करनी चाहिए और आवश्यक उपाय अपनाने चाहिए।

बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की सुनिश्चितता के लिये कुछ दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं-

- आयु के अनुरूप वजन एवं ऊँचाई में वृद्धि बच्चे के स्वास्थ्य के सामान्य होने का संकेत है। इसलिए बच्चे का प्रतिमाह या कम से कम तीन महीने में एक बार वजन एवं ऊँचाई का रिकॉर्ड वृद्धि चार्ट में रखा जा सकता है। यदि किसी बच्चे के वजन में कमी आयी है या उसका वजन नहीं बढ़ रहा है तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वृद्धि की नियमित देखरेख का मूल उद्देश्य कुपोषण से बचाव है।
- यदि बच्चे को सही प्रकार का भोजन अर्थात् सन्तुलित आहार नहीं मिलता है तो बच्चा कुपोषित हो जाता है। भोजन में पोषण-सम्बन्धी कमियों को दूर करने के लिये प्रत्येक बच्चे को एक पूरक आहार दिया जाना चाहिए।
- वर्ष में कम से कम एक बार सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना अनिवार्य है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समय पर उनका आवश्यक टीकाकरण हुआ है।

3.1.3 खेल, प्रारंभिक उद्दीपन तथा अधिगम आवश्यकताएँ

बच्चों के समुचित विकास के लिये खेल, प्रारंभिक उद्दीपन तथा अधिगम के लिये अवसर आवश्यकताओं का एक अन्य समूह है। प्रशंसा तथा प्रोत्साहन से भरा हुआ वातावरण एवं खेल, अन्वेषण और प्रयोगों के अवसर बच्चे की वृद्धि और अधिगम में सहायता करते हैं। इसके अलावा बच्चों को खेलने से संवेगों के प्रदर्शन के अवसर मिलते हैं। यह कल्पनाशीलता, समस्या समाधान और निर्णय क्षमता सम्बन्धी कौशलों के विकास में सहायता करता है। खेल के द्वारा बच्चे अच्छे सम्बन्ध बनाना, एक-दूसरे की देखभाल करना और वस्तुओं को साझा करना सीखते हैं। उद्दीपित वातावरण और खेल द्वारा सीखने के अवसरों का अभाव बच्चे के वृद्धि और विकास को धीमा कर सकता है।

बच्चे को समृद्ध अधिगम वातावरण मिलना चाहिए जो कि आयु के अनुरूप विभिन्न गतिविधियों के अवसर तथा अधिगम सामग्री प्रदान करता है। मुक्त वार्तालाप, कहानी कथन और कविता भाषा, सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता के विकास में अत्यधिक योगदान देते हैं जो कि अधिगम के लिये अनिवार्य हैं। इसी प्रकार से बच्चों के विकास के लिये खेल का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनका भोजन और उनकी देखभाल करना।

सारांश में, हम कह सकते हैं कि ये सभी आवश्यकताएँ अन्त:सम्बन्धित हैं और एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

पाठगत प्रश्न 3.1

स्तम्भ अ तथा स्तम्भ ब का मिलान कीजिए–

स्तम्भ अ	स्तम्भ ब
(1) मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ	(अ) आयु और विकास के अनुरूप
(2) स्वास्थ्य और पोषण	(ब) प्रेम और स्नेह
(3) उद्दीप्त वातावरण	(स) शारीरिक विकास
(4) गतिविधियाँ	(द) खेल, अन्वेषण और प्रयोग के अवसर

गतिविधि 3.1

अपने पास-पड़ोस के बच्चों से उनकी आवश्यकताओं पर बातचीत कीजिए और ऊपर दी गयी आवश्यकताओं के वर्गीकरण के आधार पर उनकी प्रतिक्रियाओं की सूची बनाइए।

3.2 बच्चों के अधिकार

3.2.1 बच्चों के अधिकार क्या हैं?

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC) के अनुसार 'बाल अधिकार' मुख्य रूप से नाबालिग होने की स्थिति में सुरक्षा और देखभाल के अधिकारों से सम्बन्धित बच्चों के मानवाधिकार हैं। यह न्यूनतम हकदारी और स्वतन्त्रता है जो 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, विचारों, आर्थिक स्थिति, जन्म स्थिति और योग्यता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के प्रदान किये जाने चाहिए और यह सभी के लिए और प्रत्येक स्थान पर लागू होने चाहिए।

3.2.2 बच्चों की आवश्यकताओं तथा बच्चों के अधिकारों में अंतर्संबन्ध

सभी बच्चों की एक जैसी आवश्यकताएँ होती हैं चाहे वे किसी भी सामाजिक-आर्थिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हों। उन्हें एक सुरक्षित घरेलू वातावरण, अच्छा पारिवारिक जीवन, पर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल और सम्मान की आवश्यकता होती है। बच्चों के सम्पूर्ण विकास के लिये उनकी आवश्यकताएँ पूर्ण होनी चाहिए।

सभी बच्चे भाग्यवान नहीं होते कि सामान्य जीवन जी सकें। बहुत से बच्चे कठिन परिस्थितियों या आपातकालीन स्थितियों में रहते हैं। भारतीय बच्चों की एक बड़ी आबादी उन स्थितियों में रहती है जहाँ भोजन, आश्रय, शिक्षा, चिकित्सकीय देखरेख तथा सुरक्षा आदि नहीं मिल पाती। इस कारण से कुपोषण, अशिक्षा और खराब स्वास्थ्य आदि से उनके पीड़ित होने का अधिक खतरा है। कई बार बच्चों को अपने जीवन में आपातकालीन स्थितियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि प्राकृतिक आपदायें (बाढ़, भूकम्प, आग आदि), दुर्घटना, माता-पिता को खो देना आदि। ऐसे बच्चे अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं। जीवन में ऐसी परिस्थितियों और संकटों के कारण ये बच्चे बहुत से कष्टों से पीड़ित होते हैं और उनका बचपन कहीं न कहीं समाप्त हो जाता है।

आवश्यकताएँ और अधिकार एक-दूसरे पर निर्भर हैं। अधिकार बच्चों की आवश्यकताएँ पूर्ण होने की उनकी हकदारी की मान्यता है। इससे समाज के सभी स्तरों पर वयस्कों का सुस्पष्ट कर्तव्य बनता है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठायें कि प्रत्येक बच्चे के लिये ये अधिकार लागू हों।

3.2.3 संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता (यूनाइटेड नेशन्स कन्वेन्शन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, (UNCRC)

20 नवम्बर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने बच्चों के अधिकारों के लिये समझौता या संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता (UNCRC) अंगीकृत किया। संसार में यह व्यापक रूप से सर्वाधिक अंगीकृत मानवाधिकार सन्धि है। इस समझौते ने शारीरिक, नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के मानक तैयार किये हैं। दिसम्बर, 1992 में भारत ने इस समझौते को स्वीकार किया। समझौता अपने 54 अनुच्छेदों के द्वारा जहाँ कहीं भी बच्चे हैं, बच्चे को एक व्यष्टि के रूप में देखता है जो कि आर्थिक, नागरिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक अधिकारों का हकदार है। यह इसका वर्णन भी करता है कि लोग और सरकार मिलकर किस प्रकार काम करें ताकि बच्चों का अपने सभी अधिकारों से लाभान्वित होना सुनिश्चित हो। उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास तथा सहभागिता के अधिकार समझौते का मूल हैं। आइए, हम इन मुख्य अधिकारों के बारे में जानें।

- **उत्तरजीविता का अधिकार:** इसके अंतर्गत जीवित रहने का अधिकार, स्वास्थ्य के मानकों की सर्वोत्तम प्राप्ति, पोषण तथा अच्छे जीवन स्तर का अधिकार आता है। जन्म, नाम तथा राष्ट्रीयता के पंजीकरण का अधिकार भी इसी में शामिल है।
- **सुरक्षा का अधिकार :** आपातकालीन तथा सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों में विशेष संरक्षण के अधिकार समेत सभी प्रकार के शोषण, दुर्व्यहार, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार से स्वतन्त्रता अर्थात् छुटकारा सुरक्षा के अधिकार में शामिल हैं। नशीली दवाइयों, बीमारियों, अक्षमताओं से संरक्षण तथा कानून के अन्य पक्ष पर बच्चों की सुरक्षा भी सुरक्षा के अधिकार का अभिन्न अंग है।

- **विकास का अधिकार:** इसमें शिक्षा का अधिकार, पूर्व बाल्यावस्था में देखभाल एवं विकास हेतु सहयोग तथा सामाजिक सुरक्षा का अधिकार शामिल है। इसमें अवकाश, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के अधिकार भी सम्मिलित हैं।
- **सहभागिता का अधिकार :** सहभागिता के अधिकार में उचित सूचना तक बच्चे की पहुँच, विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विवेकशीलता तथा धार्मिकता का अधिकार शामिल है।

पाठगत प्रश्न 3.2

(क) 'UNCRC' का पूरा नाम लिखिए ....

(ख) 'UNCRC' के अनुसार बच्चों के दो प्रमुख अधिकार लिखिए :

1. .... 2. ....

3.3 बच्चों के अधिकारों की प्राप्ति हेतु सरकारी अधिनियम तथा योजनाएँ

बच्चों के कल्याण और विकास हेतु बच्चों के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये कई नीतियाँ और योजनाएँ तैयार की गयी हैं। आइए, हम कुछ प्रमुख नीतियों और योजनाओं के विषय में और अधिक जानें।

3.3.1 समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) - विद्यालयी शिक्षा के लिये एकीकृत योजना, 2018 [Samagra Shiksha Abhiyan (SSA) – An Integrated Scheme for School Education, 2018]

समग्र शिक्षा अभियान या विद्यालयी शिक्षा के लिये एकीकृत योजना पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 12 तक की विद्यालयी शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम है। सभी बच्चों के लिये विद्यालयी शिक्षा के समान अवसर तथा समतामूलक अधिगम प्रतिफल के पदों में मापित विद्यालयी शिक्षा की प्रभावशीलता में सुधार करना इसका मुख्य लक्ष्य है। इसमें तीन योजनाएँ सम्मिलित हैं: सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) तथा शिक्षक शिक्षा (टीई)। यह योजना विद्यालय को पूर्व-प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों के एक सातत्य के रूप में देखती हैं। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के लिये सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) [Sustainable Development Goal (SDG)] के साथ पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक तक समावेशी और समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। योजना के मुख्य उद्देश्य हैं: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और विद्यार्थियों के अधिगम प्रतिफल को बढ़ाना, विद्यालयी शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अन्तरों को दूर करना, विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर समता और समावेशन को

सुनिश्चित करना, विद्यालयी प्रावधानों में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना, शिक्षा में व्यावसायिकता को प्रोत्साहन देना, राज्यों में शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन में सहायता देना, शिक्षक प्रशिक्षण की नोडल एजेन्सी के रूप में सभी राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी)/स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन (एसआईई) तथा डायट का सुदृढ़ीकरण एवं समुन्नयन करना।

3.3.2 मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा-निर्देश [National Minimum Guidelines for Setting up and Running Creches under Maternity Benefit Act, 2017]

2018 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, एमडब्लूसीडी [Ministry of Women and Child Development (MWCD)] ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिसमें अनिवार्य है कि 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संस्थान में क्रेच की सुविधा होगी। क्रेच में प्रत्येक बच्चे की सम्पूर्ण विकासात्मक देखभाल की सुनिश्चितता हेतु ये दिशा-निर्देश स्थान, समय, आधारभूत ढाँचे, उपकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं, सुरक्षा तथा संरक्षण, प्रशिक्षित मानव संसाधन, माता-पिता की व्यस्तता एवं अन्य प्रमुख मापदण्डों के बारे में नियोक्ता को अपने कर्मचारियों के लिये जिनके छः माह से लेकर छः वर्ष तक के बच्चे हैं, के लिये क्रेच की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्रेच की स्थापना एवं प्रबंधन के लिये सुविधा प्रदान करने हेतु हैं।

3.3.3 मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 [The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017]

मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 ने महिला कर्मचारियों के लिये उपलब्ध वेतन सहित अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है। अधिनियम में यह लाभ बच्चा गोद लेने वाली तथा सरोगेसी द्वारा संतान प्राप्त करने वाली माताओं के लिये भी है जिसके अन्तर्गत बच्चा गोद लेने वाली महिला को बच्चा गोद लेने के दिन से 12 सप्ताह का वेतन सहित अवकाश प्रदान किया जायेगा। यह अधिनियम फैक्ट्रियों, खानों, दुकानों या 10 और उससे अधिक कर्मचारियों वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी महिलाओं पर लागू है। संशोधित अधिनियम ने 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिये क्रेच की सुविधा अनिवार्य की है। महिला कर्मचारी को क्रेच जाने की अनुमति होनी चाहिए। अधिनियम में ''घर से कार्य'' का प्रावधान किया गया है जिसे 26 सप्ताह के अवकाश के समाप्त होने के बाद प्रयोग में लाया जा सकता है। कार्य की प्रकृति के अनुसार एक महिला, नियोक्ता के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर इस प्रावधान का लाभ उठा सकती हैं।

टिप्पणी

3.3.4 बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 [Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016]

बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 1986, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार को कानून द्वारा निर्मित सूची में चिन्हित किये गये खतरनाक व्यवसायों में प्रतिबन्धित करता है और गैर खतरनाक व्यवसायों में उनकी सेवाओं के लिये नियम निर्धारण करता है। इसके उद्देश्य हैं: 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार को प्रतिबन्धित करना, प्रतिबन्धित व्यवसायों की अनुसूची और कानूनी कार्यवाही में परिवर्धन हेतु कार्यप्रणाली का निर्धारण करना, बच्चों की सेवाशर्तों का नियमन, बच्चों के रोजगार में इस अधिनियम तथा अन्य अधिनियम जो कि बच्चों के रोजगार को निषेधित करते हैं, के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु दण्ड का निर्धारण करना, सम्बन्धित कानूनों में बच्चे की परिभाषा में एकरूपता लाना। बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 ने किशोर श्रम का सम्प्रत्यय प्रस्तुत किया। 14-18 वर्ष की आयु का व्यक्ति किशोर के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिनियम खतरनाक व्यवसायों को छोड़कर किशोरों को कार्य की अनुमति देता है।

3.3.5 दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्लूडी) अधिनियम 2016 [The Rights of Persons with Disabilities (RPWD) Act, 2016]

दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्लूडी) अधिनियम 2016, सन् 2016 में अधिनियमित किया गया। यह समानता के अधिकार, गरिमा के साथ जीवन तथा जीवन के शैक्षणिक, सामाजिक, विधिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक आदि विविध पक्षों में अन्य व्यक्तियों के साथ पूर्ण समानता के लिये सम्मान को बढ़ावा देता है तथा संरक्षित करता है। अधिनियम दिव्यांग बच्चों के विभिन्न प्रकार के अधिकारों तक विस्तृत है और सरकारों को ऐसे बच्चों की शिक्षा, कौशल-विकास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और मनोरंजन हेतु दिशा-निर्देश देता है। इस अधिनियम में दिव्यांगता के प्रकारों को सात (विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995) से बढ़ाकर इक्कीस कर दिया गया है तथा केन्द्र सरकार को और अधिक प्रकारों को जोड़ने की शक्ति दी गयी है। अतिरिक्त लाभ जैसे कि उच्च शिक्षा (पाँच प्रतिशत से कम न हो) तथा सरकारी नौकरियों (चार प्रतिशत से कम न हो) में आरक्षण को भी शामिल किया गया है।

3.3.6 बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016 [National Plan of Action for Children, 2016]

बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016 सभी बच्चों के लिये समान अवसर और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिये प्रतिबद्ध है। एनपीएसी ने विभिन्न अनुभागों और शासन के स्तरों में सम्मिलन तथा समन्वय हेतु बच्चों के लिये राष्ट्रीय नीति, 2013 में उल्लिखित चार मुख्य प्राथमिकता क्षेत्रों (जीवन जीने, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा एवं विकास, संरक्षण तथा सहभागिता) के अन्तर्गत रणनीतियों और कार्य बिन्दुओं के रूप में उद्देश्य तय किये हैं और योजना तैयार की है। यह योजना बच्चों की असुरक्षा पर ध्यान देने के लिये व्यापक रूप से नीति को केन्द्रित करने के लिये है। असुरक्षित बच्चों में सामाजिक-आर्थिक, अन्य वंचित समूहों के बच्चे, दिव्यांग बच्चे, गली में घूमने वाले/बेघर बच्चे, बाल मजदूर/खानाबदोश बच्चे/तस्करी से

टिप्पणी

लाये गये बच्चे, कानूनी रूप से अपराधी बच्चे, प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं से प्रभावित या स्थानान्तरित बच्चे और जलवायुगत परिस्थितियाँ/नागरिक अशांति, पारिवारिक सहयोग से रहित या संस्थानों के बच्चे, और एचआईवी/एड्स, कुष्ठ आदि से पीड़ित बच्चे शामिल हैं।

प्रत्येक प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत एनपीएसी के उद्देश्य

उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण: सभी बच्चे के लिये जन्म से पूर्व, जन्म के समय तथा जन्म के पश्चात् और उनकी अभिवृद्धि एवं विकास की सम्पूर्ण अवधि में उच्चतम मानदण्डों के अनुरूप व्यापक एवं अनिवार्य रोग निरोधक, प्रोत्साहक, आरोग्यकारी तथा पुनर्वास सम्बन्धी स्वास्थ्य देखभाल की समतामूलक पहुँच सुनिश्चित करना।

शिक्षा और विकास: बच्चे की सम्पूर्ण सामर्थ्य के विकास हेतु उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बच्चे के लिये अधिगम, ज्ञान, (कौशल-विकास सहित) शिक्षा और विकास के अवसरों के अधिकार को आवश्यक वातावरण, सूचना, आधारभूत ढाँचे, सेवाओं और सहयोग की पहुँच, प्रावधान तथा प्रोत्साहन द्वारा सुरक्षित रखना।

सुरक्षा: सभी बच्चों के लिये सभी परिस्थितियों में उनकी असुरक्षा को दूर करने के लिये सभी स्थानों पर विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें सुरक्षित रखने के लिये एक देखभाल वाले, संरक्षित और सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना।

सहभागिता: बच्चों को उनके अपने विकास और उनसे सम्बन्धित और उनको प्रभावित करने वाले सभी मामलों में सक्रिय सहभागिता हेतु समर्थ बनाना।

स्रोत: एनपीएसी, 2016 पृष्ठ 16

3.3.7 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, 2015 [Beti Bachao Beti Padhao Scheme, 2015]

2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारम्भ लैंगिक असन्तुलन एवं बालिका शिशु के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिये किया गया। लिंग-अभिनति पर आधारित सेक्स के चयन का उन्मूलन, बालिका शिशु के जीवित रहने तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा बालिका शिशु की शिक्षा एवं सहभागिता को सुनिश्चित करना, इस योजना के उद्देश्य हैं। यहाँ पर प्रशिक्षण, संवेदनशीलता तथा जागरूकता उत्पन्न करके मानसिकता बदलने पर जोर है। यह योजना सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों को समाहित करते हुए एक राष्ट्रीय अभियान और निम्न सीएसआर वाले 100 चयनित जिलों में बहुक्षेत्रीय कार्यावन्यन पर केन्द्रित करते हुए लागू की जा रही है। यह महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय (Women and Child Development), स्वास्थ्य एवं परिवार मन्त्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) और मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (Ministry of Human Resource Development) का संयुक्त प्रयास है। राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों के लिये क्रियान्वयन सम्बन्धी दिशा-निर्देश 2019 में जारी किये गये।

3.3.8 किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 [The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015]

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 बच्चों को, चाहे वह आरोपी हों या कानूनन अपराधी पाये गये हों या ऐसे बच्चे हों जिन्हें देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत है, सभी के लिये समुचित देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार, सामाजिक एकीकरण द्वारा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करके, न्यायिक निर्णयों में बाल-केन्द्रित दृष्टिकोण को अपनाकर और बच्चों के सर्वोत्तम हित में मामलों के निस्तारण एवं की गयी कानूनी कार्यवाही और बाल-अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने वाले स्थापित संस्थानों और निकायों द्वारा पुनर्वास हेतु एक मजबूत कानूनी ढाँचा तैयार करता है।

3.3.9 लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम, 2012 [Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012]

बच्चों के संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका है। माता-पिता, विद्यालय, समुदाय, पुलिस, न्यायालय, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, गैर-सरकारी संगठन, बाल संरक्षण समितियाँ या इकाइयाँ तथा अन्य में मीडिया बच्चे के लिये एक ऐसे वातावरण के निर्माण के लिये उत्तरदायी हैं जिसमें बच्चे सुरक्षित और संरक्षित अनुभव करें। लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 रिपोर्टिंग, साक्ष्यों की रिकार्डिंग, विशेष अदालतों द्वारा अपराधों की त्वरित जाँच के लिये बाल-अनुकूल तन्त्र को शामिल करके, न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बच्चे के हित को सुरक्षित रखते हुए, यौन आक्रमण के अपराध, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य से बच्चों के संरक्षण हेतु अत्यधिक मजबूत कानूनी ढाँचा प्रदान करने के लिये भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया। कानून बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के रूप में परिभाषित करता है और पीड़ित के रूप में बालक अथवा बालिका में कोई अन्तर नहीं करता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को पाक्सो अधिनियम, 2012 की निगरानी के लिये अधिकार दिया गया है।

> बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) का गठन किया गया था। आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना हे कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते में दिये गये बाल अधिकारों के अनुरूप हों। आयोग द्वारा परिभाषित किया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले सभी व्यक्ति बच्चों में शामिल हैं।

3.3.10 निजी प्ले स्कूलों हेतु विनियामक दिशा-निर्देश [Regulatory Guidelines for Private Play Schools]

तीन से छः वर्ष की आयु के बच्चों के निजी प्ले स्कूलों के लिये एनसीपीसीआर ने विनियामक दिशा-निर्देश विकसित किये हैं। इन दिशा-निर्देशों के मुख्य उद्देश्य हैं : प्री-स्कूल शिक्षा प्रदान करने वाली सभी शैक्षणिक संस्थाओं में समावेशन तथा एकरूपता लाना, बाल अधिकारों का उल्लंघन एवं बच्चों के प्रति दुर्व्यवहारों को रोकना, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा हेतु तैयार करने के लिये प्री-स्कूल शिक्षा की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की प्राप्ति और अंतत: भारत में इन संस्थाओं के विनियमन तथा स्थापना हेतु मान्यता देकर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (ईसीई) प्रणाली की अस्पष्टता को दूर करना।

3.3.11 अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 [Right to Free and Compulsory Education Act (RTE), 2009]

भारत का संविधान छ: से चौदह आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। ''नि:शुल्क शिक्षा'' से तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की फीस, शुल्क या खर्चा देने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा जो कि उसकी प्राथमिक शिक्षा को जारी रखने तथा पूरा करने से रोक सकता हो।

''अनिवार्य शिक्षा'' का अर्थ है कि यथोचित सरकारी और स्थानीय अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व है कि इस आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो तथा प्रवेश, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित हो। आरटीई बच्चों को भय, दबाव तथा चिन्ता से मुक्त शिक्षा के अधिकार प्रदान करने के लिये है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2018 का प्रारूप आरटीई कानून को विस्तारित करते हुए प्रारम्भिक बाल्यावस्था और माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा को समाहित करने का सुझाव देता है। प्रस्तावित सुझाव है कि इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र को तीन से अट्ठारह वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिये विस्तारित किया जायेगा।

3.3.12 एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) 2009, [Integrated Child Protection Scheme (ICPS), 2009]

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस), 2009 में प्रारम्भ की गई केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों तथा अन्य असुरक्षित बच्चों के लिये सुरक्षात्मक वातावरण सुनिश्चित करना है। आईसीपीएस, मन्त्रालय की विभिन्न मौजूदा बाल संरक्षण योजनाओं को एक साथ लाता है तथा बच्चों की सुरक्षा एवं हानियों को रोकने के लिये अतिरिक्त हस्तक्षेपों को भी समाहित करता है। इस प्रकार आईसीपीएस आवश्यक सेवाओं को संस्थागत बनाता है तथा योजनाओं को मजबूती प्रदान करता है, सभी स्तरों पर क्षमताओं को बढ़ाता है, बाल संरक्षण सेवाओं के लिये जानकारी तथा आँकड़ों का आधार तैयार करता है, पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर बाल संरक्षण को मजबूती प्रदान करता है, सभी स्तरों पर अन्त: विभागीय प्रतिक्रियाओं को सुनिश्चित करता है। इस योजना ने प्रभावी हस्तक्षेपी रणनीतियों के निर्माण तथा क्रियान्वयन तथा उनके प्रतिफल की देखरेख के लिये बाल संरक्षण प्रदत्त प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है। कार्यक्रमों और योजनाओं का नियमित मूल्यांकन किया जाता है तथा कार्यप्रणाली में सुधार किया जा रहा है।

3.3.13 बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 [The Prohibition of Child Marriage Act, 2006]

2007 में बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह तथा उससे जुड़े हुए आकस्मिक मामलों को रोकना है। समाज से बाल विवाह के उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार ने बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के स्थान पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया। यह नया अधिनियम बाल विवाह के निषेध, पीड़ित को सुरक्षा तथा राहत प्रदान करने एवं बाल विवाह को उकसाने,

बढ़ावा देने तथा सम्पादित कराने वालों के लिये सजा को बढ़ाने के प्रावधानों से सज्जित है। इस अधिनियम में सम्पूर्ण राज्य या राज्य के एक भाग के लिये बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है।

3.3.14 पूर्व-गर्भाधान और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 [Pre-Conception & Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994]

पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 देश में कन्या भ्रूणहत्या को रोकने तथा घटते लिंगानुपात को नियन्त्रित करने के लिये पारित किया गया। यह अधिनियम गर्भाधान से पूर्व तथा बाद में लिंग-चयन की तकनीकों के प्रयोग को प्रतिबन्धित करता है। यह अधिनियम पूर्व-गर्भाधान और प्रसव-पूर्व लिंग-निर्धारण से सम्बन्धित विज्ञापनों को भी प्रतिबन्धित करता है। इसमें प्रशिक्षण, संवेदनशीलता तथा जागरूकता-प्रसार द्वारा मानसिकता बदलने पर विशेष जोर है।

गतिविधि 3.2

- निकट के विद्यालयों में जाइए और शिक्षकों से बच्चों के अधिकारों के बारे में चर्चा कीजिए। पता करने का प्रयत्न कीजिए कि क्या बच्चे अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हैं?
- इण्टरनेट पर खोजकर बालिका, शिशु एवं अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के अधिकारों के लिये कार्य करने वाले कुछ गैर-सरकारी संगठनों की सूची बनाइए।

पाठगत प्रश्न 3.3

1. निम्नलिखित के पूर्ण नाम लिखिए–

   (अ) एमएचआरडी (MHRD) : ....

   (ब) एमडब्लूसीडी (MWCD) : ....

   (स) एनपीएसी (NPAC) : ....

   (द) आरटीई (RTE) : ....

   (ई) आईसीपीएस (ICPS) : ....

   (फ) एसएसए (SSA) : ....

   (ग) आरएमएसए (RMSA) : ....

टिप्पणी

2. स्तम्भ 'अ' तथा स्तम्भ 'ब' का मिलान कीजिए –

स्तम्भ अ	स्तम्भ ब
(1) समग्र शिक्षा अभियान (SSA)	(अ) कन्या भ्रूण हत्या
(2) मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017	(ब) 21 प्रकार
(3) दिव्यांगजनों के अधिकार	(स) पाक्सो (POCSO)
(4) एनसीपीसीआर (NCPCR)	(द) क्रेच
(5) पूर्व-गर्भाधान और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम	(ई) एसएसए (SSA), आरएमएसए (RMSA), शिक्षक शिक्षा (TE)

3. प्रस्तुत अंश को सावधानीपूर्वक पढ़िए तथा निम्नलिखित के विषय में पाठ में प्रयोग में लाये गये 'शब्द या शब्दों' को लिखिए –

(अ) मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 ने महिला कर्मचारियों के लिये उपलब्ध वेतन सहित अवकाश की अवधि को .... सप्ताह से बढ़ाकर .... सप्ताह कर दिया है।

(ब) बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 1986, खतरनाक व्यवसायों में .... वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार को प्रतिबन्धित करता है।

(स) .... पूर्व-गर्भाधान और प्रसव-पूर्व लिंग-निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों को भी प्रतिबन्धित करता है।

(द) .... मंत्रालय की विभिन्न मौजूदा बाल संरक्षण योजनाओं को एक साथ लाता है।

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा कि–

1. बच्चों की आवश्यकताएँ

(अ) मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ
- सुरक्षा, सलामती और संरक्षण
- प्रेम तथा स्नेह
- समझना तथा स्वीकारना
- स्वास्थ्य

(ब) स्वास्थ्य आवश्यकताएँ → पोषण
→ पूरक पोषण

(स) प्रारंभिक उद्दीपन तथा अधिगम आवश्यकताएँ

2. बच्चों के विकास पर उनकी अपूर्ण आवश्यकताओं का प्रभाव

3. बच्चों के अधिकार।

- अधिकारों का अर्थ
- आवश्यकताओं तथा अधिकार में अंतर्सम्बन्ध

4. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता, यूएनसीआरसी (यूनाइटेड नेशन्स कन्वेन्शन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड में दिये गये बाल अधिकार

- उत्तरजीविता का अधिकार
- सुरक्षा का अधिकार
- विकास का अधिकार
- सहभागिता का अधिकार

5. बच्चों के अधिकारों की प्राप्ति हेतु सरकारी अधिनियम तथा योजनाएँ

- समग्र शिक्षा अभियान (SSA) - विद्यालयी शिक्षा के लिये एकीकृत योजना 2018
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा-निर्देश
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017
- बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016
- दिव्यांगजन अधिकार (RPWD) अधिनियम 2016
- बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना, 2015
- किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख व संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2016
- लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012
- निजी प्ले स्कूलों हेतु विनियामक दिशा-निर्देश
- अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा (RTE) अधिनियम, 2009
- एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS), 2009

- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
- पूर्व-गर्भाधान और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994

पाठान्त प्रश्न

1. बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक क्यों बनाना चाहिए?
2. बच्चों की अपूर्ण आवश्यकताओं का उनके विकास पर होने वाले प्रभाव पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।
3. यूएनसीआरसी [UNCRC] के अनुसार बच्चों के अधिकारों पर चर्चा कीजिए।
4. बच्चों के अधिकारों की प्राप्ति हेतु अधिनियमों तथा योजनाओं के रूप में भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदमों पर चर्चा कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

3.1

1. (ब)
2. (स)
3. (द)
4. (अ)

3.2

1. यूनाइटेड नेशन्स कन्वेशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड (संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता)
2. - उत्तरजीविता का अधिकार
   - सुरक्षा का अधिकार
   - विकास का अधिकार
   - सहभागिता का अधिकार

3.3

1. (अ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   (Ministry of Human Resource Development)

(ब) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
(Ministry of Women and Child Development)

(स) बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना
(National Plan of Action for Children)

(द) शिक्षा का अधिकार
(Right to Education)

(ई) एकीकृत बाल संरक्षण योजना
(Integrated Child Protection Scheme)

(फ) समग्र शिक्षा अभियान
(Samagra Shiksha Abhiyan)

(अ) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
(Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan)

2. (1) (ई)

(2) (द)

(3) (ब)

(4) (स)

(5) (अ)

3. (अ) 12, 26

(ब) 14

(स) पूर्व–गर्भाधान और प्रसव–पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994

(द) आईसीपीएस (ICPS)

संदर्भ

- Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016 (No 35 of 2016), Acts of Parliament, 2016 (India).
- Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 (No. 6 of 2017), Acts of Parliament, 2017 (India).
- Ministry of Human Resource Development. (2018). *Samagra Shiksha Abhiyan (SSA)-An Integrated Scheme for School Education- Framework for Implementation.* New Delhi: Government of India.
- Ministry of Women and Child Development (2009). *Integrated Child Protection Scheme (ICPS).* Retrieved from https://wcd.nic.in/integrated-childprotection-scheme-ICPS

- Ministry of Women and Child Development (2015). *Beti Bachao Beti Padhao Scheme.* Retrieved from https://wcd.nic.in/bbbp-schemes
- Ministry of Women and Child Development (2019). *Beti Bachao Beti Padhao Scheme-Implementation Guidelines.* New Delhi: Government of India.
- Ministry of Women and Child Development. (2016). *National Plan of Action for Children.* New Delhi: Government of India.
- National Commission for Protection of Child Rights. *Regulatory Guidelines for Private Play Schools.* Retrieved from https://ncpcr.gov.in/ index1.php?lang=1&level=0&linkid=14&lid=261
- National Commission for Protection of Child Rights. (2017). User Handbook on Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012. New Delhi.
- Pre-Conception & Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse), 1993 (No. 57 of 1993), Acts of Parliament, 1993 (India).
- The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), Acts of Parliament, 2015 (India).
- The Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Amendment Act, 2002 (No.14 of 2002), Acts of Parliament, 2002 (India).
- The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (No. 6 of 2007). Acts of Parliament, 2006 (India).
- The Rights of Persons With Disabilities Act, 2016, Acts of Parliament, 2016 (India).

टिप्पणी

4

भारत में ईसीसीई नीतियाँ, योजनाएँ तथा कार्यक्रम

बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। वे सभी हितधारकों अर्थात् परिवार, समुदाय, विद्यालय तथा सरकारों की उत्तरदायित्व हैं। यह भली प्रकार से स्वीकृत हैं कि बच्चों की उत्तरजीविता और विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उनके लिये क्या योजना बनाई गयी हैं और क्या किया गया है। गुणवत्तापूर्ण देखभाल और प्रारम्भिक बाल्यावस्था विकास तक सभी बच्चों की पहुँच सुनिश्चित करना एक प्राथमिकता है। भारत सरकार ने सभी बच्चों के कल्याण हेतु कई नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों की शुरुआत की है तथा उन्हें कार्यान्वित किया है। ये कदम एक अनुकूल वातावरण के निर्माण तथा बच्चों को उनके विकास तथा अधिगम की प्रारम्भिक अवस्थाओं के दौरान सुविधा हेतु मार्ग के रूप में कार्य करते हैं।

इस पाठ में आप बच्चों के समग्र विकास तथा भलाई के लिये अब तक लागू नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों का अध्ययन करेंगे।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप–

- ईसीसीई के लिये सरकारी पहल की आवश्यकता की व्याख्या करते हैं;
- ईसीसीई से सम्बन्धित प्रमुख नीतियों के बारे में चर्चा करते हैं; और
- ईसीसीई की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का वर्णन करते हैं।

4.1 ईसीसीई के लिये सरकारी पहल की आवश्कता

सुरक्षित तथा अनुकूल वातावरण में स्वस्थ विकास तथा अधिगम के अवसरों तक सभी बच्चों की पहुँच होनी चाहिए। न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में लोग प्रारम्भिक वर्षों में समस्त

टिप्पणी

आयामों में होने वाले सभी बच्चों के तीव्र विकास के महत्व को महसूस कर रहे हैं। उत्तरजीविता, विकास, सुरक्षा तथा सहभागिता के बच्चों के अधिकारों की सुनिश्चतता के लिये राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कदम उठाये गये हैं। बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई की सुनिश्चितता हेतु भारत सरकार सबसे महत्वपूर्ण हितधारकों में से एक है। बच्चों के सम्मान, आवश्यकताओं और अधिकारों की सुनिश्चितता हेतु भारत कई समझौतों का हस्ताक्षरकर्ता रहा है। वर्षों से सरकार ने बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये कई नीतियों और योजनाओं का निर्माण किया है।

आइए, इस दिशा में सरकार की कुछ पहलों का अध्ययन करें।

4.2 नीतियाँ और योजनाएँ

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित करेगा कि "बच्चों को स्वस्थ ढंग तथा स्वतंन्त्रता तथा गरिमा के साथ विकसित होने के लिये अवसर तथा सुविधायें दी जाएँ और बच्चों तथा नवयुवकों का शोषण और नैतिक तथा भौतिक परित्याग से संरक्षण किया जाए।"

प्रारम्भिक वर्षों में छोटे बच्चों की उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल और शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न हस्तक्षेप किये गये हैं।

4.2.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 [The National Policy on Education, (NPE) 1986]

अपने सभी नागरिकों के कल्याण हेतु शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की। नीति छोटे बच्चों के समग्र विकास पर केन्द्रित है और देश में प्राथमिक शिक्षा को सशक्त बनाने के लिये ईसीसीई को महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखती है। नीति मानव संसाधन विकास के लिये ईसीसीई को महत्वपूर्ण भी मानती है। यह बालकेन्द्रित तथा खेल आधारित ईसीसीई कार्यक्रम को बढ़ावा देने पर बल देती है। यह प्रारम्भिक अवस्था में औपचारिक विधियों के उपयोग तथा 3Rs के परिचय को हतोत्साहित करती है। यह ईसीसीई कार्यक्रमों में स्थानीय समुदायों की सहभागिता की अनुशंसा भी करती है।

4.2.2 राष्ट्रीय पोषण नीति, 1986 [National Nutrition Policy, 1993]

बच्चों के समग्र विकास के लिये पर्याप्त और स्वस्थ पोषण महत्वपूर्ण है। समाज में पोषण के स्तर को सुधारने के उद्देश्य के चलते देश में अल्पपोषण तथा कुपोषण की समस्या से निपटने के लिये भारत सरकार द्वारा नीति तैयार की गयी। नीति भारत में बच्चों की सम्पूर्ण आबादी को सम्मिलित करने के लिये एकीकृत बाल विकास सेवाओं [Integrated Child Development Services (ICDS)] तथा अन्य समान कार्यक्रमों के विस्तार की जरूरत बताती है। इसका तात्पर्य है कि माताओं को उनके बच्चों की वृद्धि के लिये प्रभावी पोषण पर समुचित सहायता तथा जानकारी दी जाए। नीति राज्य सरकारों से ठोस प्रयासों का आवाहन करती है तथा पोषण मानकों में सुधार के लिये राज्य स्तरीय पोषण परिषद के गठन की सिफारिश करती है।

टिप्पणी

4.2.3 राष्ट्रीय बाल नीति, 2013

[The National Policy for Children (NPC), 2013]

भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण हेतु एक प्रमुख कदम के रूप में प्रथम राष्ट्रीय बाल नीति को 1974 में अपनाया। नीति ने बच्चों को राष्ट्र के लिये ''अत्यधिक महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति'' घोषित किया। सभी बच्चों के स्वस्थ, विकास तथा संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता की पुन पुष्टि करते हुए एनपीसी, 1974 को 2013 में पुनरीक्षित किया गया। एनपीसी, 2013 उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, विकास, शिक्षा, संरक्षण और सहभागिता की निर्विवाद अधिकारों और मुख्य प्राथमिकता के रूप में पहचान करती है। सभी बच्चों के सर्वोत्तम विकास हेतु ईसीसीई की सार्वभौमिक तथा समतामूलक पहुँच प्रदान करने के लिये नीति राज्यों को सभी आवश्यक कदम उठाने के लिये निर्देशित भी करती है।

4.2.4 राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति, 2013

[National Early Childhood Care and Education Policy, 2013]

भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति को 2013 में अनुमोदित किया। नीति की रूपरेखा ईसीसीई पाठ्यचर्या की रूपरेखा और ईसीसीई के लिये मानदण्डों को भी सम्मिलित करती है।

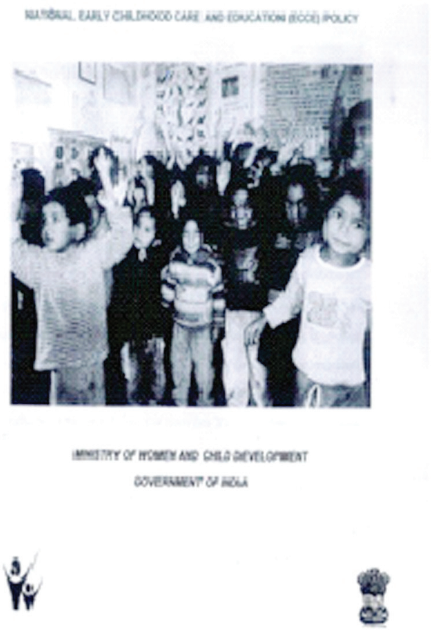

नीति छः वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक बाल्यावस्था, शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच के लिये प्रतिबद्ध है। नीति का दृष्टिकोण ''छः वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के समग्र विकास तथा सक्रिय अधिगम क्षमता की उपलब्धि हेतु नींव तैयार करने तथा पूर्ण क्षमताओं की प्राप्ति के लिए निःशुल्क, सार्वभौमिक, समावेशी, समतामूलक, आनन्ददायी तथा संदर्भात्मक अवसरों को बढ़ावा देना है।''

समता तथा समावेश के साथ पहुँच, गुणवत्ता में सुधार, क्षमता को मजबूत करना, अनुसन्धान तथा प्रलेखन और समर्थन तथा जागरूकता का निर्माण नीति के प्रमुख क्षेत्र हैं।

नीति की मान्यता है कि पारिवारिक वातावरण में छोटे बच्चों की सर्वोत्तम देखभाल होती है। अतः देखभाल और संरक्षण की पारिवारिक क्षमताओं को मजबूत करने से बच्चे को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी जा सकेगी।

टिप्पणी

4.2.5 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन [The National Health Missio (NHM)]

2013 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का आरम्भ हुआ। एनएचएम समतामूलक, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की सार्वभौमिक पहुँच की उपलब्धि पर विचार करता है जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह तथा उत्तरदायी हो। प्रमुख कार्यक्रम घटकों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु, बाल तथा किशोर स्वास्थ्य और संचारी तथा गैर संचारी रोग सम्मिलित हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना में ईसीसीई (2012-17)

जीवनपर्यन्त विकास की नींव डालने के लिये पंचवर्षीय योजनाओं ने भी ईसीसीई के महत्व को स्वीकार किया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) सार्वजनिक, निजी तथा स्वयंसेवी क्षेत्रों में सेवाओं के सभी माध्यमों में ईसीसीई के क्रमिक सुधारों के क्षेत्रों में ध्यान दिये जाने की जरूरत पर बल देती है। इसका उद्देश्य आईसीडीएस अनौपचारिक पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा को अतिरिक्त और प्रशिक्षित मानव-संसाधनों के साथ ईसीसीई के रूप पुनः परिभाषित करना था। यह पाँच वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिये विद्यालयी तत्परता हस्तक्षेपों समेत तीन से छः वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिये आनन्दपूर्ण प्रारम्भिक अधिगम विधियों के साथ विकासोचित पाठ्यचर्या की रूपरेखा के प्रवेश का आवाहन करती है।

Source:https://mhrd.gov.in/sites/upload files/mhrd/files/document-reports/

4.2.6 भारत नवजात शिशु कार्य योजना, (आईएनएपी) [India Newborn Action Plan (INAP), 2014]

देश में रणनीतिक हस्तक्षेपों के साथ रोके जा सकने योग्य नवजात शिशुओं की मृत्यु तथा मृत प्रसव को कम करने के लिये भारत नवजात शिशु कार्य योजना (आईएनएपी) 2014 में आरम्भ हुई। यह हस्तक्षेपों के छः स्तम्भों को परिभाषित करती है :

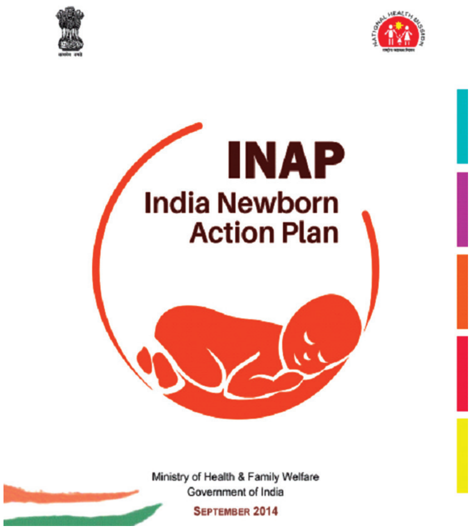

- पूर्व-गर्भाधान तथा पूर्व-प्रसव देखभाल
- प्रसव और प्रसव के दौरान देखभाल
- नवजात शिशु की तत्काल देखभाल
- स्वस्थ नवजात शिशु की देखभाल
- छोटे और बीमार नवजात शिशु की देखभाल
- उत्तरजीविता से परे नवजात शिशु की देखभाल

टिप्पणी

सतत विकास के लक्ष्य (एसडीजी), 2030
[Sustainable Development Goals (SDGs), 2030)

2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों द्वारा अपनाये गये सतत विकास के लिये एजेण्डा, 2030, वर्तमान तथा भविष्य में लोगों तथा ग्रह की शान्ति और समृद्धि के लिये एक साझा खाका (ब्लूप्रिंट) प्रदान करता है। सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं जो कि एक वैश्विक साझेदारी के तहत विकसित तथा विकासशील देशों द्वारा तत्काल अमल में लाये जाने हैं।

सतत विकास लक्ष्य 4 : गुणवत्तापूर्ण शिक्षा : समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना तथा सभी के लिये जीवनपर्यन्त अधिगम अवसरों को बढ़ावा देना।

भारत सरकार द्वारा अपनाये गये सतत विकास लक्ष्य, 2030 के लक्ष्य 4.2 स्पष्ट करता है कि 2030 तक सभी बालिकाओं तथा बालकों की गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल तथा पूर्व-प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित की जाए जिससे कि वे प्राथमिक शिक्षा के लिये तैयार हों।

Source : sustainabledevelopment.un.org

4.2.7 बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016 [National Plan of Actio for Children (NPAC), 2016]

बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना 2016, वर्ष 2005 में स्वीकृत कार्य योजना की जगह लेती है। एनपीएसी, 2016 'अन्तिम बच्चा पहले' तक पहुँच तथा सेवा पर केन्द्रित है। यह उन बच्चों को प्रथम स्थान देने के लिये प्रतिबद्ध है जो कि लिंग, सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक या भौगोलिक प्रतिरोध के कारण सर्वाधिक असुरक्षित हैं साथ ही अन्य असुरक्षित बच्चों को भी जैसे कि गली वाले बच्चे, प्रवासी कामगारों के बच्चे, सेक्स कर्मियों के बच्चे तथा वे जो एचआईवी/एड्स या अन्य रोगों से ग्रस्त हैं।

टिप्पणी

एनपीएसी, 2016, सभी बच्चों के उत्तरजीविता, आत्म-सम्मान, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा विकास, संरक्षण और सहभागिता के अधिकारों को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है। यह बच्चों के अधिकारों की सुनिश्चितता तथा उनके विकास को बढ़ावा देने के लिये राज्य स्तरीय कार्यक्रम विकसित करने हेतु सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों को एक रूपरेखा प्रदान करती है।

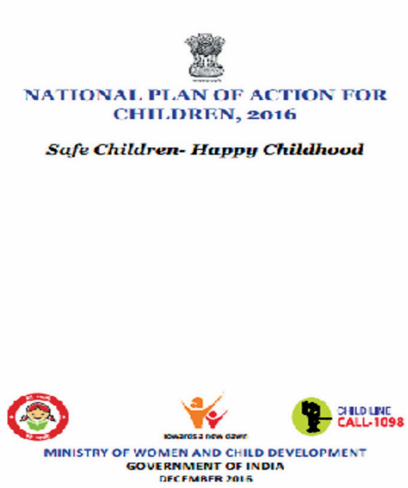

यह कार्यक्रम बच्चों की सहायता तथा उनकी सम्पूर्ण उत्तरजीविता, कल्याण, संरक्षण तथा विकास की सुनिश्चितता हेतु समुदाय तथा परिवारों को मजबूत करने के महत्व को संज्ञान में लेता है।

4.2.8 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 [National Health Policy (NHP), 2017]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 तथा 2002 में तैयार की गयी। नवीनतम एनएचपी का आरम्भ 2017 में हुआ। इस नीति का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य में निवेश, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का संगठन, रोगों की रोकथाम तथा अच्छे स्वास्थ्य को प्रोत्साहन जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को आकार देना है। यह नीति तकनीकी तक पहुँच, मानव संसाधनों के विकास करने, चिकित्सकीय बहुलवाद प्रोत्साहन, ज्ञान आधार निर्मित करने, बेहतर वित्तीय संरक्षण रणनीतियाँ विकसित करने, नियमन तथा स्वास्थ्य सुनिश्चितता का प्रयास करती है।

सभी आयु वर्गों पर सभी के लिये स्वास्थ्य के उच्चतम सम्भव स्तर तथा कल्याण की प्राप्ति तथा अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच, नीति के उद्देश्य हैं।

4.2.9 राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान), 2018 [National Nutrition Mission (PSHAN Abhiyan), 2018]

2022 तक भारत की कुपोषण से मुक्ति की सुनिश्चितता को दृष्टि में रखते हुए मार्च 2018 में राजस्थान के झुँझनू में पोषण अभियान आरम्भ किया गया। इसका लक्ष्य है :

POSHAN Abhiyaan
PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment
सही पोषण - देश रोशन

- विभिन्न पोषण सम्बन्धी योजनाओं के सम्मिलन को सुनिश्चित करके अल्पपोषण तथा अन्य सम्बन्धित समस्याओं के स्तर को कम करना
- अल्प-विकास, अल्प-पोषण, रक्ताल्पता (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर बालिकाओं के बीच) तथा निम्न जन्म दर की रोकथाम।

समग्र विकास तथा गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों के लिये पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है।

पाठगत प्रश्न 4.1

रिक्त स्थान भरिए–

(अ) राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016 .... तक पहुँच तथा सेवा पर केन्द्रित है।

(ब) पोषण अभियान का उद्देश्य .... तक कुपोषण मुक्त भारत की प्राप्ति सुनिश्चित करना है।

(स) देश में भारत नवजात शिशु कार्य योजना का उद्देश्य रोके जा सकने योग्य .... तथा .... को कम करना है।

(द) राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 ने बच्चों को राष्ट्र के लिये .... घोषित किया।

(ई) राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति छः वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के विकास ....तथा........... क्षमता की प्राप्ति का प्रयास करती है।

4.3 कार्यक्रम तथा योजनाएँ

माता तथा बच्चे के स्वास्थ्य तथा सामान्य हितों की चिन्ता ने सरकार को इस जरूरत को पूरा करने के लिये कार्यक्रमों तथा योजनाओं को समय-समय पर आरम्भ करने के लिये प्रेरित किया है।

4.3.1 एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस), 1975 [Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme, 1975]

1975 में भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) आरम्भ की।

यह एक अनूठा तथा प्रारम्भिक बाल्यावस्था और देखभाल के लिये विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। यह 0–6 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शामिल करता है। यह गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं की जरूरतों को भी पूरी करता है। इस योजना में छः सेवायें शामिल हैं जो हैं–

(i) पूरक पोषण

(ii) पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी अनौपचारिक शिक्षा

(iii) पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा

(iv) टीकाकरण

(v) स्वास्थ्य जाँच तथा

(vi) निर्देशपरक सेवा

इस योजना के उद्देश्य हैं–

- 0–6 से आयु वर्ग के बच्चों के पोषण तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना।
- बच्चे के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव रखना।
- मृत्यु-दर, रुग्णता, कुपोषण तथा विद्यालय छोड़ने की घटनाओं को कम करना।
- बच्चे के विकास को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न विभागों के मध्य नीति तथा क्रियान्वयन के प्रभावी समन्वय को प्राप्त करना, तथा
- समुचित पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की देखरेख करने की माता की क्षमता में वृद्धि करना।

4.3.2 मध्यान्ह भोजन योजना (एमडीएमएस), 1995 [Mid Day Meal Scheme (MDMS), 1995]

सारे देश में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकायों के विद्यालय, शिक्षा गारण्टी योजना (ईजीएस) तथा वैकल्पिक तथा नवचारिक शिक्षा केन्द्रों की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के पोषण स्तर म

सुधार करने के लिए 1995 में मध्याह्न भोजन योजना का आरम्भ किया गया। इसका उद्देश्य नामांकन, धारण तथा उपस्थिति में वृद्धि के साथ ही बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है। अक्टूबर, 2007 में योजना को उच्च प्राथमिक कक्षाओं अर्थात् कक्षा छः से आठ तक के बच्चों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया।

मध्याह्न भोजन योजना
Mid-day Meal Scheme

4.3.3 जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) [Janani Surakha Yojana (JSY)]

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) 12 अप्रैल 2005 को आरम्भ की गयी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यह एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है। इसका उद्देश्य निर्धन गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव के प्रोत्साहन द्वारा मातृ तथा नवजात मृत्यु को कम करना है।

4.3.4 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) [Janani Shishu Suraksha Karyakram (JSSK)]

भारत सरकार ने शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं तथा बीमार नवजात शिशुओ को पूर्णत: नि:शुल्क तथा कैशलैस सेवायें प्रदान करने के लिये 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का आरम्भ किया।

4.3.5 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) [Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK)]

भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एक नवचारिक पहल राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) का आरम्भ किया। यह बाल स्वास्थ्य जाँच तथा प्रारम्भिक हस्तक्षेपी सेवाओं की परिकल्पना करता है जो कि प्रारम्भिक पहचान का एक व्यवस्थित उपागम है तथा देखभाल, सहायता तथा उपचार से सम्बन्धित है। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में सम्भावित 30 स्वास्थ्य स्थितियों के समुच्चय की प्रारम्भिक खोज तथा प्रबंधन सम्मिलित है। ये स्थितियाँ मुख्य रूप से हैं : जन्म के समय दोष, बच्चों के रोग, कमियों से सम्बन्धित परिस्थितियाँ तथा दिव्यांगता सहित विकासात्मक विलम्ब या 4डी (Defects at birth, Diseases in children, Deficiency conditions and Developmental delays includig Disabilities or the 4Ds)। बाल स्वास्थ्य जाँच तथा प्रारम्भिक हस्तक्षेप सेवाओं का उद्देश्य दिव्यांगता की सीमा को कम करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना तथा सभी व्यक्तियों को उनकी पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के योग्य बनाना भी है।

4.3.6 एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) 2009, [Integrated Child Protection Scheme (ICPS), 2009]

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) का लक्ष्य कठिन परिस्थितियों के बच्चों तथा अन्य असुरक्षित बच्चों के लिये सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना है।

4.3.7 समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) [Samagra Shiksha Abhiyan (SSA), 2018]

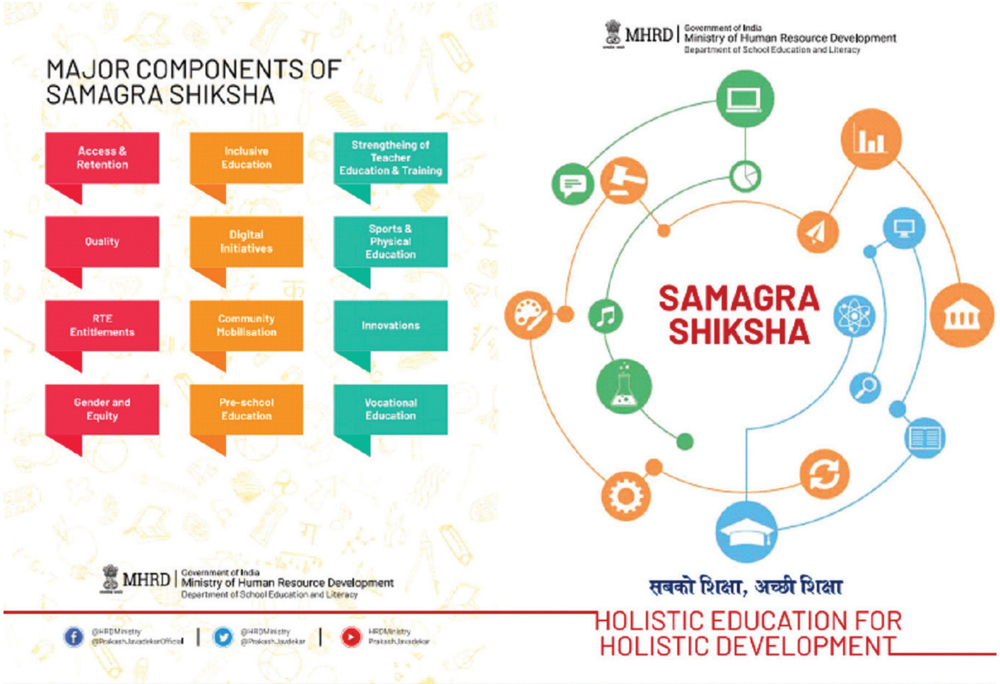

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से लेकर कक्षा 12 तक की विद्यालयी शिक्षा हेतु भारत सरकार ने 2018 में समग्र शिक्षा अभियान आरम्भ किया। यह योजना विद्यालय को पूर्व-प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों के एक सतत के रूप में देखती है। इसका उद्देश्य पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक तक समावेशी और समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा अभियान पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को स्वीकार करता है तथा मौजूदा 'पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम' को एक नाजुक घटक के रूप में मान्यता देता है। योजना पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में साफ-सफाई की सुविधाओं समेत सुरक्षित तथा संरक्षित बुनियादी ढाँचे पर बल देती है। यह विकासोचित पाठ्यचर्या, अधिगम गतिविधियों, शिक्षाशास्त्रीय अभ्यासों तथा आकलन तथा शिक्षकों के व्यावसायिक विकास और सामुदायिक सहभागिता तथा वचनबद्धता पर भी जोर देती है।

टिप्पणी

पढ़े भारत बढ़े भारत

पढ़े भारत बढ़े भारत योजना भारत सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के प्रारम्भिक स्तरों, विशेष रूप से कक्षा एक तथा दो में प्रारम्भिक भाषा और साक्षरता तथा प्रारम्भिक संख्यात्मकता के आधारभूत अधिगम में सुधार करने तथा बढ़ावा देने के लिये 2014 में आरम्भ की गयी।

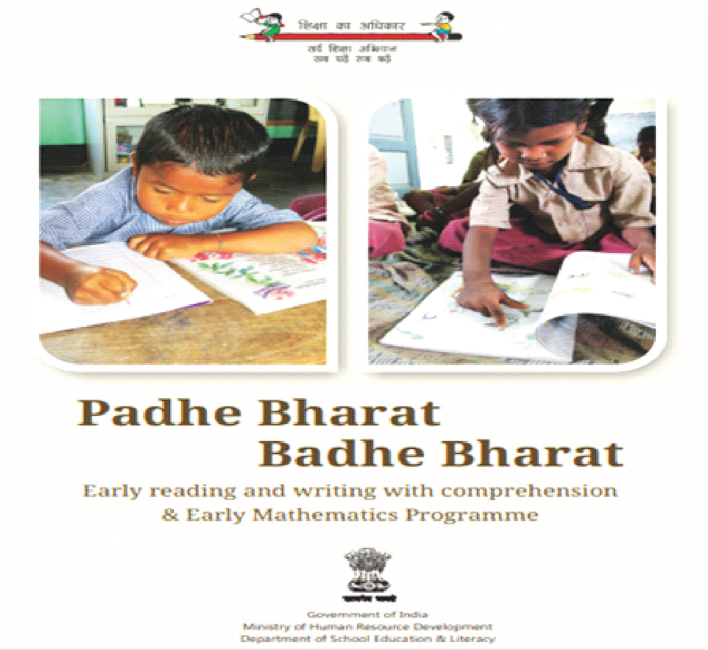

4.3.8 कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये राजीव गाँधी राष्ट्रीय शिशुगृह योजना [Rajiv Gandhi National Creche Scheme for the Children of Working Mothers]

संगठित तथा असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों के मध्य कामकाजी माताओं के बच्चे के लिये गुणवत्तापूर्ण दिन में देखभाल की सुविधा प्रदान करने तथा शिशुगृह की स्थापना हेतु सहायता करने के लिये भारत सरकार द्वारा कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये राजीव गाँधी राष्ट्रीय शिशुगृह योजना का आरम्भ किया गया। यह छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये देखभाल तथा शिक्षा सेवाएं प्रदान करता है।

4.3.9 मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा-निर्देश [National Minimum Guidelines for Setting up and Running Creches under Maternity Benefit Act 2017]

भारत सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा निर्देश तैयार किये हैं। अधिनियम के तहत 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संस्थान में क्रेच की सुविधा अनिवार्य है।

यह छः माह से लेकर छः वर्ष तक के बच्चों के लिये क्रेच की स्थापना तथा संचालन तथा इन क्रेच की गुणवत्ता के मानकीकरण हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करता है। क्रेच में प्रत्येक बच्चे की सम्पूर्ण विकास तथा देखभाल की सुनिश्चितता हेतु इसमें स्थान, समय, आधारभूत ढाँचे, उपकरण, स्वास्थ्य तथा पोषण सेवाओं, सुरक्षा तथा संरक्षण, प्रशिक्षित मानव संसाधन, माता-पिता की व्यस्तता तथा अन्य प्रमुख मापदण्डों के बारे में व्याख्या की गयी है। ये दिशा-निर्देश प्रारम्भिक बाल्यावस्था विकास के वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित हैं और छोटे बच्चों और उनके माता-पिता के सर्वोत्तम हितों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। कुछ मानकों को ऐसे समूह में वर्गीकृत किया गया है जिनमें बदलाव संभव नहीं है जबकि कुछ वरीयतायुक्त मानक ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता और स्थिति के अनुसार समीक्षा की जा सकती है और बदलाव के बाद अपनाया जा सकता है।

4.4 पाठ्यचर्या की रूपरेखाएँ [Curriculum Frameworks]

शैक्षणिक संस्थानों को अध्ययन के एक निश्चित स्तर तथा क्षेत्र के लिये पाठ्यक्रम की विषयवस्तु, शिक्षणशास्त्र तथा प्रतिफल के विषय में मार्गदर्शन हेतु कुछ सरकारी निकायों को पाठ्यचर्या की रूपरेखा के प्रारूपण तथा निर्माण हेतु उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

पाठ्यचर्या की रूपरेखा को वांछित अधिगम परिणामों की प्राप्ति हेतु एक निश्चित स्तर पर बच्चों को दिये जाने वाले समस्त अधिगम अनुभवों को निर्देशित करने के लिये व्यापक तथा संगठित दिशा-निर्देशों अथवा मानदण्डों के समुच्चय के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह आकलन प्रक्रिया सहित बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, के बारे में दिशा-निर्देश प्रदान करती है।

आइए, ईसीसीई से सम्बन्धित पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं के बारे में अध्ययन करें।

4.4.1 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 [National Curriculum Framework (NCF), 2005]

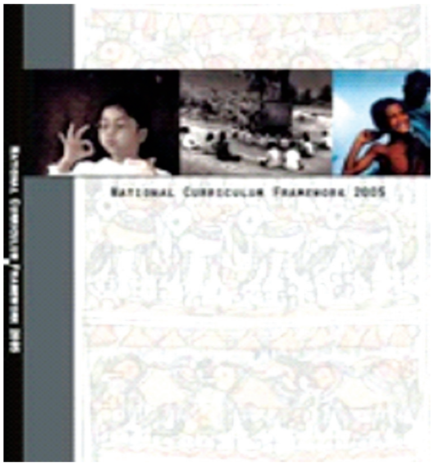

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करती है जो कि भारत में विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रमों के लिये पाठ्यचर्या विकास तथा शिक्षण अभ्यासों के लिये रूपरेखा प्रदान करती है। ईसीसीई के सन्दर्भ में रूपरेखा छोटे बच्चों को उनके शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा संवेगात्मक सहित समग्र विकास हेतु देखभाल, अवसर तथा अनुभव प्रदान करने का समर्थ करती है। यह ईसीसीई को औपचारिक विद्यालयी शिक्षा की तैयारी के रूप में स्वीकार करती है और ईसीसीई में खेल आधारित विकासोचित पाठ्यचर्या का समर्थन करती है।

4.4.2 राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2013 [National Early Childhood Care and Education (ECCE) Curriculum Framework, 2013]

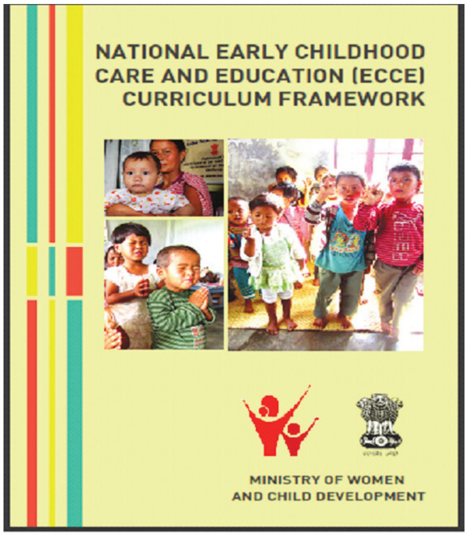

राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2013 एक महत्वपूर्ण तथा व्यापक मार्गदर्शक दस्तावेज है। इसका उद्देश्य पूरे देश में प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। यह जन्म से लेकर पूर्व-प्राथमिक वर्षों तक सभी बच्चों को समृद्ध प्रारम्भिक उद्दीपन तथा गुणवत्तापूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान करने का इरादा रखती है। यह बच्चों के समग्र विकास तथा अधिगम पर बल देती है। इसका उद्देश्य अनुकूल वातावरण का निर्माण करना तथा बच्चों की विकासात्मक तथा सन्दर्भात्मक आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यकता आधारित इनपुट प्रदान करना है। ईसीसीई की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में रूपरेखा, माता-पिता, परिवार तथा समुदाय की सहभागिता के महत्व को स्वीकार करती है।

पाठगत प्रश्न 4.2

नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य लिखिए–

(अ) कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये राजीव गाँधी राष्ट्रीय शिशुगृह योजना का उद्देश्य कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये शिशुगृह की स्थापना तथा गुणवत्तापूर्ण दिन में देखभाल की सुविधा प्रदान करना है।

(ब) समग्र शिक्षा अभियान पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से लेकर डिग्री स्तर तक की शिक्षा को समाहित करता है।

(स) राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की रूपरेखा का उद्देश्य ईसीसीई में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है।

(द) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) भारत सरकार द्वारा 1979 में आरम्भ की गयी।

(ई) क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु राष्ट्री न्यूनतम दिशा-निर्देश छः माह से लेकर छः वर्ष तक के बच्चों के लिये क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु तैयार किये गये थे।

टिप्पणी

4.5 ईसीसीई के विभिन्न सेवा प्रदाता

भारत में सरकारी, निजी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में विभिन्न संगठनों द्वारा ईसीसीई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आइए, इनके बारे में अध्ययन करें।

4.5.1 सरकारी क्षेत्र

जैसा कि पिछले भाग में आप पढ़ चुके हैं कि सभी छोटे बच्चों को देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण तथा अधिगम अनुभव तथा शिक्षा प्रदान करने के लिये भारत सरकार ने कई कदम उठाये हैं। 1975 में आरम्भ हुई एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) ईसीसीई प्रदान करने के लिये अधिदेशित विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। इस पाठ के पिछले भाग में आपने आईसीडीएस की सेवाओं और उद्देश्यों के बारे में अध्ययन किया है। आँगनवाड़ी नामक केन्द्रों के द्वारा ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन केन्द्रों का उद्देश्य बच्चों को उनके समग्र विकास हेतु उद्दीपित तथा समृद्ध वातावरण प्रदान करना है।

4.5.2 निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्र भी ईसीसीई के सेवा प्रदाताओं में से है। इसमें स्टैंड-एलोन पूर्व-प्राथमिक विद्यालय, स्वस्वामित्व वाले पूर्व-प्राथमिक विद्यालय तथा फ्रेन्चाइजी शामिल हैं। देश में, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन विद्यालयों की पहुँच तेजी से बढ़ रही है। इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता भिन्न-भिन्न होती है जिसे विनियमित किये जाने की जरूरत है।

4.5.3 गैरसरकारी क्षेत्र

ईसीसीई सेवाएं स्वयंसेवी तथा गैरसरकारी संगठनों द्वारा भी प्रदान की जा रही हैं। ये बड़े पैमाने पर न्यासों, सोसाइटी, धार्मिक समूहों द्वारा संचालित की जाती हैं तथा सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेन्सियों द्वारा चलायी जाती हैं। इनकी पहुँच तथा इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रकार भिन्न होते हैं।

इन सभी सेवा-प्रदाताओं की गतिविधियों को सुसंगत बनाये जाने की आवश्यकता है। सम्बन्धित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे राज्य के सेवा प्रतिपादन मानकों, मानदण्डों और नियमों के अनुरूप कार्य करें।

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा कि–

- देश में सभी बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा विभिन्न नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार किये

गये। यह हस्तक्षेप प्रारम्भिक वर्षों में सभी छोटे बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल तथा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से हैं।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 छोटे बच्चों के समग्र विकास पर केन्द्रित है और ईसीसीई को देश में प्राथमिक शिक्षा को सशक्त बनाने के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप देखती है।
- देश में अल्पपोषण तथा कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण नीति, 1993 तैयार की गयी।
- राष्ट्रीय बाल नीति (एनपीसी), 2013 सभी बच्चों के स्वस्थ विकास तथा संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करती है। यह उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, विकास, शिक्षा, संरक्षण और सहभागिता को प्रत्येक बच्चे के निर्विवाद अधिकारों के रूप में पहचान करती है।
- राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति 2013, छः वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच के लिये प्रतिबद्ध है। निःशुल्क, सार्वभौमिक, समावेशी, समतामूलक, आनन्दपूर्ण तथा नींव डालने तथा पूर्ण क्षमता की प्राप्ति हेतु सन्दर्भात्मक अवसरों के प्रोत्साहन द्वारा नीति की दृष्टि छः वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के समग्र विकास तथा सक्रिय अधिगम क्षमता की प्राप्ति करने की है।
- बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016, (एनपीएसी) सभी बच्चों के उत्तरजीविता, आत्म-सम्मान, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, विकास, संरक्षण और सहभागिता के अधिकारों को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।
- 2022 तक भारत की कुपोषण से मुक्ति की सुनिश्चितता को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान), 2018 आरम्भ किया गया।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), समतामूलक, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की सार्वभौमिक पहुँच की उपलब्धि पर विचार करता है जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह तथा उत्तरदायी हों।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी), 2017 का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य में निवेश, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का संगठन, रोगों की रोकथाम तथा अच्छे स्वास्थ्य को प्रोत्साहन जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को आकार देना है।
- देश में रणनीतिक हस्तक्षेपों के साथ रोके जा सकने योग्य नवजात शिशुओं की मृत्यु तथा मृतप्रसव को कम करने के लिये 2014 में भारत नवजात शिशु कार्य योजना (आईएनएपी), 2014 आरम्भ हुई।
- 1975 में आरम्भ एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) 0-6 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास हेतु एक अनूठा

कार्यक्रम है। योजना अपनी सेवाओं के रूप में पूरक पोषण, पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी अनौपचारिक शिक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच तथा निर्देशपरक सेवा को शामिल करती है।

- एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) का लक्ष्य कठिन परिस्थितियों के बच्चों के साथ अन्य असुरक्षित बच्चों के लिये सुरक्षित वातावरण का निर्माण है।
- सारे देश में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकायों के विद्यालय, शिक्षा गारण्टी योजना (ईजीएस) तथा वैकल्पिक तथा नवचारिक शिक्षा (एआईई) केन्द्रों की प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) का लक्ष्य है।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से लेकर कक्षा 12 तक की विद्यालयी शिक्षा हेतु समग्र शिक्षा अभियान का आरम्भ 2018 में हुआ। इसका उद्देश्य पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।
- कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये राजीव गाँधी राष्ट्रीय शिशुगृह योजना कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये शिशुगृह की स्थापना तथा गुणवत्तापूर्ण दिन में देखभाल की सुविधा प्रदान करने में सहायता करती है।
- छः माह से लेकर छः वर्ष तक के बच्चों के लिये क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के अन्तर्गत क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा-निर्देश तैयार किये गये थे।
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ), 2005 छोटे बच्चों को उनके समग्र विकास हेतु देखभाल, अवसर तथा अनुभव प्रदान करने पर बल देती है।
- राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2013 ईसीसीई में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिये दिशा-निर्देश प्रदान करती है। यह जन्म से लेकर पूर्व-प्राथमिक वर्षों तक सभी बच्चों को उनके समग्र विकास तथा अधिगम के लिये समृद्ध प्रारम्भिक उद्दीपन तथा गुणवत्तापूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान करने का इरादा रखती है।
- सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रों में ईसीसीई के विभिन्न सेवा-प्रदाता हैं। इन सभी ईसीसीई सेवा-प्रदाताओं की गतिविधियों को मानकों, मानदण्डों और नियमों के अनुरूप सुसंगत बनाये जाने की आवश्यकता है।

पाठान्त प्रश्न

1. देश में ईसीसीई से सम्बन्धित विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की सूची बनाइए।

2. पाठ्यचर्या की रूपरेखा से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2013 पर टिप्पणी कीजिए।

3. ईसीसीई के विभिन्न सेवा-प्रदाताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

4.1

(अ) अन्तिम बच्चा पहले

(ब) 2022

(स) नवजात शिशुओं की मृत्यु तथा मृत प्रसव

(द) अत्यधिक महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति

(ई) समग्र विकास, सक्रिय अधिगम

4.2

1. सत्य 2. असत्य 3. सत्य 4. असत्य 5. सत्य

संदर्भ

- Ministry of Health & Family Welfare. (2014). *India Newborn Action Plan, 2014*. Retrieved from www.newbornwhocc.org/INAP_Final.pdf
- Ministry of Health & Family Welfare. (2011). *Janani Shishu Suraksha Karyakram (JSSK)*. Retrieved from https://www.nhp.gov.in/janani- shishu-suraksha-karyakaram-jssk_pg
- Ministry of Health & Family Welfare. (2005). *Janani Suraksha Yojana (JSY)*.Retrieved from https://www.nhp.gov.in/janani-suraksha-yojana-jsy-_pg
- Ministry of Health & Family Welfare. (2017). *National Health Policy, 2017*. Retrieved from https://www.nhp.gov.in/nhpfiles/national_health_policy_2017.pdf
- Ministry of Health & Family Welfare. *Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK)*. Retrieved from https://rbsk.gov.in
- Ministry of Health & Family Welfare. *The National Health Mission (NHM)*. Retrieved from https://mohfw.gov.in

टिप्पणी

- Ministry of Human Resource Development. (1995). *Mid Day Meal Scheme, 1995*. Retrieved from http://mdm.nic.in/mdm_website/
- Ministry of Human Resource Development. (2018). *Padhe Bharat Badhe Bharat*. Retrieved from https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/Padhe-Bharat-Badhe-Bharat.pdf
- Ministry of Human Resource Development. (2018). *Samagra Shiksha Abhiyan, 2018*. Retrieved from http://samagra.mhrd.gov.in/early_childhood.html
- Ministry of Human Resource Development (1986). *The National Policy on Education, 1986*. Retrieved from https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/npe.pdf
- Ministry of Human Resource Development. (2012). 12th *Five Year Plan (2012-17)*. Retrieved from https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/ files/document-reports/XIIFYP_SocialSector.pdf
- Ministry of Women and Child Development. (1975). Integrated *Child Development Services (ICDS) Scheme*. Retrieved from https:/ /icds-wcd.nic.in/icds.aspx
- Ministry of Women and Child Development. (2019). *Integrated Child Protection Scheme (ICPS), 2009*. Retrieved from https://wcd.nic.in/integrated- child-protection-scheme-ICPS
- Ministry of Women and Child Development. (2017). *National Minimum Guidelines for Setting up and Running Crèches under Maternity Benefit Act, 2017*. New Delhi. Retrieved from https://wcd.nic.in/act/national-minimum- guidelines-setting-and-running-creches-under-maternity-benefit-act-2017
- Ministry of Women and Child Development. (2013). *National Early Childhood Care and Education (ECCE) Curriculum Framework, 2013*. Retrieved from https://wcd.nic.in/sites/default/files/national_ecce_curr_framework_final
- Ministry of Women and Child Development. (2013*). National Early Childhood Care and Education Policy, 2013*. Retrieved fromhttps://wcd.nic.in/ sites/default/files/National%20Early%20Childhood%20Care%20 and%20Education-Resolution.pdf
- Ministry of Women and Child Development. (1993). *National Nutrition Policy, 1993*. Retrieved from https://wcd.nic.in/sites/default/files/nnp_0.pdf
- Ministry of Women and Child Development. (2016). *National Plan of Action for Children, 2016*. Retrieved from https://wcd.nic.in

- Ministry of Women and Child Development. (2018). *National Nutrition Mission (POSHAN Abhiyan), 2018*. Retrieved from https://www.india.gov.in/spotlight/poshan-abhiyaan-pms-overarching-scheme-holistic-nourishment
- Ministry of Women and Child Development. *Rajiv Gandhi National Crèche Scheme for the Children of Working Mothers*. Retrieved from https://wcd.nic.in/sites/default/files/RajivGandhiCrecheScheme.pdf
- Ministry of Women and Child Development. (2013). *The National Policy for Children, 2013*. Retrieved fromhttps://wcd.nic.in/sites/default/files/npcenglish08072013_0.pdf
- National Council of Educational Research and Training. (2005). *National Curriculum Framework, 2005*. Retrieved from http://www.ncert. nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf

टिप्पणी

5

ईसीसीई के मुद्दे एवं दिशा-निर्देश

प्रारम्भिक बाल्यावस्था ऐसी महत्वपूर्ण अवधि है जो बाद के अधिगम और विकास के लिये आधार तैयार करती है। इस अवधि में प्रदान किये गये अनुभव और अवसर बच्चे के विकास विशेष रूप से मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करते हैं। इसलिये गुणवत्तापूर्ण और समतामूलक प्रारम्भिक देखभाल और शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य है।

शिक्षा के लिये इंचियोन घोषणा, 2030 भी सभी बच्चों के लिये कम से कम एक वर्ष की गुणवत्तापूर्ण अनिवार्य और नि:शुल्क पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान को प्रोत्साहित करती है। इस दृष्टिकोण के साथ भारत प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) सेवाओं और कार्यक्रमों मे समतामूलक पहुँच और आरम्भिक निवेश महत्वपूर्ण हो गये हैं। भारत सरकार द्वारा की गयी पहल में इस वैश्विक ईसीसीई प्रतिबद्धता का पालन और प्रभाव स्पष्टता से प्रतिबिम्बित होता है। हाल ही में एनसीईआरटी और न्यूपा द्वारा कराया गया अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण सभी बच्चों के लिये ईसीसीई सेवाओं में सतत वृद्धि का संकेत करता है। हालाँकि सर्वेक्षणों से पता चलता है तीन से छ: आयु वर्ग के बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई उसमें भी विशेष रूप से शैक्षणिक घटक अच्छी अवस्था में नहीं है। इसके पीछे के कारणों में आयु और विकास के अनुरूप उपयुक्त पाठ्यक्रम, सुविधाओं, आधारभूत ढाँचे, शिक्षण-अधिगम-सामग्री, संसाधनों, आवश्यक निधियों, योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों, मानक मूल्यांकन प्रणाली तथा सम्मिलन का अभाव है। इसके अतिरिक्त औपचारिक शिक्षा का प्रभाव, रट कर याद करना, कक्षाकक्ष की व्यवस्था तथा उसके प्रदर्शन पर पर्याप्त ध्यान न देना, बच्चों की आयु, उनके विकास की आवश्यकताएँ तथा उनकी योग्यताओं की जानकारी न होना, सामुदायिक स्वामित्व की कमी, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी आदतों का अभाव आदि अन्य नाजुक मुद्दे हैं। व्यक्तिगत, संस्थानिक तथा सरकारी स्तरों पर इन पर ध्यान देने तथा सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप–

- ईसीसीई के मुद्दों की व्याख्या करता है; और
- ईसीसीई के मुद्दों के समाधान के लिये विभिन्न दिशा-निर्देशों के बारे में परिचर्चा करता है।

5.1 प्रारंभिक बाल्यवस्था देखभाल और शिक्षा के मुद्दे

यहाँ कुछ संवेदनशील मुद्दे ऐसे हैं जिन पर समुचित ढंग से ध्यान नहीं दिया गया है, सम्भवतः इसलिये कि हमने व्यक्तिगत या सरकारी दोनों ही स्तरों पर ईसीसीई के गुणवत्ता के मानकों के साथ समझौता कर लिया। इसलिए ईसीसीई कार्यक्रमों के नियोजन, कार्यान्वयन तथा देख-रेख की अवधि में इन्हें ध्यान में नहीं लाया जा रहा है। आइए, इनमें से कुछ मुद्दों का विस्तार से अध्ययन करते हैं।

5.1.1 प्रवेश की प्रक्रिया

ईसीसीई केन्द्रों की प्रवेश-प्रक्रिया में मुख्य रूप से प्रवेश की तिथि, प्रवेश की आयु तथा उचित प्रवेश-प्रक्रिया में बहुत अधिक स्पष्टता या पारदर्शिता नहीं है। यह देखा गया है कि पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का नामांकन विशेष रूप से महानगरों तथा अन्य बड़े शहरों में औपचारिक परीक्षण द्वारा किया जाता है। सम्भवतः पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश के लिये आवेदकों की एक बड़ी संख्या के कारण ऐसा हो रहा है। इस तरह का चलन बच्चों की अस्वीकृति को बढ़ावा देती हैं जो कि इस अल्पवयस्कता में उनके आत्म-विश्वास और आत्म-सम्मान को नष्ट कर सकती है।

5.1.2 आधारभूत ढाँचा, सामग्री तथा कक्षाकक्ष का वातावरण

ईसीसीई केन्द्रों में आयु और विकास के अनुरूप उपकरणों और खेल-सामग्री का अभाव है। अधिकांशतः ईसीसीई केन्द्रों में नामांकित बच्चों की संख्या के लिये ये अपर्याप्त हैं। ईसीसीई केन्द्रों पर प्रदान की जाने वाली खेल-सामग्री मानदण्डों को पूरा नहीं करती और न ही अच्छी तरह उनका रख-रखाव है। कुछ स्थितियों में यह सामग्री सुरक्षित नहीं है और न ही शिक्षक द्वारा उचित ढंग से उपयोग में लायी जाती है। इसके अलावा कक्षा का वातावरण बच्चों को अधिगम के लिये सामग्री के परिचालन तथा खोज के अवसर प्रदान नहीं करता।

5.1.3 शिक्षक

ईसीसीई कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिये योग्य एवं सुप्रशिक्षित शिक्षक महत्वपूर्ण हैं। शिक्षकों के मुद्दे उनकी योग्यता, नियुक्ति, वेतन तथा प्रशिक्षण/क्षमता-निर्माण से सम्बन्धित हैं। नियुक्त ईसीसीई शिक्षकों की योग्यताओं में बहुत अन्तर है। वे या तो नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग (एनटीटी) होते हैं या फिर शिक्षा-स्नातक (बी.एड.)। पूर्व-सेवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसे कि एनटीटी, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र आधारित पाठ्यक्रम हर जगह कुकुरमुत्तों की तरह निरन्तर

टिप्पणी

बढ़ रही अनियमित संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं। इसी प्रकार बिना किसी उपयुक्त प्राधिकारी की मान्यता के कुछ विनियमित संस्थाएं विभिन्न अवधि के विविध प्रकार के ईसीसीई या एनटीटी पाठ्यक्रम संचालित कर रही है। पूरे देश में शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण किन्तु उपेक्षित और अविकसित क्षेत्र है। नवीनतम विकास जो कि मुख्य रूप से टेक्नालॉजी और शिक्षण-अधिगम-प्रक्रिया के उपयोग से सम्बन्धित है, के साथ-साथ चलने में सहायता के लिये ईसीसीई शिक्षकों की क्षमता-निर्माण के लिये सेवारत प्रशिक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

ईसीसीई शिक्षकों के वेतनमानों में भी भिन्नताएं हैं और अधिकांश को बहुत कम वेतन मिलता है। अधिकांश ईसीसीई केन्द्रों में बच्चों की संख्या बहुत अधिक है और कक्षा में केवल एक ही शिक्षक है।

5.1.4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया

ईसीसीई केन्द्रों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया खेल और गतिविधि आधारित होनी चाहिए। हालाँकि अधिकांश केन्द्र, विशेषत: निजी क्षेत्रों के, औपचारिक शिक्षण विधियाँ अपनाते हैं। ये विधियाँ बच्चों को प्रश्न पूछने के, प्रयोग करने के, अन्वेषण के तथा सहभागिता के बहुत कम अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार बच्चों को शिक्षक द्वारा प्रदान की जा रही सूचनाओं का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता बनाना, उनकी कल्पना और सृजनात्मक चिन्तन के कौशलों को रोकता है।

बच्चे मातृभाषा में बेहतर रूप से सीखते हैं। यह जानने के बाद भी अधिकांश ईसीसीई केन्द्र बच्चों को पढ़ाने और बातचीत के लिये अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। इस कारण से बच्चे स्वतन्त्रतापूर्वक बातचीत तथा अभिव्यक्ति के अवसर कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं।

पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों द्वारा प्रदान किया जाने वाला विशाल, उबाऊ और उम्र के हिसाब से अनुपयुक्त गृहकार्य एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस कारण बच्चे दबाव में आ जाते हैं और यह स्थिति घर में बच्चे की स्वतन्त्रता का हरण कर लेती है। कभी-कभी यह दबाव अभिभावकों को भी स्थानान्तरित हो जाता है।

अधिकांश ईसीसीई केन्द्र बच्चों के मूल्यांकन के लिये समुचित मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन नहीं करते और उनकी प्रगति को एकतरफा ढंग से मानकीकृत परीक्षणों और साक्षात्कारों द्वारा अंकित किया जाता है।

5.1.5 पाठ्यक्रम

छोटे बच्चों की विशेषताओं, जरूरतों और विकास को ध्यान में रखते हुए उनके लिये व्यवस्थित सभी प्रकार के नियोजित अनुभव पाठ्यक्रम में समाहित होते हैं। वर्तमान में ईसीसीई के लिये कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। हालाँकि, महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय (एमडब्लूसीडी) ने ईसीसीई के लिये एक पाठ्यक्रम की रूपरेखा विकसित की है जिसमें बच्चों को शिक्षण-अधिगम के केन्द्र में रखा गया है और छोटे बच्चों के अधिगम अनुभवों की व्यवस्था के लिये खेल विधि आधारित उपागम का सुझाव दिया गया है। इन दिशा-निर्देशों की उपलब्धता के बाद

भी अधिकांश ईसीसीई केन्द्र अपने शिक्षण को इस पाठ्यक्रम के प्रारूप के अनुरूप बनाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।

5.1.6 समावेशन तथा लैंगिक समानता

समावेशन तथा लैंगिक समानता ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जीवन के आरम्भिक चरण में ही ध्यान जाने की जरूरत है। बच्चों में भिन्नताओं की उपस्थिति के बाद भी एक समावेशित पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के वातावरण में सभी बच्चों के लिये समतामूलक और सम्मानजनक वातावरण समाहित होता है। इस प्रकार का वातावरण बच्चों में स्व-अस्तित्व के प्रति सकारात्मकता तथा अपनेपन की भावना के विकास के लिये अपरिहार्य है। लैंगिक पहचान का निर्माण भी पूर्व बाल्यावस्था की अवधि में ही विकसित होता है। इस अवधि के दौरान लिंग तथा समावेशन सम्बन्धी मुद्दों से निपटने के लिये प्राय: शिक्षक न तो सचेत होते हैं और न ही प्रशिक्षित होते हैं। सभी बच्चों के लिये सुलभ तथा सम्मानजनक वातावरण के निर्माण के लिये सरकारी तथा ईसीसीई केन्द्रों के स्तर पर ठोस प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

5.1.7 प्रशासनिक/प्रबन्धकीय मुद्दे

एक ईसीसीई केन्द्र के विकास और स्थिरता के लिये प्रशासन और प्रबंधन के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। इन मुद्दों में निम्नलिखित बिन्दु समाहित हैं:

- **निगरानी एवं पर्यवेक्षण:** निगरानी एवं पर्यवेक्षण तन्त्र, ईसीसीई केन्द्र के प्रशासन और प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। हालाँकि यह ईसीसीई कार्यक्रमों के सबसे कमजोर पहलुओं में से एक है। ईसीसीई केन्द्रों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये बड़े और छोटे दोनों ही स्तरों पर कोई स्पष्ट निगरानी एवं पर्यवेक्षण तन्त्र नहीं है। भागीदार जैसे कि शिक्षक, अभिभावक, नीति-निर्माता, शैक्षिक नियोजक और प्रशासक आदि भी इस व्यवस्था और इसमें विभिन्न स्तरों पर अपनी भूमिका के प्रति जागरूक नहीं है। इसलिये ईसीसीई केन्द्रों की गुणवत्ता के प्रावधानों में योगदान देने में सक्षम नहीं है।

- **नियामक ढाँचा :** मौजूदा ईसीसीई केन्द्रों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने तथा अनियमित ईसीसीई केन्द्रों की बाढ़ को रोकने के लिये, जो कि ईसीसीई के गुणवत्ता के न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं करते, एक मजबूत नियामक ढाँचा अनिवार्य है। हाँलाकि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर दोनों पर ही कोई सुपरिभाषित नियामक ढाँचा उपलब्ध नहीं है। कुछ राज्यों ने अपना राज्य स्तरीय नियामक ढाँचा विकसित किया है जो अन्य राज्यों के सन्दर्भ में लागू नहीं किया जा सकता। हाँलाकि यह जानना उत्साहजनक है कि एमडब्लूसीडी ने एक राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद का गठन किया है जो कि क्रियाशील नहीं है लेकिन उचित दिशा में उठाया गया कदम है।

- **सम्मिलन/समन्वय :** सरकारों के बीच एक मजबूत और सुसंगत सम्मिलन/समन्वय की कमी है जिससे कि उनकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्व के प्रति अनिश्चितता बढ़ती है।

टिप्पणी

शिक्षा, देखभाल, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी बच्चों की आवश्यकताओं पर विभिन्न मन्त्रालय और संस्थान भी इसी प्रकार से ध्यान देते हैं। इसलिये बच्चों के विभिन्न कार्यक्रमों तथा सेवाओं हेतु संस्थानों, सम्बन्धित मन्त्रालयों तथा सरकारों के बीच का एक मजबूत और सुसंगत सम्मिलन/समन्वय का निर्माण अत्यधिक आवश्यक है।

पाठगत प्रश्न 5.1

स्तम्भ (अ) तथा स्तम्भ (ब) का मिलान कीजिए–

स्तम्भ (अ)	स्तम्भ (ब)
(1) सम्मिलन/समन्वय	(अ) योग्य तथा प्रशिक्षित
(2) खेल सामग्री	(ब) खेल तथा गतिविधि आधारित
(3) शिक्षण अधिगम प्रक्रिया	(स) गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई कार्यक्रम
(4) नियामक ढाँचा	(द) पर्याप्त
(5) ईसीसीई शिक्षक	(ई) मन्त्रालय एवं सरकार

गतिविधि 5.1

अपने आस-पड़ोस के अभिभावकों के उन मुद्दों तथा चुनौतियों के बारे में परिचर्चा कीजिए जिनका सामना उन्हें अपने छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए करना पड़ा।

5.2 मुद्दों के निराकरण हेतु दिशा-निर्देश

अब तक हमने ईसीसीई के विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए कुछ मुद्दों के बारे में चर्चा की है। यद्यपि ये मुद्दे अस्तित्व में हैं, परन्तु सभी भागीदारों के संयुक्त प्रयासों द्वारा इनका समाधान सम्भव है। ये प्रयास सभी बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई कार्यक्रमों की सुलभता को सुनिश्चित करेंगे। इस सन्दर्भ में उपर्युक्त मुद्दों के समाधान हेतु व्यावहारिक हल के रूप में नीचे कुछ दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

5.2.1 प्रवेश की प्रक्रिया

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की प्रवेश की तिथि, प्रवेश की आयु तथा नामांकन-प्रक्रिया एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग है। हालाँकि एक शैक्षणिक वर्ष में 31 मार्च को तीन वर्ष की

आयु पूर्ण करने वाले बच्चे पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी कार्यक्रम में प्रवेश हेतु तैयार हो जाते हैं। यह वह समय है जब बच्चे परिवार से अलग होने की चिन्ता का प्रबंधन कर पाते हैं, कुछ शाब्दिक योग्यता विकसित कर पाते हैं, मूलभूत आवश्यकताएँ बता पाते हैं और शौचालय हेतु प्रशिक्षित हो जाते हैं।

इसके साथ ही पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश हेतु मूल्यांकन-उपकरण के रूप में प्रवेश के समय मूल्यांकन/साक्षात्कार/बच्चों और अभिभावकों के साथ अन्तर्क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इन परीक्षणों से होने वाली चिन्ता से छोटे बच्चों को बचाने के लिये प्रवेश-परीक्षा को समाप्त किया जाना अपरिहार्य है। बच्चों के नामांकन हेतु कुछ वैकल्पिक तरीकों जैसे पहले आओ-पहले पाओ पर आधारित या यादृच्छिक लॉटरी प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है।

परिवार के धर्म, क्षेत्र, जाति, नस्ल, लिंग, अशक्तता और सामाजिक-आर्थिक स्तर के आधार पर बच्चों के प्रवेश से इन्कार नहीं किया जाना चाहिए। पड़ोस में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

5.2.2 आधारभूत ढाँचा, सामग्री तथा कक्षाकक्ष का वातावरण

पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी केन्द्रों में सुरक्षित एवं पर्याप्त भीतरी और बाहरी स्थान होना चाहिए। 25 बच्चों के समूह को न्यूनतम 300/450 वर्ग मीटर का बाह्य स्थान और 35 मीटर का आन्तरिक स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह स्थान आयु और विकास के अनुरूप पर्याप्त संख्या में शिक्षण अधिगम सामग्री से सुसज्जित होना चाहिए। इसमें पर्याप्त प्रकाश, हवा, पीने का साफ पानी, स्वच्छ तथा बच्चों के अनुकूल शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। गतिविधि जैसे कि गुड़िया, विज्ञान, नृत्य/संगीत, कला आदि के क्षेत्रों का भी प्रावधान होना चाहिए। ये सभी सुविधाओं दिव्यांग बच्चों के लिये भी होना चाहिए।

5.2.3 शिक्षक, शैक्षणिक योग्यता, क्षमता-निर्माण तथा वेतन

एक शिक्षक जो कक्षा बारह उत्तीर्ण है और उसके पास नेशनल काउसिंल फॉर टीचर एजूकेशन (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा है, एक पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। सभी राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों

> काउन्सिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) भारत सरकार द्वारा 17 अगस्त 1990 को स्थापित एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसका अधिदेश देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को मुख्य रूप से विनियमन और मानकों तथा मानदण्डो के रखरखाव द्वारा विकसित करने और बनाये रखने के लिये है। इसने पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डीपीएसई) का पाठ्यक्रम तथा इनके विनियमन हेतु सम्बन्धित मानक तथा मानदण्ड विकसित किये हैं।

टिप्पणी

(डायट) को समस्त राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों में पूर्व-सेवा तथा सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आरम्भ करना चाहिए। क्षमता-निर्माण के दौरान शिक्षकों को ईसीसीई से जुड़े नवीन घटनाक्रमों और पहलुओं की ओर उन्मुख किया जाना चाहिए।

ईसीसीई शिक्षको के वेतनमानों को समीक्षित किया जा सकता है। प्रतिबद्ध एवं प्रतिभाशाली शिक्षकों को आकर्षित करने के लिये शिक्षकों को अच्छा वेतन दिया जाना चाहिए। पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षकों का वेतन प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन के बराबर किया जा सकता है।

पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी स्तर पर शिक्षक-बच्चा अनुपात को बनाये रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि छोटे बच्चों को बड़ों से अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है। उचित शिक्षक-बच्चा अनुपात शिक्षक और बच्चों के बीच एक बेहतर अन्तर्क्रिया में योगदान देता है। इस प्रकार तीन से छः आयु वर्ग के 20-25 बच्चों के लिए एक शिक्षक एवं एक सहायक नियुक्त किया जाना चाहिए जोकि उचित शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात है।

5.2.4 शिक्षा अधिगम प्रक्रिया

(अ) अधिगम-वातावरण का सृजन

छोटे बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूरा करने वाला एक अनुकूल कक्षाकक्ष का वातावरण ईसीसीई कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण कारक है। अतः कक्षाकक्ष के वातावरण और व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण है। विभिन्न गतिविधि क्षेत्र इस ढंग से बनाए जाने चाहिए कि बच्चों को अपनी रुचि के क्षेत्रों के अन्वेषण हेतु नियमित रूप से प्रचुर अवसर प्राप्त हों। स्थान ऐसे व्यवस्थित हो कि बच्चे अकेले, छोटे समूह या बड़े समूह में कार्य कर पाएं। सुनिश्चित करें कि कक्षाकक्ष में सभी उपकरण और सामग्री क्रियाशील, सरलता से सुलभ तथा सुरक्षित हों। कक्षाकक्ष की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अन्तर्क्रिया को बढ़ावा मिले और बच्चों को एक-दूसरे के साथ साझा करने, मिलजुलकर काम करने तथा एक-दूसरे का सहयोग करने के लिये प्रोत्साहन मिले।

(ब) शिक्षण तथा अनुदेशन हेतु विधियाँ

संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बालकेन्द्रित होनी चाहिए। पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण अधिगम की औपचारिक प्रणाली नहीं होनी चाहिए। इसलिये रटकर याद करने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। अधिगम अनुभवों का निर्माण खेल, गतिविधियों, प्रयोगों तथा अन्वेषणों द्वारा होना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। बच्चों को उनकी जिज्ञासाओं की सन्तुष्टि तथा सृजनात्मकता के विकास के लिये प्रचुर अवसर मिलने चाहिए जबकि शिक्षक के लिये आवश्यक है कि अधिगम को सुविधाजनक बनाने के लिये आयु और विकास के अनुरूप समुचित गतिविधियों और सामग्री का नियोजन करे।

(स) अनुदेशन की भाषा

ईसीसीई केन्द्र में अनुदेशन की भाषा, मातृभाषा होनी चाहिए। यदि बच्चे मातृभाषा या स्थानीय बोली बोलते हों तो शिक्षक को जितना सम्भव हो उतना कई भाषाओं के उपयोग की अनुमति देनी चाहिए। यह बच्चों को आत्माभिव्यक्ति करने में, कक्षा में सहभागिता करने में तथा एक-दूसरे से सीखने में सहायता करेगा।

बाद की शिक्षा हेतु तैयार करने के लिये मातृभाषा को प्रोत्साहित करते समय शिक्षक को विद्यालयी भाषा को भी प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिये पहले बच्चों को उनकी घर की भाषा या मातृभाषा में प्रवीणता हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए और उसके बाद विद्यालयी भाषा से परिचित कराया जाना चाहिए।

(द) गृहकार्य

प्री-स्कूल स्तर तथा पूर्व-प्राथमिक स्तर पर (कक्षा 1 तथा 2 पर) किसी भी प्रकार का गृहकार्य विशेष रूप से लिखित कार्य हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हालाँकि अधिगम को पुनर्बलित करने के लिये पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में पहले से की गयी गतिविधियों के अनुरूप बच्चों को घर पर करने के लिये कुछ गतिविधियाँ दी जा सकती हैं। जो अभिभावक गृहकार्य की माँग करते हैं उन्हें बच्चों पर गृहकार्य के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति जागरूक बनाया जाना चाहिए।

(ई) मूल्यांकन

बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन नियमित तथा व्यापक रूप से दैनिक निरीक्षणों, खेल गतिविधियों, अन्तर्क्रियाओं तथा एनेकडॉट्स के द्वारा भयरहित तरीके से किया जाना चाहिए। इन्हें नियमित रूप से दर्ज या प्रलेखित किया जाना चाहिए। बच्चे को पुनर्बलन प्रदान करने तथा बेहतर विकास हेतु सक्षम बनाने के दृष्टिकोण के साथ मूल्यांकन निर्माणात्मक होना चाहिए। किसी भी बच्चे का कोई औपचारिक परीक्षण या परीक्षा चाहे लिखित हो मौखिक, नहीं होना चाहिए। बच्चों में अशक्तता या विकासात्मक चुनौतियों की आरम्भिक पहचान करने तथा पता लगाने के लिये भी मूल्यांकन का उपयोग किया जायेगा।

5.2.5 पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चों को आयु और विकास के अनुरूप अधिगम अनुभव तथा अवसर प्रदान करे जिससे कि वे स्वयं को तथा अपने पर्यावरण को समझ सकें, गुण-दोष की दृष्टि से सोच सकें और अपनी दिन-प्रतिदिन की समस्याओं को हल कर सकें। पाठ्यक्रम को खेल-आधारित, सतत अधिगम को सुनिश्चित करने वाला, अन्तर्क्रिया हेतु अवसर प्रदान करने वाला, बच्चों की सहभागिता को निश्चित करने वाला, स्थानीय सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाला तथा विकास के समस्त आयामों को समाहित करते हुए शिक्षण की व्यवस्था करने वाला होना चाहिए। इसे बच्चों के अनूठेपन, अनुभवों की विविधता तथा स्थानीय एवं विशिष्ट सन्दर्भों

का आदर भी करना चाहिए। पाठ्यक्रम में भौतिक तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ अन्तर्क्रिया और अन्वेषण के द्वारा मूर्त अनुभवों पर बल दिया जाना चाहिए।

5.2.6 समावेशन तथा लैंगिक समानता

समानता को प्रोत्साहित करने के लिये कक्षाकक्ष में विविधता का आदर करना चाहिए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहिए। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के वातावरण को आधारभूत ढाँचे और शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबन्ध के सन्दर्भ में सुलभ बनाया जाना चाहिए। बच्चे में किसी विकासात्मक देरी का आरम्भ में ही पता लगाया जाना चाहिए। अतः पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी प्रशासन सभी बच्चों के शुरुआती विकास की जाँच करवा सकते हैं जिससे कि समय पर सहायता प्रदान की जा सके।

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय एक बेहतर स्थान हो सकता है जहाँ समावेशी तथा लिंग संवेदी पाठ्यक्रम प्रदान करके लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ा जा सकता है। शिक्षक को बालक तथा बालिकाओं दोनों से ही समान तथा उपयुक्त अपेक्षाएँ रखनी चाहिए। उन्हें बच्चों पर समान ध्यान तथा सम्मान देना चाहिए और समान अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए। खेल तथा अन्य गतिविधियों को लिंग अभिनति से मुक्त होना चाहिए।

5.2.7 प्रशासनिक/प्रबन्धकीय मुद्दे

(अ) **निगरानी एवं पर्यवेक्षण:** निगरानी एवं पर्यवेक्षण को ईसीसीई से सम्बन्धित मुद्दों की खोज और पहचानी गयी समस्याओं के समाधान तैयार करने पर केन्द्रित होना चाहिए। एक दृढ़ निगरानी तन्त्र की सहायता से प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के उद्देश्यों को काफी सीमा तक प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ ईसीसीई केन्द्र औपचारिक विद्यालय से सम्बद्ध है वहाँ केन्द्र के प्रमुख, पर्यवेक्षकों तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति (एसएमसी) की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिये जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी एवं पर्यवेक्षण की एक दृढ़ प्रणाली विकसित और क्रियान्वित की जानी चाहिए।

(ब) **विनियमन :** विनियमन ईसीसीई केन्द्रों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। ईसीसीई कार्यक्रमों और शिक्षक प्रशिक्षण का संचालन करने वाले संस्थानों के लिये मानक नियामक तन्त्र महत्वपूर्ण है। मानकों के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु एक समर्पित संस्था के निर्माण तथा मानकों के मापन हेतु मूल्यांकन उपकरण के विकास द्वारा ऐसा किया जा सकता है। एमडब्लूसीडी द्वारा गठित राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद को पूर्णतः कार्यात्मक बनाकर भी इसे बढ़ावा दिया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि अधिगम मानकों तथा एक नियामक ढाँचे के विकास एवं क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सरकार पर है।

(स) सम्मिलन/समन्वय : सरकार को बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा एवं संरक्षण पर ध्यान देने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों, संस्थानों तथा सम्बन्धित मन्त्रालयों के एक मजबूत और सुसंगत सम्मिलन के निर्माण का कार्य करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिये विभिन्न संगठनों एवं मन्त्रालयों में उनकी कार्य की प्रकृति के अनुरूप प्रशासनिक, स्वास्थ्य, क्षमता-निर्माण और निगरानी/पर्यवेक्षण सम्बन्धी कार्यों के सन्दर्भ में समन्वय होना चाहिए।

पाठगत प्रश्न 5.2

1. रिक्त स्थान भरिए–

   (क) बच्चे पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी कार्यक्रम में प्रवेश हेतु तैयार हो जाते हैं जब वे .... होते हैं।

   (ख) न्यूनतम .... वर्ग मीटर का आन्तरिक स्थान .... बच्चों के समूह को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

   (ग) पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा में डिप्लोमा .... द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

   (घ) बच्चे सर्वोत्तम अपनी .... भाषा में सीखते हैं।

   (ङ) प्रारम्भिक बाल्यावस्था के पाठ्यक्रम को .... और .... समुचित अधिगम अनुभव प्रदान करने वाला होना चाहिए।

2. बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सत्य हैं य असत्य :

   (क) शिक्षक को बालक तथा बालिकाओं दोनों से ही समान तथा उपयुक्त अपेक्षा रखनी चाहिए।

   (ख) सरकार को विभिन्न कार्यक्रमों, संस्थानों तथा सम्बन्धित मन्त्रालयों के सम्मिलन को हतोत्साहित करना चाहिए।

   (ग) छोटे बच्चों की लिखित या मौखिक परीक्षाएं ली जानी चाहिए।

   (घ) शिक्षकों को कक्षाकक्ष के वातावरण पर कम ध्यान देना चाहिए।

गतिविधि 5.2

इण्टरनेट की सहायता से छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा हेतु कार्यरत विभिन्न मन्त्रालयों के नामों का पता लगाइए।

टिप्पणी

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा कि–

- मुद्दे जो कि संबंधित है
  - प्रवेश-प्रक्रिया
  - आधारभूत ढाँचा और कक्षा का वातावरण
  - शिक्षक
  - शिक्षण अधिगम प्रक्रिया
  - पाठ्यक्रम
  - समावेशन और लिंग
  - प्रशासन
- व्यक्तिगत या संस्थानिक स्तर पर उपर्युक्त मुद्दों के निराकरण हेतु दिशा-निर्देश

पाठान्त प्रश्न

(1) ईसीसीई के प्रचलित मुद्दों पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए।

(2) ईसीसीई के प्रचलित मुद्दों के निराकरण हेतु सुझाव दीजिए।

(3) ईसीसीई के प्रशासनिक मुद्दों और उनके समाधान की नीतियों का वर्णन कीजिए।

(4) ईसीसीई में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

5.1

(1) ई

(2) द

(3) ब

(4) स

(5) अ

5.2

1. (क) परिवार से अलग होने की चिन्ता का प्रबंधन/कुछ सीमा तक शाब्दिक योग्यता का विकास/मूलभूत आवश्यकताओं को बताना/शौचालय हेतु प्रशिक्षित

   (ख) 35, 25

   (ग) एनसीटीई

   (घ) मातृ

   (ङ) आयु, विकास के अनुरूप

2. (क) सत्य

   (ख) असत्य

   (ग) असत्य

   (घ) असत्य

संदर्भ

- Chandra, R., Gulati, R. & Sharma, S. (2017). *Quality early childhood care and education in India: Initiatives, practice, challenges and enablers*. Asia-Pacific Journal of Research in Early Childhood Education, 11 (1), 41-67.
- Ministry of Women and Child Development. (2013) *National Early Childhood Care and Education (ECCE) Policy*. New Delhi: Government of India.
- Ministry of Women and Child Development .*Quality Standards for Early Childhood Care and Education*. New Delhi: Government of India.
- Ministry of Women and Child Development. (2014). *National Early Childhood Care and Education (ECCE) Curriculum Framework*. New Delhi: Government of India.
- National Council of Educational Research and Training. (2016). Eighth All India School Education Survey (8th AISES): As on 30th September, 2009- A Concise Report. Educational Survey Division (ESD), New Delhi: NCERT.
- National Council of Educational Research and Training. (2006). *Position Paper of the National Focus Group on Early Childhood Education*. New Delhi: NCERT.
- National Council of Educational Research and Training. (2005). *National Curriculum Framework, 2005*. New Delhi: NCERT.
- National University of Educational Planning and Administration. (2010). *Elementary Education in India: Analytical Report- Progress Towards UEE.* New Delhi.

- National Council of Teacher Education (NCTE). http://ncte.gov.in/
- Seth, K. (1996). *Minimum Specifications for Pre–Schools*. New Delhi: NCERT.
- Sharma, S., Sen, R. S. & Gulati, R. (2008). Early childhood development policy and programming in India: Critical issues and directions for paradigm change. *International Journal of Early Childhood, 40 (2).*
- United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2015b) *Incheon Declaration, Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all. World Education Forum-2015*. Incheon, Republic of Korea, 19-22 May, 2015.

6

वृद्धि और विकास

आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि एक नवजात शिशु बिना सहारे के नहीं बैठ सकता परंतु चार महीने का बच्चा सहारा मिलने पर एक मिनट तक बैठने के योग्य हो जाता है और नौ महीने तक के सभी छोटे बच्चे बिना सहारे के दस मिनट तक और उससे भी अधिक देर तक बैठ सकते हैं। इसी प्रकार प्रारंभिक वर्षों के दौरान, टॉडलर अवस्था में (1–3 वर्ष) बच्चों में स्पष्ट परिवर्तन देखे जाते हैं जब वे बढ़ते और विकासात्मक पड़ावों को प्राप्त करते हैं। यह हमें आश्चर्यचकित कर देता है कि छोटे बच्चों में विकास तीव्र गति से कैसे होता है? इसके साथ अन्य प्रश्न उठता है कि क्या समान आयु के सभी बच्चों में समान परिवर्तन होते हैं? क्या हम वृद्धि और विकास के अनुमानित तरीकों को पहचान सकते हैं? वे कौन-से कारक हैं जो बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं? इस पाठ के माध्यम से आप इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। आप पढ़ेंगे कि वृद्धि और विकास का क्या अर्थ है और कौन-से सिद्धांत उन्हें निर्देशित करते हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से भी आप परिचित होंगे।

अधिगम के प्रतिफल

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप–

- वृद्धि और विकास में अंतर करते हैं;
- विकास के विभिन्न सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन करते हैं;
- बच्चों के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के महत्त्व की व्याख्या करते हैं; और
- बच्चों के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करते हैं।

टिप्पणी

6.1 वृद्धि क्या है?

सामान्यत: हम वृद्धि और विकास को एक साथ पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं। वास्तव में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति में साथ-साथ चलती है अत: इसी कारण से हम इन्हें एक ही मान लेते हैं। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। हम इन दोनों अवधारणाओं में स्पष्ट रूप से अंतर कर सकते हैं। वस्तुत: दोनों में बहुत अन्तर है।

वृद्धि को समझने के लिए, नीचे दिए गए स्थान पर उन विशेषताओं को लिखिए जो यह स्पष्ट करती हैं कि बच्चे का विकास ठीक प्रकार से हो रहा है।

....

....

....

....

....

अभी आपने जो सूची तैयार की है, वह सभी वृद्धि के संकेतक हैं।

वृद्धि शरीर के परिमाण-संबंधी परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। वृद्धि के मुख्य संकेतक हैं–लंबाई या वजन में बढ़ोत्तरी, शारीरिक ढांचे और अनुपात में परिवर्तन। विकास के सभी आयामों में सतत रूप से परिवर्तन होते रहते हैं परंतु शारीरिक विकास में होने वाले परिवर्तन अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वृद्धि की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन परिवर्तनों को मापा जा सकता है। सभी बच्चों की वृद्धि परिवर्तनों के अनुक्रम, प्रकार तथा दिशा एक समान होती है। हालाँकि एक बच्चे की वृद्धि दर दूसरे से अलग हो सकती है। कुछ परिस्थितियों में खासतौर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति में आप विभिन्न विकासात्मक आयामों में विचलन पाएँगें।

जीवन के शुरुआती 2 वर्षों में वृद्धि तेजी से होती है। आप को यह जानकर आश्चर्य होगा कि जन्म से लेकर एक वर्ष तक के एक सुपोषित बच्चे की लंबाई में 50% तक की वृद्धि होती है। यद्यपि शरीर के सभी अंगों की वृद्धि की दर समान नहीं होती। जीवन के प्रारंभिक दो वर्षों के बाद वृद्धि में एक मोड़ आता है और वृद्धि की दर किशोरावस्था तक धीमी गति से होती है। तरुणावस्था में वृद्धि तेजी से होती है। तरुणाई में लंबाई एवं वज़न में तेजी से वृद्धि होती है। नीचे दी गई तालिका एक स्वस्थ बच्चे के जन्म से आठ वर्षों तक की लंबाई तथा वज़न में वृद्धि के नमूने को दर्शाती है।

विभिन्न आयु में लड़कियों/लड़कों का औसत वज़न और लंबाई

आयु	*वजन (कि.ग्रा.)*	*लंबाई (से.मी.)*
जन्म	3.3	50.5
3 माह	6.0	61.1
6 माह	7.8	67.8
9 माह	9.2	72.3

1 वर्ष	10.2	76.1
2 वर्ष	12.3	85.6
3 वर्ष	14.6	94.9
4 वर्ष	16.7	102.9
5 वर्ष	18.7	109.9
6 वर्ष	20.7	116.1
7 वर्ष	22.9	121.7
8 वर्ष	25.3	127.0

स्रोत: ICMR (1990), न्यूट्रिऐन्ट रिक्वायरमैंट एण्ड रिकमैंडिड डाइटरी एलाउंसेस फॉर इंडियन्स

शारीरिक वृद्धि को निश्चित अंतरालों पर, लंबाई और वज़न में बढ़ोतरी से मापा जाता है। एक नवजात शिशु की लंबाई 47 से.मी. से 52 से.मी. तक होती है। नवजात शिशु का वजन 2.4 किलोग्राम से 3.2 किलोग्राम तक होता है। सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष वज़न में बढ़ोत्तरी 2.0 से 2.5 किलोग्राम तक होती है। शैशवावस्था तथा टॉडलर अवस्था में बालक, बालिकाओं की अपेक्षा अधिक भारी और लंबे होते हैं। नियमित रूप से लंबाई और वजन दोनों में बढ़ोत्तरी, शारीरिक वृद्धि का एक अच्छा संकेतक है। लंबाई और वजन का चार्ट बच्चों के स्वास्थ्य और शारीरिक विकास को आँकने का अच्छा तरीका है। बच्चों के लिए विशेषकर ऐसे बच्चे, जो बार-बार बीमार हो जाते हैं, के लिए वृद्धि चार्ट अवश्य रखना चाहिए ताकि उनकी वृद्धि का निरीक्षण किया जा सके।

लंबाई एवं वज़न में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ बच्चों के शारीरिक अनुपात में भी परिवर्तन आता है। आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि एक नवजात शिशु का सिर अन्य शारीरिक अंगों की तुलना में बड़ा दिखता है। सिर का ऊपरी भाग बहुत बड़ा दिखाई देता है और चेहरा छोटा। धीरे-धीरे शारीरिक अनुपात में परिवर्तन होने से सिर उतना बड़ा नहीं दिखता। हालाँकि शैशवास्था से टॉडलर अवस्था तक निचला हिस्सा सदैव ही छोटा तथा कम विकसित होता है। जन्म के पश्चात अन्य शारीरिक अंगों की तुलना में सिर की वृद्धि अपेक्षाकृत कम होती है। दो साल की आयु में सिर का आकार बच्चे की लंबाई का एक-चौथाई हो जाता है। 3 वर्ष की आयु में चौड़ाई में वृद्धि 90% तक पूरी हो जाती है। हालाँकि, मस्तिष्क का क्रियात्मक विकास किशोरावस्था तक होता रहता है।

टॉडलर अवस्था में प्रथम वर्ष की तुलना में धड़, टांगे तथा हाथ-पैर तीव्र गति से बढ़ते हैं। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसकी बाहें, टाँगों के अनुपात में बड़ी दिखती हैं। जन्म के समय टाँगे छोटी और एक-दूसरे के समक्ष घूमी हुई होती हैं। जैसे-जैसे वे लंबाई में बढ़ती जाती हैं वे सीधी होती जाती हैं। जन्म से पहले तथा दूसरे वर्ष में एक शिशु की लंबाई जन्म से लगभग 40% से 60-75% क्रमश: बढ़ जाती है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप बच्चे का शरीर, प्रथम वर्ष की अपेक्षा अधिक संतुलित या आनुपातिक दिखता है। यह बच्चों को एक बेहतर संतुलन

प्राप्त करने में भी मदद करता है। वृद्धि का यह तरीका लड़कियों एवं लड़कों में समान रहता है परंतु सामान्य रूप से लड़कियाँ आकार में लड़कों से थोड़ी-सी छोटी होती हैं।

आइए, अब जानते हैं कि विकास क्या है?

6.2 विकास क्या है?

विकास शरीर, व्यवहार तथा अभिवृत्तियों में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। विकास को मापना कठिन है क्योंकि यह सभी परिवर्तन प्रकृति से गुणात्मक होते हैं। यह जान लेना अति आवश्यक है कि शारीरिक वृद्धि को परिमाणात्मक रूप से मापा जा सकता है। हालांकि कुछ निश्चित परिवर्तन जैसे संज्ञानात्मक तथा सामाजिक-संवेगात्मक परिपक्वता को परिमाणात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता। इन परिवर्तनों को गुणात्मक रूप से मापने की आवश्यकता होती है।

वास्तव में विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों द्वारा निर्धारित होता है। इनका वर्णन नीचे किया जा रहा है।

6.2.1 विकास के सिद्धांत

विकास एक सतत तथा परिवर्तनशील प्रक्रिया है

क्या बच्चे अचानक से चलना शुरू कर देते हैं या कुछ चरणों से गुजर कर वे चलना सीखते हैं? आपने इस बात पर जरूर ध्यान दिया होगा कि शैशवावस्था में जब बच्चा चलना सीखता है तो वह पहले रेंगना या सरकना सीखता है, फिर पकड़ कर खड़ा होना, फिर बिना सहारे के खड़ा होना और अन्ततः वह चलना सीख जाता है। यह बिंदु इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि विकास, परिवर्तन को प्रत्येक चरण में शामिल करता है तथा निरंतर चलता है। दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में हम इन परिवर्तनों पर कभी ध्यान देते हैं और कभी ध्यान नहीं देते। परंतु शरीर तथा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन जो लगातार होने वाले विकास के संकेतक हैं, चलते रहते हैं। विकास की प्रक्रिया कभी तेज हो जाती है और कभी धीरे, परंतु लगातार होती रहती है, यह कभी रुकती नहीं है। यहाँ यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि विकासात्मक प्रक्रिया में न केवल शारीरिक परिवर्तन बल्कि, बच्चे के सामाजिक-संवेगात्मक तथा संज्ञानात्मक विकास भी शामिल हैं।

विकास अनुक्रमिक है

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि बच्चा चलने से पहले खड़ा होना सीखता है तथा लिखना सीखने से पहले आड़ी-तिरछी लाइने खींचना सीखता है। यह स्पष्ट करता है कि विकास का एक पैटर्न है, जो क्रमबद्ध रूप में होता है। सभी बच्चे विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए सामान्यतः एक जैसे क्रमों का अनुसरण करते हैं।

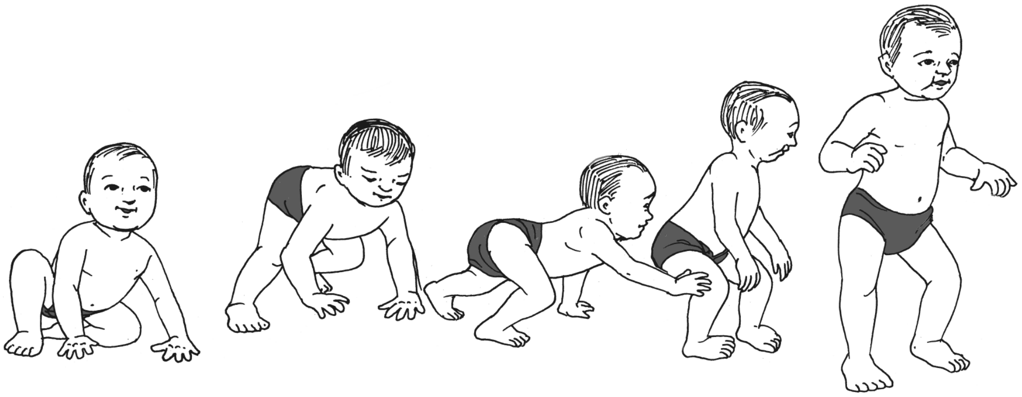

चित्र 6.1 : विकास क्रम

क्रमिक विकास दो दिशाओं में होता है। पहला शरीर के ऊपरी भाग से निचले भाग की ओर। यह सिर से पैर की ओर विकास शिर:पदाभिमुख (सिफेलोकॉडल) कहलाता है (लैटिन शब्द 'सिर से पाँव')। यह बताता है कि विकास बच्चों के सिर के क्षेत्र में पहले होता है जो कि धड़ से होता हुआ अंत में टाँगों तक पहुँचता है। यह क्रम समझने में मदद करता है कि बच्चे अपने धड़ पर नियंत्रण से पहले क्यों वस्तुओं को देखना सीखते हैं और वे खड़ा होने से पहले बैठना सीखते हैं।

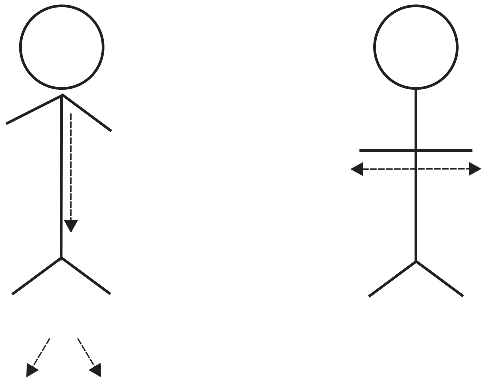

शिर:पदाभिमुख (सिफेलोकॉडल)

समीप-दूराभिमुख (प्रोक्सिमोडिस्टल)

चित्र 6.2 : विकास के क्रम

विकास केंद्र से प्रारंभ होकर बाहरी (सतही) अंगों की ओर भी होता है जो पास से दूर के क्रम को बताता है। यह विकास समीप-दूराभिमुख (प्रोक्सिमोडिस्टल) है (लैटिन 'पास से दूर')। भ्रूण में, मूलभूत निचले अंगों के आविर्भाव से पूर्व सिर एवं धड़ भली-भाँति विकसित हो जाते हैं। इसी प्रकार बांहों के अवयव हाथों और अंगुलियों के रूप में विकसित हो जाते है। यही कारण है कि बच्चे अपने हाथों से पहले बाँहों का उपयोग करना सीखते हैं। अँगुलियों पर उनका नियंत्रण उससे भी बाद में होता है।

शारीरिक और गत्यात्मक विकास को छोड़कर, क्या आकार या अनुक्रम का पूर्वानुमान अन्य

टिप्पणी

विकासों में भी लगाया जा सकता है? उत्तर है, हाँ। विभिन्न बौद्धिक कार्यों को करने के लिए विकास का एक पूर्वानुमानित तरीका है। बच्चों की सोच, पहले मूर्त वस्तुओं, जो कि वातावरण में उपलब्ध होती है, पर बनती है। बाद में वे अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। अतः छोटे बच्चों को विभिन्न संप्रत्यय पढ़ाते समय हम मूर्त वस्तुओं तथा चित्रों से ही शुरुआत करते हैं। हम करके सीखने पर, जोड़-तोड़ वाली गतिविधियाँ तथा ड्रामा और कई अन्य विविध प्रकार की गतिविधियों पर जोर देते हैं। बाद में अमूर्त संप्रत्यय का परिचय देते हैं। इसी प्रकार विकास के अन्य आयाम भी एक निश्चित क्रम का अनुसरण करते हैं।

यहाँ ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है कि हालाँकि सामान्य अनुक्रम सभी बच्चों में स्वभाविक है परंतु विभिन्न कारणों से कुछ बच्चों के विकास के कुछ पक्ष प्रभावित हो सकते हैं।

विकास परिपक्वता और सीखने का परिणाम है

आपने यह अवलोकन किया होगा कि सामान्य तौर पर बच्चे 6 महीने में बैठना सीख जाते हैं, 8 से 9 महीने में पकड़ कर खड़ा होना तथा पहला कदम 9 से 12 महीने में, तथा अच्छे से चलना 13-15 महीने की आयु में शुरू कर देते हैं। सभी बच्चों में बैठने, खड़े होने तथा चलने की क्षमता होती है परंतु वे शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होने पर ही किसी विशेष कार्य को कर सकते हैं। परिपक्वता उन सभी विशेषताओं तथा सामर्थ्य को प्रकट करती है जो अनुवांशिक रूप से मिलता है। अनुवांशिक रूप से हमारी कुछ क्षमताएँ जैसे, चलना, बोलना, ज्ञानार्जन आदि होती हैं। हमारे अंदर ही ऐसी समय-सारणी होती है जो हमारे शरीर व मस्तिष्क के परिपक्व होने पर हमें चलने तथा बोलने के लिए तैयार करती है। क्या आपने कभी अवलोकन किया है कि छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं? वे अनुकरण, प्रयास एवं भूल के द्वारा सीखते हैं। वातावरण के द्वारा अधिगम जिसमें प्रयास तथा अभ्यास शामिल हैं, व्यवहार में बदलाव या परिवर्तन लाता है। परिपक्वता तथा अधिगम आपस में जुड़े होते हैं जो एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। बच्चे अपनी आंतरिक आनुवंशिक समय-सारिणी तथा बाह्य वातावरणीय प्रभाव के द्वारा विकसित होते हैं। इस प्रकार विकास परिपक्वता तथा अधिगम का परिणाम है।

विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएँ होती हैं

विकास की प्रत्येक अवस्था में विकास के विभिन्न आयामों की कुछ विशेषताओं को देखा जा सकता है। इन्हें विकासात्मक पड़ाव कहा जाता है। विकासात्मक पड़ावों की आयु सीमा के अंदर अधिकांश शिशु तथा टॉडलर अपने कौशलों को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कोई भी दो बच्चे समान नहीं होते और हर एक बच्चा अपने आप में अनोखा होता है। हो सकता है एक बच्चा जल्दी बोलना शुरू करे तो दूसरा बोलने में अधिक समय ले। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यद्यपि विकास का क्रम पूरी तरह से एक समान, पूर्व-अनुमानित तथा सभी बच्चों के लिए सामान्य होता है, फिर भी विकासात्मक प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नताएँ देखी जाती हैं।

टिप्पणी

बच्चा समग्र रूप से विकसित होता है

विकास के विभिन्न पक्ष आपस में एक-दूसरे से संबंधित होते हैं तभी बच्चा एक समान या बराबर रूप से विकसित होता है। प्रत्येक विकासात्मक पक्ष दूसरे पक्षों को प्रभावित करता है तथा दूसरे पक्षों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास के एक पक्ष में कोई समस्या अन्य पक्षों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए- एक बच्चा जो कि बार-बार बीमार होता है या उसका गत्यात्मक विकास देर से होता है, परिणामस्वरूप वह शारीरिक गतिविधियों में दूसरे बच्चों के साथ भाग नहीं ले पाता और उसे दूसरे बच्चों के साथ मिलने-जुलने का अवसर भी नहीं मिल पाता है और यह विकास के अन्य सभी आयामों, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक तथा भाषात्मक को प्रभावित करता है। यह प्रभाव कई बार बहुत-ही गहरा और स्थायी होता है और कई बार बहुत-ही मामूली तथा कुछ समय के लिए होता है।

पाठगत प्रश्न 6.1

(1) विकास से आप क्या समझते हैं?

(2) बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सत्य हैं अथवा असत्य :

(क) यह समझना आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में अनोखा है।

(ख) विकास परिपक्वता और वृद्धि का परिणाम है।

(ग) बच्चा समग्र रूप से विकसित होता है।

(घ) विकास के एक पक्ष की कोई समस्या दूसरे पक्ष को भी प्रभावित करती है।

(ङ) विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है।

6.3 वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक

आप वृद्धि तथा विकास को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों के बारे में पढ़ चुके हैं। यह समझने के लिए कि कौन-कौन से कारक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, आइए, कुछ व्यक्तिगत अध्ययनों को देखें।

व्यक्तिगत अध्ययन-1 (केस स्टडी-1)

सुधीर एक दुबला-पतला बालक है। हालांकि उसका जन्म गर्भावधि पूरी करने के बाद ही हुआ है परंतु जन्म के समय उसका वज़न तथा लंबाई एक सामान्य बालक की अपेक्षा कम थी। उसके माता-पिता की लंबाई भी सामान्य से कम है। जब सुधीर आठ वर्ष की उम्र में पहुँचा, उसके माता-पिता ने अवलोकित किया कि वह अपने सहपाठियों से लंबाई में छोटा है।

व्यक्तिगत अध्ययन-2 (केस स्टडी–2)

सोनू झुग्गी–झोपड़ी में रहकर बड़ा हुआ और उसके माता–पिता रोज की दिहाड़ी पर एक फैक्ट्री में काम करते हैं। उस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और कई बार तो घर में पेट–भर खाने को भोजन भी नहीं होता। सोनू की शैक्षिक प्रगति तथा बौद्धिक प्रदर्शन अच्छा नहीं है।

व्यक्तिगत अध्ययन-3 (केस स्टडी–3)

रीमा एक 3 वर्ष की लड़की है जो कि किसी शहरी कॉलोनी में बड़ी हो रही है। वह ठीक से बोल नहीं सकती। उसके माता–पिता दोनों अपनी–अपनी नौकरी में व्यस्त हैं। बच्चे की देखभाल घर में रहने वाली आया करती है जो रीमा से ज्यादा बात नहीं करती। रीमा को प्राय: सुला दिया जाता है।

नीचे दिए स्थान पर इनके संभावित कारण लिखें–सुधीर की सामान्य से कम शारीरिक वृद्धि, सोनू का कमजोर शैक्षिक प्रदर्शन, रीमा का दुर्बल भाषात्मक विकास।

....

....

....

....

....

....

....

आप में से कुछ ने इन विशेषताओं का कारण अनुवांशिकता, माता तथा बच्चे के जन्म से पूर्व तथा जन्म के बाद स्वास्थ्य को माना होगा। कुछ ने इसका कारण वातावरण संबंधी कारक को माना होगा जैसे उद्दीपन के कम अवसर मिलना, पर्याप्त पोषण न मिल पाना, आदि। यही प्रकृति तथा पोषण की अवधारणा को सिद्ध करता है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि आनुवांशिकता, बच्चे को वातावरण से अधिक प्रभावित करती है। कुछ प्राकृतिक कारणों को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसका कोई सीधा स्पष्ट उत्तर नहीं है कि कौन–सा कारक अधिक प्रभाव डालता है–हमारे आनुवांशिक कारक अथवा वह जो हम अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से स्वीकार किया गया है कि दोनों ही हमें प्रभावित करते हैं। आइए, हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं–

6.3.1 वंशानुक्रम अथवा आनुवांशिकता

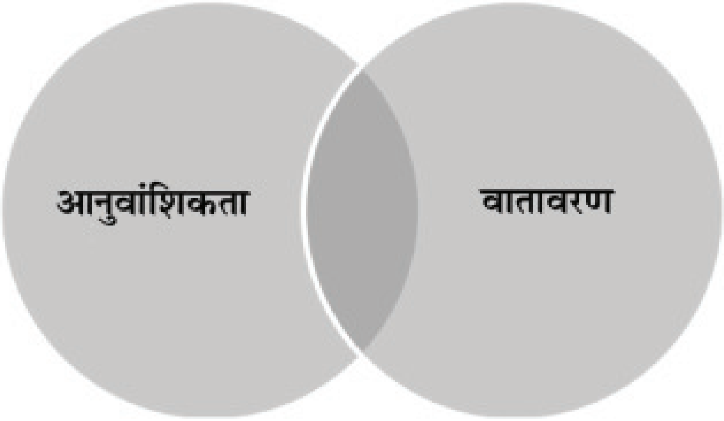

चित्र 6.3 : आनुवांशिकता तथा वातावरण में सहसंबंध

आप यह जानना चाहते होंगे कि क्या बुद्धिमान माता–पिता के बच्चे भी सदैव बुद्धिमान होते हैं? छोटे कद के माता–पिता के बच्चे भी छोटे कद के ही होंगे? अस्थमा से पीड़ित माँ का बच्चा भी उसी बीमारी से प्रभावित होगा? उपरोक्त वर्णित विशेषताओं को आप वंशानुक्रम से पा भी सकते हैं और नहीं भी, यह निर्भर करता है आनुवांशिकता पर। बच्चा गर्भधारण के समय यह विशेषताएँ अपने माता–पिता से जीन्स के रूप में प्राप्त करता है जो गुणसूत्रों की संरचनात्मक इकाई होते हैं।

वंशानुगतता या आनुवांशिकता बच्चे के ज्ञानात्मक सामर्थ्य, कद, वज़न और सामान्य शारीरिक संरचना के विकास को प्रभावित करती है। आनुवांशिक रूप से उत्तराधिकार में पाए गुण हमारे शरीर एवं दिमाग की परिपक्वता से जुड़ें हैं जो विकास या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। गर्भधारण होने के बाद इसमें न ही कुछ जोड़ा जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। बच्चे का लिंग निषेचन के समय निश्चित हो जाता है। गर्भधारण के समय प्रत्येक बच्चा 46 गुण–सूत्र प्राप्त करता है। जिसमें से 23 माता से और 23 पिता से प्राप्त होते हैं। बच्चे का लिंग पिता द्वारा हस्तांतरित गुणसूत्रों द्वारा निश्चित होता है। लिंग के आधार पर ही बच्चे की लैंगिक विशेषताओं का निर्धारण होता है।

कुछ निश्चित हद तक बीमारी के प्रति संवेदनशीलता (जैसे, वर्णान्धता, डाउन सिंड्रोम, अस्थमा, मधुमेह) आदि वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। कुछ निश्चित मानसिक विकार जैसे शिज़ोफ्रेनिया तथा भावनात्मक विकार, कुछ हद तक वंशानुगत होते हैं। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि इन विकारों से ग्रसित होने का अंदेशा अधिक रहता है। इसके साथ ही व्यक्तित्व की विशेषताओं में मनोदशा या स्वभाव भी अनुवांशिक कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। बहरहाल आनुवांशिक प्रवृति को वातावरणीय प्रभावों द्वारा अपने नियंत्रण में लाया जा सकता है। ऐसे वातावरण का सृजन किया जा सकता है जो वंशानुक्रम के प्रभाव को कम कर सके। व्यक्तिगत अध्ययन–I को देखें, सुधीर को अच्छे पोषण तथा व्यायाम के लिए प्रेरित करके हम उस पर वंशानुक्रम का प्रभाव कम कर सकते हैं। इसी प्रकार व्यक्तिगत अध्ययन–3 में, रीमा को बेहतर अन्तर्क्रिया तथा संवाद करने हेतु उद्दीपनपूर्ण वातावरण प्रदान किया जा सकता है।

टिप्पणी

6.3.2 वातावरणीय कारक

बहुत-से वातावरणीय कारक जैसे माँ का स्वास्थ्य, आयु, बीमारी और संवेगात्मक स्थिति तथा अजन्मे बच्चे के लिए वातावरणीय प्रदूषण, एक्स-रे एवं दवाइयों का सेवन बच्चे को प्रभावित करते हैं। इसके साथ कुछ निश्चित प्रासंगिक कारक जैसे परिवार, लिंग, संस्कृति तथा समाज भी बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। आइए, इन वातावरणीय कारकों के बारे में विस्तार से पढ़ें।

हम जानते हैं कि पैदा होने के बाद बच्चा सीधा वातावरण के संपर्क में आता है। वैसे तो बच्चा वातावरण का अनुभव माँ के गर्भ में ही कर लेता है। माँ तथा बच्चा अनेक रूपों में एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। माँ का स्वास्थ्य, बीमारी, आयु, संवेगात्मक अवस्था बच्चे को प्रभावित करती है। यदि गर्भावस्था एवं स्तनपान के दौरान माँ का स्वास्थ्य अच्छा है और वह पौष्टिक भोजन करती है, तब बच्चा भी स्वस्थ होगा। और अगर माँ किसी बीमारी या पोषण की दृष्टि से कमजोर है तो बच्चा भी इससे प्रभावित होगा। यद्यपि उपयुक्त वातावरण के द्वारा आनुवांशिकता के प्रभाव को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता किन्तु उसके प्रभाव की तीव्रता को कम किया जा सकता है।

➢ माँ तथा बच्चे के लिए पोषण, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता की आवश्यकता

बच्चे की वृद्धि और उसके स्वस्थ विकास की नींव माँ के गर्भ में ही रख दी जाती है। माँ का स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। गर्भधारण की प्रारंभिक अवस्था में गर्भनाल अनेक हानिकारक पदार्थों के लिए अवरोधक का कार्य करती है। परंतु इस अवस्था में भी वह बहुत-से पदार्थों को अजन्मे बच्चे तक पहुँचने देता है। इनमें से कुछ पदार्थों के सकारात्मक प्रभाव होते हैं। रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कि माँ के द्वारा निर्मित होती है, भ्रूण में सीधे हस्तांतरित हो जाती है, जिसके कारण बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता जन्म के समय तथा कुछ महीने बाद तक रहती है। वैसे तो गर्भनाल बहुत से हानिकारक तत्वों, जैसे कि विषैले तत्वों, जीवाणुओं और हानिकारक रसायनों को रोकने का काम करती है, पर फिर भी बहुत-सी बीमारियों से बचने के लिए जरूरी है कि माँ और बच्चा, दोनों समय पर उचित टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जाँच कराएँ।

माँ और बच्चे को स्वास्थ्य और पोषण के साथ-साथ उन्हें रोज स्नान कराना, दाँत, आँख, नाक और बालों की सफाई अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

➢ माँ की आयु

माँ के स्वास्थ्य के अतिरिक्त उसकी आयु भी भ्रूण के विकास को प्रभावित करती है। 17 साल से कम आयु की माँ के प्रजननीय अंग पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते और प्रजनन के लिए जरूरी हार्मोन अपने सर्वोत्कृष्ट स्तर पर नहीं होते। किशोरावस्था में गर्भधारण करना, माँ तथा बच्चे की वृद्धि को रोकता है। कम आयु की माताओं को गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं तथा परेशानियों का खतरा अधिक रहता है। ऐसे ही पैंतीस वर्ष की आयु के बाद हार्मोन की सक्रियता

धीरे-धीरे क्षीण होती जाती है जो कि जटिलताओं को जन्म देती है। चालीस वर्ष से ऊपर की महिलाओं में गुणसूत्रों की अनियमितताओं से ग्रसित बच्चा होने का खतरा रहता है।

➢ माँ की संवेगात्मक स्थिति

बच्चा केवल माँ की शारीरिक स्थिति से ही नहीं अपितु संवेगात्मक स्थिति से भी प्रभावित होता है। संवेग जैसे कि क्रोध, डर, चिंता आदि माँ के तंत्रिका तंत्र को सक्रिय बना देते हैं और माँ के रक्त प्रवाह में कुछ निश्चित रसायन मिल जाते हैं। यह तत्व भ्रूण को संचारित हो जाते हैं।

गर्भावस्था के दौरान, दीर्घकालीन संवेगात्मक तनाव, बच्चे पर स्थायी प्रभाव डाल सकता है। परेशान या दुखी माताओं के बच्चे प्राय: समय से पूर्व हो जाते हैं या जन्म के समय उनका वजन कम होता है। ये बच्चे चिड़चिड़े, अतिसक्रिय हो सकते हैं या इनमें खाने में अनियमितता, पेट खराब रहना, गैस, नींद न आना तथा अत्यधिक रोना आदि लक्षण देखे जा सकते हैं।

➢ एक्स-रे

गर्भावस्था के दौरान, महिलाओं को अनावश्यक एक्स-रे से दूर रहना चाहिए जब तक कि चिकित्सक ऐसा करने को न कहे। गर्भधारण के प्रारंभिक समय में लगातार विकिरण किरणों के संपर्क में आने से, भ्रूण के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर हानिकारक प्रभाव हो सकता है।

➢ दवाइयाँ

गर्भावस्था के दौरान बहुत-सी दवाइयों का सेवन जन्म से संबंधित दोषों को उत्पन्न करता है। जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, स्टीरॉइड, एन्टीकोएगुलंट, नॉरकोटिक्स ट्रानक्युलाइजर्स, आदि शामिल हैं। एक गर्भवती महिला बहुत बार दवाइयों का सेवन भ्रूण पर पड़ने वाले परिणामों को बिना समझे करती है। यह अजन्मे बच्चे के लिए बहुत ही हानिकारक या प्राणनाशक भी सिद्ध हो सकता है।

➢ शराब तथा धूम्रपान

शराब का सेवन करने वाली गर्भवती महिलाओं के बच्चों में एल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। इस स्थिति के लक्षणों में जन्म से पूर्व और जन्म के बाद वृद्धि का धीमा पड़ना, मानसिक मन्दता, शारीरिक विकृति, नींद न आना तथा जन्मजात हृदय से संबंधित बीमारी आदि हैं।

गर्भवती महिला द्वारा धूम्रपान भ्रूण की वृद्धि को धीमा कर देता है तथा नवजात शिशु के वजन तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्षीण कर देता है। इससे गर्भवती महिलाओं में गर्भपात तथा समय से पूर्व जन्म का खतरा बढ़ जाता है और यह दीर्घकालीन शारीरिक तथा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है। यह माँ के रक्त द्वारा बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचाने की क्षमता में कमी हो जाने के परिणामस्वरूप होता है। कैफीन; गर्भपात, मृत प्रसव तथा अपरिपक्व बच्चा या समय से पूर्व प्रसव का कारण बन सकती है।

वातावरणीय प्रदूषण

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पर्यावरण प्रदूषण एक अन्य कारण है जोकि प्रसवपूर्व विकास

टिप्पणी

को प्रभावित करता है। गर्भवती महिलाओं का पर्यावरण प्रदूषण के संपर्क में होना विकासशील भ्रूण को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, कारों से निकला हुआ लेड़, पुराने घरों की दीवारों से पुताई तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री को गर्भवर्ती महिलाएँ अवशोषित कर सकती हैं। समय से पूर्व जन्म, जन्म के समय कम वजन, मस्तिष्क क्षति तथा प्रथम दो वर्षो मे मस्तिष्क का धीमी गति से विकास इत्यादि सभी लेड़ के उच्च स्तर के संपर्क का परिणाम होता है। यह बहुत से शारीरिक दोषों को भी जन्म देता है।

अन्य प्रासंगिक कारक

कुछ अन्य प्रासंगिक कारक जैसे बच्चे के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, उनकी जीवन शैली, पारिवारिक ढांचा, जीवन स्तर, तथा पालन पोषण की विधियाँ, बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। नीचे दिए गए खंडों में आप इसे जानेंगे।

➢ सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि

विभिन्न प्रकार की सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों की वृद्धि एवं विकास की गति में अन्तर हो सकता है। पोषण, कई बीमारियाँ और स्वास्थ्य के समग्र मानक इसके कारण हो सकते हैं। विशेष रूप से शुरुआती वर्षों में अवसरों और अनुभवों (Exposure) की कमी, विकास के कुछ पक्षों में पिछड़ेपन का कारण हो सकता है।

➢ रहन-सहन की स्थिति, बीमारी तथा दुर्घटना

अगर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो बच्चे बहुत-सी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं जो उनकी वृद्धि व विकास को रोकती हैं। कुछ घरों में उपयुक्त सूर्य के प्रकाश तथा वायु संचालन का अभाव होता है। घरों तथा बाहर अस्वास्थ्यकर जीवन स्थितियाँ, बच्चों में जलजनित बीमारियाँ जैसे डायरिया, टायफायड, और पेट से संबंधित कई बीमारियाँ पैदा करती हैं। अस्वास्थ्यकर वातावरण में बच्चों का पालन-पोषण कई प्रकार की श्वास संबंधी तथा पेट-संबंधी बीमारियों को जन्म देता है, जो कभी-कभी प्राणनाशक सिद्ध होती हैं। अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में बढ़ने वाले बच्चे कई प्रकार की सामान्य बीमारियों को आमंत्रित कर लेते हैं–जैसे खसरा, चिकनपॉक्स, काली खाँसी, डायरिया तथा डिपथिरिया। चाहे वह प्रारंभिक स्तर पर हो या दीर्घकाल तक रहे, बीमारियाँ एक बच्चे में उसके वृद्धि और विकास की दर को प्रभावित करती है। इसके अलावा लापरवाही तथा सुरक्षा की कमी के कारण घटी दुर्घटनाएँ भी बच्चे की शारीरिक और मानसिक क्षति का कारण हो सकती हैं।

➢ पारिवारिक संरचना

परिवारों की संयुक्त से एकल में बदलती संरचना के कारण सदस्यों की संख्या में कमी आई है जिसमें बच्चे तथा दादा-दादी जिनसे बच्चे बात किया करते थे, शामिल हैं। यह बच्चों के सामाजिक-संवेगात्मक विकास के साथ-साथ समग्र विकास को प्रभावित करता है। परिवारों के घटते आकार तथा माता-पिता का कार्य प्रतिबद्धताओं के कारण प्राय: बच्चों को विभिन्न मीडिया एवं तकनीकी द्वारा समाजीकरण हेतु छोड़ दिया जाता है। बच्चों की आधुनिक उपकरणों जैसे फोन, लैपटॉप, टेबलेटस तथा टेलीविजन इत्यादि के साथ व्यवस्था उनके वृद्धि एवं समग्र विकास को प्रभावित करती है।

➢ बच्चों के पालन-पोषण के तरीके

आपने देखा होगा कि कुछ माता-पिता बहुत-ही अधिकारपूर्ण रवैया अपनाते हैं और वे बच्चों से सख्त नियमों एवं कानून का पालन करने को कहते हैं जो बच्चों में डर एवं असुरक्षा की भावना को जन्म देता है। दूसरी स्थिति में कुछ माता-पिता बच्चों से संबंधित निर्णय लेते समय बच्चों की पसन्द एवं राय को महत्व देते हैं। अतः बच्चों के पालन-पोषण के तरीके बच्चों के विकास पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बच्चों के प्रति माता-पिता का संतुलित दृष्टिकोण सुखद अनुभव एवं अनुकूल वातावरण तैयार करता है जो बच्चों का आत्म-विश्वासी बनाने उच्च आत्म-सम्मान बनाये रखने तथा अपने चारों और विश्वसनीय व्यक्तियों को ढूँढ़ने में सहायता करता है।

➢ सक्षम एवं उद्दीपनपूर्ण वातावरण

बच्चों में स्वस्थ वृद्धि एवं विकास हेतु घर तथा स्कूल दोनों ही जगह सक्षम तथा उद्दीपनपूर्ण वातावरण आवश्यक है। बच्चों का विकास सकारात्मक दिशा में होगा, यदि बच्चों को स्वतंत्र रूप से माता-पिता या अन्य देखभाल करने वालें के साथ खेलने तथा अन्तर्क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। यह विकास के सभी आयामों को बढ़ावा देता है। इसी तरह, यह भी आवश्यक है कि बच्चों को स्कूल में प्रश्न पूछने, खोजबीन करने तथा प्रयोग करने के अवसर दिये जायें। यदि उनका उत्साह दबाया जाता है तथा उन्हें भागदारी करने से रोका जाता है तो उनका संज्ञानात्मक तथा सामाजिक-संवेगात्मक विकास प्रमाणित होता है।

➢ भाई-बहनों का प्रभाव

अपने माता-पिता के अलावा बच्चे अपने भाई-बहनों से भी प्रभावित होते हैं। वे एक-दूसरे को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करने तथा दक्षता बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। अगर माता-पिता बड़े बच्चे को परिवार में आए नए शिशु की देखभाल के लिए शामिल करते हैं तो बच्चा उत्तरदायित्व सीखता है और स्वेच्छा से साझा करना सीखता है। माता-पिता को भाई-बहनों में तुलना करने से बचना चाहिए क्योंकि यह बच्चों में ईर्ष्या और द्वेष पैदा कर सकता है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों के प्रति उनका व्यवहार पक्षपात सहित और समान होना चाहिए।

➢ समवाय समूह

घर और अपने परिवार की सीमा से परे, बच्चा अपने समवाय-समूह में किस प्रकार स्वीकार किया जाता है, यह उसके आत्म-प्रत्यय पर गहरा प्रभाव डालता है। समवाय-समूह बच्चे को समाज द्वारा स्वीकृत तरीकों को सीखने और इसी प्रकार का व्यवहार करने में मदद करता है। समवाय-समूह की स्वीकृति बच्चों को संवेगात्मक सहायता प्रदान करती है। हालांकि माता-पिता बच्चों को सामाजिक व्यवहार सिखाते हैं, पर दोस्तों की संगत में ही बच्चे चीजें साझा करना, सहयोग, स्वायतत्ता, नेतृत्व कौशल तथा प्रतियोगिता की भावना को सीखते हैं। इसलिए स्वाभाविक वृद्धि एवं विकास में समवाय समूह के महत्त्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

➢ लिंग और संस्कृति

समाज द्वारा निर्धारित, लैंगिक भूमिकाओं के आधार पर व्यवहार को सीखना एक महत्वपूर्ण कार्य

टिप्पणी

है ताकि बच्चों को साथी-समूह की स्वीकृति मिल सके। लड़के एवं लड़कियों के व्यवहार में अन्तर परिवार तथा समाज की उम्मीदों के कारण उभर कर सामने आते हैं। लड़कों को ''लड़कियों की तरह'' रोने की बजाय लड़ने के लिए बढ़ावा दिया जाता है जबकि लड़कियों के साथ अपेक्षित व्यवहार होने पर उनसे रोने की उम्मीद की जाती है। यह भेदभाव समाज के लिए बहुत घातक है क्योंकि यह लैंगिक रुढ़िवादिता के बढ़ावा देता है। माता-पिता तथा शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि शब्दों या क्रियाओं द्वारा किसी भी प्रकार के लैंगिक का भेदभाव को बढ़ावा नहीं दिया जाए। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है।

पाठगत प्रश्न 6.2

(1) खाली स्थान भरिए–

(क) बच्चे, दोस्तों या मित्रों की संगत में ...., ... और .... सीखते हैं।

(ख) अस्वास्थ्यकर वातावरण में रह रहे बच्चे .... और .... बीमारियों का शिकार होते हैं।

(2) ऐसी दो बीमारियों के नाम लिखिए जोकि वंशानुगत कारणों से व्यक्ति तक पहुँचती हैं।

गतिविधि 6.1

अपने समाज के उन सांस्कृतिक कारकों की सूचनाएँ एकत्र कीजिए जो मुख्य तौर पर बच्चों के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं।

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा कि–

- वृद्धि लम्बाई, वजन और शारीरिक संरचना में परिवर्तन का संकेत देती है। यह शरीर में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है, के बारे में बताती है। जीवन के प्रारंभिक दो वर्षों के दौरान वृद्धि तेजी से होती है।
- विकास शरीर में होने वाले गुणात्मक परिवर्तनों के साथ व्यवहार तथा अभिवृत्ति में होने वाले परिवर्तनों की बात करता है। विकास को मापना कठिन है।
- विकास एक सतत् एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। यह परिपक्वता और सीखने का परिणाम है।
- विकास में व्यैक्तिक भिन्नताएँ होती हैं।

- विकास आनुवंशिकता तथा पर्यावरणीय कारकों, जैसे कि, पोषण, माँ की उम्र तथा संवेगात्मक अवस्था से प्रभावित होता है। यह एक्स-रे के संपर्क में सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, जीवन दशाओं, पारिवारिक संरचनाओं और शिशु की पालन-पोषण के तरीकों से भी प्रभावित होता है।

पाठान्त प्रश्न

(1) वृद्धि से आप क्या समझते हैं? वृद्धि के प्रमुख संकेतक कौन से हैं?

(2) वृद्धि और विकास में उदाहरण देते हुए अंतर बताइए।

(3) उचित उदाहरण देते हुए विकास के विभिन्न सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए।

(4) "बालक का विकास समग्र रूप में होता है", इस कथन की तर्कसंगत व्याख्या दीजिए।

(5) ऐसा क्यों माना जाता है कि विकास सीखने और परिपक्वता का परिणाम है?

(6) कुछ प्रासंगिक कारक जो बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं, उनके नाम बताइए। इनमें से किन्हीं दो की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।

(7) वातावरणीय कारक जैसे प्रदूषण, एक्स-रे, दवाइयाँ आदि अजन्मे बच्चे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

6.1

(1) विकास गुणात्मक परिवर्तन के साथ-साथ व्यवहार तथा अभिवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाता है।

(2) (क) असत्य, (ख) असत्य, (ग) सत्य, (घ) सत्य, (ङ) सत्य

6.2

(1) (क) सहयोग, स्वायत्तता, नेतृत्व कौशल

(ख) टायफाइड, डायरिया

(2) वर्णांधता, मधुमेह

संदर्भ

- Berk, L. (2012). *Child Development (9th Edition)*. Prentice Hall of India.
- Hurlock, E.B. (2007*). Developmental Psychology: A life-span approach*. New Delhi: Tata Mc Graw-Hill.
- Santrock, J.W. (2011).*Child Development (13th Ed.).*New Delhi: Mc Graw Hill.
- Santrock, J. W. (2012). *Life Span Development (13th Ed.)*. New Delhi: Mc Graw Hill.
- Singh, A. (Ed). (2015). *Foundations of Human Development*. New Delhi: Orient Blackswan.
- Srivastava, A.K. (1997). *Child Development: An Indian Perspective*. New Delhi: NCERT.

7

विकास के आयाम

बाल विकास एक जटिल और सतत् प्रक्रिया है। यह एक साथ कई आयामों में होता है, जो कि उनके समग्र विकास को प्रभावित करता है।

पिछले पाठ में आपने बच्चों की वृद्धि और विकास तथा विकास के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। इस पाठ में, आप विकास के विभिन्न आयामों–शारीरिक, स्वास्थ्य एवं गत्यात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, संज्ञानात्मक तथा भाषात्मक विकास के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।

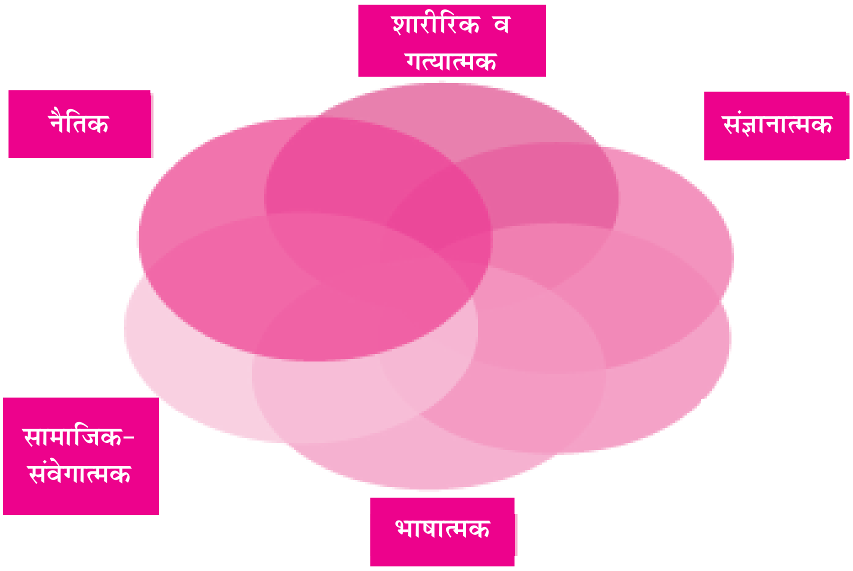

चित्र 7.1 : विकास के आयाम

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप–

- आयामों में से प्रत्येक की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं; और
- विकासात्मक पड़ावों (milestone) के महत्व को चिह्नित करते हैं।

टिप्पणी

7.1 विकास के आयाम

विकास के आयाम उन क्षेत्रों या पहलुओं को इंगित करते हैं जिनमें बच्चों का विकास होता है। विकास के विभिन्न आयाम इस प्रकार हैं–

1. शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, जिसमें स्थूल तथा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल शामिल हैं।
2. सामाजिक-संवेगात्मक विकास का अर्थ स्वयं को समझना तथा सामाजिक वातावरण की समझ, सामाजिक रूप से स्वीकृत ढंग से संवेगों की अभिव्यक्ति और संवेगों पर नियंत्रण करना है।
3. नैतिक विकास उचित और अनुचित की समझ से संबंधित है।
4. संज्ञानात्मक विकास विभिन्न अवधारणाओं एवं प्रक्रिया को सोचने एवं समझने से संबंधित है।
5. भाषा विकास, संचार, सुनने से संबंधित आकस्मिक/प्रारंभिक साक्षरता, समझना, मौखिक/वाचिक कुशलता वाले कौशल और लेखन पर केन्द्रित हैं।

आइए, हम विकास के इन आयामों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं।

7.1.1 शारीरिक और गत्यात्मक विकास

शारीरिक वृद्धि और विकास में शरीर की संरचना के अनुपात में ऊँचाई, वजन और वृद्धि शामिल है। इसमें हड्डियों के विकास को भी शामिल किया जाता है। शरीर की संपूर्ण संरचना हड्डियों के आकार, अनुपात तथा सघनता पर निर्भर करती है। यह शरीर की बनावट एवं शक्ल-सूरत को निर्धारित करता है। आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि शारीरिक विकास दो तरीकों से होता है। समीप-दूराभिमुख (प्रोक्सिमोडिस्टल) तथा शिर:पदाभिमुख (सेफ्लोक्यूडल) क्रम। शारीरिक विकास न केवल शरीर में होने वाले बाह्य परिवर्तनों बल्कि आंतरिक अंगों में होने वाले परिवर्तनों को भी शामिल करता है। यह आंतरिक अंगों में परिवर्तन तथा परिपक्वता को भी शामिल करता है। जैसे-जैसे बच्चों में शारीरिक रूप से वृद्धि होती है, मस्तिष्क सहित आंतरिक अंगों तथा केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र में भी विकास होता है।

शारीरिक विकास को सूक्ष्म व स्थूल गत्यात्मक कौशलों के द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। गत्यात्मक कौशल बच्चों में विकसित होने वाली वे शारीरिक योग्यताएँ हैं, जो उनकी शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। अपेक्षाकृत कम समय में बच्चों में साधारण गत्यात्मक कौशलों का विकास हो जाता है।

बच्चों में दो प्रकार के गत्यात्मक कौशलों का विकास होता है– स्थूल गत्यात्मक कौशल तथा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। स्थूल गत्यात्मक कौशल बड़ी माँसपेशियों को शामिल करता है तथा बच्चों की क्रियाओं, जैसे रेंगना, खड़े होना, चलना, चढ़ना, दौड़ना आदि को संतुलित करता है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल छोटी माँसपेशियों को शामिल करता है तथा हाथ और अंगुलियों को प्रभावशाली रूप से इस्तेमाल एवं प्रयोग करने की योग्यता प्रदान करता है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल सामान्यत: आँख और हाथ के समन्वय को शामिल करता है। जिससे यह योग्यता होती है कि वह आँखों ने जो देखा है, उसका हाथ की गतिविधियों के साथ मिलान करती है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास बच्चों को चीजों को पकड़ने जैसे कप, क्रेयॉन तथा किताब के

टिप्पणी

पन्ने पलटने, बटन बंद करने, जिप बंद करने, ड्राइंग करने तथा लिखने इत्यादि में मदद करता है। साधारण शब्दों में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल बच्चों को कसकर पकड़ने, ठहरने, गति करने तथा विभिन्न वस्तुओं को संभालने में मदद करती है। वयस्कों की तरह बच्चों की सभी गतिविधियों में सूक्ष्म तथा स्थूल गत्यात्मक कौशलों के संयोजन की आवश्यकता होती है।

शारीरिक विकास जीवन पर्यन्त चलने वाली एक प्रक्रिया है हालाँकि वृद्धि की प्रकृति तथा दर विकास की अवस्थाओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। प्रत्येक बच्चा अपनी गति या रफ़्तार से विकसित होता है। कुछ बच्चे तेजी से बढ़ते हैं जबकि कुछ उतनी तेजी से नहीं बढ़ते, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे शारीरिक रूप से अपरिपक्व या अविकसित हैं। प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग है, इसलिए जीन का समूह (genomes) तथा वातावरणीय दशाएँ समान होने पर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। इसके साथ-साथ शारीरिक विकास में लैंगिक विभिन्नताएँ भी देखी जा सकती हैं।

चित्र 7.2 : सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास

पाठगत प्रश्न 7.1

(क) सूक्ष्म तथा स्थूल गत्यात्मक कौशलों का क्या अर्थ है?

(ख) बच्चों के स्थूल व सूक्ष्म गत्यात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए दो गतिविधि सुझाइए जिन्हें माता-पिता अपने घर पर कर सकें।

7.1.2 सामाजिक-संवेगात्मक विकास

क्या आप बच्चों और प्रौढ़ों से अलग-अलग तरीकों से बात करते हैं? क्या आपका अपने शिक्षक और दोस्त से बात करने का तरीका भिन्न होता है? आपने अलग व्यक्ति से अलग तरीके का व्यवहार करना, जो कि उस व्यक्ति से आपके संबंध पर निर्भर है, कैसे सीखा? क्या आप सभी परिस्थितियों में समान व्यवहार करते हैं या भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में व्यवहार भी बदल जाता है? जब बच्चा इस जटिल समाज में कदम रखता है, तो वह समाज के नियमों एवं कानूनों को नहीं जानता। लेकिन धीरे-धीरे वह दूसरों के साथ बातचीत करके तथा दूसरों से संबंध स्थापित करके सामाजिक नियमों का पालन करना सीख जाता है। हम विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में कैसे दूसरों के साथ संबंध स्थापित करते हैं और समाज द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों का पालन करना सीखते हैं। यह सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। इसमें सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना तथा शामिल होना और सामाजिक समूहों का हिस्सा होने के अर्थ को समझना भी शामिल है। बच्चा एक सामाजिक प्राणी है और उसे भरपूर जीवन जीने के लिए अन्य प्राणियों के साथ जुड़ने की आवश्यकता है।

संवेगात्मक विकास बच्चों की भावनाओं तथा संवेगों के विकास का उल्लेख करता है। कुछ संवेग जैसे खुशी, डर और क्रोध आदि को मूलभूत बुनियादी संवेग कहा जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति के चेहरे के भावों को देखकर इनका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। कुछ संवेग जैसे लज्जा/शर्म, अपराध तथा ईर्ष्या करना आदि को जटिल संवेगों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि इन्हें किसी के चेहरे के भावों को देखकर आसानी से नहीं पहचाना जा सकता है। बच्चे कुछ मूलभूत संवेगों के साथ जन्म लेते हैं और जटिल संवेगों को समय के साथ विकसित करते हैं।

क्या आपने कभी नीचे दिए गए संवेगों को व्यक्त करते समय अपने में किसी प्रकार के बदलाव का अनुभव किया है। कृपया बदलाव के बारे में लिखें–

क्रोध ....

....

डर ....

....

उदासी ....

....

क्या आपको याद है, जब आप 6 साल के थे तब अपने माता–पिता को अपना प्यार और गुस्सा दिखाने के लिए कौन से तरीके अपनाते थे? अब (बड़े होने पर) आप उन्हीं संवेगों को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? क्या आप अपने माता–पिता के प्रति संवेगों को व्यक्त करते समय कोई बदलाव महसूस करते हैं? यह स्पष्ट करता है कि संवेगों तथा व्यवहारों को व्यक्त करना समय के साथ–साथ विकसित होता है। इनमें से कुछ बदलाव हमारे संवेगात्मक परिपक्वता तथा कुछ वातावरण से प्राप्त अधिगम के परिणामस्वरूप हो सकते हैं।

संवेगों के प्रकटीकरण में सांस्कृतिक भिन्नताएँ भी अपना अस्तित्व रख सकती हैं क्योंकि प्रत्येक संस्कृति अपने बच्चे को अपने संवेगों को प्रकट करने के लिए अलग–अलग तरीके सिखाती है। लिंग भेद के कारण भी संवेगों के प्रकटीकरण में अंतर आता है।

7.1.2.1 विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक - संवेगात्मक विकास

- **शैशवावस्था**

शिशु अपने आस-पास के लोगों से मुस्कुराकर, रोकर, बुदबुदाकर तथा किलकिलाकर बातचीत करते हैं। यह सभी क्रियाएँ शिशुओं की अन्य लोगों के साथ बातचीत को बनाए रखती हैं। जब शिशु को सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा प्रेरणा मिलती है तो वह सामाजिक रूप से विकसित होने के लिए प्रोत्साहित होता है। 6-8 महीने में शिशु में अपनेपन की भावना का विकास होता है तथा वह अपने माता-पिता तथा अन्य परिचित लोगों से जुड़ने लगता है। ऐसा देखा जाता है कि शिशु अजनबी लोगों को देखकर असहजता का अनुभव करता है जैसे प्रथम वर्ष के पूरा होने पर भी उसमें अपने देखभाल करने वाले लोगों से अलग होने का डर बना रहता है। यह चिंता धीरे-धीरे कम होने लगती है और शिशु में विशेष प्रकार का लगाव विकसित होने लगता है। 2 वर्ष की आयु तक बच्चे अपने माता-पिता से थोड़े अलग होने लगते हैं और जिस काम को वे नहीं करना चाहते उसे 'न' कहकर अपनी स्वायत्तता दिखाना सीख जाते हैं।

- **प्रारंभिक बाल्यावस्था**

2 से 5 वर्ष की आयु में बच्चों में स्वयं के प्रति जागरुकता विकसित होती है। उनमें अभिवृत्ति, पसंद-नापसंद तथा कार्य करने के तरीके विकसित होते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जहाँ बच्चे समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने के लिए कौशल अर्जित करते हैं। मुख्यत: बच्चे, अपने माता-पिता के द्वारा सामाजिक होते हैं जो उन्हें सही एवं गलत में अंतर को समझाते हैं तथा उनमें अच्छा आचरण विकसित करने में सहायता करते हैं जैसाकि बच्चे अपने माता-पिता का अवलोकन तथा उनका अनुकरण करते हैं जो उनके आदर्श (रोल मॉडल) होते हैं, यह सुदृढ़ पहचान प्रक्रिया समाजीकरण में सहायता करती है।

पूर्व विद्यालयी बच्चों का सामाजिक संसार बढ़ता जाता है और वे अपने इस संसार में स्कूल तथा पड़ोस के समकक्ष बच्चों को शामिल करते हैं। वे अपने समकक्ष बच्चों के साथ बातचीत तथा सहयोगात्मक खेलों में व्यस्त रहने लगते हैं। जो दूसरों से संबंध रखने तथा सामाजिक परिस्थितियों को समझने का बेहतर आधार प्रदान करता है। वह लिंग के आधार पर अपनी मनोवैज्ञानिक पहचान बनाना शुरू करते हैं और उस लिंग आधारित उपयुक्त व्यवहार करने लगते हैं। लिंग आधारित भूमिकाओं की पहचान अनेक कारकों जैसेकि लिंगों के मध्य जैविक भिन्नता तथा लड़के और लड़कियों के माता-पिता एवं अन्य द्वारा समाजीकरण के तरीकों पर निर्भर करता है।

टिप्पणी

पाठगत प्रश्न 7.2

दिए गए पहेली से आप संवेगों से संबंधित शब्द ढूढ़िए।

W	X	Y	Z	J	E	A	L	O	U	S	Y	K	L	M
A	B	C	D	O	F	S	H	O	C	K	N	N	O	P
H	A	P	P	Y	O	U	Q	H	O	P	E	S	Y	F
O	B	A	N	G	E	R	R	L	T	P	R	I	D	E
P	W	I	H	J	U	P	S	E	T	K	V	M	B	A
E	O	N	S	Y	C	R	A	G	E	P	O	L	Y	R
F	R	D	F	G	H	I	N	O	K	T	U	S	Z	O
U	R	H	J	B	D	S	A	D	O	B	S	K	J	C
L	Y	F	L	O	V	E	Q	Z	T	U	W	V	B	A
S	C	A	R	E	D	F	J	R	M	O	K	S	T	L
E	M	B	A	R	R	A	S	S	M	E	N	T	F	M

7.1.3 नैतिक विकास

'मोरल' शब्द 'मोर्‌स' शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है शिष्टाचार या आदतें। सरल शब्दों में, यह सही और गलत की समझ है। इसमें नैतिक व्यवहार, नैतिक तर्क और निर्णय शामिल होते हैं। नैतिक व्यवहार, नैतिक रूप से सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। नैतिक तर्क, सही और गलत विकल्प के विमर्श को संदर्भित करता है। यह इस बात पर आधारित है कि हम समस्या से संबंधित कई दृष्टिकोण को समझ पा रहें या नहीं।

आइए, बच्चों में नैतिक तर्क के विकास के बारे में पढ़ें।

7.1.3.1 बच्चों में नैतिक तर्क का विकास

बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों में नैतिक विकास की व्याख्या की है। आइए, हम पियाजे तथा कोहलबर्ग द्वारा सुझाई गई नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में संक्षिप्त में अध्ययन करें।

पियाजे के अनुसार, बच्चों में नैतिक विकास खेल के दौरान, खेल के नियमों के प्रति उनकी समझ का अवलोकन करके समझा जा सकता है। वह बच्चों के नैतिक विकास की दो अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं– नियम पालन की नैतिकता (Heteronomous) तथा रजामंदी की नैतिकता (Autonomous)।

नियम पालन की नैतिकता (हेट्रोजिनियस)	बच्चों का मानना है कि नियम सार्वभौमिक हैं, जो किसी बाहरी प्राधिकरण के द्वारा तय किये गये है एवं थोपे गए हैं। वे मानते हैं कि नियमों को बदला नहीं जा सकता परन्तु जो नियमों को तोड़ेगा उसे दण्ड अवश्य मिलेगा। क्योंकि बच्चे नैतिक विकास की इस अवस्था में नियमों की अपरिवर्तनशीलता को मानते हैं, वे कभी भी इन नियमों के परिवर्तन के प्रति कोई लचीलापन नहीं दिखाते।
रजामंदी की नैतिकता (ऑटोनोमस)	जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी नैतिकता की समझ ज्यादा लचीली होने लगती है। बच्चे विश्वास करने लगते हैं तथा वह विश्वास करते हैं कि नियम सभी के लोगों के लिए होते हैं, तथा यदि ऐसा नहीं है तो 'सभी की सहमति से इन्हें बदला जा सकता है'।

लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, नैतिक विकास के तीन चरण हैं–

- पूर्व पारंपरिक नैतिकता
- पारंपरिक नैतिकता
- उत्तर पारंपरिक नैतिकता

पूर्व पारंपरिक नैतिक स्तर में, बच्चे अपने आस-पास के लोगों से सही और गलत की समझ सीखते हैं। बच्चे का आचरण बाह्य कारकों जैसे स्वीकृति और अस्वीकृति या पुरस्कार और दंड के द्वारा निश्चित होता हैं। इस प्रकार बच्चे का व्यवहार आज्ञा-पालन तथा दंड की ओर प्रवृत होता है। जैसे ही बच्चा मध्य बाल्यावस्था में पहुँचता है, उसकी पारंपरिक संबंधों को तथा नैतिक आचरण को समझने की क्षमता बढ़ जाती है तथा यह किशोरावस्था तक लगातार विकसित होती रहती है।

पारंपरिक नैतिक अवस्था में बच्चे यह विश्वास करते हैं कि अगर नियम समाज की भलाई के लिए नहीं हैं तो उन्हें बदला जा सकता है।

उत्तर-पारंपरिक अवस्था में बच्चा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों या अपनी आत्मा की आवाज़ पर चलता है, बाह्य प्रभावों से प्रभावित नहीं होता। एक व्यक्ति सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को जैसे जीवनमूल्य को मूल्यों के क्रम में सर्वोपरि रखता है और उसके लिए नियमों या कानूनों को तोड़ भी सकता है।

पाठगत प्रश्न 7.3

(1) सही विकल्प चुनिए–

(क) नैतिक विकास का सिद्धान्त (तीन अवस्थाएँ) दिया गया–

☐ कोहलबर्ग

☐ पियाजे

☐ एरिक्सन

(ख) वह अवस्था जब बच्चा समाज के नैतिक नियमों को स्वीकार करने से पहले सही और गलत के प्रति अपनी समझ को भी शामिल करता है।

☐ उत्तर-पारंपरिक नैतिकता

☐ पारंपरिक नैतिकता

☐ पूर्व-पारंपरिक नैतिकता

(2) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

(क) पियाजे ने नैतिकता .... और .... के द्वारा व्यक्त की।

(ख) नियम पालन की नैतिकता में बच्चे मानते हैं कि नियम ....एवं .... है।

7.1.4 संज्ञानात्मक विकास

इसमें जानना, सोचना, याद रखना, पहचानना, वर्गीकरण करना तथा कल्पना करना आदि प्रक्रियाएँ शामिल हैं। स्विस मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे नए विचारों तथा चुनौतियों को अनुभव कर संसार के बारे में अपनी समझ बनाते हैं। वह आस-पास के साथ पारस्परिक क्रिया के द्वारा अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। संज्ञानात्मक विकास, बच्चे के परिपक्व या प्रौढ़ होने के साथ बढ़ता जाता है।

पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को चार अवस्थाओं में बाँटा है। यह अवस्थाएँ सभी व्यक्तियों में समान रूप से प्रकट होती है, किसी भी एक अवस्था को छोड़ा नहीं जा सकता। फिर भी जिस गति से बच्चे इन अवस्थाओं से गुजरते हैं, उसमें व्यक्तिगत अंतर कुछ सीमाओं के भीतर भिन्न हो सकते हैं।

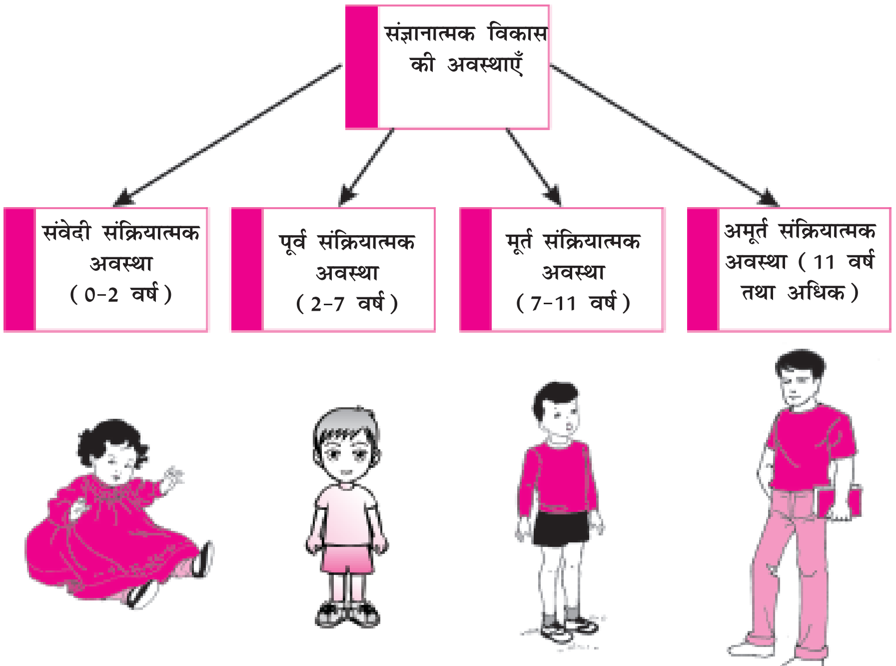

चित्र 7.3 : संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएँ

• संवेदी संक्रियात्मक अवस्था (0-2 वर्ष)

पियाजे के द्वारा प्रस्तुत सज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था को संवेदी संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। सज्ञानात्मक विकास का यह चरण जन्म से लेकर दो वर्ष की अवधि में पूरा होता है। पियाजे मानते थे कि शिशु या बच्चा सक्रिय रूप से सीखने वाला होता है जो कि वातावरण में होने वाले उद्दीपकों या प्रेरणा के प्रति उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया करता है। वह तीव्रता से सीखता है और वातावरण में विभिन्न चीजों में अंतर करने लगता है। उदाहरण के तौर पर, एक शिशु माँ के दूध और चम्मच के बीच अंतर करना सीख जाता है और दोनों के लिए अलग तरीके से मुँह खोलता है।

शिशुओं की जन्म के साथ प्रतिवर्ती क्रियाएँ जैसे चूसना तथा वस्तुओं को पकड़ना आदि संज्ञानात्मक विकास का आधार बन जाती हैं। समय के साथ वे स्वैच्छिक रूप से कार्य करना सीखते हैं। शिशु अपने वातावरण में अन्य व्यक्तियों का अनुकरण करना सीखते हैं। जैसे-जैसे वे बड़े होते हैं वे ऐसे व्यक्ति का भी अनुकरण करते हैं जो उस समय वहाँ उपस्थित नहीं होता है। इसे ही डैफर्ड (deffered) अनुकरण कहते हैं।

धीरे-धीरे बच्चों में वस्तु स्थायीत्व का गुण विकसित होता है अर्थात यह समझ की वह वस्तु तब भी अस्तित्व में होती है जब वह हमें दिखायी नहीं दे रही होता है। उदाहरण के लिए, चार महीने का बच्चा गेंद के आँखों से ओझल होने पर उसे नहीं ढूंढता परन्तु 15 माह का बच्चा गेंद को अवश्य ढूंढेगा।

• पूर्व-संक्रियात्मक अवस्था (2-7 वर्ष)

यह संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है जो कि मूलतः पूर्व-तर्क संगत अवस्था है जिसमें बच्चे की तर्क करने की शक्ति पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। यह 2-7 वर्ष तक की आयु के बच्चों में होती है। कुछ संज्ञानात्मक सीमाएँ इस अवस्था पर बच्चों की संज्ञान का लक्षण प्रस्तुत करती हैं, वे हैं–

आध्यात्मिक और अतार्किक सोच: इस अवस्था के बच्चे सोचते हैं कि निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन होता है वे प्रत्येक गतिमान वस्तु को जीवित मानते हैं। उदाहरण के लिए- आपने बच्चों को यह तर्क देते सुना होगा कि *अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह जीवित है अगर वह गतिमान नहीं है तो वह जीवित नहीं है। इसीलिए बच्चा इस अवस्था में, बादल को जीवित चीज मानता है।*

आत्मकेन्द्रित: बच्चे सोचते हैं कि सभी उनकी तरह सोचते हैं और सभी कुछ जो वह सोचता या करता है, वह ठीक है, और दूसरे के दृष्टिकोण को सही नहीं मानता है।

विपरीत या पलट कर सोचने की शक्ति: बच्चे किसी भी गतिविधि में इस क्षमता को समझ नहीं पाते, कि वे किसी घटना के वास्तविक प्रारंभिक बिंदु पर अनुगम करके पहुँच सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर एक लंबे गिलास से पानी को एक चौड़े बर्तन में उड़ेला जाए तो अपनी पहली

टिप्पणी

स्थिति में वापिस लाने के लिए पानी को वापिस लंबे गिलास में डाला जा सकता है। बच्चों में इस प्रकार की सोचने की क्षमता का अभाव पाया जाता है।

संरक्षण (Conservation): इस अवस्था में बच्चों में संरक्षण करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। ऐसा तब होता है जब बच्चा यह समझने में असफल होता है कि वस्तु की बाह्य आकृति बदलती है, परंतु वस्तु की भौतिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता, वह पहले जैसी ही रहती है। उदाहरण के लिए, अगर हम पानी की समान मात्रा को एक लम्बे और एक चौड़े, दो गिलासों में उड़ेले और बच्चे से पूछें कि किस गिलास में पानी ज्यादा है। बच्चे का इशारा उस गिलास की तरह होगा जिसमें उसे पानी ज्यादा लगता है।

इन्हीं क्षमताओं के अभाव के कारण बच्चे के लिए विविध परिप्रेक्ष्य में परिस्थितियों को समझना तथा एक से अधिक विशेषता वाली वस्तु को वर्गीकृत करना कठिन हो जाता है।

- **मूर्त-संक्रियात्मक अवस्था (7-11 वर्ष)**

मूर्त-संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच होती है। इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का अन्त हो जाता है। बच्चों में तर्क शक्ति का विकास होता है परंतु वे काल्पनिक परिस्थितियों में तर्क शक्ति का प्रयोग करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। उनके तर्क मूर्त वस्तु या परिस्थितियों की ठोस अवलोकित विशेषताओं तक ही सीमित होते हैं। बच्चे अब दूसरे लोगों के विचारों को समझने के योग्य हो जाते हैं।

बच्चों का **विकेन्द्रित** होना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस अवस्था में, बच्चों की समझ वस्तु के केवल एक पहलू पर केंद्रित नहीं रहती। वर्गीकरण करते समय वे एक से अधिक पहलुओं को ध्यान में रख सकते हैं। उनके पास विचारों को विपरीत या पलट कर सोचने की शक्ति है।

अपनी एक और क्षमता **क्रमबद्धता** भी वह इस आयु तक सीख जाता है। बच्चे अब वस्तुओं को उनकी परिभाषित विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध कर सकते हैं। यह गुण क्रमबद्धता कहलाता है। उदाहरण के लिए, वे विभिन्न आकार की पेन्सिलों के समूह को घटते या बढ़ते क्रम में लगा सकते हैं।

यह सभी विशेषताएँ संज्ञानात्मक विकास की पूर्व से क्रियात्मक अवस्था वाले बच्चों की तुलना में उन्हें बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाती है।

- **अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था (11 वर्ष व अधिक)**

अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आरम्भ होती है। यहाँ किशोर उच्च मानसिक क्षमताओं वाले कार्य करने के योग्य हो जाते हैं। उनके विचारों में लचीलापन होता है तथा वे जटिल समस्याओं को भी तर्कशक्ति का इस्तेमाल कर उनके संभावित हल खोज सकते हैं। अमूर्त

विचारों की एक महत्त्वूर्ण विशेषता परिकल्पनात्मक तथा निगमनात्मक तर्क शक्ति के प्रदर्शन से भी है। किशोर परिकल्पना कर सकते हैं तथा किसी **अमूर्त समस्या के संभावित समाधान** खोज सकते हैं तथा उनमें से सबसे सही समाधान का चयन भी कर सकते हैं।

पाठगत प्रश्न 7.4

(1) कॉलम (क) को कॉलम (ख) से मिलाएँ–

कॉलम (क)	कॉलम (ख)
(क) अगर वह गतिमान है तो वह जीवित है	(i) शैशवावस्था
(ख) पकड़ना, चूसना, आँख को झपकाना	(ii) एनिमिस्टिक सोच
(ग) परिकल्पित/निगमनात्मक तर्कशक्ति	(iii) पियाजे
(घ) डेफर्ड अनुकरण	(iv) किशोरावस्था
(ङ) संज्ञानात्मक सिद्धांत	(v) प्रतिवर्ती क्रियाएँ

(2) खाली स्थान भरिए–

(क) संज्ञानात्मक विकास को चार अवस्थाओं में बाँटा जा सकता है ...., ..., और ....।

(ख) वह योग्यता जो यह समझने में मदद करती है कि बाह्य आवरण में परिवर्तन होता है परंतु भौतिक विशेषताएँ समान ही रहती है, ... कहलाता है।

(ग) जो मैं सोच रहा हूँ और जो मैं जानता है, सभी वही समान रूप से सोच रहे हैं, बच्चे की यह सोच ....की ओर इशारा करता है।

(घ) किसी का अनुकरण करना जब वह उपस्थित न हो .... कहलाता है।

(ङ) किसी परिकल्पनात्मक समस्या के सभी संभावित समाधानों में से सबसे सही समाधान को चुनना, ... कहलाता है।

7.1.5 भाषायी विकास, संप्रेषण और निर्गत साक्षरता

भाषा मानव जाति की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है, यही वह योग्यता है जो एक मानव को अन्य जीवों से अलग करती है। समाज में मनुष्य, अपनी भाषायी योग्यता का उपयोग विचारों को संप्रेषित करने, अपने भावों को साझा करने, एक-दूसरे के मन को समझने तथा सामाजिक संबंध स्थापित करने में करते हैं। भाषा चिन्तन करने, सीखने तथा आसपास के संसार को समझने का प्रमुख माध्यम है। भाषा अतीत की घटनाओं का चिन्तन करके भविष्य की योजना तैयार करने में सहायता करती है। भाषा काम करने की रणनीति तथा विचारों के जोड़-तोड़ का मूल्यांकन करने में भी मदद करती है। मुख्य रूप से, भाषा एक उपकरण के रूप में अनुभूति और इसके को समझने में विपरीत सहयोग प्रदान करती है।

छोटे बच्चों के विकास के लिए भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा का विकास मस्तिष्क की वृद्धि तथा परिपक्वता को दर्शाता है। जीवन के प्रारंभिक वर्ष भाषा विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जन्म से 6 वर्ष की आयु तक बच्चों में भाषा का विकास तेज गति से होता है। कोई भी मौखिक प्रेरक जो इस आयु में दिया जाता है, बच्चे पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। सामान्यत: भाषा का विकास सभी मनुष्यों में समान रूप से होता है, परंतु आयु तथा गति जिससे बच्चा भाषा के विकास के प्रतिमान पर पहुँचता है, भिन्न-भिन्न होता है। सामान्यत: लड़कियों में भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा तेजी से होता है, हालाँकि बाद में दोनों भाषा की जटिलताओं को समान रूप से प्राप्त करते हैं। भाषा सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने द्वारा ग्रहण करके एवं अभिव्यक्ति करके सीखी जाती है।

7.1.5.1 भाषा का विकास

जन्म के बाद, शिशु हँसकर, रोकर, किलकिलाने की ध्वनि के साथ संप्रेषण प्रारंभ करते हैं। वे अपनी बात इशारों के माध्यम से समझाते हैं। 4 महीने की आयु तक, इन ध्वनियों की प्रकृति बदल जाती है और शिशु अपनी मौखिक क्षमता को अलग-अलग आवाजों से प्रदर्शित करने लगता है। आयु के प्रारंभ के 6-7 महीने में कूकने की ध्वनि वास्तविक भाषा जैसे तुतलाना (उदाहरण-बाबा, मामा आदि) में विकसित हो जाती है।

(I) संप्रेषण की पूर्व भाषा

(i) रोना (ii) किलकिलाना तथा तुतलाना (iii) इशारे

(II) संप्रेषण की भाषा

(iv) बोध (v) उच्चारण (vi) शब्द भंडार (vii) वाक्य रचना

बच्चे भाषा के प्रयोग से पहले उसे अच्छी तरह समझना सीखते हैं। वे पहले भाषा को समझते हैं, फिर उसका स्वयं प्रयोग करते हैं। आपने इस बात पर अवश्य ध्यान दिया होगा कि प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की भाषा स्पष्ट नहीं होती परंतु जल्दी ही उनका उच्चारण स्पष्ट होता जाता है। आयु के साथ उनका शब्द भंडार भी बढ़ता जाता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जो शब्द बच्चे अपने शब्द भंडार में जोड़ते हैं वे अर्थपूर्ण होते हैं। वह तेजी से नए शब्दों को ग्रहण कर लेते और नए सीखे गए शब्दों को शुरू में बच्चे दो या तीन शब्दों को जोड़कर अर्थपूर्ण वाक्यांश बना लेते हैं (उदाहरण के लिए - खाना दो) और बाद में तीन से अधिक शब्द जोड़कर एक छोटा वाक्य बनाते हैं। धीरे-धीरे बच्चा, भाषा संबंधी योग्यता को सीखकर एक जटिल वाक्य की रचना कर लेता है। इसके साथ समझ जाती है कि मध्य बाल्यावस्था में वह भाषा में इस्तेमाल होने वाले सामाजिक नियमों को सीख लेता हैं। उनके द्वारा भिन्न-भिन्न लोगों के साथ बोले जाने वाली भाषा भिन्न-भिन्न हो सकती है और साथ ही भिन्न-भिन्न स्थानों पर बोली जाने वाली भाषा भी भिन्न हो सकती है। वह माता-पिता, शिक्षक तथा अपने बड़ों से एक निश्चित प्रकार की भाषा बोलते हैं तथा अपने सहपाठियों के साथ अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग करने के योग्य हो जाते हैं।

पाठगत प्रश्न 7.5

(1) खाली स्थानों को भरिए–

(क) बच्चों में शब्दों के प्रयोग से पहले .... विकसित होता है।

(ख) लोगों के साथ बच्चों की बातचीत .... से शुरू होती हैं।

(ग) जीवन के प्रारंभिक वर्षों को भाषा के विकास के लिए .... काल माना जाता है।

(घ) .... तथा .... दोनों भाषा होती है।

(2) कथन के आगे सत्य अथवा असत्य लिखिए–

(क) बच्चों में शब्दों के प्रयोग से पहले बोध विकसित होती है।

(ख) प्रारम्भिक उत्प्रेरण बाद के भाषायी विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है।

(ग) तुतलाना – किलकिलाना से पहले प्रारंभ होता है।

गतिविधि 7.1

'बच्चों में समग्र विकास लाने के लिए विकास के सभी आयामों का महत्व' विषय पर अपने समुदाय में जागरुकता लाने के लिए एक पोस्टर/लेआउट/पैम्फ्लेट तैयार करें।

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा कि–

- विभिन्न अवस्थाओं में बच्चों के विभिन्न आयामों का विकास होता है।
- शारीरिक और गत्यात्मक विकास के अन्तर्गत समग्र शारीरिक विकास तथा स्थूल एवं सूक्ष्म गत्यात्मक विकास आता है।
- सामाजिक संवेगात्मक विकास में बच्चा स्वयं तथा समाज के बीच सम्बन्ध स्थापित करना और संवेदनाओं को समझना एवं नियंत्रण करना सीखता है।
- नैतिक विकास सही और गलत की भावना को दर्शाता है। नैतिक व्यवहार और तार्किकता भी इसी के अन्तर्गत आते हैं।
- संज्ञानात्मक विकास सोच, समझ और अवधारणा निर्माण को दर्शाता है।
- प्रारंभिक वर्षों में बच्चा सुनकर, समझकर, बोलकर और लिखकर भाषा सीखता है और संवाद करना सीखता है।

पाठांत प्रश्न

1. विकास के आयामों का क्या अर्थ है? विकास के किन्हीं दो आयामों की विस्तृत चर्चा कीजिए।
2. बच्चों का शारीरिक विकास किस प्रकार होता है?
3. पियाजे और कोहलबर्ग द्वारा बताए गए नैतिक विकास के स्तरों की व्याख्या कीजिए।
4. बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के स्तरों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।
5. मनुष्य के लिए भाषा के महत्व की चर्चा कीजिए।

पाठान्त प्रश्नों के उत्तर

7.1

1. स्थूल गत्यात्मक कौशल में बड़ी माँसपेशियों को शामिल करते हैं जो बच्चों की क्रियाओं को जैसे- रेंगना, खड़े होना, चलना, चढ़ना, दौड़ना और कूदना को नियंत्रित करता है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में छोटी माँसपेशियों को शामिल करते हैं जिसमें बच्चे अपने हाथों एवं अँगुलियों की योग्यता का उपयोग रँगने, चित्र बनाने में करते हैं।
2. स्थूल गत्यात्मक विकास जैसे चढ़ना, दौड़ना, पकड़ना, उछलना, कूदना, झूलना।

   सूक्ष्म गत्यात्मक विकास जैसे चित्र बनाना, रँगना, बुनना, चिपकाना, पेपर मोड़ना, मूर्ति बनाना।

7.2

W	X	Y	Z	J	E	A	L	O	U	S	Y	K	L	M
A	B	C	D	O	F	S	H	O	C	K	N	N	O	P
H	A	P	P	Y	O	U	Q	H	O	P	E	S	Y	F
O	B	A	N	G	E	R	R	L	T	P	R	I	D	E
P	W	I	H	J	U	P	S	E	T	K	V	M	B	A
E	O	N	S	Y	C	R	A	G	E	P	O	L	Y	R
F	R	D	F	G	H	I	N	O	K	T	U	S	Z	O
U	R	H	J	B	D	S	A	D	O	B	S	K	J	C
L	Y	F	L	O	V	E	Q	Z	T	U	W	V	B	A
S	C	A	R	E	D	F	J	R	M	O	K	S	T	L
E	M	B	A	R	R	A	S	S	M	E	N	T	F	M

7.3

(1) (क) कोहलबर्ग

(ख) उत्तर पारम्परिक नैतिकता

(2) (क) नियमपालन की नैतिकता तथा रजामंदी की नैतिकता

(ख) सार्वभौमिक, निश्चित

7.4

1. (क) (ii)

(ख) (v)

(ग) (iv)

(घ) (i)

(ङ) (iii)

(2) (क) संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व-संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त-संक्रियात्मक तथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था

(ख) संरक्षण (conservation)

(ग) आत्मकेन्द्रित

(घ) डेफर्ड अनुकरण

(ङ) परिकल्पित-निगमनात्मक तर्कशक्ति

7.5

(1) (क) बोध

(ख) रोना

(ग) महत्वपूर्ण

(घ) ग्रहण करके, स्पष्ट रूप से

(2) (क) सत्य

(ख) असत्य

(ग) असत्य

सन्दर्भ

- Berk, L. (2012). *Child Development (9thEdition)*. Prentice Hall of India.

- Hurlock, E.B. (2007). *Developmental Psychology: A life –span approach*. New Delhi: Tata Mc Graw-Hill.
- Santrock, J.W. (2011).*Child Development (13th Ed.)*.New Delhi: Mc Graw Hill.
- Santrock, J. W. (2012). *Life Span Development (13th Ed.)*. New Delhi: Mc Graw Hill.
- Singh, A. (Ed). (2015). *Foundations of Human Development*. New Delhi: Orient Blackswan.
- Srivastava, A.K. (1997). *Child Development: An Indian Perspective*. New Delhi: NCERT.

टिप्पणी

8

बाल विकास की अवस्थाएँ : प्रसव पूर्व तथा जन्म से तीन वर्ष तक

जब परिवार में किसी एक नए सदस्य के आने की तैयारी हो रही होती है तो परिवार के सभी सदस्य उसके स्वागत के लिए, माता-पिता, दादा-दादी या दूसरे रिश्तों के रूप में अपनी-अपनी भूमिका निभाने के लिए अत्यंत उत्साहित हो उठते हैं। परिवार का विस्तार, एक नए सदस्य का आगमन और उसकी देखभाल तथा पालन-पोषण का दायित्व बहुत ही रोमांच और कुछ डर लिए होता है।

प्रस्तुत पाठ में आप बच्चे के प्रसव पूर्व से लेकर 3 वर्ष तक की वृद्धि और विकास के विषय में पढ़ेंगे।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप–

- गर्भावस्था और प्रसव के बाद माँ के लिए आवश्यक देखभाल की व्याख्या करते हैं;
- प्रसव पूर्व काल में गर्भावस्था के दौरान बच्चे की अवस्था का वर्णन करते हैं;
- एक नवजात शिशु के लिए आवश्यक देखभाल की चर्चा करते हैं;
- शिशुकाल के दौरान बाल विकास के पड़ावों की प्रमुखता बताते हैं;
- बाल विकास में प्रारंभिक उद्दीपकों के महत्व पर चर्चा करते हैं; और
- टॉडलर अवस्था के दौरान विभिन्न आयामों में विकास के पड़ावों का वर्णन करते हैं।

8.1 गर्भावस्था के दौरान बच्चे का विकास

सामान्य रूप से मानवीय गर्भावस्था की अवधि 37 से 41 सप्ताह की होती है। गर्भधारण के

36 सप्ताह से पहले जन्म हुए बच्चे को अपरिपक्व माना जाता है तथा 41 सप्ताह के बाद जन्म लेने वाले बच्चे को परिपक्व शिशु के रूप में जाना जाता है।

आइए, प्रसव पूर्व विकास के बारे में अध्ययन करते हैं।

8.1.1 प्रसव पूर्व विकास

शुक्राणु के साथ मिलन के बाद अंडाणु, **डिंबावस्था** में प्रवेश करता है जो तीव्र गति से कोशिका विभाजन का समय होता है और लगभग दो सप्ताह तक चलता है। इसके पश्चात 6 सप्ताह की **भ्रूणावस्था** आती है जिसके दौरान भ्रूण का संरचनात्मक विकास होता है। तीसरे महीने की शुरुआत से जन्म तक की अवधि **गर्भ की अवधि** कहलाती है। इस के दौरान अंग, माँसपेशियाँ एवं तंत्र विकसित होना और कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। जीव के जन्म के समय जीवित रहने के लिए आवश्यक अनेक प्रक्रियाएँ भी इस समय विकसित हो रही होती हैं। गर्भावस्था में विकास को चित्र द्वारा समझाया गया है।

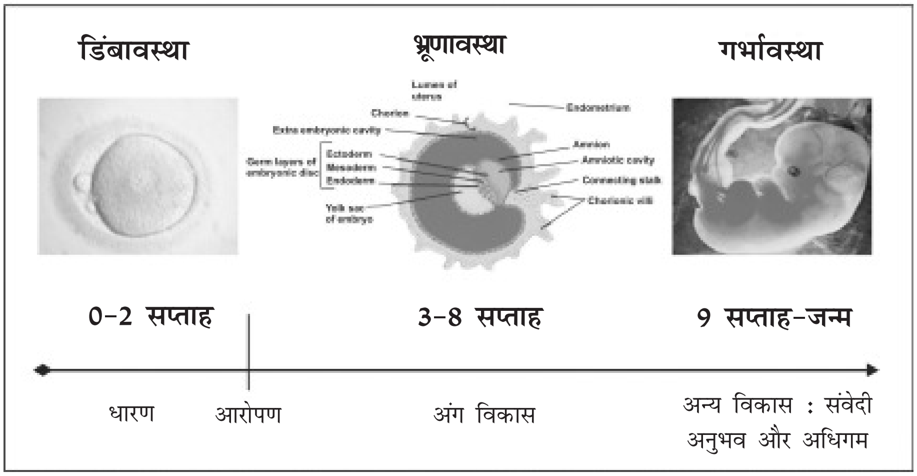

चित्र 8.1 : गर्भावस्था विकास की अवस्थाएँ

अवस्था 1 : डिंबावस्था (जर्मीनल)

गर्भधारण से दो सप्ताह बाद की अवधि डिंबावस्था कहलाती है। गर्भधारण तब होता है जब एक शुक्राणु अंड कोशिका के साथ मिलता है और युग्मनज (zygote) बनाता है। गर्भधारण के छत्तीस घंटे बाद युग्मनज तेजी से विभाजित होना प्रारंभ करता है। इसके परिणामस्वरूप कोशिकाओं का बना गोला माता की डिंबवाहिनी नलिका से होता हुआ गर्भाशय तक पहुँचता है। गर्भधारण के सात दिन पश्चात कोशिकाओं का गोला गर्भाशय की दीवार पर चिपकना प्रारंभ कर देता है। यह प्रक्रिया आरोपण (Implantation) कहलाती है और इसे पूरा होने में लगभग एक सप्ताह का समय लगता है।

डिंबावस्था की एक मूल विशेषता–**गर्भनाल** (placenta) जोकि गर्भाशय की दीवार को घना करने वाला एक गाढ़ा, रक्त मुक्त उत्तक का बनना है। गर्भनाल के दो महत्त्वपूर्ण कार्य होते हैं:

- आक्सीजन और पोषक तत्वों को माँ के रक्त से भ्रूण तक पहुँचाना। जैसे- विकासशील भ्रूण को पोषण देता है।
- भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को हटाना।

अवस्था 2 : भ्रूणावस्था

भ्रूणावस्था, **डिंबावस्था** के अंत से गर्भधारण के दो माह तक रहती है। कोशिकाओं का विकसित होता गोला अब **भ्रूण** कहलाता है। इस अवस्था में सभी प्रमुख अंग बनते हैं और भ्रूण बहुत नाजुक होता है। भ्रूण अवस्था के अंत तक भ्रूण केवल एक इंच लंबा होता है।

अवस्था 3: गर्भावस्था (Foetal)

गर्भावस्था, प्रसव पूर्व विकास की अंतिम अवस्था है जो गर्भधारण के दो माह बाद से जन्म तक होती है। इस अवस्था के एक महीने में जननांग बनने प्रारंभ हो जाते हैं। हड्डियों और माँसपेशियों के बनने से भ्रूण तेजी से बढ़ता है और गर्भाशय में गति करना प्रारंभ करता है। अंग तंत्र और अधिक विकसित होते हैं और कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। अंतिम तीन माह में मस्तिष्क तेजी से आकार में बढ़ता है, त्वचा के नीचे वसा की अवरोधक परत बनती है, और श्वसन तथा पाचन तंत्र स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर देते हैं।

8.1.2 प्रसव पूर्व वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक

यद्यपि प्रसव पूर्व सभी शिशु विकास के सामान्य पैटर्न (Pattern) का ही अनुसरण करते हैं तथापि कुछ कारक सामान्य वृद्धि को बाधित कर सकते हैं। टेराटोजेंस से तात्पर्य किसी रोग, दवा या अन्य पर्यावरणीय कारक से है जो विकसित होते भ्रूण को हानि पहुँचा सकते हैं जो शारीरिक विकृति, वृद्धि का पिछड़ना और मस्तिष्क की क्षति का कारण बन सकते हैं। कुछ टेराटोजेंस और अन्य कारक जो प्रसव पूर्व वृद्धि को प्रभावित करते हैं, की चर्चा नीचे की गई है:

- **दवाएँ लेना :** चिकित्सीय दवाएँ, जैसे, एंटीबायटिक्स तथा गैरकानूनी दवाएँ जैसे, मैरीजुआना, अफीम और कोकीन आदि भ्रूण के लिए अत्यधिक हानिकारक होती हैं।
- **शराब और धूम्रपान :** शराब पीना तथा धूम्रपान करना भ्रूण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह मानसिक मंदता तथा धीमी शारीरिक वृद्धि का कारण बनते हैं। शराब तथा धूम्रपान इनके अलावा, निकोटीन तथा कैफीन की अत्यधिक मात्रा भी विकसित होते भ्रूण पर प्रभाव डाल सकती है।
- **पर्यावरणीय खतरे :** आधुनिक जीवनशैली से पैदा होने वाले पर्यावरणीय खतरे जैसे कि रसायनों के संपर्क में आना, विकिरण, अत्यधिक गर्मी और नमी आदि प्रसव पूर्व उत्परिवर्तन और विकृतियों के कारण हो सकते हैं।

टिप्पणी

पाठगत प्रश्न 8.1

कॉलम (क) को कॉलम (ख) से मिलाएँ–

कॉलम (क)	कॉलम (ख)
(क) युग्मनज	(i) 8 सप्ताह
(ख) आरोपण	(ii) जब युग्मनज गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है।
(ग) भ्रूण	(iii) निषेचन का परिणाम
(घ) गर्भनाल	(iv) मोटा रक्त भरा ऊतक जो गर्भाशय की दीवारों से गर्भावस्था के दौरान सीमा बनाता है और भ्रूण को पोषित करता है।

8.2 नवजात शिशु की विशेषताएँ

इस खंड में नवजात शिशु की विशेषताओं जैसे:– नाभिरज्जू, त्वचा, बाल, सिर, वज़न, ऊँचाई, सोने के तरीकों और प्रतिवर्ती क्रियाओं की चर्चा नीचे की गई है।

- **नाभिरज्जू**

  नवजात शिशु की नाभिरज्जू नीलापन लिए सफेद रंग की होती है। जन्म होते ही नाभिरज्जू सामान्यत: काट दी जाती है, केवल 1–2 इंच की ढूँढ (stub) छोड़ दी जाती है। यह धीरे-धीरे सूखकर मुरझा जाती है, गहरे रंग की हो जाती है और अपने आप तीन सप्ताह में झड़ जाती है। बाद में ठीक हो जाने के बाद यही नाभि बन जाती है।

- **त्वचा**

  नवजात शिशु गीला, खून की धारियों से लिपटा और एक सफेद पदार्थ जिसे वर्निक्स कैसिओसा कहते हैं, से ढका होता है जिसे जीवाणु विरोधी अवरोधक माना जाता है। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा अकसर सलेटी सा हल्का नीला रंग लिए होती है। नवजात शिशु जैसे ही सांस लेना प्रारंभ करता है, आमतौर से एक या दो मिनट के अंदर, त्वचा का रंग सामान्य हो जाता है।

- **बाल**

  कुछ नवजात शिशुओं के शरीर पर छोटे मुलायम बाल होते हैं जिन्हें लैन्युगो कहते हैं। ये अकसर अपरिपक्व शिशुओं के कंधों, पीठ, माथे, कान और चेहरे पर दिखाई देते हैं। जन्म के कुछ सप्ताह में लैन्युगो गायब हो जाते हैं।

- **सिर**

  एक नवजात का सिर उसके शरीर के अनुपात में काफी बड़ा होता है तथा उसकी खोपड़ी चेहरे के अनुपात में बड़ी भी होती है।

- **भार या वजन**

पूरे समय में पैदा हुए नवजात का औसत वजन लगभग 2.5 से 3.5 किग्रा. होता है।

- **ऊँचाई या लंबाई**

बच्चे की लंबाई उसके वजन की अपेक्षा काफी धीमी गति से बदलती है। जन्म के समय बच्चे की लंबाई कुछ भी हो, प्रतिमाह वह 2 से.मी. (3/4") बढ़ती है या पहले तीन महीनों में 5 से.मी. (2") बढ़ जाती है।

- **सोने के तरीके**

अधिकतर नवजात शिशु रात और दिन में हर दो या तीन घंटे में जाग जाते हैं। सोने की यह अल्पावधि उनके जागने की अल्पावधि के साथ बारी-बारी से बदलती रहती है। उनका जागना मुख्य रूप से दूध पीने, उन्हें सूखा और आरामदायक स्थिति में रखने के लिए होता है।

- **प्रतिवर्ती क्रियाएँ**

किसी विशेष प्रकार के प्रेरक या उद्दीपक के प्रति स्वभाविक जन्मजात प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ये नवजात के व्यवहार के व्यवस्थित नमूने या तरीके होते हैं। छोटे बच्चे प्रकाश के सीधे सम्पर्क में आने पर अपनी आँखें जल्दी-जल्दी खोलते और बन्द करते हैं, होठों से छुआई जाने वाली वस्तु को चूसने लगते हैं, उनके हाथों में कोई चीज रखी जाती है तो वे उसे पकड़ लेते हैं। ये सभी कुछ ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएँ हैं, जिनके साथ बच्चे जन्म लेते हैं। नीचे दी गई तालिका में नवजात के मुख्य प्रतिवर्तों को दर्शाया गया है-

	नवजात शिशुओं की प्रतिवर्ती क्रियाएँ
रूटिंग (Rooting)	शिशु अपने गाल को छूने वाली चीजों की तरफ अपना सिर घुमाता है।
कदम बढ़ाना (Stepping)	शिशु अपनी टाँगें हिलाता है जब उसे फर्श से छूते हुए पैरों से सीधा पकड़ा जाए।
तैरना (Swimming)	यदि किसी पानी से भरी जगह में उसे मुँह नीचा कर लिटाया जाए तो वह तैरने जैसी क्रिया यानि पैरों से पैडल चलाना या पानी को किक करने जैसी क्रिया करता है।
मोरो (moro)	शिशु की गर्दन या सिर के नीचे से अचानक सहारा हटा लेने पर वह अपनी बाहें किसी चीज को पकड़ने की तरह बाहर को उठाता या फैलाता है।
बबिंसकी (Babinski)	अपने पैर के बाहरी हिस्से पर कुछ मारने या टकराने पर अपने पैरों को हिलाता है।

टिप्पणी

स्टार्टल (Startle)	किसी अचानक आवाज़ की प्रतिक्रिया में वह अपनी बाहें खोलता है, पीठ मोड़ता है तथा उँगलियाँ फैलाता है।
पलकें झपकाना (Eye Blink)	आँख पर सीधा प्रकाश पड़ने पर आँखे झपकाता या बंद करता है।
चूसना (Sucking)	होठों पर छुआई गई वस्तु को चूसता है।
पामर ग्रैस्प (Palmar Grasp)	जब कोई वस्तु शिशु के हाथ में रखी जाए तो वह अपनी उँगलियाँ बंद करता है और उसे पकड़ता है।

पाठगत प्रश्न 8.2

कॉलम (क) का कॉलम (ख) से मिलान कीजिए–

क	ख
(क) मोरो प्रतिक्रिया	(i) गाल छुए जाने पर उस दिशा में सिर मोड़ने की शिशुओं की प्रवृत्ति।
(ख) पामर ग्रैस्प (Palmar Grasp)	(ii) सूर्य के प्रकाश में या किसी तेज रोशनी में आने पर शिशु जल्दी-जल्दी आंखें झपकाता है।
(ग) रूटिंग (Rooting)	(iii) शिशु की हथेली में उँगली रखना और उसका उसे पकड़ना।
(घ) बबिंस्की (Babinski)	(iv) गर्दन से सहारा हटने पर शिशु का बाँहें फैलाना।
(ङ) पलकें झपकाना (Eye Blink)	(iv) पैर पर थपकी या चोट करने के जवाब में पैर को हिलाना।

8.3 शैशवावस्था में वृद्धि और विकास

जन्म से एक वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। जन्म के समय शिशु कुछ जन्मजात प्रतिक्रियाएँ प्रदर्शित करते हैं जैसे- चूसना, पलक झपकना और पकड़ना। वे हलके गहरे दृष्टि संबंधी वैषम्यों और गतियों के प्रति संवेदनशील होते हैं और मनुष्य के चेहरों को देखना पसंद करते हैं। ये मनुष्यों की आवाज़ को पहचानना भी प्रारंभ कर देते हैं। शैशवावस्था में प्राप्त योग्यताएँ, भविष्य में प्राप्त की जाने वाली योग्यताओं व कौशलों का आधार बनती हैं।

जन्म से लेकर एक वर्ष तक के बच्चे विकास के आयामों के जो पड़ाव प्राप्त करते हैं, उन पर नजर डालते हैं।

टिप्पणी

8.3.1 प्रसव पूर्व से लेकर शैशवावस्था के पड़ाव

जीवन के पहले वर्ष में शिशु आश्चर्यजनक गति से वृद्धि करते हैं। वे न केवल शारीरिक दृष्टि से यानी वज़न और लंबाई में बढ़ते हैं, बल्कि उन मुख्य उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं जिन्हें विकासात्मक पड़ाव कहते हैं।

1. भ्रूण मुद्रा (नवजात)

2. ठोड़ी ऊपर उठाता है (1 माह)

3. छाती उठाता है (2 माह)

4. सहारे से बैठ सकता है (4 माह)

5. स्वयं बैठ सकता है (7 माह)

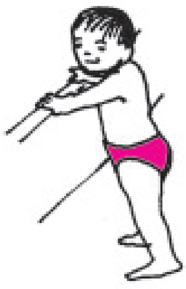

6. फर्नीचर पकड़ कर खड़ा हो सकता है (9 माह)

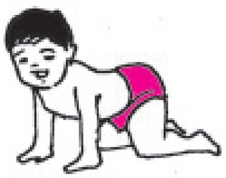

7. रेंगता है (10 माह)

8. पकड़कर चलता है (11 माह)

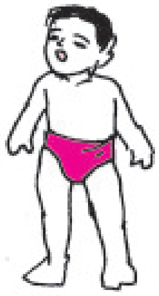

9. खड़ा हो सकता है (11 माह)

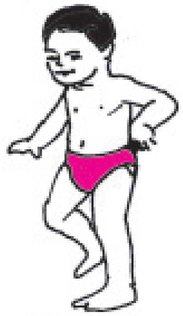

10. स्वयं चल सकता है (12 माह)

चित्र 8.2 : शारीरिक विकास के पड़ाव

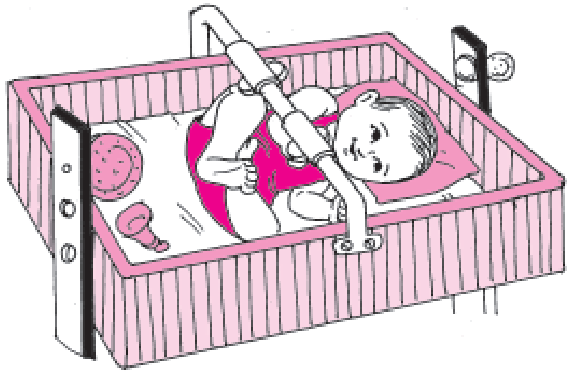

चित्र 8.3 : संवेदी विकास

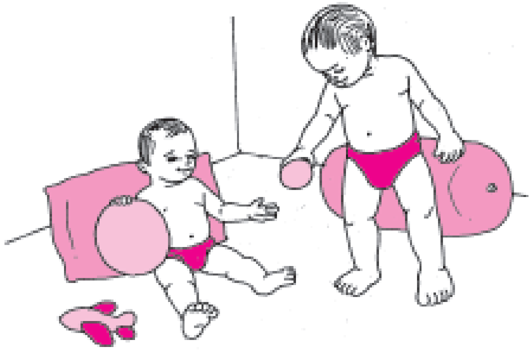

चित्र 8.4 : सामाजिक संवेगात्मक विकास

आयु सीमा के आधार पर शिशुओं की उपलब्धियों की विस्तार से चर्चा निम्नलिखित चार खंडों में विभाजित की गई है।

जन्म से तीन माह तक

- **गत्यात्मक कौशल :** प्रारंभ में नवजात का सिर स्थिर नहीं होता। तीन महीने तक, शिशु जब पेट के बल लेटा होता है अपना सिर उठाने और एक ओर से दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश करता है। बच्चा अँगड़ाई लेने और पैर मारने में अधिक सशक्त हो जाता है। यदि आप कोई खिलौना दें, तो आप देखेंगे कि वह उसे झपट लेगा और कुछ क्षणों के लिए कसकर पकड़ लेगा।
- **सुनना :** जन्म से कुछ सप्ताह के भीतर शिशु चुप होकर या मुस्कुराकर आवाज़ के प्रति प्रतिक्रिया करता है। आप, माँ या परिवार के किसी सदस्य की आवाज़ पर उसकी प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर सकते हैं।
- **दृष्टि :** दूध पीते समय शिशु माँ के चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ कर देता है। तीन महीने की उम्र में, वे किसी दृष्टि या ध्वनि से आसानी से विचलित हो सकता हैं। बच्चा विभिन्न जटिल डिजाइनों, विभिन्न रंगों, आकारों और आकृतियों का अवलोकन करना शुरू कर देता है।
- **सम्प्रेषण :** शिशु रोकर अपनी आवश्यकताओं को संप्रेषित करने में सक्षम होते हैं। 2 महीने की उम्र के बच्चे उद्देश्यपूर्ण ढंग से मुस्कराने और किलकिलाने लगते हैं और यदि आप उनके साथ खेले या बात करें तो तुतलाने लगते हैं। वे अपने आस-पास के लोगों के चेहरों के भावों की नकल भी कर सकते हैं। इस आयु के शिशु को जब ध्यान, सुरक्षा और आराम चाहिए होता है तो वे अपने जाने- पहचाने किसी बड़े व्यक्ति के पास जाने की कोशिश करते हैं।

4 माह से 6 माह

तीसरे महीने के बाद शिशु आस-पास के संसार से और अधिक परिचित होने लगते हैं। वे अपने आस-पास के वातावरण को और अधिक जिज्ञासा से देखते हैं।

- **गत्यात्मक कौशल :** शिशु अपने हाथों और पैरों को और अधिक उद्देश्यपूर्ण ढंग से हिलाने-डुलाने और मारने लगते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि शिशु इस आयु में अपने पेट के बल हिलने-डुलने लगते हैं और अचानक पलट भी जाते हैं। उनकी माँसपेशियों में ताकत आती है और सिर के नियंत्रण में भी सुधार होता है। इस आयु के अधिकांश बच्चे उलटा लेटे होने पर अपना सिर उठाने लगते हैं। वे स्वयं से उठने या अपनी टाँगों पर कुछ भार सहन करने लगते हैं। 6 महीने का होने पर कई शिशु बिना किसी सहारे के बैठने लगते हैं। इसके बाद वे रेंगना शुरू करते हैं।
- **आँख-हाथ का समन्वयन :** इस आयु के बच्चे अपने आस-पास की वस्तुएँ जैसे झुनझुने, आदि को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वे अपने पास के लोगों की उँगली पकड़ने का भी प्रयास करते हैं। शिशु की पहुँच के भीतर आने वाली हर वस्तु को वह मुँह में डालते हैं। आपने शिशुओं को, चीजों को अपनी ओर खींचते हुए देखा होगा। इसके लिए उन्हें उस चीज को लेने के लिए आँख तथा हाथ का समन्वयन करना होता है। इसके बाद शिशु एक हाथ से दूसरे हाथ में चीजें हस्तांतरित करना प्रारंभ कर देते हैं।

- **दृष्टि :** इस आयु के बच्चे अजनबी और जाने-पहचाने चेहरों में अंतर करना प्रारंभ कर देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि शिशु, खिलौनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपनी उँगलियों और अँगूठे को ध्यान से देखते हैं और अपनी परछाईं को घूरते हैं। इस अवस्था के अधिकांश शिशु चमकदार रंगों की ओर सिर घुमाते हैं। यदि आप फर्श पर कोई गेंद लुढ़काएँ तो शिशु भी उसी दिशा में अपना सिर घुमाता है।

- **संप्रेषण :** इस आयु में शिशु तुतलाना, गरगर करना और हँसना शुरू कर देते हैं। वे आस-पास के लोगों के चेहरों के भावों और आवाज़ों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और उनकी नकल करते हैं। वे कुछ तुतलाएंगे और फिर आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करेंगे। उनकी स्मरणशक्ति और ध्यान देने की अवधि में भी वृद्धि होती है। वे भाषा के तत्वों और शब्दों को पकड़ना प्रारंभ करते हैं। वे अपना नाम भी पहचानना शुरू कर देते हैं।

7 माह से 10 माह

विकास के लगभग सभी आयामों में बढ़ी हुई क्षमता शिशुओं को अपने शरीर की क्षमता से अधिक करने की अनुमति देता है। वे वस्तुओं और उनके आसपास के लोगों के साथ बेहतर सहभागिता करना शुरू कर देते हैं।

- **गत्यात्मक कौशल :** इस आयु तक शिशु दोनों दिशाओं में उलट सकते हैं, यहाँ तक कि सोते हुए भी। कुछ शिशु स्वयं बैठ सकते हैं, जबकि कुछ को सहारे की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि शिशु अब आगे-पीछे झूलना, या कमरे में रेंगना शुरू कर देते हैं। कुछ शिशु खड़ा होने का प्रयास करना भी प्रारंभ कर देते हैं।
- **आँख-हाथ का समन्वयन :** शिशु अधिक परिष्कृत तरीके से सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का प्रदर्शन शुरू करने लगते हैं। अधिकाँश शिशु इस आयु में वस्तुओं को एक हाथ से दूसरे में या सीधे मुँह में डाल लेते हैं। वस्तुओं को हाथ से अपनी ओर खींचना अधिक परिस्कृत हलचल को दर्शाता है, जैसे अँगूठे और पहली उँगुली से वस्तुएँ उठाना। इस बढ़ती दक्षता से शिशु को चम्मच पकड़ने और खाने की वस्तुएँ पकड़ने में सहायता मिलती है।
- **संप्रेषण :** शिशु अब ध्वनियों, हाव-भाव और चेहरों के भावों के माध्यम से संप्रेषण करते हैं। अब आपको उनके और अधिक हँसने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वे अब अपना नाम पुकारे जाने पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे आवाज के लहजे से संवेगों में अंतर कर सकते हैं। वे सुनी हुई ध्वनियों को दोहराने का प्रयत्न करते हैं।

10 माह से 12 माह

जैसे ही बच्चे अपने पहले जन्मदिन पर पहुँचते हैं, उनकी हरकते लक्ष्य केन्द्रित हो जाती है और वे अपनी योजनाओं को अंजाम देने में सापेक्ष सटीकता प्रदर्शित करते हैं।

- **गत्यात्मक कौशल :** इस आयु के अधिकाँश बच्चे बिना किसी सहारे के स्वयं बैठ सकते हैं और खुद को खड़े होने की स्थिति में ला सकते हैं। नई-नई खोजों के लिए वे कुछ और कदम आगे बढ़ाते हैं। रेंगना, सरकना और फर्नीचर के सहारे चलना आगे चलकर

चलने की क्रिया में बदल जाता है। 12 महीने की अवस्था में शिशु बिना सहारे के एक या दो कदम चल सकते हैं।

- **आँख-हाथ का समन्वयन :** इस आयु के शिशु अपनी उँगलियों से खाद्यपदार्थ को उठाकर खा सकते हैं। वे अँगूठे तथा पहली उँगुली की सहायता से वस्तु को पकड़ सकते हैं। ब्लॉक्स या अन्य वस्तुओं को बजाकर उसकी ध्वनि का आनंद लेते हैं और वस्तुओं को क्रम से लगाते, भरते या एक-दूसरे के भीतर डालते हैं।

- **संज्ञानात्मक कौशल :** आपने 'विकास के आयाम' पाठ में पढ़ा है कि जैसे-जैसे बच्चे की वस्तुओं के स्थायित्व की समझ बढ़ती है, वह छुपी चीजों को आसानी से ढूँढ लेने के योग्य हो जाता है। यद्यपि जब माँ कमरे से बाहर जाती है तो वह रोता-चिल्लाता है किंतु धीरे-धीरे वह यह अनुभव करने लगता है कि आँखों से दूर रहने पर भी माँ है। इस आयु में बच्चे नकल करना प्रारंभ कर देते हैं जैसे बालों में कंघी करना, रिमोट कंट्रोल के बटन दबाना या बड़ों की तरह फोन पर बातें करना। वे कहने पर सही वस्तु जैसे खिलौना आदि की ओर देखने लगते हैं।

- **भाषा :** इस अवस्था के शिशु छोटे-छोटे मौखिक निर्देशों पर प्रतिक्रिया करते हैं और जाने-पहचाने लोगों और घटनाओं से संबंधित शब्दों को समझते हैं। वे कुछ हाव-भाव प्रकट करने में दक्ष हो जाते हैं जैसे 'नहीं' के लिए सिर हिलाना। किसी तक पहुँचने के लिए संकेत करना, टा-टा, आदि।

गतिविधि 8.1

पड़ोस के 0-6 माह के बच्चे का अवलोकन कीजिए और विकासात्मक आयामों के पड़ावों को दर्ज कीजिए-

शारीरिक और गत्यात्मक

संज्ञानात्मक

भाषिक

8.4 टॉडलर अवस्था में वृद्धि और विकास

एक से तीन वर्ष की आयु के बीच की जीवन अवस्था टॉडलर कहलाती हैं। इस उम्र के बच्चों में वृद्धि और विकास की गति बहुत तीव्र होती है। बच्चे अपने आस-पास के वयस्कों का हिस्सा बनना चाहते हैं। जैसे-जैसे वे ज्यादा स्वतंत्र होते जाते हैं, वे बहुत-सी चीजों को स्वयं करने की जिद करते हैं। वे प्राय: ऐसी प्रत्येक वस्तु के लिए आकर्षित होते हैं, जो उनके लिए नई या अलग तरह की होती है।

बच्चे प्रत्येक आयाम में विकास करते हैं जैसे कि शारीरिक गत्यात्मक, भाषायी, संज्ञानात्मक और सामाजिक-संवेगात्मक; जिनकी चर्चा नीचे की जा रही है–

8.4.1 शारीरिक-गत्यात्मक विकास

शारीरिक दृष्टि से टॉडलर का वजन, ऊँचाई और उनके शरीर का अनुपात शिशुओं की तुलना में तेजी से बदल जाता है। इसीलिए उनमें स्थूल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास होता है। इस अवस्था में टॉडलर में कौशल और समन्वयन कई गुना बढ़ जाते हैं। वे अपने प्रतिदिन के कार्यों, विशेष रूप से खेल में, शरीर पर बढ़ते नियंत्रण और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन करते हैं। इस अवस्था के दौरान बच्चे जो शारीरिक-गत्यात्मक विकास के कुछ पड़ाव प्राप्त करते हैं, वे हैं:

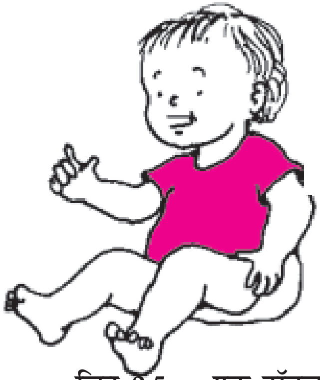

टॉडलर अवस्था (1-3) विभिन्न आयामों में तीव्र वृद्धि और विकास का समय है।

चित्र 8.5 : एक टॉडलर (1-3 वर्ष)

स्थूल गत्यात्मक कौशल

- अपने आप चलता है।
- पीछे की ओर चलता है।
- खड़े-खड़े ही खिलौने उठा लेता है।
- वस्तुओं को धकेलता और खींचता है।
- फर्नीचर के ऊपर चढ़ता और नीचे उतरता है।
- दौड़ना प्रारंभ कर सकता है।

सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल

- टेढ़ी-मेढ़ी लकीरे खींचता है और चित्र बनाता है।
- एक हाथ का प्रयोग दूसरे की अपेक्षा अधिक कर सकता है।
- गेंद को पकड़ता, रोकता और फेंकता है।
- बर्तन को उलटता है और खाली कर देता है।
- खुद को खिलाता है।

8.4.2 सामाजिक-संवेगात्मक विकास

टॉडलर भय, प्रसन्नता और आनंद, आदि संवेगों की एक शृंखला दिखाते हैं। तीन वर्ष तक पहुँचते-पहुँचते वे ईर्ष्या, प्रेम, गर्व, शर्म जैसे जटिल संवेगों को भी अभिव्यक्त करने लगते हैं। वे यह भी जानने लगते हैं कि दूसरे क्या अनुभव करते हैं और उनकी मानसिक दशा को समझने

टिप्पणी

लगते हैं। वे अकेले खेलने या अपने आस-पास दूसरों के साथ खेलने का आनंद लेते हैं, किंतु अपने खिलौने दूसरों के साथ साझा करना पसंद नहीं करते। दृढ़ता के साथ 'न' कहना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वे आत्मनिर्भर होना चाहते हैं जबकि वे अब भी आश्रित होते हैं। कई बार उनसे जो कहो, उसका उलटा करते हैं और बड़ी सरलता से नाराज या असंतुष्ट हो जाते हैं। खेल, टॉडलर को सामाजिक रूप से विकसित होने के अवसर प्रदान करते हैं।

सामाजिक-संवेगात्मक विकास के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव इस प्रकार हैं-

- दर्पण में स्वयं को पहचानने लगते हैं।
- परिवार के लोगों की पहचान करने लगते हैं।
- दूसरों के साथ खेलने में आनंद लेते हैं और खेलना रोक देने पर रोने लगते हैं।
- चेहरे और शरीर के माध्यम से अपनी बात कहने और अभिव्यक्त करने लगते हैं।
- चेहरे के कुछ भावों की नकल करते हैं।
- माँ तथा देखभाल करने वाले के साथ सुरक्षा और जुड़ाव की भावना विकसित करते हैं।

8.4.3 संज्ञानात्मक विकास

टॉडलर यद्यपि संज्ञानात्मक दृष्टि से अपने परिवेश की एक अव्यवस्थित सी समझ बनाने लगते हैं किंतु शीघ्र ही वे एन्द्रिक सूचनाओं को समन्वित करना सीख जाते हैं।

जैसाकि **जीन पियाजे** का मानना है कि टॉडलर पहला बौद्धिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और इस आयु तक स्वतंत्र रूप से सोचने के योग्य हो जाते हैं।

वे जानबूझकर सोद्देश्य अपने वातावरण से प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। वे प्रयास और त्रुटि विधि (Trial and Error) से नई-नई गतिविधियाँ सीखते हैं और घटनाओं का पूर्वानुमान लगा लेते हैं, फिर भी उनका ध्यान केवल परिवेश में विद्यमान मूर्त वस्तुओं पर ही आकर्षित होता है। वे अमूर्त के बारे में नहीं सोच सकते। इस अवस्था में वे कुछ करने से पहले उसके बारे में सोच सकते हैं। टॉडलर जाने-पहचाने लोगों और वस्तुओं के नाम बताने लगते हैं। वे अपने परिवेश में दूसरों का अनुकरण करते हैं और दूसरों को भी इस खेल में शामिल करना प्रारंभ कर देते हैं। टॉडलर के संज्ञानात्मक उपलब्धियों के कुछ पड़ाव हैं:-

- अपने आस-पास के लोगों और वस्तुओं का नाम पहचानने लगते हैं।
- छुपी हुई वस्तुओं को खोजते हैं, यानी वस्तु स्वामित्व विकसित होता है।
- अलग-अलग प्रकार की नकल करना सीख जाते हैं।
- वे शब्दों और आदेशों को समझते हैं और भली प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं।
- वे 'तुम' और 'मुझे' में अंतर करते हैं और 'मुझे' तथा 'मेरा' सर्वनाम का प्रयोग करते हैं।

- समान वस्तुओं का मिलान करना शुरू कर सकते हैं।
- लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का प्रदर्शन करने लगते हैं।

8.4.5 भाषायी विकास, संप्रेषण और अप्रत्याशित साक्षरता

भाषा अपने विचारों और बातों को दूसरों तक पहुँचाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अतः छोटे बच्चों में भाषा के विकास को समझना बहुत ही आवश्यक है। एक से तीन वर्ष के समय में टॉडलर में शब्दों के प्रयोग और उनकी समझ तेजी से बढ़ती है।

एक वर्ष की आयु के ज्यादातर बच्चे समझ में आने वाले दो या तीन शब्द बोल लेते हैं और जब तक वे तीन वर्ष के होते हैं, वे दो या तीन वाक्य बोलकर बात करना सीख जाते हैं। एक से दो वर्ष की आयु के बीच बच्चे नियमित रूप से नये शब्द सीखते हैं। शुरुआत में वे दो या तीन शब्द इकट्ठा बोल पाते हैं। दो से तीन वर्ष की आयु के बीच ज्यादातर टॉडलर लगभग 300 शब्द सीख लेते हैं। टॉडलर सरल प्रश्नों को समझना प्रारंभ कर देते हैं तथा साधारण निर्देशों का अनुपालन करने योग्य हो जाते हैं।

आपने अकसर इस आयु के बच्चों को कहते सुना होगा, ''नहीं'', या मैं इसे कर सकता हूँ'' या ''इसे मुझे करने दो''। इससे यह पता चलता है कि टॉडलर अपनी आत्मनिर्भरता प्रदर्शित करने के लिए भाषा का एक साधन के रूप में प्रयोग करता हैं।

टॉडलर उनसे कही गई सब बातें सुनते हैं और अकसर बड़े लोगों की अपेक्षा से बेहतर समझते हैं। वे बात करने वाले के ढंग के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब टॉडलर शब्दों के द्वारा बातचीत करना सीख जाते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए सहायता माँगना आसान हो जाता है।

आइए, भाषायी विकास के कुछ पड़ावों का अध्ययन करते हैं।

नीचे दी गई तालिका में टॉडलर की भाषिक क्षमताओं का सारांश दिया गया है–

1–2 वर्ष	2–3 वर्ष
• विभिन्न व्यंजन ध्वनियों का प्रयोग करता है। • वह उन खास चीजों की ओर जिन्हें वह चाहता/चाहती है, संकेत करता है। • सरल आदेशों का पालन करता है। जैसे– गेंद को लुढ़काओ और सरल प्रश्नों को समझता है जैसे– तुम्हारा जूता कहाँ है?	• लगभग प्रत्येक वस्तु के लिए शब्द का प्रयोग करता है। • वह बात करने या कोई वस्तु माँगने के लिए दो या तीन शब्दों का एक साथ प्रयोग करता है। • इस तरह बोलता है कि परिवार के सदस्य या मित्र उसकी बात समझ लेते हैं।

टिप्पणी

- एक या दो शब्दों को मिलाकर बोलता है जैसे 'और बिस्कुट' या 'जूस नहीं'.
- शरीर के कुछ अंगों के नाम जानता है और पूछने पर उनकी ओर संकेत करता है।
- पुस्तकों में नामित किए गए चित्रों की ओर संकेत करता है।
- 'नहीं' व 'ज्यादा' जैसे शब्दों का प्रयोग करता है।
- नाम पहचानता है और सामान्य वस्तुओं को चुनता है।
- सरल कहानियों, गानों और कविताओं का आनंद उठाता है।
- वस्तुओं को उनका नाम लेकर माँगता है. या उनकी ओर ध्यान आकृष्ट करता है।
- साधारण प्रश्नों के उत्तर देता है। जैसे:- वह क्या है?, या तुम्हारा नाम क्या है? या तुम कितने साल के हो?
- दो से कम चरणों वाले निर्देशों का पालन करता है। जैसे- अपने जूते खोजो और अपनी पोशाक लाओ।
- मौखिक भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना प्रारंभ करता है, जैसे- बहुवचन: 'गेंदें', संबंधबोधक:'के नीचे', 'के पीछे', संशोधक: 'कुछ', 'बहुत', संबंधवाचक: 'मेरा', 'उसका', विशेषण, 'सुंदर', तथा भूतकाल दिखाने के लिए 'हो गया था' आदि।
- अस्पष्ट लिखना, टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें खींचना,, रंग और चित्र बनाना है।

पाठगत प्रश्न 8.3

नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, लिखिए-

(क) टॉडलर खड़े होकर खिलौने उठा सकता है।

(ख) तीन वर्ष का बच्चा स्वयं को दर्पण में नहीं पहचान पाता है।

(ग) तीन वर्ष के बच्चे की भाषा परिवार वालों को आसानी से समझ में नहीं आती है।

(घ) टॉडलर नयी गतिविधियाँ करना पसंद करते हैं तथा प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखते हैं।

गतिविधि 8.2

एक टॉडलर का अवलोकन कीजिए तथा भाषायी और शारीरिक विकास की चर्चा कीजिए।

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा कि-

- प्रसव पूर्व के चरण में शामिल है:

टिप्पणी

प्रसवपूर्व अवस्था
- डिम्बावस्था (0-2 सप्ताह)
- भ्रूणावस्था (3-8 सप्ताह)
- गर्भावस्था (9 सप्ताह से जन्म तक)

- टेराटोंजेन किसी रोग, दवा, या अन्य पर्यावरणीय का कारक है, जो विकसित होते डिंब या भ्रूण को हानि पहुँचा सकते हैं जो शारीरिक विकृति, वृद्धि का पिछड़ना और मस्तिष्क की क्षति का कारण बन सकते हैं।
- नवजात शिशु में नाभिरज्जु, त्वचा, बाल, सिर, वजन, लम्बाई, सोने के तरीके और प्रतिवर्ती क्रियाएँ आदि विशेषताएँ होती हैं।
- विभिन्न क्षेत्रों में शिशुओं के विकास के कई पड़ाव होते हैं–जैसे कि गत्यात्मक कौशल, सुनना, दृष्टिकोण, और संप्रेषण।
- बच्चों के प्रारम्भिक वर्षों में उनके अधिकतम वृद्धि और समग्र विकास के लिए जो प्रेरक दिया जाता है उसे प्रारंभिक उद्दीपन कहा जाता है।
- टॉडलर अवस्था में वृद्धि और विकास की गति तीव्र होती है। शारीरिक गत्यात्मक, सामाजिक संवेगात्मक, भाषायी और संज्ञानात्मक आदि अनेक विकासात्मक पड़ाव होते हैं। बच्चों से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपनी उम्र के अनुसार अपने विकासात्मक पड़ावों को प्राप्त करें। यदि उनके विकास में किसी भी प्रकार की बाधा आती है तो उसका तुरन्त समाधान करना चाहिए।

पाठान्त प्रश्न

1. आरती और उसकी माँ एक खिलौने से खेल रही है। आरती की माँ, आरती के सामने खिलौने को छुपा लेती है। आरती तब अपनी माँ के पीछे खिलौने की तलाश शुरू कर देती है। आरती की आयु लगभग क्या है? अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए।
2. शिशुओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले पड़ावों को चिह्नित करते हुए उनके शारीरिक विकास की रूपरेखा बनाइए।
3. आप यह बताने के लिए कि एक नवजात शिशु स्वस्थ है और उसका विकास सामान्य है क्या मापदंड उपयोग करेंगे।
4. निम्नलिखित अवस्थाओं में एक बच्चा झुनझुने के साथ कैसी प्रतिक्रिया करेगा?
   - दो सप्ताह
   - तीन महीने
   - 6 महीने
   - 10 महीने

- 15 महीने
- 21 महीने

5. विकासशील भ्रूण तथा गर्भ को नुकसान पहुँचाने वाले प्रमुख वातावरणीय कारक क्या हैं?
6. आपने अपने पड़ोस में एक दस महीने के बच्चे का अवलोकन किया जो हर समय चारपाई पर पड़ा रहता है। बच्चा खड़े होने का कोई प्रयास नहीं करता। आप उस बच्चे के माता-पिता को क्या सलाह देगें?
7. शिशुओं द्वारा प्राप्त किये जाने वाले भाषायी पड़ावों पर टिप्पणी कीजिए।
8. शैशवावस्था की अवधि में कौन-से संज्ञानात्मक पड़ाव प्राप्त किए जाते हैं?

आपने क्या सीखा

8.1

(क) iii

(ख) ii

(ग) i

(घ) iv

8.2

(क) iv
(ख) iii
(ग) i
(घ) v
(ङ) ii

8.3

(क) सत्य
(ख) असत्य
(ग) असत्य
(घ) सत्य

टिप्पणी

शब्दकोष

- **Immunoglobulins–** ये एक प्रकार के (एंटीबाडीज) (Antibodies) होते हैं, जो माँ से बच्चे के अन्दर जाते हैं और बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, जो बच्चे को विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और संक्रामक रोगों से की रक्षा करते हैं।

संदर्भ

- Berk, L. (2012). *Child Development (9thEdition)*. Prentice Hall of India.
- Hurlock, E.B. (2007). *Developmental Psychology: A life-span approach*. New Delhi: Tata Mc Graw-Hill.
- National Immunization Schedule for Infants and Children, Government of India (2008). Immunization Handbook for Medical Officers. New Delhi: Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare. Retrieved from http://www.nihfw.org/pdf/nchrc-publications/immunihandbook.pdf
- Papalia, D.E.; Olds, S.W. & Feldman,R. D.(2006). *Human development (9th Ed.)* New Delhi: Tata Mc Graw-Hill.
- Santrock, J.W. (2011).*Child Development (13th Ed.)*.New Delhi: Mc Graw Hill.
- Santrock, J. W. (2012). *Life Span Development (13th Ed.)*. New Delhi: Mc Graw Hill.
- Singh, A. (Ed). (2015). *Foundations of Human Development*. New Delhi: Orient Blackswan.
- Srivastava, A.K. (1997). *Child Development: An Indian Perspective*. New Delhi: NCERT.

9

बाल विकास की अवस्थाएँ :
– 3 वर्ष से 6 वर्ष तक
– 6 वर्ष से 8 वर्ष तक

जब बच्चे 3-6 वर्ष की उम्र के दायरे में होते हैं, वे प्री-स्कूल में जाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। जैसे ही बालक 6-8 वर्ष के दायरे में पहुँचते हैं, वे पूर्व प्राथमिक अवस्था में चिह्नित किये जाते हैं।

पिछले अध्याय में आपने भ्रूण विकास, शिशुओं के जन्म और उनके शैशवास्थ्या के विषय में पढ़ा। आपने जन्म से तीन वर्ष तक के विकास के विभिन्न पड़ावों के बारे में भी पढ़ा। प्रस्तुत अध्याय में आप शैशव अवस्था, पूर्व विद्यालयी अवस्था और पूर्व प्राथमिक अवस्था के विभिन्न पक्षों में विकास के स्वरूप के बारे में जानेंगे।

आइए, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप–

- 3-6 वर्ष के बच्चों की विकासात्मक विशेषताओं और आवश्यकताओं की व्याख्या करते हैं;
- 3-6 वर्ष के बच्चों में विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित विकास के पड़ावों के संदर्भ में उनका वर्णन करते हैं;
- 6-8 वर्षों के दौरान बाल विकास के पहलुओं का वर्णन करते हैं;
- 6-8 वर्ष के बच्चों की विशेषताओं और विकासात्मक आवश्यकताओं का वर्णन करते हैं; और
- बच्चे के विकास में खेल के महत्व की चर्चा करते हैं।

9.1 3-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का विकास

पूर्व-विद्यालयी अवस्था माँसपेशियों के विकास तथा समन्वयन प्राप्त करने का समय है। इसी समय बालकों में सोचने और बोलने की योग्यताएँ भी विकसित होती हैं। उनकी अवलोकन क्षमता, स्मरण शक्ति और शाब्दिक योग्यताओं में तेजी से परिवर्तन होता है जो उन्हें अपने चारों तरफ के संसार को अच्छी तरह समझने में मदद करता है। पूर्व-विद्यालयी बच्चे स्वयं को अपने आस-पास के परिवेश के अनुकूल बनाने के योग्य हो जाते हैं। पूर्व-विद्यालयी वर्षों में बच्चे अनिवार्य जीवन कौशल जैसे कि स्वयं कपड़े पहनना, भोजन करना आदि सीखते हैं और इस प्रकार कई बातों में आत्मनिर्भर होकर बढ़ने लगते हैं। इसी समय स्कूल जाने की तैयारी में बच्चे अपने माता-पिता और परिवार से अलग होना सीखते हैं।

नीचे के खंडों में पूर्व-विद्यालयी बच्चों के शारीरिक-गत्यात्मक, सामाजिक-संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और भाषायी विकास का वर्णन किया गया है।

9.1.1 शारीरिक और गत्यात्मक विकास

3 से 6 वर्ष की आयु समूह के बच्चों में, नवजात शिशुओं की अपेक्षा वृद्धि धीमी गति से होती है, पर स्थिर रहती है। उनकी माँसपेशियों के विकास और समन्वयन में हो रही वृद्धि यह सुनिश्चित करती है कि वे शारीरिक रूप से अब ऐसे बहुत-से काम कर सकते हैं जो वे पहले नहीं कर सकते थे। 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के भार में प्रतिवर्ष लगभग 4 से 5 पौंड तथा कद में दो से तीन इंच की वृद्धि होती है। अब उन्हें पहले से कम नींद की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में बच्चों की मांसपेशियों और अस्थियों में वृद्धि होती है और वे शारीरिक दृष्टि से अधिक मजबूत और ताकतवर हो जाते हैं। उनके श्वसन, रक्त परिभ्रमण और उत्सर्जन तंत्रों की क्षमताओं का विकास होता है जिससे उनमें गत्यात्मक कौशलों के विकास को बढ़ावा मिलता है।

जैसे-जैसे उनके आँख-हाथ का समन्वयन बेहतर होता है उनमें दौड़ने, फेंकने, कूदने, उछलने की क्षमता विकसित होती है। इन स्थूल गत्यात्मक कौशलों के साथ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल जिनमें माँसपेशियों की सूक्ष्म गतिविधि होती है, का प्रयोग करने में भी सक्षम हो जाते हैं। क्योंकि अब वे अपनी छोटी माँसपेशियों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करने लगते हैं। अत: अब वे क्रेयान से चित्र बनाना, चम्मच से खाना, बटन बंद करना और जूते के फीते बाँधना, आदि कार्यों में कुशल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि पूर्व-विद्यालयी बच्चों के घरों की दीवारें रंगों से बने चित्रों से भरी होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व-विद्यालयी बच्चा शारीरिक रूप से समन्वयन कर लेता है, और दीवार तक पहुँचकर अपनी सूक्ष्म गत्यात्मक माँसपेशियों का प्रयोग करते हुए दीवार पर चित्र बना लेता है। इस आयु तक प्राप्त हो जाने वाले कुछ स्थूल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल इस प्रकार हैं-

स्थूल गत्यात्मक कौशल

- दौड़ने, भागने, कूदने, फेंकने, किक मारने में अधिक दक्ष होना

टिप्पणी

- उछलती गेंद को पकड़ना
- साइकिल के पैडल चलाना (3 वर्ष), साइकिल को चलाते हुए इधर-उधर मोड़ना (4 वर्ष)
- एक पैर से उछलना (लगभग 4 वर्ष) और बाद में पाँच सैकेंड तक एक पैर पर संतुलन बनाना
- एड़ी एवं पंजों पर चलना। (लगभग 5 वर्ष में)

सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल

- वृत, वर्ग एवं त्रिभुज की आकृति बनाना
- बिना धारवाली कैंची का प्रयोग प्रारंभ करना तथा सीधी लाइन पर कैंची से काटना
- किसी की देखरेख में स्वयं कपड़े पहनना
- ठीक से कपड़े पहनना
- खाते समय चम्मच एवं काँटे को ठीक से पकड़ना
- छुरी से मक्खन, जैम, आदि फैलाना

9.1.2 सामाजिक और संवेगात्मक विकास

सामाजिक और संवेगात्मक विकास में पूर्व-विद्यालयी बच्चों की स्वयं के बारे में समझ, उनकी भावनाओं और दूसरों के साथ सम्बन्ध बनाना आदि उनके सामाजिक और गत्यात्मक विकास का हिस्सा हैं। पूर्व-विद्यालयी बच्चे अकसर सोचते हैं कि 'वे कौन हैं'। यह 'मैं' के रहस्य से जुड़ा पहला प्रश्न है। हमारा **'आत्म-प्रत्यय'** हम कौन हैं, हम अपनी योग्यताओं को कैसे देखते हैं? अपना वर्णन करने के लिए हम किन गुणों या विशेषताओं का वर्णन करते हैं, आदि से मिलकर ही बनता है।

'टॉडलर' अवस्था में बच्चों में आत्मजागरूकता आ जाती है। जब बच्चे पूर्व-विद्यालयी अवस्था तक पहुँचते हैं तो उनकी अपने बारे में जानकारी में विस्तार और व्यापकता आ जाती है। वे स्वयं के बारे में बताने के लिए अनेक विशेषताएँ जोड़ लेते हैं। वे अधिकतर ध्यान दिए जाने योग्य मूर्त और शारीरिक विशेषताओं पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपने बारे में बताते हुए अकसर अपने नाम, अपनी चीजों, खिलौनों और घर के सदस्यों के बारे में ही बताते हैं। वे अपनी आयु वाली उपलब्धियों की चर्चा करते हैं, जैसे 'मैं तेज दौड़ता हूँ।'

इस आयु में लैंगिक पहचान भी होने लगती है। इस आयु के बच्चे अपने आप को 'लड़का'-'लड़की' में वर्गीकृत करने के योग्य हो जाते हैं और अपने लिंग के अनुसार ही कपड़े पहनना या सजना-सँवरना पसंद करते हैं। वे लिंग के मुताबिक सही भाषा का प्रयोग करते हैं और उनके खेलों में भी लैंगिक भिन्नता नज़र आने लगती है।

पूर्व-विद्यालयी बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलने एवं काम करने के लिए आवश्यक सामाजिक कौशल सीखते हैं। यद्यपि 4-5 वर्ष के बच्चे नियमों के अनुसार खेलना शुरू कर देते हैं, किंतु अकसर किसी 'प्रभावशाली' बच्चे के कहने पर उनके ये नियम बदल जाते हैं।

पूर्व-विद्यालयी बच्चे अपनी भावनाओं को समझना प्रारंभ कर देते हैं और उनके बारे में बात कर सकते हैं। वे समझते हैं कि कुछ परिस्थितियों में संवेगों में तीव्रता आ सकती है तथा अब वे अपने संवेगों को शब्दों में कह सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास शब्द भंडार होता है। यह भी कहा जाता है कि इस अवस्था में हो सकता है कि बच्चे जटिल संवेगों को न समझ पाएँ या बोलकर अभिव्यक्त न कर पाएँ। अत: ऐसे में उन्हें अपने संवेगों को नियंत्रित करने या सँभालने के लिए माता-पिता या बड़े लोगों की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। यद्यपि वे अपनी भावनाओं को सँभालना सीख लेते हैं और दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील भी होते हैं तथापि कई बार यह भी हो सकता है कि अधिक उग्र या शर्मिंदा होने पर वे यह न समझ सकें कि उन्हें क्या करना चाहिए।

एरिक्सन (1950) के अनुसार यह वह अवस्था है जब बच्चा योजना बनाने में पहल करना चाहता है या स्वयं अपने लिए काम करना चाहता है। ऐसा करने से उसमें सकारात्मक की भावना आती है। यदि बच्चे को स्वयं कुछ करने से बार-बार रोका जाए तो उसमें अपराध-बोध की भावना पैदा हो सकती है और यह बच्चे की आत्म-प्रत्यय के लिए हानिकारक हो सकता है।

पूर्व-विद्यालयी बच्चों के कुछ सामाजिक-संवेगात्मक कौशल इस प्रकार हैं-

- अपने बारे में बताना
- आत्म-प्रत्यय का उभरना
- अपनी भावनाओं और संवेगों के बारे में बात करना
- जटिल संवेगों, जैसे अपराध बोध, शर्म, गर्व, आदि का उभरना
- कहानी सुनाना और घटनाओं का वर्णन करना
- पहल, जिज्ञासा और अन्वेषण या खोज-बीन को प्रदर्शित करना

9.1.3 संज्ञानात्मक विकास

क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पूर्व-विद्यालयी बच्चे अकसर अपने आस-पास के संसार के बारे में बहुत से प्रश्न करते हैं। कई बार वे मूलभूत तर्क देते हैं और कई बार किसी स्थिति में असमंजस में पड़ जाते हैं। पूर्व-विद्यालयी बच्चों की आस-पास के संसार के प्रति बढ़ती जागरूकता, तर्क और अंतर्दृष्टि आदि उनको समझने में सहायक सिद्ध होती हैं।

इस खंड में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि पूर्व-विद्यालयी बच्चों में ज्ञान का विकास कैसे होता

है, कैसे उनकी बढ़ती संज्ञानात्मक योग्यताएँ अपने आस-पास के संसार को समझने में उनकी सहायता करती हैं।

शैशवावस्था के अंत तथा पूर्व-विद्यालय के प्रारंभ में बच्चों के विचारों की जटिलता में काफी वृद्धि होती है। जीन पियाजे के अनुसार 2-7 वर्ष की आयु के बीच की अवधि पूर्व-सक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में उनकी सोच अतार्किक, अव्यवस्थित और कठोर होती है। एक अन्य योग्यता जो विशेष रूप से पूर्व-विद्यालयी बच्चों में विकसित होती है, वह है **प्रतीकात्मक सोच** में डूबना यानी उन्हें किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में सोचने के लिए उसके वास्तविक संपर्क में होने की आवश्यकता नहीं होती। वे किसी वस्तु या व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं और अपनी सादृश्यमूलक योग्यताओं का उस वस्तु या व्यक्ति का स्मरण करने और उसके गुणों के बारे में निष्कर्ष निकालने में प्रयोग करते हैं।

प्रतीकात्मक कार्य : पूर्व विद्यालयी बच्चों में प्रतीकों जैसे शब्द या संख्या का प्रयोग करके इन वस्तुओं का नाम बताने की योग्यता होती है। इस प्रकार प्रतीकों का प्रयोग बच्चों को किसी वस्तु की मूर्त उपस्थिति से मुक्ति दिलाता है और वे उनके बारे में याद रख सकते हैं और सोच सकते हैं। प्रतीकों, शब्दों और अंकों के माध्यम से उन चीजों के नाम बताने की क्षमता उनमें होती है।

स्थानिक चिंतन : इस आयु वर्ग के बच्चे स्थानिक संबंधों को पहले से थोड़ा और अच्छी तरह समझने लगते हैं। वे यह बात समझ सकते हैं कि एक चित्र किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है जो भले ही सामने न हो, पर उसका अस्तित्व है। हो सकता है कि वे चित्र और वास्तविक वस्तु के बीच के संबंध को ठीक से न समझ सकें।

कार्य-कारण संबंध : इस अवस्था में बच्चे जानी-पहचानी समान घटनाओं के कारण सोच पाने के योग्य होते हैं, जैसे कि वे सोच सकते हैं कि सभी सजीव वस्तुएँ पोषण मिलने पर आकार में बढ़ती हैं। वे अपने प्राकृतिक परिवेश के अवलोकन के आधार पर या अपने माता-पिता या दूसरों से ऐसी घटनाओं के बारे में सुनकर इन तर्कों पर पहुँचते हैं। वे अभी भी कार्य-कारण के बारे में तर्कपूर्ण उत्तर नहीं दे सकते। एक ही स्थान और समय पर हुई दो घटनाओं का कारण और प्रभाव मानकर जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए– एक पूर्व-विद्यालयी बच्चा सोच सकता है कि उसने अपने भाई/बहन के बारे में बुरा सोचा इसलिए वह बीमार पड़ गया/गयी। अपने सहोदर के संबंध में बुरा सोचने और उसी समय उसके बीमार पड़ जाने के कारण बच्चे ने एक गलत धारणा बना ली कि दोनों घटनाएँ आपस में जुड़ी हैं और एक घटना दूसरी का कारण है।

वर्गीकरण और समानताएँ : वर्गीकरण का संबंध बच्चे की वस्तुओं में समानताएँ और असमानताएँ पहचानने की योग्यता से है। इस अवस्था में बच्चों में पूरी समझ विकसित नहीं हो पाती पर वे वस्तुओं को 'अच्छा-बुरा', 'दोस्त-दोस्त नहीं', 'खाने योग्य-न खाने योग्य', बर्तन, फर्नीचर, आदि के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त इस अवस्था में बच्चे वर्गीकरण में पूरी तरह कुशल नहीं होते। वे निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव वस्तुओं जैसी विशेषताएँ बता सकते हैं और उन्हें सजीव ही मान लेते हैं। पियाजे ने इस संज्ञानात्मक कमी को **एनीमिज्म** (animism) का नाम दिया है।

आपने 'विकास के आयाम' पाठ में पढ़ा है कि पूर्व-विद्यालयी बच्चों में पहचानने की समझ विकसित होती है यानी वे यह समझते हैं कि व्यक्ति या वस्तुओं का बाह्य रंग-रूप, आकार या आकृति बदल जाने पर भी वे वैसे ही रहती हैं। यह उन्हें अपने आस-पास के संसार में व्यवस्था और पूर्वानुमेयता को देखने-समझने में मदद करती है। किंतु प्री-स्कूल बच्चों की पहचानने की समझ पूरी तरह विकसित नहीं होती। इस अवस्था के बच्चों में विपरीत या पलटकर सोचने की शक्ति (Reversability) का भी अभाव होता है। पूर्व-विद्यालयी बच्चे यह नहीं समझ पाते कि किसी कार्य को पलटकर भी किया जा सकता है और एक व्यक्ति पलटकर उसी स्थान पर पहुँच सकता है जहाँ से उसने प्रारंभ किया था। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो छोटे और चौड़े गिलास की अपेक्षा लंबे तथा पतले गिलास में पानी पीने का हठ करता है यह नहीं समझता कि छोटे चौड़े गिलास से पानी को लंबे गिलास में पलटा जा सकता है और तब दोनों गिलासों में पानी की मात्रा समान दिखेगी।

आत्मकेंद्रिता : पियाजे के अनुसार, पूर्व-विद्यालयी बच्चे अपने दृष्टिकोण पर ही केंद्रित होते हैं और दूसरे के नजरिये को नहीं समझते। इसका अध्ययन करने के लिए पियाजे ने एक 'थ्री माउंटेन टास्क' का प्रारूप बनाया जिसमें जहाँ बच्चा बैठा था, ठीक उसके सामने एक गुड़िया को रख दिया। बच्चे से पूछा गया कि गुड़िया को सब चीजें कैसी दिख रही होगी। पियाजे को पता चला कि बच्चे ने यह नहीं बताया कि गुड़िया को चीजें कैसी दिख रही होंगी, बल्कि उसने अपने नजरिये या परिप्रेक्ष्य से उत्तर दिए और अपने दृष्टिोण से कल्पना की। इसे ही आत्मकेंद्रिता कहते हैं।

आयु के साथ-साथ बच्चों की संज्ञानात्मक योग्यताएँ बढ़ती जाती हैं और वे अपनी सीमाओं पर काबू पा लेते हैं।

आइए, अब पूर्व-विद्यालयी बच्चों में भाषिक विकास को समझें।

9.1.4 भाषिक विकास, संप्रेषण एवं उभरती साक्षरता

जैसा कि इस अध्याय में पहले कहा गया है कि पूर्व-विद्यालयी बच्चों के पास प्रश्न बहुत होते हैं। प्रश्न पूछना केवल बढ़ती संज्ञानात्मक योग्यताओं के कारण ही नहीं होता, बल्कि बच्चों द्वारा अर्जित भाषिक योग्यताओं के कारण भी संभव होता है। इस अवस्था में उनके शब्द भंडार में वृद्धि होती है और वे प्रतिदिन की बातचीत में शब्दों को ज़्यादा आसानी से समझने और प्रयोग करने योग्य हो जाते हैं। पूर्व विद्यालयी बच्चे पहली बार सुने गए कठिन शब्दों के अर्थ को शीघ्रता से समझ लेते हैं। इसे तीव्र प्रतिचित्रण कहते हैं। इससे वे शब्दों को जल्दी समझ लेते हैं। उनमें एक सहज प्रवृत्ति भी होती है जिसके द्वारा वे शब्दों से वाक्य बनाना सीखते हैं।

पूर्व-विद्यालयी अवस्था तक आते-आते बच्चे दो से तीन शब्दों के वाक्य बना लेते हैं। वे सही ढंग से वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। तीन वर्ष की आयु में वे बहुवचन, भूतकाल, संबंध वाचक आदि का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। वे 'मैं', 'मुझे', 'तुम', 'हम' आदि का उपयुक्त प्रयोग अपनी दैनिक बातचीत में करने लगते हैं।

इस अवस्था में बच्चे भाषा के व्यावहारिक प्रयोग में कुशल हो जाते हैं। इसे व्यवहारशीलता कहते हैं। वे समझते हैं कि किससे, कैसे बात करनी है। भाषा के सामाजिक पक्ष में कुशलता

टिप्पणी

आती है। वे सामाजिक नियमों को समझते हैं और अपनी माँगे रखने के लिए लंबे वाक्यों के प्रयोग करने और कहानी कहने में निपुण हो जाते हैं। यदि वे देखते हैं कि दूसरे उनकी बात नहीं समझ रहे हैं तो वे अपनी बात दोहराते हैं या अलग तरीके से कहने का प्रयास करते हैं।

सभी बच्चे एक नियमित विकास पथ का पालन नहीं करते। कुछ बच्चों का भाषिक विकास कुछ देर से भी हो सकता है। कुछ बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं। जीवन के शुरुआती दिनों में पर्याप्त भाषायी प्रोत्साहन मिलने पर बच्चों का भाषायी विकास ठीक होता है।

पूर्व-विद्यालयी बच्चों की भाषिक कुशलताओं का सारांश निम्नलिखित है-

- सर्वनामों और सम्बन्ध वाचकों का उपयुक्त प्रयोग करना
- तीन शब्दों के साधारण वाक्यों का प्रयोग करना
- आकार संबंधों जैसे कि 'छोटा', 'बड़ा', आदि, को प्रकट करना
- तीन चरण वाले आदेशों का पालन करना
- दस तक गिनना
- चार रंगों के नाम बताना
- शिशु गीतों और शब्द खेलों का आनंद लेना
- 'क्यों' वाले प्रश्नों के उत्तर देना
- स्वयं से बातें करना

पाठगत प्रश्न 9.1

रिक्त स्थान भरिए-

(क) निर्जीव वस्तुओं में सजीव वस्तुओं के गुण बताना...........................कहलाता है।

(ख) ....का संबंध बच्चों की वस्तुओं में समानता और विभिन्नता पहचानने की योग्यता से है।

(ग) पूर्व-विद्यालयी बच्चे पहली बार सुने गए किसी कठिन शब्द का अर्थ वाक्य के संदर्भ से जल्दी से अर्थ समझ लेते हैं। इसे...........................कहते हैं।

(घ) ....भाषा के व्यावहारिक प्रयोग की चर्चा करता है।

9.2 6-8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का विकास

मध्य बाल्यावस्था में बच्चे के जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं। इस समय शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक कौशलों का तेजी से विकास होता हैं। संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से इस समय बच्चे याद करने और अधिक सीखने के योग्य हो जाते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में विश्वास विकसित करने तथा स्वतंत्रता प्राप्त करने और परिश्रम करने के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब परिवार से अलग आत्म-निर्भर होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्कूल जाने के कारण इस आयु के बच्चे अब बाहर के विस्तृत संसार के संपर्क में आते हैं। मित्रता अधिक महत्वपूर्ण होती जाती है तथा साथी-बच्चे अब उनके जीवन में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर देते हैं।

आइए, अब पूर्व प्राथमिक अवस्था के विकासात्मक पड़ावों पर नजर डालें।

9.2.1 शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास

इस अवस्था में बच्चे 1 से 3 इंच प्रति वर्ष बढ़ते हैं। 8 से 9 वर्ष की आयु में तेजी से उनका भार बढ़ता है। छोटी माँसपेशियों की अपेक्षा उनकी हाथ और पैरों की बड़ी माँसपेशियाँ अधिक विकसित होती हैं। इस अवस्था में बच्चे बहुत-से शारीरिक खेल खेलते हैं और एक बच्चा गेंद को टप्पे देता हुआ दौड़ सकता है परन्तु एक ही समय पर दोनों कार्य करना उसके लिए कठिन हो सकता है।

चित्र 9.1 : बाह्य खेलों से शारीरिक विकास

उम्र के इस पड़ाव की बच्चों की कुछ शारीरिक क्षमताएँ निम्नलिखित हैं:

- धीमी परन्तु निरन्तर वृद्धि
- मांसपेशियाँ और अधिक मजबूती

- 'बेबी फैट' की कमी
- मांसपेशियों में वृद्धि
- शारीरिक संचालन पर नियंत्रण शक्ति का विकास

9.2.2 सामाजिक और संवेगात्मक विकास

इस अवस्था में बच्चों का आत्म-प्रत्यय और अधिक विकसित होता है। संसार में उनकी अपने स्थान के संबंध में समझ का विकास होता है। वे इस बात को महसूस करना शुरू कर देते हैं कि वे कैसे दिखते हैं तथा वे कैसे बढ़ रहे हैं। वे अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं का सही आकलन करने लगते हैं। उनकी अपने बारे में राय बाह्य (जैसेकि शारीरिक क्षमताएं और संपत्ति) तथा आन्तरिक गुणों (जैसेकि मैं अच्छा हूँ।) दोनों पर ही निर्भर करता है।

इस अवस्था के बच्चे द्वंद्वात्मक संवेगों को प्रकट कर सकते हैं। वे जटिल संवेगों को समझने लगते हैं जैसे कि दुविधा, उत्साह, आदि। उन्हें अपने परिवार और माता-पिता से अधिक स्वतंत्र होने की आवश्यकता होती है और वे अपने साथियों से अधिक जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। उन्हें निजता अच्छी लगती है। अपने साथियों से बातचीत करते समय वे उनसे मुकाबला करते हैं और प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलते हैं। वे मित्रता और समूह कार्य पर अधिक ध्यान देते हैं। वे आगे की योजना बनाना सीखते हैं।

कुछ अन्य सामाजिक-संवेगात्मक योग्यताएँ इस प्रकार हैं-

- सही और गलत की बेहतर समझ।
- माता-पिता से अलग समय और संवेगात्मक स्वतंत्रता की चाह।
- भावनाओं पर नियंत्रण करने और उन्हें छुपाने में बेहतर होना।
- विस्तृत आत्म प्रत्यय के निर्माण की शुरूआत, अपनी शक्तियों और कमजोरियों की पहचान, विशेष रूप से सामाजिक, शैक्षिक और खेल-संबंधी कौशलों के संबंध में।
- दोस्त बनाना और साथियों के साथ बातचीत करना और मित्रता बढ़ाना एवं बनाए रखना।

9.2.3 संज्ञानात्मक विकास

मध्य-बाल्यावस्था में बच्चे पहले की अपेक्षा अधिक तार्किक ढंग से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। उनकी सोच लचीली हो जाती है लेकिन वे केवल मूर्त परिस्थितियों के बारे में ही सोच सकते हैं। अब वे किसी एक वस्तु के एक से अधिक पक्षों के बारे में सोच सकते हैं हालाँकि वे इसमें पूरी तरह कुशल नहीं हो पाते। अब वे जानी-पहचानी जगहों पर जाने वाले रास्तों को याद रख सकते हैं और उन्हें यह भी समझ आ जाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कितना समय लगेगा। अब वे अपने आप स्कूल से घर वापस आ सकते हैं। संख्या, लंबाई, द्रव, सामग्री, भार, क्षेत्रफल और आयतन के संबंध में उनकी सही समझ बनने लगती है। उनकी विपरीत या पलटकर सोचने की शक्ति भी विकसित हो जाती है। इस आयु के बच्चे आत्मकेंद्रित नहीं होते।

इस अवस्था की कुछ संज्ञानात्मक योग्यताओं का सारांश इस प्रकार है:

- अनुभवों का वर्णन करने तथा अपने विचारों के बारे में बात करने की योग्यता का विकास।
- वर्तमान के साथ-साथ भूत और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने की योग्यता का विकास।
- ध्यान देने की अवधि में वृद्धि और मुख्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास।
- आगे बढ़ने की योजना बनाना।
- घटनाओं पर आधारित निरीक्षण करना और पूर्वानुमान करना।
- मीडिया से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, तथा पढ़ने एवं लिखने की योग्यता का विकास।

9.2.4 भाषायी विकास

इस अवस्था में बच्चे भाषा के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। वे भाषा की बारीकियों को समझने और उनका उचित स्थान पर उपयुक्त प्रयोग करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। वे हास्य को समझते हैं और संवाद के कौशलों जैसे–बारी आने पर बोलना, आदि, बातों को सीख जाते हैं। वे काफी समय तक एक विषय पर बातचीत कर सकते हैं। उनके शब्द भंडार और वाक्य रचना में सुधार आ जाता है। उनके शब्द भंडार में नए-नए शब्द जुड़ते जाते हैं और वे विभिन्न सामाजिक संदर्भों में उनका उपयुक्त प्रयोग करने के योग्य हो जाते हैं। वे शब्दों को सामाजिक स्तर पर प्रयोग करना सीख जाते हैं जैसे कि विभिन्न लोगों से क्या बोलना है, कैसे बोलना है जैसे कि माता-पिता, शिक्षक, भाई-बहनों और मित्रों से। वे दुरुह शब्दों को समझने में गहरी रुचि दिखाते हैं।

इस स्तर पर उनके भाषायी विकास की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

- भाषा की बेहतर समझ एवं प्रयोग
- स्पष्ट-साफ बोली में अपने विचार साझा करना
- बातचीत और वर्णन करने के कौशलों में सुधार
- वर्णित घटनाओं या वस्तुओं का दृष्टि अवबोधन
- नए शब्दों तथा अंशो की रचना करना।

पाठगत प्रश्न 9.2

पूर्व प्राथमिक अवस्था को समझने के लिए कॉलम 'अ' को कॉलम 'ब' से मिलान कीजिए–

कॉलम (अ)	कॉलम (ब)
(i) शारीरिक विकास	(क) नए शब्दों तथा अंश की रचना करता है।
(ii) सामाजिक विकास	(ख) परिचित स्थानों के नाम तथा रास्ते याद रख सकता है।

(iii) संवेगात्मक विकास	(ग) प्रतिस्पर्धा में भाग लेना है।
(iv) भाषीय विकास	(घ) द्वंद्वात्मक संवेगों को भाषा से स्पष्ट कर सकता है।
(v) संज्ञानात्मक विकास	(ङ) 1 से 3 इंच तक प्रति वर्ष बढ़ता है।

9.3 बच्चों के विकास में खेल का महत्व

खेल बच्चों को ऐसे अनेक मूल्यवान अवसर देते हैं जिनसे उनके विकास और सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रमाण बताते हैं कि खेल शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक आदि विकास के विभिन्न आयामों को सीखने में मदद करते हैं। खासतौर से प्रथम तीन वर्षों में सुनने, देखने, छूने, चलने और सूँघने के माध्यम से खेल बच्चों की सीखने में सहायता करते हैं। खेल के दौरान बच्चों की सामाजिक कुशलताओं और संवेगात्मक परिपक्वता में वृद्धि होती है।

खेल सभी बच्चों के विकास का एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अंग है। खेल बच्चे के लिए समाजीकरण, सोचने, समस्या समाधान, परिपक्वता आदि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आनन्ददायी क्रिया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था से जुड़े सभी लोगों को खेल का महत्व तथा खेल आधारित गतिविधि करने की जानकारी होनी चाहिए। फ्रॉबेल के अनुसार, खेल बच्चे के लिए कोई मामूली प्रक्रिया नहीं बल्कि एक गम्भीर कार्य है जो बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। मारिया मॉन्टेसरी ने भी स्वतंत्र तथा स्वभाविक खेलों को बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्रिया माना है। पियाजे खेल को आनन्द के लिए दोहरायी गयी प्रतिक्रियाओं से परिभाषित करते हैं।

छोटे बच्चों में अपने आस-पास के जीवन को जानने, समझने, और उसका अन्वेषण करने की जिज्ञासा बनी रहती है। छोटे बच्चों के लिए भौतिक और सामाजिक क्षेत्र के रहस्यों को जानने के लिए खेल प्रमुख साधन होते हैं। खेल के द्वारा बच्चे आपस में सहयोग करना तथा अपने विवादों को सुलझाना सीखते हैं। खेलों के माध्यम से बच्चे भौतिक साधनों, उपकरणों और परम्पराओं के महत्व का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं।

आइए, प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकास में खेल के महत्व को जानते हैं–

- खेल साक्षरता के लिए आधार तैयार करता है। खेल के द्वारा बच्चे नई ध्वनियाँ बनाना एवं प्रयोग करना सीखते हैं। वे अपने आप तथा अपने मित्रों या साथियों के साथ नए शब्दों का प्रयोग करना सीखते हैं तथा अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हैं।
- बच्चे खेल से सीखते हैं। खेल द्वारा बच्चे के विकास में सहायता मिलती है तथा यह शिशु की सीखने की जन्मजात आवश्यकता की पूर्ति करता है। खेल के अनेक प्रकार हैं, यह झुनझुने हिलाने से लेकर, छुपन छुपाई तक कुछ भी हो सकते हैं। खेल बच्चे द्वारा अकेले, किसी साथी के साथ, समूह में या किसी वयस्क के साथ खेला जा सकता है।

- खेल बच्चों को चुनने का अवसर देता है। पर्याप्त गतिविधियों तथा खिलौनों में से चुनकर बच्चों को स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसर मिलते हैं।
- खेल बच्चों को शारीरिक क्रियाएँ करने, संतुलन बनाने तथा अपनी क्षमताओं को परखने के अवसर प्रदान करता है।
- खेल द्वारा बड़ों को अपने बच्चों की शारीरिक भाव-भंगिमा को समझने में सहायता मिलती है।
- खेल एक आनन्ददायी प्रक्रिया है, अपने आप तथा दूसरों के साथ बेहतर ढंग से खेलना सीखने से बच्चा संतुष्ट होता है तथा सामाजिक बनता है।

आइए, बच्चों में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल के महत्व का अध्ययन करते हैं।

शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास

शारीरिक विकास के लिए खेल आवश्यक है। खेल के अभाव में शरीर का सामान्य विकास नहीं हो पाता। मोटापे और प्रेसेस्ड फूड के जमाने में घूमना, दौड़ना, खेलों में भाग लेना बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी जीवन्तता के लिए बहुत आवश्यक है। खेलों में बच्चों की शारीरिक सक्रियता अधिक होने के कारण बच्चों का स्थूल तथा सूक्ष्म क्रियात्मक विकास एवं शारीरिक क्रियाओं के प्रति चैतन्यता का विकास होता है। लिखने के उपकरण जैसे मार्कर आदि का प्रयोग खेल के द्वारा सूक्ष्म माँसपेशियों के विकास का एक उदाहरण है। सूक्ष्म माँसपेशियों के प्राकृतिक विकास में बच्चा पहले किसी निश्चित आकृति में क्रेयॉन चलाना सीखता है फिर धीरे-धीरे वह इच्छित आकृति तथा चित्र बनाने लगता है। स्थूल माँसपेशीय विकास जैसे–कूदना व उछलना भी इसी ढंग से होता है। जब बच्चे कूदना सीखते हैं तो वे किसी भी पैर से सिर्फ आनन्द के लिए कूदते हैं। खेल के दौरान शरीर के गतिविधियों द्वारा बच्चे में शारीरिक आत्म-निर्भरता आती है तथा वे सुरक्षित एवं साहसी बनते हैं। खेल बच्चों की ऊर्जा को बाहर निकालने का एक सशक्त माध्यम है। इससे बच्चों की छोटी तथा बड़ी माँसपेशियाँ मजबूत होती हैं तथा उनमें शक्ति एवं सुदृढ़ता का संचार होता है। खेल, बच्चों के सूक्ष्म एवं वृहद गतिक कौशलों को सशक्त करता है तथा उनकी ताकत और आंतरिक बल को बढ़ावा देता है।

सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास

बच्चों के सामाजिक विकास हेतु खेल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। खेल के दौरान, बच्चों की सामाजिक क्षमताओं तथा संवेगात्मक परिपक्वता का भी विकास होता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि किसी विद्यालय की सफलता मुख्य रूप से वहाँ के बच्चों की आपसी अंत:क्रियाओं तथा साथी समूह एवं बड़े लोगों के साथ क्रियाओं की सकारात्मकता पर निर्भर करती है। खेल के दौरान बच्चा अपने चारों ओर के वातावरण द्वारा नियंत्रित होता है जिससे उसमें आत्म-सम्मान बढ़ता है। बच्चा अनेक प्रकार की गतिविधियों में भाग लेता है जिससे वह अनेक नए संवेगों को महसूस करना सीखता है। चूँकि खेल में बच्चा अपनी भावनाओं को उजागर करता है वह खुशी, उदासी, क्रोध, भय, उत्तेजना, अवसाद तथा तनाव जैसी भावनाओं

टिप्पणी

को नियंत्रित करना सीखता है। खेल बच्चे की एकाग्रता को बढ़ाता है तथा दूसरों के साथ सहयोग करना भी सिखाता हैं। खेलों के द्वारा बच्चे एक–दूसरे को समझने की कला सीखते हैं, अपनी भूमिका का निर्धारण करते हैं, नियमों का पालन करना सीखते हैं तथा सामूहिक सक्रियता का पाठ भी सीखते हैं। अपनी भूमिका का स्वयं निर्धारण करके वे मित्रता की भावना का विकास करते हैं और इस प्रकार खेल, बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि सिद्ध होते हैं।

संज्ञानात्मक विकास

खेल के द्वारा बच्चे आवश्यक अवधारणाओं जैसे–गिनती, रंग, तथा समस्या समाधान आदि के बारे में सीखते हैं। खेलने और विभिन्न खेलों में भाग लेने से उनकी सोचने और तर्क करने की शक्ति में सुधार होता है। क्योंकि बचपन में खेल भी बच्चों के लिए काम है, इसलिए यह जरूरी है कि बच्चों में उपरोक्त नये कौशलों के विकास के लिए उन्हें खेलों में व्यस्त रखा जाए।

भाषिक विकास

खेल बच्चों को उनकी भाषा के अनेक नियमों को आत्मसात करने में मदद करता है। इसलिए खेल में संप्रेषण आवश्यक है। यह बच्चों को उनकी सोच को व्यक्त करने के अनेक तरीके भी सुझाता है। खेल के दौरान बच्चा अलग-अलग लोगों से अलग–अलग स्थितियों में अनेक उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग सीखता है। अन्य लोगों के साथ खेलते समय बच्चा प्राय: खेल सामग्री के बारे में बात करता है या प्रश्न पूछता है। खेल के दौरान बच्चा जानकारी प्राप्त करता है या अन्य लोगों को जानकारी देता है, विचारों को व्यक्त करता है नयी भाषा सीखता है। प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चे भाषा के खेल पसन्द करते हैं क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं। खेल उनके लिए शब्दों (पाठ्यक्रम, ध्वनियों एवं व्याकरण) को समझने तथा प्रयोग करने का एक माध्यम है। प्रारम्भिक विद्यालयी बच्चों के लिए भाषिक खेल, चुटकुलों, पहेलियों, तथा रस्सी पर कूदने के रूप में हो सकते हैं।

कला तथा सौन्दर्यबोध

बच्चे के विकास तथा अधिगम में रचनात्मक विचारों एवं अभिव्यक्ति की भूमिका के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लगभग 50 वर्ष पूर्व, सिगमण्ड फ्रॉयड (1958) ने बताया कि खेल के दौरान ''प्रत्येक बालक एक रचनाकार की तरह व्यवहार करता है, तथा वह अपने संसार की रचना स्वयं करता है, या अपने संसार की उन चीजों को पुनर्व्यवस्थित करता है, जो उसे अच्छी लगती हैं।'' प्रत्येक रचनाशील व्यक्ति भी इसी प्रकार कार्य करता है। खेल बच्चे को वातावरण में उपस्थित चीजों में सौंदर्य तलाशने तथा सुन्दर ढंग से उन्हें प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है।

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा कि–

- उसे 6 साल के बच्चों की वृद्धि और विकास में एक प्रकार की स्थिरता रहती है। इस

समय उनकी सूक्ष्म एवं वृहद मांसपेशियाँ विकसित होती हैं जिससे उनकी शारीरिक मजबूती बढ़ती है।

- शारीरिक क्षमता बढ़ने से उसे 6 साल तक के बच्चे दिन-प्रतिदन के कार्यों–जैसेकि अपने आप भोजन करना, बटन लगाना, कपड़े पहनना, जूतों के फीते बाँधना आदि कार्य बेहतर ढंग से करने लगते हैं।
- पूर्व-विद्यालयी बच्चे अपना नाम, परिवार के लोगों के नाम तथा अपनी वस्तुओं के नाम बताना सीख जाते हैं।
- पूर्व-विद्यालयी बच्चों में सोचने और समझने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती, परन्तु वे मूर्त स्थितियों को सहज तार्किक क्षमता द्वारा समझने लगते हैं जोकि वस्तुओं को बाह्य दिखावट से संरचित होते हैं।
- पूर्व-विद्यालयी बच्चों में शब्दों को समझने तथा सामाजिक बातों को जानने की क्षमता का तेजी से विकास होता है।
- मध्य बाल्यावस्था के दौरान बच्चे अपने शरीर पर नियंत्रण करना सीखते हैं।
- 6 से 8 साल के बच्चों को अपनी शारीरिक क्षमता का ज्ञान हो जाता है, उनका आन्तरिक विकास होने लगता है। इस समय वे अपने बारे में और अधिक जानने लगते हैं।
- मध्य बाल्यावस्था में बच्चों में तर्क शक्ति का विकास हो जाता है, पर वे वस्तुओं को पहचान नहीं पाते। उनमें पलटकर सोचने, संरक्षण तथा अमूर्त चिंतन की क्षमता नहीं होती और न ही सोचने समझने की शक्ति होती है।
- 6 से 8 साल के बच्चे भाषा में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। वे बेहतर रचनाशील वाक्य बना लेते हैं।
- खेल बच्चों का समग्र विकास करते हैं। खेलों से विकास के सभी आयामों में वृद्धि होती है।

पाठान्त प्रश्न

1. खेल का क्या अर्थ है? छोटे बच्चों के विकास में खेल की भूमिका की चर्चा कीजिए।
2. पूर्व विद्यालयी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न पक्षों का वर्णन कीजिए।
3. सात वर्ष के बच्चों की नीचे दिए गए आयामों की कुशलताओं की सूची तैयार कीजिए–

   (i) संज्ञानात्मक

   (ii) भाषिक

   (iii) सामाजिक-संवेगात्मक

टिप्पणी

4. 3 वर्ष तथा 6 वर्ष के बच्चों के विकासात्मक पड़ावों का तुलनात्मक चार्ट बनाइए।

5. नीचे लिखे विषयों का संक्षेप में परिचय दीजिए–

   (i) प्रतीकात्मक विचार

   (ii) स्थानिक चिन्तन

   (iii) कार्य कारण सम्बन्ध

   (iv) वर्गीकरण और पहचान

   (v) निजी संभाषण

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

9.1

(क) एनीमिस्म

(ख) वर्गीकरण

(ग) तीव्र प्रतिचित्रण

(घ) व्यवहारशीलता

9.2

(i) (ङ)

(ii) (ग)

(iii) (घ)

(iv) (क)

(v) (ख)

संदर्भ

- Berk, L. (2012). Child Development (9th Edition). Pp 174-222. Prentice Hall of India.
- Hurlock, E.B. (2007). *Developmental Psychology: A life -span approach.* New Delhi: Tata McGraw-Hill.
- Mukunda, K. (2009). *What Did You Ask at School Today? A Handbook of Child Learning*. New Delhi: Harper Collins.

टिप्पणी

- Papalia, D. E; Olds, S.W., Feldman, R. D.(2006). *Human Development (9th Ed).* New Delhi: Tata McGraw- Hill.
- Ranganathan, N. (2000). *The Primary School Child: Development and Education.* New Delhi: Orient Blackswan.
- Singh, A (Ed). (2015). *Foundations of Human Development*. New Delhi: Orient Blackswan.

10

प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की देखभाल

यह सर्वमान्य तथ्य है कि गर्भाधान के समय से बच्चों का विकास प्रारंभ होता है। यह भी माना जाता है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया उनके जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। वर्तमान में हुए अनेक अनुसंधानों से यह निष्कर्ष निकलता है कि बच्चों के विकास और सीखने के लिए एक पारस्परिक वातावरण, प्रेरणा, उत्साह और देखभाल की आवश्यकता होती है। बच्चों का विकास प्रारंभिक देखभाल और अनुभवों से प्रभावित होता है और उनके चिंतन की प्रकृति पारस्परिक क्रियाओं द्वारा निर्देशित होती है। इस पाठ में आप प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की देखभाल के विषय में पढ़ेंगे।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप–

- देखभाल के सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं;
- प्रथम तीन वर्षों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और आहार के महत्व की चर्चा करते हैं;
- जिज्ञासा, अभिप्रेरणा एवं अधिगम हेतु संवेदनात्मक उद्दीपन के महत्व की व्याख्या करते हैं;
- विभिन्न प्रकार की देखभाल प्रणालियों को पहचानते हैं;
- देखभाल हेतु निरंतरता और अनुरूपता की आवश्यकता का वर्णन करते हैं; और
- बाल देखभाल हेतु शिक्षक और अभिभावक के संबंध के महत्व की व्याख्या करते हैं।

10.1 तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल के सिद्धांत

प्रारंभिक तीन वर्ष प्राय: आधार वर्ष कहलाते हैं क्योंकि इस काल के दौरान विकास के सभी

टिप्पणी

आयामों में अतुलनीय वृद्धि होती है। बाल्यकाल के महत्वपूर्ण प्रारंभिक अनुभव माता-पिता की देखभाल, पोषण और घर के वातावरण से प्राप्त होते हैं। बालक उन देखभालकर्ताओं के साथ संबंध बनाने में सहज महसूस करते हैं जो उनको बोलना, खाना, खेलना आदि सिखाते हैं और उनको प्यार तथा उनकी परवाह करते हैं। गुणवत्तापरक बाल्य देखभाल इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बालकों के अधिगम और स्वस्थ संबंधों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। आइए, अब हम देखभाल के प्रमुख सिद्धांतों को समझते हैं।

सिद्धांत 1: सहयोगात्मक एवं प्रतिक्रियात्मक वातावरण

सहयोगात्मक वातावरण और प्रतिक्रियात्मक देखभाल, ऐसे बच्चों को जो अपनी सभी संवेदी प्रतिक्रियाओं हेतु देखभालकर्ताओं पर पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं, उनको एक सुरक्षित आधार और दिनचर्या प्रदान करता है। खाना, शारीरिक आवश्यकता तथा प्यार से छूने के प्रति बालकों की अनुकूल प्रतिक्रिया, बच्चों की प्राथमिक आवश्यकता है। शारीरिक देखभाल के अतिरिक्त एक सुरक्षित संबंध उन्हें व्यवहार एवं संवेग नियमित करने में मदद करता है।

सिद्धांत 2: प्रतिक्रियात्मक संबंध और सुदृढ़ जीवन कौशल

देखभालकर्ता प्यार और अन्तर्क्रिया द्वारा बालकों के स्वस्थ मस्तिष्क विकास को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें चिंता तथा अनिश्चितता से बचाते हैं। बच्चों के रोने अथवा उनसे बोलते समय देखभाल प्रणाली में सदैव बच्चों के साथ आँखों का सम्पर्क और सुखद हाव-भाव अथवा आलिंगन अवश्य सम्मिलित होने चाहिए। यह मस्तिष्क की तंत्रिकाओं के विकास में सहायक होता है, जिससे बालक संज्ञानात्मक योग्यताओं और सामाजिक-संवेगात्मक कौशलों को अर्जित करता है। बच्चों में धीरे-धीरे विभिन्न कार्यों और गतिविधिों को करने में आत्मनिर्भरता विकसित हो जाती है। इस प्रक्रिया में देखभालकर्ताओं को ऐसी सुनियोजित दैनिक गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए जो रचनात्मक खेल और आदर्श सामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित करे ताकि बच्चा अपने नये कौशलों का अभ्यास कर सके। यह बालकों में तनाव का सामना करने, जिज्ञासा उत्पन्न करने और सृजनात्मक कार्य के साथ-साथ सामाजिक संबंध बनाने की इच्छाशक्ति विकसित करने में सहायक होता है।

सिद्धांत 3: तनाव के स्रोतों को कम करना

'तनाव कम करना', बच्चों द्वारा आवश्यकतानुसार विभिन्न संवेदी अन्तक्रियाओं जैसे श्रव्य, दृश्य, स्पर्श करने की समझ, चूसने संबंधी अनुभव, तथा गतिसंवेदी अनुभवों पर प्रतिक्रिया देने को इंगित करता है। बालकों को अकेला छोड़ देने अथवा उनकी अनदेखी करने से उनकी वृद्धि और विकास में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। अतः बच्चों को किसी भी प्रकार के तनाव से दूर रखने के लिए देखभालकर्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे उनको ऊँची आवाजों, आपत्तिजनक दृश्यों और घातक तीव्र गतिविधियों से दूर रखें।

टिप्पणी

पाठगत प्रश्न 10.1

बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सत्य हैं अथवा असत्य–

1. बच्चे अपने बाह्य वातावरण से प्रभावित नहीं होते हैं। ( )
2. बच्चा जन्म के समय से ही वस्तुओं को देखने, सुनने एवं स्पर्श करने के द्वारा सीखता है। ( )
3. चिंता और तनाव आगे चलकर बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं। ( )
4. संवेगात्मक स्वास्थ्य के लिए बच्चों के प्राथमिक संबंध महत्वपूर्ण हैं। ( )
5. शारीरिक देखभाल बालकों की प्राथमिक आवश्यकता है क्योंकि यह विकास के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करता है। ( )

10.2 शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति का महत्व

देखभाल के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, देखभाल प्रणालियों को विकास के विविध आयामों के संदर्भ में भी समझना आवश्यक है। प्रथम एवं महत्वपूर्ण रूप से, बालक को खाना खिलाना, शारीरिक दक्षता और संवेगात्मक सुरक्षा एवं उद्दीपन पर बल दिया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत खंड में आप वृद्धि, उत्तरजीविता एवं बाल विकास का अध्ययन करेंगे।

10.2.1 पौष्टिक आहार

माता का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम होता है। विश्व की सभी संस्कृतियों में दशकों से स्तनपान को लाभकारी बताया गया है। यह अपने आप में एक पूर्ण आहार है और छह माह की आयु तक बच्चों को किसी प्रकार के पूरक पोषण आहार की आवश्यकता नहीं होती है। यह बच्चों को संक्रमण से बचाता है और उनकी रोग प्रतिरोधी क्षमता का विकास करता है। इससे शिशु रुग्णता और शिशु मृत्युदर में भी कमी आती है। इसके साथ ही स्तनपान से बच्चों में स्पर्श और अपनी माता के साथ सहजता की भावना भी विकसित होती है। छह माह के पश्चात् स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है क्योंकि इस आयु में बच्चे नरम ठोस खाद्य पदार्थ ग्रहण करने लगते हैं। स्तनपान छुड़ाने के लिए ग्रहण किये जाने वाले नरम ठोस खाद्य पदार्थ वह खाद्य पदार्थ हैं जो बच्चे को स्तनपान से नियमित भोजन की ओर ले जाते हैं। अनेक संस्कृतियों में इस परिवर्तन के लिए अनेक समारोह भी आयोजित किये जाते हैं। अनेक संस्कृतियों में अलग-अलग भोजन और स्तन्य त्याग भोजन उपलब्ध है जैसे– दलिया, सूजी खीर, खिचड़ी, रागी आदि।

स्तनपान कराने वाली माताओं की देखभाल भी अति आवश्यक है क्योंकि शिशु अपने पोषण के लिए स्तनपान पर ही निर्भर होता है। स्तनपान के दौरान उन्हें पौष्टिक आहार खाना चाहिए ताकि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध उपलब्ध हो सके। इस आहार में दाल, अनाज, फल, सब्जी, मूंगफली, सूखे मेवे और दूध से बने खाद्य पदार्थ सम्मिलित होने चाहिए। मांसाहारी माताओं को

टिप्पणी

मांस, मछली और अंडों का सेवन करना चाहिए। ऐसी माताओ को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों जैसे स्वच्छ पेयजल, दूध और फलों का रस आदि का सेवन करना चाहिए ताकि उनके शरीर में पानी की कमी न हो सके।

10.2.2 सुरक्षा, पर्याप्त नींद एवं व्यायाम

देखभाल और अन्तर्क्रिया की संवेदनाओं के माध्यम से बच्चों का बाहरी दुनिया से संबंध स्थापित होता है। उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार और देखभाल का अति महत्व है क्योंकि यह उनको शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। देखभालकर्ताओं का यह कर्तव्य है कि वे बच्चों के लिए आरामदायक कपड़े, पर्याप्त नींद और व्यायाम का ध्यान रखें। आइए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं–

वस्त्र : नवजात शिशु के वस्त्र ढीलेढाले और नरम होने चाहिए। कुछ परिवारों में नवजात शिशु के वस्त्र, बुजुर्ग व्यक्ति के पुराने वस्त्रों से बनाने की परंपरा है। इसका उद्देश्य शिशुओं को वस्त्रों की चुभन से बचाना है, क्योंकि उनकी त्वचा बहुत कोमल एवं नाजुक होती है। उनकी स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और उन्हें अधिक समय तक गीला नहीं रखा जाना चाहिए।

नींद : हम सभी जानते हैं कि शिशु लगभग 18 घंटे सोते हैं। धीरे-धीरे यह अवधि कम होती जाती है। वृद्धि के लिए नींद शिशुओं में वैसे ही आवश्यक है जैसेकि मस्तिष्क के नाड़ी तंत्र से संबंध बनाने के लिए संवेदन उद्दीपन आवश्यक है। शिशुओं की नींद आयु के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। जैसे-जैसे शिशु बड़ा होता है उसकी नींद का कुल समय धीरे-धीरे कम होता जाता है, परंतु रात्रिकालीन नींद की अवधि बढ़ती जाती है।

व्यायाम : प्रथम चार हफ्तों के दौरान शिशु केवल अपने अंगों को हिला सकते हैं। इससे उन्हें जगह एवं स्थान का ज्ञान होता है। धीरे-धीरे वह पलटना, पेट के बल लेटना, रेंगना और खड़े होना सीख जाते हैं। शिशुओं के साथ खेलना और बच्चों के खेल अच्छे व्यायाम हैं।

10.2.3 प्रतिरक्षण एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल

प्रतिरक्षण वह प्रक्रिया है, जिसमें विशेष प्रकार के टीकाकरण द्वारा व्यक्ति की संक्रामक बीमारी से प्रतिरक्षा अथवा प्रतिरोधी क्षमता को विकसित किया जाता है। ये टीके शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाकर व्यक्ति की संक्रामक बीमारियों से रक्षा करते हैं। टीकाकरण अथवा प्रतिरक्षण प्रणाली बच्चों को प्राय: लाइलाज बीमारियों से बचाती है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे का टीकाकरण कार्ड बना दिया जाता है जिसमें सभी टीकों का ब्यौरा होता है। निम्नलिखित सारणी में आयु के अनुसार लगाये जाने वाले टीकों को प्रदर्शित किया गया है–

आयु	टीकाकरण
जन्म	बी.सी.जी., ओ.पी.वी, हिपेटाइटस वी, एच.पी.वी.
छह हफ्ते	डी.पी.टी., ओ.पी.वी., एच.आई.बी. न्योमोकोकल हिपेटाइटस बी

आयु	टीकाकरण
दस हफ्ते	डी.पी.टी., ओ.पी.वी., हिपेटाइटस बी, एच.आई.बी., न्यूमोकोकल, आई.पी.वी.
चौदह हफ्ते	ओ.पी.वी., डी.पी.टी., हिपेटाइटस बी, एच.आई.बी., न्यूमोकोकल, आई.पी.वी.
छह माह	रोटा वायरस, इन्फ्लूऐंजा, एच.पी.वी.
नौ माह	खसरा (Measles)
बारह माह	छोटी चेचक (Varicella)
पंद्रह माह	एम.एम.आर., न्यूमोकोकल, बूस्टर, आई.पी.वी.
अठारह माह	ओ.पी.वी., डी.पी.टी., एच.आई.बी. बूस्टर, हिपेटाइटस ए
2 वर्ष	टायफॉइड, हिपेटाइटस ए
4 वर्ष	एम. एम. आर.
5 वर्ष	ओ.पी.वी., डी.पी.टी. बूस्टर

स्रोत- शिशुओं एवं बच्चों हेतु राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची

10.2.4 सफाई एवं स्वच्छता

सफाई और स्वच्छता बच्चों को संक्रमण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों वाली दिनचर्या का पालन तथा वातावरण को साफ रखना, बच्चों के समग्र स्वास्थ्य एवं भलाई को बढ़ावा देता है। कुछ दैनिक आदतें जैसे बच्चों की आँखों को गीले कपड़े से पोंछना और पलकों एवं आँखों के कोनों को गीलाकर साफ करना आदि आवश्यक हैं। इसी प्रकार नाक, नाखून और पैरों के अंगूठों को भी साफ किया जाना चाहिए।

10.3 विकास के लिए संवेदी उद्दीपन

शिशु अपने आसपास की दुनिया को जानने के लिए अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। विभिन्न इद्रियां एक साथ कार्य करती हैं ताकि शिशु एवं बच्चे वातावरण के बारे में जान सकें, खोजबीन कर सकें और विशेष व्यवहार सीख सकें। शोध द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि उद्दीपन से तंत्रिका तंत्र के विकास द्वारा मस्तिष्क के विकास में सहायता मिलती है जोकि बाद में अधिगम में सहायक होता है। संवेदी उद्दीपन गतिक कौशलों के विकास और पांचों इंद्रियों – दृश्य, श्रृव्य, सूंघना, स्वाद और स्पर्श के प्रयोग द्वारा सामान्य समस्याओं के समाधान की योग्यता को विकसित करने में सहायक होता है। प्रारंभिक वर्षों में बच्चे के लिए देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद

लेने और स्पर्श करने की अनेक गतिविधियाँ होनी चाहिए और उनको बार-बार दोहराया जाना चाहिए। आइए, हम संवेदी उद्दीपन के विषय में विस्तृत अध्ययन करते हैं।

10.3.1 देखने की संवेदना

देखना और सुनना, मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करने वाले प्रथम संवेदी अनुभव होते हैं। शोध द्वारा यह तथ्य सामने आए हैं कि जब बच्चा विभिन्न रंगों, आकृत्तियों और चेहरों को देखता है तो उसकी दृश्य क्षमता का विकास होता है। अन्तर्क्रिया अथवा कुछ दृश्य खेलों और गतिविधियों जैसे कि अपना चेहरा बच्चे के समीप ले जाना, चेहरे से अनेक हाव-भाव बनाना, आँखों का संपर्क, लुका-छुपी आदि के द्वारा देखभालकर्ता बच्चों की दृश्य क्षमता को विकसित करने में सहायक हो सकते हैं। इसके साथ ही, विभिन्न आकृतियों तथा रंगों की वस्तुएं और खिलौने, बच्चों की साधारण प्रक्रिया द्वारा निरीक्षण एवं विश्लेषण के आधार पर अन्तर को पहचाने में सहायता करते हैं।

10.3.2 श्रवण

जन्म से ही बच्चे अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियों और आवाजों को सुनते हैं जिससे वे भाषा का आधारभूत ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखभालकर्ता बच्चों की आवाजें निकालते हैं और उनसे बच्चों जैसी आवाज में बात करते हैं। इस प्रकार बदले हुए नम्र स्वर उत्साहवर्धक और आनंददायक होते हैं। धीरे-धीरे यह स्वर बालकों का सामाजीकरण कर उन्हें नियमित बातचीत के लिए तैयार करता है। इसके अतिरिक्त बालक दैनिक वार्तालाप, निर्देशों और ध्वनियों द्वारा भी भाषीय ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रवणीय प्रोत्साहन अनेक प्रकार से दिया जा सकता है जैसे कि–

- बच्चों का भाषायी आधार मजबूत बनाने हेतु उनसे बातचीत करना;
- संगीत की धुन और थाप के साथ बालकों की क्रिया करवाना; तथा
- बालकों को प्राकृतिक आवाजों जैसे कि पक्षियों और जानवरों की आवाजों से परिचित करवाना। इससे उनकी श्रवणेन्द्री विकसित होती है और वे प्रकृति के साथ अपना संबंध स्थापित कर पाते हैं।

10.3.3 स्पर्श

जब बच्चों को आराम से उठाया जाता है और उनके साथ खेला जाता है तो बच्चों में महत्व और विश्वास की संवेदनाएं विकसित होती हैं। यदि बच्चों की प्यार से देखभाल नहीं की जाती है तो उनमें अस्वीकृति का भाव उत्पन्न हो जाता है और यह तनाव का कारण हो सकता है। बच्चों को गोद में लेना, अपने चेहरे के समीप लाना और प्यार से बात करना आदि बच्चों की संवेदनाओं को उत्तेजित करता है जिससे उनमें अपने सामाजिक परिवेश से संबंध एवं विश्वास उत्पन्न होता है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि बच्चों को नरम खिलौने (Soft toys) क्यों पसंद आते हैं। खिलौनों का नरम मुलायम कपडा उन्हें आराम और उत्साह प्रदान करता है।

बच्चे स्पर्श संवेदी खेलों के दौरान वस्तुओं की पहचान स्पर्श के माध्यम से करते हैं, जोकि उनके गतिक कौशलों जैसे कि - दबाना, खींचना, धकेलना और फेंकना आदि के विकास में सहायक होता है। बच्चों की आयु के अनुसार स्पर्श संबंधी गतिविधियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। बच्चें प्राय: उन्हीं चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं जिन्हें वह स्पर्श कर सकते हैं। उन्हें भोजन, खिलौने, कपड़े, मुलायम वस्तुओं आदि के स्पर्श के माध्यम से नई चीजों से परिचित कराया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चे धुंए, घातक रसायन और प्रदूषक तत्वों, जोकि शारीरिक संपर्क के माध्यम से उनमें प्रवेश कर सकते हैं, से दूर रहें।

10.3.4 गतिसंवेदी

गतिसंवेदी का अर्थ है, गति का भाव, अर्थात् गति द्वारा भौतिक स्थान की खोजबीन करना। इसका अर्थ संलग्नता और क्रिया द्वारा अधिगम है। शारीरिक गतिविधि, बच्चों को अपने आसपास के भौतिक वातावरण को समझने में सहायक होती है। देखभालकर्ता जब बच्चों को उठाता है और विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधि करवाता है तो बच्चे विस्मित, सुरक्षित और आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, हम देखते हैं कि कुछ बच्चे एक स्थान पर बैठकर ही गतिविधियाँ करना पसंद करते हैं जबकि कुछ बच्चे बाहर जाना चाहते हैं। इसी प्रकार कुछ बच्चे विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे तालियाँ बजाना, अपनी उंगलियों को चटकाना, चिकनी मिट्टी से आकृतियां बनाना आदि के माध्यम से अधिगम करते हैं। गतिक क्रियाओं के अवसर बच्चों की खोजबीन और अंवेषण की इच्छा पूरी करते हैं। बच्चे की देखभाल के दौरान कुछ गतिक क्रियाएं निम्नलिखित हो सकती हैं–

- बच्चों को घर में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं के ऊपर, नीचे और एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक रेंगकर जाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- उनमें गति और संतुलन की संवेदनाओं को विकसित करने हेतु बच्चे को ऊपर उठाना, नीचे लाना और विभिन्न स्थितियों में खेलना।
- बच्चे को पकड़ना, सहलाना, एक धुन पर एक प्रकार से क्रिया करना अथवा करवाना।
- बच्चों से बात करते समय ताली बजाना तथा हाव-भाव बनाना।

पाठगत प्रश्न 10.2

अ) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. छह मास की आयु तक बच्चों को पौष्टिक आहार .... से मिलता है।
2. अच्छी वार्तालाप से बालकों के अंदर .... भाव विकसित होता है।
3. बच्चों को वृद्धि के लिए नींद की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे .... की स्थिति में होते हैं।
4. बच्चों के लिए स्तन्य त्याग भोजन .... द्वारा तैयार किया जाता है। यह भोजन उन्हें माता के .... से परिवर्तित कराने हेतु दिया जाता है।

ब) सही मिलान कीजिए–

i)	टेटनस	अ)	स्वच्छता
ii)	स्पर्श	ब)	देखने की संवेदना
iii)	चेहरे के भाव	स)	भाषा एवं गति
iv)	आंखों की सफाई	द)	आरामदायक एवं संतुष्टि
v)	शिशु के खेल	च)	टीकाकरण

गतिविधि 10.1

बाल्य देखभाल केन्द्रों के दो चित्र काटकर चिपकाइए। ये चित्र आपको अखबार, पत्रिका, इंटरनेट अथवा आस-पड़ोस से उपलब्ध हो जायेंगे। प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की देखभाल के संदर्भ में इन चित्रों में दर्शायी गयी गतिविधियों और प्रयुक्त सामग्री पर टिप्पणी कीजिए।

10.4 प्रारंभिक वर्ष आगामी अधिगम का आधार : गुणवत्तापरक देखभाल के तरीके

बच्चे शुरूआत से ही गुणवत्तापरक देखभाल और शिक्षा के अधिकारी होते हैं। देखभाल की गुणवत्ता का सीधा प्रभाव बच्चों की अधिगम और स्वस्थ संबंध बनाने की योग्यता एवं उनके इष्टतम विकास पर पड़ता है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था तीव्र विकास की अवधि होती है। यह जीवनपर्यन्त चलने वाले अधिगम का आधार होती है। नि:संदेह, यदि कोई बच्चा प्रारंभिक वर्षों में आलसी होता है तो उसकी मानवीय क्षमताओं का ह्रास होता है और इसका भविष्य में बच्चे के व्यस्क जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उच्च कोटि का ईसीसीई कार्यक्रम छोटे बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक विकास हेतु सुरक्षित और पोषक वातावरण प्रदान करता है।

हम मजबूत भविष्य की नींव रख रहे हैं। शिशुओं और बालकों को देखभाल हेतु एक विशेष वातावरण की आवश्यकता होती हैं जिसमें वे ऐसे देखभालकर्ताओं के साथ पलते हैं जो यह जानते हैं कि उनकी स्वस्थ वृद्धि और विकास को किस प्रकार प्रोत्साहित करना है। छोटे बच्चों की दिनचर्या उनकी आवश्यकताओं, जिसमें उपयुक्त उद्दीपन एवं आराम का समय भी सम्मिलित है, के अनुरूप होनी चाहिए। बच्चों के लिए एक सुरक्षित, पोषक और उद्दीपक वातावरण हेतु निम्नलिखित दशाएं होनी चाहिए–

- बालक एवं देखभालकर्ता का कम अनुपात
- समूह का छोटा आकार
- अभिप्रेरित एवं संवेदनशील देखभालकर्ता

टिप्पणी

- देखभालकर्ता और बच्चों में सकारात्मक अन्तक्रिया।
- आयु के अनुसार उचित क्रियाशील गतिविधियाँ एवं उद्दीपन सामग्री जैसे कि ब्लॉक, खिलौने, रंग, मोती आदि।
- स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षा की आदतें।
- नियमित व्यावसायिक विकास के अवसरों सहित प्रशिक्षित कर्मचारी।

निम्नलिखित खंड में बच्चों के विकास में देखभाल के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

10.4.1 रूचि, जिज्ञासा और अभिप्रेरणा

शुरूआती वर्ष वह समय है, जब हम बच्चों के भविष्य की कल्पना करते हैं। प्रायः हम बच्चों की रुचियों पर ध्यान नहीं देते। रुचि, ऊर्जा का वह रूप है जिससे बच्चों में जिज्ञासा के साथ-साथ कार्य करने की अभिप्रेरणा और दिशा-निर्देशन मिलता है। शिशुओं में एक अदभुत उत्साह होता है क्योंकि दुनिया की सभी चीजें उनके लिए नई होती हैं और यह नयापन उन्हें खोजबीन करने के लिए प्रेरित करता है। यही वह ऊर्जा होती है जो उनमें रुचि और जिज्ञासा को उत्पन्न करती है। रुचि की निरंतरता केवल बाल्यावस्था में संवेगात्मक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं अपितु जीवनपर्यन्त महत्वपूर्ण हैं। रुचि के बिना न तो जिज्ञासा हो सकती है, न ही खोजबीन और न ही वास्तविक अधिगम।

शिशु अपनी माता अथवा देखभालकर्ता के चेहरे, विशेषतया उनकी आँखों के प्रति सर्वाधिक रुचि दर्शाते हैं। जल्दी ही वे उन वस्तुओं में रूचिकर हो जाते हैं जो रंगीन, गतिमान, तालबद्ध अथवा लयबद्ध (अथवा सामान्य रूप से सुंदर) होती है। छोटे बच्चे अपनी जिज्ञासा और रुचि के कारण ही चौंका देने वाली गतिविधियाँ और वार्तालाप भी करते हैं। यदि देखभालकर्ता चीजों और घटना के प्रति जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं और उनकी व्याख्या भी प्रस्तुत करते हैं तो बच्चे जिज्ञासु और अभिप्रेरित होंगे। बच्चों में जीवनपर्यन्त रुचियों की निरंतरता को बनाये रखने में कार्य करने, पर्यवेक्षण करने और खोजबीन करने की इच्छा एवं ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यस्कों द्वारा बच्चों की रुचियों का प्रसन्नतापूर्वक उत्तर देना, बच्चों को व्यस्त, जिज्ञासु और अभिप्रेरित रखने का सर्वोत्तम उपाय है।

10.4.2 संबंध बनाना

शिशु और छोटे बच्चों को जीवन के प्रारंभिक वर्षों में सजग और सक्रिय रखने के लिए माता-पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उनके सुखद एवं सहयोगात्मक संबंध होने आवश्यक है। बच्चों में आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और स्वास्थ्य के विकास के लिए सकारात्मक संबंध आवश्यक है। व्यस्कों के साथ विश्वसनीय संबंध होने पर बच्चे आत्मविश्वासी और सुरक्षित अनुभव करेंगे और उनमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। देखभालकर्ताओं के साथ अन्तक्रिया के द्वारा बच्चे हिस्सेदारी, सहयोग और एक दूसरे का सम्मान करना जैसे सामाजिक कौशलों को सीखते हैं। वे संप्रेषण और गतिक कौशल भी सीखते हैं। संज्ञानात्मक उद्दीपन जो कि शुरूआती मस्तिष्क विकास को प्रभावित करता है, प्रारंभिक अनुरक्ति एवं सकरात्मक संबंधों पर आधारित होता है। प्रारंभिक वर्षों में बनाये गये ये संबंध,

टिप्पणी

जीवनपर्यन्त रुचि, जिज्ञासा एवं अभिप्रेरणा को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों के सामाजिक कौशल, संवेगात्मक स्तर और मूल्य आगे चलकर उनकी शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं।

10.4.3 खेल एवं आनंदमयी अन्तर्क्रिया

जन्म से ही बच्चों को नयी-नयी चीजों की जानकारी करना और खोजबीन करना आनंददायक लगता है। शुरूआत में वे अपने शरीर का प्रयोग जैसे कि अपने हाथों एवं पैरों को पटकना, अपनी मांग प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। जैसे-जैसे वे बड़े होते जाते हैं वे नयी रचनाओं, सामग्रियों और संसाधनों की खोजबीन के माध्यम से अपने आस-पास की दुनिया को समझने लगते हैं। संवेगात्मक खेल, बच्चों में खोज और स्वतंत्र चिंतन के साथ-साथ कल्पना और सृजनात्मकता को भी बढ़ाते हैं। अनुसंधान द्वारा यह प्रमाणित किया जा चुका है कि संवेदी खेल बच्चों के विकास और अधिगम में लाभदायक होते हैं।

- संवेदी खेलों द्वारा मस्तिष्क का विकास होता है, जिसका प्रभाव अधिगम, स्मृति एवं जटिल कार्यों को पूर्ण करने की योग्यता पर पड़ता है।
- खेलों द्वारा भाषा का विकास भी होता है और बच्चे दुनिया के विषय में बात करने के नये तरीके सीखते हैं। नये अनुभव, वस्तुएं, गीतों और कविताओं को सुनना आदि भाषायी विकास को प्रोत्साहित करते हैं और बच्चे खेल-खेल में प्रभावशाली ढंग से वार्तालाप करना सीखते हैं।
- स्पर्शनीय संवेदी खेलों के दौरान बच्चे वस्तुओं को स्पर्श द्वारा पहचानते हैं जिससे उनके विशेष गतिक कौशलों जैसे दबाना, खींचना, धकेलना एवं फेंकना आदि कौशलों का विकास होता है।
- संवेदी खेलों से बच्चों की विचार प्रक्रिया, समझ एवं तार्किक बुद्धि सुदृढ़ होती है, जोकि उनके संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। नवीन सामग्री के प्रयोग द्वारा बच्चे नयी संकल्पनाओं को समझते हैं।
- सामूहिक गतिविधियों द्वारा सामाजिक वार्तालाप को प्रोत्साहन मिलता है। सकारात्मक संवेदी खेलों का वातावरण बच्चों को दूसरों के साथ प्रभावशाली ढंग से अन्तर्क्रिया करने एवं कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो कि उनके विकास के लिए अति आवश्यक है। वे नये संबंध बनाना और अपने विचारों को साझा करना शुरू आरंभ करते हैं मिट्टी अथवा पानी के खेल अथवा चित्रकारी, सामाजिक अन्तर्क्रिया को प्रोत्साहित करने वाले लोकप्रिय खेल हैं क्योंकि इनमें बच्चे एक साथ बैठकर सामग्री का उपयोग करते हैं।
- सक्रिय संवेदी खेलों से बच्चे अपने तथा अपने शरीर के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं जिससे उनमें अपने आस-पास के वातावरण की बेहतर समझ विकसित होती है।

10.4.4 लयबद्धता एवं देखभाल

नियमित दिनचर्या का अपना महत्व होता है, क्योंकि इससे बच्चों में सुरक्षा एवं अपने वातावरण

पर नियंत्रण की भावना आती है। नियमित दिनचर्या बच्चों को आने वाले परिवर्तनों के लिए संवेगात्मक रूप से तैयार करती है। ये बच्चों की अनअपेक्षित परिवर्तनों से सुरक्षा करते हैं क्योंकि परिचित कार्यक्रम, दिनचर्या अथवा वस्तुएं, परिवर्तन के समय बच्चों मे नियमितता, स्थायित्व एवं शांति का भाव लाते हैं। शिशु सुबह अथवा शाम नहीं समझते हैं, किंतु देखभाल गतिविधियों से वे समय, क्रमबद्धता और शाश्वतता को समझ पाते हैं। परिवार में बुजुर्गों को प्राय: विस्मित करने वाले अविश्वसनीय कथन कहते हुए सुना जाता है जैसे कि– ''यह बच्चा शाम को रोता है, यदि इसके पिता को काम से लौटने में देरी हो जाती है।'' अथवा माता से कहा जाता है 4 बजे तक आ जाना, नहीं तो तुम्हारा बच्चा बेचैन हो जाता है। केवल निरीक्षण के आधार पर किये गये इस प्रकार के कथन मुश्किल से चार या छह माह के बच्चे की वास्तविक समय के आकलन की क्षमता के विषय में आपको आश्चर्यचकित कर देते हैं। यदि बच्चों की दिनचर्या में अधिक परिवर्तन होता है तो वे अपनी जैविक घड़ी एवं लयबद्धता के कारण परेशानी अनुभव करते हैं। परिचित वस्तुएं और देखभाल दिनचर्या का सावधानीपूर्वक पालन बच्चों में संवेगात्मक स्थिरता एवं संतुलन विकसित करने में सहायक होता है। जन्म के समय से ही बच्चे दुनिया को जानना चाहते हैं और प्रतिदिन, नियमित एवं चरणबद्ध देखभाल से उन्हें अपेक्षाएँ और संतुष्टि प्राप्त होती है। छोटे बच्चों के लिए हर दिन अधिगम एवं उत्साह से भरा होता है, और उनकी दिनचर्या उनके कौतूहल को शांत करती है।

पाठगत प्रश्न 10.3

रिक्त स्थान भरिए–

1. संज्ञानात्मक उद्दीपक प्रारंभिक .... एवं .... संबंधों पर निर्भर होता है।
2. नियमित दिनचर्या बच्चों में .... का भाव एवं अपने .... के ऊपर नियंत्रण प्रदान करती है।
3. संवेदी खेल .... एवं .... को प्रोत्साहित करते हैं।
4. खोजबीन और अधिगम हेतु रूचि एवं .... महत्वपूर्ण है।
5. बच्चों को एक ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता होती है जो उनकी जरूरतों के अनुरूप हों जिसमें उपयुक्त .... और .... का समय भी सम्मिलित है।

10.5 देखभाल हेतु वातावरण के प्रकार: पारिवारिक एवं गैर-पारिवारिक

नवजात शिशुओं एवं बच्चों की देखभाल अधिकांशतया घर पर ही होती है। किंतु अनेक कारणों जैसे कि– कामकाजी माता-पिता, एकल अभिभावक अथवा संस्थानों में बच्चे आदि कुछ कारकों के कारण बच्चों के पालन-पोषण हेतु पारिवारिक देखभाल के अतिरिक्त गैर-पारिवारिक व्यस्कों द्वारा देखभाल की आवश्यकता उत्पन्न होती है। इन व्यस्कों को बच्चे की देखभाल हेतु,

टिप्पणी

विशेष रूप से प्रत्येक बच्चे तक पहुँच बनाने के महत्व को समझने हेतु, प्रशिक्षित होना आवश्यक है। बच्चों की देखभाल को दो भागों, 'केंद्र-आधारित देखभाल' और 'घर आधारित देखभाल' में बांटा जा सकता है। बाल्य देखभाल गृह में सामान्यतया: बच्चों के छोटे समूह की सुविधाप्रदाता के घर पर देखभाल की जाती है, जबकि केन्द्र अघरेलु वातावरण में बच्चों के बड़े समूह को सेवा प्रदान करते हैं। रिश्तेदारों जैसे चाचा, चाची, चचेरे भाई-बहन आदि एवं गैर रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली देखभाल में अंतर होता है। गैर-रिश्तेदार देखभालकर्ता घर में, पडोस में अथवा मित्र हो सकते हैं जो बच्चे के घर पर आकर अथवा अपने घर पर बच्चे की देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। व्यवस्थित बाल्य देखभाल की श्रेणी में क्रेच, डे केयर केंद्र, प्री-स्कूल, बाल्य देखभाल केंद्र, नर्सरी स्कूल, किंडरगार्टन और प्री-प्राइमरी स्कूल सम्मिलित हैं। कभी-कभी नियोक्ता अपने कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल हेतु कार्यस्थलों पर अथवा कार्यस्थलों के समीप डे-केयर की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं।

10.6 देखभालकर्ता (अभिभावक एवं शिक्षक) और बच्चे

अभिभावक, शिक्षक एवं बच्चे एक ऐसा गतिशील त्रय है, जिसमें घनिष्ट संवाद होना अति आवश्यक है। अभिभावकों और शिक्षकों को बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक दल के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। अभिभावक एवं शिक्षक दोनों का ही उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु एक पोषक वातावरण निर्मित करना है। उन्हें, बच्चों में कौशलों और संसाधनों को विकसित करना चाहिए ताकि वे सफल व्यस्क बनकर अपने सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ा सके। उनका उत्तरदायित्व, मुख्य विकासात्मक कार्यो, जोकि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में सहायक हों, हेतु अवसर उपलब्ध कराना भी है। शुरूआती वर्षों के दौरान बच्चों की निम्नलिखित आवश्यकताएँ होती हैं–

- परिवार का निस्वार्थ प्रेम
- सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण
- सहयोगात्मक शिक्षक एवं देखभालकर्त्ता
- अन्य बच्चों के साथ खेलने के अवसर
- आत्म-विश्वास और उच्च आत्म-सम्मान
- उपयुक्त मार्ग-दर्शन एवं अनुशासन

ये सभी अभिभावकों और शिक्षकों के सतत् सहयोग द्वारा ही संभव है। इसकी चर्चा नीचे की गयी है।

10.6.1 अभिभावकों एवं शिक्षकों के बीच सहयोग

देखभाल केन्द्रों को बच्चों के समूहों को संभालना होता है, अत: उन्हें अभिभावकों से निरंतर संपर्क बनाये रखना चाहिए। अभिभावकों के साथ कार्यशाला के रूप में अथवा सामूहिक रूप से भेंट करना अधिक लाभप्रद होता है, क्योंकि इससे अभिभावकों को एक-दूसरे से

टिप्पणी

बाल्य देखभाल मान्यताओं, व्यवहारगत मुद्दों एवं बच्चों को अनुशासित करने के तरीकों को जानने का अवसर मिलता है। अभिभावकों एवं देखभालकर्ताओं की नियमित रूप से भेंट होनी चाहिए जिससे बच्चों की विकास दर की जानकारी मिल सके। अभिभावकों एवं शिक्षकों के द्वारा बच्चों में होने वाले परिवर्तनों तथा विकास में होने वाले विलंब पर भी चर्चा की जानी चाहिए। पिछले पाठों में आप विकास में विलंब की शुरुआती पहचान के विषय में पढ़ चुके हैं।

10.6.2 अभिभावक-शिक्षक संवाद के माध्यम

अभिभावक देखभाल केंद्रों के नियमित संपर्क में रह सकते हैं, इसके लिए वे विशेष मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय ले सकते हैं अथवा बच्चों को केंद्रों पर छोड़ते या लेते समय उनकी गतिविधियों और उनके प्रत्युत्तरों के बारे में बता सकते हैं। सुबह शाम नियमित संवाद होने से घर एवं केंद्र के मध्य सामंजस्य रहता है जिससे बच्चा स्वयं को अपरिचित अनुभव नहीं करता है। घर पर बच्चों की दिनचर्या एवं निश्चित प्रतिक्रियाओं को साझा करने से शिक्षकों को उनकी संवेगात्मक सुरक्षा हेतु संवाद तैयार करने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार जब बच्चे अपने अभिभावकों से विद्यालय के बारे में बातें सुनते हैं तो उन्हें प्रसन्नता होती है और वे विद्यालय को, केवल एक ऐसा स्थान, जहाँ उन्हें प्रतिदिन भेजा जाता है, समझने की अपेक्षा परिवार की दिनचर्या का एक हिस्सा समझने लगते हैं। अभिभावक शिक्षक ई-मेल, सोशल नेटवर्किंग, मैसेजस् (SMS) और फोन आदि तकनीकी माध्यमों का प्रयोग करके भी एक दूसरे के सपर्क में रह सकते हैं। आप मॉड्यूल 4 में संचार के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

10.6.3 बच्चे एवं देखभाल मान्यताओं के विषय में उनकी अवधारणाएँ

बच्चों के पास अभिव्यक्ति हेतु व्यापक शब्दकोष नहीं होता है, फिर भी वे अकारण रोकर अथवा चिड़चिड़ेपन द्वारा अपनी परेशानी और असुखद अनुभवों को व्यक्त कर देते हैं। वास्तव में, बच्चों द्वारा प्रदर्शित असामान्य क्रिया के प्रति शिक्षकों एवं अभिभावकों की संवेदनशील प्रतिक्रिया बच्चों का तनाव कम करने में सहायक होती है। आइए, इस बात को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझते हैं–

''एक बच्चा जिसकी आयु 18 माह है, परंतु देखने में और क्षमताओं में वह केवल 8 माह का प्रतीत होता है। वह बच्चा हल्की सी आवाज अथवा शोर से डर कर कांप जाता था और किसी भी व्यस्क के पास जाने का प्रयास नहीं करता था। देखभालकर्ता ने देखा कि बच्चा दूध पिलाने के समय भी पूर्ण सहयोग नहीं देता था। प्यार से मनुहार करने पर बच्चे ने प्रत्युत्तर दिया। दिन समाप्त होने तक बच्चा देखभालकर्ता की गोद में चला गया और कुछ दिनों में उससे लगाव महसूस करने लगा। कुछ ही दिनों में वह आत्मविश्वासी बन गया और नियमित निर्देश पाकर वह सहयोगात्मक व्यवहार करने लगा। चार माह पश्चात वह बच्चा अपनी आयु के अनुसार नियमित क्रियाकलाप तथा गतिविधियाँ सफलतापूर्वक कर रहा था।''

यह उदाहरण तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल के तीन सिद्धांतों की व्याख्या करता है। यह सिद्ध करता है कि शुरूआती जांच और निष्कर्ष बच्चों के विकास में सहायक हो सकते

टिप्पणी

हैं। केंद्र पर आने के समय बच्चा अपनी आयु के अनुसार व्यवहार नहीं कर रहा था। उसकी समस्या तथा बेचैनी पर ध्यान न दिये जाने के कारण वह तनाव महसूस कर रहा था। संवेदनशील कर्मचारीगण बच्चों की भलाई के लिए चमत्कारिक रूप से कार्य कर सकते हैं।

अन्य सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी बच्चे घर अथवा विद्यालयी वातावरण में संवेदनशील एवं प्रतिक्रियात्मक वयस्कों के हस्तक्षेप द्वारा लाभांवित हो सकते हैं। अभिभावकों एवं शिक्षकों को एक-दूसरे के विरोधी के रूप में नहीं बल्कि एक टीम के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। घर आने पर बच्चे बातें करने के लिए उत्सुक रहते हैं। उस समय पर अभिभावकों को बच्चों की बातों को सुनने एवं उनके अनुभवों की प्रकृति को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि दो या तीन वर्ष का बच्चा कहता है कि – ''मैंने स्कूल में कुछ नहीं किया'' अथवा ''मेरी बारी नहीं आयी'', अथवा ''अध्यापिका मुस्कराती नहीं है, मुझे ऐसी अध्यापिका चाहिए जो बच्चों को देखकर मुस्कराए'', तो वास्तव में बच्चा देखभाल केंद्र का आकलन कर रहा है, जिससे केंद्र का वातावरण एवं देखभालकर्ता का व्यवहार सम्मिलित है। बच्चे सक्रिय एवं सचेत होते हैं और अपने तरीकों से अर्थ निकालते हैं। वयस्कों को बच्चों द्वारा बताए गए इन अर्थों का संज्ञान लेकर प्रशंसा करनी चाहिए।

आपने क्या सीखा

- शुरूआती वर्षों में, विकास के प्रत्येक पक्ष में अद्भुत वृद्धि होती है। सकारात्मक विकासात्मक परिणाम लाने हेतु पोषक घरेलू वातावरण का होना आवश्यक है।
- सहयोगात्मक एवं उत्तरदायी वातावरण, उत्तरदायी संबंध एवं जीवन कौशल, तनाव के स्रोतों को कम करना, देखभाल के मूलभूत सिद्धांत हैं।
- बच्चों की वृद्धि, उत्तरजीविता और विकास को सुनिश्चित करने हेतु कुछ आधारभूत उपाय हैं।
- बच्चों के विकास को बढ़ावा देने हेतु संवेदी उद्दीपक की उपलब्धता आवश्यक है।
- बाल्य देखभाल की गुणवत्ता, बच्चों की अधिगम योग्यता, स्वस्थ संबंध बनाना और सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती है।
- उच्च कोटि का ईसीसीई कार्यक्रम छोटे बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु, एक सुरक्षित एवं पोषक वातावरण प्रदान कराता है।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान खेल एवं आनंददायक अंतर्क्रियाएं आवश्यक हैं।
- लयबद्ध एवं चरणबद्ध देखभाल बच्चों की अपेक्षाओं एवं आकाक्षाओं को शांत करती है।
- बाल्य देखभाल वातावरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है– पारिवारिक एवं गैर-पारिवारिक।
- अभिभावक, शिक्षक और बच्चे, इनके मध्य घनिष्ठ संवाद होना आवश्यक है।

- अभिभावकों एवं शिक्षकों को बच्चों के हितों को ध्यान में रखकर, एक टीम के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्हें बच्चों के लिए एक पोषक वातावरण निर्मित करने की आवश्यक है।

पाठांत प्रश्न

1. संवेदी उद्दीपन के महत्व की व्याख्या कीजिए।
2. तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए।
3. प्रारंभिक तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं आहार के महत्व का वर्णन कीजिए।
4. विभिन्न प्रकार की देखभाल प्रदत्ता प्रणालियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
5. बच्चों के सर्वांगीण विकास में अभिभावक एवं शिक्षक किस प्रकार योगदान दे सकते हैं?
6. देखभाल प्रदान करते समय लयबद्धता क्यों महत्वपूर्ण है?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

10.1

1. असत्य
2. सत्य
3. सत्य
4. सत्य
5. सत्य

10.2

(अ) 1. स्तनपान 2. विश्वास 3. तीव्र विकास 4. अर्द्ध-ठोस, दूध

(ब) (i) च (ii) द (iii) ब (iv) अ (v) स

10.3

1. लगाव, सकारात्मक
2. सुरक्षा, वातावरण
3. खोज, स्वतंत्र चिंतन, कल्पना, रचनात्मकता

टिप्पणी

4. सृजनात्मक, अभिप्रेरणा

5. उद्दीपक, विश्राम

संदर्भ

- Datta, V. (2007). Ensuring quality in child care. In V. Datta & R. M. Konantambigi (Eds.), *Day care for young children in India: Issues and prospects* (pp. 304-317). New Delhi: Concept.
- David, T. G., & Weinstein, C. S. (1987). The built environment and children's development. In T. G David & C. S. Weinstein (Eds.), *Spaces for children: The built environment and child development* (pp. 3-18). New York: Plenum Press.
- García, Luis, J., Heckman, J. J., Leaf, D. E., & Prados, M. J. (2016). *The life-cycle benefits of an influential early childhood program*. Retrieved from https://heckmanequation.org/assets/2017/01/F_Heckman_CBAOnePager_120516.pdf
- Gupta, A. (2017). How neoliberal globalization is shaping early childhood education policies in India, China, Singapore, Sri Lanka and the Maldives. *Policy Futures in Education*, *16* (1), 11-28. doi:10.1177/1478210317715796.
- Harkness, S., Super, C. M., Mavridis, C. J., Barry, O., & Zeitlin, M. (2013). Culture and early childhood development: Implications for policy and program. In P. R. Britto, P. L. Engle, & C. M. Super (Eds.), *Handbook of early childhood development research and its impact on global policy* (pp. 142-160). Oxford: Oxford University Press.
- Isaac, R., Annie, L. K., & Prashanth, H. R. (2014). Parenting in India. In H. Selin (Ed.), *Parenting across cultures: Childrearing, motherhood and fatherhood in non-western cultures* (pp. 39- 44). New York: Springer.
- Kapur, M. (2003). Childcare in ancient India. In J. G. Young, P. Ferrari, S. Malhotra, S. Tyano, & E. Caffo (Eds.), *Brain culture and development* (pp. 95-104). New Delhi: Macmillan.
- Konantambigi, R. M. (2007). Developmental needs of young children: Home, day care and state linkages. In V. Datta & R. M. Konantambigi (Eds.), *Day care for young children in India: Issues and prospects* (pp. 31-57). New Delhi: Concept Pub. Co.

टिप्पणी

- National Scientific Council on the Developing Child. (2007). *The science of early childhood development: Closing the gap between what we know and what we do*. Retrieved from https://developingchild.harvard.edu/
- Paul, S. (2017). *Quality standards for early childhood services: Examples from South and South East Asia* (126). Retrieved from https://bernardvanleer.org/app/uploads/2017/06/ECM17_15_SEAsia_Sandipan.pdf
- Razavi, S. (2007). *The political and social economy of care in a development context: Conceptual issues, research in questions and policy options*. Geneva: UNRISD.
- Seymour, S. (2004). Multiple caretaking of infants and young children: An area in critical need of a feminist psychological anthropology. *Ethos*, *32*(4), 538-556. doi:10.1525/eth.2004.32.4.538
- Shonkoff, J. P., & Phillips, D. A. (Eds.). (2000). *From neurons to neighborhoods: The science of early childhood development*. Washington D.C: National Academy Press.
- Shonkoff, J. P., & Richter, L. (2013). The powerful reach of early childhood development: A science based foundation for sound investment. In P. R. Britto, P. L. Engle, & C. M. Super (Eds.), *Handbook of early childhood development research and its impact on global policy* (pp. 24-34). Oxford: Oxford University Press.
- Vandell, D. L., & Wolfe, B. (2000). *Child care quality: Does it matter and does it need to be improved?* (78) Madison: Institute for Research on Poverty.
- Yoshikawa, H., & Kabay, S. (2015). *The evidence base on early childhood care and education in global contexts*. New York: UNESCO.

11

खेल और प्रारंभिक अधिगम

क्या आपने कभी छोटे बच्चों की खेल क्रियाओं का नजदीक से अवलोकन किया है? आपने क्या विशेषताएँ नोट कीं? क्या आप जानते हैं कि इन छोटी सरल खेल गतिविधियों का एक मनुष्य के पूरे जीवन में क्या महत्त्व होता है? पिछले पाठों में आपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षा के महत्व को समझा था। बच्चों को अन्वेषण करना, खोजबीन करना और खेलना बहुत पसंद होता है और यदि उन्हें सही वातावरण मिले तो इनसे उनका उचित संज्ञानात्मक, सामाजिक-संवेगात्मक और शारीरिक विकास सुनिश्चित होता है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों की प्रत्येक गतिविधि बहुत आकर्षक होती है। बच्चा जब अपने हाथों और पैरों को घुमाकर खुश होता है और किलकिलाता है, तब देखने वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह सभी खेल की शुरूआत हैं तथा प्रत्येक स्थान पर बच्चे के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी समुदाय बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाते हैं, जैसे कि झुनझुने, मोबाइल, लटकने वाले झूमर, जो बच्चों में खेलने एवं गतिक क्रियाओं हेतु रुचि को बढ़ाते हैं तथा भौतिक वातावरण से संबंध स्थापित करते हैं। स्व-प्रेरक कार्य शिशुओं के खेल बन जाते हैं तथा बच्चों के समग्र विकास हेतु आवश्यक होते हैं।

जैसे-जैसे बच्चा बढ़ता है उनमें खेलने का स्वभाव विकसित होने लगता है और वे लोगों को प्रतिक्रियाएँ देने लगते हैं। वे अपनी इच्छानुसार क्रियाएँ करने लगते हैं तथा नवीन प्रयोग एवं खोजबीन भी करने लगते हैं। बच्चे किसी चीज को खींच सकते हैं, फेंक सकते हैं या फिर किसी चीज को ट्रेन की तरह ढकेल सकते हैं। यह वह कार्य हैं जिनमें बच्चे अपने विचार एवं कल्पनाशीलता प्रदर्शित करते हैं। खेलों के द्वारा बच्चे विभिन्न प्रकार की भावनाओं का अनुभव करते हैं और अपने आस-पास की चीजों को जानना सीखते हैं।

खेल सार्वभौमिक हैं तथा हम सभी सहमत हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल भौतिक-सामाजिक संसार के रहस्यों को सुलझाने, खोजने तथा सीखने के मार्ग तैयार करते हैं। बाल्यावस्था के दौरान, विभिन्न खेल गतिविधियों के द्वारा नये कौशल विकसित होते हैं या अर्जित किये जाते हैं।

इस अध्याय में आप बच्चे के प्रारंभिक अधिगम के शुरूआती वर्षों में खेलों के महत्त्व के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि खेल कैसे बच्चों के आगे के विकास में सहायक हैं।

टिप्पणी

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप

- खेल क्या है, चर्चा करते हैं;
- खेलों के महत्त्व की व्याख्या करते हैं;
- विभिन्न प्रकार के खेलों में अंतर करते हैं;
- खेल कैसे विकास करता है, उसका वर्णन करता है;
- आंतरिक और बाहय खेल के लिए उपयुक्त अधिगम उपकरणों एवं सामग्री की पहचान करते हैं; और
- विविध आयामों विकासोपयुक्त खेल आधारित गतिविधियों की पहचान करते हैं।

11.1 खेलों की परिभाषा

बच्चों के खेलों को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है किंतु हम कह सकते हैं कि यह एक सृजनात्मक प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चा स्वयं को किसी बाहरी थोपे गए लक्ष्यों से स्वतंत्र रखकर अपने मन और शरीर का प्रयोग करता है। प्राय: यह कहा जाता है कि खेल स्वयं अपने साथ, दूसरों के साथ, वस्तुओं के साथ संलग्नता या कार्य है जिसका बच्चे द्वारा चयन किया जाता है। खेल, गैर जोखिम तरीकों द्वारा खोजबीन, प्रयोग तथा अनुभव हेतु अवसर प्रदान करता है। पियाजे के अनुसार खेल में शुद्ध रूप से व्यावहारिक आनंद की प्रतिक्रियाएँ ही शामिल होती हैं। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है खेल के नियम एवं शर्तें निर्धारित होती हैं जो खिलाड़ियों द्वारा उनकी सुविधानुसार थोपी जाती हैं। दूसरी तरफ फ्रोबेल ने खेल को कोई मामूली चीज़ न मानकर अत्यंत गंभीर और बहुत महत्व माना है।

खेल की कुछ निम्नलिखित परिभाषाएँ हैं–

खेल आनंदयुक्त, स्वाभाविक, रचनात्मक क्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपनी सर्वाधिक अभिव्यक्ति प्राप्त करता है।	**रॉस**
खेल आन्तरिक गतिविधियों के गंभीर उद्देश्यों के बिना सहज अभ्यास है जो आगे चलकर जीवन के लिए आवश्यक होंगी।	**ग्रॉस**
खेल एक स्वतंत्र, आत्मनियंत्रित क्रिया है, जिसका एक स्वाभाविक लक्ष्य होता है, जो आंतरिक प्रेरणा से निर्देशित और आरंभ होता है और जो खेलने की क्रिया द्वारा अपने आप ही संतुष्टि प्रदान करता है।	**स्टर्न**
खेल निरंतर बहती धारा या बढ़ते पेड़ की अंतहीन गतिविधि के सदृश होते हैं। खेल बच्चे का कार्य है।	**मांटेसरी**
आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य की ओर निर्देशित कोई भी गतिविधि सही मायने में खेल नहीं हो सकती।	**हरलॉक**

टिप्पणी

11.2 खेल का महत्व

बच्चों के वृद्धि और विकास के लिए खेल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। खेलते समय बच्चे अपने अंगों-विशेषकर हाथ-पैरों को चलाते हैं, नये शब्दों को सीखते हैं और जब वे दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं तो बहुत आनंदित होते हैं। दूसरे बच्चों की उपस्थिति खेलों के सामाजिक महत्व को बढ़ा देती है। खेल के दौरान बच्चे, अपने साथियों से संवाद करते हैं, जिसके द्वारा उनके सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। खेलों के द्वारा बच्चे काम करने का तरीका, आज्ञापालन और शिष्टाचार सीखते हैं। संवेगात्मक विकास खेल का परिणाम है।

जब बच्चे साथ खेलते हैं तो वे अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, वे आपस में चर्चा, तर्क-वितर्क तथा अपने विचारों एवं अनुभूतियों को साझा करते हैं। यह सब उनके भाषायी विकास के लिए आवश्यक हैं। इससे बच्चों की तार्किक, वैचारिक तथा कल्पना शक्ति बढ़ती हैं। बच्चे एक-दूसरे से अच्छी आदतें तथा जीवन मूल्य भी सीखते हैं। बच्चे खेलों के द्वारा विभिन्न वस्तुओं, लोगों तथा पशुओं की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो उनके सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। बच्चों को शिक्षा देने के लिए खेल एक स्वाभाविक तरीका है। इनके माध्यम से वे अपनी गतिविधियों के प्रभाव को तुरन्त समझ जाते हैं।

खेल एक सार्वभौमिक घटना है। इससे बच्चों के संपूर्ण विकास और वृद्धि में लाभ होता है। खेल की सबसे महत्त्वपूर्ण उपयोगिताएँ इस प्रकार है:

(i) **शारीरिक उपयोगिता:** बच्चे के शारीरिक विकास में खेल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खेल के दौरान बच्चे के शरीर के विभिन्न भाग क्रियाशील हो जाते हैं। यह अतिरिक्त ऊर्जा को निकालने का माध्यम होते हैं। यदि ऊर्जा को सही ढंग से खर्च न किया जाए तो बच्चा चिड़चिड़ा और बेचैन हो जाता है। इससे भी अधिक, यह माँसपेशियों के समन्वयन, हाथ-पैरों की उद्देश्यपूर्ण गति में सहायता करते हैं। जिससे शरीर की सामान्य बाह्य-आकृति निश्चित होती है।

(ii) **सामाजिक उपयोगिता** - खेल, मित्रवत संबंध विकसित करने और सहयोग सीखने में बच्चों की मदद करते हैं। खेल के दौरान बच्चों का अधिक-से-अधिक सामाजिक संपर्क होता है और इस प्रकार वे सामाजिक शिष्टाचार, व्यवहार और अपने मित्रों के साथ समस्या समाधान के तरीके सीखते हैं।

(iii) **संज्ञानात्मक उपयोगिता** - खेल, बच्चों को अवलोकन करने, ध्यान केंद्रित करने और प्रयोग करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के अवसर प्रदान करते हैं। खेल उनके कौशलों, शब्द भंडार, अभिव्यक्ति, कल्पना और सृजनात्मकता का विकास करते हैं।

(iv) **नैतिक उपयोगिता** - बच्चा क्या सही है क्या गलत, बड़ों का आदर कैसे करें, समान आयु वर्ग के बच्चों, मित्रों और खेल के साथियों के साथ कैसे व्यवहार करें, आदि सीखता है।

टिप्पणी

(v) उपचारात्मक उपयोगिता – खेल बच्चों को दबे हुए संवेगों को निकालने में सहायता करते हैं। शर्मीले बच्चे, दूसरे बच्चों के साथ खुश रहना सीखते हैं, जबकि आक्रामक बच्चे धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इन्तज़ार करना सीखते हैं। अति स्पर्धा करने वाले हार या नुकसान सहन करना सीखते हैं, असुरक्षित महसूस करने वाले बच्चे खेलों के माध्यम से आत्म-सम्मान और दूसरों का सम्मान करना सीखते हैं।

(vi) मनोरंजनात्मक उपयोगिता – खेल गतिविधियाँ, आनंद और तनाव से मुक्ति प्रदान करती हैं। ये बच्चों को संवेगात्मक रूप से संतोष देती हैं और उन्हें ऊबन से बचाती हैं।

(vii) शैक्षिक उपयोगिता – बच्चे खेलों के दौरान बहुत कुछ सीखते हैं खिलौने के द्वारा वे जैसे रंग, आकार, आकृति और बनावट आदि के बारे में सीखते हैं।

आपने ध्यान दिया होगा कि खेलों का कई गुणा महत्व होता है जैसे कि बच्चे स्वयं के प्रयास से बहुत सारी सूचनाएँ एवं ज्ञान एकत्र करते हैं। ये अनुभव बच्चे का अपने परिवेश के साथ रिश्ता मजबूत बनाने के साथ-साथ हमारे आस-पास क्या है, के बारे में सीखने हेतु इच्छा एवं प्रेरणा भी पैदा करते हैं।

संवेगात्मक तंत्रिका विज्ञान से संबंधित आधुनिक अनुसंधानों ने यह खुलासा किया है कि मस्तिष्क में खेल एवं न्यूरोजेनेसिस में महत्वपूर्ण संबंध होता है। यह इस बात पर बल देता है कि बच्चे शारीरिक, संवेगात्मक संज्ञानात्मक और सामाजिक पहलुओं को मिलाकर एक एकीकृत दृष्टिकोण से सबसे बेहतर सीखते हैं। सर्जियो पोलिस जैसे वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि खेल से प्राप्त हुए अनुभव हमारे मस्तिष्क के सामने के सिरे पर न्यूरान्स के संबंधों को बदल देते हैं।

11.3 खेलों के प्रकार

खेलों की विविध प्रकृति तथा सीखने में कौशलों एवं रुचि के विकास में खेल किस प्रकार सहायक हैं, के बारे में विभिन्न मनावैज्ञानिकों ने विभिन्न मत प्रकट किए हैं।

पियाजे (1945-1962) ने खेल के स्तर की व्याख्या इस प्रकार की है:

- **अभ्यास खेल :** यह संवेदी-गतिक अवस्था (0-2 वर्ष) से मेल खाता है। खेलों के दौरान भौतिक इंद्रियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस अवस्था में खेलों में बार-बार की जाने वाली शरीर की गतिविधियाँ, मुँह में वस्तुओं को रखना, थूक के बुलबुले बनाना, आदि शामिल है।
- **प्रतीकात्मक खेल :** यह तब प्रारंभ होता है जब बच्चे वस्तुओं को किसी चीज के प्रतीक के रूप में प्रयोग करने लगते हैं (2-7 वर्ष)। इस अवधि में एक सादृश्य मूलक प्रणाली विकसित होती है। बच्चे स्वाँग रचने लगते हैं, तथा काल्पनिक खेलों में सम्मिलित होने लगते हैं।
- **नियमों वाले खेल** – यह स्तर तब प्रारंभ होता है जब बच्चा जटिलता और उस पर थोपे गए नियमों को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है (7-11 वर्ष)। खेल अधिक

संरचनात्मक हो जाते हैं। नियम विकसित होते हैं और खेल अब सामाजिक पहलू धारण करने लगते हैं।

स्माइलेंस्की (1968) ने खेल कौशलों को चार अवस्थाओं में बाँटा है:

- **व्यावहारिक खेल** – यह पहली अवस्था है जिसमें बच्चे वस्तुओं के साथ खेलते हैं। इस अवस्था में शारीरिक गतिविधियाँ और गत्यात्मक कौशल भी शामिल हैं।
- **रचनात्मक खेल** – इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं का प्रयोग कुछ बनाने या निर्मित करने के लिए करता है। इसमें संवेदी गत्यात्मक गतिविधियाँ भी शामिल होती हैं जहाँ बच्चे अपनी सृजनात्मकता का प्रयोग करते हैं। बच्चे अपने परिवेश को समझना शुरू कर देते हैं और जो देखते हैं वैसा ही करना शुरू कर देते हैं।

चित्र 11.1 : रचनात्मक खेल गतिविधियों में संलग्न बच्चे

- **अभिनयपूर्ण या नाटकीय खेल** – बच्चे कुछ चीज़ों से कुछ बनाने के लिए कल्पना का प्रयोग करना शुरू करते हैं।
- **नियमों वाले खेल** – बच्चे प्रतियोगिता वाले खेलों में भाग लेते हैं। यह बच्चों को नियमों की अवधारणा को समझना सिखाता है, उन्हें नियमों को स्वीकार करना और नियमों के अनुसार खेल-खेलना सिखाता है।

पार्टन (1929) ने भी माना है खेल सामाजिक कुशलता बढ़ाने में सहायक होते हैं। पार्टन ने बताया है कि बड़े होने पर बच्चों के खेल बदल जाते हैं, और सामान्यता यह परिवर्तन 6 स्तरों पर होता है, पर उम्र का इससे सामान्यतया सम्बन्ध नहीं होता।

टिप्पणी

- **अव्यस्त खेल (Unoccupied play)**—बच्चे दूसरों के साथ बिल्कुल भी सक्रिय रूप से नहीं खेलते हैं या सक्रिय सहभागिता नहीं करते हैं। इस तरह के खेल जन्म से लेकर दो वर्ष तक के बच्चे खेलते हैं। ये खेल बाद के विस्तार और विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

- **एकल खेल (Solitary play)**—बच्चे प्रायः अकेले खेलते हैं। उनके खिलौने दूसरों से अलग तरह के होते हैं और वे दूसरों के खिलौनों के प्रति न तो रुचि दिखाते हैं और न ही उनको देखते हैं। यह प्रवृत्ति अपेक्षाकृत छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। वैसे यह प्रवृत्ति हर उम्र के बच्चों के लिए लाभदायी होती है। एकल खेल से बच्चों में रचनात्मक शक्ति का विकास होता है।

- **दर्शक खेल (Onlooker Play)**—इस खेल में बच्चा दूसरों को खेलते हुए तो देखता है, पर वह इस खेल में शामिल नहीं होता। हो सकता है उस समय वे उसके सामाजिक महत्व पर सोच रहे हों या उस खेल के बारे और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हों। यह प्रवृत्ति ढाई और साढ़े तीन साल के बच्चों में ज्यादा देखी जाती है, पर ऐसा किसी भी उम्र के बच्चे कर सकते हैं।

- **समानान्तर खेल (Parallel Play)**—यह खेल भी ढाई और साढ़े तीन साल के बच्चे खेलते हैं, जो समान्तर साथ-साथ खेलते हैं परन्तु वे एक-दूसरे के साथ नहीं खेलते। वे एक ही प्रकार के खिलौनों या मिमिक से बारी-बारी से खेल सकते हैं। यद्यपि ऐसे समय में बच्चों में आपस में बहुत कम संपर्क होता है पर वस्तुतः इससे वे एक-दूसरे से बहुत अधिक सीखते हैं।

- **सहचारी खेल (Associative play)**—तीन-चार साल के बच्चे साथ-साथ खेलना प्रारम्भ कर देते हैं, पर वे सामूहिक लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते। इस समय बच्चे अपने खिलौनों की अपेक्षा अपने आस-पास के बच्चों के साथ खेलना अधिक पसंद करते हैं। इस समय बच्चे अपने खिलौने बदल सकते हैं या फिर सक्रिय रूप से आपस में बातें करते हैं या फिर एक-दूसरे में खो जाते हैं। पर इस समय वे खेल के कोई नियम नहीं बनाते। इस समय वे आपसी सहयोग और समस्याओं के समाधान को ज्यादा आवश्यक मानते हैं।

- **सहकारी खेल (Cooperative play)**—सहकारी खेल वह खेल है जहाँ खेल समूहों में व्यवस्थित हो जाते हैं तथा उनमें टीम भावना देखने को मिलती है। बच्चे अब इस बात में रुचि लेते हैं कि वे क्या खेलते हैं तथा किसके साथ खेलते हैं। वे इस समय किसी को अपना नेता स्वीकार कर लेते हैं और साथ ही दी गयी भूमिका को भी स्वीकार कर लेते हैं। वे अपनी भूमिका का चुनाव कर लेते हैं और अपने समूह के लक्ष्य या खास लक्ष्य को ध्यान में रख कर खेलते हैं। ऐसा करके बच्चे संगठनात्मक कुशलता और सामाजिक परिपक्वता सीखते हैं।

टिप्पणी

पाठगत प्रश्न 11.1

1. कॉलम 'अ' का कॉलम 'ब' से उचित मिलान कीजिए–

कॉलम अ	*कॉलम ब*
क) अभ्यास खेल	(i) सादृश्य मूलक प्रणाली विकसित होती है।
ख) अभिनयपूर्ण खेल	(ii) स्माइलेंस्की द्वारा द्वारा दी गई खेल की पहली अवस्था
ग) प्रतीकात्मक खेल	(iii) बच्चा कल्पना का प्रयोग करता है
घ) व्यावहारिक खेल	(iv) खेल के दौरान इंद्रियों की अहम भूमिका

2. बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य–

   क) छः माह का एक बच्चा पार्क में बच्चा घूमाने वाली गाड़ी (Pram) में है तथा अन्य बच्चों को फिसल पट्टी पर ऊपर से नीचे फिसलते हुए देखता है। वह दर्शक खेल (Onlooker Play) का आनन्द ले रहा है।

   ख) दो वर्ष का एक बच्चा गुटखों को जोड़-जोड़कर टॉवर बना रहा है। यह रचनात्मक खेल का एक उदाहरण है।

11.4 खेल कैसे विकसित होते हैं?

विभिन्न विद्वानों ने यह माना है कि उम्र के अनुसार खेल में अन्तर होता है। पियाजे ने विभिन्न आयु वर्ग के खेल क्रम का वर्णन किया है। अन्य विद्वानों ने भी विभिन्न स्तरों पर खेल-क्रमों की चर्चा की है। खेल जैविक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक विकास के अनुसार बदल जाते हैं। एक छोटा बच्चा केवल अपने शरीर के अंगों से ही खेल पाता है। जैविक परिपक्वता सक्रियता और गतिशीलता बढ़ा देती है। जिसकी वजह से बच्चे खोजबीन करते हैं और स्व प्रेरणा से कार्य करने लगते हैं, जिससे उनकी सामाजिक स्वीकार्यता योग्यता और सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है। अन्ततः इस प्रकार बच्चे संवेगात्मक रूप से परिपक्व होते हैं और उनकी बौद्धिक संवेदना में वृद्धि होती है।

हम प्रायः देखते हैं कि बच्चे एक छड़ी लेकर टग-बग, टग-बग की आवाज करते हुए घोड़े की तरह उछलते हैं। इस प्रकार के क्रियाकलाप उनके पुराने अनुभवों पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के क्रिया-कलाप जैसे कि खुद को घोड़े के ऊपर बैठना, उनके पुराने अनुभवों पर आधारित होते हैं। ऐसे कार्यों से वे अपने आनन्द और अपनी रचनात्मक क्षमता को प्रकट करते हैं। बच्चे बड़े होने पर अपने खेलों में एक निश्चित पद्धति और क्रम को प्रदर्शित करते हैं।

टिप्पणी

प्रथम दो वर्षों में खेल

संवेदी गत्यात्मक खेल, वस्तुओं से खेलना, प्रतीकात्मक और वयस्कों के साथ सामाजिक खेल, शिशु खेलों के मुख्य प्रकार हैं। बच्चों के इस समय के खेल उनके शरीर के परिचालन पर आधारित होते हैं और ऐसा करके वे अपने हाथों तथा पैरों के परिचालन हेतु संभावना तलाशते हैं।

संवेदी गत्यात्मक खेल तब होते हैं जब ऐंद्रिक और गत्यात्मक गतिविधियों की पुनरावृत्ति होती है। ऐसा वे अपनी खुशी के लिए कर रहे होते हैं, जब वे एक वर्ष की उम्र में पहुँचते हैं तो उनकी रुचि परिवेश की ओर मुड़ जाती है। क्योंकि तब वे चलना सीख जाते हैं और दूसरों से परिचित हो जाते हैं।

वस्तुओं के साथ खेलना 4 से 5 महीनों में आरंभ होता है क्योंकि इस समय तक बच्चों का आँखों तथा हाथों का समन्वय हो जाता है और वे आस-पास की चीजों को पकड़ने लगते हैं।

प्रतीकात्मक खेल 1 वर्ष के पश्चात आरंभ होते हैं। एक वस्तु को दूसरी वस्तु से स्थानापन्न करने की आदत छोटे बच्चों में प्रायः देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए, लकड़ी के टुकड़े को टेलीफ़ोन रिसीवर की तरह प्रयोग करना।

दूसरे वर्ष तक बच्चे वस्तुओं से खेलने में परिपक्व हो जाते हैं। आकार और आकृति (बनावट) के अनुसार वस्तुओं में अन्तर करने की उल्लेखनीय क्षमता इस समय तक बच्चों में विकसित हो जाती है। एक से डेढ़ साल के बच्चे वयस्क लोगों के साथ सामाजिक खेल खेलना शुरू कर देते हैं। अपनी उम्र के बच्चों तथा परिवार के सदस्यों के साथ, अगले कुछ वर्षों तक बच्चे खेलना जारी रखते हैं।

2-5 वर्ष आयु वर्ग

इस अवधि के दौरान सभी खेल अधिक उद्देश्यपूर्ण बन जाते हैं। सामाजिक खेल के लिए समूह का आकार बड़ा हो जाता है और सहयोग तथा समझौते के साथ खेल अधिक चुनौतीपूर्ण बन जाता है। बच्चे, खेल और खेल के साथियों के प्रति अधिक चयनशील हो जाते हैं, तथा चयन आयु और लिंग के आधार पर उनकी रुचियों के अनुसार होता है।

समानांतर खेल और एकल खेल-दो विशिष्ट प्रकार के खेल, दो वर्ष की आयु के पश्चात बच्चों में देखे जा सकते हैं। एकल खेल से तात्पर्य अकेले खेलने से और समानांतर खेल का अर्थ उसी समूह में, उसी खेल के स्वतंत्र रूप से खेलने से है। इस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल में लगने वाले समय में वृद्धि होती है। इस आयु समूह की एक विशेषता नाटकीय खेल हैं। नाटकीय खेलों में बच्चे किसी दुकानदार या घर के किसी सदस्य की भूमिका निभाते हैं।

टिप्पणी

5-12 वर्ष आयु वर्ग

इस उम्र में बच्चे प्राथमिक विद्यालय में प्रविष्ट होते हैं। अब खेल के तरीके अधिक व्यवस्थित और नियमित हो जाते हैं। प्रतीकात्मक खेल धीरे-धीरे कम होने लगते हैं और खेल अधिक तार्किक और नियम आधारित होने लगते हैं। बच्चे प्रतियोगी और गंभीर खेल जैसे कि बॉस्केटबॉल, फुटबॉल, आदि, नियमों के अनुसार खेलने लगते हैं। प्रतिभागियों की संख्या (कम-से-कम दो) और उनका व्यवहार कुछ सख्त नियमों और समूह के नियमों द्वारा नियंत्रित होता है।

इस प्रकार खेल और खेल के उद्देश्य अलग-अलग आयु में अलग-अलग होते हैं। विभिन्न कौशलों के विकास के साथ ही खेल का स्वरूप भी बदल सकता है।

पाठगत प्रश्न 11.2

रिक्त स्थान भरिए-

(क) वस्तुओं के साथ खेल................आयु में आरंभ होता है क्योंकि वस्तुएँ पकड़ने के लिए बच्चे आँख-हाथ का समन्वयन प्राप्त कर लेते हैं।

(ख) एक वस्तु का दूसरी वस्तु से स्थानापन्न करने की प्रक्रिया ....में होती है।

(ग) खेल तथा खेल के उद्देश्य .... में ....अलग-अलग होते हैं।

(घ) 5-12 वर्ष की आयु के बच्चे नियमों को समझते हैं इसलिए................तथा........... .... खेलना पसंद करते हैं।

11.5 खेल और प्रारंभिक अधिगम के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना

अभी तक हमने बच्चों के अधिगम में खेल के महत्व पर विचार किया है। वातावरण आकर्षक और उपयुक्त होना चाहिए, जो बच्चों को खेलने तथा सीखने के लिए बाध्य करेगा। संवेदी उपकरणों के बिना, केवल खाली मैदान खेल के प्रोत्साहन के लिए पर्याप्त नहीं होता। प्रोत्साहन और लगन की कमी बच्चों के लिए सबसे बड़ी बाधा होंगी तथा इससे बच्चों में स्वस्थ सीखने की अभिवृत्ति के लिए स्वाभाविक जिज्ञासा एवं उन्मुखीकरण कम होगा।

यदि हम बच्चों के खेलने के तरीके को समझ लें तो हम उनके खेलने के लिए उचित वातावरण बना सकते हैं। खेल के साधनों और उपकरणों के प्रबन्ध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों की गतिविधियों एवं उनकी खेल अभिरुचियों में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। खुले और विस्तृत स्थान में बच्चे खुश होकर खेलते हैं, जबकि भीड़-भाड़ और संकुचित स्थान बच्चों की खेल-गतिविधियों में बाधा पैदा करते हैं।

खेल सामग्री को बुद्धिमतापूर्वक व्यवस्थित करना महत्वपूर्ण है ताकि बच्चे सामग्री को आसानी से देख सकें तथा अपनी रुचि के अनुसार उनमें से चयन कर सकें। ऐसी प्रक्रिया बच्चों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक खेलों के दौरान सहायक होती है। अन्तर्क्रिया करने या कभी-कभी किसी युक्ति के प्रदर्शन हेतु वयस्कों की उपस्थिति बच्चों के व्यवहार को अधिक स्वीकार्य तरीके से दिशा देने में सहायता करती है। मात्र प्रदर्शन के ध्येय से शेल्फ पर रखे गए खेल उपकरण बच्चों में अवांछित और हानिकारक व्यवहार विकसित कर सकते हैं। वस्तुओं का एक अच्छे रूप में व्यवस्थापन करने से अवांछित व्यवहार से बचा जा सकता है और यह बच्चों को प्रसन्न, सृजनात्मक, रचनात्मक, कल्पनाशील और जिज्ञासु बनाया जा सकता है।

कैसे डिजाइन करें: बच्चे जिज्ञासु, अन्वेषक और कल्पनाशील होते हैं। वे स्वयं वस्तुओं को छूना, स्वाद लेना, सूघंना, सुनना और देखना पसंद करते हैं। वे ऊर्जा से भरे होते हैं और चीजों पर ज्यादा देर तक ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनको रुचिपूर्ण कार्यों जेसे कि खेलने, कहानी सुनने, चित्र बनाने, रंग भरने, दौड़ने, कूदने, गाने में व्यस्त रखना चाहिए एवं अपने परिवेश में चीजों की खोजबीन करने देना चाहिए। ऐसी गतिविधियों के आयोजन से बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायता मिलती है। खिलौनों और उपकरणों की सबसे बेहतर व्यवस्था का निर्णय लेने के विभिन्न तरीके और पद्धितयाँ हैं। क्योंकि खेल का मुख्य उद्देश्य बच्चे का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास है, अत: आंतरिक और बाह्य सुविधाओं की व्यवस्था इस उद्देश्य को प्राप्त करने के उपयुक्त होनी चाहिए। इसके लिए उचित योजना की आवश्यकता है। हमें निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए:

(i) निरीक्षण और निर्देशन में सहजता तथा सरलता

(ii) सुरक्षा पर ध्यान

(iii) स्वतंत्र गति करने के लिए अधिकतम स्थान की व्यवस्था

(iv) रुचियों का ध्यान रखना

(v) समूह की आवश्यकताओं को पूरा करना

(vi) बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करना

(vii) विशेष क्रियाकलापों को पहले से तैयार स्थान में आयोजित करना

(viii) एक समान गतिविधियों को एक स्थान पर रखना तथा

(ix) खेल के लिए उपयोग में आने वाले शैल्फ और फर्नीचर उपयुक्त आकार एवं ऊँचाई के होने चाहिए। (गुप्ता, सेन-2013)

वातावरण किस प्रकार संरचित है यह भी बच्चों की शिक्षा के लिए एक सक्रिय सकारात्मक वातावरण बनाता है, जिससे उनकी संवेगात्मक कुशलता में वृद्धि होती है और उनके खेलने के लिए बहुत उपयुक्त और बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। खेल भाषायी विकास, पढ़ने और लिखने में तत्परता, संवेगात्मक परिपक्वता तथा सामाजिक कुशलता बढ़ाने में सहायक होता है। शैक्षिक वातावरण आनन्ददायक, प्रेरक, उत्साहवर्द्धक होना चाहिए और वहाँ निराशा और खतरे की आशंका नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी

आपसी सहयोग के अवसर प्राप्त होने पर सामाजिक विकास होता है वहीं आत्माभिव्यक्ति और आपसी संवाद से संवेगात्मक कौशल में वृद्धि होती है।

खेल उपकरणों का समायोजन मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जा सकता है। यह कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर हो सकता है। इसे 'इनडोर' (आंतरिक) और 'आउटडोर' (बाह्य) व्यवस्था कहा जाता है।

11.5.1 आंतरिक व्यवस्था

खेल कक्ष में रखे जाने के लिए अनेक आंतरिक उपकरण हैं। सभी सामग्रियाँ इस प्रकार व्यवस्थित होनी चाहिए ताकि वे बच्चों की स्वयं की पहुँच में हों तथा व्यक्तिगत एवं बच्चों के सामूहिक उपयोग के अनुसार व्यवस्थित हों एवं उनका उपयोग उनकी अपनी राय तथा उनके अवलोकन को जानने में सहायता करेगा। आंतरिक व्यवस्था में पर्याप्त स्थान होना भी एक अनिवार्य तत्व है। नीचे कुछ का उल्लेख किया गया है:

(i) **गुड़िया-घर/अभिनय क्षेत्र :** एक कोना जिसमें घर से संबंधित वस्तुएँ जैसे पुराने थैली की एक टोकरी, सैंडल स्कार्फ एवं अन्य परिचित वस्तुएँ हों जो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, जिसमें 5 से 6 बच्चे हों, अभिनय करने में व्यस्त रखेगा। वे एक समय पर भिन्न-भिन्न भूमिकाएँ निभाएँगे। उनका उपयोग उनकी अपनी राय तथा उनके अवलोकन को जानने में सहायता करेगा। वे घर से संबंधित विभिन्न उपकरणों को भी सँभालेंगे। अतः वहाँ पर्याप्त स्थान तथा पर्याप्त संख्या में उपकरण होने आवश्यक हैं। इसलिए कार्य की प्रकृति के अनुरूप खेल कक्ष का एक कोना इसके लिए सबसे बेहतर स्थान है। आवश्यकतानुसार पर्याप्त सामग्री होने से अधिक सामाजिक अंत:क्रिया हो सकेगी जहाँ वे साझा करना, दूसरे बच्चों की जरूरतों को पूरा करना और अपनी भावनाएँ अभिव्यक्त करना सीख लेंगे।

(ii) **ब्लॉक्स या रचनात्मक क्षेत्र :** जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लॉक्स का प्रयोग चीजों का निर्माण करने के लिए रचनात्मक खिलौनों के रूप में किया जाता है। ब्लॉक्स विभिन्न आकार और वजन के होने चाहिए। यदि एक से अधिक बच्चे ब्लॉक्स के साथ खेल रहे हैं तो दूसरों द्वारा जानबूझकर हस्तेक्षप किए जाने के अवसर बढ़ जाते हैं जिससे बनाए या निर्मित किए गए ढाँचे को हानि हो सकती है। ब्लॉक्स से खेलना, सीखने का एक उपयोगी साधन है। ब्लॉक खेल के लिए एक अलग से क्षेत्र स्थापित करना चाहिए क्योंकि ऐसे खेल कल्पना, सृजनात्मकता और सामाजिक कौशलों का विकास करते हैं। बड़े और भारी ब्लॉक्स को अपेक्षाकृत नीचे की शैल्फों पर रखना चाहिए ताकि वे बच्चों के पैर पर न गिरें।

इस प्रकार के खेल, स्थूल और सूक्ष्म गत्यात्मक विकास को बढ़ाते हैं। यदि स्थान पर्याप्त हो तो विभिन्न प्रकार के खिलौने, बाइक, छोटी कारें, ट्रक, नाव, जीप, जानवर आदि को भी ब्लॉक्स के साथ रखा जा सकता है। खेल सामग्री का यह मेल अधिक उत्पादक, कल्पनात्मक और सृजनात्मक होगा।

टिप्पणी

(iii) पुस्तकालय, पुस्तकें एवं पहेली क्षेत्र : इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण चीजें जो खेल कक्ष में रखी जा सकती हैं, वे हैं पुस्तकें। पुस्तकें पढ़ने के लिए उपयुक्त प्रकाश और एकांत की आवश्यकता होती है। दो या दो से अधिक बच्चे मिलकर कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं या उस पर चर्चा कर सकते हैं। एक कोना या बालकनी इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा। एक कम ऊँचाई वाली कुर्सी तथा पुस्तक रखने के लिए एक मेज की आवश्यकता होती है। विभिन्न आयु वर्ग के लिए विविध प्रकार की पुस्तकें बच्चों में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करने को प्रोत्साहित करेंगी। सामान्य पहेली (Puzzles) का संग्रह भी वहाँ रखा जा सकता है।

(iv) कला क्षेत्र : खेल कक्ष का एक हिस्सा चित्र बनाने, रंग करने और अन्य कला गतिविधियों के लिए होना चाहिए। इसके लिए स्थान का चुनाव वॉश बेसिन या शौचालय के पास करना चाहिए ताकि बच्चे रंग आदि करने या अपने हाथ धोने के लिए बिना दूसरों को बाधा डाले, पानी ला सकें। यदि कला सामग्री आसानी से छोटे बच्चे की पहुँच में है तो इससे न केवल वयस्कों के समय की बचत होगी बल्कि बच्चों को अधिक आत्मनिर्भर होने में सहायता मिलेगी।

इन सभी सामग्रियों के अतिरिक्त खोज कोना, संगीत एवं गतिक क्षेत्र तैयार करने हेतु माँसपेशियों के समन्वयन के लिए जोड़-तोड़ कर सकने वाले खिलौने, विज्ञान प्रयोग के उपकरण, पौधों के लिए जगह और संगीत यंत्रों की भी खेल कक्ष में व्यवस्था की जानी चाहिए। एक आन्तरिक खेल कक्ष की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि बच्चे स्वतंत्र रूप से गति कर सकें और सभी बच्चों की उनकी उम्र, लिंग और आकार को ध्यान में रखते हुए सामग्री आसानी से पहुँच में हो।

11.5.2 कुछ खेल सामग्री एवं खिलौने

उपलब्ध स्थान का डिजाइन विभिन्न प्रकार की खेल सामग्री से समृद्ध होना चाहिए जो कि बच्चों के लिए उपयुक्त एवं उपलब्ध हो। बच्चे पुरानी बोतलों के ढक्कन, पुराने अखबार, सूखी पत्तियों, कंकड तथा विविध सामग्रियों के खेलकर आनन्दित होते हैं। बच्चों की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करने हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री एकत्र करना वास्तव मे चुनौतीपूर्ण है। खिलौनों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है:-

1. शारीरिक गति तथा मांसपेशीयों के विकास हेतु खिलौने।
2. रचनात्मक एवं सृजनात्मक खेल हेतु खिलौने।
3. नाटक एवं कल्पनात्मक खेल हेतु खिलौने।

खिलौनों एवं सामग्री की आयु वर्ग के अनुरूप व्यवस्था की जा सकती है। संभावित वर्गीकरण हेतु नीचे दी गई तालिका आपके लिये सहायक हो सकती है :

जन्म से 2 वर्ष	2 वर्ष से 4 वर्ष	4 वर्ष से 6 वर्ष
• ऊपर चढ़ने वाले फ्रेम, झूले • फिसलने वाली सामग्री • बड़ी आकर की गेंदें • दौड़ने वाले तथा खींचने वाले खिलौने • गाडियों, ट्रक इत्यादि पर जानवर • पहिये तथा बिना पहिये वाले डिब्बे • गाड़ियाँ, धक्का देने तथा खींचने वाले खिलौने	• पुराने टायर • कूदने वाले गढ्ढे • रसोईघर किट • ब्लॉक्स • चित्र वाली किताबें • पहेलियाँ • चित्र बनाने तथा रंग करने हेतु सामग्री • लिखने तथा पढ़ने हेतु खेल सामग्री	• संतुलन छड़ें • पानी के खेल • स्वीपिंग वस्तुएं या सामग्री • समूह खेल हेतु सामग्री (क्रिकेट, फुटबॉल) • फिसल पट्टी, मेरी-गो-राउन्ड जैसे झूले।

स्रोत– मनीसम, प्रेमलता एवं भार्गव, अमिता 2013

11.5.3 बाह्य व्यवस्था

विशेष खेल गतिविधियों हेतु बाह्य खेलों को भी वर्गीकृत किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, ट्राई साइकिल चलाने के लिए एक कंक्रीट की पगडण्डी होनी चाहिए, खेल उपकरणों के साथ सैण्ड पिट बनाया जाना चाहिए, जल-क्रीडा क्षेत्र, जंगल-जिम क्षेत्र; फिसलपट्टी, झूला झूलने का स्थान तथा दौड़ने के लिए बड़ा हरा क्षेत्र होना चाहिए। बाहरी खेल के स्थान पर्याप्त स्थान वाले होने चाहिए न कि सीमित। कुछ निश्चित खेल गतिविधियाँ बाह्य एवं आन्तरिक दोनों ही प्रकार से की जा सकती हैं।

बाहय खेल उपकरणों की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि स्थूल माँसपेशियों की गतिविधियों जैसे दौड़ना, चढ़ना, कूदना, फिसलना, रेंगना, खोदना, झूलना आदि के अधिक अवसर दिए जा सकें। बाहय खेल क्षेत्र में कुछ उपकरण जैसे-कूदने वाले गढढे, फिसल पट्टी आदि स्थायी रूप से लगाये जा सकते हैं। ये सही अनुपात में तथा छोटे बच्चों की पहुँच के भीतर ही होने चाहिए। बाहय खेल गतिविधियों के लिए शिक्षक का निरीक्षण बहुत आवश्यक है। कुछ उपकरणों की मौसम के परिवर्तनों जैसे सर्दी या गरमी की अपनी जरूरतों और खिलाड़ियों की सुविधा के अनुसार पुनर्व्यवस्था की जानी चाहिए।

11.5.4 सामूहिक और एकल खेल

हमने देखा है कि बच्चे अकसर स्कूल के मैदान या पास-पड़ोस में समूह बनाकर खेलते हैं। समूह अनुभव, पारिवारिक जीवन, लोकतांत्रिक रहन-सहन और सहयोग के मूल्यों को बढ़ाता है। बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षो में खेल समूहों के निर्माण का बहुत महत्व है।

सामान्यत: बच्चे समान आयु और लिंग के समूहों का निर्माण करना चाहते हैं। इस प्रकार के समूह नेतृत्व क्षमता, ईमानदारी एवं निष्ठा की भावना और सामाजिक अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं।

खेल समूहों का निर्माण बच्चों की साझा रुचियों, पृष्ठभूमि या गतिविधियों के आधार पर किया जाना चाहिए। प्री-स्कूल समय में बच्चे खेल के साथियों के रूप में ही समूह बनाते हैं। इन समूहों की अवधि समय-समय में बदलती रहती है। समूह के सदस्यों को सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए और कम-से-कम झगड़ना चाहिए।

समूह भिन्न-भिन्न आकार के बनाए जा सकते हैं–बड़े समूह, मध्यम समूह और छोटे समूह।

बड़े समूह : बड़े समूह पढ़ाने, कहानी सुनाने, संगीत, नृत्य एवं अन्य ऐसी ही गतिविधियों आदि के लिए बनाए जाते हैं। पूरी कक्षा को जिसमें विभिन्न योग्यताओं वाले बच्चे होते हैं, को बड़ा समूह मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए-बड़े समूह के लिए गोलाकार में बैठाकर की जाने वाली गतिविधियाँ उपयुक्त होती हैं।

मध्यम समूह: क्योंकि बच्चे एक-दूसरे से भिन्न होते हैं अत: उनकी आवश्यकताएँ भी भिन्न होती हैं। एक बड़े समूह को 10-12 बच्चों के दो या तीन समूहों में बाँटा जा सकता है। शिक्षक उस समूह की सहायता कर सकता है जिसे अधिक निर्देशन और निरीक्षण की आवश्यकता होती है। अन्य समूहों को मुक्त खेलों या अन्य किसी बाह्‌य गतिविधि में जिसमें कम निर्देशन और निरीक्षण की आवश्यकता हो, व्यस्त रखा जा सकता है।

यदि कक्षा में स्थान कम है, तो बच्चों को दो या तीन समूहों में विभाजित किया जा सकता है तथा समूहों को क्रमवार ढंग से क्रियाकलाप कराया जा सकता है; उदाहरण के लिए, एक समूह बाह्य स्थान पर झूले आदि से खेल सकता है। उसी दौरान शिक्षक दूसरे समूह को विषयपरक शिक्षण करा सकता है एवं अन्य समूह को कोलाज बनाने को दिया जा सकता है।

छोटा समूह: जब व्यक्तिगत निर्देश या ध्यान देने की आवश्यकता होती है तो छोटे समूह बनाए जाते हैं। इन समूहों में छह से कम बच्चे होते हैं। बच्चे किसी एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए जोड़े में काम करते हैं। विभिन्न समूहों के लिए खेलने के अलग-अलग कोने होने चाहिए और एक समूह के बच्चों को दूसरे समूह के बच्चों की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर आवश्यकता हो तो बच्चे एक से दूसरे समूह में जा सकते हैं।

जीवन के प्रत्येक मोड़ पर बच्चों को अनेक विकासात्मक परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है। खेल गतिविधियाँ भी उसी के अनुसार बदल जाती हैं। उम्र बढ़ने पर उद्‌देश्य रहित खेल उद्‌देश्यपूर्ण हो जाते हैं। शिक्षक और माता-पिता को बच्चों में होने वाले इन परिवर्तनों से परिचित होना चाहिए और उसी प्रकार कार्य करने चाहिए। प्रत्येक बच्चा शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक रूप से विकसित होता है परन्तु प्रत्येक बच्चे का विकास अलग प्रकार से होता है। भोजन, कसरत, खेल के प्रकार तथा वातावरण बच्चे के विकास के मुख्य कारक होते हैं। इसलिए शिक्षकों प्रशासकों का यह दायित्व है कि वे बच्चों के व्यायाम और खेल के उपयुक्त प्रबन्ध करें।

पाठगत प्रश्न 11.3

बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य–

(क) खेल सामग्री और अन्य उपकरणों की व्यवस्था बच्चों की गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं डालती।

(ख) बाह्य खेल गतिविधियों के लिए शिक्षक द्वारा निरीक्षण बहुत आवश्यक है।

(ग) खेल गतिविधियाँ जिनमें झूलना, चलना, दौड़ना, कूदना, फिसलना आदि शामिल हैं, बड़ी माँसपेशियों के समन्वयन में सहायता करती हैं।

(घ) शिक्षक ओर माता-पिता को बच्चे के जीवन में आने वाले परिवर्तनों से परिचित होना चाहिए।

11.6 सभी आयामों के लिए खेल आधारित गतिविधियाँ

क्योंकि बच्चे खेलों के माध्यम से सीखते, बढ़ते और विकसित होते हैं, बच्चों के लिए आयोजित गतिविधियाँ खेल आधारित ही होनी चाहिए, जो विकास के सभी आयामों से संबंधित हों। विकास के आयामों को तीन भागों में रखा गया है:

1. संज्ञानात्मक तथा भाषा क्षेत्र
2. सामाजिक-संवेगात्मक क्षेत्र
3. मनोगत्यात्मक क्षेत्र

संज्ञानात्मक क्षेत्र के लिए गतिविधियाँ – बच्चा मूलभूत प्रत्ययों जैसे कि समय, संख्या, स्थान, स्थिति, आकार और ध्वनि के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। संज्ञानात्मक विकास के अन्तर्गत संवेदनाओं का समुचित उपयोग, संप्रत्ययों की रचना (जैसे कि रंग, आकार, लम्बाई, संख्या, स्थान, परिणाम, ऊँचाई, वजन, गति, समय की अवधारणाएँ) तथा मूलभूत संज्ञानात्मक कुशलताएँ आती हैं।

सुनने, ध्वनियों में अन्तर करने, विभिन्न धरातलों में अन्तर करने जैसे कि चिकना और खुरदरा, अच्छी और खराब गन्ध में अन्तर करना, विभिन्न रंगों को पहचानना, नृत्य और संगीत आदि संवेदी विकास तथा संप्रत्ययों की रचना के लिए उपयुक्त खेलों का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

मूल संज्ञानात्मक कौशलों के विकास के लिये पहेली, कहानी को पूरा करना, चित्र को पूरा करना, विज्ञान के प्रयोग, मेमोरी, गेम, कहानियाँ, तार्किक रचनाएँ, (सोचना, तर्क करना और समस्या समाधान) पैटर्न बनाना, क्रम निर्माण करने जैसी गतिविधियाँ आयोजित करनी चाहिए।

भाषा सम्बन्धी विकास–भाषा का विकास पढ़ने और लिखने की तत्परता जैसी गतिविधियों जैसे कि मौखिक अभिव्यक्ति, श्रवण कौशल और शब्द भंडार के द्वारा तेजी से होता है क्योंकि ये

सभी भाषा के घटक हैं। पढ़ने और लिखने की आदत चित्रों, चित्रों वाली पुस्तकों, पत्रिकाओं, अखबारों, पेन्सिल, स्लेट (लेखन पट्टिका), बालू, क्रेयान, रंगों और ब्रशों के द्वारा विकसित की जा सकती है।

स्वतंत्र बातचीत जैसे कि चित्रों और वस्तुओं के माध्यम से बातचीत करना, कहानी सुनाना, अभिनय करना, रचनात्मक नाटक, कठपुतली नृत्य गुड़ियों से खेलना आदि मौखिक अभिव्यक्ति के लिए उपयोग किये जाते हैं। खेलों के बारे में सुनना, संख्यात्मक विभेदीकरण, निर्देश के अनुसार या कहानी के अनुसार आदि गतिविधियाँ श्रवण कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका है।

संक्षेप में, बच्चों को विशेष क्रम में सीखने के संप्रत्ययों का बताया जाना चाहिए। उनमें से कुछ गतिविधियाँ इस प्रकार हैं–

1. आकार के अनुसार वस्तुओं को रखना। आकार (बड़ा, लम्बा, छोटा) तथा मात्रा (अधिक, कम)
2. चित्रों का मिलान।
3. पौधों, पशुओं, बादलों, बारिश, कार्यरत लोगों, दिन-रात आदि का अवलोकन।
4. छूना, अनुभव करना, चखना, सूँघना आदि।

भावात्मक क्षेत्र की गतिविधियाँ–बच्चों में रुचि, अभिरुचि, सौन्दर्य बोध की सराहना तथा आन्तरिक मूल्यों का विकास होता है। भावात्मक क्षेत्र की कुछ सुझाव हेतु गतिविधियाँ इस प्रकार हैं–

1. कहानियों की नाटकीय प्रस्तुति।
2. गाना गाना।
3. लय में कविताएँ सुनाना।
4. कलात्मक ढंग से गुड़ियों का सजाना।
5. किसी विषय पर बोलना।

बच्चे जब समूह में खेलते हैं तब वे सामाजिक और संवेगात्मक कुशलता आत्मसात करते हैं। वे सीखते हैं कि किस प्रकार साझा करते हैं, अपनी बारी आने पर ही क्रिया करते हैं तथा समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट पहचान है। खेल में व्यस्तता के दौरान वे अपनी सीमाओं को भी जानते हैं जैसे कि वे अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं। यही क्षण बच्चों मे भावों की समझ के अवसर प्रदान करते हैं। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि एकल या सामूहिक गतिविधियों में संलग्न होने पर बहुत सी सामाजिक तथा संवेगात्मक क्षमताएं अर्जित होती हैं।

सामूहिक आयोजनों तथा त्योहारों की व्यवस्था के दौरान बच्चे खुश होते हैं तथा सामाजिक मूल्य सीखते हैं। बच्चों के सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास हेतु सामूहिक खेल, कार्य स्थल को सफाई, प्रत्येक बच्चे का जन्मदिन मनाना, अच्छे कार्य हेतु पुरस्कृत करना इत्यादि अनुभव बच्चों को दिये जा सकते हैं।

टिप्पणी

मनोगत्यात्मक क्षेत्र हेतु गतिविधियाँ – बच्चों में गतिविधियों के दौरान विविध कौशलों का विकास होता है। इसलिए, कार्यों को इस प्रकार से नियोजित किया जाना चाहिए कि बच्चों में सटीकता, संक्षिप्तता और एकाग्रता का विकास हो तथा सूक्ष्म एवं स्थूल गत्यात्मक कौशलों को बढ़ावा मिले।

शारीरिक एवं मांसपेशियों के विकास हेतु धकेलने-खींचने, फैंकने, पकड़ने, पैड्लिंग करने, रेंगने, कूदने, खींचने, घूमने, हिलने, झूलने, फिसलने, लुढ़कने तथा किक मारने जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त बड़े छेद एवं कई रंगों वाले लकड़ी के गुटखों को पिरोना, मुक्त हस्त अभ्यास, धागे की छपाई, पत्ती एवं सब्जी द्वारा छपाई, कागज के साथ कार्य (फाड़ना, काटना, कोलाज बनाना), गीली मिट्टी से विभिन्न आकार बनाना तथा सृजनात्मक खेल कुछ ऐसी गतिविधियाँ हैं जिनके द्वारा सूक्ष्म गत्यात्मक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके साथ ही रंग करना, चित्र बनाना, काटना, चिपकाना मोड़ना तथा क्ले मॉडलिंग इत्यादि भी मनोगत्यात्मक विकास में सहायक होते हैं।

इन सभी गतिविधियों को नियमित रूप से नियोजित किया जाना चाहिए तथा बच्चों को इन गतिविधियों को खेल-खेल में तथा प्रसन्न वातावरण में करना चाहिए।

11.6.1 थीम आधारित विषयों के लिए खेलों की योजना बनाना

बच्चे के परिवेश से जुड़े विविध विषय होते हैं। उदाहरण के लिए पेड़, जानवर, पक्षी, फूल, कीड़े-मकोड़े, आदि। इन थीम आधारित विषयों पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ नियोजित एवं विकसित की जाती हैं।

छोटे बच्चे हमेशा खेलना पसंद करते हैं। हम उन पर किसी विषय का ज्ञान थोप नहीं सकते। अतः इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए थीम से जुड़ी विषय आधारित खेल गतिविधियाँ सबसे अच्छा तरीका हैं। बच्चे की रुचि तथा आयु के अनुरूप ही विषयों की योजना बनानी चाहिए। विषय बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इससे बच्चों को परिचित विचारों को विस्तार देने की उनकी मूल क्षमता बढ़ेगी। वे अपने मूर्त अनुभवों एवं एंद्रिक अनुभवों द्वारा अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं। इससे बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाभप्रद एवं आनन्ददायी पूर्व विद्यालयी कार्यक्रम तैयार होते हैं। विषय से जुड़ी गतिविधियाँ एक या दो सप्ताह के लिए आयोजित की जा सकती हैं। शिक्षक इस प्रकार के कुछ विषय चुन सकते हैं:

(क) बच्चा एवं बच्चे का परिवेश : सब्जियाँ, जानवर, फल, प्रदूषण, वाहन, आकाश, सूर्य, चाँद, उत्सव, आदि।

(ख) बच्चा एवं बच्चे के आस-पास के लोग: परिवार के सदस्य, पड़ोसी, मित्र, स्कूल, त्योहार, समुदाय सहायक, आदि।

बच्चों को मूर्त या ठोस अनुभव देने वाले विषय ही चुनने चाहिए। कुछ अन्य सुझावित विषय हैं–

1. मैं
2. माँ
3. पिता
4. भोजन
5. पानी
6. कपड़े
7. अच्छी आदतें
8. मेरी सहायता करने वाले लोग
9. मौसम

पाठगत प्रश्न 11.4

रिक्त स्थान भरिए–

(क) विषयों की योजना बच्चों की..................और..................के अनुरूप होनी चाहिए।

(ख) वस्तुओं को उनके आकार के अनुसार क्रम में लगाना..................क्षेत्र की गतिविधि है।

(ग) ....संवेगात्मक क्षेत्र की गतिविधि का उदाहरण है।

(घ) स्थूल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों को विकसित करने वाली गतिविधियाँ................ क्षेत्र में आती हैं।

11.7 बच्चों के खेलों में शिक्षक की भूमिका

खेलों को अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए शिक्षकों को भी गतिविधियों का हिस्सा होना चाहिए। शिक्षकों का सही निर्देशन खेल की मात्रा तथा गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है।

अवलोकनकर्ता के रूप में शिक्षक : शिक्षक कक्षा में और कक्षा के बाहर बच्चों की गतिविधियों का अवलोकन करता है। वह देखता है कि बच्चे कैसे एक-दूसरे से अंत:क्रिया करते हैं, कैसे चीजों को संभालते हैं, क्या उन्हें अपने समूह में कोई समस्या या परेशानी है, आदि। बच्चा खेल सामग्री के साथ कितना समय बिताता है, शिक्षक इसका भी अवलोकन करता है। शिक्षक का उद्देश्यपूर्ण और स्पष्ट अवलोकन नई-नई खेल गतिविधियों की योजना बनाने और वर्तमान खेल स्थितियों को सुधारने में उसकी सहायता करता है।

सहायक के रूप में शिक्षक : बच्चों के विकास के लिए केवल खेल ही पर्याप्त नहीं है। यह शिक्षक का कार्य है कि वह सीखने के लिए खेल गतिविधियों को निर्देशित करे। उसे आवश्यकता और उद्देश्य के अनुरूप सामग्री की व्यवस्था तथा परिवेश का निर्माण करना होता है। यहाँ शिक्षक एक सहायक के रूप में कार्य करता है, दृश्य विभेदीकरण को परिष्कृत करने के लिए खिलौनों को व्यवस्थित करता है, बच्चे को स्वतंत्र रूप से खुलकर बोलने का अवसर

शिक्षक को देना चाहिए। उसे बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए।

समीक्षक के रूप में शिक्षक : प्रत्येक गतिविधि के पश्चात शिक्षक को यह निश्चित करना होता है कि एक विशेष प्रकार के खेल ने किस प्रकार बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा किया। शिक्षक को सुनिश्चित करना होता है कि खेल के उद्देश्य यानी कि संज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक वृद्धि, आदि खेल के दौरान हो रही है या नहीं। बच्चों में हो रहे परिवर्तन और सुधारों के बारे में शिक्षक को अभिभावकों व प्रशासकों के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए। खेल परिवेश, सुविधाओं और गतिविधियों का आंकलन पाठ्यचर्या के लक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए।

आयोजक के रूप में शिक्षक : शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक का प्रथम और सबसे महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है बच्चों हेतु आनंददायक खेल परिवेश की तैयारी व आयोजन। शिक्षक को अर्थपूर्ण खेल गतिविधियों के लिए सामग्री व उपकरणों की व्यवस्था करनी चाहिए। कक्षा एवं बाह्य क्षेत्र की व्यवस्था सुरक्षित, आनन्ददायी और स्वस्थ वातावरण में करनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वातावरण रोचक, चुनौतीपूर्ण और प्रेरक होना चाहिए।

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा :

- प्रारंभिक बाल्यावस्था काल में सीखने के कौशलों के लिए खेल बहुत महत्वपूर्ण हैं।
- बच्चे के समग्र विकास में खेलों की मुख्य भूमिका होती है। अत: बच्चों को विकासात्मक उपयुक्त खेल सामग्री से विभिन्न खेल गतिविधियों में संलग्न रखना चाहिए।
- अनेक दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों और प्रयोगों द्वारा खेल के महत्व को सिद्ध किया है।
- शिक्षकों, अभिभावकों और प्रशासकों को स्कूल और घर में बच्चों के लिए उपयुक्त आंतरिक और बाह्य सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए।
- बच्चों की विद्यालयी तत्परता को केवल खेल द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि वे बच्चों का सही स्थान पर सही निर्देशन करें।
- गतिविधियों और खेल सामग्री की व्यवस्था व डिज़ाइन बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।
- खेलों को अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाने में शिक्षक महत्वपूर्ण व अनिवार्य भूमिका निभाता है। शिक्षकों का सही निर्देशन खेल के परिमाण एवं गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

- बच्चे की रुचि व आयु के अनुकूल खेल गतिविधियाँ बनाने में थीम आधारित पद्धति मूर्त या ठोस अनुभव प्रदान करती है।
- क्योंकि बच्चा खेल के माध्यम से सीखता, वृद्धि और विकास करता है। अतः गतिविधियाँ खेल पर ही आधारित होनी चाहिए जो विकास के सभी क्षेत्रों-संज्ञानात्मक संवेदनात्मक या मनोगत्यात्मक को समाविष्ट करती हों।

पाठान्त प्रश्न

1. खेल के अर्थ एवं प्रकृति की विस्तार से व्याख्या कीजिए।
2. प्रारंभिक वर्षों में खेल के प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।
3. खेल का विकास कैसे होता है?
4. निम्नलिखित हेतु कुछ गतिविधियाँ बनाइए:

   (क) स्थूल गत्यात्मक विकास

   (ख) भाषायी विकास

   (ग) सामाजिक विकास

   (घ) सृजनात्मकता और आत्माभिव्यक्ति का विकास
5. खेल गतिविधि योजना बनाने में थीम आधारित (Thematic Approach) पद्धति का क्या अर्थ है?
6. उद्देश्यपरक तथा अर्थपूर्ण खेल क्रियाकलापों के आयोजन के सन्दर्भ में एक अच्छे प्री-स्कूल शिक्षक के गुणों का वर्णन कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

11.1

1. (i) (क) (iv)

   (ख) (iii)

   (ग) (i)

   (घ) (ii)

   (ii) (क) सत्य

   (ख) सत्य

टिप्पणी

11.2

(क) 4-5 माह

(ख) प्रथम वर्ष

(ग) अलग-अलग आयु

(घ) फुटबाल, बास्केट बॉल (कोई भी नियमानुसार खेले जाने वाले खेल)

11.3

(क) असत्य

(ख) सत्य

(ग) सत्य

(घ) सत्य

11.4

(क) आयु, रुचि

(ख) संज्ञानात्मक

(ग) कहानियों का नाटकीकरण, कविता पाठन, गुड़िया सजाना आदि

(घ) मनोगत्यात्मक

संदर्भ

- Berk, L.E. (2003). *Child Development*. Delhi: Pearson Education Pvt. Ltd.
- Choudhary A., & Choudhary, R. (2002). *Preschool Children: Development, Care and Education*. New Delhi: New Age International Pvt. Ltd.
- Elizabeth, B. Hurlock. (1971). *Child Development*. Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha, LTD.
- Gupta, S. (2013). *Early Childhood Care and Education*. Delhi: PHI Learning Private Limited.
- Maisnam, P., & Bhargava, A. (2013). *Early Childhood Education*. Agra: Harprasad Institute of Behavioural Studies.
- Smilansky, S. & Shefatya, L. (1990). *Facilitating Play: A medium for promoting cognitive, socio-emotional and academic development in young children*. Psychosocial & Educational Publications, Gaithersburg, Maryland.

- Smith, Peter K., & Cowie, H. (1988). *Understanding Children's Development*. New York: Basil Blackwell.
- Soni, R. (2016). *Young Children in Motion*. New Delhi: NCERT.
- Soni, R. (2014). *Every Child Matters-A Handbook on Early Childhood Education*. New Delhi: NCERT.
- Subhash,P.D., & Yadav, P.(2012). In Pajankar,Vishal D.(Ed.). *Indian School Education System: A Holistic View* (pp25-57). New Delhi: Kunal Books.

12

विकासोचित ईसीसीई पाठ्यचर्या की योजना

बच्चे जन्म से ही अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियों के साथ अपने वातावरण से सम्बन्ध बनाने का प्रयास प्रारम्भ कर देते हैं। स्पर्श करने पर बच्चे अपनी आँखें फैलाते हैं, नाक फुलाते हैं, अपने पैरों को पीछे खींचते हैं और लुकाछिपी का खेल खेलने पर खिलखिलाते हैं। मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाशास्त्रियों का मानना है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था (जन्म से आठ वर्ष तक की आयु) बच्चों के शारीरिक, गत्यात्मक, मानसिक, भाषायी तथा सामाजिक-संवेगात्मक विकास की दृष्टि से जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में, योग्यताओं की वृद्धि आश्चर्यजनक रूप से तेजी से होती है जिससे प्रारंभिक अधिगम श्रेष्ठ अनुपात में आगे बढ़ता है। यही वह समय है जब बच्चों को निजी देखभाल, उद्दीपक/सामर्थ्यपूर्ण, योग्य परिवेश, और गुणवत्तापरक सीखने के अनुभवों की आवश्यकता होती है। अगर बच्चों को इस अवस्था के दौरान, यह सभी नहीं मिलता तो उनके विकास के अवसर विपरीत ढंग से कम हो जाते हैं। प्रथम 1000 दिनों के महत्व को सभी ने स्वीकारा है कि ये जीवन पर्यन्त सीखने हेतु निर्णायक हैं। विशेषत: पूर्व-विद्यालयी स्तर पर यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि आवश्यक परिपक्वता तथा प्रयोगात्मक अनुभव बच्चों को प्रदान किए जाए जो अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें सीखने एवं बढ़ने में मदद करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए आयु उपयुक्त विकासात्मक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की पाठ्यचर्या की योजना बनाएँ।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप

- आयु और विकासात्मक उपयुक्त ईसीसीई कार्यक्रम के अर्थ और महत्त्व की व्याख्या करते हैं;
- ईसीसीई पाठ्यचर्या के परिप्रेक्ष्य में उसकी ज़रूरत एवं महत्त्व पर चर्चा करते हैं;
- ईसीसीई योजना के गुणात्मक सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं;

- दीर्घावधि और अल्पावधि योजना की आवश्यकता की तर्कसंगत व्याख्या करते हैं;
- छोटे बच्चों के लिए थीम पर आधारित संतुलित ईसीसीई कार्यक्रम की योजना का नमूना तैयार करते हैं;
- विकास के विभिन्न आयामों तथा क्रियाकलापों द्वारा सीखने की चर्चा व इनमें अन्तर्संबंध स्थापित करते हैं; और
- विविधता को स्वीकारते हुए समावेशी कार्यक्रम की योजना बनाते हैं।

12.1 आयु तथा विकासोचित ईसीसीई कार्यक्रम का अर्थ और महत्व

उच्च कोटि के ईसीसीई कार्यक्रम में योजना एक मुख्य आधार है। छोटे बच्चों के लिए योजना बनाने का अर्थ है–''आगे की सोचना''। पाठ्यक्रम के लचीला होने की आवश्यकता है। यद्यपि अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक को योजना बनाने की ज़रूरत होती है ताकि वह बच्चों को व्यवस्थित रूप में आयु और विकासात्मक रूप से उपयुक्त अनुभव एवं गतिविधियाँ प्रदान कर सकें। एक उच्च कोटि का ईसीसीई कार्यक्रम या पाठ्यचर्या पाँच पहलुओं जैसे–शारीरिक, गत्यात्मक, मानसिक, भाषायी, सामाजिक-संवेगात्मक विकास और कला एवं सौंदर्यात्मकता पर आधारित विभिन्न गतिविधियों तथा अनुभवों के द्वारा एक संतुलित दैनिक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है।

जब हम बच्चों की आयु तथा विकासोचित पाठ्यचर्या की बात करते हैं तो हमें अपने दिमाग में बच्चों की आयु के साथ-साथ उनके विकासात्मक स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक बच्ची शारीरिक रूप से तो विकसित है परंतु उसकी भाषा का विकास नहीं हुआ है या एक बच्चा बहुत ही सचेत है और उसके साथ उसकी समझने की शक्ति बहुत ही तीव्र है परंतु उसे चलने में परेशानी है। इसलिए, बच्चों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शिक्षक को योजना बनाते समय बच्चों की आयु, ज़रूरतों, रुचियों और विकास को ध्यान में रखना चाहिए। यह हमारे छोटे बच्चों को तनाव/दबावमुक्त परिवेश एवं उद्दीपनयुक्त वातावरण में फलने-फूलने तथा विकसित होने में मदद करेगा, जहाँ कार्यक्रमों में लचीलापन सभी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

12.2 ईसीसीई पाठ्यचर्या की प्रासंगिकता की आवश्यकता एवं महत्व

जब आप छोटे बच्चों के कार्यक्रम की योजना बना रहे हों, आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयु उपयुक्त और विकासोचित होने के अतिरिक्त, कार्यक्रम बच्चों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के संदर्भों से जुड़े होने चाहिए। यदि भाषा या सामग्री या कहानी या गीत सभी अपरिचित हैं तो कक्षाकक्ष की गतिविधियों में बच्चों की रुचि को बनाये रखना चुनौतीपूर्ण होगा। स्थानीय एवं सरल भाषा बच्चों को आकर्षित करती है। जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं वह भी सरल होनी चाहिए। संप्रत्यय वास्तविक जीवन के मूर्त अनुभवों से संबंधित होकर

धीरे-धीरे अमूर्त विचारों की तरफ बढ़ने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में हैं और आप 'जानवर' थीम पर चर्चा कर रहे हैं, तो पहले परिचित जानवरों के बारे में बात करें और धीरे-धीरे अपरिचित जानवरों के चित्र दिखाएँ। इसे संदर्भिक अधिगम कहा जाता है। इसी प्रकार अगर आप बात कर रहे हैं 'पेड़-पौधों' की तो पहले सामान्य एवं परिचित पौध ों की बात करें जो बच्चों के वातावरण में उपलब्ध हों। बच्चों से उन सब्जियों की बात करें जिनसे वे परिचित हैं और जिन्हें वे खाते हैं, ना कि स्ट्राबेरी या चेरी के बारे में जिन्हें उन्होंने नहीं देखा है। यह सुनिश्चित करता है कि अधिगम एवं शिक्षण अधिक अर्थपूर्ण एवं आनंददायी होगा। स्थानीय त्योहारों, राष्ट्रीय दिवसों, स्थानीय भोजन दिवसों के आयोजन से बच्चे सरलतापूर्वक विविधता को समझ लेंगे। यह ईसीसीई कार्यक्रम और थीम आधारित शिक्षण को अधिक रोचक और अधिक संदर्शिक बना देगा।

भारत में दो प्रकार की विविधता देखी जा सकती है। पहली प्रकार की विविधता वहाँ देखने को मिलती है जहाँ पर लोग एक अलग तरह की सामाजिक, भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थिति में रहकर विशेष प्रकार का समूह बनाते हैं। दूसरी परिस्थिति में एक ही कक्षा में विभिन्न परिवेश के बच्चे होते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्वयं को बहुल संस्कृति का हिस्सा मान लेते हैं यद्यपि उनकी अपनी सामाजिक पहचान वैसी नहीं होती। एक ही तरह की पाठ्यचर्या दोनों ही समूहों के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे परिवहन के साधनों के बारे में शहरी क्षेत्र के बच्चों से अलग उत्तर देंगे। शहरी क्षेत्र के गरीब बच्चे को केवल धार्मिक स्थलों से ही भोजन मिलने की संभावना रहती है। ऐसे बच्चे की समझ अलग तरह की होगी। ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा कह सकता है कि ''मैं जहाँ पुजारी से मिलता हूँ मंदिर वहीं है'' जबकि शहरी क्षेत्र का एक गरीब बच्चा यह कह सकता है कि 'जहाँ से मैं भोजन प्राप्त करता हूँ, मंदिर वही है'।

नियोजन के मुख्य सिद्धान्तों में से एक है कि बच्चों को सामाजिक वास्तविकताओं को समझा जाए तथा उसके अनुरूप कार्य किया जाए। पाठ्यचर्या या विषयवस्तु से किसी विशिष्ट दिशा हेतु उत्तरों की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। वास्तव में बच्चों की समझ में इतनी विविधता होती है, कि इन विविधताओं को सीखने के अवसरों के रूप से उपयोग किया जा सकता है। बच्चों के लिए पाठ्यचर्या की योजना बनाते समय मुख्य सिद्धान्त यह है कि दोनों ही तरह के बच्चों के लिए उपयुक्त पाठ्यचर्या की रचना की जाए। वस्तुत: बच्चों की समझ में इतनी विविधता होती है कि उनमें संभावनाओं के बीज बोए जा सकते हैं।

12.2.1 बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज

भारत एक बहुसांस्कृतिक तथा बहुभाषी राष्ट्र है। इसलिए हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा कि जब बच्चे प्रारंभिक बाल्यावस्था स्तर पर हों तो हमें उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे जब एक प्री-स्कूल में प्रवेश लेते हैं तो वे एक सामाजिक पहचान पाते हैं। बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़े संदर्भों को पाठ्यक्रम में कई तरीकों से शामिल किया जा सकता है। खान-पान की आदतें, त्योंहारों का मनाना, कपड़े रीति-रिवाज एवं परंपराएँ स्कूल के प्रति बच्चों के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, कक्षा की भाषा को न समझने वाला बच्चा अपने आप को अलग-थलग महसूस करेगा या चावल खाने वाले परिवार का बच्चा रोटी खाने में कठिनाई महसूस करेगा या अपरिचित

त्यौहारों को मनाने में सकुचायेगा। अनेक विविधताओं एवं समावेशी माहौल न होने के कारण बच्चे को सामंजस्य करने तथा सीखने में कठिनाई हो सकती है तथा विविध पृष्ठभूमि के कारण विद्यालयी अधिगम प्रतिफल भी प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, थीम 'हमारा पर्यावरण' के लिए प्रत्येक बच्चा वस्तुओं के नाम अपनी भाषा में अलग-अलग बतायेगा। समुद्र के किनारे रहने वाले बच्चे समुद्री शंख, सीपी एवं मछली बतायेंगे जबकि जंगल के नजदीक रहने वाले बच्चे घोंसला तथा मधुमक्खी का छत्ता बतायेंगे। दूसरे बच्चों के साथ सहभागिता करने तथा सुनने के अवसर देने से बच्चे स्वतंत्र अभिव्यक्ति करते हैं तथा उन क्रियाकलापों में सहभागिता करते हैं।

इसी प्रकार, जब हम ईसीसीई कार्यक्रम की योजना बनाएँ तो हमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक अभिविन्यास के बारे में सुनिश्चित होना चाहिए। प्रासंगिक परिप्रेक्ष्य में विषयवस्तु को स्थानीय वातावरण से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। सामान्यत:, विचार, तथ्य और घटना को संदर्भिक बनाने हेतु स्थानीय परिवेश से जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह अपना सही एवं पूर्ण अर्थ प्राप्त करें। यह एक कार्य या प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं को संदर्भ में रखा जाता है और उस स्थिति और स्थान के आधार पर सूचना का अर्थ निकाला जाता है, जिसमें वह सूचना पाई गई थी। अनुसंधानों से पता चला है कि प्रासंगिक निर्देश बेहतर सीखने की ओर अग्रसर करते हैं। संक्षेप में, बच्चों का प्रारंभिक अधिगम अपने परिवेश से शुरू होता है, जिसे वे अपने आसपास देखते हैं और उनसे परिचित होते हैं। धीरे-धीरे बच्चे अपने परिवेश एवं संदर्भों के बारे में सवाल करते हैं तथा तथ्यों के बीच संबंधों की खोजबीन करते हैं। इस प्रकार के संदर्भित अनुभव उनको रुचि जाग्रत करने, विद्यालय के लिए प्रेरित करने तथा सफलता का अनुभव कराने एवं उपलब्धियों को हासिल करने में सहायक होते हैं।

पाठगत प्रश्न 12.1

खाली स्थान भरिए–

(क) .... पाठ्यचर्या में थीम को स्थानीय वातावरण से जोड़ने का प्रयास किया जाता है।

(ख) भारत एक .... तथा बहुभाषी राष्ट्र है।

(ग) विकासोचित ईसीसीई कार्यक्रम बच्चों के .... एवं .... स्तर को ध्यान में रखता है।

(घ) एक ईसीसीई कार्यक्रम .... होना चाहिए, जिसे नये .... के अनुसार बदला जा सके।

(ङ) अनेक विविधताओं के कारण बच्चों को उसके समायोजन एवं सीखने में कठिनाई आती है क्योंकि उन सभी की .... भिन्न हैं।

टिप्पणी

12.3 गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई योजना के सिद्धांत

एक उच्च कोटि का ईसीसीई कार्यक्रम बच्चों को समग्र विकास के उपयुक्त अवसर सुनिश्चित करने में मदद करता है। अतः ईसीसीई कार्यक्रम बनाते समय बच्चों के विकास तथा प्रासंगिक जरूरतों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम या ईसीसीई पाठ्यचर्या में विविध प्रकार से सीखने के अवसर के लिए प्रेरणापूर्ण वातावरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विकासात्मक विशेषताओं के अनुसार, सभी बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित और योग्य होते हैं। छोटे बच्चे सीखते हैं जब उन्हें निम्नलिखित अवसर मिलते हैं–

- खेल
- अवलोकन एवं अभिव्यक्ति
- परिचित एवं नये अनुभव
- सहभागिता, संलग्नता तथा संप्रेषण
- प्रयोग एवं खोजबीन
- प्रश्न पूछना
- अनुकरण, अभिनय एवं प्रदर्शन
- शारीरिक और संवेगात्मक रूप से सुरक्षा महसूस करना

ईसीसीई के उद्देश्यों तथा एक प्री-स्कूल बच्चे की विकासात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, MWCD ने अपनी पाठ्यचर्या रूपरेखा (2013) में ***कार्यक्रम नियोजन*** *के निम्नलिखित सिद्धान्तों की चर्चा की है:*

- *गतिविधियाँ* ***आयु तथा विकासोचित*** *होनी चाहिए।*
- ***वे गतिविधियाँ जो सभी पहलुओं का पोषण करती हैं, उनकी योजना उपयुक्त रूप से बनाई जानी चाहिए।***
- ***बच्चों की ध्यानावधि 15-20 मिनट होती है;*** *अतः किसी भी गतिविधि की अवधि 20 मिनट होनी चाहिए। किसी भी गतिविधि को प्रारंभ करने एवं समाप्त करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। कार्यक्रम में ज़रूरत के अनुसार फेरबदल/परिवर्तन हेतु लचीलापन होना चाहिए।*
- *संरचित और असंरचित गतिविधियों में* ***संतुलन*** *होना चाहिए; जैसे–सक्रिय एवं शांत, आंतरिक एवं बाह्य, स्वनिर्देशित और वयस्कों द्वारा निर्देशित अधिगम के अवसर, व्यक्तिगत, छोटे समूह एवं वृहद समूह के क्रियाकलाप।*
- *अधिगम अनुभव तथा गतिविधियाँ* ***सरल से जटिल*** *की ओर अग्रसर होनी चाहिए।*
- ***बच्चे के परिवेश से संबंधित*** *तथा बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण तथा आनंददायी, व्यक्तिगत तथा सामूहिक अनुभवों की विस्तृत श्रृंखला नियोजित की जानी चाहिए।*

- ***दिनचर्या*** *बच्चों में सुरक्षा की भावना को पोषित करती है अत: रोज के कार्यक्रम निश्चित दिनचर्या के अनुसार होने चाहिए।*
- *ईसीसीई कार्यक्रम कभी भी जटिल नहीं होने चाहिए। इन्हें* ***लचीला*** *होना चाहिए।*
- *प्री-स्कूल कार्यक्रम की अवधि* ***3 से 4 घंटे*** *होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में दिन में कुछ समय विश्राम के लिए दिया जाना चाहिए। अगर कार्यक्रम की अवधि लंबी या पूरे दिन की है, तो झपकी के लिए समय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।*
- *अधिगम के अवसर* ***आपस में जुड़े होने चाहिए, जो विकासात्मक पहलुओं के अधिगम अनुभवों को सार्थक ढंग से जोड़ते हुए*** *तथा बच्चे के वास्तविक जीवन के प्रसंगों पर प्रभाव डालते हुए होने चाहिए।*
- *बच्चे की शिक्षण की भाषा* ***मातृ-भाषा*** *होनी चाहिए। उनकी भाषा को संवेदनशील रूप से बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए और विद्यालयी तत्परता के लिए विद्यालय में बोली जाने वाली भाषा धीरे-धीरे प्रयोग में लानी चाहिए।*
- *पाठ्यचर्या के लक्ष्य एवं उद्देश्य* ***कक्षा की प्रक्रिया और बच्चों के आकलन*** *को निर्देशित करते हुए होने चाहिए। पाठ्यचर्या को इस प्रकार क्रियान्वित किया जाना चाहिए कि वह बच्चे के पारिवारिक मूल्यों, विश्वास तथा अनुभवों के अनुरूप हो।*
- *कार्यक्रम में* ***खोज तथा अन्वेषण के और प्रयोगात्मक अधिगम के अवसर*** *शामिल होने चाहिए तथा यह वस्तुओं एवं लोगों की सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए।*

पाठगत प्रश्न 12.2

खाली स्थान भरिए–

(क) एक उच्च कोटि का ईसीसीई कार्यक्रम बच्चों के .... विकास के अवसर सुनिश्चित करने में मदद करता है।

(ख) ईसीसीई कार्यक्रम बच्चों को सीखने के लिए .... करने और प्रयोगात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करता है।

(ग) अधिगम के अवसर .... होने चाहिए जो विकासात्मक पहलुओं के अधिगम अवसरों को सार्थक ढंग से जोड़े।

(घ) गतिविधियों की योजना आयु और .... के अनुरूप होनी चाहिए।

(ङ) ईसीसीई कार्यक्रम में दिनचर्या बच्चों में .... की भावना को पोषित करती है।

12.4 ईसीसीई कार्यक्रम की योजना एवं रूपरेखा

मानवीय गतिविधियों के प्रत्येक पक्ष में योजना बहुत महत्वपूर्ण है। बाल विकास की स्थिति में

योजना का अभाव शिक्षण-अधिगम की पूरी प्रक्रिया को अव्यवस्थित कर देता है, परिणामस्वरूप अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहता है। ईसीसीई पाठ्यचर्या में बच्चों के भाषायी, संज्ञानात्मक, शारीरिक, और सामाजिक-संवेगात्मक विकास के लिए गतिविधियों एवं अनुभवों को शामिल किया जाना चाहिए।

योजनाएँ मुख्यत: तीन विभिन्न समय-मापक्रम में आयोजित की जाती हैं, जो एक-दूसरे से जुड़ी हुईं और एक-दूसरे का अनुसरण करती हैं। वे इस प्रकार हैं-

कार्यक्रम नियोजन

दीर्घावधि योजना	**मध्यावधि योजना**	**लघु अवधि योजना**
वार्षिक योजना	मासिक/सत्रीय योजना	साप्ताहिक/दैनिक योजना

विस्तृत रूप से योजना दो प्रकार की होती है जैसे दीर्घावधि योजना तथा लघु अवधि योजना। मध्यावधि योजना; दीर्घावधि योजना का ही एक भाग है।

12.4.1 दीर्घावधि योजना का अर्थ है पूरे वर्ष की योजना की रूपरेखा तैयार करना। प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ में यह निश्चित कर लिया जाता है कि अगले बारह महीनों में क्या और कैसे पढ़ाना है। इस योजना में शामिल हैं:

- सीखने के अनुभव और पाठ्यचर्या जैसे-बच्चे अपने विद्यालय के प्रारंभिक वर्षों में क्या सीखेंगे
- कौशलों तथा संप्रत्ययों की पहचान
- प्रयोग की जाने वाली शिक्षण पद्धति या प्रणाली
- पूरे वर्ष के लिए थीम का चुनाव
- चुने गए थीम के क्रियाकलापों की समय-सारणी या कैलेण्डर विकसित करना
- संसाधन के रूप में खेल उपकरण तथा शिक्षण अधिगम सामग्री
- बच्चों के अधिगम अनुभवों को जाँचने के लिए आकलन पद्धति
- विभिन्न खर्चों, गतिविधियों, घटनाओं, टूट-फूट तथा मरम्मत एवं रखरखाव के लिए बजट बनाना और राशि निर्धारित करना।

मध्यावधि योजना का अर्थ है मासिक एवं सत्र अवधि की योजना। दीर्घावधि योजना के बाद मासिक योजना बनाई जाती है जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि प्रत्येक माह में कौन-सी थीम तथा संप्रत्यय को पढ़ाया जाएगा तथा शिक्षण रणनीतियों और छोटे बच्चों के सीखने के अनुभवों का सतत आकलन किस प्रकार करेंगे। मासिक योजना, शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति को रूपांतरित कर कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने के अवसर प्रदान करती है।

बच्चों की प्रगति को ध्यान में रखने के उद्देश्य से मासिक योजना मध्यावधि योजना में योगदान कर सकती है। सत्रीय योजना, थीम एवं अवधारणाओं की पहचान पर आधारित होती है जोकि विविध आयामों, जैसे मानसिक कार्य को बढ़ावा, सम्प्रेषण कौशल में वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक दक्षता को बढ़ाने में खोजबीन एवं विकास को बढ़ावा देती है। थीम बच्चों को आकर्षित एवं भागीदार बनाती है जिससे कि वे अपने कौशलों एवं समझ का प्रदर्शन कर सकें। बच्चों की प्रगति को रिकार्ड किया जा सकता है और उनके माता-पिता के साथ इसे साझा किया जा सकता है। संक्षेप में यह योजना किसी एक अवधि/सत्र या एक माह पर आधारित होती है।

वार्षिक योजना से ही मासिक योजना तैयार की जाती है जो कि एक निश्चित समय के लिए लक्ष्य को निर्धारित करती है तथा गतिविधियों को एक सामान्य रूपरेखा प्रदान करती है। मध्यावधि योजना बच्चों के साथ कार्य करने का वास्तविक काल होता है जिसमें विषयवस्तु के बारे में बच्चों की सहभागिता एवं अनुक्रिया की सतत समीक्षा की जाती है। बच्चों की संलग्नता एवं लाभ को ध्यान में रखकर कार्य करने के तरीके एवं विषयवस्तु में संशोधन किया जा सकता है।

12.4.2 लघु अवधि योजना का अर्थ है साप्ताहिक तथा दैनिक योजना। यह दीर्घावधि तथा मध्यावधि योजना से अधिक विषयपरक होती है। यह योजना प्रत्येक बच्चे की ज़रूरत और रुचि को ध्यान में रखकर बनाई जा सकती है। बच्चे जो कहना एवं करना चाहते हैं, उसे सुनना तथा उन्हें दैनिक योजना की प्रक्रिया में शामिल करना बच्चों को योजना की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जोड़ता है। लघु अवधि योजना में आप ऐसे बच्चों, जिन्हें अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है, पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। लघु अवधि योजना बनाते समय आप यह निश्चित कर सकते हो कि:

- किन संसाधनों की जरूरत है?
- खेल परिवेश में बदलाव कर उसे अनुकूलित कैसे बनाया जा सकता है?
- दिन में कौन-सी गतिविधियाँ किस समय होंगी?
- कौन कहाँ होगा तथा उसकी प्रमुख भूमिका क्या होंगी?
- अधिगम का आकलन किस प्रकार किया जाएगा?

बहरहाल, यह आवश्यक है कि समूह के लिए योजना बनाते समय प्रत्येक बच्चे की रुचियों को शामिल किया जाए। आइए, साप्ताहिक एवं दैनिक कार्यक्रमों के संदर्भ में लघु अवधि योजना को और सही ढंग से समझा जाए।

साप्ताहिक योजना: यह लघु अवधि योजना का ही एक भाग है। जैसे थीम पर आधारित शिक्षण एक सप्ताह या और लंबे समय के लिए होता है अत: शिक्षक पहले से ही योजना बना लेता है कि सप्ताह के दिनों में क्या-क्या करना है और उन उप-थीमों पर आधारित विभिन्न दैनिक गतिविधियों को तय करता है। ऐसा देखा गया है कि विषयवस्तु पर आधारित पद्धति, सीखने को न केवल आसान और रुचिकर बनाती है बल्कि बच्चे को मूल संप्रत्यय की बेहतर

टिप्पणी

समझ भी प्रदान करती है। आइए, साप्ताहिक कार्यक्रम विकसित करने के लिए आवश्यक चरणों को समझें:

- सप्ताह के लिए थीम का चुनाव।
- थीम पर आधारित गतिविधियों की सूची बनाना।
- क्रियाकलापों की दैनिक योजना को निश्चित करना कि पहले दिन क्या कराया जाएगा, और दूसरे दिन क्या, आदि।
- प्रत्येक गतिविधि के लक्ष्य निश्चित करना।
- प्रत्येक गतिविधि के आयोजन के लिए आवश्यक सामग्री को तैयार करना।
- कक्षा के परिवेश को चुनी गई विषयवस्तु तथा गतिविधि के अनुसार आयोजित एवं व्यवस्थित करना।

दैनिक योजना/कार्यक्रम : यह योजना प्राय: शिक्षक के द्वारा बनाई जाती है ताकि वे दैनिक कार्यक्रमों के क्रमबद्ध निर्देश प्रदान कर सकें। दैनिक योजना में शामिल है:

- बच्चों के लिए कक्षा के अंदर तथा बाहर कराई जाने वाली विविध प्रकार की गतिविधियाँ
- शिक्षक बच्चों के लिए संसाधनों को व्यवस्थित करना
- शिक्षक जिस पद्धति से सिखाना चाहता है उसके अनुरूप प्रबंध करना
- विभिन्न गतिविधियों को दिया गया समय

दैनिक योजना में निम्नलिखित में संतुलन दिखाई देना चाहिए:

- सक्रिय एवं शांत गतिविधियाँ
- बच्चों द्वारा तथा शिक्षक द्वारा प्रारंभ की गई गतिविधियाँ
- आंतरिक तथा बाह्य गतिविधियाँ
- व्यक्तिगत, छोटे समूह एवं बड़े समूह की गतिविधियाँ
- मुक्त तथा निर्देशित खेल गतिविधियाँ

वार्षिक योजना द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य

पूरे वर्ष सीखने की योजना बनाने के उद्देश्य तथा उन्हें प्राप्त करने के चरण स्पष्ट होने चाहिए। नीचे कुछ उद्देश्यों की सूची दी जा रही है जिन्हें प्राप्त करने की आशा की जाती है:

- बच्चों का भरोसा तथा आत्मविश्वास जीतना
- बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना
- बच्चों की निजी सुरक्षा को सुनिश्चित करना

- बच्चों की सूक्ष्म तथा स्थूल माँसपेशियों का विकास करना
- भाषायी कौशल का विकास
- सामाजिक कौशल का विकास
- संख्या, समय, रंग, आकार आदि संप्रत्ययों का विकास
- आत्म-निर्भरता का विकास
- स्व तथा अपने परिवेश की समझ
- सृजनात्मकता तथा सौंदर्यात्मक बोध का विकास

12.5 विषयवस्तु (थीम) आधारित ईसीसीई कार्यक्रम

कार्यक्रम तैयार करने की योजना के सिद्धांतों को आप समझ चुके हैं। आइए, अब विषय आधारित योजना बनाना सीखते हैं–

विषयवस्तु (थीम) आधारित योजना

ईसीसीई कार्यक्रम या पाठ्यचर्या में एकीकृत विषयवस्तु (थीम) तथा परियोजना एक मुख्य भाग है। यह योजना उचित प्रकार से विकसित की जानी चाहिए ताकि यह बच्चों में उनके चारों ओर के वातावरण, विभिन्न संप्रत्ययों के बीच अर्थपूर्ण संबंधों को समझ सके। प्री-स्कूल पाठ्यचर्या लचीली तथा बच्चों की ज़रूरतों के अनुकूल होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि विषयवस्तु (थीम) पर आधारित ईसीसीई पाठ्यचर्या की रचना देश की विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषायी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई जाए। दैनिक/साप्ताहिक/मासिक विषयवस्तु (थीम) पर आधारित कार्यक्रम सीखने के अनुभवों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाने चाहिए जो विकास के सभी पहलुओं तथा आयु एवं विकास के उपयुक्त हों। विभिन्न पहलुओं और संप्रत्ययों के लिए गतिविधियों की उद्देश्यपूर्ण योजना होनी चाहिए जो बच्चे को सक्रिय रूप से अधिगम के अनुभवों में व्यस्त रख सकें। यह प्रारंभिक अधिगम को मजबूत बनाने में सहायक है तथा भविष्य के लिए सीखने की नींव तैयार करती है।

12.5.1 विषयवस्तु (थीम) पर आधारित योजना के चरण

(क) विषयवस्तु (थीम) को पहचानना

पहला चरण है विषयवस्तु (थीम) तथा उसके उपविषयों (उप थीम) को पहचानना। इस चरण में निम्नलिखित प्रश्नों पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

- विषयवस्तु (थीम) से संबंधित इस क्रियाकलाप में भाग लेने के परिणामस्वरूप शिक्षक बच्चों से क्या सीखने की आशा करता है?
- क्या यह विषयवस्तु (थीम) आयु तथा विकास के अनुरूप है?
- क्या बच्चों को विषयवस्तु (थीम) तथा इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कोई समझ अथवा जानकारी है?

(ख) विभिन्न विषयवस्तुओं के लिए, गतिविधियों, विचारों और अनुभवों का सृजन

दूसरा चरण प्रत्येक विषयवस्तु (थीम) की गतिविधि के लिए दिमाग लगाने एवं विचारों को

टिप्पणी

शामिल करता है। योजना में बच्चों के विचारों को शामिल करना प्राय: शिक्षक की मदद करता है। विद्यालयों या पार्कों में खेलते हुए बच्चों को देखते समय शिक्षक के मन में इस प्रकार के सहज और स्वाभाविक विचार पैदा होते हैं। प्रश्नों पर विचार करें जैसे :

- मैं इस गतिविधि का चुनाव क्यों कर रहा/रही हूँ?
- क्या चुनी गई सभी गतिविधियाँ आयु और विकास के उपयुक्त हैं?
- क्या सभी गतिविधियाँ अर्थपूर्ण और प्रासंगिक हैं?
- क्या गतिविधियाँ सभी बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं?
- क्या चयनित गतिविधियाँ एवं खेल, स्थान तथा प्रसंग के अनुरूप हैं?

(ग) 'थीम वेब' की योजना

दिए गए वेब के नमूने को देखें। इस वेब में थीम पर आधारित होने के बावजूद भी सभी पहलुओं पर बल दिया गया है। चुनी गयी थीम है 'जानवर', अब शिक्षक को तय करना है कि बच्चों को विषयवस्तु से संबंधित खोज एवं अन्वेषण के अवसर प्रदान करने के लिए उसे किन गतिविधियों को शामिल करना है। गतिविधि क्षेत्र में विषयवस्तु (थीम) से संबंधित विशिष्ट गतिविधियाँ एवं सीखने की सामग्री का होना आवश्यक है। थीम वेब का उद्देश्य किसी विषय के लिए विचारों को ढूँढ़ना या सोचना है। अब हम वेब-I को देखें तो यह विकास के विभिन्न आयामों को दिखाता है। अब कोई भी एक थीम सोचें और उससे संबंधित गतिविधियाँ और अनुभवों के बारे में विचार करें। वेब-II में भाषायी, स्थूल-गत्यात्मक, सूक्ष्म-गत्यात्मक, संज्ञानात्मक, संवेदी तथा सामाजिक-संवेगात्मक विकास के लिए गतिविधियाँ हैं।

चित्र 12.1 : वेब-1 - एक संतुलित ईसीसीई कार्यक्रम

(घ) थीम वेब को बनाने के बाद आप दैनिक/साप्ताहिक योजना में बच्चों की आयु, रुचि और स्तर के अनुसार गतिविधियाँ और अनुभवों को शामिल कर सकते हैं। आप आगे पढ़ेंगे कि 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए दीर्घावधि थीम आधारित योजना-मासिक योजना, साप्ताहिक योजना और दैनिक योजना कैसे बना सकते हैं।

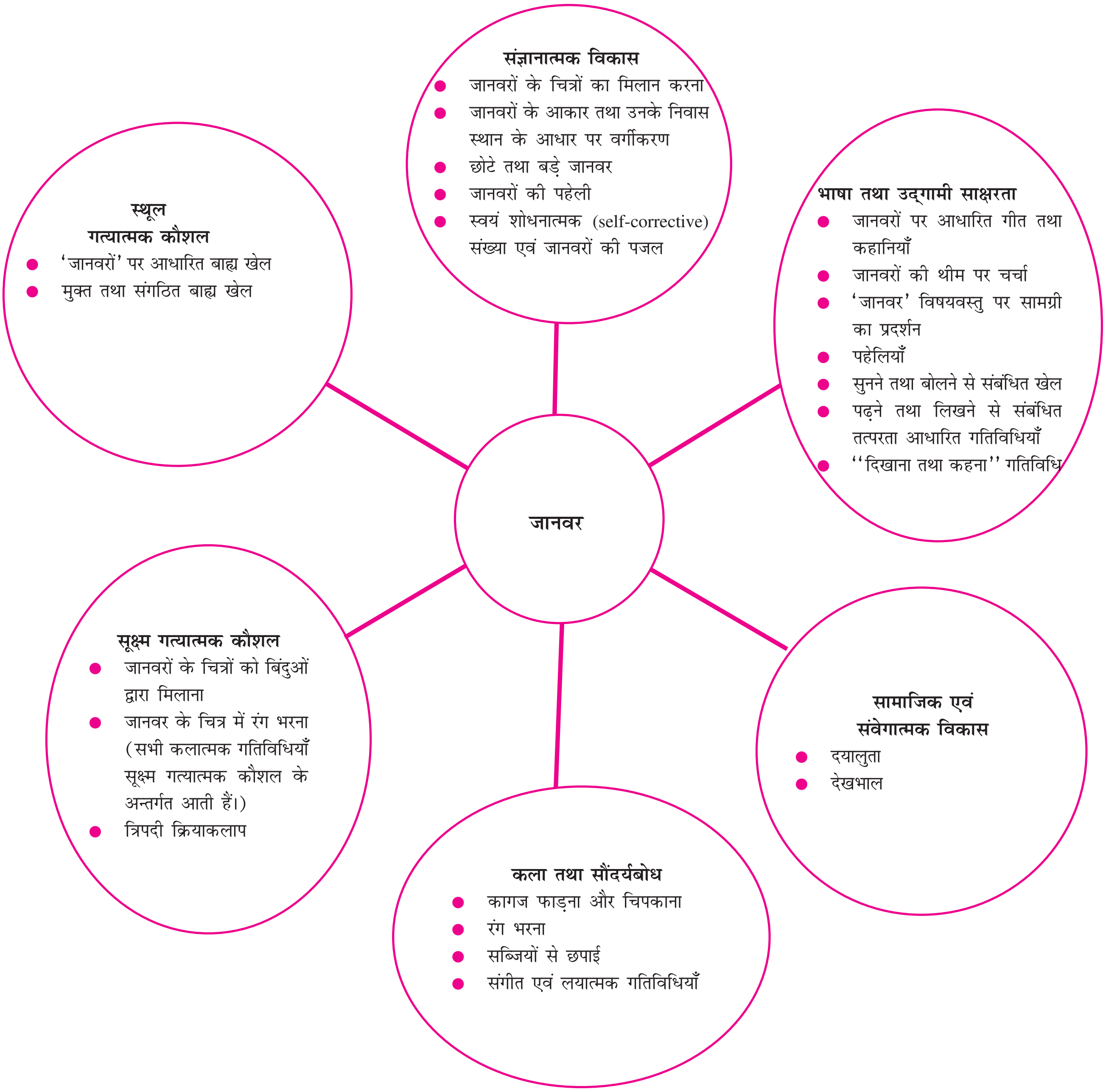

चित्र 12.2 : थीम 'जानवर' पर आधारित वेब योजना

टिप्पणी

नोट : शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वे साप्ताहिक/मासिक विषयवस्तु से संबंधित क्रियाकलाप तथा शिक्षण सामग्री कक्षा के 'क्रियाकलाप क्षेत्र' में उपलब्ध कराएँ।

आप स्थानीय त्योहारों तथा उत्सवों के आयोजन द्वारा भी अपनी थीम को स्थानीय दृष्टि से प्रासंगिक बना सकते हैं।

3-6 वर्ष के बच्चों के लिए-पूरे वर्ष की थीम पर आधारित योजना (एक नमूना)		
थीम	**गतिविधियाँ**	**सामग्री**
विद्यालय के वातावरण के साथ अनुकूलन **'मैं'** समारोह: बैसाखी (त्योहार)	• स्वतंत्र और निर्देशित बातचीत-स्वयं के बारे में जागरूक होने के लिए (अपना नाम, माता-पिता का नाम तथा भाई बहन का नाम) घर का पता, विद्यालय तथा शिक्षक का नाम • शरीर के अंगों के नाम तथा उनके कार्य, साफ़-सफ़ाई (अच्छी आदतें) • कहानियाँ एवं कविताएँ • सरल निर्देशों का पालन करना • मिलान करना • रंगों का संप्रत्यय • शारीरिक तथा गत्यात्मक गतिविधियाँ • रचनात्मक तथा सामाजिक-संवेगात्मक विकास गतिविधियाँ	चित्रों के चार्ट, कार्ड (कहानी, स्पर्श तथा अलग कार्ड को छाँटना), कठपुतलियाँ, रंगों के डोमिनो, कला सामग्री, गेंद, गुड़िया, मोती, ब्लॉक्स, पहेलियाँ, छूने के अनुभव वाला थैला, विभिन्न आवाज़ वाले डिब्बे, वर्गीकरण कार्ड आदि। उत्सवों के आयोजन के लिए विशेष परिधान/ पोशाक
मैं, मेरा परिवार, (पुनरावृत्ति), मेरा आस-पड़ोस	• मेरे परिवार पर स्वतंत्र एवं निर्देशित वार्तालाप, संबंधों को समझना, दूसरे बच्चों के भावों तथा अधिकारों का आदर करना, अपने से बड़ों की बात सुनकर एवं उनके निर्देशों को मानते हुए सम्मान करना, विशेष आवश्यकता वाले बुजुर्ग तथा जरूरतमंद लोगों के प्रति समानुभूति तथा देखभाल, पौधों, जानवरों तथा अन्य जीवों के प्रति देखभाल • कहानियाँ तथा कविताएँ • इन्द्रियों का विकास (खुरदरा-चिकना, गंध) • पहचानिए तथा मिलान कीजिए • आकार का संप्रत्यय (बड़ा-छोटा) • समय का संप्रत्यय (पहले-बाद में) • पैटर्न बनाना (3-4 वस्तुएँ) • शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास से संबंधित गतिविधियाँ • रचनात्मक तथा सामाजिक - संवेगात्मक विकास से संबंधित गतिविधियाँ	साधारण एक पंक्ति की पहेली, कार्ड (चित्र-पठन, स्पर्श, मिलान, वर्गीकरण, क्रमबद्ध तथा पैटर्न बनाना), विभिन्न गंध की सामग्री, डोमिनो, विभिन्न आकार की समान वस्तुएँ, अंदर खेली जाने वाली स्वतंत्र खेल- सामग्री, बाहर खेले जाने वाले खेल उपकरण, सृजनात्मक कला के लिए सामग्री
जानवर (जंगली, पालतू, घरेलू; सामान्य पक्षी और कीट; जलीय जंतु)	• जंगली, घरेलू और पालतू जानवरों, सामान्य पक्षी और कीट तथा जलीय जीव- जंतु पर स्वतंत्र एवं निर्देशित बातचीत; जानवरों के बच्चे, उनके निवास स्थान, भोजन, लाभ, उनके देखभाल व पोषण के बारे में ज्ञान देने के लिए गतिविधियों का आयोजन • रंगों का संप्रत्यय (प्राथमिक रंग)	रंग तथा आकार के डोमिनो, कार्ड (चित्र पठन, मिलान चित्र), कहानियाँ तथा कविताएँ, देशभक्ति गीत, स्टिक पपेट (सूरज, चांद

	• आकार का संप्रत्यय (मूलभूत आकार) • पैटर्न/नमूने बनाना • मिलान, पहचान, नाम देना तथा वर्गीकरण • शारीरिक तथा गत्यात्मक गतिविधियाँ • सृजनात्मक तथा सामाजिक-संवेगात्मक विकास की गतिविधियाँ • रोल प्ले, अभिनय, कठपुतली का खेल, कहानियाँ एवं गीत, संवेगात्मक विकास की गतिविधियाँ	तथा सितारे), गुड़ियाँ, मोती, ब्लॉकस; पजल, सृजनात्मक कला कार्य के लिए सामग्री, क्ले
परिवहन (सड़क, वायु, पानी) **समारोह: शिक्षक दिवस**	• सड़क, वायु और पानी के परिवहन, परिवहन से संबंधित सुरक्षा नियम और शिक्षक दिवस से संबंधित स्वतंत्र तथा निर्देशित वार्तालाप • सामान्य निर्देशों का अनुसरण • ध्वनि विभेदीकरण, विषयवस्तु से संबंधित शब्द भंडार • बोलने के कौशल का विकास (दिखाओ और कहो) • संज्ञानात्मक कौशलों का विकास जैसे वर्गीकरण, क्रमबद्ध चिंतन, स्थान का संप्रत्य (अंदर-बाहर) क्रम में लगाना, मिलान करना, पहचानना तथा नाम देना • रोल प्ले, कहानियाँ तथा गीत-कविताएँ • विभिन्न प्रकार के परिवहन की पहचान (वायु, जल और सड़क), परिवहन का नाम बताना, पहचानकर उनकी आवाज़ों का अनुकरण करना, अवलोकन तथा स्मरण, वर्गीकरण, क्या सबसे अलग है, समय संप्रत्यय (पहले और बाद में) • शारीरिक एवं गत्यात्मक गतिविधियाँ, सृजनात्मक तथा सामाजिक-संवेगात्मक विकास की गतिविधियाँ	पिक्चर चार्ट, कार्ड (चित्र पठन, मिलान करना, वर्गीकरण, क्या गायब है?, क्रमबद्ध चिंतन) पहेलियाँ, खिलौने, चित्र चार्ट, अन्दर खेले जाने वाले खेल उपकरण, बाहर खेले जाने वाले खेल उपकरण, कला/क्राफ्ट सामग्री, क्ले सामग्री
सब्जियाँ, फल, पादप जीवन **समारोह:** • **दशहरा (त्योहार)** • **गांधी जयंती** • **दीपावली (त्योहार)**	• सब्जियों, फलों, पौधे के जीवन, त्योहार तथा गांधी जयंती पर स्वतंत्र एवं निर्देशित वार्तालाप • सामान्य फलों व सब्जियों को पहचानना व उनके नाम बताना, सब्जियों व फलों में अंतर, सब्जी व फल के लिए सही शब्द का उपयोग, उनको धोना, फल व सब्जियाँ खाने के लाभ, उनके रंग, आकार, बनावट एवं स्वाद। छीलकर खाने वाले तथा बिना छीले खाने वाले फलों और सब्जियों को पहचानना, भूमि के ऊपर तथा अंदर उगने वाली फल एवं सब्जियाँ, पेड़ों, घास, फूल और लताओं की पहचान। • सामान्य संज्ञानात्मक कौशल जैसे मिलान, समस्या समाधान तथा तर्कशक्ति • स्थान का संप्रत्यय (ऊपर-नीचे), लंबाई (लंबा-छोटा), समय (दिन, रात, सुबह, दोपहर तथा शाम) तथा वर्गीकरण • छाँटना (चावल और दाल को इक्ट्ठे मिलाकर), मोटाई का संप्रत्यय (मोटा-पतला)	चित्र के चार्ट, कार्ड (छाँटना, मिलाना, पूर्व-संख्या संप्रत्यय, भिन्न को छाँटना) अनाज को छाँटना, पज़ल, कला और क्राफ्ट सामग्री, दीपावली की सजावट के लिए, अंदर खेले जाने वाले मुक्त खेल उपकरण, बाहर खेले जाने वाले खेल उपकरण, कच्चे फल व सब्जियाँ, पौधे, अंकुरण के लिए पात्र
• **घर** • **शीत/शरद ऋतु** समारोह: क्रिसमस	• मनुष्य और जानवरों के लिए घर की ज़रूरत पर मुक्त तथा निर्देशित वार्तालाप, परिवार, घरों के प्रकार, घर के विभिन्न भाग, घर में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएँ, शरद ऋतु, क्रिसमस • चिड़ियाघर की सैर तथा किसी निर्माणाधीन भवन की सैर	चित्र के चार्ट, मिलान चार्ट, क्रिसमस आयोजन के लिए क्राफ्ट सामग्री, कार्ड (पूर्व-संख्या संप्रत्यय, क्रमबद्ध चिंतन, मिलान), बाह्य

	• कहानियाँ, कविताएँ व गीत • बोलने के कौशल व शब्द भंडार में वृद्धि • दृश्य विवरण • मूलभूत संज्ञानात्मक कौशलों का विकास • आकार, स्थान (ऊपर-नीचे) तथा समय (पहले-बाद) का संप्रत्यय • स्थिति को पहचानना (आगे-पीछे), तापमान को पहचानना (गर्म-ठंडा), संबंध, वर्गीकरण तथा पैटर्न बनाना • छाँटना, पहचानना और नाम देना—सूरज, चन्द्रमा, तारे, आकाश, पानी, आदि • शारीरिक व गत्यात्मक विकास की गतिविधियाँ • सृजनात्मक तथा सामाजिक-संवेगात्मक विकास की गतिविधियाँ	खेल उपकरण, अंदर खेले जाने वाले खेल उपकरण, पज़ल
पानी समारोह: • लोहड़ी (त्योहार) • मकर संक्रान्ति • पोंगल • ईद • गुरु-पर्व • गणतंत्र दिवस	• सजीवों के जीने के लिए पानी के महत्व, पानी के उपयोग, स्वच्छ पानी पीने की आवश्यकता, पानी के स्रोत, पानी के संरक्षण की जरूरत, इसके अपव्यय को रोकने पर मुक्त एवं निर्देशित चर्चा, लोहड़ी, मकर संक्रान्ति, पोंगल, गणतंत्र दिवस समारोह • प्रयोग, प्रदर्शन के द्वारा मूलभूत संज्ञानात्मक कौशलों का विकास: डूबना तथा तैरना, पानी में घुलनशील एवं अघुलनशील वस्तुएँ, वाष्पीकरण, पानी की विशेषताएँ—(रंग व स्वाद, स्वाद में परिवर्तन अगर उसमें नींबू, चीनी, नमक मिलाया जाए) • कहानियाँ, कविताएँ तथा गीत • शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की गतिविधियाँ • सृजनात्मक तथा सामाजिक-संवेगात्मक विकास की गतिविधियाँ	टब, बोतल के ढक्कन, पिक्चर चार्ट, रंग, ब्रुश, ग्लास, मोती, कला एवं क्राफ्ट सामग्री, क्ले, नमक, चीनी, रेत, पत्तियाँ, तिनके, मारबल, पंख, नाव बनाने के लिए, ओरेगेमी पेपर
समुदाय में सहयोग करने वाले लोग समारोह : बसंत पंचमी	• डॉक्टर, नर्स, दर्जी, मोची, डाकिया, पुलिस अधिकारी, ड्राइवर, दूध वाला, माली, नाई, बर्तन बनाने वाला, शिक्षक, धोबी, कुली आदि की ज़रूरत एवं महत्व पर मुक्त एवं निर्देशित बातचीत। • समुदाय में सहयोग करने वाले लोगों को पूर्व-विद्यालय में आमंत्रित करना तथा उनका बच्चों से बातचीत करना। • सुनने तथा बोलने के कौशलों का विकास • कहानियाँ तथा कविताएँ • सामाजिक वातावरण से संबंधित शब्द भंडार, चित्र पठन • इंद्रियों का विकास • समुदाय में सहयोगी वर्ग की गतिविधियों का अवलोकन, स्मरण तथा पुन:स्मरण करना। • समुदाय के सहायक लोगों के उपकरणों का मिलान, गायब खेल, क्रमबद्धता, वर्गीकरण (समय के संप्रत्यय पर आधारित), पैटर्न बनाना (3-4 वस्तुओं से)। • समय का संप्रत्यय (दोहराना), पूर्व-संख्या अवधारणा (चौड़ा तथा संकरा), संख्या (पूर्ण एवं अंश) का संबंध • शारीरिक व गत्यात्मक विकास गतिविधियाँ • सृजनात्मक तथा सामाजिक-संवेगात्मक विकास गतिविधियाँ	संवाद चार्ट, समुदाय में सहयोग करने वाले लोगों के चित्र, मिलान कार्ड, उपकरण, डॉक्टर सेट, अंदर खेले जाने वाले खेल उपकरण, बाह्य खेले जाने वाले खेल उपकरण, गुड़ियाँ, ब्लॉक बनाना, मोती, पज़ल

पिछली विषय वस्तुओं को दोहराना समारोह ● होली (त्योहार)	● मुक्त और निर्देशित वार्तालाप- होली के समबन्ध में ● कहानियाँ और कविताएँ- विषयवस्तु से संबंधित ● भाषायी कौशलों का विकास- (भावों की स्पष्टता व प्रवाह), श्रवण कौशल (समझ के साथ सुनना), लिखने के कौशल (गोल, तिकोन तथा चोरस ड्रा करना), पठन कौशल (चित्र पठन) ● अपने आस-पास हवा को महसूस करना, हाथों में हवा को तेजी से बाहर निकालना, हवा हल्की चीजों को वातावरण में उड़ाती है। ● मिलान करना, पहचान करना, तथा नाम देना- रंग, आकृति, बड़ा, छोटा, कम, ज्यादा, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, चौड़ा, संकरा, दूर, पास, स्थिति को पहचानना- अन्दर-बाहर, ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, ● गायब एवं स्मृति खेल, क्रमबद्धता, वर्गीकरण, समय तथा संख्या का संप्रत्यय, पैटर्न बनाना ● शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास की गतिविधियाँ ● सृजनात्मक तथा सामाजिक विकास की गतिविधियाँ	रंग, गुब्बारे, चित्र पठन कार्ड, पिचकारी, कार्ड (मिलान, आवृति, पूर्व-संख्या संप्रत्यय, संख्या, छाँटना, क्रमबद्ध करना, डोमिनों, बाह्य खेले जाने वाले खेल उपकरण, अन्दर खेले जाने वाली खेल सामग्री तथा ब्लॉक बनाना

नोट : त्योहार तथा अन्य उत्सवों के अवसर पर सम्बन्धित त्योहार के अनुरूप वार्तालाप का विषय चुना जाना चाहिए। प्री-स्कूल में सभी त्योहार मनाए जाने चाहिए।

नमूना - दैनिक योजना (4 घंटे)

अवधि		गतिविधियाँ
9:00 बजे	9:30 बजे	स्वागत
		व्यायाम स्वास्थ्य/स्वच्छता निरीक्षण प्रार्थना (कविताएँ, गीत और बच्चों के साथ वार्तालाप)
9:30 बजे	10:00 बजे	कक्षा में जाना, आराम से बैठना, अनौपचारिक उपस्थिति (आज कौन नहीं आया? क्यों? क्या कारण हो सकता है?) विषय वस्तु पर आधारित भाषायी विकास की गतिविधियाँ (मुक्त और निर्देशित वार्तालाप)
10:00 बजे	10:30 बजे	बाहर खेले जाने वाली गतिविधियाँ, झूले, फिसल पट्टी, रेत और पानी के खेल, पहिए वाले खिलौने, तिपहिया साइकिल, आदि।
10:30 बजे	11:00 बजे	हाथ धोना, अल्पाहार का समय
11:00 बजे	11:30 बजे	विश्राम का समय, कविताएँ, गीत, कहानियाँ आदि टेपरिकार्डर और म्यूजिक सिस्टम पर सुनना
11:30 बजे	12:00 बजे	विषयवस्तु पर आधारित संज्ञानात्मक विकास की गतिविधियाँ (विषयवस्तु पर संरचित और व्यवस्थित वार्तालाप)
12:00 बजे	12:30 बजे	अंदर खेले जाने वाले छोटे समूह के मुक्त खेल, ब्लॉक, गुड़ियाँ, पज़ल, सृजानात्मक उपकरण आदि
12:30 बजे	12:50 बजे	सृजनात्मक गतिविधियाँ
12:50 बजे	1:00 बजे	सामाजिक-संवेगात्मक विकास की गतिविधियाँ (कहानी, लयात्मक गतिविधियाँ, कविताएँ, अभिनयकरण और रोल प्ले)
1:00 बजे		छुट्टी/प्रस्थान

टिप्पणी

3^+ से 6^+ वर्ष के बच्चों के लिए गतिविधियों का आयोजन कैसे किया जाए।

उपविषय– पानी के सामान्य उपयोग

उद्देश्य– बच्चों को पानी के सामान्य उपयोग से अवगत कराना

अवधि– कम से कम दो दिन (छोटे बच्चों को बड़े बच्चों की अपेक्षा अधिक समय लग सकता है)

सामग्री– शिक्षक द्वारा निर्मित-कम कीमत या बिना कीमत के तैयार सामग्री

3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए गतिविधियाँ

स्वतंत्र वार्तालापः शिक्षक दिन की शुरुआत बच्चों से पानी के सामान्य उपयोग के बारे में स्वतंत्र वार्तालाप के द्वारा कर सकता है। (नोट - सभी बच्चों को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए) मुक्त/ स्वतंत्र वार्तालाप से वह व्यवस्थित बातचीत की तरफ बढ़ेगा। यह बच्चों की पानी से संबंधित अधिक जानकारी और शब्द भंडार को विकसित करेगा। अगर ईसीसीई केंद्र में कोई पालतू जानवर है तो बच्चों को उन्हें पानी पिलाने के लिए प्रोत्साहित करें और **उसे पानी पीते हुए देखें।**

गीत और कविताएँः भाषा विकास को प्रोत्साहन देने के लिए पानी के उपयोग से संबंधित गीत एवं कविताओं का गायन करें। संगीत एवं लयात्मक, सृजनात्मक एवं सौंदर्यबोध वाली विकासात्मक गतिविधियों का आयोजन करें।

बाहर खेली जाने वाली गतिविधियाँः बच्चों को दिखाएँ– पौधों को पानी देता माली, फर्श साफ़ करते हुए कर्मचारी, शौचालय में पानी का इस्तेमाल, हाथ धोने के लिए पानी का इस्तेमाल, विद्यालय के रसोईघर में पानी का उपयोग, चाय बनाने में पानी का उपयोग।

पानी के खेलः बच्चों को पानी के टब में विभिन्न आकारों के पात्र से स्वतंत्र खेल के अवसर प्रदान करें। कुछ ऐसे मग या बर्तन भी लें जिनमें छेद हो और उनसे पानी गिरे।

क्षेत्रीय भ्रमणः बच्चों को आस-पास तालाब या झील देखने के लिए ले जाएँ।

4^+ से 6^+ वर्ष की आयु के बच्चों के लिए गतिविधियाँ

पानी से संबंधित निर्देशित वार्तालापः विषयवस्तु पर आधारित वार्तालाप के दौरान दृश्य-श्रव्य साधनों का प्रयोग, पानी के सामान्य उपयोग को दर्शाती हुई चित्र वाली किताब का प्रयोग।

रोल प्लेः बच्चों को पानी के उपयोग पर विचार करने को कहें। बच्चों को पानी के विभिन्न उपयोगों का अभिनय करने को कहें। प्रत्येक बच्चा एक उपयोग का अभिनय कर सकता है तथा दूसरें बच्चे बताएँगे कि वह क्या कर रहा है।

बच्चों का ध्यान चार्ट में प्रदर्शित पानी के उपयोग पर दिलाएँ।

सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलः बच्चे चित्रों में रंग भर सकते हैं। पानी के सामान्य उपयोग को दिखाते हुए स्वतंत्र रूप से कला चित्रण भी कर सकते हैं।

बच्चे पौधों को पानी दे सकते हैं और उन्हें दिखाया जा सकता है कि अगर पौधों को पानी न दिया जाए तो वे पीले पड़ कर सूख जाएँगे। शिक्षक अपने निर्देशन में बच्चों को अपने हाथ तथा चम्मच धोने को कहें।

बच्चे पानी के किसी गड्ढे अथवा पोखर में कागज़ की नाव बनाकर तैरा सकते हैं। इस क्रिया को बच्चे अंदर कक्षा या गतिविधि क्षेत्र में भी कर सकते हैं।

बच्चों को घर में माता-पिता एवं अन्य सदस्यों द्वारा पानी के उपयोग को देखने को कहें और अगले दिन इस विषय पर चर्चा करें।

शिक्षक सामान्य प्रयोग जैसे डूबना एवं तैरना, पानी में घुलनशील एवं अघुलनशील सामग्री, सूरज की उपस्थिति में गीले कपड़ों का सूखना, बर्फ का पिघलना आदि करा सकते हैं।

गतिविधि 12.1

प्री-स्कूल के लिए किसी भी थीम पर आधारित चार घण्टे की साप्ताहिक योजना का नमूना बनाएँ।

पाठगत प्रश्न 12.3

निम्नलिखित वाक्य सत्य हैं अथवा असत्य, लिखिए–

(क) योजना मुख्यत: पाँच समय मापक्रम में आयोजित की जाती है।

(ख) दीर्घावधि योजना का अर्थ पूरे वर्ष के लिए योजना बनाना है।

(ग) लघु अवधि योजना बच्चों की रुचि व जरूरत को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जा सकती।

(घ) विशेषकर थीम शिक्षण के लिए चित्रों, चार्ट एवं पोस्टर से युक्त कक्षा बच्चों को चुनौती, मनोरंजन तथा उत्साह प्रदान करती है।

(ङ) गतिविधि समय में यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा अपनी पसंद के अनुसार क्रियाकलापों का चयन कर सके।

(च) कक्षा को फिर से सुव्यवस्थित करने के लिए बच्चों और शिक्षकों को विशेषकर क्रियाकलाप के बाद 40-50 मिनट का समय साफ-सफाई के लिए रखना आवश्यक है।

गतिविधि 12.2

अपने पड़ोस के प्री-स्कूल में जाएं और वहाँ के दैनिक योजना कार्यक्रम का अध्ययन कर उस पर 100 शब्दों में प्रतिवेदन तैयार करें।

12.6 समावेशी प्रीस्कूल में विविधता एवं योजना की सराहना करना

सभी बच्चों की जरूरतें, रुचियाँ और योग्यताएँ अलग-अलग होती हैं। जहाँ वे भिन्न-भिन्न तरीके एवं गति से विकसित होते हैं वही उनकी विकास की प्रक्रिया एक-सी होती है। प्रत्येक बच्चा विकास के प्रत्येक चरण से होकर गुजरता है। ईसीसीई केंद्रों तथा कार्यक्रमों में मिश्रित संस्कृतियों के बच्चे आते हैं जैसे–विविध प्रकार की भाषा की पृष्ठभूमि वाले बच्चे, विभिन्न धर्मों के बच्चे, विविध सामाजिक-आर्थिक स्थितियों वाले, शहरों से, गाँवों से, विविध सामाजिक-सांस्कृतिक अनुभव तथा खाने-संबंधी आदतें, आदि वाले बच्चे। लैंगिक विभिन्नता भी इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे कि ज्यादातर समाजों में लड़के एवं लड़कियों की परवरिश भिन्न-भिन्न तरीकों से की जाती है। लड़कों को ज्यादा सुविधा दी जाती है तथा लड़कियों की प्रायः उपेक्षा की जाती है। सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी स्तर पर किसी के भी साथ भेदभाव न हो।

भारतीय समाज में जाति, आर्थिक स्थिति एवं लिंग संबंध, सांस्कृतिक विभिन्नता तथा असमान आर्थिक विकास आदि बच्चों की विद्यालयी शिक्षा तक पहुँच और सहभागिता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सामाजिक-आर्थिक समूहों की विषमता, विद्यालय नामांकन में साफ दिखाई देती है। प्रत्येक बच्चा विद्यालय में विभिन्न आशा तथा अनुभवों के साथ प्रवेश करता है। अतः बच्चों को यह अहसास दिलाने कि ज़रूरत है कि उनकी भाषा, समुदाय तथा संस्कृति, हमारे लिए मूल्यवान है तथा उनकी विविध योग्यताएँ हमारे लिए स्वीकार्य हैं। उन्हें यह अहसास दिलाना भी जरूरी है कि उन सभी में योग्यता है और सीखने तथा ज्ञान एवं कौशल तक पहुँचने का अधिकार भी है।

एक ईसीसीई कार्यक्रम और समुदाय में विविधता से तात्पर्य बच्चों, स्टाफ़ तथा परिवारों में समानता तथा विभिन्नता से है। यह जाति, संस्कृति, योग्यता, लिंग तथा आयु को शामिल करता है। प्रारंभिक अधिगम तथा बच्चों की देखभाल के अनुभव के लिए आवश्यक है कि हम विविधता को पहचाने तथा उसका आदर करें। यह बच्चों के सामाजिक-संवेगात्मक हित तथा देखभाल, सहयोगात्मक रवैये तथा दूसरों के साथ बातचीत को बढ़ावा देती है। प्रत्येक बच्चे को अपनेपन की भावना तथा अपनी पहचान के प्रति सकरात्मक महसूस होनी चाहिए। अगर घर और विद्यालय का वातावरण अलग-अलग हो तो आपसी सहयोग द्वारा इस विविधता को सुलझाना बहुत महत्वपूर्ण है। यह निम्नलिखित प्रयासों से संभव है–

- परिवार तथा शिक्षकों के बीच मुक्त संवाद द्वारा
- एक-दूसरे की संस्कृति और अपेक्षाओं को सीखने के द्वारा
- प्रत्येक की अभिन्न संस्कृति और पहचान का आदर करने से

बच्चों को विविधता का आदर करने के लिए एक सकारात्मक परिवेश में समानताओं एवं विभिन्नताओं को खोजने के अवसर प्रदान करने चाहिए। अगर बच्चों तथा उनके परिवारों को

स्वीकृति तथा सहयोग मिलता है; तो उनका स्वाभिमान, आत्म-विश्वास तथा संवेगात्मक विकास मज़बूत होता है। अत: पाठ्यचर्या का नियोजन करते समय ध्यान रखना जरूरी है कि थीम :

- सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक तथा संवेदनशील हो।
- देखभाल का दृष्टिकोण तथा समानुभूति को पोषित करे।
- विविधता का आदर करे।
- लैंगिक मुद्दों का स्पष्टीकरण तथा समान अधिकारों को बढ़ावा दे।
- मूलभूत/बुनियादी जीवन के कौशल को सीखने के लिए सुनिश्चित करे।

सामान्यत: ईसीसीई पाठ्यचर्या विविधताओं को सभी समूहों के लिए संवेदनशीलता एवं समावेशन सुनिश्चिता के परिदृश्य के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं करती है। यह तभी संभव है जब शिक्षक अपनी तैयारी में इन मुद्दों को समझें तथा विविधताओं के अनुसार फेरबदल कर एक समावेशी पाठ्यचर्या को अपनाए।

समावेशी पद्धति का उद्देश्य सभी को स्वीकारते हुए सबकी सहभागिता तथा अधिगम के लिए बाधाओं को दूर करना है। समावेशन के दौरान पहचान हुई है कि दिव्यांगता से संबंधित ज्यादातर चुनौतियाँ सामाजिक-सांस्कृतिक अभिरूचियों एवं मान्यताओं में अन्तनिर्हित है। समावेशी का अर्थ एक से व्यवहार द्वारा सबको मुख्यधारा से जोड़ना नहीं बल्कि विविधताओं को पहचानकर उनके अनुसार कार्य करना है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को अलग-अलग कर उन्हें दैनिक क्रियाकलापों से अलग नहीं किया जाना चाहिए। समावेशी प्रक्रिया शिक्षक को नियमित संदर्भ में व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता करने को कहती है।

समावेशी ईसीसीई केंद्र के लिए शिक्षक की रणनीतियाँ

- सामाजिक अन्तर्क्रियाओं को प्रोत्साहित करना
- बच्चे के परिवार से सुझाव और मदद
- बच्चे को दिए निर्देशों को सरल बनाना
- समूह गतिविधियों में सहभागिता के लिए सुधार करना
- बच्चों को कौशल सिखाने के लिए अतिरिक्त मदद प्रदान करना
- उपयुक्त रूप से प्रतिक्रिया देना
- सभी दैनिक कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में सहभागिता के लिए सहायता प्रदान करना
- खेल सामग्री तथा उपकरणों के प्रयोग द्वारा उनकी मदद करना
- परिवेश को पुन: व्यवस्थित करना
- विशेषज्ञों से बच्चे के बारे में जानकारी साझा करते समय माता-पिता की अनुमति लेना

- खेल सामग्री और खिलौनों को अनुकूलित करना/बनाना
- प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप उपकरण तथा उपस्थित फर्नीचर को रूपांतरित करना
- बच्चों के विभिन्न वातावरण/परिस्थितियों, संस्कृति, पारिवारिक स्तर एवं योग्यताओं के बारे में चर्चा के लिए समय और स्थान की रचना करना
- विभिन्न संस्कृतियों का परिचय कहानी व खेलों के माध्यम से देना।

पाठगत प्रश्न 12.4

कॉलम 'अ' का कॉलम ब से सही मिलान कीजिए–

कॉलम (अ)	कॉलम (ब)
(i) समावेशी शिक्षा	(क) मूलभूत जीवन कौशलों का सीखना सुनिश्चित करना
(ii) पदानुक्रम	(ख) आत्म-प्रत्यय, आत्मविश्वास तथा संवेगात्मक विकास
(iii) पाठ्यचर्या	(ग) जाति, संस्कृति, लिंग आदि
(iv) सकारात्मक वातावरण	(घ) समावेशी ईसीसीई केंद्र
(v) विविधता	(ङ) जाति, आर्थिक स्तर

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा–

- एक अच्छी ईसीसीई पाठ्यचर्या आयु उपयुक्त, सर्वांगीण विकास, खेल पर आधारित, एकीकृत, प्रायोगिक, लचीली और प्रासंगिक होती है।
- ईसीसीई कार्यक्रम में समग्र विकास के लिए गतिविधियाँ और अनुभव शामिल होने चाहिए।
- योजना के सिद्धांत: यह लचीले, संतुलित तथा एकीकृत होने चाहिए।
- प्रीस्कूल के कार्यक्रम नियोजन में शामिल हैं:
  - ➢ दीर्घावधि योजना – वार्षिक योजना
  - ➢ मध्यावधि योजना – मासिक योजना और सत्र अवधि योजना
  - ➢ लघु अवधि योजना – साप्ताहिक योजना और दैनिक योजना/दिनचर्या

- दैनिक योजना में प्रीस्कूल के पूरे दिन के कार्यक्रम को शामिल किया जाता है।
- साप्ताहिक योजना (विषयवस्तु पर आधारित) न केवल सीखने को आसान और रोचक बनाती है अपितु बच्चे को आधारभूत प्रत्ययों को अच्छे से समझने में मदद भी करती है।
- प्रारंभिक अधिगम और बच्चों की देखभाल के अनुभवों के लिए विविधता को पहचानना और उनका आदर करना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।
- बच्चों, परिवारों तथा स्टाफ के लिए विविधता तथा सभी को समाविष्ट करना बहुत ही लाभदायक है क्योंकि यह अपनेपन की भावना एवं समझ को मजबूत तथा विभिन्नताओं को स्वीकार करने में मदद करता है।

पाठान्त प्रश्न

1. दो गतिविधियाँ सुझाइए जिन्हें आप चार वर्ष के बच्चों के साथ उनके संज्ञानात्मक और सामाजिक-संवेगात्मक विकास के लिए प्रयोग करेंगे।
2. बच्चों में भाषा विकास के लिए कोई दो गतिविधियाँ को तैयार कीजिए।
3. एक प्रभावी ईसीसीई कार्यक्रम के मार्गदर्शक सिद्धान्त क्या हैं?
4. दैनिक कार्यक्रम के प्रमुख अवयवों की चर्चा करें।
5. अपनी पसंद की थीम के आधार पर 3 वर्ष के बच्चों को सिखाने के लिए दैनिक योजना कार्यक्रम तैयार करें।
6. अपनी पसंद की थीम के आधार पर 3 से 4 वर्ष तथा 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए (अलग-अलग) गतिविधियाँ लिखिए।
7. निम्नलिखित शब्दों से आप क्या समझते हैं:
   (i) समावेशी
   (ii) विविधता
   (iii) संदर्भिक/प्रासंगिक

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

12.1

(क) संदर्भिक/प्रासंगिक

(ख) बहुसांस्कृतिक

(ग) आयु, विकासात्मक

टिप्पणी

(घ) विकासोचित, अनुभवों

(ङ) पृष्ठभूमि

12.2

(क) समग्र

(ख) खोजबीन

(ग) आपस में जुड़े

(घ) विकास स्तर

(ङ) सुरक्षा

12.3

(क) असत्य

(ख) सत्य

(ग) असत्य

(घ) सत्य

(ङ) सत्य

(च) असत्य

12.4

(i) घ

(ii) ङ

(iii) क

(iv) ख

(v) ग

शब्दावली

- प्रासंगिकता–बच्चों के परिवेश/सन्दर्भ/क्षेत्र के अनुरूप।
- विकास के उपयुक्त ईसीसीई पाठ्यचर्या–बच्चों के विकास और अधिगम के अनुरूप कार्यक्रम बनाना।

- विविधता संबंधी आवश्यकताएँ–बच्चों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएँ
- समावेश–सभी बच्चों को समान मानना; जहाँ पर बच्चों को उनकी क्षमताओं और कमजोरियों को न देखकर एक ही कक्षा में समान रूप से शिक्षा दी जाए।
- प्रभावशाली बनाना–विभिन्न प्रकार की सामग्री से गतिविधियों को बार-बार दोहराया जाए। संप्रत्यय को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त सामग्री का प्रयोग किया जाए।
- प्रेरक वातावरण–रुचिकर, प्रेरक और उत्साहवर्द्धक वातावरण।

संदर्भ

- Ministry of Women and Child Development. (2013). *National Curriculum Framework for ECCE, 2013*. New Delhi: Government of India.
- Kaul, V. (2010). *Early Childhood Education Programme*. New Delhi: NCERT.
- Muralidharan, R. *Systems of Preschool Education in India*. Delhi: Maxwell Press.
- Muralidharan, R., & Banerjee, U. (1969). *A Guide for Nursery School Teachers*. New Delhi: NCERT.
- National Council of Educational Research and Training. (2006). *Position Paper of the National Focus Group on Early Childhood Education*. New Delhi: NCERT.
- Soni, R. & Sangai, S. (2014). *Every Child Matters*. New Delhi: NCERT.
- Soni, R. (2012). *Little Steps: A Manual for Pre-School Teachers*. New Delhi: NCERT.
- Soni, R. (2009). *Trainer's Handbook in Early Childhood Care and Education.* New Delhi: NCERT.
- Swaminathan, M. and Daniel, P. (2004*). Play Activities for Child Development: A Guide to Preschool Teachers.* New Delhi: National Book Trust.

WEB RESOURCES

- The Centre of Excellence for Early Childhood Development available at www.excellence-earlychildhood.

टिप्पणी

13

बच्चे किस प्रकार सीखते हैं?
(प्रारंभिक अधिगम एवं शिक्षण)

पाठ्यचर्या उन समस्त सम्भव अनुभवों का योग है जिन्हें बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था केन्द्रों पर प्रदान किया जा सके। पिछले पाठ में हमने प्रत्येक बच्चे में अपनेपन की भावना के विकास हेतु बच्चों की सामाजिक परिस्थितियों को संज्ञान में लेने के महत्व पर चर्चा की थी। इस पाठ से आप बच्चों के स्वाभाविक रूप से सीखने के पैटर्नों और विविधाताओं के बारे में सीखेंगे। बच्चों की सहभागिता तथा अधिगम को प्रेरित करने के लिये बच्चों के साथ की जाने वाली अन्तर्क्रिया को आकर्षक होना चाहिए। यह सबसे प्रमुख बात है कि पाठ्यचर्या या विषयवस्तु को प्रारंभिक अधिगम परिस्थितियों में बच्चों के साथ किस प्रकार उपयोग में लाया जाये? विभिन्न आयामों में होने वाली वृद्धि की पारस्परिक निर्भरता को ध्यान में रखते हुए दिनभर में सभी आयामों के विकास को बढ़ावा देने वाले अनुभवों को शामिल करना चाहिए।

पूर्व प्राथमिक विद्यालयी पाठ्यचर्या में बच्चों के समग्र तथा एकीकृत विकास के लिये निर्मित तथा नियोजित पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी अनुभवों की पूर्ण श्रृंखला और सीखने के अवसर शामिल हैं।

स्वतन्त्र संरचित शैली के रूप में ईसीसीई की पाठ्यचर्या में पूरे दिन की गतिविधियाँ; सभी आयामों जैसे कि संज्ञानात्मक, संवेगात्मक या सामाजिक मूल्यों आदि पर आवश्यक बल के साथ देखभाल करने की रणनीतियाँ; और विकासात्मक अनुभवों के रूप में अनियोजित घटनाओं को स्वीकार करने और उपयोग की समझ समाहित है।

यह पाठ 'बच्चे किस प्रकार सीखते हैं' के सम्बन्ध में समझ विकसित करने के बारे में है।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप

- बच्चों की किस प्रकार से सीखने की अपनी अनोखी विधियाँ होती हैं, इसकी व्याख्या करते हैं;

- विभिन्न आयामों के लिये रणनीतियों और गतिविधियों के बारे में चर्चा करते हैं;
- अभिव्यक्तिकरण ओर सम्प्रेषण के माध्यम से कलाओं के महत्व का वर्णन करते हैं; और
- विकासात्मक बदलावों की पहचान कर सकते हैं और समुचित हस्तक्षेपों के बारे में सुझाव देते हैं।

13.1 बच्चों के विकास एवं अधिगम के सूचक

शिशु जन्म से सीखने के लिये तैयार होते हैं और उपयोग के द्वारा उनका मस्तिष्क विकसित होता है। वास्तव में मस्तिष्क के बारे में यह प्राय: कहा जाता है कि या तो इसका उपयोग करें या इसे नष्ट करें। आप मस्तिष्क को क्या और कैसे देते हैं, वह यह निर्धारित करता है कि बदले में आप क्या प्राप्त करते हैं। मानव शिशु की निर्भरता सबसे लम्बी अवधि की होती है जिस कारण यह अनिवार्य हो जाता है कि वातावरण संवेदी निवेशों की विस्तृत श्रृंखला से सम्पन्न हों। बच्चों की सर्वोत्तम क्षमता तक पहुँच हेतु हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उनकी संवेदी योग्यताओं को उभारने के लिए पर्याप्त संवेदनशील अन्तर्क्रिया प्रदान कर रहे हैं। विकास के महत्वपूर्ण पड़ाव एक नवीन योग्यता या कौशल के उदय का वर्णन करते हैं। गर्दन पर नियन्त्रण, जमीन से सटकर चलना, रेंगना, खड़े होना, आवाजें करना, चेहरों के प्रति प्रतिक्रिया करना, ये सभी विभिन्न आयामों में विकास के सूचक हैं। जैसे-जैसे वे बढ़ते हैं, वे विभिन्न सम्बन्ध बनाते हैं। कोई भी दो बच्चे न तो एक जैसे तरीके से सीखते हैं और न ही एक जैसी गति से सीखते हैं। कुछ बच्चे जल्दी चलते हैं जबकि कुछ बच्चे जल्दी बात करते हैं। परिवर्तनों को देखकर जो कि प्रगति भी कहलाते हैं, हम कह सकते हैं कि अधिगम हो रहा है।

13.2 बच्चे किस प्रकार सीखते हैं

बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। कुछ देखकर सीखते हैं, कुछ बताये जाने पर सीखते हैं, कुछ सुनकर सीखते हैं और कुछ करके सीखते हैं। बच्चों को दूसरों के साथ खेलने के अवसर देना, अन्य लोगों के साथ आगे बढ़ने के लिये आवश्यक कौशलों के विकास का एक शानदार तरीका है। जैसे कि पूर्व पाठों में बताया गया है कि जन्म से लेकर छ: वर्ष की आयु का समय सीखने और अपने चारों ओर की दुनिया के अर्थ-निर्माण की स्वाभाविक इच्छा से भरा हुआ होता है। इस समय जबरदस्त सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक तथा संज्ञानात्मक विकास की सम्भावना होती है और इससे पहले कि आप इसे जानें यह समय जा सकता है। बच्चों की उनके अपने परिवेश में रुचि तथा अधिगम में आनन्द को तीव्रता से बढ़ाने तथा बनाये रखने के लिये उच्च गुणवत्ता के उद्दीपित अनुभव और विविध प्रकार के अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक और अनिवार्य है।

बच्चों के लिये प्रारंभिक अधिगम सर्वोत्तम ढंग से खेल, कहानी, वार्तालाप, गीत, लय, गति और अन्वेषण के अवसरों द्वारा होता है।

बच्चे वातावरण के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर सबसे अच्छा सीखते हैं। प्रारंभिक वर्षों में इसमें शामिल हो सकता है :

टिप्पणी

विकास–योग्यता	अधिगम
वस्तुओं का अवलोकन, चेहरे देखना	रंग, आकार और ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया
आवाज और लय को सुनना	आवाज करना और गाना गाना
अन्वेषण	अनुभव द्वारा सीखना
परिवेश की वस्तुओं के साथ प्रयोग करना	जिज्ञासा तथा रूचि
प्रश्न पूछना जैसे कि क्यों?	समस्या समाधान
विभिन्न संरचनाओं या वस्तुओं के साथ प्रयोग करना	वर्गीकृत करना एवं
सुनना, नकल करना, दोहराना, अभ्यास	निर्माण कौशल
लय के अनुरूप गति, छोटी कहानियाँ दोहराना	स्मृति, प्रत्यास्मरण तथा तारतम्य

13.2.1 प्रगति के सूचक

प्रगति से हमारा तात्पर्य है कि बच्चों ने कौशल और दक्षतायें प्राप्त कर ली हैं। एक ईसीसीई केन्द्र में हम कैसे पता करेंगे कि बच्चे सीखने की स्थितियों में लाभान्वित हुए हैं? नियमित अवलोकन या व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बच्चे का प्रतिदिन का रिकार्ड रखना इसके कुछ सामान्य तरीके हैं।

विकास के सभी आयामों का अवलोकन किया जाना जरूरी है। इसके लिये एक डायरी बनायी जा सकती है तथा रिकार्ड रखा जा सकता है जिससे माता-पिता को अपने बच्चे के अनूठे लक्षणों के बारे में सूचित किया जा सके। साथ ही साथ वे बच्चों के वर्तमान लक्षणों की आयु मानदण्डों (एक निश्चित आयु पर जो व्यवहार बच्चों द्वारा स्वाभाविक रूप से किये जाने की आशा की जाती है) के साथ तुलना कर सकें।

बच्चों की प्रगति के बारे में समझ का निर्माण तब होता है जब वे महत्वपूर्ण पड़ाव पार करते हैं जैसे कि सहायता के साथ खड़े होना और फिर चलना शुरू करना, सीढ़ी चढ़ना, कूदना, गेंद पकड़ना, वस्तुआं को खींचने और धक्का देने में सक्षम होना। बच्चे संज्ञानात्मक प्रगति तब होती है जब वे बैठने में सक्षम हो जाते हैं और कहानी सुनते हैं या पहेली को पूरा करने में लगे रहते हैं। सामाजिक प्रगति तब मानी जाती है जब बच्चे एक-साथ या व्यक्तिगत रूप से ब्लॉक्स के साथ खेल सकें या रंगने के दौरान अपने रंगों को साझा कर सकें या झूला झूलने में अपनी बारी का इंतजार करें। एक-दूसरे की देखभाल करना, कोई वस्तु साझा करना, अपनी बारी का इंतजार करना और एक-दूसरे के साथ मिलकर रहने का अधिगम मूलभूत वर्षों में महत्वपूर्ण है।

बच्चे सम्प्रेषण कौशल भी सीखते हैं, अपनी अर्थपूर्ण शब्दावली को समृद्ध करते हैं तथा कला, संगीत और नृत्य में भाग लेते हैं। वे प्रारंभिक संख्या-पठन और साक्षरता भी प्राप्त करते हैं जैसे कि समान ध्वनियों में रुचि प्रदर्शित करना, समान ध्वनियों में से आवाजों की पहचान करना और संख्याओं को दोहराना।

बच्चे का स्वतन्त्रतापूर्वक गति करना, प्रश्न पूछना, एक साथ खेलना, खोज करना, देखना, बैठना, कठपुतली का कार्यक्रम सुनना या देखना, झगड़े का समाधान करना, प्राय: गतिशील प्रारंभिक अधिगम विस्तार के सूचक होते हैं। प्राय: बच्चे कार्यों को पूरा करने में सीमितता या अयोग्यता का अनुभव कर सकते हैं ऐसे में उनकी सहायता की जा सकती है या उन्हें उनकी सीमाओं को समझाया जा सकता है।

अलग-अलग योग्यता वाले बच्चों को स्पष्ट संरचना और वास्तु जैसे कि रैम्प, श्रवण-यन्त्र और ध्वनियुक्त सहयोग द्वारा सहायता की जरूरत होती है। योग्यता पर ध्यान देने के अतिरिक्त बाधामुक्त और सहायक हस्तक्षेप, तदानुभूति तथा सह-अस्तित्व के प्रति जागरूकता और समानुभूति का निर्माण करते हैं।

विकास के अवसर ऐसे हों कि गतिविधियों में विविधता प्रदान करें क्योंकि विकास संगठित रूप में होता है और वृद्धि समग्र रूप में, साथ ही साथ ये आयामों की पारस्परिक निर्भरता पर निर्भर भी होते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो कि स्वस्थ नहीं है हो सकता है कि सामाजिक रूप से सक्रिय न हो जबकि सामाजिक रूप से अलग-थलग बच्चा समूह में सहभागिता खो सकता है।

13.3 विकास के आयाम अथवा सीखने के क्षेत्र

प्रारंभिक वर्षों में, सीखने तथा विकास के सिद्धान्त और प्रक्रियाएँ, विचारकों की अंतर्दृष्टि, अवलोकन और अनुसन्धानों के तथ्यों पर आधारित हैं। (राष्ट्रीय ईसीसीई पाठ्यक्रम रूपरेखा, 2013)।

मॉड्यूल संख्या–II में आपने पढ़ा है कि सभी आयामों में विकास तथा अधिगम होता है। एक आयाम में विकास अन्य आयामों के विकास को प्रभावित करता है। एक अकेला अनुभव कई आयामों को प्रभावित कर सकता है। किसी एक आयाम में विकसित प्रवृत्ति छोटे बच्चे के सीखने के अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करती है।

बच्चे सोचते हैं, महसूस करते हैं और अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें छूने के, महसूस करने के, निरीक्षण करने के, सुनने के और अभिव्यक्ति के अनुभव दिये जाने चाहिए। विकास के प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण हैं और मस्तिष्क का लचीलापन बच्चे की आयु तथा विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप एकीकृत एवं सम्पूर्ण विकास पर बल के साथ संवेदी निवेशों के द्वारा संवृद्धि को प्राप्त होता है।

आइए, एक संतुलित ईसीसीई पाठ्यचर्या की योजना बनाने से सम्बन्धित विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं।

13.3.1 शारीरिक-गत्यात्मक विकास

इसमें स्थूल गत्यात्मक कौशल, दक्षता के साथ सूक्ष्म मांसपेशियों का समन्वयीकरण, आँख और हाथ का समन्वयीकरण, संतुलन की समझ, शारीरिक समन्वयीकरण तथा स्थान और दिशा के बारे में जागरूकता, पोषण, स्वास्थ्य स्तर तथा अनुभव शामिल हैं।

टिप्पणी

13.3.2 भाषायी विकास तथा सम्प्रेषण

जन्म के समय से बच्चे आवाज करते हैं, सुनते हैं और मौखिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चे भाषायी रूप से समृद्ध वातावरण में बोलना और समझना सीखते हैं। इस आयाम में सुनना, बोध, मौखिक कौशल, बोलना तथा संवाद, शब्द भंडार का विकास, प्रारंभिक साक्षरता कौशल या उभरती हुई साक्षरता कौशल जैसे ध्वन्यात्मक जागरूकता, मुद्रित जागरूकता तथा अवधारणाएँ, अक्षर-ध्वनि समानता, अक्षरों की पहचान, शब्द तथा वाक्य बनाना तथा प्रारंभिक लेखन तथा विद्यालय दिनचर्या के दौरान सम्पादन में प्रयुक्त भाषा का परिचय देना आदि शामिल है।

13.3.3 संज्ञानात्मक विकास

जिज्ञासा, सम्प्रत्ययों के ज्ञान के लिये प्रश्न पूछना, शब्दों का निर्माण करना, पूर्व संख्या तथा संख्या अवधारणाओं में संज्ञान के तत्व समाहित हैं। तुलना, वर्गीकरण, क्रमबद्धता, स्थान तथा परिमाण का संरक्षण, गिनती, एक-से-एक मिलान करना, स्थानिक समझ, नमूने तथा मापन का अनुमान से सम्बन्धित ज्ञान या कौशलों का विकास कार्य में संलग्नता तथा खेल के द्वारा होता है। अन्य कौशल भी संज्ञानात्मक वृद्धि से सम्बन्धित हैं जैसे कि आँकड़ों का प्रबन्धन, क्रमिक रूप से सोचने के कौशल, आलोचनात्मक सोच, अवलोकन, तर्कशक्ति एवं समस्या समाधान और भौतिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक वातावरण से सम्बन्धित सम्प्रत्यय का ज्ञान। दृश्य, श्रवण तथा गतिसंवेदी अनुभवों पर आधारित पाँच ज्ञानेन्द्रियों के विकास पर आधारित संवेदी तथा प्रत्यक्षणात्मक विकास मानसिक कार्यों के लिये महत्वपूर्ण है।

13.3.4 सृजनात्मक तथा सौंदर्यबोध का विकास

यह विभिन्न कलात्मक क्रियाकलापों में सहभागिता, नृत्य, नाटक और संगीत की अभिव्यक्ति और सराहना से सम्बन्धित है।

13.3.5 व्यक्तिगत, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास

इसमें आत्म-प्रत्यय, आत्म-नियंत्रण, जीवन कौशलों/स्वयं की मदद करने के कौशल, आदतों का निर्माण, पहल करना तथा जिज्ञासा, अनुबन्ध तथा दृढ़ता, सहयोग, सहानुभूति, सामाजिक सम्बन्ध समूह से अन्तर्क्रिया, सामाजिक व्यवहार, भावों की अभिव्यक्ति तथा दूसरों की भावनाओं को स्वीकार करने के विकास की बात करते हैं।

13.4 अधिगम के आयामों की परस्परिक निर्भरता

ईसीसीई पाठ्यचर्या के प्रभावी सम्पादन द्वारा प्रारंभिक वर्षों में अधिगम में वृद्धि होती है जो कि बच्चों के सम्पूर्ण विकास को प्रोत्साहित करता है। आयामों में विकास पृथक् रूप में नहीं होता अपितु संगठित ढंग से होता है। यह समझना जरूरी है कि किसी एक आयाम में कोई कमी अन्य आयामों को प्रभावित करती है। यदि बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो उनकी गतिशीलता में कम होती है या फिर वे निरुत्साही होते हैं जिस कारण वे किसी कार्य पर कम ध्यान दे पाते हैं या कार्य में ठीक से शामिल नहीं हो पाते और वे उपेक्षित हो सकते हैं इसलिए चिड़चिड़े बन जाते हैं। इन बच्चों को हस्तक्षेप और अतिरिक्त ध्यान की आवश्यकता होती है।

टिप्पणी

दूसरी ओर आयामों की पारस्परिक निर्भरता गतिविधियों के सम्पादन में देखी जानी चाहिए। कहानी कथन मुख्य रूप से एक भाषायी गतिविधि है हालाँकि यह कल्पनाशीलता और एक साथ सुनने के सामाजिक कौशलों को बढ़ाती है तथा विषयवस्तु से संवेगों की तुष्टि भी हो सकती है। बाह्य खेलों में बच्चे मुख्य रूप से शारीरिक और गत्यात्मक कौशलों के अभ्यास पर केन्द्रित हो सकते हैं लेकिन झूला झूलने में, अपनी बारी लेने में, खेल उपकरणों को साझा करने में तथा ऐसे अन्य क्षणों में ये सामाजिक कौशल भी सीखते हैं।

बच्चों के सम्पूर्ण विकास और उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक अधिगम पाठ्यचर्या को व्यापक होना चाहिए।

13.4.1 सभी आयामों में अधिगम को सुनिश्चित करने वाले लक्षण

- बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं की पहचान हेतु निरीक्षण करना।
- बच्चों के साथ दायित्वपूर्ण सम्बन्ध विकसित करें क्योंकि कक्षा में होने वाला कार्य–सम्पादन अध्यापक और बच्चों के बीच पारस्परिक अधिगम की एक यात्रा है।
- चुनौतीपूर्ण गतिविधियों के साथ समग्र विकास को सुनिश्चित करें।
- बच्चे के सामाजिक परिवेश का सम्मान करें क्योंकि संवेगात्मक सुरक्षा कक्षाकक्ष में ध्यान पर प्रभाव डालती है।
- गतिविधियों के नियोजन तथा संचालन पर ध्यान दें। साथ ही साथ बच्चों की प्रतिक्रियाओं के अनुसार अन्तर्क्रिया की प्रक्रियाओं में संशोधन करें।
- बच्चों के साथ तथा बच्चों के बीच एक उर्वर तथा सकारात्मक सम्बन्ध बनाएं।
- ईसीसीई कक्षाकक्ष में दिव्यांग बच्चों का सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करें।
- हस्तक्षेप तथा विनियमन के क्षेत्रों की पहचान करें।
- माता–पिता के साथ साझेदारी में कार्य करें क्योंकि वे मूल्यवान संसाधन (बच्चों के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु) हैं।

पाठगत प्रश्न 13.1

I. नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य लिखिए–

(क) किसी एक आयाम में परिवर्तन या विकास अन्य आयाम के विकास को सुगम बनाता है या रूकावट पैदा करता है।

(ख) संज्ञानात्मक विकास के अन्तर्गत विभिन्न संप्रत्ययों का विकास आता है।

(ग) बाल विकास के सभी आयाम आपस में संबंधित नहीं हैं।

(घ) मुद्रित जागरूकता, संवेगात्मक विकास का भाग है।

टिप्पणी

II. संक्षेप में उत्तर दें–

(क) बच्चों की प्रगति को ज्ञात करने के तरीकों की सूची बनाइए।

13.5 अधिगम को प्रोत्साहन

प्रारंभिक वर्षों में विभिन्न आयामों में अधिगम, अन्तर्क्रिया हेतु उपयोग में लायी जाने वाली रणनीतियों की प्रकृति से प्रभावित होता है। रणनीतियों को अनिवार्य रूप से बाल-केन्द्रित उपागम पर आधारित होना चाहिए। अतः खेल और गतिविधि आधारित उपागम बच्चों की जरूरतों, रुचियों, योग्यताओं तथा सामाजिक सन्दर्भों को पूरा करता है। शिक्षण-अधिगम उपागम समावेशी होना चाहिए जिससे सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव की भावना के अपनी सहभागिता भावनात्मक रूप से सुरक्षित अनुभव करें।

गतिविधि एक निश्चित सीखने के क्षेत्र/क्षेत्रों को लक्ष्य में रखते हुए एक पृथक अधिगम अनुभव न होते हुए, बच्चों के लिये शिक्षक द्वारा पहचाने गये अनुभवों की एक सुनियोजित श्रृंखला का एक भाग है।

एक गतिविधि करते समय बच्चे सक्रियता के साथ शारीरिक और संज्ञानात्मक रूप से व्यस्त रहते हैं। बच्चों के लिये एक गतिविधि का पर्याप्त चुनौतीपूर्ण होना जरूरी है जो उन्हें विभिन्न तरीकों से और अनेक परिस्थितियों में पहले से अर्जित कौशल और ज्ञान का अभ्यास और प्रयोग करने दे। बच्चों की भलाई के लिये आनन्ददायक गतिविधियाँ प्रदान करने का प्रयास मुख्य है। एकरूपता तथा निर्णयात्मक होना सीखने में बाधक है। खेल जिज्ञासा और खोज उद्दीपित करता है और शारीरिक नियन्त्रण पर स्वामित्व को बढ़ाता है, सृजनात्मकता और सामाजिक कौशलों को प्रोत्साहित करता है तथा संवेगात्मक सन्तुलन एवं भाषायी कौशल को विकसित करता है।

13.5.1 खेल तथा गतिविधि आधारित हस्तान्तरण रणनीतियाँ

खेल तथा गतिविधि आधारित रणनीतियाँ बच्चों को वास्तविक रूप में सीखने के अवसर प्रदान करती हैं। खेल की स्थितियाँ सीखने की प्रक्रिया में बच्चे को एक सक्रिय सहभागी बनने में सहायता करती हैं न कि निष्क्रिय प्राप्तकर्ता। इस प्रकार की पद्धति एक संतुलित, प्रक्रिया उन्मुख कार्यक्रम प्रदान करती है जो कि विकास के उद्देश्यों को पूरा करता है। यह बच्चों में सीखने की प्रक्रिया जैसे अवलोकन, प्रयोग, समस्या समाधान तथा सृजनात्मकता के विकास को पोषित करता है, इसके साथ-साथ उनके शारीरिक, भाषायी तथा सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देता है।

13.5.2 सभी आयामों में सीखने के अवसर

सभी आयामों में सीखने के अवसर ऐसे माध्यमों द्वारा मिलते हैं जो कि अभिव्यक्ति और सहभागिता को बढ़ाते हैं। सामूहिक और व्यक्तिगत खेल गतिविधियाँ, अधिगम प्रक्रियाओं के प्रति बच्चों के झुकाव के बारे में तत्काल पृष्ठपोषण प्रदान करती हैं।

नीचे दिया गया विवरण खेल–आधारित गतिविधियों को समझने में आपकी सहायता करेगा।

सर्वांगीण विकास के लिए कुछ सामान्य गतिविधियाँ

– मुक्त एवं संरचित संवाद	– रेत के खेल
– कहानी कहना एवं कहानी बनाना	– पानी के खेल
– अभिनयीकरण	– कठपुतली के खेल
– कविताएँ तथा गीत	– घेरा/समूह और गतिविधियाँ
– संगीत तथा गति	– खेल सामग्री के साथ संरचित संज्ञानात्मक एवं भाषायी गतिविधियाँ
– पहेली, मोतियों एवं ब्लॉक आदि के साथ मुक्त आंतरिक खेल	– प्रकृति की सैर
– बाह्य खेल	– स्थानीय यात्राएँ/भ्रमण

पाठगत प्रश्न 13.2

खाली स्थान भरिए–

(क) ईसीसीई शिक्षण तथा शिक्षण रणनीतियाँ .... होनी आवश्यक है।

(ख) शिक्षण अधिगम पद्धति .... होनी चाहिए जिसमें सभी को सम्मिलित किया जा सके।

(ग) खेल .... तथा .... को उद्दीप्त करता है।

(घ) .... रणनीतियाँ बच्चे के सीखने के अनुभवों को वास्तविक रूप प्रदान करती हैं, जिससे सीखने की प्रक्रिया में बच्चा एक सक्रिय सहभागी बनता है।

13.6 विभिन्न आयामों/क्षेत्रों के लिए विकासोचित गतिविधियों का नियोजन

बच्चों को प्रतिदिन नियमित रूप से तारतम्यता के साथ अनुभव प्रदान करना संवेगात्मक सुरक्षा को बढ़ावा देता है। हालाँकि, बच्चों की अपनी अनोखी गति होती है, साथ ही वे थोड़ी देर के लिये ही ध्यान दे पाते हैं। देखभाल करने वालों को अपने कार्यों के सम्पादन में लचीला होना चाहिए तथा साथ ही साथ विशिष्ट बच्चों के लिये आवश्यकतानुसार संशोधन के लिये तैयार होना चाहिए।

13.6.1 स्वास्थ्य तथा शारीरिक देखभाल

बच्चे के सीखने में शारीरिक स्वास्थ्य तथा गत्यात्मक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा इस

टिप्पणी

विकास की प्रक्रिया को बहुत-से कारक जैसे वंशानुक्रम, पोषण संबंधी अवस्था, सामान्य शारीरिक स्थिति के साथ-साथ गतिविधि तथा व्यायाम के अवसर प्रभावित करते हैं।

गतिविधियों में ईसीसीई केंद्र में प्रत्येक बच्चे को पूरक आहार दिया जाना शामिल हो जो घर के भोजन में पोषण संबंधी किसी भी कमी को पूरा करे। दूध, अंकुरित दालें, प्रोटीन बिस्कुट, हरी सब्जियों के साथ दलिया, इडली, फल, स्कूल के नाश्ते के लिए सुझाए जा सकते हैं। गानों, कविताओं और कहानियों के माध्यम से भोजन की अच्छी आदतों के विकास में बच्चों की सहायता करना स्वास्थ्य और पोषण के प्रति उनके झुकाव को बढ़ाता है।

स्वास्थ्य, रोगों की रोकथाम जैसे टीकाकरण पर भी निर्भर है जो कि रोगों की रोकने का कार्यक्रम है। अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है कि बच्चे स्वस्थ एवं सक्रिय रहें। झूलना, सरकना, जंगल जिम जैसे बाह्य खेलों में बच्चों की माँसपेशियों का उपयोग होता है। दौड़ना, कूदना, फुदकना, खींचना और धक्का देना खेलों के ऐसे क्षण हैं जो जटिल गत्यात्मक कौशलों के विकास में सहायता करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य एवं गत्यात्मक विकास की नियमित रूप से देखरेख किया जाना जरूरी है।

13.6.2 गत्यात्मक विकास

आपने पढ़ा है कि बच्चों के शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। गत्यात्मक विकास, स्नायुविक और माँसपेशियों की परिपक्वता पर निर्भर करता है। बच्चा किसी भी कौशल को तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह उस कौशल को सीखने के लिए तत्पर न हो। गत्यात्मक विकास एक निश्चित ढंग से होता है। गत्यात्मक विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नताएँ पाई जाती हैं। हालांकि क्रम वही रहता है, परंतु आयु विशेष, जिस पर भिन्न-भिन्न बच्चे भिन्न-भिन्न स्तरों पर पहुँचते हैं, एक बच्चे से दूसरे बच्चे मे भिन्न होती है जो उनके अनुभवों तथा अवसरों पर निर्भर करती है। मॉड्यूल संख्या II में आपने पढ़ा है कि गत्यात्मक कौशल के दो प्रकार हैं– **सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल** तथा **स्थूल गत्यात्मक कौशल।**

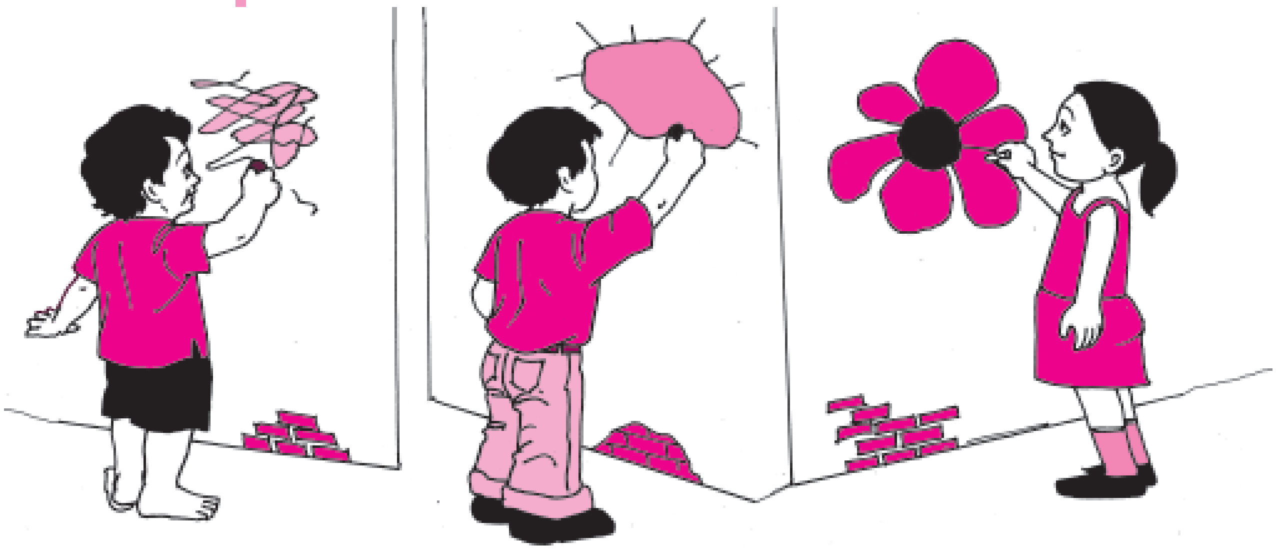

चित्र 13.1 (क) : सूक्ष्म गत्यात्मक विकास गतिविधियाँ

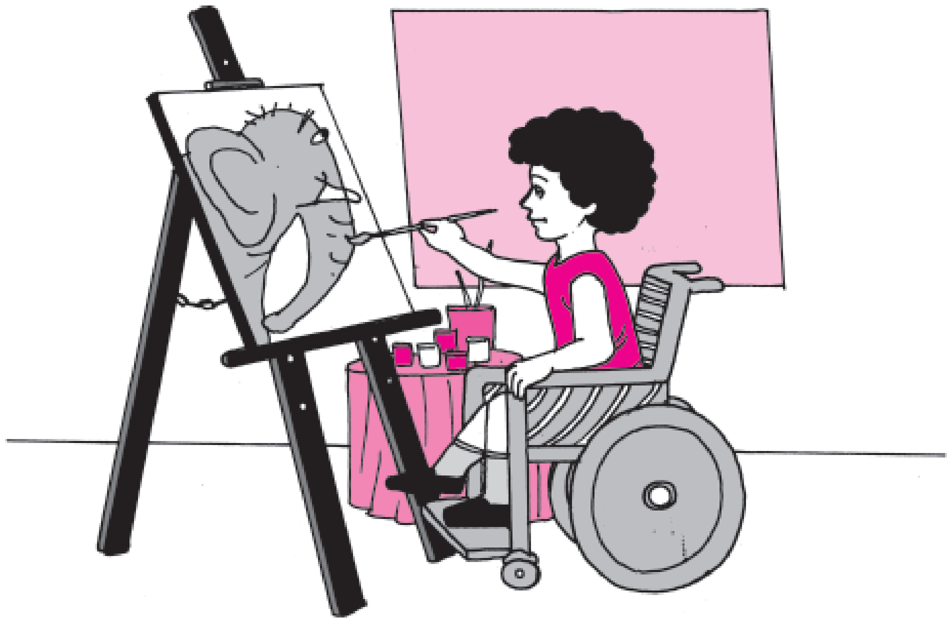

चित्र 13.1 (ख) : सूक्ष्म गत्यात्मक विकास गतिविधियाँ

स्थूल गत्यातमक कौशल के उदाहरण हैं चलना, संतुलन दौड़ना, कूदना, रेंगना, सरकना, लुढ़कना, झूलना, फुदकना, चढ़ना (ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों दिशाओं में), लयात्मक गति, गेंद से खेलना, फेंकना, पकड़ना तथा पैर से फुटबॉल को उछालना आदि। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों में शामिल हैं, धागा पिरोना, फाड़ना, काटना, चिपकाना, ड्राइंग करना, रंग भरना, पेंटिंग करना, छपाई, पेपर मोड़ना, क्ले से काम करना, छाँटना, पैटर्न बनना, जोड़-तोड़ वाली सामग्री का उपयोग, उड़ेलना, आदि। सूक्ष्म माँसपेशियों के समन्वय की गतिविधियाँ, आँखों, हाथों और अंगुलियों की मांसपेशियों के नियन्त्रण के साथ-साथ आँखों और हाथों की गति के समन्वय से सम्बन्धित हैं। यह गतिविधि याँ स्वयं खाना खाने, स्वयं कपड़े पहनने जैसे स्व-सहायता कौशलों के विकास को बढ़ाती हैं। प्रारंभिक लेखन, ड्राइंग, पेंटिग, क्ले मॉडलिंग तथा जोड़तोड़ वाली सामग्री के साथ खेलना आदि गतिविधियाँ, आँखों और हाथों के समन्वय को विकसित तथा दृढ़ करती हैं।

चित्र 13.2 : स्थूल गत्यात्मक विकास गतिविधियाँ

टिप्पणी

13.6.3 भाषायी विकास

प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषा सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बाद के सीखने को आधार प्रदान करता है। बच्चे अपने आस-पास के लोगों की नकल के द्वारा, दूसरों से प्रोत्साहित होकर तथा सुनने एवं विचारों, सोच तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति के अवसरों द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की गुणवत्ता तथा स्तर अलग-अलग होते हैं। कुछ बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं कुछ देर से। कुछ बच्चे बहुत बोलते हैं जबकि कुछ शान्त होते हैं। कुछ हद तक यह आनुवांशिक होता है पर ज्यादातर जैसा वातावरण बच्चे को मिलता है उसका प्रभाव बच्चे पर नजर आता है। जब तक बच्चे प्री-स्कूल में आते हैं, वे घर पर पहले ही भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं।

उपयुक्त अनुभव तथा वातावरण से बच्चों के शब्द भंडार में निरंतर तथा तेजी से वृद्धि होती है। शिक्षित माता-पिता, उनके चारों ओर खिलौने, चित्र, कहानी की किताबें, अखबार तथा विविध प्रकार की वस्तुएँ, गुणवत्तापूर्ण सुनने के अवसर, संवाद, कहानियाँ, कविताएँ, गाने आदि, वयस्कों तथा अन्य बच्चों के साथ बोलने तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर, खेलने के अवसर, टेलिविजन, रेडियो, कठपुतली के शो, भ्रमण तथा सैर उनके अनुभवों को बढ़ाते हैं।

वंचित परिवारों के बच्चे या जहाँ माता-पिता को बच्चों के साथ अंत:क्रिया करने का पर्याप्त समय नहीं मिलता है, वहाँ बच्चे इस प्रकार के अनुभवों का लाभ नहीं उठा पाते। इस प्रकार के अभाव की पूर्ति काफी सीमा तक एक अर्थपूर्ण प्रीस्कूल कार्यक्रम के द्वारा की जा सकती है। जहाँ तक संभव हो सके बातचीत का माध्यम प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे की घरेलू भाषा ही होनी चाहिए।

भाषा तथा प्रारंभिक साक्षरता गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए ध्यान देने की आवश्यकता वाले प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं–

- श्रवण कौशलों का विकास (ध्वनि विभेदीकरण, सुनने की अवधि, श्रवण बोध)।
- शारीरिक अंगों, घर तथा वातावरण (प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण) से सम्बन्धित शब्द भंडार का विकास।
- बोलने के कौशलों तथा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास (वार्तालाप, कहानी कहना, अभिनयकरण, कठपुतली के खेल, चित्र पठन, सृजनात्मक स्व-अभिव्यक्ति का विकास)।
- पढ़ने सम्बन्धी तत्परता का विकास (श्रवण सम्बन्धी/ध्वनि विभेदीकरण, दृष्टि विभेदीकरण, श्रवण-दृष्टि संबंध, बायें से दायें दिशात्मकता)।
- लेखन सम्बन्धी तत्परता का विकास (सूक्ष्म माँसपेशियों का विकास, आँखों तथा हाथों का समन्वय, अक्षर-बोध)।

बच्चे कहानी सुनने और सुनाने, परियोजना थीम पर बातचीत, कहानी के पुन:स्मरण, सामान्य पहेलियों, सामूहिक खेल, संकेतों को सुनने और एक विचार को पूरा करने जैसी गतिविधियों

टिप्पणी

द्वारा भाषा और साक्षरता में सुधार करते हैं। चित्र-पठन के सामान्य कार्य, सामान्य निर्देशों के पालन में बच्चों की सहायता, अलग या भिन्न को छाँटना शब्दावली के पुन:स्मरण और अभिव्यंजक शब्दावली के लिये अच्छे हैं।

निष्पादन हेतु गतिविधियाँ : क्रियाओं के साथ कविता पाठ, अभिनयकरण, रोल प्ले, कठपुतली के खेल, मौखिक अभिव्यक्ति, प्रकृति भ्रमण, घर, शारीरिक अंगों, फलों, सब्जियों से सम्बन्धित शब्द भंडार का उपयोग करते हुए वाक्य रचना आदि सुनने, अभिव्यक्ति करने एवं बोलने के कौशलों को विकसित करने के लिये जरूरी हैं। यह गतिविधियाँ 3-6 वर्ष के बच्चों के साथ तथा 6-8 वर्ष की आयु के बच्चों के साथ भी की जा सकती हैं। बड़े बच्चों के लिए कहानी या निर्देशों की जटिलता को बढ़ाया जा सकता है। बच्चे जब सुबह आते हैं या जब वे घर जाते हैं तब मुक्त संवाद विचारों को अभिव्यक्त करने और साझा करने में सहायक होता है। बहुत अधिक सुधार के बिना बच्चों को बोलने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर बच्चा गलत वाक्य बोलता है उसे तुरंत रोकना नहीं चाहिए। बाद में बच्चे के वाक्य को दोहराना या पुनर्रचना करनी चाहिए जिससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। ईसीसीई कार्यक्रम में दैनिक कार्यक्रम के रूप में कहानी कथन सम्प्रेषण में सहायता करना है। कहानियाँ छोटी, आयु के अनुरूप, रोचक तथा चेहरे के हावभाव तथा अवाज के उतार-चढ़ाव के साथ सुनानी चाहिए।

पढ़ने और लिखने सम्बन्धी तत्परता का विकास : तत्परता वह अवस्था है जब बच्चे बिना किसी संज्ञानात्मक या संवेगात्मक दबाव के सीखने के लिए परिपक्व एवं तैयार होते हैं। पढ़ने और लिखने सम्बन्धी तत्परता, पढ़ने ओर लिखने के निर्देशो से लाभ उठाने की बच्चे की योग्यता की ओर संकेत करती है। 3 साल तथा इससे बड़े बच्चों के लिए दृश्य एवं विभेदीकरण की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। पढ़ने और लिखने सम्बन्धी तत्परता की विशिष्ट गतिविधियों पर और अधिक बल देने की आवश्यकता होती है जब बच्चे 4½ से 5 वर्ष के होते हैं, और इन गतिविधियों को करने के लिए तैयार होते हैं। वातावरण में उपस्थित विभिन्न ध्वनियों को पहचानना, वातावरण में उपस्थित विभिन्न ध्वनियों में भेद करना, शुरू की ध्वनि को पहचानना, तुकबंदी शब्द, अंताक्षरी, मिलान, भिन्न को पहचानना, अंतर को छांटना, वस्तुओ का और वस्तुओं के चित्रों को ध्वनि के आधार पर वर्गीकरण करना, मौखिक शब्दों से चित्रों का मिलान करना आदि जैसी गतिविधियाँ पढ़ने तथा लिखने संबंधी तत्परता के विकास में सहायक होती हैं। 5-6 वर्ष के बच्चे सामान्यत: प्राथमिक स्कूल की पहली कक्षा में होते हैं। यदि वे ईसीसीई केन्द्र में हैं तो उन्हें वर्णमाला के अक्षरों, तथा छोटे शब्दों का परिचय दिया जा सकता है। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे वर्णमाला के अक्षरों से ध्वनि का मिलान कर सकते हैं, किसी भी वस्तु के नाम के पहले अक्षर का वस्तु के चित्रों से मिलान कर सकते हैं तथा चित्रों का शब्दों से मिलान कर सकते हैं।

लिखने संबंधी तत्परता हेतु सूक्ष्म माँसपेशियों का विकास, आँख-हाथ का समन्वय, लेखन-सामग्री के नियन्त्रण तथा अक्षरों को पहचानने की गतिविधियाँ आवश्यक हैं। जब बच्चे विकासात्मक अवस्था में हों और उनके अंगुलियों तथा आँखों की मांसपेशियों को मजबूती एवं समन्वय की आवश्यकता हो तब उन्हें औपचारिक रूप से लिखना सिखाना उचित नहीं होगा।

टिप्पणी

13.6.4 संज्ञानात्मक विकास

चित्र 13.3 : संज्ञानात्मक विकास गतिविधियाँ

संज्ञान अपने आस-पास के परिवेश को जानने तथा समझने की प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। संज्ञानात्मक विकास आधारभूत कौशलों अवलोकन, वर्गीकरण, क्रमबद्ध चिन्तन, समस्या समाधान तथा तर्कशक्ति का विकास है, जो हमें वातावरण/परिवेश को समझने में मदद करते हैं। वयस्कों द्वारा संवाद, क्रियाओं और निर्देशों द्वारा मध्यस्थता प्रदान करने से बच्चे जिज्ञासु बनते हैं और उनमें अन्वेषण और प्रयोग की इच्छा होती है। बच्चों की चिन्तन प्रक्रिया में आयु के साथ-साथ विकास होता है। बच्चे जब 3-6 वर्ष की आयु में संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। वे अपने सीमित दृष्टिकोण से चिन्तन करते हैं और धीरे-धीरे तार्किक तथा अमूर्त चिन्तन में समर्थ हो पाते हैं। वे मूर्त तथा प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा सीखते हैं। उनके अधिगम में तर्कशक्ति और समस्या समाधान की योग्यता को बढ़ाने में खेल तथा गतिविधियाँ मुख्य बिन्दु हैं।

संज्ञानात्मक विकास में ध्यान देने योग्य मुख्य क्षेत्र हैं:

संवेदी तथा बोधात्मक विकास : बच्चे अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं। ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग जानने और समझने की प्रक्रिया का आधार है। ज्ञानेंद्रियाँ ज्ञान का द्वार हैं। जितने अधिक विविध और व्यापक संवेदक ये अनुभव होंगे, उतने ही बच्चे की संसार के बारे में समझ व्यापक होगी। किसी भी प्रकार के संवेदी अनुभव को सीमित करने या उसे वंचित रखने से किसी प्रत्यय के बारे में अधूरी या गलत समझ विकसित हो सकती है। अतः प्रारंभिक बाल्यावस्था में बहुत सी गतिविधियों एवं अवसरों द्वारा सभी आयु के बच्चों की पाँचों इंद्रियों के विकास (देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना तथा स्वाद) पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

संज्ञानात्मक कौशलों का विकास : इसमें स्मृति और अवलोकन, वर्गीकरण, क्रमबद्ध चिन्तन, समस्या समाधान और तर्कशक्ति शामिल है। शिक्षक को चाहिए कि वह इन सभी संज्ञानात्मक कौशलों के विकास के लिए अनुभवों एवं क्रियाकलापों को तैयार करे।

आधारभूत अवधारणाओं का निर्माण : अवधारणा वस्तुओं, लोगों, स्थानों तथा घटनाओं की एक मानसिक संरचना या चित्रण है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चे ने रंग की अवधारणा को सीख लिया है तो वह वातावरण में उपस्थित वस्तुओं को रंग के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हो जाएगा। बच्चों में आधारभूत अवधारणा का विकास या निर्माण उनके वातावरण को

समझने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर बच्चों में अवधारणा की स्पष्ट जानकारी है तो वे अपने वातावरण में विभिन्न वस्तुओं का अवलोकन, विभेदन, वर्गीकरण करने तथा प्रत्यक्षण आधारित विचार से तर्क आधारित विचार की ओर प्रगति करने में समर्थ हो जायेंगे। किसी भी अवधारणा के विकास के लिए गतिविधियों का क्रमबद्ध रूप में आयोजन किया जाता है जैसे 'मिलान' (बच्चे अवबोधन स्तर पर मिलान करेंगे), 'पहचान' (उदाहरण–लाल क्या है? बच्चा अपने निष्क्रिय शब्द भंडार में संप्रत्यय को शामिल करता है) 'नाम देना' (उदाहरण कौन सा रंग है?) बच्चा सम्प्रत्यय को अपने सक्रिय शब्द भंडार में शामिल करता है।

आइए पूर्व–संख्या अवधारणाओं के उदाहरण देखें:

संख्या पूर्व अवधारणा : यह अपेक्षा की जाती है कि बच्चा संख्या ज्ञान से पूर्व निम्नलिखित संख्या पूर्व अवधारणाओं में दक्षता हासिल कर ले।

बड़ा, छोटा, समान रूप से (आकार में), लम्बा, छोटा, समान रूप से (लम्बाई में), भारी, हल्का, समान रूप से (वजन में), ऊँचा, छोटा, समान रूप से (ऊँचाई में), मोटा/गाढ़ा, पतला, समान रूप से (घनत्व में), चौड़ा, सँकरा, समान रूप से (चौड़ाई में), ज्यादा, कम, समान रूप से (द्रव्यमान/मात्रा अवधारणा), दूर, पास समान रूप से (दूरी में)। यह बच्चों में जटिल गणितीय सिद्धान्तों को समझने से पहले संख्या के मान के सही आकलन को समझने में मदद करता है। अगर बच्चों को संख्या पूर्व अवधारणाओं को सीखने से पहले उन पर गणित को जबरदस्ती थोप दिया जाए तो वे केवल इसे याद करेंगे और जब उन्हें तर्कशक्ति के और अधिक उच्च स्तर पर अपने ज्ञान को इस्तेमाल करना होगा तब वे परेशान होकर इससे भागने की कोशिश करेंगे।

> संख्या अवधारणा से पूर्व अध्यापक के लिये बहुत सी संख्या तत्परता गतिविधियाँ प्रदान किया जाना आवश्यक है **जिनमें संख्या पूर्व गतिविधियों के बाद के सभी संज्ञानात्मक कौशलों की गतिविधियाँ शामिल हों।**

संख्या संप्रत्यय (अवधारणा) – संख्या एक अमूर्त अवधारणा है जो हमारे दिमाग में गिनने के बाद आता है। निरपेक्ष मानों, संख्या के चिह्न, संख्याओं को गिनना तथा क्रम में लगाने के पदों में संख्या की अवधारणा का विकास, आदि पाठ्यचर्या के अंश होने चाहिए। ईसीसीई कार्यक्रम का आधारभूत तथा दीर्घावधि उद्देश्य छोटे बच्चों के गणित के क्षेत्र में खोज के रास्ते खोलना है। बच्चे संख्या को पहचानते हैं क्योंकि उन्होंने इन्हें टेलीफोन, पते, स्पीडोमीटर, पृष्ठ संख्या, अखबार, कैलेंडर आदि पर देखा होता है परंतु उन्हें गणितीय संक्रियाओं का कोई अनुभव नहीं होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में अधिगम शिक्षात्मक या उपदेशात्मक संप्रेषण के बजाय खेल द्वारा संभव होता है। अत: संख्याओं के क्रम को रटने के स्थान पर बच्चों को उन्हें छोटे–छोटे समूहों के सन्दर्भ में, शाब्दिक खेलों एवं गिनती तथा मात्रा, गिनती तथा मात्रा के बीच के संबंध को सीखने एवं समझने की आवश्यकता होती है। संख्या तथा शाब्दिक खेल, आदि। एक पहलू के आधार पर एक समय में साधारण तुलना, वर्गीकरण तथा आकारों एवं सममितियों को पहचानना, इस अवस्था में अर्जित किये जाने योग्य उपयुक्त कौशल हैं।

वातावरणीय अवधारणाओं का विकास : बच्चे अपने वातावरण से सीखते हैं। बच्चे के आस-पास का वातावरण को निम्नलिखित ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है:

- प्राकृतिक वातावरण (जानवर, पक्षी, कीट-पतंगे, सब्जियों और फल, पौधे, आदि)
- भौतिक वातावरण (पानी, हवा, आसमान, धरती, ऋतुएं, मौसम)
- सामाजिक वातावरण (स्वयं और उसका परिवार, यातायात, समुदाय के सहायक, त्योहार)

वातावरण की इन अवधारणाओं को परियोजना की तरह लिया जा सकता है तथा बच्चों के लिए संचालित की जाने वाली गतिविधियों हेतु किसी विषयवस्तु का एक भाग बनाया जा सकता है। जैसा कि पहले भी अवधारणाओं पर चर्चा की जा चुकी है उदाहरणत: रंग, संख्या, आकार, समय, तापमान आदि से बच्चों को इन थीमों के द्वारा पूर्व में की गई अवधारणाएँ उदाहरणत: रंग, संख्या, आकार, समय, तापमान इत्यादि का भी परिचय कराया जा सकता है।

13.6.5 व्यक्तिगत, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास

यह बच्चे की उन विशेषताओं तथा व्यवहारों के विकास की ओर संकेत करता है जो उसे सामाजिक वातावरण में समायोजन करने में मदद करते हैं। संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास को आधार प्रदान करता है। बच्चे का परिवार, विशेषत: माता-पिता सामाजीकरण के मुख्य कारक होते हैं। अन्य कारक जिनमें सहपाठी, शिक्षक, आस-पड़ोस यहाँ तक कि मीडिया (जनसंचार) भी सम्मिलित है, सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब बच्चे प्री-स्कूल में आते हैं तब वे सामान्यत: आत्मकेंद्रित होते हैं और वे चीजों को केवल अपने नज़रिये से देखते और महसूस करते हैं। उन्हें व्यक्तिगत खेलों और अकेले खेले जाने वाले खेलों का समानान्तर खेलों अर्थात् ऐसा खेल जिसमें दूसरी ओर अन्य बच्चा भी उसी खेल को खेल रहे होते हैं। वे एकल अन्तर्क्रिया जो कि माता-पिता द्वारा दी जाती है, के आदी होते हैं और अभी भी सामाजिक व्यवहार जैसे सहयोग, साझा करना, दूसरे की मदद करना, के योग्य नहीं होते हैं।

ईसीसीई केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों के आत्मकेंद्रित व्यवहार को समाज-केंद्रित की ओर अग्रसर करना है, जैसे दूसरों के साथ खेलना, दूसरों की मदद करना, सामाजिक होना, आदि। यह आवश्यक है कि ईसीसीई केंद्र एक विश्वसनीय तथा सुरक्षित परिवेश प्रदान करें ताकि बच्चे केंद्र की गतिविधियों के साथ समायोजन करें, अच्छी आदतों का विकास करें, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं साफ-सफाई बनायें रखें, उचित प्रकार से खाने की आदतें विकसित करें, सही से शौचालय का प्रयोग करें, खाना खाने के पहले तथा बाद में हाथों को धोयें, खेलने के बाद वस्तुओं को अपनी जगह पर रखें तथा वातावरण को साफ रखें।

इसमें सकारात्मक आत्म-प्रत्यय, सामाजिक व्यवहार जैसे साझा करना, दूसरों से सहयोग करना, दूसरों के अधिकारों तथा संपत्ति का (चीजों का) आदर करना, अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, स्वतंत्रता तथा नेतृत्व, शिक्षक तथा अन्य बड़े लोगों के साथ सहयोग करना शामिल है।

अत: बच्चों की मुख्य आवश्यकता, जिस पर ईसीसीई केंद्र ध्यान दे, सुरक्षा तथा स्वीकार्यता है। जब बच्चे ईसीसीई केंद्र में आते हैं तब वह पहली बार अपना घर छोड़ते हैं तथा उनका एक नए वातावरण में समायोजन करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ईसीसीई केंद्र/प्री-स्कूल

विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए जो बच्चों को इस समायोजन में सहायता करें। बच्चों के व्यवहार, विशेषताओं तथा योग्यताओं में व्यापक रूप से व्यक्तिगत भिन्नताएँ देखी जाती हैं। प्रत्येक बच्चे का अपना अनोखा व्यक्तित्व होता है। संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास को आधार प्रदान करता है। बच्चों को अपने संवेगों की अभिव्यक्ति हेतु सृजनात्मक अभिनय, रोल प्ले, संगीत तथा गति एवं सृजनात्मक गतिविधियों द्वारा अवसर प्रदान किये जाने चाहिए।

बच्चों में अकसर व्यवहार संबंधी विकार देखे जाते हैं जैसे असामान्य रूप से आक्रामक व्यवहार, विमुखता और असामान्य रूप से शर्मीला व्यवहार, अनावश्यक चिन्ता, अति सक्रियता, प्रतिगामी (शैशवाकालीन व्यवहार में वापिस आना जैसे बिस्तर गीला करना, नाखून चबाना आदि)। माता-पिता तथा शिक्षक द्वारा समस्या की समझ तथा आश्वासनपूर्ण रवैया बच्चे को अपने डर तथा चिन्ता पर काबू पाने में सहायता करता है तथा अपने इस व्यवहारत्मक विकारों को दूर करने के योग्य बनाता है। दंड बच्चों में चिन्ता तथा अपमान का कारण बनता है। अतः बच्चों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान ही बच्चों के बीच लिंग के सम्प्रत्यय का विकास होता है। इस अवस्था में ही लिंग के अनुरूप कार्य करने से सम्बन्धित रूढ़ियाँ बनती हैं। अध्यापकों तथा माता-पिता समेत अन्य वयस्कों को बालक तथा बालिकाओं से अपेक्षित व्यवहार में किसी भी अन्तर को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। उन्हें सभी बच्चों से समान व्यवहार करना चाहिए और कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। यह सब सुचारु ढंग से हो इसके लिये अध्यापक को कक्षा के प्रत्येक बच्चे के माता-पिता से नियमित रूप से सम्पर्क बनाये रखकर बच्चे के घरेलू वातावरण से परिचित होना आवश्यक है। यह शिक्षकों, माता-पिता तथा अन्य संरक्षकों के बीच गुणात्मक सहभागिता का उदाहरण है।

13.6.6 कला और सौन्दर्यशास्त्र

सभी बच्चे सृजनात्मक होते हैं परंतु सृजनात्मकता का स्तर सभी में अलग-अलग हो सकता है। सृजनात्मकता कभी भी शून्य में जन्म नहीं लेती। बच्चों के पास जितने अधिक ज्ञान तथा अनुभव होंगे उतना ही सृजनात्मकता को आधार प्रदान करेंगे। उत्प्रेरक तथा प्रोत्साहित करने वाला वातावरण बच्चे में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। मुक्त खेल, अभिनयकरण, रचनात्मक खेल के अवसर तथा सुविधाएँ बच्चों में सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं। घर या ईसीसीई केंद्र का आधिकारिक तथा सख्त परिवेश बच्चों में सृजनात्मकता के विकास में रूकावट उत्पन्न करता है।

सृजनात्मकता तथा सौंदर्यात्मक प्रशंसा के विकास हेतु निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है:

- **कला द्वारा सृजनात्मक तथा सौंदर्य प्रोत्साहन :** गतिविधियों जैसे ड्राइंग तथा रंग भरना, पेन्टिग करना, छपाई, फाड़ना, काटना और चिपकाना, कोलॉज बनाना, क्ले मॉडलिंग, पेपर फोल्डिंग आदि पाठ्यचर्या का हिस्सा हो सकती है।

- **सृजनात्मक गति :** बच्चो को क्रियाओं के साथ कविताएँ बोलना, लयात्मक गतिविधियाँ जैसे नृत्य करना, हाथों से ताली बजाना, अंगुलियों की थाप, पैरों की थाप और धुन पर ताली जैसी गतिविधियों में व्यस्त किया जा सकता है।

- **सृजनात्मक अभिनय :** हाथी चाल चलना, खरगोश की तरह उछलना जैसी गतिविधियों का कहानी एवं स्थिति को अपने संवाद तथा हाव-भाव से व्यक्त करना, डम्ब शेराज जैसे खेल सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए कराए जा सकते हैं।

- **सृजनात्मक चिन्तन :** मुक्त खेल, अभिनयकरण, स्वांग रचना, रचनात्मक खेलों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मुक्त प्रश्न, कल्पना को उद्दीपित करते हैं तथा सृजनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। कहानियों तथा कविताओं का निर्माण सृजनात्मकता को बढ़ाता है।

- **सौंदर्यात्मक प्रशंसा का विकास :** बच्चों में अपने आस-पास के परिवेश में सौंदर्य तथा रंगों के प्रति संवेदनशीलता का विकास आवश्यक है। साधारण गतिविधियाँ जैसे कक्षा को सजाना, कक्षा में बच्चों के आँखों के स्तर पर आकर्षक तथा महत्वपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना, जब भी संभव हो प्रदर्शन सामग्री को बदलना, प्रकृति भ्रमण तथा सैर, बच्चों का ध्यान प्राकृतिक सुंदरता की ओर खींचना, उन्हें सौंदर्य को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके सौंदर्यबोध को विकसित करता है। संगीत एवं कला द्वारा सौंदर्यात्मक अनुभव प्रदान करने को दैनिक कार्यक्रम का सरलता से हिस्सा बनाया जा सकता है जैसे कि दिन की शुरुआत गाने, सामूहिक लयात्मक गतिविधियों तथा शारीरिक अभ्यास के साथ करना। प्रत्येक दिन में गानों के लिए समय होना जरूरी है जब बच्चे गाने एवं कविताओं को दोहरा सकें और आनन्द ले सकें।

पाठगत प्रश्न 13.3

निम्नलिखित के उत्तर दीजिए–

(क) ईसीसीई अवस्था में किन दो संज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देने की जरूरत होती है?

(ख) किन्हीं तीन संख्या पूर्व अवधारणाओं की सूची बनाइए।

(ग) व्यक्तिगत, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास की दो गतिविधियों की सूची बनाइए।

13.7 विकासात्मक बदलावों की पहचान और हस्तक्षेप

सभी बच्चे छूने, चलने, दौड़ने, कूदने और बात करने में समान होते हैं फिर भी उनकी वृद्धि भिन्न-भिन्न तरीकों से होती है। ये भिन्नताएँ क्या हैं? विकास की गतियों के अन्तरों पर, किस प्रकार बच्चों का अवलोकन किया जाना चाहिए तथा कब इन अन्तरों पर ध्यान देने की जरूरत

है, इस सब पर हम परिचर्चा करेंगे। हमने आयु से जुड़ी हुई गतिविधियों की उपयुक्तता के विषय में चर्चा की जो कि छोटे बच्चों को व्यस्त होने, अन्वेषण तथा आनन्द लेने के लिये प्रेरित करती है। यदि कुछ बच्चे गतिविधियों में शामिल होने में किसी तरह का प्रतिरोध दिखाते हैं तब एक वयस्क के रूप में आपको इस ध्यान देना चाहिए। यदि बच्चा दोबारा समूह से अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है तब बच्चे पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

यह स्वाभाविक है कि बच्चा अपने तात्कालिक परिवेश में लोगों, वस्तुओं यहाँ तक कि घटनाओं से भी अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध रखे। यदि कोई बच्चा अपने परिवेश के प्रति उदासीनता दिखाता है तब बच्चे पर निगाह रखना उचित है। वास्तव में एक निश्चित आयु पर बच्चे समान व्यवहार करने, कुछ योग्यताओं को प्राप्त करने तथा छोटी-छोटी चुनौतियों का सामना करने का प्रयास करते हैं।

आयु से सम्बन्धित कौशलों और व्यवहारों का अर्जन विभिन्न आयामों में हुई प्रगति और अभिवृद्धि को दर्शाता है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि कोई दो बच्चे एक ही दर से नहीं बढ़ते तथा प्रत्येक बच्चे की अपनी विशिष्ट गति होती है।

एक ईसीसीई केन्द्र में प्राय: कुछ बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में अधिक सक्रिय होते हैं जबकि कुछ शान्त, शर्मीले, संकोची या लगभग अलग रहने वाले हो सकते हैं। दोनों तरह के बच्चों पर ध्यान देने और हस्तक्षेप करने की जरूरत होगी यदि निरन्तर ऐसा होता है या फिर कुछ बच्चे नियमों का प्रतिरोध करते हैं। कुछ सामान्य बदलाव हो सकते हैं :

व्यवहार में परिवर्तन	आयाम	हस्तक्षेप की प्रकृति
विकास के महत्वपूर्ण पड़ावों को पार करने में देरी	शारीरिक और गत्यात्मक	पोषण, संवेदी उद्दीपन, गतिविधि
धक्का मारने या पीटने जैसे कार्य बार-बार करना	विभिन्न आयाम	व्यावसायिक सहायता हेतु बाल रोग विशेषज्ञ भेजना
शान्त तथा पृथक्	सामाजिक-संवेगात्मक	कला, अभिनय, गति एवं संवाद
उच्च स्तर की ऊर्जा	सामाजिक-संवेगात्मक या शारीरिक	बैठकर करने वाली धीमी गति की गतिविधियाँ जैसे रंगना
अन्य व्यक्तियों या बाह्य खेलों से प्रतिरोध	सामाजिक-संवेगात्मक या शारीरिक	कला, अभिव्यक्ति और संवाद को प्रोत्साहित करना
प्राय: प्रश्न पूछना	संज्ञानात्मक	अपनी बारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना
कला, संख्या या संगीत जैसे किसी कौशल में दक्षता का प्रदर्शन	संज्ञानात्मक, भाषायी	प्रदर्शन की सुविधा तथा कौशल निर्माण के अवसर

टिप्पणी

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा–

- ईसीसीई को विकास के विभिन्न आयामों, प्रत्येक उप-अवस्था में बच्चों की विशेषताओं तथा उनके सीखने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र तथा एकीकृत परिप्रेक्ष्य पर आधारित होना चाहिए।
- बच्चों में सीखने और अपने चारों ओर की दुनिया के अर्थ-निर्माण की स्वाभाविक इच्छा होती है। प्रारंभिक वर्षों में सीखना बच्चों की रुचियों और प्राथमिकताओं के अनुसार होना चाहिए। इसे औपचारिक रूप से संरचित होने के स्थान पर बच्चे के अनुभवों के सन्दर्भ में होना चाहिए। छोटे बच्चों को खेल और गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान किये जाने चाहिए।
- अध्यापक को, एक उपयुक्त वातावरण जो कि उत्प्रेरक तथा अनुभवों से परिपूर्ण हो, बच्चों को खोज तथा अन्वेषण, प्रयोग करने तथा अपने को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने के अवसर और सौहार्द, सुरक्षा तथा भरोसे की भावना प्रदान करे, सुनिश्चित करना चाहिए।
- खेलना, गीत, कविताएँ, कला तथा स्थानीय सामग्री का प्रयोग करके अन्य गतिविधियों के साथ-साथ सुनने, बोलने तथा अपने को अभिव्यक्त करने के अवसर तथा अनौपचारिक अन्त:क्रिया, इस अवस्था में सीखने के आवश्यक तत्व हैं।
- प्री-स्कूल अवस्था में 3Rs (पढ़ना, लिखना और गणित) का औपचारिक शिक्षण नहीं होना चाहिए।
- प्रत्येक बच्चा अनोखा है तथा उसकी जरूरतें, अपेक्षाएँ, योग्यताएँ, रुचियाँ सभी अलग-अलग होती हैं। दिव्यांग बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए समावेशी परिवेश की रचना करना महत्वपूर्ण है।

पाठान्त प्रश्न

1. ईसीसीई के संदर्भ में पाठ्यचर्या से आप क्या समझते हैं?
2. बाल विकास के सभी आयामों की सूची बनाइए।
3. बच्चे को संवेगात्मक रूप से विकसित करने तथा व्यवहार संबंधी दोषों से बचाने के लिए कुछ क्रियाकलाप सुझाइए।
4. छोटे बच्चों को प्रचुर सूक्ष्म गत्यात्मक तथा स्थूल गत्यात्मक गतिविधियाँ प्रदान करनी चाहिए, क्यों?

5. भाषायी विकास में किन क्षेत्रों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है?
6. छोटे बच्चों में सृजनात्मकता प्रोत्साहन के लिए कुछ गतिविधियाँ बताइए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

13.1

1. (क) सत्य

   (ख) सत्य

   (ग) असत्य

   (घ) असत्य

2. यदि बच्चे सक्रिय हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, वस्तुओं के साथ खेल रहे हैं और उनकी खोज कर रहे हैं तो ये प्रगति के चिह्न हैं।

13.2

(क) बालकेन्द्रित

(ख) समावेशी

(ग) जिज्ञासा तथा अन्वेषण

(घ) खेल तथा गतिविधि-आधारित

13.3

(क) स्मृति तथा अवलोकन, वर्गीकरण, क्रमबद्ध चिन्तन, समस्या समाधान तथा तर्कशक्ति

(ख) बड़ा, छोटा, समान रूप से (आकार में), लम्बा, छोटा, समान रूप से (लम्बाई में), भारी, हल्का, समान रूप से (वजन में), ऊँचा, छोटा, समान रूप से (ऊँचाई में), मोटा/घना, पतला, समन रूप से (आकार में), चौड़ा, सँकरा, समान रूप से (चौथाई में), ज्यादा, कम, समान रूप से (द्रव्यमान/मात्रा की अवधारणा), दूर, पास, समान रूप से (दूरी में),।

(ग) व्यक्तिगत-सामाजिक विकास के लिए गतिविधियाँ दूसरों के साथ खेलना, दूसरों के साथ रहना, दूसरों की सहायता करना तथा सामाजिक होना, अच्छी आदतों का विकास, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं साफ-सफाई बनाये रखना, उचित प्रकार से खाने की आदतों का विकास, सही से शौचालय का प्रयोग करना, खाना खाने के पहले व बाद में हाथों को धोना, खेलने के बाद वस्तुओं को अपनी जगह पर रखना, वातावरण को साफ रखना, सहयोग करना, दूसरों का आदर करना आदि हैं।

टिप्पणी

संदर्भ

- Kaul, et al, (1998). *Numeracy and Reading Readiness levels of Entrants to Class I.* New Delhi: NCERT.
- Kaul,V.(2010). *Early Childhood Education Programme.* New Delhi: NCERT.
- Ministry of Human Resource Development (1992). *Programme of Action.* New Delhi: Government of India.
- Ministry of Human Resource Development (1986). *The National Policy on Education, 1986.* New Delhi: Government of India.
- Ministry of Women and Child Development (MWCD). *National Early Childhood Care and Education (ECCE) Curriculum Framework.* New Delhi: Government of India.
- Ministry of Women and Child Development. (2013). *National Early Childhood Care and Education (ECCE) Policy.* New Delhi: Government of India.
- Ministry of Women and Child Development (2014). Quality Standards for Early Childhood Care and Education. New Delhi: Government of India.
- National Council of Educational Research and Training. (2006). *National Curriculum Framework, 2005.* New Delhi: NCERT.
- National Council of Educational Research and Training. (2006). *Position Paper of the National Focus Group on Early Childhood Education.* New Delhi: NCERT.
- Soni, R. (2005). *Little Steps.* New Delhi: NCERT.
- Soni, R. (2012). *Trainer's Handbook in Early Childhood Care and Education.* New Delhi: NCERT.
- Soni, R; et.al. (2008). *Early Childhood Education-An Introduction.* New Delhi: NCERT.

14

बाल अध्ययन के तरीके

एक शिशु में होने वाले परिवर्तन पूर्णरूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं। शिशु को जटिल योग्यताओं के साथ स्वतंत्र रूप में विकसित करने हेतु बहुत अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। बच्चे कैसे सीखते हैं इस संबंध में बहुत से विद्वानों ने बेबी बायोग्राफी के रूप में बहुत से लेख लिखे हैं। चार्ल्स डार्विन ने जैविक विविधता के अध्ययन के दौरान 'ऑन द आरिजन ऑफ स्पीशज' लिखी तथा यह भी लिखा कि उसके बेटे ने किस तरह भाषा का अर्जन किया। कई वर्षों बाद पियाजे ने अपने बच्चे का अवलोकन करते हुए विस्तृत जानकारी को अभिलेखित करके बच्चों में भाषा एवं विचारों के विकास पर गहन समझ प्रस्तुत की। बाद में बाल्यावस्था में नैतिकता के विकास को समझने के लिए उन्होंने खेल के दौरान बहुत से बच्चों से बातचीत की।

बाल्यावस्था की अद्वितीय विशेषताओं को कवियों एवं लेखकों ने भी अपनी रचनाओं का हिस्सा बनाया है। बाल्यावस्था पर काव्य संस्करणों में बच्चों के जीवन का व्यवस्थित अभिलेख मिलता है।

भारत के संदर्भ में, तुलसीदास एवं सूरदास ने राम एवं कृष्ण के बचपन का काव्य रूप में विकास के साथ वर्णन किया है।

पियाजे ने बेबी बायोग्राफी के विचार में सुधार किया तथा बाल्यावस्था की क्रियाओं को अभिलेखित करने का व्यवस्थित एवं ज्यादा वैज्ञानिक तरीका प्रस्तुत किया। बच्चों के सामाजीकरण से संबंधित पूर्व अध्ययन, वयस्कों का इस बात पर ध्यान केन्द्रित करते थे कि बच्चे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं तथा कैसे सीखते हैं। हाल के वर्षों में, बच्चों द्वारा अपने भौतिक सामाजिक परिवेश को सक्रिय रूप से समझने की उनकी क्षमता को समझने पर बल दिया जा रहा है। किसी एक संदर्भ में बच्चों के कौशलों एवं अनुभवों को ध्यान में रखते हुए ऐसे तरीकों को विकसित किया गया जो अधिक बालकेन्द्रित हों तथा बच्चों की अभिव्यक्ति को बढ़ावा दें। बच्चों के व्यवहार एवं विचार को अधिक व्यवस्थित ढंग से समझने हेतु बाल अध्ययन की विशिष्ट तकनीकों को जानना महत्वपूर्ण है। इस पाठ में आप बाल विकास के अनुसंधान की कुछ विधियों एवं तरीकों का अध्ययन करेंगे।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप

- बाल अध्ययन के विविध तरीकों की व्याख्या करते हैं;
- बच्चे कला द्वारा स्वयं को किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं, का वर्णन करते हैं; और
- बच्चों की प्रगति के प्रतिवेदन के तरीकों की व्याख्या करते हैं।

14.1 मानव विकास का अध्ययन एवं अनुसंधान

बाल अध्ययन एवं अनुसंधान हमें उनके व्यवहारों, प्रतिक्रिया की प्रकृति तथा उनके सीखने के तरीकों एवं वे प्रश्न क्यों पूछते हैं, इत्यादि को समझने में सहायक होते हैं। हमारा यह विश्वास हो सकता है कि बच्चे एक विशिष्ट तरीके से व्यवहार करते हैं परन्तु विभिन्न परिस्थितियों में उनके साथ हमारी बातचीत में हमें यह जानकर आश्चर्य होता है कि उनकी सोच उससे बहुत अलग होती है जैसा हमने सोचा था। बच्चों का कौशल अर्जन उनके विशिष्ट सामाजिक समूह से भिन्न हो सकता है। माता-पिता की अपेक्षाएं भी समूह से समूह में भिन्न हो सकती है। अक्सर माता-पिता यह महसूस करते हैं कि बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं या शिक्षक यह अवलोकन कर सकते हैं कि माता-पिता पर्याप्त रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे अवलोकन तब तक केवल एक अटकल ही हो सकते हैं जब तक कि उसके प्रमाण हेतु व्यवस्थित परीक्षण कर उपयुक्त साक्ष्य प्रस्तुत न किये जायें। किसी भी प्रकार का निष्कर्ष केवल नमूना जनसंख्या से संबंधी आँकड़ों को एकत्र करके ही निकाला जा सकता है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए एकत्र तथ्यों को वर्गीकृत एवं विश्लेषित किया जाना चाहिए। जाँच की यह प्रक्रिया तथा तथ्यों एवं आँकड़ों के निकाय से निष्कर्ष निकालना अनुसंधान प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये आँकड़े एकत्र करने की विविध तकनीकों के साथ कई प्रकार के हो सकते हैं जिन्हें मानव व्यवहार का अध्ययन करने की तकनीक कहा जाता है।

आइए, हम विभिन्न प्रकार के शोध अभिकल्पों का अध्ययन करें जो बच्चों पर अनुसंधान का मार्गदर्शन करते हैं।

14.1.1 शोध अभिकल्प के प्रकार

शोध अभिकल्प व्यवस्थित रूप से शोध या अनुसंधान पूरा करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया या रूपरेखा है। अध्ययन की जाने वाली समस्या की प्रकृति शोध अभिकल्प के चयन हेतु मार्गदर्शन करती है। समस्या की प्रकृति के आधार पर सामाजिक समूहों के वर्गों से प्रतिभागियों (नमूना) का चयन किया जाता है। बच्चों के संदर्भ में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अध्ययन की तकनीकों एवं तरीकों का बहुत सोच समझकर चयन किया गया हो। ये तरीके आयु उपयुक्त हों तथा मुद्रित सामग्री पर ज्यादा निर्भर न हों।

टिप्पणी

क्रॉस सेक्शनल रिसर्च : यह समूह से एक विशेष समय पर अलग-अलग आयु के लोगों से आँकड़े एकत्र करने का तरीका है। यह समूह सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि आदि जैसे गुणों में मेल खाने वाला होना चाहिए। यह शीघ्र पूर्ण होने वाला शोध है क्योंकि इसमें एक ही समय में आँकड़े एकत्र हो जाते हैं।

अनुदैर्ध्य अनुसंधान (Longitudinal Research) : यह एक निश्चित अवधि में समय के विभिन्न अंतरालों पर लोगों के एक समूह से सूचना एकत्र करने वाले अनुसंधान मुद्दों का एक अध्ययन है। चयन की गई समस्या के अध्ययन हेतु, समय के साथ नमूने का अनुसरण किया जाता है तथा अलग-अलग समय पर प्रतिभागियों के एक से समूह से आँकड़ों को एकत्र किया जाता है। यद्यपि इसके द्वारा समृद्ध एवं उपयोगी जानकारी शामिल होती है तथापि ऐसे अनुसंधान मंहगे होते हैं तथा इन्हें करते रहना मुश्किल होता है।

व्यैक्तिक अध्ययन (Case Study) : यह किसी व्यक्ति, समूह या संस्थान का एक गहन अध्ययन है। इस प्रकार का अध्ययन कई तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। व्यैक्तिक अध्ययन उपागम में, मानवीकृत तथा अन्य दोनों ही प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है।

प्रयोगात्मक अभिकल्प (Experimental Design) : यह एक ऐसा अनुसंधान अभिकल्प है जिसमें दो या दो से अधिक समूहों की समान परिस्थितियों में तुलना की जाती है जहाँ प्रत्येक समूह को अलग-अलग उपचार दिया जाता है। उदाहरण के लिए, ऐसे प्रायोगिक अभिकल्प जिसमें दो समूह शामिल हैं, के लिए, जिस समूह को उपचार दिया जाता है उसे नियंत्रित समूह तथा दूसरे समूह जिसे उपचार नहीं दिया जाता है उसे प्रायोगिक समूह कहा जाता है।

14.2 अध्ययन के उपकरण और तकनीक

बच्चों की आयु तथा साक्षरता स्तर के आधार पर आँकड़े एकत्र करने के तरीकों या तकनीकों की पहचान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे के साथ जुड़ने के कई अलग-अलग तरीके होते हैं। यद्यपि, यह तरीके मानव के साधारण एवं दैनिक अनुभवों जैसे दूसरे लोगों को देखना तथा बातचीत करना इत्यादि पर आधारित होते हैं तब भी वैज्ञानिक अध्ययन में यह अंतर होता है कि ये व्यवस्थित, विश्वसनीय, मानकीकृत तथा वैध तरीके होते हैं। विभिन्न विधियों के अन्तर्गत प्रतिभागियों से आँकड़े एकत्र करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

14.2.1 उपकरण का चयन

एक बार मूल अभिकल्प तय होने के पश्चात, अगला कदम इसके लिए आँकड़ों के संग्रहण हेतु विधि की पहचान करना है। इन विधियों का चयन आयु, शैक्षिक अनुभव तथा समस्या की प्रकृति को ध्यान में रखकर किया जाता है। उदाहरण के लिए, शिशु अध्ययन अवलोकन पर अधिक निर्भर करेगा तथा बड़े स्तर पर शैक्षिक तरीकों का अध्ययन प्रश्नावली द्वारा किया जा सकता है। निरक्षर आबादी की अभिरुचि एवं विकल्पों का अध्ययन साक्षात्कार द्वारा किया जा

सकता है। साथ ही, साक्षात्कार विधि के माध्यम से बातचीत की बारीकियों को आसानी से अभिलेखित किया जा सकता है। एक अच्छे उपकरण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं–

- **विश्वसनीयताः** इसका तात्पर्य यह है कि बार-बार प्रयुक्त करने पर भी यह उपकरण लगातार समान एवं स्थिर परिणाम देते हैं। उदाहरण के लिए, उपकरण से प्राप्त परिणाम उपकरण के प्रशासन के समय तथा अनुसंधानकर्त्ता बदलने पर भी समान रहते हैं।
- **वैधताः** इसका तात्पर्य यह है कि उपकरण उस विषय का मापन करें जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं। उदाहरण के लिए, एक बुद्धि परीक्षण बुद्धि मापन के लिए ही उपयुक्त होगा ना कि अन्य किसी गुण के मापन के लिए।
- **मानकीकरणः** यह एक बड़े समूह पर उपकरण को प्रशासित करके उसकी वैधता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है। इसका अर्थ परीक्षण संपूर्ण समूह पर सुसंगत तरीके से प्रशासित किया जाना तथा अंकन किया जाना है।

पाठगत प्रश्न 14.1

(क) बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य–

1. नियमित अंतराल पर चयन किये गये बच्चों के एक समूह का अवलोकन करना अनुदैर्ध्य अध्ययन कहलाता है।
2. बच्चे किसी शोध अध्ययन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं क्योंकि उन्हें अभी बड़े होना है।
3. विश्वसनीयता तब होती है जब बार-बार उपयोग करने पर प्रश्नों को अलग अर्थ में समझा जाता है।
4. वैधता वह है जब उपकरण वही मापता है जिसका उसे मापन करना चाहिए।
5. मानकीकृत परीक्षण उनके मूल्य तथा मान की सुनिश्चितता के लिए बड़े समूह पर बनाये जाते हैं।

(ख) विभिन्न प्रकार के शोध अभिकल्पों को सूचीबद्ध कीजिए।

14.2.2 अवलोकन

अवलोकन बाल्यावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों तथा व्यवहार मे होने वाले परिवर्तनों एवं पैटर्नों को समझने की एक विधि है। यह छोटे बच्चों के अध्ययन हेतु एक उपयोगी तकनीक है तथा अन्य तकनीकों में भी बहुत सहायक है। यह अवलोकित किये जाने वाले व्यक्ति की गतिविधियों का व्यवस्थित निरीक्षण है। अवलोकन करने का अर्थ किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या किसी घटना के सभी पक्षों का निरीक्षण परीक्षण करना है। अवलोकन

किसी विशिष्ट उद्देश्य का वर्णन करते हुए व्यवहार का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करना है कि यह बच्चों में होने वाले परिवर्तनों के बारे में माता-पिता से चर्चा करने तथा इस चर्चा को प्रतिवेदित करने में सहायता करता है। अवलोकनों में बेहतर परिणामों की प्राप्ति हेतु योजना बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अवलोकन एवं अभिलेख की विधियों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं–

काल प्रतिदर्श चयन (Time Sampling): काल प्रतिदर्शचयन कम तथा समान समय अंतराल में बच्चों के व्यवहार का अवलोकन तथा अभिलेखन है। उदाहरण के लिए हर 15 मिनट बाद अध्ययन के अन्तर्गत निर्धारित व्यवहार का अवलोकन करना तथा उसे लिखना है।

घटना प्रतिदर्श चयन (Event Sampling): यह बच्चे के किसी विशिष्ट व्यवहार जैसे भाषा या क्रोध करने को अवलोकित करने तथा लिखने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

चैक लिस्ट (Check List) : यह मापदंडों की एक सूची है जिस पर अवलोकन की अवधि के दौरान शिक्षक (माता-पिता या अन्य वयस्क) अवलोकित किये गये व्यवहारों या लक्षणों की जाँच करता है। एक अवलोकनकर्ता किसी गतिविधि या घटना का अवलोकन कर सकता है और फिर 'महत्वपूर्ण व्यवहार हुआ या नहीं' इस आधार पर चैकलिस्ट को पूरा कर सकता है।

नमूना विवरण (Specimen Description) : नमूना विवरण का उपयोग करते समय अवलोकनकर्ता बच्चों के व्यवहार या अच्छी घटनाओं से संबंधित के विवरण भी नोट करता है जो व्यवहार से पहले या तुरंत बाद में होते हैं। अवलोकनकर्ता उसकी उपस्थिति के दौरान होने वाली सभी घटनाओं को लिखित रूप से दर्ज करता है। अवलोकनों के अभिलेखन हेतु श्रव्य दृश्य साधनों का भी उपयोग किया जा सकता है।

अवलोकन दो प्रकार के होते हैं जोकि निम्नलिखित हैं–

14.2.2.1 सहभागी और गैर-सहभागी अवलोकन

सहभागी अवलोकन तब होता है जब कोई अवलोकनकर्ता बच्चों के साथ उस घटना में शामिल होता है जिसका अवलोकन किया जाना है। गैर सहभागी अवलोकन तब होता है जब अवलोकनकर्ता अवलोकन किये जाने वाले बच्चों के साथ अन्तर्क्रिया किए बगैर अवलोकन करता है।

14.2.2.2 संरचित और असंरचित अवलोकन

संरचित अवलोकन वह तकनीक है जिसमें अवलोकनकर्ता पूर्व में तैयार की गई योजना के आधार पर अवलोकन करता है। घटनाएँ अवलोकन मार्गदर्शिका के आधार पर रिकार्ड की जाती हैं। अवलोकनकर्ता, अवलोकन की जा रही गतिविधि में शामिल नहीं होता है परन्तु जहाँ तक संभव हो बिना बताए रिकॉर्ड करता है।

टिप्पणी

असंरचित अवलोकन वह तकनीक है जिसमें अवलोकनकर्ता बिना किसी पूर्व योजना या मार्गदर्शिका के सभी पक्षों का अवलोकन करता है। अवलोकन के दौरान जो भी घटित हो रहा होता है सभी अवलोकित किया जाता है।

14.2.2.3 अवलोकन विधि के लाभ

1. यह व्यक्ति या समूह के व्यवहार के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी उपलब्ध कराता है।
2. यह वास्तविक परिस्थितियों में सूचना एकत्र करने में सहायता करता है न कि बनावटी परिस्थितियों में।
3. ऐसी परिस्थितियों में भी सूचनाएँ एकत्र करना संभव होता है जहाँ प्रयोग करना संभव नहीं होता।
4. यह समग्र परिदृश्य प्रस्तुत करने में सहायक है।

14.2.2.4 अवलोकन विधि की हानियाँ

1. यह खर्चीली विधि है तथा इसमें समय अधिक लगता है।
2. अवलोकन का सीमित दायरा सूचना को बेकार कर सकता है।
3. अवलोकनकर्ता परिस्थिति पर सीमित नियंत्रण कर सकता है।
4. अवलोकित व्यवहार सामान्य न होकर जटिल हो सकते हैं।
5. यदि बच्चों को पता लग जाए कि उन्हें अवलोकित किया जा रहा है तो परिणाम बदल सकते हैं।
6. अवलोकनकर्ता सभी व्यवहारों को नोट करने में सक्षम नहीं हो सकता।

अवलोकन के दौरान ध्यान रखने वाले कारक

1. जिसका अवलोकन किया गया है उसके बारे में सभी सूचना जैसे अवलोकन की अवधि, दिनाँक तथा स्थान इत्यादि सभी को लिखा जाना चाहिए।
2. जहाँ तक सभव हो बच्चों के व्यवहार तथा संदर्भ के बारे में अधिक से अधिक सूचनाएँ नोट करें।
3. जैसे ही व्यवहार हो तुरंत नोट करें।
4. व्याख्या नहीं लिखें।
5. अवलोकन किये जा रहे बच्चों का सम्मान करें।
6. अवलोकन किये जा रहे बच्चों की गतिविधियों में हस्तक्षेप न करें।

14.3 साक्षात्कार

यह ऐसी तकनीक है जिसमें आकड़ों के संग्रहण हेतु बच्चों से प्रत्यक्ष रूप से बातचीत हो जाती है। एक व्यक्ति (साक्षात्कारकर्ता), दूसरे व्यक्ति (जिसका साक्षात्कार होना है) से कुछ निश्चित मुद्दों पर कुछ प्रश्न पूछता है तथा इस बातचीत के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। यह एक गहन तथा विस्तृत बातचीत होती है जोकि कुछ निश्चित उद्देश्यों पर आधारित होती है। साक्षात्कार अनुसूची साक्षात्कार में उपयोग की जाने वाली प्रश्नों की एक सूची होती है। साक्षात्कार के दौरान आमने-सामने का संपर्क, दोहराव, पुनः तैयार करने तथा कभी-कभी संवेगात्मक मुद्दों पर बातचीत करने में बहुत ही सहायक होता है। साक्षात्कार को श्रव्य-दृश्य रूप से रिकार्ड या नोट किया जा सकता है। श्रव्य रिकार्डिंग ज्यादा सटीक होती है तथा उन्हें प्रलेखित करने की आवश्यकता होती हैं। प्रलेखन रिकॉर्डिंग को आगे-पीछे सुनने तथा प्रतिक्रयाओं को लिखने की प्रक्रिया है हर उच्चारण जैसे ऊँह, आह, गलत शुरूआत और हकलाना, दोहराव, विचलित करने वाले वाक्य (जैसे "आप जानते हैं," "जैसे कि") तथा साक्षात्करकर्ता की टिप्पणी जैसे "सही" या "हाँ" इत्यादि को रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। इसमें विराग, हँसी, रोना, रूकावट, व्यक्तिगत टिप्पणियाँ, बाहरी शोर इत्यादि या संक्षेप में सब कुछ जो हम सुनते हैं, शामिल होना चाहिए।

साक्षात्कार को संरचित तथा संचालित करने हेतु निम्नलिखित चरण हैं–

1. अध्ययन किये जाने वाले मुद्दे का निर्णय लें तथा कोई उपयुक्त शीर्षक दें।
2. इस मुद्दे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सूचीबद्ध करें जिनकी जांच करनी है।
3. साधारण रूप से एवं सावधानी से प्रश्नों को लिखें।
4. लिखे गये प्रश्नों को सरल से जटिल की ओर व्यवस्थित करें।
5. प्रतिक्रिया देने वाले के लिए अपने उद्देश्य की व्याख्या हेतु परिचयात्मक अवतरण तैयार करें।
6. शब्दों की वैद्यता सुनिश्चित करने के लिए साक्षात्कार से पहले क्षेत्र परीक्षण करें। क्षेत्र परीक्षण के दौरान बातचीत उपागम का उपयोग करें।
7. आपकी उपस्थिति में प्रतिक्रिया देने वाले को सहज महसूस करने के लिए कुछ समय लें। इसे तालमेल गठन भी कहा जाता है।
8. सौहर्दपूर्ण वातावरण में साक्षात्कार संचालित किया जाना चाहिए।
9. प्रतिक्रिया देने वाले का धन्यवाद करें तथा नम्रतापूर्वक साक्षात्कार को समाप्त करें।
10. सभी उत्तरों को सटीकता से लिखें। यह सुझाव दिया जाता है कि जैसे ही साक्षात्कार समाप्त हो साक्षात्कार में दिये गये उत्तरों का विस्तृत विवरण लिखा जाना चाहिए।

विभिन्न प्रकार के साक्षात्कार निम्नलिखित हैं–

टिप्पणी

14.3.1 साक्षात्कार के प्रकार

14.3.1.1 संरचित: संरचित साक्षात्कार में सावधानीपूर्वक चयन किये गये किसी विषय से संबंधित पूर्व निर्धारित प्रश्नों को अनुसंधानकर्ता द्वारा बच्चों से पूछा जाता है जिनके उत्तर की पूर्व परिभाषित होते हैं।

14.3.1.2 अर्द्ध-संरचित: अर्द्ध-संरचित साक्षात्कार निष्पक्ष खुले ढ़ाँचे में संचालित किये जाते हैं जो केन्द्रित होते हैं तथा दो तरफा संचार एवं संवाद की अनुमति देते हैं। ये सूचना लेने तथा सूचना देने, दोनों ही प्रकार से उपयोग किये जा सकते हैं। इसमें लचीले प्रश्नों का एक समूह होता है जिन्हें मार्गदर्शक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

14.3.1.3 असंरचित: यह एक अनौपचारिक चर्चा होती है जिसमें कोई सख्त दिशा-निर्देश नहीं होते हैं तथा जो मुक्त चर्चा के अवसर प्रदान करता है एवं काफी विस्तृत प्रकृति का होता है।

14.3.2 साक्षात्कार के लाभ

1. मुद्दों के गहन अध्ययन हेतु साक्षात्कार एक सशक्त तकनीक है।
2. यदि प्रश्नों को ठीक से नहीं समझा गया है तो प्रश्नों को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है या दोहराया जा सकता है।
3. साक्षात्कार देने वाले या लेनेवाले दोनों ही अपनी गति के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं।
4. संदेहों का स्पष्टीकरण किया जा सकता है तथा आवश्यकता हो तो चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है।
5. यह अनपढ़ लोगों के साथ भी आसानी से उपयोग किया जा सकता है।

14.3.3 साक्षात्कार की हानियाँ

1. साक्षात्कार संचालन हेतु विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
2. कई बार आमने-सामने की बातचीत से बच्चे घबरा जाते हैं, विशेषतया: जब प्रश्न बहुत ही व्यक्तिगत होते हैं।
3. कभी-कभी लिखना तथा रिकार्ड करना बच्चे को ज्यादा सचेत कर देता है।

साक्षात्कार के दौरान ध्यान रखने वाले कारक

1. प्रश्नों को सावधानीपूर्वक संरचित किया जाए।
2. साक्षात्कार बहुत अधिक लम्बा नहीं होना चाहिए।
3. तालमेल गठन पर ध्यान देना चाहिए तथा बच्चे को सहज महसूस होना चाहिए।
4. साक्षात्कार के दौरान दिये गये उत्तरों को गोपनीयता बनी रहनी चाहिए।

टिप्पणी

पाठगत प्रश्न 14.2

(क) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. बच्चों को कुछ समय के लिए संक्षिप्त अंतरालों पर देखने को .... कहा जाता है।
2. संरचित साक्षात्कार में किसी थीम पर स्वतंत्र .... होती है।
3. शिशुओं के खेल व्यवहार का .... में सर्वोत्तम अध्ययन किया जाता है।
4. साक्षात्कार देने वाले का सम्मान .... सुनिश्चित करके किया जा सकता है।
5. भावनाओं, संवेगों तथा मूल्यों को समझने के लिए .... अच्छी विधि है।

(ख) नीचे दिये गये पदों को संबंधित कॉलम में लिखिए–

सहभागी तथा गैर सहभागी, वास्तविक परिस्थिति, अन्तर्क्रिया, अर्द्धसंरचित, आमने-सामने, घटना प्रतिदर्श चयन

अवलोकन	*साक्षात्कार*

14.4 प्रश्नावली

प्रश्नावली एक ऐसा उपकरण है जिसमें प्रश्नों को प्रतिक्रियाएँ एकत्रित करने की रणनीति के रूप में उपयोग करते हैं। इसमें लिखित प्रश्नों का एक समूह होता है जिस पर व्यक्ति (व्यक्तियों) या विषय (विषयों) पर प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। यह किसी चयनित विषय पर भावनाओं, विश्वासों, अनुभवों, धारणाओं या दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नों का एक संक्षिप्त एवं पूर्व नियोजित समूह होता है। प्रश्नावली व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशासित की जा सकती है।

14.4.1 प्रश्नावली के प्रकार

प्रश्नावली के दो प्रकार की होती है- बंद प्रश्नावली तथा खुली प्रश्नावली। आइए, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।

टिप्पणी

14.4.1.1 बंद प्रश्नावली: इस प्रश्नावली में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की सूची होती है साथ ही उत्तरों के लिए विकल्प होते हैं। यहाँ उत्तरदाता को दिये गये बहु विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना होता है।

14.4.1.2 खुली प्रश्नावली: इस प्रश्नावली में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की सूची होती है। परन्तु विवरणात्मक तथा व्यक्तिपरक उत्तर देने हेतु अवसर होता है।

14.4.2 प्रश्नावली के लाभ

1. प्रश्नावली प्रशासित करना कम खर्चीला होता है तथा इसमें समय भी कम लगता है।
2. कम समय में अधिक व्यक्तियों से सूचना एकत्र की जा सकती है।
3. प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित प्रश्नों के निश्चित क्रम वाली प्रश्नावली दी जाती है अत: साक्षात्कार से प्राप्त सूचना को तुलना में प्रश्नावली से सूचनाएँ आसानी से एकत्र की जा सकती है।

14.4.3 प्रश्नावली की हानियाँ

1. यह केवल साक्षर उत्तरदाताओं के लिए ही उपयोग में ली जा सकती है।
2. इसमें प्रश्नों तथा उत्तरों की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण हेतु कोई अवसर नहीं होता है।
3. अनुवर्त्ती प्रश्नों की कोई गुंजाइश नहीं होती है।
4. इसकी वापसी की दर कम होती है अर्थात् उत्तरदाता भरी हुई प्रश्नावली को वापस नहीं करता है।
5. ऐसी भी संभावना होती है कि उत्तरदाता सभी प्रश्नों के उत्तर न दें।

प्रश्नावली तैयार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारक :

1. प्रश्नावली की शब्दावली, प्रश्नों की क्रमबद्धता तथा निर्देश सावधानीपूर्वक तैयार किये जाने चाहिए।
2. गोपनीयता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
3. खुली प्रश्नावली में लिखने के लिए पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए।
4. प्रश्नावली उत्तरदाताओं को उनकी क्षेत्रीय भाषा में दी जानी चाहिए।

प्रश्नावली व साक्षात्कार में अंतर

साक्षात्कार	*प्रश्नावली*
1. आमने–सामने की प्रक्रिया होती हैं।	प्रकाशित सामग्री द्वारा प्रशासित होती है।
2. शिशु व छोटे बच्चों के अलावा सभी के लिए उपयुक्त है।	केवल साक्षर लोगों के लिए उपयुक्त है।
3. समय ज्यादा लगता है।	कम समय में होता है।
4. किसी विशेष समय में कुछ ही व्यक्तियों के साथ संचालित किया जा सकता है।	किसी विशेष समय में बहुत बड़ी संख्या में प्रशास्ति किया जा सकता है।
5. उत्तरों का विश्लेषण जटिल होता है।	पूर्व निर्धारित उत्तरों तथा श्रेणियों की वजह से विश्लेषण करना सापेक्षतया आसान होता है।
6. आमने-सामने की परिस्थिति में साक्षात्कारदाता को प्रश्नों का अर्थ स्पष्ट करना आसान होता है।	संदेहों को दूर न कर पाने की स्थिति में उत्तरदाता प्रश्नों को अपनी व्याख्या के अनुसार समझता है।
7. उत्तरदाता के बारे में गहन समझ का पता लगाना संभव है।	बंद प्रश्नावली के स्थिति में केवल सीमित क्षेत्रों की समझ का पता लगाना ही संभव हों।
8. सामाजिक रूप से वांछित उत्तर ही प्राप्त होते हैं।	उत्तर देते समय गोपनीयता उत्तरदाता को ज्यादा ईमानदार होने की अनुमति देती है।
9. साक्षात्कार अनुसूची तैयार करना सापेक्षतया आसान है।	बंद प्रश्नावली तैयार करने में ज्यादा समय लगता है तथा इसकी प्रक्रिया जटिल होती है।

पाठगत प्रश्न 14.3

बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य–

1. साक्षात्कार में, प्रतिभागियों के संदेहों एवं प्रश्नों को स्पष्ट किया जा सकता है।
2. प्रश्नावली साक्षर लोगों से सूचनाएँ एकत्र करने हेतु उपयोग की जाती है।
3. प्रश्नावली कम समय लेने वाली होती है।
4. संरचित साक्षात्कार में प्रश्नों का क्रम मायने नहीं रखता है।

टिप्पणी

14.5 संचार के रूप में कला

अभिव्यक्ति के कलात्मक रूपों जैसे कि रोल प्ले और ड्राइंग का उपयोग बच्चों के साथ उनकी प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए किया जा सकता है। ये बच्चों के व्यवहारों तथा विचारों से संबंधित आँकड़ों के एकत्रीकरण हेतु उपयोग की जा सकती हैं।

आइए, इन कलात्मक रूपों के बारे में और अधिक जानें–

14.5.1 रोल प्ले (Roleplay)

रोल प्ले एक ऐसी विधि है जिसमें अलग-अलग व्यक्ति स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति के बारे में किसी स्थिति या परिदृश्य के बारे में दिये गये उद्देश्यों के आधार पर भूमिका का निर्वहन करते हैं। यह जटिल सामाजिक स्थितियों में शामिल मुद्दों की खोज करने की एक विधि है। जो व्यक्ति रोल प्ले में शामिल होते हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे विशेष स्थिति या भूमिका के अनुसार कार्य करें। उदाहरण के लिए, रोल प्ले में, बच्चे ऐसी स्थितियों की भूमिका निर्वहन कर सकते हैं जो काल्पनिक या वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित हों। शोधकर्ता बच्चों को विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाते हुए या नाटक के बाद की चर्चा में पात्रों से चर्चा करके सूचनाएँ एकत्र कर सकता है।

14.5.1.1 रोल प्ले के लाभ

- यह बच्चों द्वारा भूमिका निर्वहन के दौरान विचारों एवं परिप्रेक्ष्यों से संबंधित सूचनाएँ एकत्र करने में सहायता करता है।
- यह बच्चों में संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करने में उपयोगी है।
- यह बच्चों की कौशल पहल, संवाद, आत्म-जागरूकता तथा सहयोग की समस्याओं एवं समाधानों के प्रति बच्चों की प्रतिक्रियाओं का आकलन करने में सहायता करता है।
- यह मानव के जटिल अन्तर्क्रियाओं को पहचानने में सहायता करता है।

14.5.2 संवाद के स्रोत के रूप में चित्र

छोटी उम्र से ही बच्चे के क्रेयान से टेड़ी-मेढ़ी रेखाएँ खींचना पसंद करते हैं। वे कागज पर विशेष रंग या स्ट्रॉक का उपयोग कर सकते हैं। चित्र का कोई दोष आकार या वास्तविक से कोई मेल नहीं होता है। जब माँ या शिक्षक ने बच्चों से इस बारे में पूछा कि इन्होंने क्या बनाया है तो उनके दिये उत्तर में एक अर्थ होता है। हाल के वर्षों में, शोधकर्ताओं ने 4 से 6 वर्ष के बच्चों को उनके द्वारा बनाये गये चित्रों के बारे में जानने का प्रयास किया है। चित्रों का रंग, स्ट्रोक की त्रीवता तथा उनके आख्यान के आधार पर विश्लेषण किया जाता है।

14.6 बच्चों की प्रगति का प्रतिवेदन

14.6.1 उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड (Anecdotal Records)

उपाख्यानात्मक अभिलेख महत्वपूर्ण प्रकरणों का विस्तृत विवरण है जो कि किसी समय की अवधि के लिए दैनिक आधार पर बच्चों की प्रगति अभिलेखित करने के लिए लिखा एवं अनुरक्षित किया जाता है। उपाख्यानात्मक अभिलेख बच्चों के जीवन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण आवधिक जानकारी प्रदान करते हैं। रिकॉर्ड में बच्चों के विकास से संबंधित कई पहलू जैसे उनके व्यवहार, बातचीत, पसंद, नापसंद, रूचि इत्यादि शामिल हो सकते हैं।

14.6.2 संविभाग (Portfolio)

पोर्टफोलियो बच्चों के काम का एक संग्रह हैं जो उनके विकास एवं प्रगति को दर्शाता है। इसमें बच्चों के लेखन, चित्रकला एवं शिल्प कार्य, गतिविधि पत्रक, तस्वीरें, वीडियो आदि शामिल होते हैं। यह बच्चों की वृद्धि विकास तथा अधिगम का प्रकाश है जो बच्चों के जीवन की एक समृद्ध एवं व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करता है। बच्चों के पोर्टफोलियो में ड्राइंग, लेखन और कोई भी अन्य गतिविधि के शामिल किया जा सकता है। यह विभिन्न आयामों में बच्चों के वृद्धि एवं विकास के आकलन हेतु एक व्यापक माध्यम प्रदान करता है। यह संग्रह बच्चों को उनके कार्य पर चर्चा करने, याद करने, और विशेष घटना या कार्यक्रम को याद रखने के साथ-साथ इसे दूसरों के साथ साझा करने के अवसर भी देता है।

आपने क्या सीखा

- बच्चों के क्रमबद्ध अध्ययन, उनके व्यवहार तथा विचारों के अध्ययन हेतु विशिष्ट तकनीकों जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, कला तथा रोल प्ले इत्यादि का उपयोग किया जाता है।
- अनुसंधान अभिकल्प अनुसंधान को व्यवस्थित रूप से पूरा करने हेतु एक रूपरेखा या विस्तृत प्रणाली है। इसमें क्रास सेक्सनल रिसर्च, अनुदैर्ध्य अनुसंधान, व्यैक्तिक अध्ययन तथा प्रायोगिक अभिकल्प शामिल हैं।
- सफलतापूर्वक जानकारी एकत्र करने हेतु एक अच्छे उपकरण की अवश्यकता होती है।
- उपाख्यानात्मक अभिलेख महत्वपूर्ण प्रकरणों का विस्तृत विवरण है जो कि किसी समयावधि के लिए दैनिक आधार पर बच्चों की प्रगति अभिलेखन हेतु लिखा तथा अनुरक्षित किया जाता है। ये बच्चों के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण आवधिक जानकारी देते हैं।

टिप्पणी

- पोर्टफोलियो बच्चों के काम का एक संग्रह है जो उनके विकास एवं प्रगति को दर्शाता है। इसमें बच्चों के लेखन, चित्र, कला एवं शिल्प कार्य, गतिविधि पत्रक, तस्वीरें, वीडियो आदि शामिल होते हैं। यह बच्चों की वृद्धि, विकास तथा अधिगम का प्रमाण है जो बच्चों के जीवन को एक समृद्ध एवं व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करता है?

पाठांत प्रश्न

1. कुछ ऐसे मुद्दे एवं सरोकारों पर चर्चा कीजिए जिनकी बच्चों के व्यैक्तिक अध्ययन द्वारा खोजबीन की जा सकती हो।
2. बच्चों से संबंधित आँकडे एकत्रीकरण में विविध कलात्मक रूपों को किस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है?
3. पहले 6 महीनों में शिशु के व्यवहार को समझने हेतु अवलोकन विधि की उपयोगिता का वर्णन कीजिए।
4. प्रश्नावली एवं साक्षात्कार विधि में अन्तर का वर्णन कीजिए।
5. निम्नलिखित के संचालन हेतु ध्यान रखने वाले बिन्दुओं को सूचीबद्ध कीजिए–
   - साक्षात्कार
   - अवलोकन
   - प्रश्नावली

उत्तरमाला

14.1

(क) 1. सत्य 2. असत्य 3. असत्य 4. सत्य 5. सत्य

(ख) क्रास सेक्सनल, अनुदैर्ध्य, प्रायोगिक एवं व्यैक्तिक अध्ययन

14.2

(क) 1. काल प्रतिदर्श चयन 2. बातचीत 3. अवलोकन 4. गोपनीयता 5. साक्षात्कार

(ख)

अवलोकन	साक्षात्कार
सहभागी एवं गैरसहभागी	अर्द्ध–संरचित
वास्तविक परिस्थिति	आमने–सामने
घटना प्रतिदर्श चयन	अन्तर्क्रिया

14.3

(क) 1. सत्य 2. सत्य 3. सत्य 4. असत्य

शब्दावली

बायोग्राफी : जीवन की कहानी

विकास के संदर्भ : व्यक्तिगत सामाजिक प्रभाव एवं परिस्थितियाँ।

विकास के आयाम : विकास एवं अधिगम के विभिन्न क्षेत्र

विकास के सिद्धांत : वृद्धि एवं विकास के सार्वभौमिक गुण

विकास की अवस्थाएँ : वृद्धि के आयु अनुरूप काल

अध्ययन की तकनीक : व्यवहार अध्ययन हेतु विविध उपकरण

संदर्भ

- Berk, L.E. (2009). *Development Through the Lifespan*. New Delhi: Pearson.
- Corsaro, W. A. (1997).*The Sociology of Childhood*. California: Sage, Pine Forge Press.
- Kakar, S. (1980).*The Inner World*. New Delhi: Oxford University Press.
- National Council of Educational Research and Training. (2006). *Position Paper of the National Focus Group on Early Childhood Education*. New Delhi: NCERT.
- Santrock, J. W. (1994). *Child development (6th Ed.)*. Wisconsin: Brown & Benchmark Publishers.

इंटरनेट स्रोत

http://psychology.about.com/od/developmentalpsychology/a/devresearch.htm

http://lrrpublic.cli.det.nsw.edu.au/lrrSecure/Sites/LRRView/7401/documents/theories_outline.pdf

15

ईसीसीई केन्द्र की रूपरेखा (प्रोफाइल)

तीन वर्ष की गीता पहली बार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) केन्द्र में प्रवेश करती है। वह चारों ओर देखती है तथा रंगों, बनावट, सुव्यवस्थित स्थान, खिलौने तथा शिक्षकों की ओर आकर्षित होती है। उसे केन्द्र रूचिकर लगता है और उसे वहाँ समय बिताकर अच्छा लगता है। अगले तीन घंटों के लिए वह वहाँ खेलती है तथा कहानियाँ सुनती है। वह वहाँ पढ़ती है, नई चीजें सीखती है तथा रंगों के साथ कार्य करती है। वह अपने नई मित्रों के साथ खाना खाती है। दिन के अंत में वह खुश होकर घर आती है तथा अगले दिन फिर से स्कूल जाने के लिए उत्साहित है।

ईसीसीई केन्द्र के किन गुणों ने दिन के अंत में गीता को प्रसन्नता का अनुभव कराया?

एक ईसीसीई केन्द्र तीन से आठ वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए सीखने का आनंददायी स्थान होना चाहिए। छोटे बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। वे अपने परिवेश में दृश्यों तथा ठोस वस्तुओं को अर्थपूर्णता हेतु संगठित करते हैं। ऐसा होने के लिए बच्चों को एक ऐसे सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है जहाँ उन्हें परिवेश में खोजबीन करने के लिए प्रेरित किया जाए तथा खोजबीन हेतु पुरस्कृत किया जाए। उन्हें ऐसे वातावरण की आवश्यकता है जो संवेदी उद्दीपनों हेतु समृद्ध हो तथा उनकी कल्पनाशीलता तथा सृजनात्मकता के उपयोग के अवसर प्रदान करता हो।

इस पाठ में हम जानेंगे कि कौन से तत्व एक ईसीसीई केन्द्र को आकर्षक, उद्दीपक तथा भागीदार बनकर सीखने का स्थान बनाते हैं। यह पाठ चार खंडों में बांटा गया है। पहला खंड स्थान प्रबंधन से हेतु स्थान की पहचान से संबंधित है। दूसरा खंड ढांचागत सुविधाओं से संबंधित है। तीसरा खंड ईसीसीई कर्मचारियों की नियुक्ति, ईसीसीई स्टॉफ के प्रकार एवं उनकी नियुक्ति, पर्यवेक्षण एवं निगरानी से संबंधित है। चौथा खंड आर्थिक संसाधनों के उपयोग एवं उनकी गतिशीलता से संबंधित है।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप

- ईसीसीई केन्द्र की आवश्यक विशेषताओं का वर्णन करते हैं;
- ईसीसीई केन्द्रों के स्थान संबंधी मुद्दों पर चर्चा करते हैं;
- ईसीसीई केन्द्र की स्थापना करने हेतु ध्यान में रखे जाने वाले संसाधनों/भौतिक सुविधाओं की सूची तैयार करते हैं;
- ईसीसीई केन्द्र पर आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री तथा अन्त: एवं बाह्य दोनों प्रकार के खेलों के लिए आवश्यक सामग्री की सूची तैयार करते हैं;
- बाह्य एवं आन्तरिक स्थान तथा संसाधनों के सार्थक उपयोग एवं रखरखाव के प्रभावी एवं कुशल तरीके बताते हैं;
- आपदा प्रबंधन तथा प्राथमिक उपचार में निपुणता से बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल सुनिश्चित करते हैं;
- केन्द्र के लिए उपयुक्त उपकरणों एवं सामग्री का चयन करते हैं;
- विविध गतिविधियों के लिए निर्धारित किये जाने वाले स्थान की योजना की रूपरेखा तैयार करते हैं; और
- विभिन्न ईसीसीई कर्मचारियों तथा भागीदारों की सूची तैयार करते हैं।

15.1 स्थान की पहचान

चूंकि प्रीस्कूल के बच्चों पर वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव होता है इसीलिए ईसीसीई केन्द्र/प्रीस्कूल के लिए स्थान की पहचान करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। केन्द्र का स्थान ऐसा होना चाहिए, जहाँ–

क) पहुँचना आसान हो।

ख) सफाई एवं स्वच्छता हो तथा प्रदूषण रहित वातावरण हो।

ग) सुरक्षा एवं बचाव हो।

घ) दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा रहित वातावरण हो।

आइए, ईसीसीई केन्द्र की इन आवश्यक विशेषताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करें–

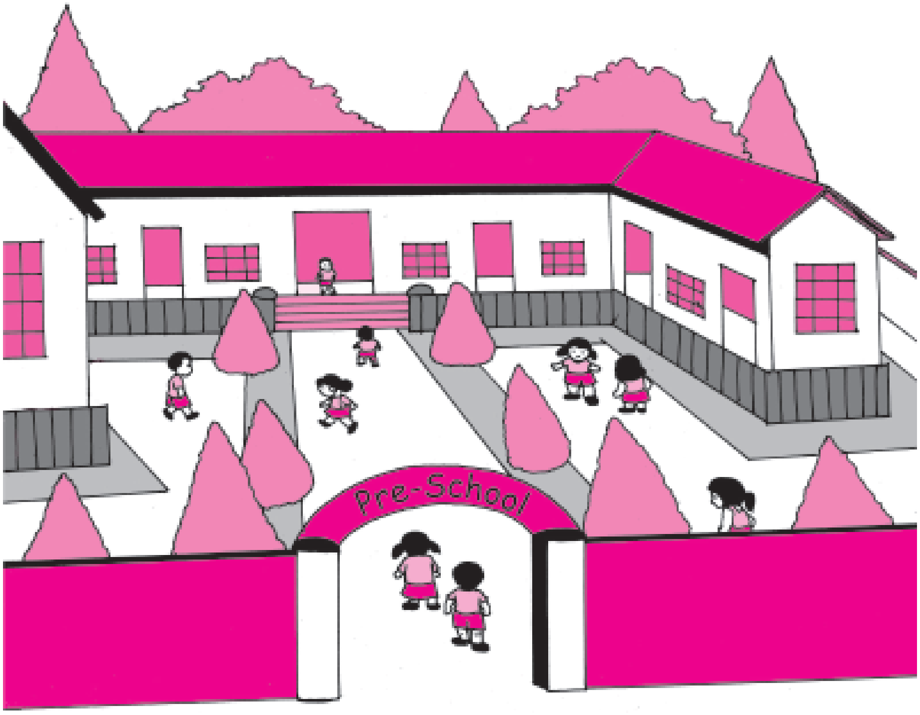

चित्र 15.1 : एक ईसीसीई केन्द्र/प्रीस्कूल

(a) आसान पहुँच

ईसीसीई केन्द्र की स्थिति किसी भी अभिभावक द्वारा ईसीसीई केन्द्र/प्रीस्कूल के चयन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। बच्चों को केन्द्र तक सामान्यत: उनकी माँ या भाई-बहन ही छोड़ते हैं। अभिभावक अपने घर या कार्यस्थल के समीप ही स्कूल का चयन करते हैं ताकि बच्चों को प्रतिदिन स्कूल छोड़ने तथा स्कूल से लेना सुविधाजनक हो। किसी ईसीसीई केन्द्र की सबसे बेहतर स्थिति वह होती है जब केन्द्र किसी अन्य स्कूल के साथ या किसी पार्क के पास या समुदाय के केन्द्र में स्थित हो।

(b) साफ-सफाई, स्वच्छता तथा प्रदूषण मुक्त वातावरण

छोटे बच्चों की देखभाल करते समय स्वच्छता तथा साफ-सफाई मूलभूत मुद्दे हैं। साफ-सफाई तथा स्वच्छता में उच्च मानक बच्चों के सीखने के लिए एक स्वागत योग्य एवं सुरक्षित वातावरण बनाते हैं। छोटे बच्चों में संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसलिए ईसीसीई केन्द्र पर सदैव संक्रमण का ज्यादा जोखिम होता है। गंदे कमरे तथा अहाता, त्वचा रोग एवं कृमि संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसलिए ईसीसीई केन्द्र का स्थान सदैव संक्रमण के स्रोतों, जैसे– रूके हुए पानी के तालाब, कूढ़े के ढ़ेर, खुले नाले इत्यादि से दूर होना चाहिए। फर्श तथा शौचालयों को प्रतिदिन कीटाणुनाशक से साफ किया जाना चाहिए। भवन मानक गुणवत्ता निर्माण के तरीकों तथा सामग्री से बना होना चाहिए। यह भवन के अन्दर की हवा की गुणवत्ता की वृद्धि में सहायता करेगा।

ध्वनि प्रदूषण बच्चों में एकाग्रता की कमी तथा सिरदर्द का कारण बन सकता है। इसे ध्वनि,

अवशोषक सामग्री जैसे छत के बोर्ड, रबर के फर्श तथा मजबूत दरवाजे इत्यादि द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। गर्मी, प्रकाश तथा उचित वायु संचार बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है।

पर्याप्त प्रकाश तथा वायु संचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किसी ईसीसीई केन्द्र को सुनियोजित वायु संचार की आवश्यकता है। यदि संभव हो तो मक्खियों, मच्छरों तथा अन्य कीड़ों के प्रवेश को रोकने के लिए सभी खिड़कियों पर तार की जाली लगवाएं।

(c) सुरक्षा एवं बचाव

बच्चे अपने आस-पास पर्यावरणीय खबरों से बचाव के लिए कम तैयार होते हैं। बच्चे मोटर वाहनों से संबंधित दुर्घटनाओं, आग एवं जलने, डूबने, गिरने तथा नहर इत्यादि से संबंधित दुर्घटनाओं के लिए अति संवेदनशील होते हैं। पर्यावरण में बच्चों की सुरक्षा एवं बचाव संबंधी आवश्यकताओं के लिए ईसीसीई केन्द्र की योजना व्यवस्था तथा स्थापना के सभी चरणों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुरक्षित वातावरण में बच्चे स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं तथा बिना किसी की निगरानी के ज्यादा खोजबीन कर सकते हैं।

एक सुरक्षित वातावरण में शामिल होता है–

- गैर-विषैले पदार्थों से बने विकास के लिए उपयुक्त उपकरण;
- फिसलन रहित फर्श;
- स्थिर अलमारियाँ, वस्तुएं तथा गोलाकार कोनों की सहायता से जुड़े उपकरण;
- गोलाकार कोनों वाली दीवारें; और
- सुरक्षित बिजली फिटिंग तथा प्लग प्वाइंटस।

(d) दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा रहित वातावरण

गुणवत्तायुक्त ईसीसीई केन्द्र दिव्यांग बच्चों का स्वागत करता है। सभी बच्चों के लिए केन्द्र में पहुँच सुलभ बनाने के लिए केन्द्र की स्थिति तथा बुनियादी ढाँचा दिव्यांगों की आवश्यकतानुरूप होना चाहिए। इसमें जहाँ आवश्यक हो वहाँ रैम्प, चौड़े दरवाजे, रेलिंग से सुसज्जित शौचालय, लचीले फर्नीचर, केन्द्र के बाहर जाने तथा अंदर आने के योजनाबद्ध तरीके से तैयार किये गये रास्ते होने चाहिए।

खराब बुनियादी ढाँचा, दिव्याँग बच्चों के लिए फर्नीचर की अनुपलब्धता, विशेष सहायक उपकरणों की खराब गुणवत्ता इत्यादि एक समावेशी ईसीसीई केन्द्र की प्रमुख चुनौतियाँ हैं।

पाठगत प्रश्न 15.1

खाली स्थान भरिए–

(a) .... तथा .... जैसे प्रावधान करके ईसीसीई केन्द्र को दिव्यांग बच्चों के लिए सुलभ बनाया जा सकता है।

टिप्पणी

(b) गन्दे तथा अस्वच्छ कमरे बच्चों में .... तथा .... पैदा कर सकते हैं।

(c) .... तथा .... कुछ संक्रमण के स्रोत हैं।

(d) ईसीसीई केन्द्र पर बच्चों की सुरक्षा के लिए फर्श .... होना चाहिए।

(e) गर्मी, प्रकाश तथा समुचित .... बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

15.2 बुनियादी ढ़ाँचा/भौतिक सुविधाएँ

ईसीसीई केन्द्र पर भौतिक सुविधाओं में आन्तरिक तथा बाह्य दोनों ही तरह की सुविधाएं शामिल होती हैं। इस खंड में आन्तरिक तथा बाह्य भौतिक सुविधाओं के साथ-साथ हम ईसीसीई केन्द्र पर पानी तथा शौचालय संबंधी सुविधाओं के महत्व पर भी चर्चा करेंगे।

15.2.1 बाह्य सुविधाएँ

बाह्य खेल बच्चों की स्वाभाविक गतिविधियों का एक अभिन्न अंग है। पर्याप्त स्थान, खोजबीन करने के अवसर, कल्पनाशीलता तथा सृजनात्मकता का उपयोग इत्यादि सभी ऐसे तत्व हैं जो बाहरी स्थान को सीखने के वातावरण के अनुकूल बनाते हैं। इसके अतिरिक्त यह बच्चों को सुरक्षा एवं बचाव के मानकों के अन्तर्गत बच्चों को जोखिम उठाने की अनुमति देता है। इसलिए, उपलब्ध बाह्य स्थान का अधिकतम उपयोग करना तथा सुरक्षा एवं बचाव के लिए उसे ठीक बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बाह्य सुविधाओं में खेल का मैदान, रेत के गढ्ढे, घास से ढ़का क्षेत्र इत्यादि शामिल हैं।

(a) **खेल के मैदान :** सभी खेल के मैदानों में तीन प्रकार के क्षेत्र शामिल होने चाहिए, जिन्हें आमतौर पर खुले, शांत तथा सक्रिय क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- दौड़ने एवं खेलने के लिए खुले क्षेत्र में पक्का पथ (साइकिल चलाने के लिए), खेल का मैदान लॉन तथा शेड शामिल होते हैं। यदि हमारे पास केन्द्र में पर्याप्त स्थान नहीं है तो शिक्षक बच्चों को घास के पार्क या अन्य खुली जगह जहाँ भी संभव हो ले जा सकते हैं।
- वहाँ शांत क्षेत्र भी होने चाहिए जैसे- कम वनस्पति तथा पेड़, भूनिर्माण, वनस्पति उद्यान, रेत इत्यादि वाले क्षेत्र।
- बच्चों में संपूर्ण गतिक विकास के लिए सक्रिय क्षेत्र होना आवश्यक है। सक्रिय क्षेत्र में झूले, सी-सॉ, जंगल जिम, फिसल पट्टी, रस्सी वाली सीढ़ियाँ शामिल होती हैं। कम लागत/बेकार वस्तुओं जैसे टायर जैसी वस्तुओं का उपयोग झूले बनाने के लिए किया जा सकता है। खेलने के लिए घास से ढके हुए छोटे क्षेत्र की सुविधा बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर कर सकती है।

(b) **रेत के गढ्ढे :** रेत के गढ्ढों को आमतौर पर बाह्य गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसका आकार एक बार में उपयोग करने वाले बच्चों की संख्या के लिए पर्याप्त होना चाहिए। रेत को धोकर साफ करके समुचित गहराई तक भरना चाहिए।

पाठगत प्रश्न 15.2

बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य–

(a) एक ईसीसीई केन्द्र बच्चों के स्वागत योग्य होना चाहिए।

(b) यदि हमारे पास खेल का मैदान नहीं है तो हमें दौड़, कूद तथा झूलने की गतिविधियों का आयोजन नहीं करना चाहिए।

(c) रेत के गढ्ढों में रेत धोकर साफ करके उचित गहराई तक भरना चाहिए।

(d) हम बाह्य खेलों के लिए कम लागत वाली स्थानीय रूप से उपलब्ध खेल सामग्री उपयोग कर सकते हैं।

(e) सभी समावेशी केन्द्रों को दिव्यांगों के अनुकूल बुनियादी ढ़ाँचा सुनिश्चित करना चाहिए।

15.2.2 आन्तरिक सुविधाएँ

बच्चों की शिक्षा और विकास में समुचित रूप से व्यवस्थित आन्तरिक स्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे बच्चों को चुनौती और उद्दीपन प्रदान करना चाहिए और बच्चों की कल्पनाशीलता तथा सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। उसी समय इसे सीखने में स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करनी चाहिए।

चित्र 15.2 : आन्तरिक सुविधाएँ

ईसीसीई केन्द्र में आन्तरिक सुविधाओं में अच्छी रोशनी वाले हवादार कमरे, भंडारण का स्थान, सुरक्षित फर्श कवरिंग आदि शामिल हैं।

(a) **आकार :** आन्तरिक स्थान वांछित संख्या में बच्चों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त बड़ा होना चाहिए। यदि आन्तरिक बच्चों को समायोजित करने में अपर्याप्त है तो हमें बच्चों को समूह में बाँट लेना चाहिए। इन समूहों में से कुछ समूहों को आन्तरिक खेल में तथा कुछ समूहों को बाह्य खेल में शामिल किया जा सकता है।

(b) **रोशनी एवं हवादार कमरे :** पर्याप्त रोशनी तथा हवादार कमरे आंतरिक वातावरण को आरामदायक बनाये रखने में सहायक होते हैं और बच्चों के सीखने में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। यह कम ऊँचाई वाली खिड़कियों, बिजली के पंखों तथा हवा बाहर फेंकने वाले पंखों आदि की सुविधा प्रदान करके ही संभव किया जा सकता है।

(c) **प्रकाशः** प्रकाश की गुणवत्ता एवं मात्रा बच्चों के शिक्षकों और बच्चों के स्वभाव तथा इच्छाओं को प्रभावित करती है। इसे लाइटशेड, खिडकियों और वेंटिलेटर का उचित स्थान के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है। पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश के अभाव में टयूबलाइट का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि प्राकृतिक रोशनी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(d) **भंडारण स्थान :** किसी ईसीसीई केन्द्र में खिलौने, ब्लॉक्स, किताबें, थैले, शिक्षण सामग्री, उपकरण, संगीत उपकरण इत्यादि के भंडारण हेतु पर्याप्त स्थान होना चाहिए। इसलिए आन्तरिक सुविधाओं में बड़ी तथा गहरी अलमारियाँ, जो बच्चों की पहुँच में हों, होनी चाहिए ताकि बच्चे जब चाहें तब उनका उपयोग कर सकें।

(e) **फर्श ढकनाः** यदि संभव हो तो बच्चों की सुरक्षा के लिए फर्श चढ़ाई या गद्दों इत्यादि से ढके होने चाहिए। आरामदायी बनाने के लिए प्राकृतिक सामग्री के उपयोग करना चाहिए। सतह के लिए ऐसी सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए जिसे आसानी से साफ किया जा सके तथा जिसका रखरखाव आसान हो।

चित्र 15.3 : आसान पहुँच-किताबों की अलमारी

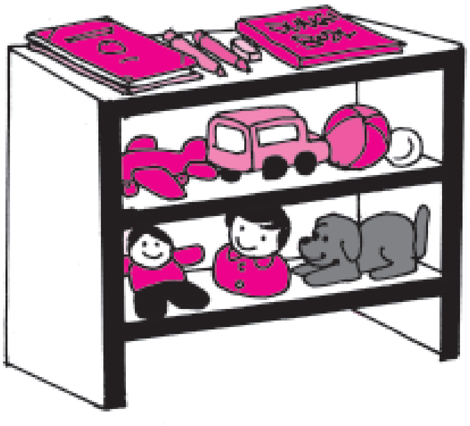

चित्र 15.4 : आसान पहुँच-खेल सामग्री का भंडारण

(f) **दीवारें और छतः** दीवारें ईंटों, मिट्टी, पत्थर या सीमेंट की बनी हो सकती हैं परन्तु वे सुरक्षित, मजबूत तथा टिकाऊ होनी चाहिए। छत, सीमेंट, बाँस या केले के पत्तों या अन्य

टिप्पणी

किसी भी स्थानीय सामग्री की बनी हो सकती है परन्तु ये मजबूत और सुरक्षित होनी चाहिए।

(g) **जल सुविधा :** बहुत से केन्द्रों पर अब भी सुरक्षित पेय जल की सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसके चलते बच्चों में कई जल जनित संक्रामक रोगों के पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए किसी ईसीसीई केन्द्र/प्रीस्कूल में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता एक बुनियादी आवश्यकता है।

(h) **शौचालय सुविधा:** बहुत से अभिभावक अपनी बच्चियों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि स्कूल में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय नहीं है। केन्द्र पर लड़कों तथा लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय होने चाहिए। बच्चों के शौचालय उनके आयु वर्ग के अनुरूप उचित आकार तथा ऊँचाई के होने चाहिए। हाथ धोने के स्थान तथा साबुन इत्यादि इतनी ऊँचाई पर होने चाहिए जो बच्चों को आसान पहुँच में हों।

पाठगत प्रश्न 15.3

कॉलम 'अ' तथा कालम 'ब' का सही मिलान कीजिए–

कालम 'अ'	कालम 'ब'
(क) हवादार कमरे	(i) जल जनित बीमारियों से बचाता है।
(ख) प्रकाश	(ii) मजबूत तथा टिकाऊ होनी चाहिए।
(ग) छत तथा दीवारें	(iii) लड़के तथा लड़कियों के लिए अलग होने चाहिए।
(घ) शौचालय सुविधा	(iv) चौड़े तथा नीचे खिडकियों वाले होने चाहिए।
(च) सुरक्षित पेयजल	(v) अधिकतर प्राकृतिक रोशनी वाला हो।

15.2.3 ईसीसीई केन्द्र की सुरक्षा

आपदा प्रबंधन एवं प्राथमिक उपचार सुविधा, आपदा योजना या संकट प्रबंधन उन कारणों का अनुमान लगाने के संबंध में है। जिनकी वजह से दुर्घटनाएं हो सकती हैं तथा साथ ही साथ बच्चों तथा कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें क्षति पहुँचते से बचाने के लिए है।

ईसीसीई केन्द्र स्थापित करने की योजना में आपातकालीन स्थितियों का प्रबंधन करने वाली प्रभावी प्रक्रियाओं का नक्शा शामिल होना चाहिए। ईसीसीई केन्द्रों को अग्निशामक यंत्र, रेत की बाल्टियाँ, प्राथमिक उपचार व्यवस्था इत्यादि से सुसज्जित किया जाना चाहिए।

आपदाओं के प्रबंधन के लिए कर्मचारियों, बच्चों, माता-पिता और स्थानीय समुदाय को शामिल करते हुए एक गतिशील, पूर्व नियोजित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। पहले से योजना बनाकर तथा अधिक से अधिक स्वास्थ्य और सुरक्षा चरों का अनुमान लगाकर, ईसीसीई केन्द्र यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपदा के दिन लिए गये निर्णय न केवल शीघ्र तथा प्रभावी

टिप्पणी

ढ़ंग से लिए जाते हैं अपितु वे समय से होने वाली सही तथा स्वचालित प्रक्रियाएं होंगी जिनके लिए आपदा हेतु पूर्व में समय लगाया गया है।

आपदा तथा आपातकाल से बचने के लिए देखभाल करने वालों, शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। बच्चों के लिए समुचित प्राथमिक उपचार बॉक्स तथा आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता बुलाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

15.3 उपकरण तथा अधिगम सामग्री

छोटे बच्चे सतत रूप से बढ़ते तथा सीखते हैं। वे अपनी कल्पनाशीलता से माचिस की डिब्बी को कार, टहनी को पेड़ या पत्थर के किसी टुकड़े को जानवर के रूप में बदल सकते हैं। उन्हें सीखने के लिए महंगे उपकरणों और खिलौनों की आवश्यकता नहीं है। उन सभी को विकास के उपयुक्त खेल साधनों तथा सीखने की सामग्री के साथ-साथ उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यह उन्हें स्वयं को तथा इस संसार को समझने में सहायता करता है जिसमें वे रहते हैं।

आइए, किसी ईसीसीई केन्द्र पर बच्चों के लिए आवश्यक उपकरणों तथा अधिगम सामग्री के बारे में और अधिक जानें।

15.3.1 उपकरणों एवं अधिगम सामग्री के प्रकार

केन्द्र पर साधनों/उपकरणों को मुख्य रूप से अन्दर खेले जाने वाले तथा बाहर खेले जाने वालों साधनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

(a) **आन्तरिक उपकरण एवं अधिगम सामग्री :** इसमें ब्लॉक्स खिलौने रूप में बर्तन तथा नाटक खेलने के लिए अन्य सामग्री होती है। इसमें पहेलियाँ, जोड़-तोड़कर बनाये जाने वाले खिलौने/खेल, कला गतिविधियों के लिए सामग्री भी शामिल हैं।

(b) **बाह्य उपकरण तथा अधिगम सामग्री :** इसमें ऊपर चढ़ने वाले उपकरण, फिसल पट्टियाँ, जंगल जिम, सी-सॉ, गेंद (विभिन्न आकार एवं बनावट वाली), खेल उपकरण (बच्चों के लिए उपयुक्त आकार का बास्केट बाल घेरा, प्लास्टिक का बैट, हॉकी), पहिये वाले खिलौने (गाडियाँ, खीचने/धक्का देने वाले खिलौने, स्कूटर), चलाये जाने वाले खिलौने (पैंडल् रहित और पैडल सहित विविध आकार के, एक या दो बच्चों द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले), टम्बलिंग चटाई, कूदने वाली रस्सी, लकड़ी की टहनियाँ रेत के डिब्बे, रेत के गढ्ढे, मापन कप/चम्मच, विभिन्न प्रकार के बर्तन/पात्र, प्लास्टिक की बोतलें, तैरने तथा डूबने वाली वस्तुएँ, प्राकृतिक वस्तुएं जैसे सीप, लकड़ी के गुटखे, पत्थर इत्यादि होते हैं।

चित्र 15.5 : बाह्य खेल क्षेत्र

15.3.2 उपकरण एवं अधिगम सामग्री का चयन

खेल के माध्यम से ही बच्चे सीखते हैं। अतः खेल सामग्री उनकी अधिगम सामग्री भी है। केन्द्र के लिए उपयुक्त उपकरण तथा अधिगम सामग्री के चयन में उचित सोच-विचार आवश्यक है। प्रायः, खेल सामग्री के लिए आवंटित धनराशि सीमित होती है। इसलिए आवंटित धनराशि का उपयोग कैसे किया जाए, इस पर अच्छी तरह से योजना बनाने की जरूरत है।

ध्यान रखने योग्य कुछ बिन्दु निम्नलिखित हैं–

- क्या यह समय के साथ बच्चों की रुचि बनाए रखेगा?
- क्या यह आयु वर्ग के लिए उपयुक्त है?
- क्या इसे विभिन्न आयु वर्ग वाले बच्चों द्वारा विविध तरीकों से उपयोग में लाया जा सकता है?
- क्या यह विविध संस्कृतियों एवं परिवारों का प्रतिनिधित्व करता है?
- क्या इसे सभी योग्यताओं वाले बच्चों द्वारा उपयोग किया जा सकता है?
- क्या यह मजबूत, भलीभांति डिजाइन की गयी तथा टिकाऊ है?

- क्या यह सुरक्षित है?
- क्या यह वर्तमान सुरक्षा मानकों को पूरा करती है?
- क्या इसी स्वच्छता तथा रखरखाव आसान है?

आइए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं–

- **आयु-उपयुक्तता:** सभी अधिगम सामग्री और उपकरण उन बच्चों के आयु वर्ग के लिए उपयुक्त होने चाहिए जिनकी भाषा, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक संवेगात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए उनका चयन किया गया है।
- **एकाधिक उपयोग :** बच्चे रेत, पानी या आटे का उपयोग, उनकी क्षमता, सामग्री के साथ उनके पूर्व अनुभव तथा रुचि के आधार पर एक से अधिक तरीकों से कर सकते हैं। अतः जब भी अधिगम सामग्री तथा उपकरणों का चयन करें तो यह सुनिश्चित करें कि सामग्री का एकाधिक उपयोग संभव हो। उदाहरण के लिए - लकड़ी के गुटखों का उपयोग मेरी-गो-राऊन्ड के बाहर चारों ओर बैठने के लिए किया जा सकता है। साथ ही गुटखों या तख्तों को जोड़कर फिसल पट्टी के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- **पर्याप्तता :** चूँकि पाठ्यक्रम में इनडोर/आऊटडोर, व्यक्तिगत/सामूहिक सभी प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं, अतः पाठ्यक्रम में शामिल सभी गतिविधियों के सफल नियोजन हेतु अधिगम सामग्री तथा उपकरण, मात्रा तथा समानुपात के संदर्भ में पर्याप्त होने चाहिए।
- **विविधता :** यह आवश्यक है कि केन्द्र पर सभी बच्चों की आवश्यकताओं, क्षमताओं तथा उनकी रुचि के अनुरूप एक बड़ी रेंज तथा विविधता वाली अधिगम सामग्री तथा उपकरण होने चाहिए। ऐसी सामग्री जिनकी पुनः उपयोग तथा पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है जैसे मिट्टी, गुटके, बटन, प्लास्टिक के बर्तन, खाली डिब्बे एक अच्छा विकल्प होते हैं।
- **सुरक्षा :** उपकरण, बच्चों के उपयोग हेतु उपयुक्त तथा सुरक्षित होने चाहिए। सभी उपकरण कम ऊँचाई वाले, हल्के तथा गोल किनारों वाले होने चाहिए। सामग्री में उपयोग किये गये रंग या पदार्थ इत्यादि गैर-विषैले तथा सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाले होने चाहिए।
- **विविधता तथा लचीलापन :** यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ईसीसीई केन्द्र पर उपकरण उस समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हो जहाँ केन्द्र स्थित है। सभी सामग्री तथा उपकरण इन विचारों के साथ चुने जाने चाहिए कि वे नस्ल, रंग, जाति, संस्कृति इत्यादि विविधताओं की स्वीकार्यता को बढ़ावा देंगे। सामग्री विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सीखने के लिए अनुकूल भी होनी चाहिए।

- **प्राकृतिक सामग्री :** ईसीसीई केन्द्र पर बड़ी मात्रा में प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है जैसे कंकड़, बीज तथा फलियाँ, रेत, पानी, पत्तियाँ तथा टहनियाँ या पौधे इत्यादि। इससे मंहगे उपकरण और खिलौने खरीदने से भी बचा जा सकेगा। उदाहरण के लिए– झूले, सीढ़ियाँ इत्यादि बनाने के सस्ती सामग्री जैसे रस्सी या उपयोग किया जा सकता है।

पाठगत प्रश्न 15.4

1. बताइए कि दिये गये कथन सत्य हैं या असत्य–

   (a) खाना परोसने के लिए पत्तलों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

   (b) मिट्टी, गुटखे, कंकड़ इत्यादि सामग्री का उपयोग खेल में विविधता को बढ़ाता है।

   (c) ईसीसीई केन्द्र के लिए अधिगम सामग्री तथा उपकरण का चयन करते समय सुरक्षा एवं टिकाऊपन महत्वपूर्ण बिंदु है।

   (d) बाहर खेले जाने वाले खेलों की सामग्री को दिव्यांग बच्चों की पहुँच को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जा सकता है।

2. ईसीसीई केन्द्र पर कम लागत वाले बजट में उपकरण खरीदने के दो उदाहरण दीजिए।

3. दी गई सामग्री को इनडोर तथा आउटडोर अधिगम सामग्री तथा उपकरणों में वर्गीकृत कीजिए: रेत के गढ़ढे, झूले, फिट-इन पहेलियाँ, गुडियाँ, सवारी वाले खिलौने, कोलॉज सामग्री, जंगल जिम, जाइलोफोन, रेडिया और गुटखे।

15.3.3 सामग्री तथा उपकरणों का आवंटन

केन्द्र के लिए अधिगम सामग्री तथा उपकरण खरीदना ही सीखने के लिए आनंददायी वातावरण की सुनिश्चितता नहीं है। अधिगम सामग्री तथा उपकरण को बच्चों को खोजबीन के अवसर देने तथा उनमें फेरबदल करके सीखने के लिए उनका चयन किया जाता है तथा खरीदा जाता है। ये केवल प्रदर्शन, दिखावे या सजावट के लिए नहीं बनीं है। करके सीखने के लिए अधिगम सामग्री तथा उपकरण की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है ताकि बच्चों की उन तक सीधी पहुँच हो। यह पहुँच सुनिश्चित करती है कि बच्चे उपलब्ध विकल्पों को देखें तथा उन तक पहुँचें।

इस खंड में हम ईसीसीई केन्द्र को एक रूचिकरण स्थान बनाने के लिए तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही अनुभवों में वृद्धि करने के लिए उपकरणों एवं अधिगम सामग्री के उचित आवंटन के कुछ तरीकों पर चर्चा करेंगे।

चित्र 15.6 : ईसीसीई केन्द्रों की व्यवस्था

- यदि केन्द्र बहुत बड़ा है तो इसे विविध गतिविधि क्षेत्रों में बाँटने का प्रयास करें जैसे- कला एवं शिल्प क्षेत्र, विज्ञान एवं गतिक क्षेत्र, ब्लॉक पहेली क्षेत्र संगीत एवं आवागमन क्षेत्र, खाना पकाने का क्षेत्र इत्यादि तथा फिर उन विशिष्ट क्षेत्रों के अनुसार सामग्री का चयन करें। नीची अलमारियों, ब्लैक बोर्ड या फर्नीचर की सीमाएं निर्धारित कीजिए।
- भलीभांति साथ-साथ चलने वाली गतिविधियों के बारे में विचार करें। सक्रिय एवं शोरगुल वाली गतिविधियों को शांत एवं ध्यान केन्द्रित करने वाली गतिविधियों से अलग रखा जाना चाहिए। गीला होने वाली तथा गन्दा होने वाली गतिविधियों को किसी सिंक के आस-पास कराया जाना चाहिए। सभी सामग्री एक साथ किसी विशिष्ट स्थान पर समूहों में व्यवस्थित की जानी चाहिए ताकि बच्चे स्वतंत्र रूप से ढूंढ़ सके, खेल सके तथा वापिस रख सकें।
- सामग्री तथा उपकरण स्पष्ट रूप से दृश्य तथा पहुँच में हानी चाहिए। यह तभी संभव है जब सामग्री को कम ऊँचाई पर (जमीन से 3 फुट या उससे नीचे) तथा समुचित नाम (शब्दों तथा चित्र में) लिखकर रखा गया हो।
- स्पष्ट रूप से चिन्हित रास्ते तैयार करें ताकि किसी एक कमरे या क्षेत्र से दूसरे कमरे या क्षेत्र में आसानी से पहुँच सकें। सामग्री इस प्रकार से व्यवस्थित की गई हो कि यह एक गतिविधि से दूसरे गतिविधि करने में सहायक हो।
- सामग्री या उपकरण को इस प्रकार रखा जाए जिससे शिक्षक बच्चे की व्यक्तिगत रूप से निगरानी रख सके। कक्षा में पर्याप्त स्थान मुहैया कराना चाहिए ताकि कोई गतिक बाधित बच्चा भी व्हील चेयर को आसानी से चला सके तथा सामग्री तक आसानी से पहुँच सके।

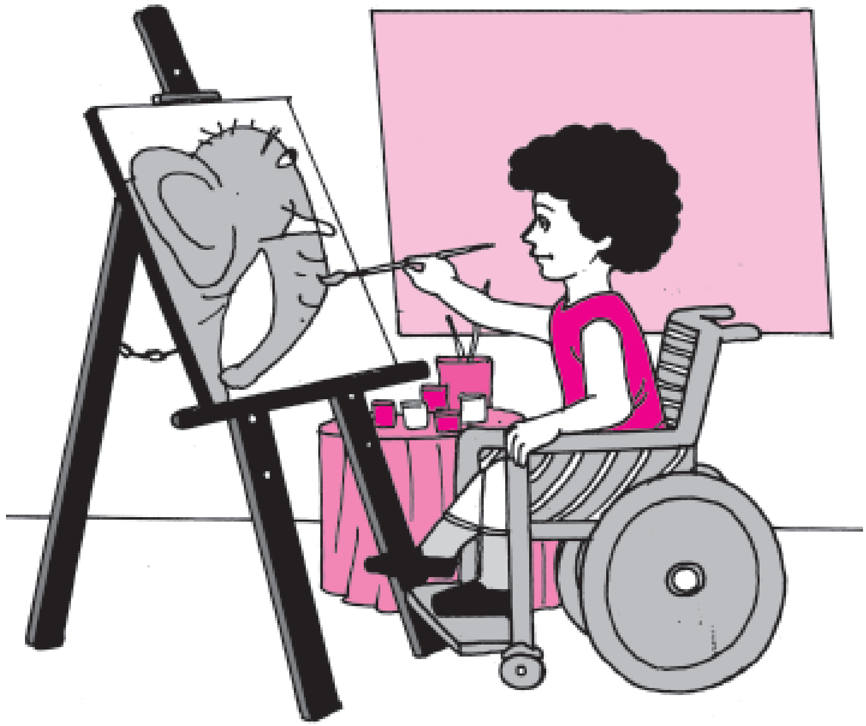

चित्र 15.7 : दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति

- बाह्य स्थान एकाधिक तरीकों, जैसे कला, नाट्य, खेल, रेत तथा पानी की गतिविधियाँ इत्यादि, से उपयोग किया जा सकता है। इसलिए, सामग्री तथा उपकरण उसी के अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं।
- समूह गतिविधियों के लिए बड़ा समतल स्थान उपलब्ध कराएँ।
- बच्चे की दृष्टि स्तर के अनुरूप आकर्षक रूप से बच्चों की कला को दीवारों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

पाठगत प्रश्न 15.5

1. खाली स्थान भरिए–

   (a) अधिगम सामग्री की .... एवं .... बच्चों की अपनी पसंद देखने तथा उन तक पहुँचने की सुनिश्चितता के लिए आवश्यक है।

   (b) गतिविधि क्षेत्रों की सीमा तय करने के लिए .... या .... उपयोग की जा सकती हैं।

   (c) .... तथा .... ऐसे गतिविधि क्षेत्र हैं जिन्हें बाह्य स्थानों में व्यवस्थित किया जा सकता है।

   (d) अलमारियों पर नाम .... तथा .... के रूप में होने चाहिए ताकि सामग्री को आसानी से पहचाना जा सके।

टिप्पणी

15.3.4 स्थान प्रबंधन

ईसीसीई केन्द्र के संचालन हेतु स्थान प्रबंधन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। केन्द्र के सुगम संचालन हेतु बेहतर योजना आवश्यक होती है। स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि सभी आवश्यक गतिविधियों हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो। सभी गतिविधि क्षेत्र इस प्रकार से बनाये जाने चाहिए ताकि दूसरों को परेशान किये बिना एक गतिविधि क्षेत्र से दूसरे गतिविधि क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आ जा सकें। इसके अतिरिक्त गतिविधि क्षेत्रों का विभाजन इस प्रकार किया गया हो ताकि एक क्षेत्र के बच्चे दूसरे क्षेत्र के बच्चों को विचलित न कर सकें। सुव्यवस्थित स्थान ऐच्छिक व्यवहारों को प्रोत्साहित करते हैं तथा बच्चों एवं कर्मचारियों के बीच सकारात्मक अन्तर्क्रिया में सहायक होता है। यह आवश्यक अधिगम सामग्री के समुचित व्यवस्थापन में भी सहायता करते हैं।

15.3.5 अधिगम सामग्री तथा उपकरणों का उपयोग एवं रखरखाव

यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उपकरण का रखरखाव सही हो तथा उपकरण गतिविधियों में उपयोग हेतु सदैव तैयार हों। अधिगम सामग्री, उपकरण तथा कक्षा का नियमित निरीक्षण उपकरणों की दीर्घायु सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। शिक्षक जटिल क्रियाविधि/संयोजन वाले उपकरणों के रखरखाव को लेकर निराश हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय तथा ऊर्जा अधिक लगती है। कुछ ऐसी सरल रणनीतियाँ हैं जिनका लगातार अनुपालन करके रखरखाव को आसान बनाया जा सकता है तथा बच्चों में स्वामित्व एवं गर्व की भावना को बढ़ाया जा सकता है। ऐसी कुछ रणनीतियों की चर्चा नीचे की गई है–

- कीटाणुओं के फैलने से बचने के लिए सभी उपकरणों की झाड–पोंछ, साफ सफाई तथा कीटाणुरहित बनाना नियमित रूप से किया जाना चाहिए।
- धोये जाने वाले खिलौनों को धोया जाना चाहिए तथा कीटाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए हर समय साफ रखना चाहिए।
- साफ–सफाई बनाये रखने के साथ–साथ उपयोग हेतु सामग्री की आसान पहुँच के लिए पर्याप्त भंडारण स्थान आवश्यक है। बच्चों के व्यक्तिगत सामान रखने हेतु भी स्थान की आवश्यकता है।
- सभी भंडारण अलमारियों को शब्दों तथा चित्रों से नामित किया जाना चाहिए। शुरुआत में नामित करने का काम मुश्किल होता है परन्तु एक बार इस कार्य के संपन्न होने के पश्चात शिक्षकों तथा बच्चों के लिए समुचित स्थान पर सामग्री को वापिस रखने में बहुत ही सहायक होता है। यह बच्चों में स्वतंत्रता तथा स्वामित्व को बढ़ावा देता है।
- छोटी वस्तुओं जैसे मोती, क्रेयान, चित्र कार्डों की आसान साफ–सफाई हेतु उन्हें नाम लिखें टब या टोकरी में व्यवस्थित करें।

टिप्पणी

- सफाई की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को उपलब्ध सफाई सामग्री के साथ जल के स्रोत के निकट रखने का प्रयास करें।
- जिन सामग्रियों का लंबे समय से उपयोग नहीं हुआ है उन्हें बारी-बारी से उपयोग में लिया जा सकता है तथा बच्चों की रुचि को बनाये रखने हेतु नयी सामग्री को भी शामिल किया जा सकता है।
- बिजली फिटिंग्स तथा ताप के सभी उपकरण बच्चों की पहुँच से दूर होने चाहिए। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए उनकी नियमित रूप से जाँच तथा मरम्मत होनी चाहिए।

ईसीसीई हेतु गणवत्तापूर्ण मानकों को भारत सरकार द्वारा 2013-14 में अनुमोदित किया गया है। आइए, इस दस्तावेज में उल्लेखित प्रावधानों का अध्ययन करें।

किसी भी ईसीसीई प्रावधान में हिस्सा लेने वाले सभी बच्चों के लिए नीचे दिये जा रहे सभी मानकों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

- ईसीसीई कार्यक्रम की अवधि 3 से 4 घंटे की होनी चहिए।
- 30 बच्चों के लिए 35 वर्ग मीटर का एक कक्षा-कक्ष तथा 30 बच्चों के समूह के 30 वर्गमीटर बाह्य स्थान उपलब्ध होना चाहिए।
- ढाँचागत रूप से भवन सुरक्षित तथा आसानी से पहुँच वाला हो। यह स्वच्छ तथा हरे-भरे वातावरण से आच्छादित होना चाहिए।
- स्वच्छ पेय जल उपलब्ध होना चाहिए।
- बालकों एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध हों।
- केन्द्र पर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में प्राथमिक सहायता/स्वास्थ्य किट उपलब्ध होनी चाहिए। इसका चैक लिस्ट के साथ नियमित रूप से मिलान किया जाना चाहिए तथा जो सामग्री उपयोग में ली जा चुकी हो उसे तुरन्त बदल जाना चाहिए। सामग्रियों की उपयोग की अवधि को समय-समय पर जाँचा जाना चाहिए।
- पर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाना चाहिए।
- विकास के लिए उपयुक्त तथा पर्याप्त अधिगम सामग्री एवं खिलौनों का प्रावधान होना चाहिए।
- बच्चों के सोने के लिए तथा भोजन पकाने एवं खाने हेतु स्थान आवंटित होना चाहिए।
- उसे 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए वयस्क तथा बच्चों का अनुपात 1:20 होना चाहिए तथा 3 वर्ष से कम के बच्चों के लिए यह 1:10 होना चाहिए।

स्रोत: ईसीसीई के लिए गुणवत्ता मानक 2012, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

टिप्पणी

15.4 ईसीसीई कर्मियों की नियुक्ति

बच्चों को सीखने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने तथा सुविधा प्रदान करने हेतु सुप्रशिक्षित एवं योग्य ईसीसीई कर्मी आवश्यक है। गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा हेतु सुप्रशिक्षित तथा कुशल कर्मियों का चयन तथा नियुक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण पहलु है।

इस खंड में आप विविध ईसीसीई कर्मियों तथा उनकी नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में सीखेंगे।

15.4.1 ईसीसीई कर्मियों के प्रकार

आमतौर पर एक ईसीसीई केन्द्र का नेतृत्व, शिक्षकों और सहायकों के साथ उत्तरदायित्वों को साझा करते हुए केन्द्र प्रमुख करता है। आइए, उनके बारे में संक्षेप में अध्ययन करें।

ईसीसीई शिक्षक: ईसीसीई शिक्षक वह मुख्य व्यक्ति होता है जो कक्षायी वातावरण में गतिविधियों तथा कार्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तरदायी होता है। एक कुशल तथा प्रतिबद्ध शिक्षक छोटे बच्चों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक कुशल तथा प्रतिबद्ध शिक्षक छोटे बच्चों के जीवन में जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शिक्षक को अच्छा सैद्धान्तिक ज्ञान होना चाहिए तथा उसे बच्चों से अन्तर्क्रिया करते समय व्यावहारिक तरीके से लागू करने में सक्षम होना चाहिए। एक शिक्षक में बच्चों की आवश्यकता तथा माँग के अनुरूप भूमिका, जैसे संवाददाता, सुविधादाता, कथावाचक, प्रेरणा स्रोत इत्यादि, निर्वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। उसे सहज तथा बच्चों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

ईसीसीई सहायक: ईसीसीई सहायक शिक्षक के दिशा-निर्देशन में बच्चों को देखभाल तथा निगरानी करता है। ईसीसीई सहायक, शिक्षक की नियोजित विविध गतिविधियों में सहायता करता है। ईसीसीई सहायक, केन्द्र की व्यवस्था तथा शिक्षक के कार्यों के संचालन हेतु अमूल्य है।

केन्द्र के साफ, स्वच्छ तथा व्यवस्थित रखने के लिए कुछ अन्य सहायक कर्मियों जैसे सफाई कर्मचारी, चपरासी इत्यादि की भी आवश्यकता होती है।

15.4.2 कर्मियों की पर्याप्तता

छोटे बच्चों के साथ कार्य करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा तथा समर्पण की आवश्यकता होती है। अत: ईसीसीई केन्द्र की शुरुआत करने से पहले वांछित बाल-शिक्षक अनुपात तय करने के लिए आवश्यक कर्मियों की संख्या का निर्धारण आवश्यक है। 10 से 15 बच्चों वाले कक्षा-कक्ष के लिए एक शिक्षक तथा एक सहायक नियुक्त होना चाहिए।

चित्र 15.8 : वांछित बाल-शिक्षक अनुपात

15.4.3 कर्मियों की निगरानी तथा पर्यवेक्षण

केन्द्र पर स्टाफ तथा संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन की सुनिश्चितता हेतु नियमित रूप से निगरानी तथा पर्यवेक्षण आवश्यक है। इसमें ईसीसीई कर्मियों, केन्द्र की दैनिक गतिविधियों तथा घटनाओं की निगरानी तथा पर्यवेक्षण हेतु ईसीसीई कर्मियों की उचित तैनाती शामिल है। यह कर्मियों के मूल्यांकन तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पहचान करने में भी सहायता करता है।

पाठगत प्रश्न 15.6

1. खाली स्थान भरिए–

   (a) ....ईसीसीई केन्द्र परिसर को साफ तथा स्वच्छ रखता है।

   (b) एक ईसीसीई/प्री-स्कूल शिक्षक को बच्चों के साथ कार्य करने हेतु बहुत अधिक .... तथा .... होना चाहिए।

   (c) .... और .... के प्रभावी प्रबंधन के लिए नियमित निगरानी तथा पर्यवेक्षण आवश्यक है।

15.4.4 कर्मियों के चयन के लिए मानदण्ड

प्री-स्कूल के बच्चों के साथ करने के लिए कुछ निश्चित कौशल तथा दक्षताओं की आवश्यकता होती है। जैसे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, अतः हमें उसके अनुरूप कुशल एवं योग्य कर्मियों को नियुक्त करने की आवश्कत है। सरकार एवं संबंधित मंत्रालयों ने भी प्री-स्कूल शिक्षकों के लिए कुछ आवश्यक तथा महत्वपूर्ण कौशलों एवं येग्यताओं को निर्धारित किया है। इसलिए, ईसीसीई कर्मी को निर्धारित मानकों तथा योग्यताओं को पूरा करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उन्होंने सक्षम अधिकारियों द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों/बोर्डों से निर्धारित शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

ईसीसीई शिक्षक स्थानीय समुदाय से ही कोई व्यक्ति होना चाहिए ताकि वह उस समुदाय के रीति-रिवाजों तथा सामाजिक मूल्यों से अवगत हो तथा उन्हें बच्चों में विकसित करने में सक्षम हो तथा बच्चों, माता-पिता तथा समुदाय की अपेक्षाओं को पूरा करने में भी सक्षम हो।

व्यावसायिक अनुभवः जो व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं है उन्हें शुरुआत में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है तथा उनके लिए बार-बार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है।

बाल्यावस्था विकास या ईसीसीई में एक या दो वर्ष के प्रशिक्षण डिग्री धारक होने के बावजूद भी बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव बिल्कुल ही अलग पहलु होता है। अतः वास्तविक अनुभव होना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति बच्चों के बारे में अध्ययन कर सकता है परन्तु बच्चों के साथ कार्य करना बिल्कुल ही नया अनुभव है। व्यावसायिक अनुभव के द्वारा, एक ईसीसीई शिक्षक, छोटे बच्चों के साथ प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक अनुभव हासिल करता है।

एक शिक्षक/कर्मी को निश्चित रूप से ज्ञान होना चाहिए कि कैसे-

- बच्चों की जरूरतों और विकास की बेहतर समझ के आधार पर सीखने का अनुकूल वातावरण तैयार करके बाल विकास तथा सीखने को प्रोत्साहित करें।
- परिवार तथा समुदाय के साथ संबंध स्थापित करें जोकि बच्चों की शिक्षा में उनकी सहायता करे तथा भागीदार बने।
- व्यवस्थित रूप से बच्चों के विकास और सीखने पर संकारात्मक प्रभाव हेतु अवलोकन, प्रलेखन तथा मूल्यांकन को नियोजित करे।
- बच्चों तथा परिवारों के साथ संबंधों के ज्ञान को समेकित करके, प्रभावी शैक्षिक उपागमों का उपयोग करके, बच्चों के अधिगम से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में विषययुक्त के ज्ञान तथा विकास के लिये उपयुक्त पाठ्यक्रम की योजना तैयार करके लागू करना, इत्यादि के जरिए अधिगम तथा विकास को प्रोत्साहित करे।

सुखद व्यक्तित्व वाला ईसीसीई कर्मी बच्चों के साथ कार्य करने के लिए उपयुक्त है। उनमें

धैर्य, उत्तरदायित्व की समझ, उत्साह, सृजनात्मकता, संवेदनशीलता तथा सहजता आवश्यक है। स्टाफ बाल स्नेही होना चाहिए। यद्यपि केवल एक साक्षात्कार द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन संभव नहीं है, परन्तु इसके लिए व्यक्तिगत संदर्भों का उपयोग करने से काफी सहायता मिल सकती है। बच्चों के इर्द-गिर्द कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों की पृष्ठभूमि की जांच आवश्यक है। पृष्ठभूमि की जाँच से यह सुनिश्चित होगा कि व्यक्ति का रिकॉर्ड साफ है तथा अतीत में वह किसी भी अपराध में शामिल नहीं रहा है।

एक स्वस्थ सुरक्षित तथा सफल ईसीसीई केन्द्र की योजना बनाने तथा रखरखाव हेतु ईसीसीई कर्मियों को काम पर रखना महत्वपूर्ण है।

15.5 ईसीसीई में भागीदार/हितधारक

हितधारक एक ऐसा समूह होता है जो किसी संगठन के कार्य तथा नीतियों को प्रभावित करता है। शिक्षा में हितधारक वह है जो एक स्कूल तथा स्कूल प्रणाली की सफलता में रूचि रखता है तथा उसके लिए विचार करता है। इसमें सरकारी अधिकारी, स्कूल बोर्ड के सदस्य प्रशासक तथा शिक्षक शामिल हो सकते हैं। माता-पिता बच्चे भी हितधारक हैं क्योंकि वे समुदाय का हिस्सा हैं। हितधारकों की सहभागिता बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

हितधारकों की चार श्रेणियाँ हैं। **उपयोगकर्ता;** जो उत्पादों का उपयोग करते हैं; **शासन के हितधारक;** जो शासन तथा प्रबंधन करते हैं **प्रभावित करने वाले;** यह वे हैं जो यह तय करते हैं कि क्या और कैसे किया जाना है, **प्रदाता;** ये वे लोग हैं जो परियोजना को संसाधन उपलब्ध कराते हैं। वे गुणवत्ता, देखभाल तथा सेवाओं में सहायता करते हैं। वे प्रचार, सलाह तथा वित्तपोषण प्रयासों को उपलब्ध कराते हैं। आइए, इन्हें संक्षिप्त रूप से समझते हैं–

1. उपयोगकर्ता

उपयोगकर्ता वह हैं जो किसी परियोजना या कार्यक्रम के उत्पादों का उपयोग करेंगे। वे उत्पादन के लाभार्थी हैं। उदाहरण के लिए, ईसीसीई कार्यक्रम में बच्चे तथा अभिभावक उपयोगकर्ता हैं।

2. शासन के हितधारक

लेखा परीक्षक, नियामक, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा अधिकारी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें शासन हितधारकों के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। ये वे लोग हैं जिन्हें इस बात में रुचि होती है कि कार्यक्रम में चीजें किस प्रकार प्रबंधित की जाती हैं।

3. प्रभावित करने वाले हितधारक

सरकार के नियम, विनियम, नीतियाँ तथा समुदाय और परिवार की विशिष्ट जरूरतें सभी इस बात को प्रभावित करते हैं कि बच्चों के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। ये वे लोग हैं जिनमें किसी प्रीस्कूल द्वारा संचालित कार्यक्रमों में बदलाव की योग्यता होती हैं।

4. प्रदाता

यह स्पष्ट है कि यह केवल स्कूल ही है जो बच्चों के सीखने तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थित सुविधाएं प्रदान करता है। प्रदाताओं में प्रबंधन, कर्मी तथा बच्चों को लाभान्वित करने वाली सेवाओं में योगदान देने वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल होते हैं।

बच्चों के लिए समुदाय की समझ, अपनेपन और सुरक्षा की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। बहुत से परिवारों के लिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम घर के बाहर बच्चों के लिए समुदय के संपर्क करने का प्रथम अवसर प्रदान करती है। इसलिए ईसीसीई में समुदाय एक महत्वपूर्ण हितधारक है।

सभी ईसीसीई केन्द्रों को सुनिश्चित करना चाहिए तथा केन्द्र चलाने में हितधारकों की सहभागिता को बढ़ावा देने की योजना तैयार करनी चाहिए। उन्हें नियमित रूप से दिशा-निर्देश तैयार करने चाहिए जिनका सभी प्रदाताओं द्वारा पालन किया जाना चाहिए।

एक अच्छे ईसीसीई केन्द्र में शिक्षकों की कार्य योजना में माता-पिता के साथ कार्य करने का समय भी निर्धारित होता है। शिक्षकों को माता-पिता के साथ कार्य करने तथा सहयोग से काम करने की जरूरत की सराहना करने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। माता-पिता को उनकी सहभागिता तथा योगदान के महत्व के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को माता-पिता को पाठ्यक्रम तथा वे इसमें किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं, के बारे में सूचित कर देना चहिए।

इसलिए बच्चों की प्रारंभिक अवस्था में उनकी शिक्षा के बाद के शिक्षा परिणामों पर पड़ने वाले प्रभावों के कारण हितधारकों की सहभागिता महत्वपूर्ण है।

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा कि–

- स्थान की पहचान
  - आसान पहुँच
  - साफ एवं स्वच्छ
  - प्रदूषण रहित
  - सुरक्षित एवं भयमुक्त
  - दिव्यांगों के लिए बाधा रहित

- संसाधन तथा भौतिक सुविधाएं

आन्तरिक	ब्।हय
– आकार	– आकार
– हवादार	– खेल का मैदान
– प्रकाश	– रेत के गढ्ढे
– भण्डारण स्थान	– घास से आच्छादित क्षेत्र
– दीवार एवं छत	– रैम्प, चौड़े दरवाजे इत्यादि
– शौचालय सुविधा	

- सुरक्षा एवं बचाव
  - गैर–विषैली सामग्री का उपयोग
  - फिसलन रहित फर्श
  - गोल किनारों वाला स्थिर फर्नीचर
  - गोल किनारों वाली दीवार
  - बिजली फिटिंग्स तथा प्लग प्वाइंटस की सुरक्षित स्थिति
  - आपदा प्रबंधन के उपकरण तथा उनका उपयोग
  - चिकित्सीय आपात के प्रबंधन हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति तथा प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना

- अधिगम सामग्री तथा उपकरण
  - सामग्री तथा उपकरण का प्रकार
  - सामग्री तथा उपकरण का चयन
  - सामग्री तथा उपकरण की व्याख्या
  - सामग्री तथा उपकरणों का रखरखाव तथा उपयोग

- ईसीसीई कर्मियों के प्रकार →
  - ईसीसीई शिक्षक/प्री स्कूल शिक्षक
  - ईसीसीई सहायक
  - सहायक कर्मी

टिप्पणी

- स्टॉफ की पर्याप्तता
- स्टॉफ की निगरानी तथा पर्यवेक्षण
- ईसीसीई स्टॉफ के चयन के मानदण्ड →
  - शैक्षिक योग्यता
  - अनुभव
  - व्यक्तित्व
- ईसीसीई में हितधारक →
  - उपयोगकर्ता
  - शासन के हितधारक
  - प्रभावित करने वाले
  - प्रदाता

पाठान्त प्रश्न

1. ईसीसीई केन्द्र के स्थान का चयन करते समय विचार किये जाने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए।
2. बच्चे की शिक्षा और विकास में सहायता के लिए आन्तरिक स्थान के रखरखाव तथा उपयोग करने के कुछ तरीकों का वर्णन कीजिए।
3. ईसीसीई केन्द्र में आवश्यक बाह्य सुविधाओं पर चर्चा कीजिए तथा उनके रखरखाव तथा प्रभावी उपयोग कैसे किया जा सकता है?
4. ईसीसीई केन्द पर सामग्री और उपकरणों के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।
5. किसी ईसीसीई केन्द्र पर अधिगम सामग्री तथा उपकरणों की दृश्यता, पहुँच तथा उपयोग कैसे सुनिश्चित करेंगे?
6. ईसीसीई केन्द्र पर उपकरणों तथा सामग्रियों का समुचित स्थिति में रखरखाव के तरीकों का उल्लेख कीजिए।
7. ईसीसीई में विभिन्न हितधारकों की संक्षेप में चर्चा कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

15.1

(क) रैम्प तथा लचीला फर्नीचर

(ख) त्वचा रोग तथा कृमि संक्रमण

टिप्पणी

(ग) केन्द्र के पास रूका हुआ पानी, कूड़ादान

(घ) फिसलन रहित

(च) हवादार कमरे

15.2

(a) सत्य (b) असत्य (c) सत्य (d) सत्य (e) सत्य

15.3

(a) iv (b) v (c) ii (d) iii (e) i

15.4

1. (a) असत्य (b) सत्य (c) सत्य (d) असत्य

2. कम बजट पर सामग्री मुहैया कराने के दो तरीके हैं–

   (i) प्राकृतिक सामग्री जैसे पत्ती, टहनी इत्यादि का उपयोग।

   (ii) उपलब्ध संसाधनों का एकाधिक उपयोग।

3. इन्डोर सामग्री : फिट-इन-पहेलियाँ, गुडियाँ, कोलॉज सामग्री, जाइलोफोन, रेडियो और गुटखे

   आऊटडोर सामग्री : रेत के गढ़ढे, झूले, सवारी वाले खिलौने, जंगल जिम

15.5

1. (a) दृश्यता एवं पहुँच

   (b) श्यामपट्ट् तथा नीची अलमारियाँ

   (c) बागीचा क्षेत्र तथा रेत के गढ्ढे

   (d) शब्द तथा चित्र

15.6

1. (a) ईसीसीई सहायक

   (b) ऊर्जा तथा ध्यान

   (c) स्टाफ तथा संसाधनों

संदर्भ :

- Gupta, S. (2009). *Early Childhood Care and Education.* New Delhi: PHI Learning Pvt. Ltd.

टिप्पणी

- Hilderbrand, V. (1984). *Management of Child Development Centre*. New York: Collier MacMillan
- Sanwal, S. (2008). *A Study of Early Childhood Workforce and Early Childhood Environment in Bhopal and Indore Cities*. New Delhi: NCERT.
- Seth, K. (1996). *Minimum Specifications for Pre–schools.* New Delhi: NCERT.
- Shukla, R.P. (2004): *Early Childhood Care and Education.* Sarup & Sons.
- Sidhu, K .W. (1996). *School Orga nisation and Administration*. New Delhi: Sterling Publishers.

16

ईसीसीई केंद्र का प्रशासन और प्रबंधन

किसी भी संस्थान की सफलता के लिए कुशल प्रबंधन तथा सक्षम प्रशासन की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि आपका घर भी अच्छी योजना तथा कुशल प्रबंधन क्षमता के द्वारा ही अच्छी तरह से चल पाता है। यदि आप घर के संचालन के तंत्र का विश्लेषण करें तो आपको पता चलेगा कि किसी भी संस्थान के चलाने की तरह घर को चलाने के लिए भी एक अच्छे प्रबंधन तंत्र और प्रशासनिक कुशलता की आवश्यकता होती है। कुशल और प्रशासन में कला और विज्ञान दोनों ही समाहित होते हैं।

एक अच्छा प्रबंधन किसी भी संस्थान के दिशा-निर्देशों और क्रियाकलापों के संचालन में एकरूपता बनाये रखता है। ये किसी भी संगठन को संगठनात्मक लक्ष्यों और आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग एवं कुशलता से प्राप्त करने में मदद करते हैं। कुशल प्रबंधन और प्रशासन संगठन में किये जा रहे उत्पादन के सभी कारकों की योजना और व्यवस्था सुनिश्चित करता है। ये निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों को प्रभावी तरीके से एकत्र करने और व्यवस्थित करने में भी मदद करता है। ये पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शामिल सभी प्रयासों को दिशा देता है।

एक ईसीसीई केंद्र को आवश्यक शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अच्छे प्रशासन और प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है जो बच्चों के समग्र विकास की वृद्धि को सुनिश्चित करेगा। एक ईसीसीई केंद्र को सफलतापूर्वक चलाने के लिए सभी सहभागियों को संगठित और सहयोगात्मक तरीके से काम करने की आवश्यकता होती है।

इस पाठ में हम एक ईसीसीई केंद्र के संचालन में प्रशासन और प्रबंधन की भूमिका के बारे में विचार करेंगे और साथ ही पर्यवेक्षण, निरीक्षण और मार्गदर्शन में क्या अन्तर है तथा केंद्र के संचालन में इनकी क्या भूमिका हो, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस पाठ में हम अभिलेखों (रिकार्ड) के रख-रखाव के महत्व की भी चर्चा करेंगे और यह भी बतायेंगे कि एक ईसीसीई केंद्र में कितने प्रकार के अभिलेख (रिकॉर्ड) संरक्षित किये जाने चाहिए। यहाँ हम ईसीसीई केंद्र के लेखा-जोखा तथा उसके वित्तीय अभिलेखों (रिकॉर्ड) के निरीक्षण की भी चर्चा करेंगे।

टिप्पणी

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप

- ईसीसीई केंद्र के सन्दर्भ में प्रशासन और प्रबंधन के बारे में बताते हैं;
- पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन तथा निरीक्षण जैसे शब्दों का ईसीसीई केंद्र के परिप्रेक्ष्य में अर्थ स्पष्ट करते हैं;
- रिकॉर्ड अथवा अभिलेख लिखने की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन करते हैं;
- ईसीसीई केंद्र में रखे जाने वाले विभिन्न रिकॉर्डो के प्रकार को पहचानते हैं;
- आर्थिक स्रोतों तथा धन के उपयोग को रिकॉर्डो एवं रिपोर्ट द्वारा स्पष्ट करते हैं; और
- सामाजिक लेखा-जोखा तथा धन के लेखा-जोखा के महत्व का वर्णन करते हैं।

16.1 प्रशासन तथा प्रबंधन का अर्थ

एक ईसीसीई केंद्र के संचालन किसी के लिए अन्य संगठन या व्यापारिक संस्थान की तरह उपयुक्त प्रशासन और अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ऐसा करके ही ईसीसीई केंद्र का संचालन सफलतापूर्वक किया जा सकता है तथा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले हमें विशिष्ट अर्थो वाले इन दोनों शब्दों को समझना आवश्यक है।

16.1.1 प्रशासन का अर्थ

प्रशासन का अर्थ है किसी संगठन का संचालन। यह किसी संगठन की गतिविधियों का प्रबंधन करने हेतु एक नियंत्रण कार्य है। इसके अन्तर्गत आते हैं–

- केंद्र के संचालन के लिए कायदे-कानून बनाना।
- आवश्यकता के अनुसार सहभागियों तथा अपने हित के लिए निर्णय लेना।
- केंद्र की विविध गतिविधियों का संचालन।
- उपयुक्त स्टाफ का चयन।
- विभिन्न इकाइयों की गतिविधियों के सफल संचालन तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देना।
- वरिष्ठ प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित करना।

16.1.2 प्रबंधन का अर्थ

किसी भी संस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो संगठनात्मक तथा समन्वय से सम्बंधित क्रियाकलाप किये जाते हैं वे प्रबंधन कहलाते हैं। नीतियों का निर्धारण और क्रियान्वयन

एवं नीतियाँ बनाना, संगठन का निर्देशन और संस्थान के संसाधनों का संस्था के हित में समुचित उपयोग और नियोजन आदि सारे कार्य समन्वयन में समाहित होते हैं। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का समुचित उपयोग भी इसमें शामिल है। योजना बनाना, संयोजन, स्टाफ की व्यवस्था, केंद्र के विभिन्न क्रियाकलापों का क्रियान्वयन तथा नियन्त्रण आदि सारे कार्य प्रबंधन के अन्तर्गत आते हैं। अच्छा प्रबंधन सभी को ईसीसीई केन्द्र के लक्ष्य प्राप्ति की लिये प्रेरित करता है।

16.2 ईसीसीई केंद्र के सन्दर्भ में प्रशासन और प्रबंधन

प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र के प्रशासक पर ही केंद्र के संचालन और केंद्र द्वारा संचालित सभी सेवाओं के संचालन का उत्तरदायित्व होता है। केंद्र के छोटे–बड़े आकार के आधार पर वहाँ कार्यरत कर्मचारियों एवं संचालन की भूमिकाओं तथा कार्यों में भिन्नता हो सकती है। केंद्र के संचालक (प्रशासक) के दायित्व अनेक प्रकार के होते हैं जैसे कि कार्यक्रम के संचालन का सम्पूर्ण दायित्व उसी का होता है, विशेष प्रकार की गतिविधियों के संचालन में वह सहभागिता करता है तथा कर्मचारियों को भी समुचित सहयोग प्रदान करता है।

एक ईसीसीई केंद्र के संचालन को बिना किसी परिवर्तन के संगठन के नित्य प्रति के प्रबंधन सम्बन्धी कार्यों को देखना पड़ता है जबकि प्रशासक का केंद्र के प्रशासन सम्बन्धी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। प्रबन्धतंत्र लोगों के प्रबन्धन तथा कार्य उनके निष्पादन पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है जबकि प्रशासन को संगठन के संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है।

प्रशासन तथा प्रबंधन दोनों की ही मूल कार्य योजना बनाना, संगठनात्मक ढाँचा मजबूत बनाना और संस्थान को नियंत्रित तथा सुचारू रूप से संचालित करना होता है।

किसी भी संस्थान में प्रबंधन के खास तौर पर तीन स्तर होते हैं–

- सर्वोच्च स्तर के केंद्र संचालक जिसमें केन्द्र के मालिक शामिल होते हैं;
- मध्यम स्तर के केंद्र संचालक जिसमें केन्द्र प्रमुख और सहायक शामिल होते हैं; तथा
- प्राथमिक स्तर के केन्द्र संचालक जिसमें ईसीसीई केंद्र के कर्मचारी और शिक्षक शामिल होते हैं।

प्रबंधन (प्रबन्ध तंत्र) को तीन श्रेणियों स्वायत्तशासी और लोकतांत्रिक या लैसेस फेयर में विभाजित किया जा सकता है। इनमें स्वायत्तशासी श्रेणी का नियंत्रण सबसे ज्यादा और लोकतांत्रिक श्रेणी का नियंत्रण सबसे कम होता है।

प्री स्कूल का प्रबन्धतंत्र मुख्य रूप से इन कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है–

- स्टाफ के सभी लोगों के कार्यों का दिशा–निर्देशन और पर्यवेक्षण
- स्टाफ का चयन, नियुक्ति, प्रशिक्षण और कर्मचारियों की कार्य क्षमता का विकास करना
- केंद्र के सभी बच्चों की सम्पूर्ण सुरक्षा एवं देखभाल
- नीति निर्धारण और विभिन्न गतिविधियों के लिए नियम बनाना तथा उनका क्रियान्वयन।

- पूर्व प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की देखभाल से सम्बन्धित सभी विधि-विधानों का अनुपालन करना।
- सभी प्रकार के अर्थ तंत्र का प्रबंधन और समिति या संचालकों को उसकी सूचना देना।

विद्यालय का प्रमुख प्रशासक प्रधानाचार्य या केंद्र संचालक कहलाता है। केंद्र के छोटे-बड़े आकार के अनुसार प्रधानाचार्य का एक उप-प्रधानाचार्य या सहायक भी होता है। प्रबंधन के लिए एक विद्यालय संचालन समिति (स्कूल बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट) होती है, सामान्यतया: जिसमें मालिक या संरक्षक के द्वारा नामित सदस्य, प्रधानाचार्य, शिक्षक प्रतिनिधि, अभिभावक प्रतिनिधि और समुदाय से लिए गए सदस्य होते हैं।

ईसीसीई केंद्र के स्टाफ के सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न होती है। इसके लिए मानक इस प्रकार है–

- केंद्र का आकार कितना बड़ा या छोटा है।
- केंद्र के बच्चों की संख्या और उनकी जरूरतें।
- केंद्र द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाएँ।

दिन-प्रतिदिन का प्रबंधन और निरीक्षण प्रधानाचार्य या केंद्र के प्रमुख द्वारा किया जाता है।

ईसीसीई केंद्र पर निम्नलिखित कर्मचारी होते हैं–

- प्रधानाचार्य या केंद्र प्रमुख जो दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन या निरीक्षण का कार्य देखता है।
- ईसीसीई केंद्र के स्टाफ के अन्तर्गत मुख्य शिक्षक, सहायक शिक्षक और शिक्षण सहायक सामग्री आते हैं।
- अन्य कर्मचारियों के अन्तर्गत लेखा-जोखा (एकाउंटिंग) सम्बन्धी कर्मचारी, मानव संसाधन सम्बन्धी, अनुरक्षण कार्य देखने वाले और यातायात व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारी आते हैं।

पाठान्त प्रश्न 16.1

नीचे लिखे कथन सत्य हैं या असत्य, बताइए–

1. प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र संचालक (प्रशासक) मुख्यत: अपने केंद्र के संचालन और सभी सेवाओं के लिए उत्तरदायी होता है।
2. अच्छा प्रशासन किसी भी संस्थान के सभी विभागों के क्रियाकलापों के कुशलतापूर्वक संचालन की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है।
3. केवल प्रशासक ही स्टाफ के सभी सदस्यों को निर्देश दे सकता है और उनके कार्यों का निरीक्षण कर सकता है।

4. प्रशासक के दायित्व विविधतापूर्ण होते हैं।
5. लैसेज फेयर सर्वाधिक नियन्त्रण क्षमता वाली प्रबंधन शैली होती है।

16.3 ईसीसीई केंद्र के संदर्भ में पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन तथा निरीक्षण

सभी बच्चों को समान रूप से सीखने के अवसर प्राप्त करने का अधिकार है ताकि उनकी क्षमताओं का पूर्ण विकास हो सके। यह आवश्यक है कि समस्त स्टाफ उन बच्चों की क्षमताओं को समझे और आवश्यकतानुसार उन्हें सीखने के लिए परामर्श तथा सहयोग प्रदान करे। पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन तथा निरीक्षण एक समावेशी ईसीसीई केंद्र की सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने तथा बढ़ाने वाले आवश्यक घटक हैं।

> ईसीसीई केंद्रों में पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के महत्व को समझते हुए राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा नीति (2013) द्वारा ईसीसीई कार्यक्रमों के इस पक्ष की सुदृढ़ता पर जोर दिया है। जिसमें कार्य एवं परिणाम तथा ईसीसीई की गुणवत्ता के संकेतकों का निरीक्षण एक व्यवस्थित निरीक्षण ढांचे के अनुसार किया जाए।

मुख्य शिक्षक को ईसीसीई केंद्र में पर्यवेक्षणकर्ता, निरीक्षक तथा परामर्शदाता की भूमिका निभानी होती है। उसे एक मित्र की तरह कार्य करना, एक निर्देशक तथा निरीक्षणकर्ता की तरह स्टॉफ़ को गाइड करना, एक मार्गदर्शक के रूप में आदर्श प्रस्तुत करना, प्रगति की जाँच करना तथा एक अनुवीक्षक की तरह समस्याओं को समझ कर उनके समाधान सुझाना होता है।

16.3.1 पर्यवेक्षण

पर्यवेक्षण ईसीसीई केंद्र के स्टाफ के कामों की देखरेख करना है, जिसमें शिक्षण विधियों के लाभ-हानि पर विचार कर समस्याओं से बचने के लिए उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अंत:क्रिया है जिसमें प्रक्रियाओं और स्थितियों का एकीकरण होता है। इसे वृद्धि को उद्दीप्त करने वाली तथा शिक्षक को शिक्षण में उत्कृष्टता हासिल करने में सहायक एक प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया गया है।

पर्यवेक्षण के लाभ

- पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षक के ज्ञान एवं कौशलों में यदि कोई कमी है तो उसे सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं।
- पर्यवेक्षण वास्तविकताओं और चुनौतियों को समझने में मदद करता है तथा एक अच्छा पर्यवेक्षणकर्ता समस्या के समाधान के तरीके बता सकता है।
- पर्यवेक्षण द्वारा ईसीसीई शिक्षक को बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा मिलती है।
- पर्यवेक्षण समूह निर्माण करने में सहायक है।

टिप्पणी

- पर्यवेक्षण शिक्षकों को नए दिशा-निर्देश तथा सूचनाओं की जानकारी हासिल करने में सहायता करता है।
- पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षक स्वयं को समुदाय से बेहतर ढंग से जोड़ पाते हैं।

पर्यवेक्षण के उद्देश्य एवं कारण निम्नलिखित हैं:

- शिक्षण-अधिगम सामग्री की उपलब्धता जाँचना।
- प्रयोग में लाए जा रहे शिक्षण अधिगम सामग्री की उपयुक्तता हेतु परामर्श देना।
- स्कूल के वातावरण से संबंधित परामर्श देना।
- पाठ्यचर्या में परिवर्तन तथा नवीन खोजों को आगे बढ़ाना।
- शिक्षक के प्रदर्शन पर अपनी प्रतिपुष्टि देना।
- स्टॉफ के विकास की आवश्यकताओं को पहचानना।
- गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जाँच करना।
- शिक्षक की नैतिकता एवं प्रेरणा सुनिश्चित करना।
- शिक्षक को व्यावसायिक सहायता व निर्देशन प्रदान करना।

16.3.2 निरीक्षण

निरीक्षण, योजना बनाने तथा उसके क्रियान्वन के लिए अति महत्वपूर्ण है। निरीक्षण चल रहे क्रियाकलापों को यह सुनिश्चित करते हुए देखना है कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह नियमानुसार तथा समयानुसार चल रहे हैं या नहीं। निरीक्षण कार्यक्रम के पुनरावलोकन की एक सतत प्रक्रिया है जिससे पता लगाया जाता है कि कार्यक्रम का संचालन कैसे किया जा रहा है ताकि क्रियाकलापों को सही एवं प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इसमें कार्यक्रम के क्रियाकलापों की सूचना/आँकड़ों को इकठ्ठा करना तथा उनका विश्लेषण भी शामिल है।

निरीक्षण द्वारा प्राप्त जानकारी निम्नलिखित में सहायक है:

- परियोजना के विश्लेषण में।
- यह निश्चित करने में कि परियोजना के सभी निवेशों का भली-भाँति उपयोग किया गया है।
- परियोजना में आने वाली समस्याओं को समझने में तथा समाधान ढूढ़ने में।
- यह सुनिश्चित करने में कि सभी क्रियाकलाप सही लोगों द्वारा समय पर किए जा रहे हैं।

कार्यक्रम की सफलता हेतु लगातार पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण समावेशी ईसीसीई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्योंकि बच्चों का वृद्धि एवं विकास होता है और समुदाय के बच्चों के समूह में परिवर्तन होता रहता है, कार्यक्रम को भी इस फेरबदल के अनुसार परिवर्तित किया जाना चाहिए। इसलिए जैसे-जैसे बच्चों तथा कार्यक्रम के निरीक्षण द्वारा नयी जानकारी प्राप्त होती है, ईसीसीई कार्यक्रम में फेरबदल बच्चों, उनके परिवारों तथा समुदायों की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए।

16.3.3 परामर्श/मार्गदर्शन

कई बार पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन को समान अर्थ में प्रयोग किया जाता है किंतु वस्तुत: ये भिन्न हैं। परामर्श या मार्गदर्शन बच्चे तथा शिक्षक के बीच लाभ प्राप्त करने हेतु एक परस्पर सहभागिता है। यह प्रोत्साहन, सकारात्मक टिप्पणी, खुलेपन, परस्पर विश्वास, सम्मान तथा साझा करने की इच्छा पर आधारित है। केंद्र में मार्गदर्शक की भूमिका नए विचारों को प्रोत्साहित करने, समस्याओं को समझने तथा उनके समाधान करने में बच्चों की उपयुक्त एवं सही समय पर सहायता करने की है। शिक्षक अथवा कार्यकर्ता जो मार्गदर्शक या परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं, बच्चों के नजरिये को विकसित करने, हमेशा खोजने एवं बताने तथा प्रतिपुष्टि के प्रति सकारात्मक बनने में सहायता करते हैं।

एक परामर्शदाता/मार्गदर्शक के कार्य निम्नलिखित हैं:

- किसी विषय/विशेष के बारे में बच्चों को शिक्षित करता है।
- किसी विशेष कौशल के प्रति बच्चों को प्रशिक्षण देता है।
- स्रोतों तथा जानकारियों के आधार पर बच्चें के विकास को बढ़ावा देता है।
- बच्चों को उनके सहज ज्ञान से अधिक सीखने के लिए चुनौती देता है।
- बच्चों को जोखिम उठाने के लिए एक सुरक्षित अधिगम वातावरण तैयार करता है।
- बच्चों के संपूर्ण विकास पर ध्यान देता है।

पाठगत प्रश्न 16.2

कॉलम (अ) को कालम (ब) से सही मिलान कीजिए–

कॉलम (अ)	कॉलम (ब)
(क) पर्यवेक्षण	(i) मार्गदर्शक
(ख) निरीक्षण	(ii) लाभ के लिए परस्पर सहभागिता
(ग) मार्गदर्शन	(iii) बच्चों के संपूर्ण विकास
(घ) शिक्षक	(iv) कार्यक्रम का सतत पुनरावलोकन
(ङ) परामर्शदाता ध्यान देता है	(v) सूचनाओं को नियमित रूप से एकत्र करना तथा विश्लेषण करना।

16.4 रिकॉर्ड अथवा अभिलेखों की आवश्यकता एवं महत्व तथा ईसीसीई केंद्र में रखे जाने वाले रिकॉर्ड के प्रकार

रिकॉर्ड प्रारंभ में प्राप्त की गई या एकत्रित की गई जानकारी है, जो किसी क्रियाकलाप के संचालन के समय अथवा पूर्ण होने पर पर्याप्त विषयवस्तु की जानकारी तथा क्रियाकलाप के सबूत अथवा प्रमाण रूप में संदर्भ अथवा संरचना की जानकारी का लिखित अभिलेख है।

विशेषकर स्कूल रिकॉर्ड एकीकृत रूप में, बच्चों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लिखित स्वरूप है जिसमें जानकारी ग्रहण करना, आकलन, बच्चों से संबंधित अन्य सभी सामान्य जानकारियाँ आदि सम्मिलित हैं।

रिकॉर्ड रखना कार्ययोजना में सुधार के लिए महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि रिकॉर्ड से हमें नमूनों को समझने एवं सुधार के लिए सुझाव देने में सहायता मिलती है। रिकॉर्ड रखने से बच्चे की प्रगति की औपचारिक तथा अनौपचारिक रिपोर्ट बनाना भी सरल हो जाता है।

सभी बच्चे विभिन्न तरीकों से विकास एवं संप्रेषण करते हैं। सभी बच्चों के लिए प्रभावी ढंग से योजना बनाने के लिए शिक्षक को सभी सूचनाओं का संग्रह करना चाहिए तथा रिकॉर्ड रखने चाहिए। ये उन्हें बच्चों की सोच, विचार, रुचियों तथा सीखने की शैली को समझने में सहायता करते हैं। रिकॉर्ड बच्चों को प्रोत्साहन तथा सहयोग के लिए योजना का आधार देते हैं। विद्यालय प्रशासन एवं शिक्षण स्टाफ के लिए अभिलेखों का रखरखाव तथा सूचनाओं का संग्रहण महत्वपूर्ण कार्य है।

विद्यालय अभिलेखों में निम्नलिखित शामिल हैं–

- बच्चों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड, उनका शैक्षिक प्रदर्शन, आकलन तथा परीक्षा परिणाम
- स्कूल नीतियाँ
- स्कूल की सभाओं के मुख्य अंश तथा शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारियाँ, अन्य शैक्षिक ईकाइयाँ, विभागों, प्रेस संगठनों तथा सामाजिक इकाइयों की जानकारियाँ।

स्कूल के रिकॉर्ड में सम्मिलित जानकारियों के उदाहरण

- विद्यार्थी प्रगति रिपोर्ट
- स्कूल अनुक्रमांक पत्रिका
- प्रवेश रजिस्टर
- बच्चों के रिकॉर्ड का फ़ोल्डर
- स्कूल कार्यानुभव फ़ार्म
- स्टाफ रिकार्ड
- आर्थिक रिकार्ड या वित्तीय रिकार्ड
- अन्य रिकार्ड

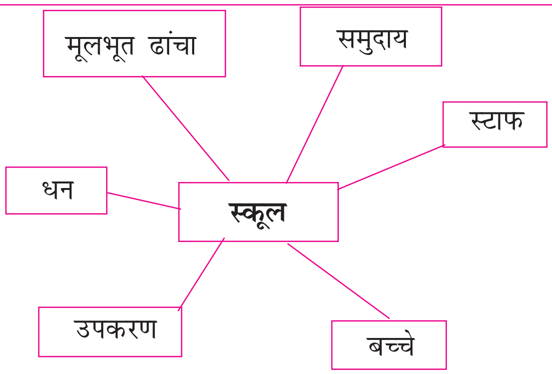

चित्र 16.1 : रिकार्ड के मुख्य बिन्दु

ईसीसीई केंद्र के रिकॉर्ड को निम्नलिखित के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है:

- प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिगत खाका खींचने में।
- विकास के सभी क्षेत्रों की व्यक्तिगत प्रगति का निरीक्षण तथा उसे बच्चे के भविष्य में प्रगति हेतु प्रयोग करना।
- हम बच्चे से क्या सीखने की अपेक्षा करते हैं और वास्तव में वे क्या सीखते हैं, के अंतर को स्पष्ट करना।
- परिवार, देखरेखकर्ता तथा अन्य ईसीसीई के लोगों से बातचीत करना।
- प्रावधानों एवं योजनाओं के मूल्यांकन में सहायता करना।
- बच्चे की उपलब्धियों एवं प्रगति को माता-पिता के साथ साझा करना।
- केंद्र से आगे की कक्षा या औपचारिक स्कूल जाने के लिए निरंतरता प्रदान करना।
- उत्तरदायित्व को प्रदर्शित करना, किए गए काम को स्पष्ट करने अथवा दिखाने के लिए रिकॉर्ड का प्रयोग किया जा सकता है।
- धोखाधड़ी से बचने, अत्यधिक खर्च तथ धन के अपव्यय से बचने के लिए पैसे के लेन-देन का रिकॉर्ड रखा जा सकता है।
- विजिटर बुक, शिक्षक-अभिभावक संगठन रिकॉर्ड आदि, स्कूल एवं अभिभावकों के बीच अच्छे संबंध तथा तारतम्यता स्थापित करते हैं।

16.4.1 रिकॉर्ड के प्रकार

मोटे तौर पर रिकॉर्ड को निम्नलिखित वर्गों में बाँटा जा सकता है:

1. बच्चों का रिकॉर्ड
2. ईसीसीई कार्यकर्ता/स्टाफ़ का रिकार्ड
3. स्टॉक रिकॉर्ड
4. वित्तीय रिकॉर्ड
5. अन्य रिकॉर्ड

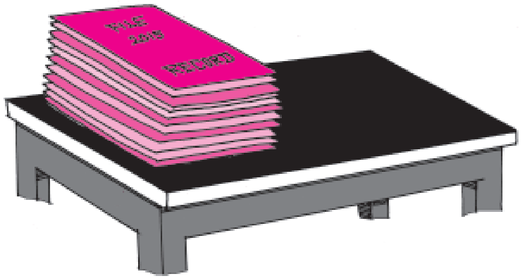

चित्र 16.2 : ईसीसीई केन्द्र/प्रारंभिक विद्यालय में रिकार्डों को रखना

1. बच्चों का रिकॉर्ड

बच्चों के रिकॉर्ड में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) बच्चे का प्रोफ़ाइल

(ख) उपस्थिति रजिस्टर

(ग) प्रगति रिपोर्ट

टिप्पणी

(घ) बच्चे का पोर्टफोलियो

आइए, इनके बारे में विस्तार से जानिए:

(क) बच्चे का प्रोफाइल / संचयी अभिलेख

बच्चे का प्रोफ़ाइल एक संचयी अभिलेख है जो सामान्यत: बच्चे के दाखिले के समय मातापिता की मदद से केन्द्र द्वारा भरा जाता है। इसमें निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए।

i) बच्चे का नाम	ii) जन्मतिथि
iii) लिंग	iv) परिवार में स्थान
v) भाई बहनों की संख्या	vi) पिता का नाम
vii) पिता की शैक्षिक योग्यता	viii) पिता का व्यवसाय
ix) पता/फोन नं.	x) माता का नाम
xi) माता की शैक्षिक योग्यता	xii) माता का व्यवसाय
xiii) टीकाकरण की स्थिति	xiv) एलर्जी (यदि कोई हो तो)
xv) बच्चे की विशेष आवश्यकता	xvi) अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारी

(ख) दैनिक उपस्थिति रजिटर में ईसीसीई केंद्र में आ रहे सभी बच्चों के नाम दर्ज होते हैं। यदि कोई बच्चा लगातार कुछ दिनों तक अनुपस्थित रहे तो ईसीसीई कार्यकर्ता को बच्चे के घर जाकर कारण का पता लगाना चाहिए।

(ग) बच्चे की विकासात्मक उपलब्धियों का रिकॉर्ड रखने के लिए चेकलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों के विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेने का स्तर। चेकलिस्ट शीघ्रता और आसानी से भरी जा सकती है।

(घ) उपलब्धियों का रिकार्ड अथवा पोर्टफोलियो बच्चे के कार्य तथा निश्चित समय में उसके द्वारा की गई प्रगति के रूप में बनाया जाता है। यह बच्चे तथा माता-पिता दोनों के लिए ही गर्व का विषय होता है।

(ङ) बच्चे के बारे में विस्तृत पर्यवेक्षण की लिखित जानकारी ईसीसीई कार्यकर्ता को बच्चे के किसी एक विकास क्षेत्र में सीखे गए कौशलों के बारे में जानने की अपेक्षा उसे पूर्ण रूप से समझने में सहायता करती है।

पाठगत प्रश्न 16.3

(क) केन्द्र में रखे जाने वाले रिकॉर्ड का विस्तृत वर्गीकरण कीजिए।

टिप्पणी

2. ईसीसीई कार्यकर्ता/स्टाफ रिकार्ड

केंद्र में कार्यरत सभी लोगों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। इसमें स्टाफ के सदस्यों के नाम, पता, फोन नंबर, आयु, राष्ट्रीयता, वैवाहिक स्तर, संबंधित योग्यता का वर्णन तथा अनुभव, नियुक्ति तिथि, कार्य का विवरण, वेतन तथा अन्य सहायक जानकारी सम्मिलित होनी चाहिए।

प्रत्येक कार्यकर्ता को आवश्यकता होने पर उसके रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कार्यकर्ता तथा स्वयंसेवी के निरीक्षण तथा प्रशिक्षण को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए एवं नियमित रूप से उसका नवीनीकरण किया जाना चाहिए। कार्यकर्ता का समय तालिका के साथ उपस्थिति रजिस्टर बनाया जाना चाहिए।

स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर

मई 2022 →				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
क्र. सं	स्टाफ के सदस्यों के नाम ↓	समय	हस्ता.																															
1	सदस्य 1	M																																
		A																																
2	सदस्य 2	M																																
		A																																
3	सदस्य 3	M																																
		A																																
4	सदस्य 4	M																																
		A																																
5																																		
6																																		

नमूना स्टाफ उपस्थिति रिकॉर्ड

3. स्टॉक रिकॉर्ड

यह केंद्र में रखे गए संसाधनों एवं सामग्रियों का रिकॉर्ड है। ये रजिस्टर केंद्र में उपस्थित सामान की मात्रा एवं प्रकार को दर्शाते हैं। यह सामग्री – अंदर तथा बाहरी स्थान के उपकरणों, फर्नीचर आदि में विभाजित की जा सकती है। अधिगम सामग्री की संख्या (कहानी तथा कविता की किताबें, ब्लॉक्स, पजल, क्रेयॉन, पेपर, आदि) जो उपयोग में लायी जा रही हों तथा जो सुरक्षित रखी हों, दोनों को ही समय-समय पर दर्ज करते रहना चाहिए।

4. वित्तीय रिकॉर्ड

केंद्र के क्रियाकलापों को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अन्य संसाधनों की तरह ही वित्तीय संसाधनों का भी कठोर नियमबद्ध प्रबंधन आवश्यक है। लेखा परीक्षण तथा रिपोर्ट देने आदि के उद्देश्य से भी वित्तीय रिकार्ड रखे जाने आवश्यक होते हैं। वित्तीय संस्थाएँ तथा माता-पिता आर्थिक योगदान देते हैं। कई बार वे यह जानने के इच्छुक होते हैं कि उनके द्वारा दिया गया धन किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। वित्तीय रिकॉर्ड तैयार होने पर केंद्र ये सभी जानकारी उन्हें उपलब्ध करा सकता है।

ईसीसीई के वित्तीय रिकॉर्ड में कैशबुक, बही-खाता (लेजर) तथा बैलेंसशीट आदि आते हैं। आइए, इनके विषय में विस्तार से पढ़ें।

कैशबुक में कम राशि वाली खरीद का रिकॉर्ड रखा जाता है जब तक कि यह ब्यौरा लेजर तथा अकाउन्टबुक में दर्ज न कर दिया जाए। यह केंद्र के स्टॉफ द्वारा बनाया जाता है। प्रतिदिन के छोटे-से छोटे व्यय का ब्यौरा भी कैशबुक में लिखा जाता है।

कैश बुक

माह, दिन तथा वर्ष	वाउचर संख्या	मद	राशि (रुपया)	योग (रुपया)
मई 19, 2022	1	स्टेशनरी	400	400
	2	सफ़ाई का सामान	50	50
	3	भोजन का राशन	200	200

नमूना कैशबुक

बही-खाता प्रमुख पुस्तिका अथवा कम्प्यूटर फाइल है जिसमें ईसीसीई में हुए प्रत्येक आय-व्यय का ब्यौरा दर्ज किया जाता है तथा उसका योग किया जाता है। इसमें पैसे के आगमन एवं निकासी के लिए अलग-अलग खाने बने होते हैं तथा प्रारंभ में उपलब्ध राशि एवं अंत में बची राशि को भी लिखा जाता है।

बैलेंस शीट में ईसीसीई केंद्र की सारी पूँजी का तथा लिए गए कर्ज आदि का ब्यौरा दर्ज किया जाता है। पूँजी या संपत्ति की अलग सूची बनायी जाती है फिर ऋण अथवा कर्ज को लिखा जाता है। संपत्ति अथवा पूँजी को दो भागों में विभाजित किया जाता है—तत्कालीन पूँजी तथा दीर्घकालीन पूँजी।

तत्कालीन पूँजी में वह सभी पूँजी आती हैं जिसे केंद्र द्वारा एक वर्ष के भीतर प्रयोग में लाने की आशा है या जिन्हें अगले वर्ष के लिए नकद राशि में परिवर्तित किया जा सकता है। दीर्घकालीन पूँजी में वह चीजें आती हैं जिन्हें आप अगले वर्ष नकदी में परिवर्तन करने की योजना नहीं बनाते। जैसे- जमीन, भवन तथा उपकरण। दीर्घकालीन ऋण में भी वे सब चीजें आती हैं जिनका भुगतान हमें एक वर्ष के भीतर नहीं करना होता जैसे - कर्ज। केंद्र के आर्थिक स्तर की जानकारी होना बेहद महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक केंद्र को यह जानकारी

टिप्पणी

हो कि इस दस्तावेज को किस प्रकार पढ़ा जाए, विश्लेषण किया जाए तथा इसका प्रयोग किया जाय।

बैलेंस शीट (हजार की संख्या में)

	मई 1, 2021	अप्रैल 30, 2022
नकद	173	183
अन्य तत्कालीन संपत्ति (फर्नीचर, स्टेशनरी)	176	196
दीर्घकालीन संपत्ति (भूमि, भवन)	231	227
कुल संपत्ति	**580**	**606**
तत्कालीन ऋण (स्टेशनरी, वेतन भुगतान, दैनिक व्यय) दीर्घकालीन ऋण (भवन तथा फर्नीचर की मरम्मत)	250328	265321
कुल ऋण/भुगतान	**578**	**586**

नमूना बैलेंस शीट

इसके अतिरिक्त आय, व्यय, लेन-देन, अभिभावक/माता-पिता से ली गई प्रत्येक बच्चे की फीस, बैंक में जमा की गई एवं निकाली गई राशि का रिकॉर्ड, प्राप्त बिल तथा किए गए भुगतान, अनुदान राशि के रिकॉर्ड तथा आय के साधनों की रसीदों आदि को लिखित रूप में कार्यकर्ता द्वारा प्रतिदिन दर्ज किया जाना चाहिए।

5. अन्य रिकॉर्ड

इसके अलावा कुछ अन्य रिकॉर्ड भी रखे जाने आवश्यक हैं जो इस प्रकार हैं:

- सुरक्षा उपकरणों की नियमित जाँच का रिकॉर्ड विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए तैयार की गई पुस्तक में दर्ज किए जाने चाहिए।
- यदि मिड्-डे-मील (मध्याह्न भोजन) दिया जाता हो तो उसकी व्यंजन सूची का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।
- लॉग-बुक
- स्कूल-विवरण पत्रिका
- स्कूल की स्थापना संबंधी अभिलेख : ट्रस्ट का अभिलेख, दस्तावेज निर्माण के समय का लेखा, निर्माण के आय स्रोतों की सूची आदि
- स्कूल तथा स्कूल के क्रियाकलापों के चित्र (यदि संभव हो तो उन्हें नामांकित भी करें)
- केंद्र तथा इसके क्रियाकलापों से संबंधित अखबार की कटिंग तथा स्क्रैपबुक
- भवन संबंधी योजनाएँ

- स्कूल की समय-सारिणी तथा स्कूल की पाठ्यचर्या से संबंधित रिकॉर्ड।
- स्कूल की शिक्षक-अभिभावक सभाओं तथा मित्र गोष्ठियों के मुख्य अंशों का रिकॉर्ड।
- विजिटर बुक

16.4.2 रिकॉर्ड का प्रबंधन

दिन-प्रतिदिन के रिकॉर्ड जो अलग-अलग पृष्ठों पर लिखे जाते हैं, उन्हें एक फाइल में व्यवस्थित करके क्रमानुसार लगाया जाना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके। सभी फाइलों को कोड सहित नामांकित किया जाना चाहिए जैसे- बच्चों के दैनिक कार्य की फाइल, रसीद तथा बिल फाइल, आदि क्रमानुसार व्यवस्थित करके इन्हें अलमारी अथवा दराज में रखें। जिस अलमारी अथवा दराजों में इन्हें रखा जा रहा हो उन्हें भी नामांकित करें।

सभी रिकॉर्ड को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि इन्हें देखने पर संबंधित क्रियाकलाप के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके। सभी आंकड़ों का नियमित रूप से स्पष्ट एवं व्यवस्थित तरीके से नवीनीकरण किया जाना चाहिए।

16.5 संसाधनों की गतिशीलता एवं उपयोगिता

जब आप किसी क्षेत्र में ईसीसीई केंद्र खोलने की उपयुक्तता अथवा प्रासंगिकता को तय कर लें तब आपको ईसीसीई केंद्र के निर्माण अथवा उसके नवीनीकरण के लिए वित्तीय उपलब्धता के विषय में सोचना होगा कि क्या आप केंद्र के लिए भवन खरीदेंगे अथवा किराए पर लेंगे। वित्त का प्रबंधन, धन का उपयोग, तथा लेखाजोखा एवं लेखा परीक्षण आदि के बारे में हम इस खंड में चर्चा करेंगे।

16.5.1 आर्थिक संसाधन जुटाना

सभी उद्यमों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। बढ़ती माँगों तथा धन की उपलब्धता के आधार पर हमें उपर्युक्त स्रोतों की तलाश करनी होती है। हम सरकार तथा समुदाय से आसानी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि बच्चों के कल्याण तथा बेहतर जीवन के विषय में वे भी बराबर के साझेदार हैं। संबंधित मंत्रालयों (जैसे–महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) तथा विभागों (समाज कल्याण विभाग) से वित्तीय सहायता ली जा सकती है। आप इंटरनेट पर भी प्रारंभिक विद्यालय की सहायता देने वाली योजनाओं को देख सकते हैं तथा संभव हो तो वहाँ से राशि प्राप्त कर सकते हैं। यह आर्थिक सहायता आंशिक अथवा पूर्ण रूप से ली जा सकती है।

(i) सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान राशि

वार्षिक अनुदान के अतिरिक्त केंद्र, सरकार से छोटे-मोटे अनुदान के लिए अनुशंसा कर सकता है, उदाहरण के लिए-खेल के मैदान के लिए उपकरण अथवा अधिगम सामग्री के निर्माण के लिए सहायता राशि माँग सकता है। यह छोटी सहायता राशि महत्वपूर्ण तो है किंतु यह पूर्ण रूप

से वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती। विभिन्न बाल तथा महिला विकास विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा चलायी गयी वित्तीय सहायता योजनाओं का भी सहयोग लिया जा सकता है।

(ii) समुदाय की सहभागिता

समुदाय को शामिल करने के लिए केंद्र में अनेक कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप कराए जा सकते हैं ताकि वे केंद्र के साथ जुड़ा हुआ महसूस करें तथा अपनी क्षमतानुसार योगदान कर सकें। सामुदायिक सहभागिता द्वारा आर्थिक संसाधन जुटाने के कुछ प्रचलित तरीकें हैं।

- ***मेले/उत्सवों का आयोजन***

ईसीसीई कार्यकर्ता केंद्र में मेले अथवा उत्सव का आयोजन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में बच्चों या अभिभावकों या समुदाय के सदस्यों द्वारा बनाए गए सामानों को प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए रखा जा सकता है तथा धन की व्यवस्था हेतु सहायता के लिए माता-पिता तथा समुदाय के आगन्तुकों से इन्हें खरीदने का आग्रह किया जा सकता है।

- ***स्वैच्छिक सहायता***

कुशल अभिभावक तथा समुदाय के सदस्य सामान के अलावा केंद्र को अनेक स्वैच्छिक सेवाएँ प्रदान कर केंद्र की सहायता कर सकते हैं। वे कक्षा में आकर पढ़ा सकते हैं अथवा अधिगम सामग्री तैयार करने में सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सभी माता-पिता गुड़िया, दृश्य चार्ट, छोटे बक्सों वाले ब्लॉक्स, आदि बना सकते हैं। वे केन्द्र में लगने वाले मेले अथवा प्रदर्शनी के लिए छोटे-मोटे सामान बिक्री के लिए भी बना सकते हैं।

- ***स्थान किराए पर देकर***

प्राय: ईसीसीई केंद्र का समय अधिक से अधिक एक बजे दोपहर तक होता है। ऐसे में केंद्र के कमरों आदि को कोचिंग क्लास, नृत्य शिक्षा या आर्ट एंड क्राफ्ट की कक्षाओं के लिए किराए पर दिया जा सकता है। यदि केंद्र में पर्याप्त खुला स्थान है तो इसे फल तथा सब्ज़ियाँ आदि उगाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, ताकि उन्हें बेचकर आर्थिक लाभ लिया जा सके।

- ***स्टेशनरी तथा अन्य सामान के लिए अनुदान शिविर का आयोजन करना***

अनेक लोग ऐसे होते हैं जो केंद्र को धन अनुदान में नहीं दे सकते पर इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि वे केंद्र की सहायता नहीं कर सकते। वे अपने पुराने खिलौने, कपड़े, गाड़ी, प्रयोग में लाए गए डिब्बे या अन्य चीजें जो बच्चों के किसी उपयोग में आ सकती हैं, केंद्र को दान कर सकते हैं। वे पहेलियाँ, क्रेयॉन, ब्लॉक्स आदि अधिगम सामग्री भी दान कर सकते हैं। ईसीसीई कार्यकर्ता इस प्रकार की सामग्री इकट्ठा करने के लिए तीन-चार दिन का अनुदान शिविर लगा सकते हैं, समुदाय को सूचनापत्र द्वारा, मुनादी कराके अथवा घर-घर जाकर इस कैंप के बारे में बताएँ। केंद्र अभिभावकों से अनाज या खाद्य-सामग्री जिसे मध्याह्न भोजन के लिए प्रयोग किया जा सके, को भी दान करने के लिए कह सकता है।

- ***अनुदान***

ईसीसीई कार्यकर्ता अभिभावकों से उनकी सामर्थ्य के अनुसार दान करने के लिए कह सकते

टिप्पणी

हैं। शहरी केंद्रों में उनके बच्चों को दी जा रही सुविधाओं के बदले में फ़ीस के रूप में कुछ राशि अभिभावकों से ली जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त परिवार व अन्य लोगों से भी कुछ सहायता राशि ली जा सकती है।

पाठगत प्रश्न 16.4

1. ईसीसीई केंद्र के लिए वित्तीय सहायता जुटाने के कुछ तरीकों की सूची बनाइए।

16.6 लेखा एवं लेखा परीक्षण

लेखा परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य ईसीसीई कार्यकर्ताओं को दिए समय के वित्तीय विवरण की शुद्धता के बारे में अंदाजा लगाने में समर्थ बनाना है। लेखा-परीक्षण केंद्र की लेखा व्यवस्था में सुधार लाने में भी सहायता करता है। लेखा परीक्षण के अन्य उद्देश्य त्रुटियों अथवा अशुद्धियों की पहचान करना तथा उन्हें रोकना है। इस प्रकार लेखा परीक्षण स्टाफ की वित्तीय प्रबंधन की क्षमता में सुधार लाता है तथा उसके कार्य का मूल्यांकन करता है।

वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्थाएँ समय-समय पर नियम बनाती हैं। ऐसे में परीक्षण किए गए रिकॉर्ड आर्थिक निर्णयों को अनुकूल बनाने के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए-अनुदान राशि का निर्धारण।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में या बजट काल के अंत में केंद्र के मुखिया की यह वैधानिक उत्तरदायित्व बनती है कि वह वित्तीय सदस्यों के समक्ष एक जाँची-परखी वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करे, इसलिए उचित सावधानी व कौशलों के साथ इसे तैयार किया जाना चाहिए।

लेखा परीक्षण दो प्रकार का होता है:

- आंतरिक लेखा परीक्षण
- बाह्य लेखा परीक्षण

आंतरिक लेखा परीक्षण केंद्र के धन-संबंधी लेन-देन तथा रिकॉर्ड्स की नियमित जाँच सुनिश्चित करता है कि सभी लेन-देन बजट के अनुसार हुए हैं या नहीं, ताकि प्रबंधन नीतियों का सही ढंग से पालन हो सके। बाह्य लेखा परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य अभिलेखों की सत्यता जाँचना होता है। यह केंद्र के आर्थिक लेन-देन तथा बिना जाँचे गए आर्थिक विवरणों पर ध्यान देता है। यह इनका नियमानुसार होना सुनिश्चित करता है।

16.6.1 लेखा-जोखा का महत्व तथा सामाजिक लेखा-जोखा

सामाजिक लेखा-जोखा और लेखा परीक्षण संस्था के आर्थिक कार्यों के सामाजिक और पारिवेशिक प्रभावों को समाज तथा समाज के विशिष्ट अधिकार समूहों को संप्रेषित करने की प्रक्रिया है। इससे केंद्र को सामाजिक, पर्यावरणीय तथा आर्थिक उद्देश्यों के अनुसार कार्यों की जाँच करने में सहायता मिलती है तथा यह समझने में सहायता मिलती है कि वे अपने मूल्यों

के अनुसार कार्य कर रहे हैं। सामाजिक लेखा को सामाजिक उत्तरदायित्वों के लिए की जा रही व्यावसायिक क्रियाकलापों की पहचान एवं रिकॉर्ड रखने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामाजिक उत्तरदायित्व प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक लेखा-जोखा किसी भी संस्था को सामाजिक उत्तरदायित्वों की दृष्टि से नापने का महत्वपूर्ण साधन है।

सामाजिक लेखा-जोखा के उद्देश्य

सामाजिक लेखा का प्रमुख उद्देश्य संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना है। कुछ अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- यह आपको एक क्रमिक दस्तावेज़ उपलब्ध कराता है कि किस प्रकार समय के साथ आपका ईसीसीई केंद्र विकसित एवं परिवर्तित हुआ।
- कार्य किस प्रकार हो रहा है, की प्रतिपुष्टि देता है।
- किन क्षेत्रों में सही ढंग से कार्य हो रहा है तथा किन में नहीं, के बारे में जानने में सहायक होता है।
- आप अपने उद्देश्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से कर पाए हैं, की जानकारी देता है।
- जानकारी एकत्र करता है जिनका प्रयोग आप वित्तीय सहायता एवं अनुदान के लिए प्रार्थना करते समय कर सकते हैं, अनुदान की रिपोर्ट देने तथा क्या करना है, को बताने में सहायता करता है।

16.6.2 धन का प्रबंधन एवं उपयोग

ईसीसीई केंद्र के आर्थिक प्रबंधन में धन का आगमन तथा धन को विभिन्न मदों में लगाना आता है। धन के प्रयोग पर निरीक्षण करना भी प्रबंधन के अंतर्गत ही आता है ताकि यह देखा जा सके कि जिस उद्देश्य के लिए वह धन है उसी पर व्यय हो रहा है या नहीं। धन के प्रभावशाली ढंग से उपयोग के लिए आर्थिक योजना बनाना आवश्यक है। यह आपको आपका वर्तमान आर्थिक स्तर बताने तथा केंद्र को चलाने के लिए उद्देश्य निर्धारित करने में सहायता करता हैं। यह आर्थिक संसाधनों के प्रमाण भी देता है जो यह दर्शाते हैं कि आपने अपने केंद्र के भविष्य के लिए आर्थिक प्रबंधन कर लिया है।

केंद्र के आर्थिक प्रबंधन का प्रथम चरण है—बजट बनाना। बजट व्यय तथा वार्षिक आय (निर्धारित खर्चों के लिए पैसे की आमद) के बारे में पूर्वानुमान लगाने में सहायता करता है। इसके बाद आपको आर्थिक अंतर (आय तथा व्यय के बीच) का एक अंदाजा लग जाता है। उसी के अनुसार आप अपने खर्चों तथा आय का समायोजन कर सकते हैं। या तो आप व्यय किए जाने वाले मदों की प्राथमिकता निश्चित कर सकते हैं अथवा आप आय के अतिरिक्त साधनों की खोज कर सकते हैं। बजट से भी प्राथमिकता या आपात स्थितियों को निपटाने के लिए आर्थिक समायोजन में सहायता मिलती है। बजट के आधार पर आप किसी निश्चित कार्यकाल के लिए योजना बना सकते हैं।

सभी आर्थिक लेनदेन यथा समय और ठीक-ठाक रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। आय तथा व्यय का मासिक पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए। यदि संभव हो तो केंद्र के वित्तीय रिकॉर्ड को वार्षिक तौर पर किसी विशेषज्ञ से जाँच करवानी चाहिए। केंद्र के आर्थिक प्रबंधन व आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति के लिए सभी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ कर सहयोग करना चाहिए।

पाठगत प्रश्न 16.5

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

(क) .... से केंद्र का लेखा-जोखा के सुधार करने में सहायता मिलती है।

(ख) आर्थिक प्रबंधन धन के .... और उसकी प्राप्ति से संबंधित है।

(ग) केंद्र के वित्तीय प्रबंधन का प्रथम चरण .... बनाना है।

(घ) .... का उद्देश्य अभिलेखों की सत्यता जानना है।

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा :

- प्रशासन एवं प्रबंधन का अर्थ
  - प्रशासन का अर्थ
  - प्रबंधन का अर्थ
- एक ईसीसीई केन्द्र के संदर्भ में प्रशासन एवं प्रबंधन
- ईसीसीई केंद्र में पर्यवेक्षण निरीक्षण तथा मार्गदर्शन
- पर्यवेक्षण → उद्देश्य, लाभ
- निरीक्षण → उद्देश्य, लाभ

- मार्गदर्शन →
  - उद्देश्य
  - लाभ
- स्कूल रिकॉर्ड →
  - आवश्यकता एवं महत्व
  - प्रकार
- रिकॉर्ड के प्रकार ↓
  - बच्चे
  - स्टॉफ
  - स्टॉक
  - वित्तीय
  - अन्य
- बच्चे का रिकॉर्ड
  - – बच्चे का प्रोफाइल
  - – उपस्थिति रजिस्टर
  - – बच्चे का पोर्टफोलियो
  - – प्रगति रिपोर्ट
- स्टॉफ रिकॉर्ड
  - – स्टॉफ प्रोफाइल
  - – उपस्थिति रजिस्टर
  - – केंद्र का रिकार्ड
  - – आर्थिक अभिलेख
  - – स्टॉक रजिस्टर
- कैश बुक
- बहीखाता (लेजर)
- बैलेंस शीट
- ईसीसीई केंद्र के लिए धन जुटाना →
  - सरकारी
  - सामुदायिक/निजि

टिप्पणी

- सरकारी →
  - अनुदान
  - ऋण
- सामुदायिक
  - मेले/उत्सव
  - ऐच्छिक
  - स्थान किराए पर देना
  - अनुदान राशि
  - अनुदान शिविर
- लेखा परीक्षण के प्रकार →
  - आंतरिक लेखा परीक्षण
  - वाह्य लेखा परीक्षण
- लेखा-जोखा तथा सामाजिक लेखा-जोखा का महत्व
- सामाजिक लेखा-जोखा के उद्देश्य
- धन का प्रबंधन और उपयोग

पाठान्त प्रश्न

1. ईसीसीई केंद्र के प्रबंधन में पर्यवेक्षण, निरीक्षण तथा मार्गदर्शन के महत्व की चर्चा कीजिए।
2. ईसीसीई केंद्र में रखे जाने वाले विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।
3. कैशबुक, बैलेंस शीट तथा बही खाता में अंतर स्पष्ट कीजिए।
4. बजट क्या है? इसके क्या लाभ हैं?
5. लेखा जोखा तथा सामाजिक लेखा-जोखा के महत्व की व्याख्या कीजिए।
6. ईसीसीई के संदर्भ के वित्त के प्रबंधन एवं उपयोगिता का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

16.1

1) सत्य
2) सत्य

3) असत्य

4) सत्य

5) असत्य

16.2

(क) iv

(ख) v

(ग) ii

(घ) i

(ङ) iii

16.3

रिकॉर्ड को सामान्यत: निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है–

(1) बच्चों का रिकॉर्ड

(2) ईसीसीई कार्यकर्ता/स्टाफ का रिकॉर्ड

(3) स्टॉक रिकॉर्ड

(4) वित्तीय/धन संबंधी रिकॉर्ड

(5) अन्य रिकॉर्ड

16.4

सरकार द्वारा प्राप्त सहायता/अनुदान राशि, मेले/उत्सव का आयोजन, ऐच्छिक, स्थान को किराए पर देना, सामग्री तथा स्टेशनरी अनुदान शिविर का आयोजन करना, अनुदान आदि।

16.5

(क) लेखा परीक्षण

(ख) बंटवारे/विभिन्न मदों के निर्धारण

(ग) बजट

(ब) वाह्‌य लेखा परीक्षण

संदर्भ

- Gupta, S. (2009). *Early Childhood Care and Education.* New Delhi: PHI Learning Pvt. Ltd.
- Hilderbrand, V. (1984). *Management of Child Development Centre*. New York: Collier MacMillan
- Sanwal, S. (2008). *A Study of Early Childhood Workforce and Early Childhood Environment in Bhopal and Indore Cities*. New Delhi: NCERT.

- Seth, K. (1996). *Minimum Specifications for Pre–schools.* New Delhi: NCERT.
- Shukla, R.P. (2004): *Early Childhood Care and Education.* Sarup & Sons.
- Sidhu, K .W. (1996). *School Organisation and Administration*. New Delhi: Sterling Publishers.

17

ईसीसीई शिक्षक के गुण एवं भूमिका

हम सभी इस बात से परिचित हैं कि प्रारंभिक बाल्यकाल किसी भी बालक के जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं। इस अवस्था का प्रभाव व्यक्ति के समग्र जीवन पर जीवनपर्यन्त रहता है तथा उसे प्रभावित करता है। यदि इस समय बच्चे को पर्याप्त अधिगम संसाधन एवं देखभाल उपलब्ध करायी जाए, तो वह आगे चलकर एक स्वस्थ एवं सुखी मनुष्य के रूप में विकसित होता है। घर के अलावा ईसीसीई केन्द्र ही वह स्थान है जहाँ बच्चों को विभिन्न आयामों जैसे शारीरिक-गत्यात्मक, सामाजिक-संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और भाषायी दक्षताओं में योग्यता प्राप्त करने की अभिप्रेरणा दी जाती है। ईसीसीई शिक्षक इन केंद्रों पर बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु सकारात्मक वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। निष्कर्षत: प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकास एवं अधिगम की प्रक्रिया हेतु अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक महत्वपूर्ण हैं।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप

- एक प्रभावी ईसीसीई शिक्षक की विशेषताओं की व्याख्या करते हैं;
- एक ईसीसीई शिक्षक के उत्तरदायित्व और भूमिका की विवेचना करते हैं; और
- बच्चे के अधिगम वातावरण को बेहतर बनाने हेतु कौशल विकास की तकनीक बताते हैं।

17.1 ईसीसीई शिक्षक के गुण

ईसीसीई की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु प्रारंभिक शिक्षण और देखभाल में कार्यरत शिक्षकों की गुणवत्ता पर ध्यान देना आवश्यक है। बच्चे के लिए अनुकूल एवं बाल स्नेही वातावरण तैयार करने हेतु शिक्षक में कुछ विशेषताओं का होना आवश्यक है। ईसीसीई कार्यक्रम के उद्देश्यों को पहचानने एवं उनकी प्राप्ति करने हेतु शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

आइए, ईसीसीई शिक्षकों की मुख्य विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। यह ना केवल इच्छित हैं अपितु आवश्यक भी है।

Frobel, the father of kindergarten, said: I understand it thus she (the mother) says, "I bring my child-take care of its as I would do," or do it with my child what is right to do, or "do it better than I am able to do it." An silent agreement is made between the parents and you, the teacher; the child is passed from hand to hand, from heart to heart. What else you can do but be a mother to the little one, for the hour, morning or day when you have the sacred charge of a young soul? In hope and trust the child is brought to you, and you have to show yourself worthy of the confidence which is placed in your skill, your experience and knowledge.

Source: Early childhood education Today. George S. Morrison-p-619.

एक ईसीसीई शिक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए–

स्नेहशील एवं ध्यान रखने वाला

बच्चे स्नेह, दुलार तथा ध्यान से किसी के भी साथ घुल-मिल जाते हैं। जैसे ही बच्चा ईसीसीई केन्द्र के नये वातावरण में प्रवेश करता है, उसे एक स्नेहशील शिक्षक की आवश्यकता होती है जिस पर वह अपनी सभी आवश्यकताओं के लिये भरोसा कर सके। शिक्षक एवं बच्चे के मध्य विश्वास विकसित होने का कारण निस्वार्थ प्रेम एवं दुलार है। यह बच्चे के बेहतर सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी सहायक है। शिक्षक द्वारा बच्चों का ख्याल रखना एवं परवाह करना उनमें एक हमेशा चलने वाला संबंध बनाने का पर्याय है। आपसी समझ तथा विश्वास से कक्षाकक्ष में आने वाली समस्याओं के निराकरण में भी सहायक है। इससे बच्चों में अपनत्व की भावना का विकास होता है जिससे वह भविष्य में दूसरों के साथ मजबूत रिश्तों की नींव रख पाता है। इसलिए स्नेहशीलता तथा ध्यान रखने वाला होना ईसीसीई शिक्षक का अत्यंत महत्वपूर्ण गुणों में से एक गुण है।

ऊर्जावान, अभिप्रेरित एवं उत्साही

एक सकारात्मक ऊर्जा से भरा जोशीला शिक्षक कक्षाकक्ष एवं बच्चों को सकारात्मक ऊर्जा दे सकता है। उत्साही शिक्षक एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जो सभी बच्चों के लिए आनंददायी होता है। खेल बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है तथा उन्हें अपने आस-पास की विभिन्न वस्तुओं के बारे में खोजबीन करने तथा अधिगम के योग्य बनाता है। अभिप्रेरित शिक्षक बच्चों के साथ विभिन्न गतिविधियों में घुल-मिल जाते हैं। जो बच्चों तथा शिक्षक को विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से अनेक विचारों का उद्‌भव एवं विकास करने में सहायक होते हैं। यह विचार बच्चों एवं शिक्षकों के अधिगम का आधार है। ऐसे शिक्षक आंतरिक संतुष्टि एवं प्रसन्नता से बच्चों को अधिगम कराने में सफल होते हैं।

एक सक्रिय एवं सहृदय श्रोता

एक विदित तथ्य है कि किसी की समस्या को जानने एवं समझने हेतु हमें उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। इस तरह सोचने की प्रक्रिया को समानुभूति कहते हैं। यह तथ्य विद्यार्थी एवं शिक्षक संबंधों में भी उतना ही सत्य है। बच्चों की खुशी एवं दुख दोनों की जानकारी हेतु शिक्षक का एक सक्रिय एवं सहृदय श्रोता होना आवश्यक है। बच्चे अपने संवेगों और परिस्थितियों में प्रतिक्रिया को विभिन्न तरीकों से व्यक्त करते हैं। शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उसे बच्चों के विचार तथा संवेगों को समझने में सक्षम बनाता है। इसी से बच्चे शिक्षक के जीवन में अपनी महत्ता पहचान पाते हैं। यही गुण शिक्षक को विभिन्न कक्षा-कक्ष एवं व्यवहारात्मक समस्याओं का निदान सफलतापूर्वक करने में सहायता करता है।

प्रसन्न तथा वचनबद्ध

क्या आप अपने स्कूल में कभी ऐसे शिक्षक से मिले हैं जो चिढ़ा हुआ, क्रोधी और हमेशा बच्चों को डांट लगाता हो? क्या आप ऐसे शिक्षक को पसंद करेंगे? शायद नहीं। शिक्षक का व्यक्तित्व बच्चों पर सीधा प्रभाव डालता है। सकारात्मक व्यक्तित्व वाले शिक्षक सकारात्मक संवेगात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। ऐसे शिक्षकों को बच्चों की ओर से सहयोग और सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त होती हैं। ऐसे शिक्षक अपने पद की गरिमा समझते हैं तथा बच्चों के साथ कार्य खुशी से करते हैं।

धैर्यवान तथा लगनशील

शिक्षक को बच्चों की समस्याओं का धैर्य तथा लगन के साथ समाधान करना चाहिए। खेल तथा अन्य क्रियाओं के समय शिक्षक देखते हैं कि बच्चे खिलौने तथा अन्य सामान इधर-उधर रख देते हैं एवं कक्षाकक्ष और स्वयं को गंदा भी कर देते हैं। वे शिक्षक की अपेक्षा के अनुसार ना ही प्रतिक्रिया देते हैं ना ही सीखते हैं। ऐसे परिस्थितियों में शिक्षकों को बच्चों से नाराज अथवा गुस्सा नहीं होना चाहिए। अपितु बच्चों को आजादी देनी चाहिए कि वे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, जैसे चाहे खेलें और सीखें और बच्चों को बेहतर सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। इसी प्रकार, एक बच्चे को अधिगम हेतु एक ही गतिविधि को बार-बार दोहराए जाने की आवश्यकता हो सकती है जबकि दूसरे बच्चे को इसी अधिगम के लिए विशेष अवधान (ध्यान) की आवश्यकता हो सकती है। विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईसीसीई शिक्षकों को धैर्यवान एवं लगनशील होना चाहिए। शिक्षक को सकारात्मक परिणाम के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए।

साव्यय और समायोजित

शिक्षकों को विभिन्न जरूरतों और क्षमताओं वाले बच्चों की कक्षा-कक्ष का प्रबंधन करना होता है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए योजना बनाना ईसीसीई कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। गतिविधियों के लिए प्रभावी योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए, शिक्षकों के पास आवश्यक समस्त संसाधन एवं स्रोत उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। वे शिक्षक जो साव्यय और

समायोजित हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सकारात्मक परिणाम लाने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि साव्यम और समायोजन कठोर नियमों के लिए बाह्य नहीं है, यह केन्द्र की सुचारू कार्य प्रणाली में भी मदद करता है। अत: शिक्षकों को, छोटे बच्चों के लिए अधिगम अनुभवों की योजना बनाते समय साव्यय और समायोजित दृष्टिकोण रखना चाहिए।

रचनात्मक तथा नवाचारी

बच्चे प्रकृति से उत्सुक होते हैं। वे अपने आसपास के वातावरण में नवीन खोज तथा घटनाओं के कारण जानने के इच्छुक होते हैं। वह अपने अनुसार वस्तुओं की कल्पना करते हैं। हर संभावित प्रश्नों के नवीन उत्तर खोज सकते हैं और अपने स्वयं के नवाचारी तरीकों से नयी खोजों का निर्माण कर सकते हैं। अत: बच्चों की इस अनोखी विचारधारा तथा अधिगम को प्रारंभिक बाल्यकाल से ही विकसित करने की आवश्यकता होती है जोकि उन्हें पूरी तरह से विकसित होने में सहायक हो। बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जिनमें वह प्रयोग और नवाचारी कार्य सीख सके।

अत: ईसीसीई उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षक का रचनात्मक तथा नवाचारी होना अति आवश्यक है।

संगठित

ईसीसीई शिक्षक को अनेक कार्य करने होते हैं जैसे कि कक्षा का संगठन, शिक्षण-अधिगम सामग्री निर्माण, बुलेटिन बोर्ड का विस्तार, शिक्षक-अभिभावक भेंट का आयोजन आदि। इसलिए संगठित होना शिक्षकों का एक अन्य गुण है जो शिक्षकों के पास होना चाहिए जिससे वह सभी क्रियाएँ सुचारू रूप से संचलित कर सकें।

प्रभावी संप्रेषक

शिक्षकों का संप्रेषण कौशल महत्वपूर्ण गुण है क्योंकि शिक्षक को बच्चों, अभिभावक, प्रधानाचार्य और समाज से प्रभावी रूप से संवाद करने की आवश्यकता होती है। बच्चों को अनेक प्रकार की गतिविधियों में व्यस्त रखने तथा उनकी रुचि बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। शिक्षक को अपने विचार सरल और स्पष्ट भाषा में व्यक्त करने चाहिए। सरल और स्पष्ट भाषा के प्रयोग से ही शिक्षक नन्हें बच्चों से संबंध बनाने में सफल होते हैं। शिक्षकों को उपयुक्त हाव-भाव, मुद्राओं, आवाज के स्वरों का उतार-चढ़ाव, आदि आने आवश्यक हैं। कहानी सुनाने, काव्य पाठ आदि गतिविधियाँ संचालित कर सकते हैं।

संप्रेषण करते समय संवाद कौशल के द्वारा शिक्षक अभिभावकों और अन्य हितधारकों के साथ अच्छे संबंध बनाने में सफल होता है। शिक्षकों के लिए यह कौशल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कौशल बच्चे के सर्वांगीण विकास के भागीदार सभी पक्षों से संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है।

अभिभावक एवं समाज के साथ तालमेल बनाने हेतु प्रभावी

घर एवं ईसीसीई केंद्र ही दो महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ पर बच्चा विकास, वृद्धि एवं अधिगम प्राप्त करता है। अभिभावकों की अपने बच्चों की शिक्षा तथा देखभाल में भूमिका के प्रति शिक्षकों का सकारात्मक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। शिक्षक एवं अभिभावक के मध्य होने वाला नियमित संप्रेषण बच्चों की आवश्यकताओं और विकास क्रम को समझने में सहायक होता है। साथ में समुदाय एवं अभिभावकों की केंद्र के संचालन में सक्रिय सहभागिता दोनों वातावरणों के मध्य दुराव को कम करती है। अत: अभिभावकों और समुदाय के मध्य मजबूत संबंध बच्चों के इष्टतम विकास के लिए आवश्यक है।

आत्म-विश्वास एवं उच्च आत्म-सम्मान

आत्म-विश्वास तथा उच्च आत्म-सम्मान ईसीसीई शिक्षकों के महत्वपूर्ण गुण हैं। कक्षा-कक्ष में एक स्वस्थ एवं सकारात्मक वातावरण का निर्माण करने के लिए उन्हें इन गुणों को आवश्यक रूप से आत्मसात एवं प्रदर्शित करना चाहिए।

पूर्ण रूप से प्रशिक्षित

ईसीसीई शिक्षकों में महत्वपूर्ण ज्ञान और कौशल होना चाहिए जो छोटे बच्चों को ढंग से संभालने के लिए प्रभावी होता है। बच्चों के अधिगम अनुभवों को अधिक सारगर्भित बनाने हेतु शिक्षकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था और ईसीसीई गुणवत्ता के महत्व की जानकारी होनी चाहिए। जीवन की शारीरिक-गत्यात्मक, संवेगात्मक-संज्ञानात्मक और भाषीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शिक्षक को विकास एवं वृद्धि के मुख्य आधारों की जानकारी होना आवश्यक है।

बच्चों की विभिन्न भिन्नताओं के बावजूद, बच्चों की सीखने अनुभव और प्रदर्शन के समान अवसर प्रदान करने के लिए ईसीसीई शिक्षकों को विविधता और समावेशन की समझ होना आवश्यक है। ईसीसीई शिक्षकों से यह अपेक्षित है कि वह बच्चों के विकास की विशेषताओं और अधिगम आवश्यकताओं को समझते हुए ऐसे बच्चों की सहायता करें जो दिव्यांग हैं, सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े हैं या किसी प्राकृतिक आपदा, युद्ध एवं हिंसा के शिकार हैं।

शिक्षकों को शिक्षण कौशल और शिक्षण प्रणाली में अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए। इसके लिए उन्हें छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं और शिक्षण प्रणालियों/विधियों को समझना चाहिए। अत: शिक्षक को अनेक शिक्षण अधिगम उपागमों जैसे खेल द्वारा सीखना, गतिविधि आधारित सीखना, करके सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, खोज द्वारा सीखना, सहयोगात्मक सीखना, चर्चा, विचार-विमर्श से सीखना, भ्रमण द्वारा सीखना की जानकारी होना अति आवश्यक है और यह सभी ईसीसीई शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं।

टिप्पणी

अनुसंधान कौशल और जीवन-पर्यन्त शिक्षार्थी

ईसीसीई कार्यक्रम को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षकों को अनुसंधान में भी व्यस्त होना चाहिए। इन अनुसंधानों के आधार पर शिक्षक कक्षा-कक्ष में आने वाली तत्कालीन समस्याओं को हल करने, अपनी शिक्षण पद्धतियों पर पुनर्विचार करने और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने में सक्षम बनता है।

शिक्षकों को ईसीसीई के क्षेत्र में नवीनतम ज्ञान और विकास के बारे में स्वयं को जागरूक रखना चाहिए। उन्हें व्यवसाय की माँगों तथा जरूरतों को पूरा करने के लिये अपने ज्ञान तथा कौशल के निरंतर विकास के लिये प्रयासरत रहना चाहिए। शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर विकास के बारे में स्वयं को जागरूक रखना चाहिए।

पाठगत प्रश्न 17.1

1. नीचे दिए गये ग्रिड में ईसीसीई शिक्षकों की प्रमुख विशेषताएँ पहचानिए–

c	c	t	p	q	s	m	b	b	l	y
o	r	g	a	n	i	s	e	d	o	o
n	i	n	n	o	v	a	t	i	v	e
f	e	m	p	a	t	h	e	t	i	c
i	m	s	a	c	x	z	i	l	n	a
d	p	s	t	r	b	c	i	l	g	r
e	t	t	i	e	d	k	n	p	c	i
n	l	q	e	a	c	t	i	v	e	n
t	c	p	n	t	h	f	d	c	j	g
f	c	l	t	i	n	m	c	x	k	f
n	k	m		v	o	n	z	z	z	m
0	j	f	l	e	x	i	b	l	e	b

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

(क) शिक्षकों को ऐसे कक्षाकक्ष का प्रबंधन करना होता है जिसमें बच्चों की देखभाल करनी होती है जो विभिन्न .... और .... के बच्चे होते हैं।

(ख) शिक्षकों से यह अपेक्षित है कि वह शिक्षा क्षेत्र में होने वाले नवीन ....और .... से परिचित हों।

(ग) शिक्षक और अभिभावकों के मध्य नियमित संप्रेषण बच्चों की .... और उनकी .... क्रिया को समझने में सहायता करती है।

(घ) शिक्षक को अधिगम अनुभवों की योजना बच्चों के स्तर को देखते हुए बनानी चाहिए। इसके लिए शिक्षकों को .... होना आवश्यक है।

(च) बालक विभिन्न प्रकार से अपने .... को स्पष्ट करते हैं। यह .... परिस्थिति के आधार पर होता है।

(छ) एक निस्वार्थ .... और देखभाल की भावना से शिक्षक एवं बच्चों के मध्य .... का विकास होता है।

17.2 ईसीसीई शिक्षक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

ईसीसीई शिक्षक बच्चों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी अनेक सक्रिय भूमिकाएँ हैं क्योंकि वे छोटे बच्चों के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, आहार, सुरक्षा, संरक्षण और शिक्षा की देखभाल करने का उत्तरदायित्व लेते हैं।

आइए, ईसीसीई शिक्षकों की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों के बारे में जानते हैं–

बच्चों की सुरक्षा एवं रक्षा सुनिश्चित करना

बच्चों को शारीरिक एवं संवेगात्मक दोनों रूपों में सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। एक ईसीसीई शिक्षक को अपने ईसीसीई केन्द्र पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ईसीसीई केंद्र बच्चों के स्वतंत्र घूमने के लिए पूर्णत: सुरक्षित है। उनकी निरंतर निगरानी और देखभाल करने की आवश्यकता होती है।

शिक्षक से यह भी अपेक्षित है कि कक्षा-कक्ष में प्रशंसा प्रोत्साहन और सहयोग के द्वारा सुरक्षित संवेगात्मक एवं सकरात्मक वातावरण बनाएँ ताकि बच्चे अपने परिवेश में सहज और खुश महसूस कर सकें।

क्रियाकलाप योजना

ईसीसीई शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक प्रमुख भूमिका योजना बनाना है। ईसीसीई कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में गुणवत्ता बनाये रखने के लिये योजना निर्माण आवश्यक है। इसके अंतर्गत शिक्षक को पाठ्यक्रम, समय सारणी, आयु उपयुक्त बाह्य और आंतरिक अधिगम क्रियाकलाप, मूल्यांकन तकनीक, शिक्षक-अभिभावक भेंट, कार्यशाला आदि सहित कई गतिविधियों की योजना बनाने की आवश्यकता होती है। शिक्षक बच्चों और उनकी आवश्यकताओं, सामाजिक आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं, संसाधनों की उपलब्धता और व्यवहारयता

को ध्यान में रखते हुए योजना बनानी चाहिए। अतः इच्छित परिणाम प्राप्त करने हेतु एक वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध योजना का होना आवश्यक है।

ईसीसीई पाठ्यक्रम का निर्माण एवं कार्यान्वयन

यह शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक बच्चों के विकास स्तर एवं उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं। अतः शिक्षक को सक्रिय रूप से पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देना चाहिए जिसमें बच्चों को मिलने वाले सभी अनुभव समाहित हों।

एक पूर्ण रूप से निर्मित पाठ्यक्रम केवल तभी सफल हो सकता है जब शिक्षक पाठ्यक्रम को सही प्रकार से पढ़ाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए प्रशिक्षित हों।

समृद्ध शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण (Creating an enriching teaching leasuring enveronment)

प्रत्येक बच्चे की अपनी अधिगम शैली और अधिगम गति होती है। एक ही प्रकार की शिक्षण शैली सभी बच्चों पर प्रभावी नहीं होती है। ईसीसीई शिक्षकों की यह उत्तरदायित्व होती है कि वह छोटे बच्चों के लिए एक सहयोगात्मक और स्नेहशील वातावरण तैयार करे। ईसीसीई केन्द्र पर एक अच्छा अधिगम वातावरण तैयार करने के लिए अनेक पहलू योगदान देते हैं। आइए, हम इन पहलुओं के संबंध में शिक्षकों की भूमिका का अध्ययन करें।

- ईसीसीई शिक्षक को कक्षा–कक्ष संगठन तथा उसका प्रबंधन करना होता है। इसके लिए विभिन्न क्रियाकलापों के लिये स्थान आवंटन, आयु उपयुक्त उपकरण तथा अधिगम सामग्री का चयन करना तथा दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कक्षाकक्ष को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। बच्चों की सुरक्षा तथा बचाव को सुनिश्चित करना भी शिक्षक का ही दायित्व है।

- ईसीसीई शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के शिक्षण–अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करके शिक्षण को रूचिकर और अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। यह शिक्षकों का दायित्व है कि वह उपयुक्त शिक्षण–अधिगम सामग्री प्राप्त करें। शिक्षक आवश्यकतानुसार स्थानीय उपलब्ध कम लागत या बिना लागत वाली सामग्री का उपयोग करके शिक्षण अधिगम सामग्री भी बना सकता है। इन्हें सामग्री का उपयोग अभिनव प्रकार से करना चाहिए और सामग्री को पुनर्चक्रण करना चाहिए।

  उदाहरण के लिए, खाली गत्ते के डिब्बे से कागज/पेन स्टैंड, चिड़ियों के दाने का बर्तन, खिलौने की बस, घर आदि बना सकते हैं। इसी प्रकार खाली प्लास्टिक बोतलों का प्रयोग रॉकेट, पेन स्टैंड इत्यादि बनाने के लिए किया जा सकता है। शिक्षक, बच्चों को बेकार सामग्री उनसे जोड़–तोड़ करके कुछ नया बनवाने का कार्य भी कर सकते हैं। इससे बच्चों

में रचनात्मकता तथा कल्पना का विकास करने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक वातावरण में उपलब्ध सामग्री जैसे कंकर, सूखे पत्ते तथा घास-फूस भी बच्चों को आकर्षित करते हैं तथा बच्चे इस प्रकार की सामग्री के साथ खेलना पसंद करते हैं।

शिक्षकों को शिक्षण-अधिगम सामग्री का प्रयोग कई तरीकों और अभिनव प्रकार से करना चाहिए। उदाहरण के लिए, वे कंकड का प्रयोग चिकनी तथा खुरदरी सतह, जोड़, घटाना, खेलने, गिनती सीखने इत्यादि के लिए कर सकते हैं।

- शिक्षक आयु एवं विकास उपयुक्त, रूचिकर एवं आकर्षक अधिगम सामग्री बनाएँ। सभी बच्चों को खेलने, अवलोकन करने जोड़तोड़ करने, विमर्श करने, खोजने एवं प्रयोग करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। शिक्षकों द्वारा विभिन्न विकास आयामों के लिए गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, वह सामाजिक-संवेगात्मक तथा भाषायी विकास हेतु किसी नाटक का आयोजन कर सकते हैं। साथ ही निकट के पार्क भ्रमण से शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास का भी प्रयास कर सकता है।

- शिक्षकों का यह दायित्व है कि कक्षा में हर बच्चा स्वयं को सम्मानित, स्वीकार्य तथा स्वागत योग्य अनुभव करे। कक्षाकक्ष में मौजूद विविधता की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिये शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया ऐसे संगठित करनी चाहिए कि सभी बच्चों को भाग लेने तथा अभिव्यक्ति के समान अवसर मिले। दिव्यांग बच्चों को भी उनके विकास और अधिगम में आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

- शिक्षकों का यह भी उत्तरदायित्व है कि वह बच्चों की वृद्धि एवं विकास की पद्धति की पहचान करने, उनकी प्रगति की निगरानी करने, उन्हें सहयोग प्रदान करने और सक्रिय वातावरण बनाने के लिए नियमित मूल्यांकन करें। यह अवलोकन, उपाख्यानात्मक अभिलेख और पोर्टफोलियो द्वारा किया जा सकता है।

कार्यक्रमों और क्रियाकलापों का आयोजन

- ईसीसीई शिक्षकों का एक महत्वूपर्ण दायित्व यह भी है कि वह शिक्षक अभिभावक बैठक (PTM-Parents teachers meeting) का आयोजन करे। शिक्षक और अभिभावक दोनों को बच्चों के समग्र विकास के लिए कार्य करना चाहिए। अतः इन बैठकों के माध्यम से दोनों पक्ष बच्चों के अधिगम और विकास को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक रूप से कार्य कर सकते हैं।

- बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य कर विकास के लिए विभिन्न अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। ईसीसीई शिक्षकों से यह अपेक्षित है कि वह बच्चों से जुड़े उनके दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष वार्ता/चर्चा का

टिप्पणी

आयोजन करे। यह विषय दैनिक जीवन के आने वाले कार्य भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए: पीने का स्वच्छ पानी, पानी तथा बिजली बचाना, पेड़ लगाना, स्वस्थ भोजन तथा शरीर, जानवरों को सुरक्षा प्रदान करना इत्यादि। शिक्षकों से विशेष दिनों के लिये आयोजन करने और इन कार्यक्रमों में बच्चों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की भी उम्मीद की जाती है।

ईसीसीई शिक्षकों को, अभिभावकों तथा समुदाय के सदस्यों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम तथा कार्यशालाओं का आयोजन करने की भी आवश्यकता होती है।

पाठगत प्रश्न 17.2

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. एक ईसीसीई शिक्षक को .... अनुसार कम खर्चीली तथा सस्ती सामग्री प्रयुक्त करनी चाहिए।
2. बच्चों के .... विकास हेतु उन्हें पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए।
3. शिक्षक रचनात्मक रूप से .... और .... सामग्री को अभिनव प्रकार से प्रयोग करता है।
4. वांछित परिणामों की प्राप्ति हेतु .... और .... योजना आवश्यक है।
5. शिक्षकों को सक्रिय रूप से .... निर्माण में सहयोग करना चाहिए।
6. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उपयुक्त सहायता मिलनी चाहिए। यह सहायता .... और .... पक्ष में होनी चाहिए।

गतिविधि 17.1

किसी भी ईसीसीई शिक्षक से बातचीत कीजिए तथा उनकी भूमिकाओं को सूचीबद्ध कीजिए।

आपने क्या सीखा

- शिक्षक–अभिभावक बैठक का कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन करना।
- बच्चों हेतु उनके दैनिक जीवन से जुड़े हुए एवं सार्थक प्रकरणों पर विशेष बातचीत/अन्तर्क्रिया का आयोजन करना, अभिभावक तथा समुदाय सदस्यों के लिए उन्मुखी कार्यक्रम और कार्यशालाओं का संचालन करना।

- सुनिश्चित करना कि कक्षा-कक्ष का प्रत्येक बच्चा स्वयं को सम्मानित, स्वीकार्य और स्वागत योग्य समझना तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विकास एवं अधिगम के लिए निश्चित रूप से आवश्यक कक्षा की विविधताओं का प्रबंधन करना।
- आयु अनुरूप, विकासोचित, आकर्षक एवं रूचिकर अधिगम अनुभवों का आयोजन करना। सभी बच्चों को खेल, अवलोकन, हस्त संचालन, अन्तर्क्रिया, खोजबीन एवं प्रयोग करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए।
- विषय को रूचिपूर्ण एवं आनंददायी बनाने हेतु विविध शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करना चाहिए। अधिगम सामग्री परिवेश में उपलब्ध कम लागत या बिना लागत की सामग्री से तैयार की जानी चाहिए शिक्षण अधिगम सामग्री का एकाधिक रूप से नवाचार सृजनात्मक उपयोग करना चाहिए।
- कक्षा कक्ष की व्यवस्था एवं प्रबंधन: विभिन्न क्रियाकलापों के लिए स्थान सुनिश्चित करना, आयु के अनुसार उपयुक्त उपकरण तथा अधिगम सामग्री का चयन करना एवं कक्षा-कक्ष में स्थान की उचित व्यवस्था।
- ईसीसीई पाठ्यक्रम की रचना एवं सफलतापूर्वक लागू करना।
- संवेगात्मक रूप से सुरक्षित एवं सकारात्मक वातावरण प्रदान करना। ऐसा वातावरण प्रशंसा अभिप्रेरणा और बच्चों के लिए सहायता प्रदान करता है जिससे बच्चे आनंद और सुख की अनुभूति करते हैं।
- विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों की योजना बनाना, उदाहरण के लिए: पाठ्यक्रम, समय-सारणी, आयु के अनुसार आतंरिक एवं बाह्य अधिगम क्रियाएँ करना, मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग, शिक्षक-अभिभावक बैठक, कार्यशाला आदि।
- नियमित आकलन करना।

ईसीसीई शिक्षक के गुण

- स्नेहशील एवं ध्यान रखने वाला
- एक सक्रिय एवं सहृदय स्रोता
- ऊर्जावान, उत्साही एवं अभिप्रेरित
- प्रसन्न एवं वचनबद्ध
- धैर्यवान एवं लगनशील
- साव्यय एवं समायोजित
- रचनात्मक एवं नावाचारी संगठित
- प्रणाली संप्रेषक
- आत्म-विश्वासी एवं उच्च आत्म-सम्मान

टिप्पणी

- अभिभावक एवं समाज के साथ तालमेल बनाने हेतु प्रभावी
- अनुसंधान कौशल एवं जीवन-पर्यन्त शिक्षार्थी

पाठांत प्रश्न

1. ईसीसीई शिक्षकों की भूमिका तथा उत्तरदायित्वों पर व्याख्या कीजिए।
2. ईसीसीई शिक्षकों के गुणों की विवेचना कीजिए।
3. ईसीसीई शिक्षक बच्चों के लिए उपयुक्त अधिगम वातावरण का निर्माण किस प्रकार कर सकता है?

उत्तरमाला

17.1

1.

c	c	t	p	q	s	m	b	b	l	y
o	r	g	a	n	i	s	e	d	o	o
n	i	n	n	o	v	a	t	i	v	e
f	e	m	p	a	t	h	e	t	i	c
i	m	s	a	c	x	z	i	l	n	a
d	p	s	t	r	b	c	i	l	g	r
e	t	t	i	e	d	k	n	p	c	i
n	l	q	e	a	c	t	i	v	e	n
t	c	p	n	t	h	f	d	c	j	g
f	c	l	t	i	n	m	c	x	k	f
n	k	m		v	o	n	z	z	z	m
0	j	f	l	e	x	i	b	l	e	b

2.

(क) आवश्यकता, योग्यता (ख) ज्ञान, विकास (ग) आवश्यकता, विकास (घ) लचीला
(च) संवेग, संवेग (छ) प्यार, विश्वास

टिप्पणी

17.2

1. आसानी से उपलब्ध 2. सर्वांगीण 3. उपयोग, पुनश्चक (recycle) 4. विचारशील, सुसंगत 5. पाठ्यक्रम 6. विकास, अधिगम

संदर्भ सूचीः

- Ministry of Women and Child Development. (1975). *Integrated Child Development Services Scheme*. Retrieved from https:// icds-wcd.nic.in/
- Ministry of Women and Child Development. (2013). *National Curriculum Framework for ECCE, 2013*. New Delhi: Government of India.
- Ministry of Women and Child Development. (2013). *National Curriculum Framework for ECCE, 2013*. New Delhi: Government of India.
- Ministry of Women and Child Development. (2013). *National Early Childhood Care and Education Policy, 2013*. Retrieved fromhttps:// wcd.nic.in/ sites/default/files/ National%20Early%20Childhood%20Care%20 and%20Education-Resolution.pdf
- Morrison, S.G. (2018). *Early Childhood Education Today*. New Delhi: Pearson.
- National Council of Educational Research and Training. (2005). *National Curriculum Framework, 2005*. New Delhi: NCERT.

18

अभिभावकों एवं समुदाय की सहभागिता

छोटे बच्चों में विकास एवं अधिगम जीवन पर्यन्त निरन्तर होता है। छोटे बच्चों का विकास विभिन्न प्रकार के वातावरणों में होता है जैसे कि घर पर जहाँ बच्चे अपने माता-पिता, दादा-दादी तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहते हैं। समुदाय का औपचारिक मित्रतापूर्ण वातावरण तथा सीखने की पहली सीढ़ी यानी कि ईसीसीई केंद्र या प्री-स्कूल भी सीखने के लिए महत्वपूर्ण अधिगम मंच है। जो भी व्यवस्था हो, माता-पिता बच्चे के जीवन के इन प्रारंभिक वर्षों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईसीसीई एवं पूर्व प्राथमिक वर्षों के दौरान स्कूल तथा अभिभावकों के बीच एक सहज समन्वित और गुणवत्तापरक सहभागिता एवं सही संप्रेषण अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

सार्वजनिक रूप से विभिन्न देशों की शिक्षा नीतियों तथा दिशा-निर्देशों में इस बात पर सहमति जतायी गई है कि माता-पिता ही बच्चे के प्रथम तथा प्रभावी शिक्षक हैं (OECD, 2012)। हमें याद रखना चाहिए कि छोटे बच्चे पूरी तरह से अपने माता-पिता तथा परिवार पर निर्भर होते हैं तथा परिवार ही बच्चे का प्रथम शिक्षक होता है। वास्तव में माँ को ही उनकी प्रथम शिक्षिका माना जाता है। इसलिए माता-पिता बच्चे की सोच भावनाओं, अभिवृत्ति एवं विचारों पर एक स्थायी प्रभाव डालते हैं। घर तथा प्री-स्कूल के बीच एक सकारात्मक जुड़ाव होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण सहभागिता से वांछित सहयोग मिलता है जिससे छोटे बच्चों में अपेक्षित अधिगम प्राप्त किया जाता है जो बाद में बच्चों के प्री-स्कूल से प्राथमिक कक्षाओं में परागमन की प्रक्रिया को सरल बनाता है। संक्षेप में, सहयोगी अभिभावक तथा समझदार शिक्षक बच्चे की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप

- ईसीसीई कार्यक्रमों में माता-पिता तथा समुदाय की सहभागिता की आवश्यकता महत्व का वर्णन करते हैं;

- ईसीसीई केंद्र के कार्यों में माता-पिता तथा समुदाय के योगदान की चर्चा करते हैं;
- ईसीसीई केंद्र के संचालन में माता-पिता तथा समुदाय की प्रभावी सहभागिता के तरीकों का वर्णन करते हैं एवं उन पर चर्चा करते हैं; और
- ऐसे क्रियाकलाप जिनमें माता-पिता तथा समुदाय की सक्रिय सहभागिता हो, का वर्णन करते हैं।

18.1 ईसीसीई के प्रति माता-पिता तथा समुदाय की जागरुकता की आवश्यकता एवं महत्व

न सिर्फ माता-पिता बल्कि परिवार तथा समुदाय के अन्य लोग भी बच्चों की देखभाल का उत्तरदायित्व निभाते हैं। प्री-स्कूल में भी बच्चे की भलाई हेतु उचित देखभाल आवश्यक है। *परिवार को शामिल करने तथा परिवार के साथ कार्य करने से हमारा क्या तात्पर्य है? आइए समझते हैं कि अभिभावकों तथा परिवार की सहभागिता से हमारा क्या अभिप्राय है।*

18.1.1 अभिभावक सहभागिता को परिभाषित करना

ईसीसीई में हम दो महत्वपूर्ण घटकों की बात करते हैं। पहला अभिभावक बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा एवं देखभाल में सहायक हैं। दूसरा बच्चों के प्रारंभिक अभिगम की प्रक्रिया में उनके अभिभावक सक्रिय सहभागी हैं। अभिभावक सहभागिता को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि ''जन्म से ही बच्चे की वृद्धि एवं विकास में तथा उसकी प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में माता-पिता सहभाग करते हैं।'' अपने बच्चों के जीवन पर प्रभाव डालने वाले वे प्रथम स्रोत हैं। बच्चों के प्रारंभिक वर्ष प्रभाव की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चे के संरक्षक द्वारा जो कुछ भी कहा अथवा किया जाता है, बच्चे पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। बाद के वर्षों में उनकी अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाना बेहद कठिन या कई बार असंभव होता है। इसलिए सही समय पर माता-पिता की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है।

अभिभावक भागदारी को समझने के क्रम में हमें निम्नलिखित बिंदुओं को समझना आवश्यक है।

(i) माता-पिता को एक तनावमुक्त, सौहार्द्रपूर्ण पारिवारिक वातावरण बनाने में सहायता करना, जिससे बच्चे भयमुक्त तथा स्वतंत्र वातावरण में फल-फूल सकें।

(ii) अभिभावकों को प्री-स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करें तथा आवश्यकता पड़ने पर विषय आधारित शिक्षण अथवा प्रोजेक्ट आदि के लिए बाहर जाते समय साथ ले जाएँ, जहाँ बड़ों का निरीक्षण आवश्यक हो।

(iii) घर तथा प्री-स्कूल के बीच संप्रेषण बनाए रखने के रास्तों को खुला रखें तथा बच्चों के क्रियाकलाप एवं प्रगति को साझा करें। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए दोनों तरफ़ से बातचीत आवश्यक है क्योंकि यह शिक्षक को बच्चे के बारे में बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, कोई बच्चा ध्वनियों को कैसे सीख रहा है; क्यों किसी

बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ घुलने-मिलने में कठिनाई होती है; क्यों किसी बच्चे को फिसलने वाले झूले पर डर लगता है; क्यों कोई बच्चा पढ़ने के प्रति बेरुखी दिखाता है पर लिखने में आनंद अनुभव करता है। शिक्षक से बातचीत करने पर यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे को घर पर खेल-खेल में अर्थपूर्ण ढंग से सीखने में कैसे मदद की जाए।

(iv) अंत में, सामुदायिक सहभागिता का अर्थ समुदाय में संसाधनों को पहचानना तथा उनको प्री-स्कूल कार्यक्रमों, पारिवारिक परंपराओं तथा बच्चों के सीखने को बेहतर बनाने में प्रयोग करना है। उदाहरण के लिए, माता-पिता को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना, ईसीसीई केंद्र में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराने के लिए जगह की व्यवस्था के लिए गाँव के सरपंच से सहायता लेना, बच्चों को नियमित रूप से समय पर केंद्र में भेजने के लिए जागरुकता पैदा करना, परिवार के सदस्यों में स्वास्थ्य संबंधी जागरुकता के लिए किसी स्थानीय चिकित्सक की सहायता लेना, आदि।

एक गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई कार्यक्रम में अभिभावकों की सहभागिता समुदाय के सदस्यों को यह समझने में सहायता करती है कि बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल पारिवारिक वातावरण आवश्यक है। स्कूल तथा समुदाय के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए भी अभिभावकों तथा शिक्षकों के बीच अच्छे संबंध होने आवश्यक हैं जो अन्ततः शिक्षकों एवं अभिभावकों को उनकी शैक्षिक प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। एक गुणवत्तापरक ईसीसीई कार्यक्रम में परिवार, कार्यक्रम नियोजन और निरीक्षण में भागीदार होते हैं इसलिए वे न सिर्फ सूचनाएँ ग्रहण करते हैं बल्कि ईसीसीई कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी भागीदार होते हैं।

उपर्युक्त सभी सामग्री माता-पिता की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा परिवार के लिए सहयोगी कार्यक्रमों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

18.1.2 हमें अभिभावकों तथा समुदाय की जागरूकता क्यों है?

व्यावहारिक तौर पर गुणवत्तापूर्ण सहभागिता का अर्थ है कि बच्चे के बारे में अभिभावकों के ज्ञान एवं जानकारी का शिक्षकों तथा स्कूल के अन्य सदस्यों द्वारा सम्मान किया जाए। अभिभावकों को पता होना चाहिए कि प्री-स्कूल शिक्षक, बच्चों तथा उनके विकास के बारे में जानते हैं। बच्चे लाभान्वित तभी हो सकते हैं जब दोनों पक्ष एक-दूसरे की बात सुनें व आपस में बात करें।

राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा नीति (2013) इस बात पर बल देती है कि बच्चों की सर्वोत्तम देखभाल उनके पारिवारिक वातावरण में हो सकती है इसलिए परिवार की देखभाल तथा सुरक्षा की क्षमताओं को मज़बूती प्रदान करने पर सर्वाधिक बल दिया जाएगा। बच्चों के लिए सही ईसीसीई कार्यक्रमों को सुनिश्चित करने में बाधक एक कारण अभिभावकों तथा अन्य संबंधित लोगों में विकास की दृष्टि से उचित ईसीसीई कार्यक्रमों की समझ का न होना है। इस कमी को पूरा करने के लिए संचार माध्यमों का अधिकाधिक प्रयोग, लोक नाटक, मुद्रित तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग अभिभावकों, संरक्षकों, कार्यरत लोगों तथा बड़े समुदायों तक पहुँचाने के लिए तथा उचित प्रकार के ईसीसीई कार्यक्रमों के प्रति जागरुकता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

गरीब परिवारों के अभिभावक या निम्न आय वर्ग वाले परिवार 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (इसीई) को आवश्यक नहीं समझते, जिन्हें मुख्य रूप से ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम बनाया गया है। ज्यादातर अभिभावक जो अपने बच्चों को ईसीसीई केंद्रों अथवा प्री-स्कूल में भेज रहे हैं, उनके ईसीसीई के उद्देश्यों तथा तात्पर्यों को लेकर अलग-अलग विचार हैं। उदाहरण के लिए, जिन अभिभावकों के बच्चे आँगनवाड़ी में जा रहे हैं, वे सोचते हैं कि आँगनवाड़ी एक ऐसा स्थान है जहाँ उनके बच्चों को पोषण मिलता है। कुछ अभिभावक यह सोचकर कि उन्हें कुछ खाली समय मिल जाएगा, अपने बच्चों को प्री-स्कूल में भेजते हैं। फिर भी अनेक ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को औपचारिक रूप से लिखने, पढ़ने एवं गणित सीखने के लिए केंद्र भेजते हैं। ऐसे अभिभावक शिक्षकों पर औपचारिक शिक्षण के लिए दवाब भी बनाते हैं जिसमें बच्चे को रटने के लिए बाध्य किया जाता है। ''उच्च गुणवत्ता वाले प्री-स्कूल का उद्देश्य बच्चों को लिखने, पढ़ने एवं संख्या ज्ञान देने वाला औपचारिक शिक्षण नहीं है बल्कि छोटे बच्चों को अनौपचारिक रूप से विकास के लिए उपयुक्त विधियों/क्रियाकलापों द्वारा सीखने में मदद करना है।''

बच्चे अपने-अपने परिवारों तथा समुदायों के स्नेह में विकास करते हैं, जो पारिवारिक संगठन, बोली, धार्मिक मतों तथा सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर विविधताएँ लिए होते हैं। बच्चे के विकास में परिवार एक प्राथमिक संदर्भ के रूप में कार्य करता है, इसलिए आँगनवाड़ी तथा पूर्व विद्यालय में प्रदान की जाने वाली प्रारंभिक शिक्षा तथा देखभाल बच्चे के विकास में एक जीवंत भूमिका अदा करती है। परिवार तथा समुदाय के संसाधनो का संवेगात्मक रूप से सहयोगी वातावरण बनाने में उपयोग करना आवश्यक है, जिसमें बच्चा अपना अधिकतम विकास कर सके। हमें यह समझना आवश्यक है कि जो समुदाय पालन-पोषण की विधियों के साथ-साथ सही समय पर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का समर्थन करते हैं, उन समुदायों के सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। इससे समुदाय में सभी को सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के अवसर मिलते हैं। इसलिए प्री-स्कूल तथा प्राथमिक शिक्षकों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे समुदाय को पूर्व-विद्यालय में अच्छी प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लाभों के बारे में जागरूक, निर्देशित एवं शिक्षित करते रहें।

पाठगत प्रश्न 18.1

बताइए कि निम्नलिखित कथन 'सत्य' है अथवा 'असत्य'–

(क) जब प्रत्येक सहभागी (अभिभावक, शिक्षक तथा समुदाय) आपस में बात करें तथा एक-दूसरे को सुनें तभी बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं।

(ख) उच्च आय वाले परिवारों के माता-पिता 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए ईसीसीई को आवश्यक नहीं समझते।

(ग) ज्यादातर अभिभावक जो अपने बच्चे को ईसीसीई केंद्र भेजते हैं, उनके प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के महत्व एवं उद्देश्यों को लेकर अलग-अलग विचार होते हैं।

(घ) प्री-स्कूल तथा प्राथमिक शिक्षकों के लिए समुदाय तथा अभिभावकों को शिक्षित तथा निर्देशित करना आवश्यक नहीं है।

(ङ) ईसीसीई की राष्ट्रीय नीति (2013) यह मानती है कि बच्चों की सर्वोचित देखभाल परिवार में ही हो सकती है।

18.2 ईसीसीई केंद्र के संचालन में अभिभावकों एवं समुदाय की भूमिका (सहभागिता)

ईसीसीई कार्यक्रम में अभिभावकों की भूमिका एवं महत्व को लेकर पहले भी काफ़ी चर्चा की जा चुकी है। अपने बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों को एक भागीदार की तरह कार्य करना चाहिए। जैसाकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अभिभावक अपने बच्चों के बारे में सब जानते हैं, कैसे वे घर पर व्यवहार करते हैं, घर पर सीखते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों से किस प्रकार का व्यवहार करते हैं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों से किस तरह व्यवहार करते हैं। प्रत्येक बच्चे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके बारे में अभिभावक शिक्षक को जानकारी दे सकते हैं, जैसे– संस्कृति, स्वास्थ्य, व्यवहार या बालक से संबंधित कोई अन्य बात। प्री-स्कूल शिक्षक के लिए सूचना के स्रोत परिवार के सदस्य होते हैं। उदाहरण के लिए-बच्चे के पूर्व अनुभव क्या है तथा बच्चा वर्तमान में क्या कर रहा है। बच्चे के वर्तमान विकास से संबंधित अभिभावकों का अवलोकन क्या है? जब शिक्षक को अपने केंद्र के सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं पृष्ठभूमि के बारे में पता होगा, तो उसके लिए ईसीसीई कार्यक्रम को अधिक व्यवस्थित ढंग से चलाना आसान होगा।

एक प्री-स्कूल शिक्षक का यह उत्तरदायित्व है कि वह परिवार के सदस्यों को उनके बच्चे के विकास तथा सीखने में सहायक के रूप में शामिल करे। माता-पिता बहुत ही सहयोगी साबित होते हैं जब वे स्कूल स्टाफ से अपने बच्चे के बारे में खुलकर पूर्ण ईमानदारी के साथ बच्चों से संबंधित मुद्दों एवं सरोकारों पर बातचीत करते हैं। परिवार तथा समुदाय के साथ प्रभावी सहभागिता को परस्पर आपसी सम्मान एवं विश्वास तथा उनके (समुदाय) किसी समस्या के समाधान ढूँढ़ने और सहयोग करने के रूप में समझा जा सकता है।

18.3 ईसीसीई कार्यक्रम में अभिभावकों और समुदाय की सहभागिता से लाभ

अभिभावकों तथा समुदाय की ईसीसीई केंद्र के कार्यों में सहभागिता सभी के लिए लाभप्रद है, जैसे - बच्चों के लिए, परिवारों के लिए, समुदाय तथा ईसीसीई कार्यक्रमों के लिए।

बच्चे लाभान्वित होते हैं जब:

- शिक्षक बिना इस बात को महत्व दिए कि बच्चे के परिवार का ढाँचा क्या है या उसके धार्मिक मत, घर पर बोली जाने वाली बोली, सामाजिक-आर्थिक स्तर तथा परिवार के सदस्यों का शैक्षिक स्तर क्या है, बच्चे के परिवार को समझें तथा उसका सम्मान करें।

टिप्पणी

- परिवार एवं ईसीसीई केन्द्र / प्री–स्कूल के बीच जुड़ाव हो।
- अभिभावक बच्चों के बारे में पर्याप्त तथा सही जानकारी शिक्षक को दें तथा शिक्षक अभिभावकों को यह बताने में समर्थ हो कि उनके बच्चे क्या और किस प्रकार सीख रहे हैं, समय के साथ उन्होंने कितनी प्रगति की है तथा उनके बच्चों को आगे सीखने में सहयोग के लिए शिक्षक को और क्या–क्या करना है।
- परिवार के सदस्य एवं माता–पिता स्कूल या केंद्र तक पहुँचें तथा प्री–स्कूल क्रियाकलापों में हिस्सा लेने हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाए।
- परिवार के वातावरण में यदि कोई खास परिवर्तन हो, जैसे- छोटे भाई–बहन का पैदा होना, नये घर में स्थानान्तरण, माता–पिता का अलग हो जाना, उत्पीड़न, परिवार में किसी का निधन, आदि तो इसके बारे में अभिभावक शिक्षक को अवश्य सूचित करें।

अभिभावक लाभान्वित होते हैं जब:

- उन्हें प्री–स्कूल/ईसीसीई केंद्र के कामों में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा उन्हें भी बच्चे के सीखने में भागीदार बनाया जाए।
- बच्चों के पालन पोषण की विधियों के बारे में अभिभावकों को पर्याप्त जानकारी हो। इस प्रकार की जानकारी अभिभावकों को उनके बच्चों के विकास को समझने में सहायक होती है जिससे वे अपने बच्चों की विशेष क्षमताओं तथा कमज़ोरियों के बारे में सकारात्मक ढंग से समझ पाते हैं।
- अभिभावकों को यह समझने में आसानी हो कि बच्चे का घर से प्री–स्कूल तथा प्री–स्कूल से प्राथमिक कक्षाओं में जाना बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसमें एक निरंतरता तथा मजबूत जुड़ाव होना चाहिए।

प्री–स्कूल कार्यक्रम लाभान्वित होता है जब:

- सबकी भलाई के लिए प्री–स्कूल अभिभावकों तथा समुदायों को ईसीसीई केंद्र के कार्यो में सम्मिलित करें। ईसीसीई केंद्र / प्री–स्कूल अलग–थलग रह कर नहीं चलाए जा सकते हैं।
- शिक्षक, परिवार तथा समुदाय के साथ मिलकर जानकारी के आदान–प्रदान द्वारा विकासात्मक समस्याओं को सुलझाएं।
- परिवार एवं समुदाय के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करने के लिए शिक्षक को अनेक औपचारिक तथा अनौपचारिक तरीके पता हो।
- समुदाय तथा परिवार दोनों सहयोगात्मक रवैये के साथ सहभागी बने। उदाहरण के लिए, अभिभावकों से प्राप्त सार्थक जानकारी के आधार पर शिक्षक ईसीसीई कार्यक्रम में फेरबदल कर सकता है।
- शिक्षक अभिभावकों की सहभागिता के लिए व्यावसायिक विकास तथा प्रशिक्षण के लिए अवसरों को प्रयोग में लाएँ।

- शिक्षक अपने केंद्र के बच्चों की विभिन्न पृष्ठभूमियों के बारे में जानें ताकि इन विभिन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों से उसी के अनुसार संप्रेषण कर सकें।
- शिक्षक बच्चों को स्कूल लाने तथा स्कूल से ले जाने के अलावा भी स्कूल की व्यवस्था में अभिभावकों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें।
- शिक्षिक माता-पिता के कार्य के समय के अनुसार उनकी सहभागिता के लिए उचित समय का चयन करें।
- शिक्षिक माता-पिता को उनके बच्चों की प्रगति के बारे में सभा, फोन तथा पोर्टफोलियो के माध्यम से अवगत कराएं।
- शिक्षक अभिभावकों को प्री-स्कूल में आने, क्रियाकलापों के अवलोकन तथा प्रतिपुष्टि की अनुमति दें।

पाठगत प्रश्न 18.2

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

(क) बच्चों की शिक्षा में उनके अभिभावकों को शामिल करने के लिए उन्हें.......................... के रूप में देखा जाना चाहिए।

(ख) परिवार तथा .... की प्रभावी सहभागिता को परस्पर आपसी सम्मान एवं विश्वास के रूप में समझा जा सकता है।

(ग) बालक का विकास सर्वोचित ढंग से होगा जब घर तथा .... के बीच अनुभवों एवं अपेक्षाओं के संबंध में एक निरंतर जुड़ाव होगा।

(घ) एक गुणवत्तापूर्ण प्री-स्कूल व्यवस्था में अभिभावकों द्वारा व्यवस्था देखने क्रियाकलापों के निरीक्षण तथा .... प्रदान करने के अवसर होने चाहिए।

(ङ) एक शिक्षक की भूमिका अभिभावकों को बच्चे के सर्वाधिक लाभ के लिए .... के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

(च) .... बच्चे का सबसे अच्छा पालन-पोषण करने में समर्थ होते हैं, जब उन्हें प्री-स्कूल/ईसीसीई केंद्र के कार्यो के बारे में पर्याप्त जानकारी होती है।

18.4 ईसीसीई केंद्र/प्री-स्कूल के संचालन में माता-पिता तथा समुदाय के प्रभावी सहभागिता के तरीके

जैसा कि पहले भी चर्चा की जा चुकी है कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा माता-पिता, स्कूल तथा समुदाय की एक मिली-जुली उत्तरदायित्व है। इसलिए परिवार तथा समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्री-स्कूल / ईसीसीई केंद्रों में परस्पर जुड़ाव होना चाहिए। इस साझेदारी की गुणवत्ता निश्चित तौर पर ईसीसीई कार्यक्रमों की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे शिक्षक, शिक्षक-अभिभावक संबंधों को सुदृढ़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अभिभावकों को जानने के लिए शिक्षक बच्चों के अभिभावको से उनकी किसी विशेष

टिप्पणी

रुचि के बारे में पूछ सकती है जिससे वे बच्चे की शिक्षा तथा देखभाल में जुड़ सकते हैं। कुछ माता-पिता कक्षा के क्रियाकलापों में भाग लेकर प्रसन्न होंगे। अन्य कुछ कमेटी का गठन कर या बोर्ड के एक सदस्य बनकर, न्यूज़लेटर में लिख कर, इंटरनेट पर वेब पेज बनाकर या आर्थिक संसाधनों की वृद्धि के लिए प्रयास करके, अच्छा योगदान दे सकते हैं।

सर्वप्रथम शिक्षक को चाहिए कि वह अभिभावकों से बात करे और इसके लिए उसे माता-पिता से उनके बच्चों के बारे में बात करने के तरीके ढूँढ़ने हैं।

18.4.1 संप्रेषण

ईसीसीई व्यवस्था या प्री-स्कूल में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अभिभावकों तथा स्कूल के स्टॉफ़ के बीच बच्चे के बारे में औपचारिक तथा अनौपचारिक संप्रेषण के अवसर आते रहें। औपचारिक मुलाकातों (जैसे–शिक्षक-अभिभावक सभा) के साथ अनौपचारिक रूप से अभिभावकों से बातचीत को भी महत्व देना चाहिए, उन्हें केंद्र की व्यवस्था में आमंत्रित एवं सम्मिलित कर इसकी शुरुआत की जा सकती है। शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह संप्रेषण बच्चे के सीखने तथा विकास को प्रोत्साहित करता है। इसे निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है–

- बच्चों के सीखने तथा विकास से संबंधित जानकारी उनके अभिभावकों तक पहुँचाना।
- अभिभावकों के ज्ञान और सहयोग को बच्चे के सीखने एवं विकास की योजना बनाने तथा आकलन करने के लिए एकीकृत करना।
- बच्चों के सीखने एवं विकास को समझने में माता-पिता को सहयोग करना।

अब समस्या यह आती है कि अभिभावकों से संप्रेषण किस प्रकार किया जाए। अधिकांश माता-पिता कामकाजी हैं और शिक्षकों से बातचीत करने के लिए उनके पास समय नहीं है। यहाँ तक कि कुछ तो शिक्षक-अभिभावक सभा (PTM) में भी नहीं आ पाते। इसलिए शिक्षक को ऐसे अभिभावकों को भागीदार बनाने तथा संप्रेषण करने के तरीकों को खोजने की आवश्यकता होती है।

18.4.1.1 अभिभावकों तथा समुदाय के साथ संप्रेषण के तरीके

एक गुणवत्तापूर्ण सहभागिता की नींव रखने के लिए आवश्यक है कि प्री-स्कूल, माता-पिता, समुदाय तथा बच्चों के बीच एक ''प्रभावी तथा अर्थपूर्ण संप्रेषण'' रहे।

- **संचार के विभिन्न उपकरणों तथा माध्यमों के प्रयोग** द्वारा, इसमें न्यूजलेटर, वेबसाइट, ई-मेल, सभाएँ, शिक्षकों तथा अभिभावकों के साक्षात्कार तथा पीटीएम शामिल हैं।
- **प्री-स्कूल में क्रियाकलाप कैलेण्डर** बनाएँ, जिसमें उत्सव या आयोजन तथा पूर्व विद्यालय में छुट्टियाँ आदि जहाँ अभिभावकों की सहभागिता बेहद महत्वपूर्ण है, को रेखांकित करें। कुछ विशेष क्रियाकलाप भी कराए जा सकते हैं, उदाहरण के लिए, अभिभावक अपनी इच्छा से केंद्र में आकर कहानी/कविता सुना सकते हैं।

- बच्चों के विकास एवं प्रगति के बारे में बताने के लिए शिक्षक-अभिभावक बैठक **(PTM)** कराएँ।
- **यदि आवश्यक हो तो बच्चे के घर जाएँ,** इससे शिक्षक को बच्चे तथा उसके परिवार से जुड़ने का मौका मिलेगा। शिक्षक बच्चे के परिवार के सांस्कृतिक वातावरण तथा विशेष योग्यताओं के बारे में जान सकेगा।
- शिक्षक अभिभावकों से बच्चों को स्कूल **लाने एवं ले जाने के समय** भी बात कर सकते हैं, इससे अभिभावक अनौपचारिक ढंग से शिक्षक से बात कर सकेंगे।
- अभिभावकों के लिए विशेष तौर पर **नोटिस अथवा बुलेटिन बोर्ड** बनाएँ तथा उन पर मीटिंग, पौष्टिक व्यंजन सूची तथा अन्य संबंधित जानकारी साझा करें।
- **स्थानीय भ्रमण** की योजना में अभिभावकों को भी शामिल करें।

इसके अलावा भी अनेक तरीके तथा योजनाएँ हैं, जिनके द्वारा माता-पिता ईसीसीई से जुड़ सकते हैं जैसे:

- ➢ आर्थिक सुधार के लिए सहयोग।
- ➢ गमलों आदि की सफ़ाई एवं पौधे लगाना।
- ➢ शिक्षण-अधिगम सामग्री तैयार करना।
- ➢ बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाना।
- ➢ कक्षा में सहयोग करना तथा छोटे समूहों के साथ कार्य करना जैसे क्ले मॉडलिंग।
- ➢ त्योहारों के आयोजन में सहयोग करना।
- ➢ वार्षिक आयोजन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहयोग करना।

18.5 समुदाय का स्वत्व एवं सहभागिता

केंद्र के सुचारू संचालन में समुदाय का स्वत्व एवं सहभागिता बेहद महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को चाहिए कि वे समुदाय के सदस्यों को ईसीसीई के महत्व के बारे में समझाएँ एवं आश्वस्त करें। प्राथमिक स्कूल की मदद से प्री-स्कूल या ईसीसीई तथा बाल्य देखभाल से संबंधित संदेशों के प्रसार के लिए शिक्षक गाँव में कैम्प की योजना बना सकता है तथा उनकी व्यवस्था कर सकता है। सरपंच तथा अन्य पंचायत के सदस्यों को छोटे बच्चों के लिए ईसीसीई के लाभों के बारे में बताना चाहिए। यह नुक्कड़ नाटक, रोल प्ले, सामूहिक चर्चा, प्रदर्शनी तथा समर्थन के पोस्टर आदि के द्वारा भी बताया जा सकता है। यह कार्य समुदाय के कुछ सक्रिय लोगों की सहायता से किया जाना चाहिए। इस बारे में कुछ बिन्दु इस प्रकार हैं:–

- शिक्षकों को चाहिए कि वे समुदाय का विश्वास प्राप्त करें तथा पुराने विद्यार्थियों का एक समूह बनाएँ। फिर उनसे प्रचार सामग्री जुटाने में सहायता माँगे, जैसे प्री-स्कूल/ईसीसीई केन्द्र के बैनर, साइन बोर्ड या लोगो (Logo) आदि।
- स्वास्थ्य सबके लिए पहली प्राथमिकता है, इसके लिए शिक्षक को संबंधित स्थानीय

स्वास्थ्य कर्मचारियों से संपर्क करने तथा परामर्श लेते रहना आवश्यक है।

- जब हम परस्पर ज़िम्मेदारी की बात करते हैं, तो प्री-स्कूल ईसीसीई केन्द्र को भी प्री-स्कूल ईसीसीई केन्द्र की सुविधाओं को सामुदायिक कार्यों के लिए उपलब्ध करा देना चाहिए, जैसे पुस्तकालय, प्रौढ़ शिक्षा, सामुदायिक सभाएँ इत्यादि।
- ग्राम सरपंच तथा समुदाय के सदस्यों को ईसीसीई केंद्र के लिए सुविधाएँ जुटाने में शामिल करें, जैसे- बच्चों के पीने के लिए साफ़ पानी, कक्षा के सामान की मरम्मत, शिक्षक अभिभावक सभा का आयोजन तथा बच्चों को रोज़ एवं नियम से ईसीसीई केंद्र में भेजना आदि।
- प्री-स्कूल एक ''मासिक ईसीसीई दिवस'' निर्धारित कर सकता है और केंद्र पर हर महीने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) के द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर इसका आयोजन किया जा सकता है। इस दिन के आयोजन से शिक्षकों एवं समुदाय के बीच संप्रेषण के रास्ते खुलेंगे। शिक्षक तथा ईसीसीई केन्द्र से जुड़े अन्य लोग केन्द्र के समर्थन के लिए, जागरूकता फैलाने तथा माता-पिता एवं समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं।

18.5.1 प्रारंभिक बाल्यावस्था संस्थानों तथा माता-पिता के बीच सुदृढ़ सहभागिता की प्रमुख विशेषताएँ

कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- प्रारंभिक शिक्षा में माता-पिता की भूमिका की शिक्षक एवं केन्द्र के अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा पहचान;
- प्रारंभिक शिक्षा में माता-पिता द्वारा आदर्श भूमिका निभाना तथा बच्चे के सफलतापूर्वक सीखने में उनकी निरंतर सहभागिता के महत्व की पहचान;
- अभिभावकों का केंद्र में स्वागत करना तथा माता-पिता, शिक्षकों एवं बच्चों के बीच में परस्पर मेलजोल के अवसर;
- प्री-स्कूल द्वारा विभिन्न माध्यमों से अभिभावकों को ईसीसीई कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करना;
- परिवार में माता-पिता तथा अन्य बड़े लोगों के विशेष गुणों/कौशलों को पहचानना तथा उन गुणों का शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग करना;
- माता-पिता को उनके बच्चों की वृद्धि एवं प्रगति का पूर्ण ज्ञान कराना तथा उनका सहयोग प्राप्त करना;
- नए माहौल में बच्चे तथा माता-पिता को सुरक्षित महसूस कराना; तथा
- अभिभावक गोष्ठियों, कार्यशालाओं, अभिभावक संसाधन केंद्रों द्वारा सीखने के अवसर प्रदान कराना।

गतिविधि 18.1

ईसीसीई केंद्र में जा रहे कुछ बच्चों के माता-पिता से साक्षात्कार कीजिए। उनसे प्रारंभिक शिक्षा के बारे में उनके अनुभव, उनके सरोकार तथा केन्द्र की ऐसी परंपराएँ, जो उन्हें सहयोग लगी हैं, के बारे में पूछें।

18.6 माता-पिता एवं समुदाय की सक्रिय सहभागिता के लिए कुछ गतिविधि

नीचे एक प्री-स्कूल के निर्धारित 'मासिक ईसीसीई दिवस' में माता-पिता तथा समुदाय को शामिल करने के लिए कुछ गतिविधियों की सूची दी जा रही है। शिक्षिक प्रत्येक ईसीसीई दिवस के लिए गतिविधियों का चयन कर सकता है तथा उन गतिविधियों का योजना अनुसार क्रियान्वन सुनिश्चित कर सकता है। निश्चित मासिक ईसीसीई दिवस के क्रियाकलाप में सभी माता-पिता एवं समुदाय को सहभाग करना चाहिए।

18.6.1 निर्धारित मासिक ईसीसीई दिवस हेतु क्रियाकलाप

(i) ईसीसीई कार्यक्रमों में बच्चों द्वारा बनाये गये दैनिक कार्य की प्रदर्शनी लगाना (आर्ट तथा क्राफ्ट कार्यपत्रक आदि)

(ii) बच्चों का सामूहिक प्रदर्शन जैसे – नृत्य, नाटक, कविता पाठ आदि (प्री-स्कूल के सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करें)

(iii) खेल दिवस का आयोजन (प्री-स्कूल के सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करें)

(iv) बच्चों द्वारा किये गये गतिविधियों का माता-पिता तथा समुदाय के सामने प्रदर्शन करना और तार्किक रूप से माता-पिता को यह समझाना कि ये गतिविधि किस प्रकार लाभप्रद हैं।

(v) छोटे बच्चों तथा माता-पिता/समुदाय का आनन्ददायी गतिविधियों में सहभाग, जैसे-बाल मेला/दिवाली/स्थानीय त्योहार/मेले, प्रदर्शनी आदि।

(vi) अभिभावक-शिक्षक अन्तर्क्रिया जिसमें आकलन तथा बच्चे के बारे में संपूर्ण प्रतिपुष्टि साझा की जाए।

(vii) माता-पिता तथा समुदाय के सहयोग से खेल तथा शिक्षण सामग्री का विकास।

(viii) ईसीसीई के समर्थन में प्रचार सामग्री लगाना (चार्ट/दृश्य-श्रव्य सामग्री)।

(ix) स्थानीय कलाकारों/शिल्पकारों के सहयोग से खेल सामग्री तैयार करना।

(x) ''माता-पिता से विचार विमर्श हेतु विषय सूची'' में से माता-पिता के लिए वार्तालाप तैयार करना।

(xi) बच्चों/शिक्षकों/देखरेखकर्ता/सहायकों को पुरस्कृत करने के लिए समुदाय को शामिल करना।

(xii) खिलौना बैंक/क्रियाकलाप बैंक/पुस्तक बैंक: पूर्व विद्यालय में ऐसा क्षेत्र बनाना जहाँ माता-पिता खिलौने, खेल सामग्री, किताबें, कठपुतलियाँ तथा शिक्षण सामग्री दान कर सकते हैं।

(xiii) स्थानीय सांस्कृतिक कहानियाँ/कविताएँ/गीत/खेल, कलाकृतियाँ तथा कलात्मक कार्यों को क्रियाकलाप बैंक के लिए एकत्र करना।

(xiv) प्री-स्कूल में एक 'क्रियाकलाप कोना या रुचि क्षेत्र बनाना', उदाहरण के लिए ब्लॉक निर्माण क्षेत्र, जोड़-तोड़ करने का खेल क्षेत्र, आर्ट एण्ड क्राफ्ट क्षेत्र, भाषा क्षेत्र, गुड़िया क्षेत्र तथा विज्ञान क्षेत्र आदि।

*[**स्रोत**–निर्धारित ईसीसीई दिवस हेतु निर्देश, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय]*

18.6.2 निर्धारित ईसीसीई दिवस पर अथवा अभिभावक शैक्षिक गोष्ठी के दौरान चर्चा किए जाने वाले विषय

माता-पिता तथा समुदाय के साथ चर्चा करने योग्य कुछ विषयों की सूची नीचे दी गई है:

- प्रारंभिक उद्दीपक;
- प्रारंभिक बाल्यावस्था का महत्व;
- बाल विकास एवं वृद्धि;
- सीखना तथा खेलना;
- छोटे बच्चों के लिए अच्छा पोषण;
- बाल्यावस्था रोग - रोकथाम एवं उपचार;
- बच्चों को प्री-स्कूल/प्राथमिक स्कूल हेतु तैयार करना;
- चुनौतीपूर्ण व्यवहार का प्रबंधन;
- प्रारंभिक साक्षरता अनुभवों को प्रदान करना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना;
- विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शीघ्र पहचान करना;
- बाल उत्पीड़न; तथा
- बच्चे अथवा समुदाय की आवश्यकतानुसार अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है।

18.6.3 एक सफल शिक्षक-अभिभावक सभा/अभिभावक गोष्ठी के आयोजन के चरण

- स्थान का चयन एवं व्यवस्था करना।
- गोष्ठी के स्थान तथा समय के बारे में अभिभावकों एवं समुदाय को पहले से सूचित करना।

- गोष्ठी में कराए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची तैयार करना।
- माता-पिता के साथ उन्हीं के स्तर के अनुसार मित्रतापूर्ण माहौल में गोष्ठी करना।
- प्री-स्कूल सहायकों की मदद से बच्चों को संभालने की व्यवस्था करना।
- बैठने की व्यवस्था इस प्रकार करना कि सभी लोग भागीदार तथा सक्रिय महसूस करें।
- सभी अभिभावकों को आपस में बातचीत का समय दें।
- सक्रिय तथा अर्थपूर्ण वार्तालाप को प्रोत्साहित करें।
- माता-पिता को शैक्षिक संदेश एवं समर्थन देने के लिए तथा प्रोत्साहित करने के लिए क्रियाकलाप एवं खेल आदि की व्यवस्था करें।

पाठगत प्रश्न 18.3

1. ईसीसीई केंद्र के क्रियान्वन में माता-पिता तथा समुदाय के सहभाग के लिए कराए जाने वाले कोई आठ क्रियाकलाप लिखिए।

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा:

- बच्चों के सीखने में माता-पिता तथा समुदाय की भूमिका को पहचानना चाहिए तथा महत्व देना चाहिए। यह सहभागिता प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को महत्व देने का स्पष्ट संकेत है।
- शिक्षण प्रक्रिया से सर्वाधिक परिणाम प्राप्त करने के लिए शिक्षक को न सिर्फ बच्चों से विश्वसनीय संबंध बनाने चाहिए बल्कि माता-पिता तथा समुदाय के साथ भी प्रभावी संबंध रखने चाहिए।
- गुणवत्तापूर्ण बाल्यावस्था शिक्षा में माता-पिता एवं समुदाय की सक्रिय सहभागिता बच्चों के लिए सकारात्मक परिणाम देती है।
- अभिभावकों को उनके बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में भागीदार बनाने की बहुत-सी रणनीतियाँ एवं तरीके हैं।
- ईसीसीई दिवस बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल में माता-पिता और समुदाय की सहभागिता को प्रोत्साहित करेगा तथा छोटे बच्चों के पर्याप्त विकास के लिए सहभागिता स्थापित कर सकेगा।

पाठान्त प्रश्न

1. ईसीसीई में माता-पिता तथा समुदाय की जागरूकता की क्या आवश्यकता एवं महत्व है?

2. ईसीसीई में माता-पिता की सहभागिता के कोई पाँच लाभ बताइए।
3. जब माता-पिता तथा समुदाय के सदस्य प्री-स्कूल क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो यह प्री-स्कूल के लिए किस प्रकार लाभप्रद है?
4. माता-पिता तथा समुदाय के सक्रिय सहभाग के लिए आयोजित किए जा सकने वाले कोई पाँच क्रियाकलाप लिखिए।
5. माता-पिता तथा समुदाय के सदस्यों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से संप्रेषण करने के कुछ तरीके सुझाइए।
6. ईसीसीई दिवस/गोष्ठी की सफलता के लिए इसका आयोजन आप किस प्रकार करेंगे?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

18.1

(क) सत्य

(ख) असत्य

(ग) सत्य

(घ) असत्य

(ङ) सत्य

18.2

(क) सहभागी

(ख) समुदाय

(ग) ईसीसीई केंद्र/प्री-स्कूल

(घ) प्रतिपुष्टि

(ङ) प्री-स्कूल/ईसीसीई केंद्र

(च) माता-पिता/परिवार

18.3

(क) सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

(ख) ईसीसीई के मुद्दों तथा संबंधित विषयों पर कार्यशाला

(ग) बाल मेला/स्थानीय त्यौहार मनाना

टिप्पणी

(घ) स्थानीय कहनियों तथा कविताओं का संग्रह

(ङ) बच्चों के कलात्मक कार्यो की प्रदर्शनी

(च) खेल दिवस का आयोजन

(छ) कक्षा में माता-पिता द्वारा कहानी सुनाना

(ज) समुदाय में ईसीसीई से संबंधित नाटक प्रस्तुत करना।

शब्दावली

- **गतिविधि क्षेत्र**-प्री-स्कूल कक्षाकक्ष में स्पष्ट रूप से परिभाषित एवं सुसज्जित स्थान जो बच्चों को स्वयं सामग्री के उपयोग करने एवं खोजबीन के अवसर देता है। इसमें गुड़िया क्षेत्र, हस्त संचालन क्षेत्र, अभिनय क्षेत्र, अन्वेषण एवं विज्ञान क्षेत्र, जल क्षेत्र, कला क्षेत्र इत्यादि शामिल होते हैं।
- **समर्थन सामग्री (Advocasy material):** वह सामग्री जो विचारों तथा मानसिकता को प्रभावित करती है।
- **बच्चे के साथ दुर्व्यवहार:** शारीरिक, यौन तथा संवेगात्मक अत्याचार या बच्चे/बच्चों को अनदेखा करना।
- **सहयोगपूर्ण सहभागिता:** दो या दो से ज्यादा संस्थाओं की सहभागिता जो संसाधनों को साझा करने के लिए तैयार होती हैं। उदाहरण के लिए-अभिभावक सम्मेलन के दौरान बाल-विकास के ज्ञान को साझा करना; स्कूल में खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान स्कूल को सहायता एवं सहयोग प्रदान करना।
- **मतैक्य:** एक सामान्य समझौता।
- **प्रारंभिक उत्प्रेरक:** यह बच्चों में समग्र ज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों को शामिल करता है।
- **अधिगम प्रतिफल:** यह वह कथन हैं जो शिक्षक को बच्चे के आवश्यक अधिगम की उपलब्धियों के बारे में समझ प्रदान करते हैं।
- **सरपंच:** गाँव का मुखिया।

संदर्भ

- Bernard Van Leer Foundation. Parental Involvement in Early Learning: .A Review of Research, Policy and Good Practice”. International Child Development Initiatives.
- Eliason, C., & Jenkins, L. (1990). *A Practical Guide to Early Childhood Curriculum*. Merrill Publishing Company. Columbus.

टिप्पणी

- Ministry of Women and Child Development. (2013). *Guidelines for Fixed Monthly ECCE Day 2013*. New Delhi: Government of India.
- National Council of Educational Research and Training. (2005). *National Curriculum Framework, 2005*. New Delhi: NCERT.
- Ministry of Women and Child Development (MWCD) (2013b) *National Early Childhood Care and Education (ECCE) Policy*. New Delhi: Government of India.
- Soni, R. (2009). *Trainers Handbook in Early Childhood Care and Education*. New Delhi: NCERT.
- Soni, R., & Sangai, S. (2014). *Every Child Matters* New Delhi: NCERT.

WEB RESOURCES

- Siolta Research Digests. Parents and Families. http://www.siolta.ie/media/ pdfs/ siolta_research_digests.

19

सुगम पारगमन

जन्म से आठ वर्ष की आयु के बीच बच्चों की शिक्षा में अनेक महत्वपूर्ण पारगमन होते हैं। जब तक छोटे बच्चे पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक स्कूल में प्रवेश करते हैं, वे विभिन्न पारगमनों एवं बदलावों से गुजरते हैं। हो सकता है कि वे किसी बाल देखभाल केंद्र, खेल समूह, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी अथवा प्री-स्कूल गए हों। प्रत्येक बच्चा इस प्रकार की चुनौतियों के लिए अलग ही तरीके से प्रतिक्रिया करता है और घर से पूर्व-प्राथमिक विद्यालय और पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक विद्यालय में होने वाले पारगमन से प्रारंभिक रूप में तदनुसार निपटता है। इस प्रक्रिया के दौरान यह जानना अति आवश्यक है कि बच्चों में यह पारगमन सुगमता से हो रहा है अथवा नहीं। वे चुनौतियों और नये वातावरण से निरंतर समायोजन करना सीखते रहते हैं।

प्री-स्कूल अथवा किंडरगार्टन की शुरुआत ऐसा पारगमन है जो बच्चों के लिए कई परिवर्तन होकर आता है। यह एक बड़े परिवर्तन की स्थिति है, जिसमें बच्चा न केवल एक नये वातावरण में कदम रखता है, बल्कि उसे एक अपरिचित एवं नये परिवेश के साथ अनुकूलन भी करना पड़ता है। जिस समय बच्चे स्कूल में जाना प्रारंभ करते हैं वह अवधि उनके विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि यह उनकी स्कूल में सहभागिता के स्तर को प्रभावित कर सकती है और भविष्य में इससे बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि भी प्रभावित हो सकती है।

अधिकांश बच्चे अपनी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सफलतापूर्वक पारगमन कर लेते हैं हालांकि कुछ बच्चों को अपनी दैनिक दिनचर्या में हुए ये परिवर्तन अपने साथियों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण लगते हैं। जो बच्चे कठिनाइयों का अनुभव करते है, हो सकता है कि वे कमजोर समूहों से आते हों, उदाहरणार्थ अपेक्षाकृत अधिक वंचित समूह अथवा विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चे। खराब सामाजिक संवेगात्मक कौशल, आत्म-सम्मान अथवा आत्म-विश्वास का निम्न स्तर रखने वाले बच्चे घर से स्कूल में पारगमन करते समय अतिसंवेदनशील हो सकते हैं क्योंकि उनमें उन कौशलों का अभाव होता है जो उन्हें नये परिवेश एवं सामाजिक संबंधों की अपेक्षाओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। ऐसे बच्चे जो कभी किसी बाल्य-देखभाल केन्द्र, खेल समूह, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी अथवा प्री-स्कूल में नये हों उनके पास अपने सामाजीकरण और भावनाओं के प्रबंधन के सीमित अवसर होते हैं। उनमें एक सफल शुरुआत और स्कूल के वातावरण एवं परिस्थितियों में उपयुक्त प्रतिक्रिया करने की योग्यता हेतु

आवश्यक क्षमताओं का अभाव हो सकता है। घर से स्कूल में सुगम पारगमन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुसंधान द्वारा यह प्रमाणित किया जा चुका है कि खराब पारगमन एवं कम सफल परिणाम आपस में संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, कम सफल पारगमन, स्कूल में कम उपस्थिति एवं बाद में शिक्षा में कम सहभागिता के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप

- पारगमन एवं तत्परता का अर्थ बताते हैं;
- पूर्व–प्राथमिक तत्परता एवं स्कूल तत्परता के मध्य अन्तर करते हैं;
- स्कूल तत्परता के अर्थ, घटकों एवं महत्व को वर्णन करते हैं;
- बच्चों के घर से प्री–स्कूल/स्कूल में सुगम पारगमन में अभिभावकों, स्कूल, अध्यापकों एवं अन्य देखभालकर्ताओं की भूमिका का वर्णन करते हैं; और
- स्कूल तत्परता के विभिन्न घटकों हेतु गतिविधियों की पहचान करते हैं।

19.1 पारगमन को समझना

पारगमन वह प्रक्रिया है, जो एक स्थिति से दूसरी में परिवर्तन की अवधि को इंगित करती है। घर से स्कूल में पारगमन वह कदम है जो छोटे बच्चे घर से प्रीस्कूल अथवा प्रीस्कूल से प्राथमिक स्कूल के लिए लेते हैं। घर से प्रीस्कूल में पारगमन लगभग तीन साल की आयु में होता है। पारगमन अभिभावकों के लिए भी कठिन हो सकता है, किंतु पारगमन की अवधि के दौरान स्कूल के प्रयास, उनके तनाव एवं चिंता को कम करने में सहायक हो सकते हैं। परिवर्तन का प्रबंधन सीखने के लिए कुछ विशेष कौशलों की आवश्यकता होती है। ऐसे अनेक तरीके हैं, जिनके द्वारा हम बच्चों एवं उनके परिवारों की यह जानने में मदद कर सकते हैं कि पारगमन का सामना किस प्रकार करें। एक तरीका यह है कि इन्हें अपेक्षित परिवर्तन की पूर्व जानकारी प्रदान कर दी जाए।

पूर्व बाल्यावस्था में घर से स्कूल में सहज पारगमन किस प्रकार किया जा सकता है? यह प्रमाणित है कि कृमिक परिवर्तन एवं परिचितिकरण का सुझाव सहायक होता है। ऐसे बच्चे जो प्राथमिक स्कूल शुरु करने से पूर्व किसी बाल्य देखभाल केन्द्र, खेल समूह, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी अथवा प्रीस्कूल या प्रारंभिक वर्षों के अन्य किसी परिवेश में गये हों, उनको भी शिक्षण विधियों एवं पाठयक्रम की निरंतरता के संबंध में चुनौतियों का अनुभव हो सकता है। इसमें औपचारिक शिक्षण एवं अधिगम शैली में अचानक परिवर्तन, कार्य पर अत्यधिक बल देना, खेलने का कम समय, और बाल–सुलभ गतिविधियों के कम अवसर आदि सम्मिलित हैं। पारगमन प्रक्रिया के दौरान बच्चों एवं परिवारों को सहयोग एवं परामर्श की कमी उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली पारगमन समस्याओं के स्तर को बढ़ा सकती है।

शोध से यह प्रकट होता है कि शैशवकाल से ही, बच्चे परिचित वयस्कों से संवेगात्मक संबंध एवं लगाव विकसित कर लेते हैं। परिचित वयस्कों के साथ विश्वसनीय संबंध बच्चों को सुरक्षा, आराम और एक मजबूत आधार प्रदान करता है, जो उन्हें नये वातावरण को जानने और सीखने में सहायक होता है। वयस्कों एवं अन्य बच्चों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की योग्यता चुनौतीपूर्ण हैं, किन्तु पारगमन के दौरान बच्चों के स्वस्थ समायोजन हेतु यह आवश्यक है। यह नयी अथवा कठिन परिस्थितियों में, जब बच्चों को देखभालकर्ताओं के आश्वासन एवं सहयोग की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से सत्य है। घर से स्कूल अथवा एक प्रारंभिक शिक्षा परिवेश से दूसरे परिवेश में पारगमन के दौरान बच्चों को अपने परिवारों अथवा परिचित देखभालकर्ताओं से अलग होना पड़ता है और नये, अपरिचित वयस्कों से सुरक्षित संबंध विकसित करने की आवश्यकता होती है। उन्हें नये वातावरण में दूसरे बच्चों के साथ भी संबंध बनाने की आवश्यकता होती है। बच्चे पारगमन का सर्वोत्तम प्रबंधन जब करते हैं, जब वयस्क उन्हें अपना सहयोग प्रदान करते हैं।

19.1.1 पारगमन को प्रभावित करने वाले कारक

पारगमन के प्रति बच्चों की प्रतिक्रिया में व्यैक्तिक भिन्नता की अहम भूमिका है। जहाँ कुछ बच्चे नये वातावरण में आसानी से समायोजित हो जाते हैं, वहीं दूसरे बच्चों को नये वातावरण से अनुकूलन हेतु अधिक समय की आवश्यकता होती है।

प्रत्येक बच्चे का स्वभाव अलग हैं और विभिन्न परिस्थितियों के प्रति उनकी भावात्मक प्रतिक्रिया की तीव्रता में भी भिन्नता होती है। यह उनके पारगमन के दौरान समायोजन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। कई बच्चों के लिए दैनिक जीवन में नयी परिस्थितियों और नये लोगों से अनुकूलन करना कठिन होता है। इन बच्चों के लिए नये अधिगम वातावरण में पारगमन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उनके द्वारा अपनी भावनाओं के प्रबंधन हेतु प्रयुक्त की गयी युक्तियाँ जो उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित होती हैं, भी भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। इसलिए बच्चों का स्कूल में सफलतापूर्वक पारगमन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है–

1. उनकी अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं (जैसे– स्वभाव, व्यक्तित्व)
2. अभिभावकों की विशेषताएं (जैसे– जागरूकता, शिक्षा, स्कूल के प्रति दृष्टिकोण)
3. समुदाय की विशेषताएं (जैसे- स्थानीय सेवाओं की पहुँच एवं गुणवत्ता)

जो बच्चे आर्थिक रूप से वंचित परिवारों, देशज परिवारों, विकलांग बच्चों वाले परिवारों और सांस्कृतिक एवं भाषायी विविधता वाले परिवारों से संबंधित हैं, उनके लिए स्कूल में पारगमन और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इन पृष्ठभूमियों वाले बच्चों में स्कूल प्रारंभ करने से पहले पूर्व-बाल्यकालीन शिक्षा और देखभाल सेवाओं में भाग लेने की भी कम से संभावना होती है। पूर्व अधिगम वातावरण में प्रवेश और विकास के समय बच्चों के सफल पारगमन को अनेक विधियों जैसे बच्चों की परिवर्तित परिवेश, जिसमें वे पारगमन कर रहे हैं, की दिनचर्या एवं मान्यताओं को समझने में सहायता करना, आदि के द्वारा सरल बनाया जा सकता है।

शुरुआती अधिगम वातावरण एवं स्कूल दोनों में पारगमन के दौरान अभिभावकों और शिक्षकों/संस्थानों

के मध्य साझेदारी, परिवर्तन की इस अवधि के प्रबंधन में माता-पिता के लिए सहायक हो सकती है।

सफल पारगमन हेतु निम्नलिखित कारक महत्वपूर्ण हैं–

- बच्चों की पूर्व एवं वर्तमान मान्यताओं का निर्माण;
- परिवारों में सहभागिता और पारगमन की तैयारी में बच्चों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना;
- बच्चे जिस परिवेश में पारगमन कर रहे हैं, उसकी मान्यताओं और दिनचर्या को समझने में बच्चों की सहायता करना और इस प्रक्रिया में सहज महसूस कराना;
- विशेषरूप से स्कूल पारगमन चरण के दौरान बच्चों की स्थिति अथवा पहचान में बदलाव पर बातचीत करने में सहायता करना; और
- सफल पारगमन हेतु सहयोगात्मक रूप से कार्य करना।

पाठगत प्रश्न 19.1

बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य–

1. अच्छी पारगमन मान्यताएँ बच्चों की संपूर्णता पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
2. बच्चों की विशेषताओं में स्वभाव, बुद्धि-लब्धि, व्यक्तित्व, सामाजिक कौशल और संज्ञानात्मक योग्यता सम्मिलित हैं।
3. आर्थिक रूप से वंचित परिवारों के बच्चों के लिए स्कूल में पारगमन अपेक्षाकृत कम चुनौतीपूर्ण होता है।
4. माता-पिता पारगमन एवं तत्परता के लिए सहायता करने हेतु अच्छी तरह तैयार रहते हैं।

19.1.2 घर से प्रीस्कूल में पारगमन

छोटे बच्चों के लिए घर से प्री-स्कूल में पारगमन को सुगम बनाने का एक तरीका यह है कि उन्हें केंद्र एवं स्कूल दोनों के अंदर करवायी जाने वाली गतिविधियों से अवगत करा दिया जाए। स्कूल में बच्चों के सुगम नियोजन एवं अनुकूलन को सुनिश्चित करने हेतु पारगमन कार्यक्रमों को विभिन्न युक्तियों एवं प्रक्रियाओं के रूप में पहचाना जाता है, और उनमें वे गतिविधियाँ सम्मिलित होती हैं जो स्कूलों अथवा प्री-स्कूलों द्वारा घर और स्कूल अनुभवों के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए करवायी जाती हैं। सुगम पारगमन निम्नलिखित संबंधों पर निर्भर करता है–

परिवार-स्कूल संबंध

सकारात्मक स्कूल परिणामों को प्रोत्साहित करने हेतु परिवार एवं कर्मचारियों के संबंध बहुत

महत्वपूर्ण हैं। इन संबंधों को पोषित करने वाली गतिविधियाँ उपलब्ध कराना पारगमन योजना का एक अहम हिस्सा है। नियमित रूप से सूचनाओं के आदान-प्रदान से परिवार तथा स्कूल दोनों को लाभ होता है।

बच्चा-स्कूल संबंध

छोटे बच्चों के लिए पारगमन को सुगम बनाने का एक तरीका यह है उन्हें केंद्र एवं स्कूल और दोनों में की जाने वाले गतिविधियों से परिचित कराया जाए।

समवाय संबंध

प्री स्कूल अध्यापक अक्सर इस बात से चिंतित रहते हैं कि स्कूल में वर्ष की शुरुआत में बच्चे अपनी हम उम्र बच्चों के साथ मिलने-जुलने की क्षमता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। जिस प्रकार वयस्क अपने परिचितों के साथ ही अधिक सहज महसूस करते हैं, उसी प्रकार बच्चे भी अनुभव करते हैं। बच्चों के लिए ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था करके जहाँ प्री-स्कूल के बच्चे एक दूसरे से बातचीत कर सके, उनकी संबंध बनाने में सहायता की जा सकती है, ये संबंध स्कूली वर्ष के प्रारंभ तक रहते हैं।

सामुदायिक संबंध

समुदाय और स्कूल के बीच संबंध पारगमन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिन समुदायों में स्कूल और अन्य एजेन्सियों की मध्य संबंध होते हैं, वहाँ निरंतरता बढ़ जाती है।

19.1.3 घर से प्राथमिक स्कूल के पारगमन

पारगमन की गतिविधियों में सहयोग एवं समन्वय सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे प्रीस्कूल अथवा घर से स्कूल के परिवेश में पारगमन करते समय पारगमन के संभव सर्वोत्तम अनुभव ले सकें।

ऐसा करने के लिए कुछ उपाय इस प्रकार हैं:-

- कभी-कभार केन्द्रों का भ्रमण करने के द्वारा बच्चे भावी केन्द्र शिक्षक से सीधे-सीधे अन्तर्क्रिया कर सकते हैं।
- स्कूलों में विशेष कार्यक्रमों के आयोजन के समय बच्चे अपने भावी स्कूल का भ्रमण कर सकते हैं।
- अभिभावक, केन्द्रों पर सामान्य रूप से की जाने वाली गतिविधियों का अभ्यास करा सकते हैं। इनमें एक पंक्ति में चलना, किंडरगार्डन गीत गाना अथवा किंडरगार्टन खेल खेलना आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, अभिभावक, अध्यापकों, सहायक कर्मचारियों, भवन आदि के चिह्नों के साथ स्क्रैपबुक बनाकर बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने से पहले उन्हें स्कूल से परिचित कराने में सहायता कर सकते हैं।

बच्चों को प्राथमिक विद्यालय अथवा किसी भी स्तर की औपचारिक स्कूली शिक्षा में प्रवेश के

लिए तैयार करने का सबसे प्रभावी तरीका, एक भरोसेमंद, मजबूत समर्थन प्रणाली प्रदान करना है। एक मजबूत समर्थन प्रणाली में, सहायक समुदाय, दृढ़ परिवार, गुणवत्तापरक प्रारंभिक देखभाल एंव शिक्षा, तैयार स्कूल और तत्पर बच्चे सम्मिलित हैं।

सहायक समुदाय परिवारों की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे परिवारों को सस्ती सेवा एवं सूचनाएं उपलब्ध कराकर बच्चों के स्कूलों एवं दीर्घकालिक सफलता में सहयोग देने हेतु साथ मिलकर कार्य करते हैं।

मजबूत परिवार यह समझते हैं कि वे बच्चे के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोग हैं। एक मजबूत परिवार बच्चों में प्रत्यक्ष, निरंतर और सकारात्मक संलग्न एवं रुचि का उत्तरदायित्व लेता है। परिवार के वयस्क बच्चे के प्रथम शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका को पहचानते हैं।

गुणवत्तापरक प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा सभी बच्चों को स्वीकार करती है और एक उच्च गुणवत्तापरक औपचारिक अधिगम वातावरण में निर्बाध पारगमन में परिवारों की सहायता करती है।

उद्यत स्कूल बच्चों की क्षमता एवं व्यैक्तिक भिन्नता को पहचानते एवं प्रोत्साहित करते हुए सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। उद्यत स्कूल सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील होते हैं और समझते हैं कि बच्चों के समग्र विकास की दर भिन्न-भिन्न होती है।

तत्पर बच्चे विकासात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप सामाजिक, व्यैक्तिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से उद्यत रहते हैं।

19.1.4 अभिभावकों एवं बच्चों हेतु पारगमन गतिविधियाँ

आप पारगमन के विषय में तथ्यपूर्ण ढंग से जितनी अधिक चर्चा करेंगे, बच्चे उतना ही सहज अनुभव करेंगे। अभिभावकों को अपने बच्चों को ईसीसीई केंद्रों हेतु तैयार करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं :-

- केंद्र का भ्रमण करें ताकि बच्चे अध्यापक से मिल सके और केंद्र को देख सकें। उनके लिए एक से अधिक प्रकार की कक्षा गतिविधियों के अवलोकन की व्यवस्था करने का प्रयास करें जैसे कि अपने स्थान पर बैठकर कार्य करने का समय और खाली समय की गतिविधियाँ।
- उन्हें शौचालय की स्थिति से अवगत कराएँ।
- पता करें कि दोपहर के भोजन का समय क्या होगा। यदि बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन मिलने वाला है, तो उन्हें नये प्रकार के डब्बों को खोलना एवं उनको उपयोग करना सीखना होगा।
- किंडरगार्टन के विषय में पुस्तकें पढ़ें।
- बच्चों को केंद्र में क्या करना होगा इसका उन्हें सीधे तरीके से उत्तर दें। उन्हें बताएँ कि वे कहानियाँ सुनेंगे, गिनती करने वाली गतिविधियाँ करेंगे, समूह में समय बिताएंगे और बाहर खेलेंगे।

टिप्पणी

घर से प्री-स्कूल में पारगमन का समय अभिभावक एवं बच्चे दोनों के लिए तनाव-पूर्ण हो सकती है। हालांकि, यदि प्री-स्कूल के शिक्षक अभिभावकों के साथ सहयोग एवं बच्चों को केंद्र के कार्यों से परिचित कराने की सुविधा प्रदान करें, तो वह एक सुगम प्रक्रिया हो जायेगी। प्री-स्कूल शिक्षक, विभिन्न अधिगम शैलियों एवं अपने विद्यार्थियों के स्वभाव के ज्ञान के साथ, इस महत्वपूर्ण पारगमन में सभी की सहायता कर सकते हैं।

19.1.4.1 सुगम पारगमन सुनिश्चित करने हेतु सुझायी गई गतिविधियाँ

बहुत से स्कूल बच्चों को अभिविन्यास हेतु, चाहे वर्ष प्रारंभ होने से पहले, अथवा स्कूल के पहले दिन से कुछ दिन पहले कुछ अतिरिक्त गतिविधियों की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ स्कूल इन गतिविधियों की व्यवस्था कर सकता है–

- बच्चे शुरूआत करने से पहले अपने कक्षा अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों (सहायक) से मिलें।
- माता-पिता स्कूली वर्ष समाप्त होने से पहले कक्षा-कक्ष में समय बिताएं।
- स्कूली वर्ष की समाप्ति अथवा छुट्टियों के दौरान बच्चों एवं अभिभावकों को खेल के मैदान में समय बिताना अथवा भ्रमण करना और स्कूल की स्थिति के बारे में जानना चाहिए।
- बच्चों एवं अभिभावकों को स्कूल मे शौचालय की स्थिति अथवा अन्य सुविधाएं कहाँ स्थित हैं और वे उनका किस प्रकार मिलेंगी, इसे अवगत कराना।
- **कहानी सुनाना :** कुछ बच्चे कहानियों को यह सीखने में उपयोगी पाते हैं कि क्या हो सकता है और विभिन्न परिस्थितियों में उनसे क्या अपेक्षाएं की जा सकती हैं माता-पिता खेल के मैदान, कक्षा, शिक्षक और सहायक कर्मचारियों की तस्वीरों का उपयोग करके स्कूल के बारे में एक या एक से अधिक कहानियां बना सकते हैं। माता-पिता शिक्षकों से स्कूल और कक्षा की दिनचर्या के बारे में पूछकर उसे अपनी कहानी में शामिल कर सकते हैं।
- **स्कूल के लिए आवश्यक कौशलों का अभ्यास :** स्कूल बच्चों की क्षमताओं के आधार पर इनसे कुछ कौशलों जैसे– अपने बस्ते को जमाना अथवा खाली करना, शौचालय जाना, अपने कपड़ों को बाँधना, अपने हाथ धोना, भोजन खोलना, खाने के डब्बे और पेय की बातलों को खोलना आदि की अपेक्षा कर सकता है। स्कूल शुरु होने से पहले बच्चों को इनका अभ्यास कराया जाना चाहिए।

19.1.5 पारगमन को सुगम बनाने के लाभ

सफल पारगमन के कुछ संकेतक इस प्रकार हैं:

- बच्चे स्कूल को पसंद करेंगे और स्कूल जाने को उत्सुक होंगे,
- बच्चों के शैक्षणिक कौशलों में निरंतर वृद्धि होगी,

- माता-पिता, घर, स्कूल एवं समुदाय में अपने बच्चों की शिक्षा में सक्रिय रूप से संलग्न होंगे,
- कक्षा का वातावरण शिक्षक एवं बच्चें दोनों के लिए सकारात्मक अनुभूति को प्रोत्साहित करेगा,
- शिक्षक, कर्मचारीगण एवं परिवार सभी एक-दूसरे को महत्व देंगे,
- स्कूल अपने कार्यक्रमों में सामुदायिक विविधिता का उत्सव मनायेंगे; तथा
- कक्षा में विकासात्मक रूप से उपयुक्त अभ्यास दृष्टिगोचर होंगे।

19.2 तत्परता की समझ

स्कूल की तत्परता एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें शारीरिक/स्वास्थ्य, सामाजिक और संवेगात्मक क्षेत्रों के साथ-साथ भाषा की समझ, साक्षरता और संज्ञानात्मक क्षेत्र भी शामिल हैं। स्कूल की तत्परता के नये परिप्रेक्ष्य के अनुसार स्कूलों को बच्चों एवं उनके परिवारों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी तैयार रहने की आवश्यकता है।

स्कूल की तत्परता कई वर्षों तक प्रीस्कूल एवं प्राथमिक स्कूल दोनों स्तरों पर पूर्व बाल्यावस्था के शिक्षकों से संबंधित है। जिन बच्चों ने महत्वपूर्ण तत्परता कौशल विकसित किए बिना स्कूल शुरु किया है, इनकी भविष्य की शैक्षणिक, सामाजिक और व्यावसायिक सफलता 'जोखिम में' हैं।

पहले स्कूल की तत्परता को दो में से किसी एक प्रकार के आधार पर समझता जाता था, या तो इसको कालानुक्रमिक आयु के आधार पर जाना जाता था, और बच्चों को एक निर्धारित आयु पर स्कूल में दाखिल कर दिया जाता था, अथवा विशिष्ट कौशलों और दक्षताओं के संदर्भ में, जोकि दाखिल कर दिया जाता था, अथवा विशिष्ट कौशलों और दक्षताओं के संदर्भ में, जोकि स्थापित मानदंडों एवं मानकों के आधार पर भाषा और मूल्यांकित किया जा सके, समझा जाता था।

वर्तमान शोध, स्कूल की तत्परता पर विचार करते हुए बच्चों के विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखने के महत्व पर प्रकाश डालती है। बच्चों के स्कूल में प्रवेश से पूर्व, उनके विकास के अनुकूलन हेतु, जहाँ आवश्यक हो वहाँ बच्चों को सहायता, अनुभव एवं प्रभावी प्राथमिक हस्तक्षेप रणनीतियाँ प्रदान करना आवश्यक है।

सामान्य तौर पर, जो बच्चे स्कूल के लिए तैयार होते हैं, वे वयस्कों एवं अन्य बच्चों के साथ सहयोग करते हैं। वे अधिकांश परिस्थितियों में आत्म-नियंत्रण का प्रदर्शन करते हैं, अपने घर एवं प्रीस्कूल के नियमों का पालन करते हैं, और अपने खाली समय का उपयोग स्वीकार्य तरीके से कर सकते हैं। वे अपने खिलौने एवं अन्य समान खुशी से साझा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपने दोस्तों के साथ समझौता कर सकते हैं। स्कूल की तत्परता इस बात का पैमाना है कि बच्चे स्कूल में सफल होने के लिए संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं भावात्मक रूप से कितने

टिप्पणी

तैयार हैं। जो बच्चे स्कूल शुरू करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वे अक्सर पढ़ने में पीछे रह जाते हैं। तीसरी कक्षा की समाप्ति तक भी वे अच्छी प्रकार से पढ़ने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे बच्चों तक पहुँचने के लिए हमें माता-पिता को भागीदार बनाने, प्री-स्कूल कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने और गुणवत्तापरक बाल्य देखभाल केन्द्रों में निवेश करने की आवश्यकता है।

स्कूल की तत्परता को इस प्रकार पहचाना जाता है:-

तत्परता का प्रदर्शन करना : बच्चे आधारभूत कौशलों एवं व्यवहारों का प्रदर्शन करते हैं जो उन्हें किंडरगार्टन मानकों पर आधारित पाठ्यक्रम के लिए तैयार करते हैं।

तत्परता की ओर बढ़ना : बच्चे कुछ मूलभूत कौशलों एवं व्यवहारों का प्रदर्शन करते हैं जो कि उन्हें पाठ्यचर्या आधारित किंडरगार्टन मानकों हेतु तैयार करते हैं।

उभरती तत्परता : बच्चे न्यूनतम मूलभूत कौशलों और व्यवहारों का प्रदर्शन करते हैं, जो उन्हें किंडरगार्टन मानकों पर आधारित पाठ्यक्रम हेतु तैयार करते हैं।

जिन बच्चों के कौशलों और व्यवहारों की तत्परता की पहचान विकासशील अथवा उभरती हुई तत्परता के रूप में की जाती है, उन्हें औपचारिक स्कूल में सफलता हेतु अनुदेशनात्मक सहयोग की आवश्यकता होती है। स्कूली तत्परता का आशय है स्कूल में ज्ञान, कौशल, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के साथ आना, जोकि सफलतापूर्वक प्रतिभागिता के लिए आवश्यक होती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

सीखने के प्रति दृष्टिकोण : बच्चे किस हद तक सीखने के कार्यों के प्रति जिज्ञासा, उत्साह एवं दृढ़ता दिखाते हैं?

संज्ञान एवं सामान्य ज्ञान : क्या बच्चों को उनके आस-पास की दुनिया वह मौलिक ज्ञान है? क्या वे आकृतियाँ, संख्याएँ, अपना नाम इत्यादि जानते हैं?

भाषा विकास : बच्चे अर्थ और समझ को व्यक्त करने हेतु किस हद तक शाब्दिक एवं अशाब्दिक कौशलों का उपयोग करते हैं?

शारीरिक स्वस्थता : क्या बच्चों की वृद्धि और विकास ठीक से हो रहा है? क्या वे स्वस्थ हैं?

सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास : क्या बच्चे दूसरों के साथ अच्छी तरह से बातचीत करते हैं और अपनी भावनाओं को सही तरीके से अभिव्यक्त कर पाते हैं?

19.2.1 तत्परता का महत्व एवं घटक

स्कूल तत्परता उस ज्ञान, स्वतंत्रता, संचार एवं सामाजिक कौशलों को कहते हैं जिन्हें बच्चों को स्कूल में बेहतर करने की आवश्यकता होती है। स्कूल तत्परता कौशल महत्वपूर्ण क्यों हैं? स्कूल तत्परता कौशलों का विकास, विशिष्ट क्षेत्रों में बच्चों की सामाजिक अंतर्क्रिया, खेल, भाषा, संवेगात्मक विकास, शारीरिक कौशल, साक्षरता और अच्छे गतिक कौशलों के विस्तार और विकास हेतु स्कूल के शिक्षकों को प्रोत्साहित करती है। स्कूल तत्परता का आशय है कि बच्चे

प्रारंभिक अधिगम अनुभवों से जुड़ने एवं लाभ उठाने हेतु स्कूल में प्रवेश के लिए तैयार हैं जो उनकी सफलता को प्रोत्साहित करेगा।

वे अनुभव जो बच्चों को स्कूल में प्रवेश एवं सफल होने में सहायक होते हैं उनको प्रदान करना कभी भी बहुत जल्दी शुरू नहीं किया जाता। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने के लिए उन्हें पढ़ाने, उनके साथ बात करने एवं उनके साथ खेलने की आवश्यकता होती है।

स्कूल के लिए तत्पर बच्चों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली कुछ अपेक्षित विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- शौच आदि में आत्म-निर्भर
- स्वयं कपड़े पहनने में समर्थ
- व्यवहार के अपेक्षित स्तरों को समझना
- आत्म-विश्वास एवं आत्म-सम्मान
- मोड ले सकते हैं एवं साझा कर सकते हैं
- छोटी अवधि के लिए स्थिर बैठ सकते हैं
- माता-पिता / देखभाल करने वालों से अलग हो सकते हैं।

पाठगत प्रश्न 19.2

खाली स्थान भरिए–

1. कई स्कूल बच्चें को अतिरिक्त .... गतिविधियाँ प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं।
2. सुरक्षा नियोजन सुनिश्चित करने हेतु पारगमन कार्यक्रमों की पहचान युक्तियों एवं .... के रूप में की जाती है।
3. .... शैक्षणिक ज्ञान, स्वतंत्रता, संचार और सामाजिक कौशलों जिनमें बच्चों को स्कूल में अच्छा करने की आवश्यकता होती है, को संदर्भित करती है।
4. बच्चों का छोटी अवधि के लिए स्थिर बैठ सकना, तत्परता की अपेक्षित .... में से एक है।
5. स्कूल तत्परता द्वारा जाना जाता है कि स्कूलों को बच्चों एवं उनके परिवारों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु .... की आवश्यकता है।

19.2.2 प्रीस्कूल हेतु तत्परता के घटक

शिक्षा का व्यापक उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास में सहायता करना है जिसका अर्थ है कि बच्चे विकास के सभी आयामों संज्ञानात्मक, सामाजिक-संवेगात्मक, शारीरिक, भाषायी और साक्षरता, में अपनी क्षमता को प्राप्त करें। बच्चों की समग्र वृद्धि का तात्पर्य हैं कि उन्हें उनके सर्वांगीण

विकास से सहायता करने हेतु विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान किया जाता। तत्परता के घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. शैक्षणिक तत्परता

प्रीस्कूल में प्रवेश से पूर्व बच्चों को स्वयं का, अपने परिवार का एवं अपने आसपास की दुनिया का मौलिक ज्ञान होना चाहिए। देखभाल करने वाले, वयस्कों के साथ खेलने और अन्तर्क्रिया के माध्यम से बच्चे अनेक कौशलों के साथ स्कूल आ सकते हैं, जिन्हें शिक्षकों द्वारा और बेहतर किया जा सकता है।

अभिभावकों के लिए अपने बच्चों को स्कूल के लिए शैक्षिक ज्ञान से तैयार करने हेतु गतिविधियाँ:-

- प्रतिदिन अपने बच्चे को पढ़कर सुनायें और जो आपने पढ़ा उसके विषय में बातें करें।
- पुस्तकालय का भ्रमण करें। पुस्तकों को देखें और कहानी के समय में भाग लें।
- लयबद्ध गीत गाएं और अंगुलियों वाले खेल खेलें।
- बच्चों को मुद्रित नाम पहचानने में मदद करने हेतु उनके कपड़ों एवं खिलौनों पर उनका नाम अंकित करें।
- अपने बच्चे को उसका नाम लिखने के लिए प्रोत्साहित करें।
- अपने बच्चे को वस्तुओं की ओर इशारा करके और उनके नामकरण करके जैसे कि 'हरे पेड', 'लाल सेब', या 'नीले कोट' बुनियादी रंग सीखने में सहायता करें।
- अपने बच्चे को पहेली एवं ऐसे खेले दें, जिनमें गिनने और समस्या समाधान की आवश्यकता पड़ती हो। अपने बच्चे को कलम चलाने, चित्र बनाने, लिखने, काटने और चिपकाने दें।
- अपने बच्चे के साथ वर्णमाला गीत गाएं और उसे अक्षर चुंबक अथवा अन्य खिलौने प्रदान करें जो उसे वर्णमाला के अक्षरों को पहचानने में मदद करेंगे।
- अपने बच्चे को चिड़ियाघर, पार्क, किराने की दुकान और डाकघर में ले जाएं। उनसे अपने दिन के दृश्यों एवं आवाजों के विषय में बात करें।
- अपने बच्चे को गाने, नृत्य, चढ़ना, कूदना, दौड़ना, तिपहिया, साइकिल अथवा साइकिल चलाने का समय दें।
- ऐसा बाल्य देखभाल केंद्र चुने जो पूर्ण नियोजित, आनंददायक और रुचिकर गतिविधियों के साथ अधिगम को प्रोत्साहन देता है।

2. सामाजिक तत्परता

सामाजिक तत्परता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि शैक्षिक तत्परता। अन्य बच्चों के साथ मेल-जोल बनाने में सक्षम होना, निर्देशों का पालन करना, अपनी बारी लेना और

माता-पिता को अलविदा कहना आदि ऐसे कौशल हैं जिन्हें शिक्षक आने वाले बच्चों में देखने की अपेक्षा रखते हैं।

अभिभावकों के लिए अपने बच्चे को सामाजिक रूप से स्कूल हेतु तैयार करने की गतिविधियाँः

- नियम निर्धारित करना एवं उनको तोड़ने के परिणाम बताना।
- भोजन एवं सोने की नियमित दिनचर्या रखना।
- अपने बच्चे को अन्य बच्चों के साथ खेलने एवं बात करने हेतु प्रोत्साहित करें।
- अपने बच्चों को अपनी बारी लेने और अन्य बच्चों से साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- बच्चे को उनके द्वारा शुरू किये गये कठिन अथवा निराशाजनक कार्य को एक ही बार में पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- बच्चे को दूसरों की भावनाओं पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- अपने बच्चों को सकारात्मक तरीके से अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- मारना, काटना, चीखना एवं अन्य नकारात्मक व्यवहारों को हतोत्साहित करें।
- अपने बच्चे को दिन में कई बार चूमें एवं गले लगाएं।

3. आत्मनिर्भरता

जब बच्चे मूलभूत कार्यों, जैसे अपने कोट की जिप बंद करना या अपने जूते के फीते बांधना आदि को स्वयं की मदद से पूरा करते हैं तो उन्हें गर्व का अनुभव होता है। आत्म-निर्भरता, आत्म-विश्वास एवं आत्म-सम्मान को निर्मित करती हैं। स्कूल में कई चीजें बच्चे को स्वयं करने की अपेक्षा की जायेगी।

अभिभावकों हेतु अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने और स्कूल के लिए तैयार करने हेतु गतिविधियाँः

- ऐसे कपड़े और जूते खरीदना जिन्हें बच्चे अपने आप आसानी से कस लें, जिप बंद कर सकें और बाँध सकें।
- अपने बच्चे को उसके कपड़े और जूते स्वयं पहनने दें।
- बच्चों को अपनी बारी लेने और अन्य बच्चों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- अपने बच्चे को साधारण कार्य करने दें जैसे खाने के समय मेज व्यवस्थित करना अथवा खेलने के पश्चात् खिलौनों को सफाई से रखना।
- शौच क्रिया एवं हाथ धोने में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करें।
- अपने बच्चे को गतिविधियों जैसे कि पहेलियों को पूरा करना आदि को स्वतंत्र रूप से करने के अवसर दें।

4. संप्रेषण कौशल

प्री-स्कूली वर्षों में पढ़ने और लिखने हेतु सुनना एवं बोलना पहले चरण हैं। अपने अभिभावकों, अध्यापकों और मित्रों में संप्रेषण के माध्यम से वे लोगों, स्थानों और चीजों के विषय में जानते हैं जिनके बारे में वे बाद में पढ़ेंगे और लिखेंगे।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे स्कूल में अपने विचारों और भावनाओं को सही प्रकार संम्प्रेषित कर सकें, अभिभावकों को चाहिए कि वे–

- अपने बच्चों के साथ नियमित रूप से बात करें।
- अपने बच्चे को दूसरों की बात सुनने और जब कोई बात कर लें तो उसका जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करें।
- अपने बच्चों को नये शब्दों को सीखने एवं उनका उपयोग करने में सहायता करें।
- बच्चे द्वारा जिस भाषा का उपयोग चाहते हैं उसी भाषा का आदर्श प्रस्तुत करें।
- अपने बच्चों के लिए नोट्स लिखें।

5. स्वास्थ्य एवं शारीरिक सुरक्षा

अभिभावकों हेतु यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके बच्चे शारीरिक रूप से स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, गतिविधियाँ–

- संतुलित आहार खाना।
- पर्याप्त आराम करना।
- नियमित रूप से चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा देखभाल प्राप्त करना।
- सभी आवश्यक टीके लगवाएं हों।
- दौडना, कूदना, चढ़ना और अन्य गतिविधियाँ जो मांसपेशियों के विकास में सहायक होती है और व्यायाम प्रदान करती है, इनको कर सकना।
- पेंसिल, क्रेयॉन, कैंची, पेंट्स आदि का उपयोग करते हैं और अन्य गतिविधियाँ करते हैं जो छोटी मांसपेशियों के विकास में सहायक होती हैं।

पाठगत प्रश्न 19.3

निम्नलिखित को एक वाक्य में समझाइए–

(a) शैक्षणिक तत्परता

(b) सामाजिक तत्परता

(c) आत्म-निर्भरता

(d) स्वास्थ्य एवं शारीरिक सुरक्षा

(e) संप्रेषण कौशल

19.2.3 स्कूल के लिए तत्परता के घटक

प्री-स्कूल डे केयर के विस्तृत रूप जैसा होता है। इसका कारण यह है कि बच्चों को औपचारिक रूप से पढ़ने-लिखने के लिए तैयार करने हेतु यहाँ की शिक्षण शैली कम संरचित होती हैं, जबकि स्कूल में अधिक जटिल गतिविधियाँ होती हैं। इसके मुख्य घटक:

बच्चों की संवेगात्मक एवं सामाजिक तैयारी

- साधारण नियमों एवं दिनचर्या का पालन।
- अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को व्यक्त कर सकना।
- सीखने के लिए जिज्ञासु एवं अभिप्रेरित।
- नयी चीजों का पता लगाने एवं प्रयास करने के लिए सीखना।
- अन्य बच्चों के साथ रहने और साथ खेलने/साझा करने के अवसर होना।
- बिना परेशान हुए माता-पिता/परिवार से दूर रह पाना।
- अकेले ठीक प्रकार से काम कर सकना।
- ध्यान केंद्रित करने एवं सुनने की क्षमता।

भाषा, गणित एवं सामान्य ज्ञान

- पांच से छह शब्दों के वाक्यों का प्रयोग।
- सरल गीत गाना।
- सरल तुकांत कविता कहना और पहचानना।
- नाम एवं पता लिखना सीखना।
- गिनना और गिनती वाले खेल सीखना।
- आकृतियों एवं रंगों की पहचान एवं उनके नाम सीखना।
- संगीत सुनने, बनाने और नृत्य के अवसर होना।
- प्रिंट एवं चित्रों के बीच अंतर को जानना।
- उनके लिए पढ़ी गयी कहानियों को सुनना।
- समानता एवं भिन्नता को पहचानने के अवसर होना।

- प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करना।
- समय की सामान्य अवधारणा (रात और दिन, आज, कल, आने वाला कल) को समझना।
- वस्तुओं को क्रमबद्ध एवं वर्गीकृत करना।

शिक्षक इस बात से सहमत हैं कि बच्चों की प्री-स्कूल और प्रथम कक्षा के लिए सामाजिक और संवेगात्मक तत्परता हेतु प्रमुख संकेतक इस प्रकार हैं:

(i) नई जिम्मेदारियों और अधिक आत्मनिर्भरता को स्वीकार करने की तत्परता।

(ii) सीखने के लिए अति उत्साह।

(iii) नये मित्र बनाने और दूसरों का सम्मान करने की योग्यता।

स्कूल तत्परता कार्यक्रम का ध्यान यह सुनिश्चित करने पर होता है कि बच्चे स्कूल में सफल होने के लिए भावनात्मक एवं सामाजिक रूप से परिपक्व हैं।

19.3 अभिभावकों, स्कूलों, शिक्षकों एवं अन्य देखभालकर्ताओं की भूमिका

जब छोटे बच्चे पहली बार स्कूल में प्रवेश करते समय वे स्कूल की तुलना अपने घर से करते हैं। इसलिए स्कूल का वातावरण तनावमुक्त एवं उत्साही होना चाहिए ताकि वे सुरक्षित महसूस करें। शिक्षकों को बच्चों के साथ तालमेल स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए। यह उन्हें संवेगात्मक रूप से सुरक्षित बनाता है। छोटे बच्चों को जब तक उनके माता-पिता, परिवार और समुदाय से उनक संपूर्ण विकास को प्रोत्साहित करने वाला पर्यावरण और अनुभव जो स्कूल में विकास को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, प्राप्त नहीं होता तब तक वे स्कूल में प्रवेश हेतु तैयार नहीं हो पायेंगे। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

- तैयार बच्चे
- तैयार माता-पिता, परिवार और समुदाय
- तैयार स्कूल
- तैयार शिक्षक एवं अन्य कार्यबल

19.3.1 तैयार बच्चे

जब बच्चे प्रीस्कूल में प्रवेश करते हैं, तो उनकी विभिन्न गतिविधियों में संलग्नता के दौरान, शिक्षकों को उनके अवलोकन द्वारा उनकी तत्परता का आकलन करने की आवश्यकता होती है। शिक्षक को यह अवलोकन करना चाहिए कि क्या बच्चे तत्परता का प्रदर्शन कर रहे हैं, तत्परता की ओर बढ़ रहे हैं अथवा उभरती हुई तत्परता दिखा रहे हैं, और तदनुसार उनका सहयोग करने

के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। जैसाकि इस पाठ में पहले बताया गया है कि विकासशील और उभरते हुए तत्परता कौशल वाले बच्चों को सफल होने के लिए अधिक अनुदेशनात्मक सहयोग की आवश्यकता होती है।

इस तरह के प्रयास से शिक्षकों को बच्चों की आवश्कतानुसार कार्यक्रमों और अपनी शिक्षण रणनीतियों को समायोजित करने में सहायता मिलेगी। शिक्षकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह एक बार की गतिविधि नहीं है बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। इसे शिक्षक द्वारा दैनिक गतिविधियों का एक अभिन्न अंग बनाया जा सकता है। शिक्षक को विकास संबंधी उपयुक्त गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए, बच्चों को अवसर एवं सामग्री प्रदान करनी चाहिए और उन्हें अंवेषण, खोज, खेलने की अनुमति एवं उचित चुनौतियां प्रदान करनी चाहिए। यह प्रक्रिया बच्चों को पूर्व प्राथमिक अथवा प्राथमिक स्तर के लिए तैयार करने हेतु सहायक होगी।

19.3.2 तैयार माता-पिता/परिवार और समुदायः उनकी भूमिका

बच्चों को एक अनुकूल एवं प्रेरणात्मक वातावरण प्रदान करने में वयस्कों की अत्यधिक भूमिका होती है। माता एवं छोटे बच्चों के आस-पास रहने वाले वयस्क उनके प्रथम शिक्षक होते हैं। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि वे उन्हें स्थायी एवं सहयोगात्मक संबंध और सीखने की जिज्ञासा एवं उत्सुकता उत्पन्न करने में सहायक, सुरक्षित एवं आनंदमय वातावरण प्रदान कर सकते हैं।

परिवारों की भाँति ही, समुदाय भी बच्चों को तैयार करने में अहम् भूमिका निभाते हैं। स्थानीय सामुदायिक समूहों, व्यवसाय एवं कोर्पोरेट घरानों और सरकारों को बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा सुविधाएं विकसित करने हेतु सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिए। वे कई प्रकार से योगदान दे सकते हैं जैसे कि गुणवत्तापरक डे केयर एवं पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा (ECE) की आवश्यकता के विषय में अभिभावकों को उन्मुख एवं शिक्षित करना, और प्रीस्कूल केंद्रों अथवा आँगनवाड़ियों के कार्यकर्ताओं को शैक्षिक एवं तकनीक सहयोग प्रदान करना।

छोटे बच्चों के अभिभावकों को ईसीई और प्रारंभिक मस्तिष्क विकास के महत्व को विषय में सचेत होने की आवश्यकता है। उन्हें घर पर प्रेमपूर्ण एवं पोषक वातावरण प्रदान करना चाहिए। वे छोटे बच्चों के लिए उनकी आयु के अनुरूप खिलौने एवं खेल सामग्री खरीद सकते हैं। माता-पिता को घर से ईसीई केंद्र तक सुगम पारगमन सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए जहाँ बच्चे, पहली बार घर से अलग होकर एक नए वातावरण से जाएंगे। माता-पिता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे शौचालय-प्रशिक्षित हैं और ईसीसीई केंद्र में देखभालकर्ताओं को अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने में सक्षम हैं। माता-पिता एवं समुदायों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्हें विभिन्न गतिविधियों के बारे में सीखना चाहिए जिन्हें वे बच्चों को तैयार करने हेतु घर पर कर सकते हैं एवं घर से केंद्र पर बच्चों का सुगम पारगमन सुनिश्चित कर सकते हैं। स्कूल अभिभावकों की शिक्षा एवं जागरूकता हेतु कार्यक्रम व्यवस्थित कर सकते हैं। जिससे उन्हें यह जानने में सहायता मिलेगी कि वे छोटे बच्चों के घर से स्कूल में सुगम पारगमन हेतु किस प्रकार सहायता प्रदान कर सकते हैं।

19.3.3 तैयार स्कूल : उनकी भूमिका

घर, बाल्य देखभाल केंद्र अथवा क्रेच से पूर्व-प्राथमिक परिवेश में पारगमन के लिए माता-पिता और समुदाय को शामिल करने की आवश्यकता है। बच्चों को पूर्व-प्राथमिक स्कूल के लिए तैयार करने हेतु पूर्व-प्राथमिक केंद्र/स्कूल, अभिभावक शिक्षा कार्यशाला आयोजित कर सकते हैं और माता-पिता, क्रेच कार्यकर्ताओं एवं अन्य सामुदायिक संस्थानों और सदस्यों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इस प्रकार की योजनाबद्ध अंतर्क्रिया शिक्षक को बच्चे के कौशल एवं प्रतिभा के साथ-साथ उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने में सहायता मिलेगी।

इसी प्रकार जब बच्चे पूर्व-प्राथमिक से प्रथम कक्षा में जाते हैं, प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों एवं अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति एवं उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षक से संपर्क करने की आवश्यकता होती है। यह पूर्व प्राथमिक से प्राथमिक स्कूल एक नये एवं अधिक औपचारिक शैक्षिक वातावरण में पारगमन को सुगम बनाने में सहायक होगा। पूर्व-प्राथमिक स्कूल में बच्चों के प्रोर्टफोलियो को प्रथम कक्षा के शिक्षक साथ साझा करने के साथ उनको दे दिया जाए ताकि उन्हें बच्चे के स्कूल में प्रवेश के समय बच्चे को समझने में सहायता मिल सके।

पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक स्कूलों को संरचनात्मक ढांचे, संतुलित एवं विकासात्मक रूप से उपयुक्त कार्यक्रम एवं दैनिक दिनचर्या, शिक्षण-अधिगम सामग्री एवं शिक्षण रणनीतियाँ, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और उपयुक्त छात्र शिक्षक अनुपात के रूप में बच्चों का स्वागत करने हेतु तैयार रहना चाहिए।

एक तत्पर स्कूल का पाठ्यक्रम बच्चों के पूर्व अनुभवों, कौशलों और सार्थक अनुभवों के आधार पर तैयार किया जाता है। दूसरा स्कूलों को बच्चों के बीच भाषा, संस्कृति और अधिगम स्तर के रूप में पायी जाने वाली व्यैक्तिक भिन्नता का सम्मान करना चाहिए। यह तभी संभव है, जब स्कूल घर एवं समुदाय के घनिष्ट सहयोग से काम करे। ईसीई केंद्रों में बाल-सुलभ शौचालय सुविधाएँ, लॉकर्स/अलमारियाँ और अन्य भण्डारण स्थानों पर बच्चों की पहुँच आसान होनी चाहिए। इस प्रकार ईसीई केंद्र एवं प्राथमिक स्कूल की प्रारंभिक कक्षाएं ऐसी होनी चाहिए जिनमें उन्हें चलने, ले जाने और पर्यवेक्षण करने की काम से कम आवश्यकता पड़े। ईसीई केंद्र यदि प्राथमिक स्कूल के भीतर अथवा उसके समीप स्थित हों तो अच्छा होगा। कक्षाकक्ष का वातावरण आमंत्रित करने वाला एवं प्रिंट समृद्ध होना चाहिए जिसे बच्चों की रुचि, पर्यवेक्षण और अधिगम कौशलों को वृद्धि करने हेतु समय-समय पर बदला जाना चाहिए। सभी चीजें बच्चों की आँखों के स्तर पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। कक्षाकक्ष में पर्याप्त सामग्री एवं उपकरण जैसे कि क्रेयॉन, क्ले, विभिन्न आकारों के ब्लॉक, पैंसिल, चित्रित पुस्तकें, कहानी की पुस्तकें, खेल, गुडिया, खिलौने, पहेलियां आदि होने चाहिए और सभी बच्चों के लिए यह सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए।

19.3.4 तैयार शिक्षक और अन्य कर्मचारी : उनकी भूमिकाएं

सभी शिक्षकों और देखभालकर्ताओं को गुणवत्तापरक कार्यक्रम एवं बच्चों की विकासात्मक

विशेषताओं की अच्छी समझ होनी चाहिए। विकासात्मक विशेषताओं का ज्ञान बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं क्षमताओं पर आधारित कार्यक्रम बनाने एवं उन्हें संशोधित करने में उनकी सहायता करता है। शिक्षकों एवं बच्चों के आस-पास रहने वाले अन्य वयस्कों को अच्छे अवलोकनकर्ता होना चाहिए जिससे कि वे अपने प्रत्येक बच्चे को समझ सकें और यदि आवश्यक हो तो दैनिक कार्यक्रम में परिवर्तन कर सकें। शिक्षकों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों को सर्वप्रथम बच्चों को संवेगात्मक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और कक्षा का वातावरण सहयोगात्मक बनाना चाहिए। दैनिक कार्यक्रम लचीला एवं अधिगम पद्धति खेल आधारित होनी चाहिए। एक सहयोगात्मक वातावरण निर्मित करने में सहायता करने हेतु उन्हें प्रत्येक बच्चे के अवलोकन को साझा करना चाहिए।

ईसीई केंद्रों एवं प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को छोटे बच्चों को संभालने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण मिलना चाहिए। पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों को बच्चों की व्यैक्तिक मित्रता से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और सभी स्तरों पर सुगम पारगमन सुनिश्चित करना चाहिए। पूर्व प्राथमिक एवं प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षकों के बीच औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से नियमित बातचीत पारगमन को सरल कर देती है। ईसीसीई केंद्रों के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाओं और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने कौशलों एवं दक्षताओं के उन्नयन के अवसर प्रदान किये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त वे भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की विशिष्ट शैक्षिक एवं अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आवश्यक सहायता सेवाओं जैसे- काउंसलर्स विशेष शिक्षक आदि की सहायता भी ले सकते हैं।

19.4 स्कूल तत्परता के विभिन्न घटकों हेतु गतिविधियों की योजना एवं रूपरेखा

किसी भी गतिविधि की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी अच्छी तरह से तैयार एवं कार्यान्वित की गयी है। पढ़ने और लिखने के लिए भी तैयार की आवश्यकता होती है, विशेषतया जब यह छोटे बच्चों को सिखाना हो। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह से तैयार होने के बाद ही उन्हें कौशलों से परिचित कराए। बच्चों की तत्परता से पूर्व किसी भी चीज का परिचय न केवल अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता हैं, बल्कि स्कूल के प्रति अरुचि और तत्पश्चात् स्कूल छोड़ने का कारण भी होता है। शिक्षक को सभी क्षेत्रों में विकास हेतु सरल एवं रुचिकर गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उदाहरण स्वरूप कुछ गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

(i) भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास

लिखना और पढ़ना सीखने से पूर्व बच्चों को स्वयं को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने एवं दूसरों को समझने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए शिक्षक को बच्चों को लिखना-पढ़ना सिखाने से पूर्व उन्हें ऐसे अनुभव प्रदान करने चाहिए जो उनके भाषा विकास को प्रोत्साहित करें। कुछ निश्चित गतिविधियाँ जो इसमें सहायक हो सकती हैं, इस प्रकार हैं:

1. बातचीत (स्वतंत्र एवं निर्देशित)
2. कहानी कथन एवं तुकबंदी
3. अभिनय (संरचित एवं असंरचित)
4. पहेलियाँ हल करना
5. विश्वसनीय खेल (make believe play) / अभिनय / नाटक
6. भ्रमण एवं सैर

पढ़ना, लिखना एवं संख्या तत्परता

पढ़ने की तत्परता

पढ़ने की तत्परता हेतु बच्चों को गतिविधियाँ एवं अनुभव प्रदान किये जाने चाहिए ताकि वे बाद में पढ़ने का कौशल सीखने के लिए तत्पर हो सकें। एक जैसी वस्तुओं का मिलान करना, चित्रित वार्तालाप, बेमेल अथवा एक जैसी वस्तुओं को अंकित करना आदि इस प्रकार की कुछ गतिविधियाँ हैं। बच्चों को विभिन्न ध्वनियों को सुनने एवं उनके बीच अंतर को पहचानने के अवसरों के साथ-साथ शब्दो की शुरुआती ध्वनि एवं अंतिम ध्वनि को पहचानने के अवसर भी दिये जाने चाहिए। कुछ गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

(क) दृश्य भेद (आकृति/आकार/रंग आदि में अंतर पहचानना)

(ख) ध्वनि भेद (ध्वनियों में अंतर पहचानना)

(ग) अवलोकन कौशल एवं स्मृति का विकास (देखी गयी वस्तुओं का स्मरण)

(घ) वस्तुओं का वर्गीकरण (आकार, विशेषताओं आदि के अनुसार)

(ङ) अनुक्रमिक सोच

(च) शब्दावली का विकास

लिखने की तत्परता

लिखने की तत्परता हेतु, शिक्षक को ऐसी गतिविधियाँ प्रदान करनी चाहिए जो बच्चों में आँखों और हाथों के समन्वय को विकसित करने में सहायक हों। इस हेतु कुछ गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं:-

(क) क्ले मॉडलिंग

(ख) दिए गये स्थान/तस्वीर में रंग भरना

(ग) स्लेट/फर्श पर चित्र बनाना

(घ) खाका (Tracing)

टिप्पणी

(ज) आकृतियों की नकल करना

(च) बिंदुओं को मिलना

(छ) आड़ी-तिरछी/सीधी रेखाएं बनाना

संख्या तत्परता

संख्या की आवधारणा सिखाने से पहले, यह आवश्यक है कि बच्चों को संख्याओं से संबंधित विशिष्ट गतिविधियाँ/अनुभव प्रदान करें जैसे कि:-

(क) वर्गीकरण/छाँटना

(ख) अनुक्रमिक सोच

(ग) समस्या समाधान

(घ) संख्या पूर्व अवधारणा जैसे कि– बड़ा-छोटा, लम्बा-छोटा, ज्यादा-कम, मोटा-पतला, दूर-पास, चौड़ा-संकरा, नीचा-ऊँचा, पहले-बाद में आदि।

(ii) शारीरिक-गतिक विकास

बच्चों में गतिक खेल क्रियाकलापों के प्रति स्वाभाविक झुकाव पाया जाता है। इसलिए स्कूल के कार्यक्रम में सदैव खेलों के लिए पर्याप्त समय सम्मिलित किया जाना चाहिए। खेल बच्चों के स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। इसके अतिरिक्त सहयोग, अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, नेतृत्व का गुण आदि अच्छी सामाजिक आदतों को विकसित करने में भी सहायक होते हैं।

(iii) सृजनात्मक एवं सौंदर्यात्मक विकास

प्रारंभ में बच्चों को लिखना कठिन लगता है। औपचारिक लेखन शुरू करने से पहले यह आवश्यक है कि एक तत्परता कार्यक्रम की योजना बनायी जाए। यह देखा गया है कि बच्चों जब लिखना आरंभ करते हैं, तो उन्हें पेंसिल को ठीक प्रकार से पकड़ने एवं कागज पर उसका प्रयोग करने में कठिनाई होती है। इसका कारण यह है कि उनके हाथ एवं अंगुलियों की मांसपेशियाँ में तब तक उचित समन्वय नहीं होता है। सृजनात्मक गतिविधियाँ जैसे कि रंग भरना, चित्र बनाना, शिल्पकला आदि मांसपेशियों को नियंत्रित करने एवं उचित गतिक विकास में सहायक होती हैं।

कागज फाड़ना और चिपकाना, पत्तियां चिपकाना, गीली सतह पर अथवा स्वॉक की सहायता से चित्र बनाना आदि रचनात्मक गतिविधियाँ लिखने की तत्परता विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। शिक्षक को, उपलब्ध सामग्री पर आधारित विभिन्न गतिविधियों से बच्चों को परिचित कराना चाहिए। इस प्रकार की गतिविधियाँ करवाकर वे न केवल मांसपेशियों पर अच्छा नियंत्रण विकसित करते हैं, बल्कि उनमें कल्पना शक्ति, सौंदर्यात्मक प्रशंसा एवं सामाजिक कौशलों को भी विकसित करते हैं।

पाठगत प्रश्न 19.4

कॉलम अ का कॉलम ब से मिलान सही कीजिए–

कॉलम अ	कॉलम ब
1. भाषा विकास	(क) इनडोर एवं आउटडोर खेल
2. पढ़ने की तत्परता	(ख) चित्र बनाना, बिंदुओं को मिलाना
3. लिखने की तत्परता	(ग) कहानी कथन, लयबद्ध गीत
4. संख्या तत्परता	(घ) दृश्य भेद
5. गतिक विकास	(ङ) वस्तुओं का वर्गीकरण

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा–

- पारगमन : अर्थ एवं महत्व
- पारगमन को प्रभावित करने वाले तत्व
  - बच्चों की विशेषताएँ
  - अभिभावकों की विशेषताएँ
  - समुदाय की विशेषताएँ
- घर से स्कूल में पारगमन
- प्रीस्कूल से स्कूल में पारगमन
- अभिभावकों एवं बच्चों हेतु पारगमन गतिविधियाँ
- सूक्ष्म पारगमन के लाभ
- तत्परता : अर्थ, महत्व एवं घटक
- तत्परता का महत्व एवं घटक
- अभिभावकों हेतु तत्परता गतिविधियाँ
- अभिभावकों, स्कूलों, शिक्षकों एवं अन्य देखभालकर्ताओं की भूमिका
  - तैयार बच्चे

टिप्पणी

- तैयार अभिभावक, परिवार एवं समुदाय
- तैयार स्कूल
- तैयार शिक्षक एवं अन्य कार्यकर्ता

- स्कूल तत्परता के विभन्न घटकों हेतु गतिविधियों की योजना एवं रूपरेखा

पाठान्त प्रश्न

1. स्कूल में अनुदेशनात्मक सहयोग हेतु आवश्यक तत्परता कौशलों एवं व्यवहारों की सूची बनाइए।
2. सुगम पारगमन जिन संबंधों पर निर्भर करता है, उनका संक्षेप में वर्णन कीजिए।
3. सफल पारगमन के क्या लक्षण हैं?
4. तैयार अभिभावक, स्कूल, शिक्षक एवं समुदाय से आपका क्या आशय है?
5. बच्चों का भाषायी विकास सुनिश्चित करने हेतु अभिभावकों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की उनकी सूची बनाइए।
6. लिखने, पढ़ने एवं संख्या की तत्परता सुनिश्चित करने हेतु अभिभावकों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की सूची बनाइए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

19.1

1. सही, 2. सही, 3. गलत 4. गलत

19.2

1. अभिमुखीकरण
2. प्रक्रियाओं
3. स्कूल तत्परता
4. विशेषताओं
5. तैयार

19.3

(a) **शैक्षणिक तत्परता :** बच्चे अपने विषय में, अपने परिवारों और अपने आस-पास की दुनिया के बारे में मूलभूत जानकारी रखते हैं।

टिप्पणी

(b) **सामाजिक तत्परता :** बच्चे दूसरे बच्चों के साथ मेलजोल करने, निर्देशों का पालन करने, अपनी बारी लेने में सक्षम हैं।

(c) **आत्मा-निर्भरता :** जब बच्चे मूलभूत कार्यों को स्वयं की सहायता से पूरा करते हैं।

(d) **स्वास्थ्य एवं शारीरिक देखभाल :** बच्चे शारीरिक रूप से स्कूल जाने के लिए तैयार हैं।

(e) **संप्रेषण कौशल :** बच्चे दुनिया के विषय में क्या जानते और समझते हैं यह बताते हैं।

19.4

1. (क) 2. (ख) 3. (ग) 4. (घ) 5. (ङ)

सन्दर्भ

- Ministry of Women and Child Development. (2013). *National Curriculum Framework for ECCE, 2013*. New Delhi: Government of India.
- Ministry of Women and Child Development. (2013b). *National Early Childhood Care and Education Policy 2013*. New Delhi: Government of India.
- National Council of Educational Research and Training. (2006). *Position Paper National Focus Group on Early Childhood Education*. New Delhi: NCERT
- Ministry of Women and Child Development (MWCD). Quality Standards for Early Childhood Care and Education (ECCE). New Delhi: Government of India.
- Ministry of Women and Child Development (MWCD). National Early Childhood Care and Education (ECCE) Curriculum Framework. New Delhi: Government of India.
- National Council of Educational Research and Training. (2005). *National Curriculum Framework, 2005*. New Delhi: NCERT.

20

विविधता की समझ

कक्षा-कक्ष में हम विभिन्न पृष्ठभूमि के अलग-अलग योग्यता, रुचि, अभिवृत्ति एवम् अभिक्षमता रखने वाले बच्चों के सम्पर्क में आते हैं। बच्चों की ऊपरी तौर से दिखने वाली समानता और एक समूह के तरह व्यवहार करने की प्रवृत्ति के बावजूद हर बच्चा अनूठा होता है और उसका अपना एक सीखने का तरीका और सीखने की आवश्यकताएँ होती हैं। कक्षाकक्ष बच्चों का वह घर है जहाँ विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और परम्पराओं से बच्चे आते हैं। किसी ईसीसीई कार्यकर्ता के लिये अनिवार्य है कि वह सीखने की अलग-अलग आवश्यकताओं से परिचित हो और दिन-प्रतिदिन की शिक्षण-अधिगम-गतिविधियों के नियोजन और क्रियान्वयन के लिये सीखने की आवश्यकताओं के निहितार्थों को समझ सके।

इस पाठ में आप विविधता के बुनियादी पहलू और विविधता को बढ़ावा देने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। सभी बच्चों के लिये समतामूलक और सुलभ ईसीसीई कार्यक्रम निर्माण के लिए शैक्षणिक आवश्यकताओं पर विविधता के महत्व और प्रभाव तथा इसके निहितार्थों का भी आप अध्ययन करेंगे।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप

- विविधता को परिभाषित करते हैं;
- विविधता को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कारकों और उनके निहितार्थों की व्याख्या करते हैं;
- मातृभाषा तथा विद्यालय में अनुदेशन के माध्यम के बीच के अन्तर पर परिचर्चा करते हैं;
- बच्चों के विकास पर लिंग और जातिगत रूढ़ियों के प्रभावों का वर्णन करते हैं; और
- अधिगम में और खेलों में सभी की समतामूलक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर परिचर्चा करते हैं।

टिप्पणी

20.1 विविधता की समझ

आइए, एक कक्षाकक्ष से आरम्भ करें जहाँ अध्यापक द्वारा कक्षा में होने वाले शिक्षण और अधिगम को विभिन्न परिवारों द्वारा विभिन्न उत्सवों के अवसर पर खाये जाने वाले भोजन से सम्बद्ध किया जा रहा है।

कक्षाकक्ष का दृश्य–

आज सीमा बहुत उत्साहित है और लग रहा है कि वह अपनी अध्यापिका द्वारा दिए गए कक्षाकार्य पर ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम नहीं है। वह बेसब्री के साथ आज दोपहर के भोजनावकाश की प्रतीक्षा कर रही है क्योंकि पूरी कक्षा के साथ अपने पसंदीदा त्योहार के भोजन और त्योहार से सम्बन्धित विवरण साझा करने की आज उसकी बारी है। इस प्रकार उसके अध्यापिका ने भोजन पर आधारित पाठ को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से सम्बद्ध किया। अध्यापिका ने विद्यार्थियों को इस तथ्य के प्रति संवेदनशील बनाने का भी प्रयास किया कि विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न लोग त्योहारों और विशेष अवसरों पर अलग-अलग प्रकार के भोज्यपदार्थों को देते हैं और स्वयम् खाते भी हैं।

आइए, अब हम कक्षाकक्ष के दृश्य पर प्रकाश डालते हैं।

- क्या कक्षा के सभी बच्चे इस गतिविधि में शामिल हो रहे हैं?
- क्या अध्यापिका बच्चों को कक्षा में उपस्थित विविधता के प्रति संवेदनशील बनाने में सक्षम है?

20.1.1 विविधता को परिभाषित करना

अँग्रेजी भाषा के 'डाइवर्सिटी' (diversity) शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 'डायवर्सस' (diversus) शब्द से हुई है जो कि भिन्नता की ओर संकेत करता है। डायवर्स का अर्थ है ''एक-दूसरे से भिन्न'' और ''अलग-अलग विशेषताओं, गुणों या तत्वों से बना हुआ''। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला विशाल देश होने के नाते भौतिक विशेषताओं और सांस्कृतिक प्रतिमानों के अनगिनत प्रकार प्रस्तुत करता है। नस्ल, धर्म, जाति, भाषा आदि के सम्बन्ध में देखा जाए तो यह विविधता की भूमि है। विद्यालय में हम नस्ल, लिंग, आयु और सामाजिक स्तर के विभिन्न अस्तित्व देखते हैं। अत: हमें कक्षाकक्ष में इसके बारे में बताने के लिए तैयार होने की जरूरत है। पाठ के आरम्भ में जिस प्रकरण पर चर्चा की गयी उसमें सीमा की अध्यापिका द्वारा सांस्कृतिक और क्षेत्रीय भिन्नताओं की ओर ध्यानाकर्षित करने के लिये त्योहारों के भोजन को साझा करने के अभ्यास की जो पहल की गयी वह पाठ्यक्रम को दैनिक जीवन से सम्बद्ध करने के अतिरिक्त बच्चों को उनके साथियों के बीच उपस्थित विविधता के प्रति जागरूक बनाने के लिये की गयी एक सामान्य पहल है।

इसलिए विविधता में दृश्य और अदृश्य कारक समाहित है जिनमें व्यक्तिगत विशेषताएँ जैसे सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, संस्कृति, व्यक्तित्व और कार्यशैली सम्मिलित हैं।

संक्षेप में, भिन्नताओं या अनूठी विशेषताओं के प्रति पूर्वाग्रह के बिना 'विविधता' शब्द अनूठेपन और भिन्नताओं की ओर संकेत करता है। व्यक्ति का मूल चाहे जो भी हो (नस्ल, जाति, भाषा आदि कुछ भी हो) विविधता व्यक्तिगत भिन्नताओं को मान्यता देती है, स्वीकार करती है और आदर भी प्रदन करती है।

विद्यालय में विविध समूहों की उपस्थिति सुरक्षित, सकारात्मक और पोषणीय वातावरण में पारस्परिक अधिगम, अन्वेषणों तथा उत्सव मनाने के अवसर प्रदान करती है। विविधता को विविध समूहों के सदस्यों के अनूठेपन और विशेषताओं के संग्रह के रूप से भी समझा जा सकता है। जो व्यक्ति चिन्तन, व्यवहार तथा कार्य में हमसे अलग हैं, उनके साथ कार्य करने के लिये विविधता को समझना महत्वपूर्ण है।

20.2 विविधता को बढ़ावा देने वाले कारक और उनके अधिगम संबंधी निहितार्थ

बहुत बारीकी और सही तरीके से गुँथी हुई विभिन्न संस्कृतियों की विशाल संख्या भारत की विविधता को विश्व के आश्चर्यों में से एक बनाती है। प्राय: जब लोग विविधता पर चर्चा करते हैं तब बातचीत धर्म और जाति पर ही केन्द्रित होती है। हालाँकि विविधता के बारे में सूक्ष्मता से बात करने के लिये, विशेष रूप से कक्षाकक्ष के सन्दर्भ में हमें और अधिक कारकों को स्वीकार करने की जरूरत है जैसे कि:

- नस्ल
- बहुभाषिकता
- नृजातीयता
- लिंग
- सामाजिक-आर्थिक स्तर
- आयु
- शारीरिक गतिविधियों के स्तर
- धार्मिक विश्वास
- अधिगम-शैली

ऊपर दी गयी सूची सम्पूर्ण नहीं है। इसमें और बहुत से कारकों को जोड़ा जा सकता है। आइए, अब हम समझते हैं कि इनमें से प्रत्येक कारक विविधता कैसे उत्पन्न करता है और हमारे विद्यालय और कक्षाकक्ष के वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है?

नस्ल : नस्ल शारीरिक विशेषताओं जैसे-ऊँचाई, भार, आँखों के रंग, त्वचा आदि के आधार पर और साथ ही साथ सामाजिक व्यवहारों, मानकों, रीति-रिवाजों और प्रथाओं के आधार पर मानव-जाति का विभाजन है। यह एक वर्गीकरण प्रणाली है जिसे मनुष्य प्रजाति को शरीर-संरचना

या शारीरक गठन के सम्बन्धित शरीर-रचना की विशेषताओं के द्वारा पृथक जनसंख्या या समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। यह अधिकांशतः वंशानुगत होता है और अभिभावकों द्वारा उनके बच्चों को स्थानान्तरित होता है। ये परिवर्तन भौगोलिक, ऐतिहासिक, भाषायी या धार्मिक सम्बन्धों के कारण से होते हैं।

गतिविधि 20.1

क्या आप अपने से अलग नस्ल के बच्चों के साथ हुई मुलाकात को याद कर सकते हैं? क्या आपने अपने और उनमें किसी प्रकार की समानता या अन्तर को देखा?

विभिन्न शारीरिक विशेषताओं वाले बच्चे कक्षा-कक्ष में होने वाली प्रक्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं कर सकते लेकिन कक्षा की गतिशीलता के लिये इनके निहितार्थ हो सकते हैं। जैसे कि लम्बे बच्चे प्रायः खेलकूद के लिये चयनित किये जाते हैं, गोरे रंग के बच्चे अपेक्षाकृत अधिक प्रशंसात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त करते हैं जबकि एक विशिष्ट रंग या आँखों के आकार वाले सरलता से दूसरों के द्वारा स्वीकृत नहीं किये जा पाते। राजा, रानी या परी के अभिनय के लिए गोरे रंग का बच्चा एक अध्यापक की पहली पसन्द होना अन्य बच्चों के मन में इस विचार का निर्माण कर सकता है कि राजा, रानी या परी गोरे रंग के होते हैं। यह रूढ़िबद्धता को जन्म देता है जो कि नहीं होना चाहिए। शारीरिक विशेषताओं में विविधता नस्ल से सम्बन्धित होती है जो कि एक प्राकृतिक घटना है और इसे स्वीकार किये जाने की जरूरत है।

जाति : भारत में जाति जन्म से निर्धारित वर्गीकरण की एक प्रणाली है। जाति को कठोर सामाजिक श्रेणियों की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि रिवाजों, कानून या धर्म द्वारा अनुमोदित वंशानुगत स्तर और सामाजिक बाधाओं से निर्मित है। भारतीय सन्दर्भ में जाति एक ऐसे सामाजिक समूह की ओर संकेत करता है जिसकी सदस्यता जन्म से निश्चित होती है। जाति-समूह के सदस्य प्रायः अन्तर्विवाही होते हैं जो कि आपस में ही विवाह के लिये उन्मुख होते हैं। जाति को मुख्यतः निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है–

- अनुसूचित जाति
- अनुसूचित जनजाति
- अन्य पिछड़ा वर्ग
- अगड़ा वर्ग

सामाजिक रूप से जाति-प्रणाली में सामाजिक समूहों (जाति) के रूप में ऐसा विभाजन शामिल है जिसमें कर्तव्य और अधिकारों का निर्धारण जन्म से होता है जहाँ लचीलापन होना कठिन है। विभिन्न जातियों में बुनियादी अधिकार और कर्तव्य दोनों ही असमान और अधिक्रमिक हैं।

विद्यालय शिक्षा का स्थान है जहाँ समानता और समता को प्रचारित करना चाहिए और जाति आधारित भेदभाव को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। मध्याह्न-भोजन के वितरण के दौरान, बैठने की व्यवस्था में, बच्चों की अधिगम-गतिविधियो में, सहभागिता में विद्यालयों को भेदभाव से जुड़ कुछ मुद्दें का सामना करना होता है। विद्यालय-स्थल से सम्बन्धित एक अन्य परिस्थिति

टिप्पणी

देखने में आती है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि जहाँ विद्यालय स्थापित किया जाना है वह स्थान यदि निम्न जाति के लोगों के निवास-स्थान के निकट है तब उच्च जाति के लोग अपने बच्चों को वहाँ भेजने के इच्छुक नहीं भी हो सकते हैं। इसके विपरीत परिस्थिति में, उच्च जाति के लोगों के निवास-स्थान के निकट स्थित विद्यालयों में पढ़ने में निम्न जाति के बच्चे शर्म, हतोत्साह और संकोच महसूस कर सकते हैं।

बहुभाषिकता : भारत में प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा है। यह केवल उच्चारण मात्र नहीं है बल्कि यह बोली है जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदल जाती है। बहुभाविकता एक वक्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से या वक्ताओं के समूह द्वारा विभिन्न भाषाओं का उपयोग करना या उपयोग को प्रोत्साहन देना है। एक से अधिक भाषाओं मे बोलने की योग्यता को वैश्विक स्तर पर आदर और सम्मान प्राप्त होता है। आजीविका की खोज में लोगों की गतिशीलता में वृद्धि के साथ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बच्चे जो कि विभिन्न भाषायें बोलते हैं एक-दूसरे के साथ अध्ययन पूर्ण कर रहे हैं। शिक्षा के अधिकार के साथ सभी बच्चो के विद्यालय आने की आशा की जाती है। कई बार देखने में आता है कि मातृभाषा और विद्यालय की भाषा में अन्तर के कारण बच्चों को कक्षा में हो रहे शिक्षण को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। अधिगम केवल तब ही प्रभावी हो सकता है जब विद्यालय में अनुदेशन का माध्यम तथा घर में प्रयुक्त भाषा समान हो। तभी विद्यालय छोड़ने वालों की दर में कमी आयेगी। अध्यापकों द्वारा मातृभाषा को आदर और स्वीकृति देते हुए विद्यालय में अनुदेशन की भाषा और मातृभाषा के बीच के विभाजन को धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए और दूसरी तथा तीसरी भाषा के अधिगम को सुविधाजनक बनाने में पहली भाषा की सामर्थ्य को आधार बनाया जाना चाहिए।

हम सभी सम्प्रेषण के लिये भाषा का उपयोग करते हैं लेकिन जो व्यक्ति ठीक तरह से सुन नहीं पाते हैं वे सम्प्रेषण हेतु सांकेतिक भाषा (sign language) का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार दृश्यता-सम्बन्धी कठिनाई वाले लोग लिखने के लिये और नोट्स लेने के लिये ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देश की किसी अन्य भाषा के समान ही बहुभाषिकता का एक अन्य आयाम सम्प्रेषण के माध्यम के रूप में सांकेतिक भाषा और ब्रेल लिपि को आदर और महत्व देना है।

नृजातीयता : नृजातीयता एक समान क्षेत्रीय और सांस्कृतिक परम्पराओं के सामाजिक समूह की सदस्यता का संकेत करती है। यह कारक पाठ्य-पुस्तकों, पाठ्यचर्या, शिक्षणशास्त्र के साथ ही साथ विद्यालय के दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों को अत्यधिक प्रभावित करता है। प्रत्येक नृजातीय समूह की अपने रीति-रिवाज, कला एवं कलाकृतियाँ, वस्त्र-विन्यास शैली आदि होती है। इन समूहों से आने वाला बच्चा कक्षाकक्ष में विविध और समृद्ध अनुभवों को लाता है जोकि उसके साथियों के अनुभवों को भी समृद्ध बनाता है। इन स्थानीय रीति-रिवाजों और परम्पराओं का शिक्षा-प्रणाली पर सीधा असर पड़ता है। पाठ्य-पुस्तकें, पाठ्यक्रम, विद्यालय के कार्य दिवस, अवकाश-निर्धारण, विद्यालय-अवधि, अनुदेशन का माध्यम इत्यादि नृजातीयता से प्रभावित होते हैं। यह महत्वपूर्ण भी है कि पाठ्यक्रम और कक्षाकक्ष की प्रतिदिन की दिनचर्या में सांस्कृतिक कला एवं कलाकृतियों की विस्तृत श्रृंखला को एकीकृत किया जाए।

विद्यालय प्रशासन और अध्यापकों को उन तरीकों और साधनों को खोजने की जरूरत है जोकि

सभी नामांकित बच्चों के अधिगम-अनुभवों को सुविधाजनक बनाए और उनकी नृजातीयता को मान्यता दे।

कक्षाकक्ष में बच्चों को विभिन्न नृजातीय समूहों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए अध्यापक विशेष त्योहारों, भोजन-दिवस, देश-दिवस, कहानी-दिवस का आयोजन कर सकते हैं, अभिभावकों को निमन्त्रित कर सकते हैं और गतिविधि-पत्रक दे सकते हैं।

लिंग : आम आदमी लिंग को महिला और पुरूष के रूप में समझता है। एक लड़का या लड़की के सम्बन्ध में सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान के रूप में लिंग को समझने की जरूरत है। सेक्स एक ऐसा शब्द है जो कि लिंग के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है और प्राय: लिंग के स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। सेक्स एक जैविक विशेषता है जबकि लिंग एक सामाजिक विशेषता है। सेक्स की जैविक विशेषता जीन्स, हार्मोन्स तथा स्त्री-पुरूष प्रजनन अंगों के द्वारा निर्धारित होती है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान के रूप में लिंग को समझने में अपेक्षित सामाजिक विशेषताओं और लड़का या लड़की से अपेक्षित व्यवहार को समझने की जरूरत है। बच्चों की खिलौनों की वरीयता पैतृक रूप से उनके लिंग के प्रकार पर निर्भर करती है जैसे कि लड़कियाँ गुड़ियों के साथ खेलती हैं और लड़के खेलकूद में भाग लेते हैं। भारतीय सन्दर्भ में, माता-पिता दोनों ही लिंग आधारित भूमिका को अपने बच्चों में प्रोत्साहित करते हैं। लिंग की मूलभूत पहचान आमतौर पर तीन वर्ष से बनती है। इसके बाद इसे बदलना बहुत कठिन है और इसे बदलने का प्रयास कठिन हो सकता है। जैविक और सामाजिक दोनों ही कारक इसे प्रभावित करते हैं।

लड़के और लड़की के साथ व्यवहार में अन्तर समाज में उनकी अपेक्षित भूमिका के प्रति उनको संवेदनशील बनाता है। वे भूमिकाएं लिंग के बीच अवसरों की समानता को हमेशा बढ़ावा नहीं दे सकती हैं। कक्षाकक्ष में बालिकाओं की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति न केवल शिक्षण-अधिगम-प्रक्रिया को प्रभावित करती है बल्कि प्रशासन के सामने बालिकाओं के लिए भौतिक आधारभूत ढाँचे में सुविधाओं की व्यवस्था की माँग भी प्रस्तुत करती है। इसका सबसे बड़ा प्रकटीकरण उनके लिए अलग शौचालय का प्रावधान एवं लिंग-संवेदी मुद्दों में केन्द्र के मानव-संसाधन का विशेष प्रशिक्षण है।

शिक्षण-अधिगम-प्रक्रिया में ऐसा संशोधन वांछित है जिसमें ऐसी अधिगम परिस्थितियों का निर्माण सम्मिलित है जहाँ दोनों लिंगों की समान सहभागिता सम्मिलित हो। इसी प्रकार ईसीसीई केन्द्र में जब बच्चों को शारीरिक सक्रियता हेतु प्रोत्साहित किया जाए तब अध्यापकों को ध्यान रखना चाहिए कि दौड़ने, चढ़ने, बैट-बॉल या फुटबाल आदि के साथ खेलने जैसी गतिविधियों में बालिकाओं की समान सहभागिता हो और गुड़ियों, किचन-सेट तथा गुड़िया-घरों के साथ खेलने में बालकों को शामिल किया जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के जो वर्ग हाशिये पर हैं, उनकी बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने की दर गम्भीर है। विद्यालयों को सुनिचित करना चाहिए कि बच्चियाँ सम्मान और सुरक्षा का अनुभव

करें। यदि बालिका विकलांग है, किसी समस्या में है या वंचित अथवा कमजोर वर्ग से सम्बन्धित है तब उसे दुगने या तिगुने भेदभाव का सामना करना होता है। पहला क्योंकि वह बालिका है, दूसरा कि वह विकलांग है या समस्या में है और अन्तिम यह कि वह वंचित या कमजोर समुदाय में जन्मी है, इस प्रकार स्थिति और बिगड़ जाती है।

सामाजिक-आर्थिक स्तर

सामाजिक-आर्थिक स्तर कक्षाकक्ष में विविधता के लिए उत्तरदायी महत्वपूर्ण कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक है। जो निम्न या उच्च सामाजिक-आर्थिक समूहों से सम्बन्धित हैं उन्हें पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यक्रम और कक्षाकक्ष की गतिविधियों में उचित स्थान दिये जाने की जरूरत है। सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। स्कूली बच्चों के लिए वेशभूषा सम्भवतः इसी दार्शनिक मान्यता के साथ आरम्भ की गयी थी।

सामाजिक-आर्थिक स्तर के कारण विविधता उन ईसीसीई केन्द्रों में और अधिक स्पष्ट हो जाती है जहाँ बच्चों से वेशभूषा में आने की आशा नहीं होती और वे कोई भी, घर में पहनने वाले या घर के कपड़े पहनने के लिये स्वतंत्र होते हैं। बच्चों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों में विविधता परिवार के आर्थिक और सामाजिक स्तर की ओर बहुत अधिक संकेत करती है। विद्यालय में बच्चों के बस्ते और लेखन-सामग्री (ज्यामितीय बॉक्स, खाने का डिब्बा, पेन्सिल, चित्र बनाने का सामान आदि) के लिये भी यह बात सही है। सामाजिक-आर्थिक स्तर के कारण विविधता को शिक्षण-अधिगम संसाधन के रूप में उपयोग में इस प्रकार लाया जा सकता है कि हर बच्चा कक्षाकक्ष में अपने साथ अपने अनुभवों को लाता है जिन्हें पढ़ाने और सिखाने में साझा किया जा सकता है और उपयोग में लाया जा सकता है।

पाठगत प्रश्न 20.1

निम्नलिखित की एक वाक्य में व्याख्या कीजिए–

(क) जाति

(ख) नस्ल

(ग) बहुभाषिकता

(घ) नृजातीयता

(ङ) लिंग

शारीरिक अशक्तता : शारीरिक अशक्तताओं का सम्बन्ध ऐसी क्षति से है जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक गतिविधियाँ कुछ सीमित हो जाती हैं। अशक्त बच्चों को शेष समूह के साथ शिक्षण-अधिगम गतिविधियों में सम्मिलित न किये जाने के लिए इन्हें बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कक्षाकक्ष में अशक्त बच्चों की उपस्थिति शिक्षक और साथ ही साथ विद्यालय प्रशासन को व्यावसायिक तौर पर विकसित होने के अवसर प्रदान करती है।

टिप्पणी

शिक्षणशास्त्र में थोड़े से संशोधनों के साथ शारीरिक अशक्तता वाले बच्चों को कक्षाकक्ष की गतिविधियों में सरलता से सम्मिलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कविता के समय के दौरान यदि अध्यापक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है तब श्रवण दोष वाले बच्चों को भी गतिविधि में सम्मिलित किया जा सकता है। यह उनमें लय की समझ और अपनेपन को बढ़ावा देगा। दृष्टि दोष वाले बच्चों को ऐसा रंगने वाला पत्रक देकर रंगों से सम्बन्धित गतिविधियों में सरलता से शामिल किया जा सकता है जिसमें विभिन्न आकृतियों स्पर्शनीय हो और उन आकृतियों की सीमाएँ छोटी-छोटी लकड़ियों, धागे या किसी वस्तु को चिपकाकर बनायी गयी हो (उदाहरण के लिए वृत्त की आकृति के लिये चूड़ी)।

अध्यापक अभिभावकों से सामान्य शब्दों जैसे नहीं, हाँ, मैं चाहता हूँ, मैं पसन्द करता हूँ, मुझे जरूरत है, इत्यादि के लिये घरों में उपयोग में लाये जाने वाले संकेतों को भी सीख सकते हैं। कक्षाकक्ष में ये संकेत फ्लैश कार्ड या चित्रों के साथ प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिन्हें बच्चे अध्यापक और साथियों के साथ सम्प्रेषण के दौरान उपयोग में ला सकते हैं। सम्प्रेषण को सुविधाजनक बनाने के लिये एक सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ या विशिष्ट अध्यापक से भी सलाह ली जा सकती है।

अशक्त बच्चों के साथ व्यवहार करते समय हमारे शब्द और हमारा उन्हें सम्बोधित करने का तरीका बहुत महत्व रखता है। अशक्तता के प्रकार से पहले बच्चा शब्द का प्रयोग करना हमेशा ही उचित है। उदाहरण के लिए स्वालीन बच्चा कहने के स्थान पर 'बच्चा स्वालीनता के साथ' कहा जाए। कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं :

'अशक्त बच्चे' के स्थान पर 'बच्चा अशक्तता के साथ' प्रयोग करें।

मानसिक रूप से मंद, मंद, जड़बुद्धि, मूर्ख इत्यादि के स्थान पर 'बच्चा बौद्धिक अशक्तता के साथ' प्रयोग करें।

'व्हील चेयर से बँधा हुआ' या 'व्हील चेयर तक सीमित' के स्थान पर 'बच्चा व्हील चेयर के साथ' प्रयोग करें।

'दृष्टिहीन बच्चे' के स्थान पर 'बच्चा दृष्टिहीनता के साथ' प्रयोग करें।

धार्मिक विश्वास : धार्मिक विश्वास ऐसे विश्वासों की ओर संकेत करता है जो कि ईश्वर, मानवता के निर्माण, अनुष्ठानों, उत्सवों आदि से सम्बन्धित हैं। सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त हैं। सम्भवतः भारत संसार का ऐसा अकेला देश है जो कि अनेक धर्मों जैसे– हिन्दू, इस्लाम, ईसाई, सिक्ख, जैन, बौद्ध, पारसी आदि का घर है। बहुत से लोगों के लिये धर्म उनके दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धार्मिक मूल्य, विश्वास, प्रथाओं आदि को बच्चे के परिवार द्वारा ही सिखाया जाता है।

बच्चे घर और समुदाय से धार्मिक रिवाजों के अपने अनुभव कक्षाकक्ष तक लाते हैं। बच्चों को इन भिन्नताओं को स्वीकार करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए बल्कि इन भिन्नताओं की प्रशंसा भी की जानी चाहिए। प्रत्येक धर्म का अपना उत्सवों का समूह होता है जिसे उनके विशिष्ट अनुष्ठानों तथा सजावट द्वारा पहचाना जा सकता है। धार्मिक विश्वासों में उपस्थित

विविधता अध्यापक को धर्मनिरपेक्षता के विचार को बढ़ावा देने का और बच्चों को यह पढ़ाने का अवसर प्रदान करती है कि सभी धर्म समान हैं तथा सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्हें कला, कविता, कहानी द्वारा या फिर मौखिक रूप से आत्माभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने की जरूरत है। कक्षाकक्ष में विभिन्न धर्मों के प्रमुख त्योहार पर निम्नलिखित सन्दर्भों में चर्चा की जा सकती है–

- कब आयोजित जाता है?
- कैसे आयोजित किया जाता है?
- कौन-सा विशेष भोजन तैयार किया जाता है?
- आयोजन में उनकी क्या भूमिका होती है?
- आयोजन के दौरान वे कैसा महसूस करते हैं?

गतिविधि 20.2

अपने पड़ोस का एक विविधता प्रोफाइल तैयार कीजिए। इसे तैयार करने में निम्नलिखित प्रारूप उपयोगी हो सकता है।

विविधता के कारक	परिवारों की संख्या
नस्ल	
नृजातीयता	
लिंग	
धर्म	

संज्ञानात्मक शैली : यह अधिगम को आत्मसात करने और शैक्षणिक हस्तक्षेपों के प्रति बच्चों की प्रतिक्रियाओं के तरीकों में भिन्नताओं की ओर संकेत करता है। प्रत्येक बच्चे की अधिगम की एक विशेष शैली होती है जो कि उसने अपने व्यक्तित्व और मिलने वाले अवसरों के साथ-साथ सीखने के संसाधनों तक उसकी पहुँच पर निर्भर होती है। संज्ञानात्मक शैली में भिन्नता कक्षा में विविधता लाती है और शैक्षणिक प्रशासकों के साथ-साथ अध्यापकों के लिए इसके अपने निहितार्थ हैं। कक्षाध्यापक को कक्षा में सभी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली शिक्षण विधियों को अपनाया चाहिए। विभिन्न अधिगम शैलियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए किसी प्रत्यय का शिक्षण करना पूरी कक्षा को लाभ पहुँचाता है। इसके लिए एक ही बात को सिखाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, परिणामस्वरूप पुनर्बलन देना तथा और अच्छे तरह से सीखने को बढ़ावा देना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, एक कहानी सुनाते समय सुनाने के साथ एक कहानी की पुस्तक का उपयोग कर सकता है। यह श्रवण अधिगमकर्ता (सुनकर सीखने वाले) तथा दृश्य अधिगमकर्ता (देखकर सीखने वाले)

दोनों प्रकार के अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को पूर्ण करेगा। श्रवण अधिगमकर्ता सुनने का आनन्द लेंगे जबकि दृश्य अधिगमकर्ता पुस्तक के शब्दों और चित्रों का वर्णन के साथ आनन्द उठायेंगे।

कक्षा-कक्ष की विविधता के शैक्षिक और सामाजिक एवं संवेगात्मक दोनों प्रकार के लाभ हैं। बच्चों के लिये अध्यापकों को विविध अधिगम अवसरों के निर्माण को महत्व देना चाहिए जिससे कि बच्चों को विविध अनुभव मिल सकें। यह उनके विकास पर प्रभाव डालेगा और समाज को भी अत्यधिक प्रभावित करेगा।

पाठगत प्रश्न 20.2

बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सत्य हैं या असत्य–

(क) बच्चों को उनके धार्मिक विश्वासों को साथियों के सामने अभिव्यक्त करने या उनके साथ साझा करने के लिये हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

(ख) हर बच्चे का अपना एक सीखने का तरीका होता है।

(ग) श्रवण अधिगमकर्ता कहानियाँ सुनने में आनन्द लेते हैं।

(घ) बच्चे समूह में परिचर्चाओं और वाद-विवाद द्वारा सीखते हैं।

(ङ) बच्चे अपने धार्मिक रिवाजों के अनुभव विद्यालय से घरों को ले जाते हैं।

20.3 मातृभाषा और विद्यालयी भाषा के मध्य विभाजन

भारत एक बहुभाषी देश है और संविधान भारत की बहुभाषिक प्रकृति की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भाषायी विविधता के सन्दर्भ में यहाँ अनेक भाषाएँ और बोलियाँ हैं। मातृभाषा और विद्यालयी भाषा का विभाजन उस परिस्थिति की ओर संकेत करता है जहाँ विद्यालय के अनुदेशन का माध्यम घर में प्रयोग में लायी जाने वाली भाषा से अलग है। उदाहरण के लिए, विद्यालय अनुदेशन के माध्यम के रूप में अँग्रेजी का उपयोग कर सकता है जबकि बच्चा और उसका परिवार एक-दूसरे के साथ तथा पड़ोसियों से सम्प्रेषण हेतु तमिल का उपयोग करते हों।

घर और विद्यालय के बीच विभाजन के कारण हो सकते हैं:

- परिवार देश के एक भाग से दूसरे भाग में जाकर रहने लगे।
- क्षेत्र में अनुदेशन के माध्यम के रूप में मातृभाषा का उपयोग करने वाले विद्यालय की उपलब्धता न हो।
- स्थानीय बोली को विद्यालय में आवश्यक महत्व न मिलता हो।
- प्रथम पीढ़ी का अधिगमकर्ता होना (ऐसा बच्चा जिसके परिवार में पहले किसी ने शिक्षा न पायी हो)।
- अध्यापक विभिन्न भाषायी पृष्ठभूमि के हों।

टिप्पणी

20.3.1 बच्चों पर मातृभाषा और विद्यालयी भाषा के मध्य विभाजन का प्रभाव

- साथियों को मित्र बनाने में समर्थ न होना।
- शैक्षणिक कार्यों में अच्छे अंक लाने/उपलब्धि में/निष्पादन में समर्थ न होना।
- बार-बार असफलता और खराब प्रदर्शन के कारण आत्म-सम्मान में कमी आना और विद्यालय छोड़ने की दर उच्च होना।
- निम्न आत्म-विश्वास।
- विद्यालय और शैक्षणिक कार्यों से लगाव में कमी।
- पढ़ने, लिखने और अभिव्यक्ति में समर्थ न होना।
- बच्चों के विद्यालय में नामांकन तथा सफलता की सम्भावना का कम होना।
- अभिभावकों में उनके बच्चों की अधिगम-प्रक्रिया में सहभागिता में सम्भावना का कम होना है।
- बच्चों में उनकी अपनी पहचान और विरासत के प्रति गर्व का अभाव।

एनसीएफ 2005 भारतीय समाज की बहुभाषी प्रकृति का सम्मान करता है और सुझाव देता है कि इसे बच्चे में बहुभाषी प्रवीणता को बढ़ावा देने वाले संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। आदिवासी सहित सभी भाषाओं के साथ-साथ अँग्रेजी को समान महत्व दिया जाना चाहिए। छोटे बच्चे और विद्यालय के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सभी मातृभाषाओं को महत्व दिया जाता है। प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के मामले में आरम्भिक वर्षों में शिक्षण मातृभाषा में होना चाहिए और दूसरी तथा तीसरी भाषा को सीखने के लिये कम दबाव होना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि घर पर इन भाषाओं को सीखने के लिये कोई सहायता न मिले।

इस तरह के विभाजन की अनुपस्थिति इंगित करती है:

- विद्यालयी शिक्षा मनोरंजक और आनन्ददायी अनुभव बन जाता है।
- बच्चों के आत्म-विश्वास में वृद्धि होती है।
- बच्चे विद्यालयी अनुभवों के साथ जुड़ पायेंगे और इस कारण से 'मेरा विद्यालय' की एक अपनेपन की भावना विकसित होगी।
- साथियों के साथ मित्रता होती है जिससे सामाजिक समावेशन और अन्तर्क्रिया बढ़ती है।
- बच्चे अध्यापकों और अन्य लोगों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं।
- विद्यालय में अधिक देर तक रूकने की प्रवृत्ति का विकास होता है।
- बच्चे बाहरी दुनिया से सम्बन्ध बनाने में सक्षम होते हैं।
- शिक्षा की पहुँच बढ़ती है।

- प्राथमिक विद्यालय की अवधि में बेहतर अधिगम प्रतिफल।
- स्थानीय भाषाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण में सहायता मिलती है।

प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा को अनुदेशन के माध्यम के रूप में अपनाकर मातृभाषा और विद्यालयी भाषा के बीच के अन्तर को एक बड़ी सीमा तक कम किया जा सकता है और धीरे-धीरे मातृभाषा से हटते हुए दूसरी और तीसरी भाषा सीखना आरम्भ करना चाहिए। स्थानीय कहानियाँ, गीत, चुटकुले और पहेलियाँ, कला आदि स्थानीय समुदायों के समृद्ध सांस्कृतिक संसाधन हैं जिन सभी का उपयोग भाषा और ज्ञान की समृद्धि के लिये किया जा सकता है।

पाठगत प्रश्न 20.3

सही विकल्प का चयन करें और रिक्त स्थान भरें–

(क) प्री-स्कूल और प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा का उपयोग .... की कमी को बढ़ावा देगा। (धारण/ड्रापआउट्स)

(ख) प्री-स्कूल में मातृभाषा का उपयोग .... की भावना को बढ़ावा देने में सहायता हेतु महत्वपूर्ण है। (गर्व/अपनेपन)

(ग) यदि भोजपुरी अनुदेशन का माध्यम हो और अभिभावक घर पर अँग्रेजी बोलते हों तब यह स्थिति घर और विद्यालय के मध्य .... की होगी। (भाषायी विभाजन/भाषायी एकता)

(घ) मातृभाषा वह भाषा है जो .... पर बोली जाती है। (घर/विद्यालय)

(ङ) अनुदेशन का माध्यम वह है जो .... में उपयोग की जाती है। (घर/विद्यालय)

20.4 बच्चों पर लैंगिक और जातिगत रूढ़ियों का प्रभाव

20.4.1 रूढ़ियाँ

सभी समाजों में रूढ़ियाँ विद्यमान होती हैं। रूढ़ियाँ एक समूह के लोगों के बारे में निश्चित विचार या मान्यताएँ हैं। ये निश्चित विचार पर रूढ़ियाँ या मान्यताएँ जरूरी नहीं है कि सही हों या सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत हों। कई बार हम एक-दूसरे को कैसे समझें यह लोगों के बारे में निश्चित लक्षणों जैसे– नस्ल, लिंग, आयु, जाति, धर्म आदि पर आधारित अति सरलीकृत मान्यताओं के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति ऐसे समूह से आता है जिसके बारे में कोई रूढ़ि बनी हुई है तो उस व्यक्ति में उस रूढ़ि के लक्षणों के होने की आशा की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक निश्चित जाति के कुछ लोगों से मिलते हैं एवं बातचीत करते हैं और उनमें कुछ लक्षण और आदतें दिखाई देती हैं तब हम एक विश्वास विकसित करते हैं कि इस जाति में यह लक्षण होते हैं जबकि यह सभी सदस्यों के लिये सही नहीं हो सकता है। रूढ़िवादी विश्वास कठोर होते हैं लेकिन समय के साथ वे बदलते हैं और बदल जाते हैं। रूढ़ियाँ हमेशा स्वाभाविक रूप से नकारात्मक ही नहीं होती लेकिन क्योंकि वे

ऐसी मान्यताएँ हैं जो व्यक्ति की व्यक्तिगत और जन्मजात योग्यताओं, अवसरों और वातावरण की अवहेलना करती हैं इसलिए वे पूर्वाग्रह बनती जाती हैं। नकारात्मक रूढ़ियाँ विकल्पों और अवसरों को सीमित कर लोगों को उनकी सम्भावनाओं को पूरा करने की क्षमता में बाधा पहुँचाती हैं। ये प्रकट और अप्रकट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तथा बारबार होने वाले भेदभाव की जड़ में हैं।

20.4.2 लैंगिक रूढ़ियाँ

लैंगिक रूढ़ि का संबंध बालक और बालिकाओं के साथ जुड़े व्यवहार से सम्बन्धित है जो कि स्त्री और पुरुष की विशेषताओं के बारे में विश्वास का निर्माण करता है। स्त्री और पुरुष की रूढ़िबद्ध भूमिकाएँ और लोगों का किसी निश्चित जाति या प्रकार के होने के विचार को मीडिया द्वारा गीतों, फिल्मों, विज्ञापनों आदि के द्वारा और अधिक दृढ़ बनाया जाता है। समाज द्वारा स्त्री और पुरुष में जिन विशेषताओं की आशा की जाती है उनके उदाहरण निम्नलिखित सूची द्वारा दिये गये हैं–

स्त्री	पुरुष
निर्भर	स्वतन्त्र
कमजोर	शक्तिशाली/मजबूत
कम महत्वपूर्ण	अधिक महत्वपूर्ण
संवेगात्मक	तार्किक
कार्यान्वयन–कर्ता	निर्णयकर्ता
घर की देखभाल करने वाली, गृहणी	कमाने वाला
समर्थक	नेतृत्व कर्ता
भयभीत	बहादुर

अध्यापकों को किसी भी रूढ़िवादिता को बढ़ावा न देने और जो कोई उपस्थित हो उसकी पुष्टि के न करने के प्रति सचेत रहना चाहिए।

20.5 अधिगम तथा खेल में सभी की लिंग आधारित समतामूलक सहभागिता को प्रोत्साहन

लैगिक समानता को प्रोत्साहन देना विद्यालयों का उत्तरदायित्व है। वे इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों और प्रविधियों को अपना सकते हैं। केन्द्र पर नियोजित अधिगम तथा खेल सम्बन्धी सभी गतिविधियों का उद्देश्य इस लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए।

जिन कुछ विधियों को अपनाया जा सकता है, वे हैं :

टिप्पणी

20.5.1 उचित खिलौने/टीएलएम का चयन

प्राय: ईसीसीई केन्द्र खेल और खिलौनों पर बहुत निर्भर करता है। ये खिलौने लिंगानुकूल केन्द्र के निर्माण में सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। खिलौनों या खेल सामग्री द्वारा शिक्षण सम्बन्धी कौशलों में एक ईसीसीई अध्यापक को गहरी दिलचस्पी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक गेंद गत्यात्मक कौशलों के विकास तथा गोले के बारे में पढ़ाने के लिए उपयोगी में लायी जा सकती है। एक गुड़िया शरीर के अंगों के बारे में शिक्षण करने में सहायता करेगी। एक लिंग-संवेदी अध्यापक बच्चे के खेलने के लिए एक गुड़िया, एक कार या इमारत के ब्लॉक आदि का चयन प्रत्येक खिलौने द्वारा विकसित होने वाले कौशल के आधार पर करेगा न कि बच्चे के लिंग के अनुसार। अध्यापक लिंग-तटस्थ खिलौनों जैसे पहेलियों, ब्लॉक, मिट्टी आदि का चयन दोनों लिंगों के उपयोग और उनके साथ खेलने को प्रोत्साहित करने के लिए कर सकता है।

20.5.2 कहानी कथन

बच्चों को कहानियाँ सुनने और सुनाने में आनन्द आता है। कहानियाँ भाषा-विकास का एक अवसर प्रदान करती हैं और पाठ्यक्रम की विषयवस्तु को रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करतीं हैं। लिंग के प्रति समतामूलक एवं संवेदनशील कक्षाकक्ष के निर्माण में सावधानी के साथ चयनित कहानियाँ सहायता करेंगी। कहानी निर्धारित करते समय कहानी के पात्रों, कहानी में किस प्रकार विभिन्न लिंगों को चित्रित किया गया है और बालक तथा बालिकाओं की विशेषताओं का ध्यान देना चाहिए। क्या कहानी में सभी पुरुष घर के बाहर खेत, कारखाने या कार्यालय में कार्य कर रहे हैं? क्या सभी महिलाओं को गोरा और सुन्दर दर्शाया गया है? क्या परियाँ हमेशा बालिकाएँ होती हैं? क्या विशाल आकार के पुरुष सदैव खलनायक होते हैं? क्या बालिकाओं को हमेशा रसोई का काम करने वाली, गृहस्थी का काम करने वाली के रूप में दर्शाया गया है?

कहानी कहने के बाद पात्रों की विपरीत भूमिका से सम्बन्धित प्रश्न पूछकर बच्चों को परिचर्चा में सम्मिलित करना चाहिए। एक ऐसी कहानी सुनाएँ जिसमें पिता के स्थान पर माँ कार्यालय जाती हो और पिता खाना तैयार करता हो। माँ बाजार सामान लेने जाती हो और पिता घर की सफाई करता हो। माँ के अभिभावक परिवार के साथ रहते हों, आदि।

20.5.3 निष्पक्ष खेल को प्रोत्साहन

बालिकाओं को रसोई के सामान के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करने के स्थान पर सभी खिलौने ऐसे व्यवस्थित करें कि सभी बच्चों की सरलता से पहुँच में हों और विशेष लिंग के बच्चों को बताए बिना विकल्प चुनने की अनुमति प्रदान करें कि किसके साथ खेलना है और किसके साथ नहीं खेलना है। बच्चों को निर्णय लेने दें कि वे किसके साथ खेलना चाहते हैं। सभी बच्चों को रसोई के सामान, गेंद, झूले आदि के साथ खेलने के लिए सुनिश्चित समय प्रस्तावित करें। बाहर के खेलों जैसे क्रिकेट, हॉकी, खो-खो, कबड्डी, फुटबॉल आदि के लिए सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करें।

20.5.4 मित्रता को प्रोत्साहन

बच्चों को दोनों प्रकार के लिंगों के साथ मित्रता के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बालक और बालिका के एक साथ खेलने को अगर कोई वयस्क ''एक सुन्दर जोड़ा' कहता है तो यह मित्रता के लिये अनावश्यक तनाव, ध्रुवता (अपने ही लिंग की ओर झुकाव) और भ्रम उत्पन्न करने वाला हो सकता है। लिंग आधारित टोली-निर्माण के सरल तरीके के चयन के स्थान पर जिन टोलियों में बालक और बालिकाएँ दोनों हों ऐसे टोली आधारित खेल को प्रोत्साहित करें।

20.5.5 लिंग-आधारित कार्य-वितरण की उपेक्षा

दोपहर के भोजन के वितरण के समय या खिलौनों की व्यवस्था करते समय जब आपको स्वयंसेवकों की तलाश होती है तब बच्चों को कार्य हेतु स्वयंसेवा की अनुमति प्रदान करें। बालक भोजन और प्लेट्स के वितरण में रुचि प्रदर्शित कर सकते हैं और बालिकाएँ खिलौनों की व्यवस्था में। यदि आप लैंगिक विभाजन देखें तब आप लैंगिक समानता को एक अनुरोध के साथ प्रोत्साहित कर सकते हैं, जैसे– ''रोहित'', क्या तुम भोजन/प्लेट्स/चम्मच आदि को वितरित करने में मेरी सहायता करना चाहोगे? या ''टिन्नी'', क्या तुम खिलौनों को सुव्यवस्थित करने में मेरी सहायता करना चाहोगी?

पाठगत प्रश्न 20.4

नीचे सूचीबद्ध की गई प्रत्येक परिस्थिति में एक अध्यापक द्वारा लिंग की समतामूलक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के किसी एक तरीके की सूची बनाएँ–

(क) खिलौनों का चयन

(ख) कहानी कथन

(ग) उचित खेल

(घ) मित्रता

(ङ) कार्य वितरण

आपने क्या सीखा

- विविधता : अर्थ और महत्व
- भिन्नताओं को स्वीकार करना और प्रशंसा करना
- विविधता को बढ़ाने वाले कारक और अधिगम में उनके निहितार्थ
- नस्ल

- बहुभाषिकता
- नृजातीयता
- लिंग
- लैंगिक झुकाव
- सामाजिक-आर्थिक स्तर
- आयु
- धार्मिक विश्वास
- अधिगम शैली
- मातृभाषा और विद्यालयी भाषा का विभाजन
- बच्चों पर लैंगिक और जतिगत रूढ़ियों का प्रभाव
- अधिगम तथा खेल में सभी बच्चों के लिये लिंग की समतामूलक सहभागिता को प्रोत्साहन
  - खिलौने का चयन
  - कहानी कथन
  - निष्पक्ष खेल को प्रोत्साहन
  - मित्रता को प्रोत्साहन
  - लिंग-आधारित कार्य-वितरण की उपेक्षा

पाठान्त प्रश्न

1. विविधता शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने आस-पड़ोस के बच्चों में आपने कितने प्रकार की विविधता को देखा है? विविधता को बढ़ावा देने वाले मुख्य कारक कौन से हैं?
2. प्री-स्कूल में बच्चों की समतामूलक लैंगिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये आप कौन से कदम उठायेंगे?
3. बचपन के अनुभव सांस्कृतिक और लैंगिक मुद्दों से किस प्रकार प्रभावित होते हैं?
4. एक ईसीसीई केन्द्र के लिये बहुभाषिकता के क्या निहितार्थ हैं? बहुभाषिकता के कारण उत्पन्न विविधता को स्वीकार करने और सम्मान देने के तरीकों की सूची बनाइए।
5. आदिवासी बच्चों के मध्य कार्य करते समय आपके द्वारा मातृभाषा और विद्यालयी भाषा के बीच के विभाजन को दूर करने के लिये कौन-से कदम उठायेंगे?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

20.1

(क) **जाति** : यह जन्म के आधार पर वर्गीकरण की एक प्रणाली है।

(ख) **नस्ल** : नस्ल शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मानव-जाति का विभाजन है।

(ग) **बहुभाषिकता** : व्यक्तिगत वक्ता या वक्ताओं के समूह द्वारा अनेक भाषाओं के उपयोग करने या उपयोग को प्रोत्साहन देना।

(घ) **नृजातीयता** : ऐसे सामाजिक समूह या सम्बद्धता जिसकी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक परम्पराएँ एक हों।

(ङ) **लिंग** : लिंग एक बालक या एक बालिका/पुरुष/स्त्री होने से सम्बन्धित सामाजिक, सांस्कृतिक पहचान की ओर संकेत करता है।

20.2

(क) असत्य

(ख) सत्य

(ग) सत्य

(घ) सत्य

(ङ) असत्य

20.3

(क) ड्रापआउट्स

(ख) अपनेपन

(ग) भाषायी विभाजन

(घ) घर

(ङ) विद्यालय

20.4

(क) **खिलौनों का चयन** : खिलौने द्वारा विकसित होने वाले कौशल के आधार पर खिलौने का चयन करें न कि बच्चे के लिंग के अनुसार।

(ख) **कहानी कथन** : कहानी में लिंगों के चरित्र की विशेषताओं पर ध्यान दें।

टिप्पणी

(ग) **निष्पक्ष खेल :** बच्चों को बिना उनके लिंग के सन्दर्भ के सभी गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करें तथा विकल्प चुनने की अनुमति प्रदान करें।

(घ) **मित्रता :** ध्रुवता से बचें और दोनों लिंगों के बीच मित्रता को प्रोत्साहन दें।

(ङ) **कार्य वितरण :** निश्चित लिंग के बच्चे को निश्चित कार्य करने के लिये न कहें। बच्चों को स्वयं चुनने दें और स्वयं कार्य करने दें।

सन्दर्भ

- Bharti. (2018). Making Primary Schools Inclusive Indian Perspective. New Delhi: Global Books Organisation.
- Disconnect of Home Language vs. School Language - schoolsnotfactories. (n.d.). Retrieved from https://sites.google.com/site/schoolsnotfactories/classroom-ideas/disconnect-of-home-language- vs-school-language
- Meena, K. (2015, June 7). Diversity Dimensions of India and Their Organization Implications: An Analysis. Retrieved from https://www.omicsonline.org/open-access/diversity-dimensions-of-india-and-their-organization-implications-an-analysis-2162-6359-1000261.php?aid=54873
- Ways You Can Promote Gender Equality In Your Classroom. (2019, September 19). Retrieved from https://www.teachthought.com/education/6-ways-can-promote-gender-equality-classroom/
- What is Diversity?: Understanding Diversity & its types in India. (2019, September 12). Retrieved from https://www.toppr.com/guides/civics/understanding-diversity/what-is-diversity/

टिप्पणी

21

समावेशन : अवधारणा एवं मान्यताएँ

भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और अवसरों की समानता का अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन ने छः से चौदह आयु वर्ग के बच्चों के लिए मूल अधिकार के रूप में निःशुल्क, अनिवार्य तथा सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता को दोहराया है। 93वें भारतीय संविधान-संशोधन के बिना किसी जाति, धर्म, वर्ग, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर छः से चौदह आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक मानवाधिकार बना दिया। इन्हें शिक्षा के अन्तर्गत लाने की जरूरत है। राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की नीति, 2013 बल देती है कि ''सभी बच्चों के समग्र विकास हेतु प्रसवपूर्व अवधि से लेकर छः वर्ष की आयु तक के सातत्य में एकीकृत सेवाएँ प्रदान की जाए। इस प्रकार देखभाल एवं प्रारंभिक अधिगम पर ध्यान देते हुए बच्चे की उत्तरजीविता, वृद्धि तथा विकास के लिए ठोस आधार सुनिश्चित करती है।'' (पृष्ठ. 1)

विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा समितियाँ सामान्य शिक्षा प्रणाली में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता वाले बच्चों की शिक्षा की निर्विलम्ब आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। वे बल देते हैं कि दिव्यांगता वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएँ सामान्य शिक्षा प्रणाली का अभिन्न भाग होनी चाहिए। यह राष्ट्रीय शिक्षा की नीति, 1986 के सन्दर्भ में है जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता की जरूरत को स्पष्ट करती है। यह इन बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य शिक्षकों के लिए पूर्व-सेवा प्रशिक्षण तथा सेवारत शिक्षकों के उन्मुखीकरण पर ध्यान आकर्षित करती है। यह व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रावधान, गम्भीर रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना तथा स्वयंसेवी संगठनों के प्रोत्साहन पर प्रकाश डालती है। यह शैक्षिक अवसरों की समानता की प्राप्ति तथा सामान्य बच्चों की तुलना में दिव्यांग बच्चों की गुणवतापूर्ण शिक्षा तक पहुँच हेतु विभन्न रणनीतियों और विभिन्न योजनाओं का सुझाव देती है। सरकार ने भी दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक विकास हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस पाठ में आप समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व तथा कक्षाकक्षीय अभ्यासों में इसके निहितार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप

- समावेशन को परिभाषित करते हैं;
- समावेशी शिक्षा के महत्व की व्याख्या करते हैं;
- समावेशी कक्षा में अपनायी जा सकने वाली रणनीतियों की सूची बनाते हैं;
- समावेशन सम्बन्धी सरकारी नीतियों और कानूनों का वर्णन करते हैं; और
- समावेशन को बढ़ावा देने हेतु शिक्षक, माता–पिता एवं समुदाय की भूमिका पर चर्चा करते हैं।

21.1 समावेशी शिक्षा : अवधारणा एवं महत्व

समावेशी शिक्षा विद्यालय में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों सहित सभी बच्चों की सहभागिता में वृद्धि की प्रक्रिया है। सलामाका वक्तव्य और विशिष्ट आवश्यकताओं की शिक्षा हेतु कार्य हेतु रूपरेखा (Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education) ने समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का समर्थन किया है। भारत ऐसे समस्त कथनों का हस्ताक्षरकर्ता है और इसने समावेशी शिक्षा के सम्प्रत्यय का समर्थन किया है। कथन सभी सरकारों से समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त को कानून या नीति के रूप में अपनाने का निवेदन करता है और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की सामान्य विद्यालयों में अनिवार्य पहुँच पर बल देता है।

यह समावेशन की पुष्टि करता है जो सभी बच्चों को समतामूलक और प्रभावी शिक्षा प्रदान करने की ओर संकेत करता है। यह मौजूदा नियमित विद्यालय प्रणाली में एक अधिगमकर्ता के रूप में बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है चाहे कोई भी हो–

- नस्ल
- वर्ग
- नृजातीयता
- धार्मिक विश्वास
- वंचित एवं हाशिए पर जो समूह हैं उनसे आने वाले बच्चे
- दूर–दराज एवं खानाबदोश जनसंख्या के बच्चे
- भाषा
- लिंग
- भौगोलिक स्थिति

- संस्कृति
- दिव्यांगता

समावेशन सामान्य शिक्षा प्रणाली को और अधिक व्यापक एवं सभी बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति सहयोगात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक बनाकर इसके पुनर्निमाण एवं समृद्धिकरण को आवश्यक बनाता है। समावेशी शिक्षा एवं सुनिश्चित करती है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को नियमित विद्यालयों में विद्यालयी प्रणाली के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सहायक सेवाओं के सहित उनकी आयु और स्तर के साथियों के साथ पढ़ाया जाए। इस प्रकार यह सामान्य पाठ्यक्रम में सभी बच्चों की आवश्यकताओं और अधिगम शैलियों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को दर्शाता है। इसका तात्पर्य है कि नियमित विद्यालयों में उपयुक्त सहायता तन्त्र के साथ सभी अधिगमकर्ता एक साथ सीखने में समर्थ हैं। यह मान्यता है कि सभी बच्चे समाज के मूल्यवान सदस्य हैं चाहे उनमें जो भी अन्तर या विविधताएं हों। इसके अतिरिक्त सभी बच्चों की अपनी अनोखी विशेषताओं, रुचियों, योग्यताओं और अधिगम आवश्यकताओं सहित मौजूदा शिक्षा प्रणाली में एक साथ होना उनके मानवाधिकारों का विषय है। अतः ऐसी शिक्षा-प्रणाली और कार्यक्रम तैयार किए जाने की जरूरत है जिससे कि सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताएँ पूरी हों तथा उनकी विविधता को सम्मान मिले।

समावेशन में बच्चों की दिव्यांगताओं के स्थान पर उनकी योग्यताओं पर ध्यान केन्द्रित करना शामिल है और यह सभी अधिगमकर्ताओं के अनुरूप शिक्षा-प्रणाली को संशोधित करता है। यह विद्यालयी प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर समावेशी नीति, समावेशी संस्कृति और समावेशी तौर-तरीके निर्मित करने के बारे में है। बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया करने की विद्यालयों की क्षमता को विकसित करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। यह शिक्षण और अधिगम के परम्परागत उपागम से नवीन उपगम में रूपान्तरण को इंगित करता है। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के समग्र विकास को सुनिश्चित करती है। इसके लिए जरूरी है कि हम शिक्षण में विविधता को महत्व दें और इसकी सहायता हेतु शिक्षण उपागमों को अपनाएं।

21.1.1 समावेशी शिक्षा के लाभ

विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के लाभ निम्नलिखित हैं–

- सामान्य विद्यालयों में समान शैक्षिक अवसरों के बाल-अधिकार को सुनिश्चित करना।
- अन्तर्क्रिया के अवसर प्रदान करना जो कि पृथक्कृत व्यवस्था में सम्भव नहीं है।
- प्रत्येक बच्चे की शैक्षणिक सामर्थ्य को अधिकतम बनाना।
- बच्चों को उनके साथियों के साथ अधिगम के साथ ही साथ उनके अपने अधिगम में सक्रिय रूप से सम्मिलित करना।
- अधिगम तथा शिक्षण कार्यक्रम की व्यापक श्रृंखला प्रदान करना जो सभी बच्चों को सहभागिता, अधिगम तथा सफलता के अनुभव के लिये प्रोत्साहित करे।

- कहीं कोई भेदभाव नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिये बच्चों और शिक्षकों को संवेदनशील बनना।
- कक्षा में बच्चों की योग्यता तथा रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों समेत सभी बच्चों के उपयुक्त व्यवहार/आचरण को सुनिश्चित करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को महत्व दिया जाना चाहिए।
- समावेशन के क्रियान्वयन हेतु सभी भागीदारों जैसे कि अभिभावक, समुदाय तथा स्वयंसेवी समूहों के संघटन एवं सहभागिता सुनिश्चित करना।

पाठगत प्रश्न 21.1

नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य लिखिए–

(क) सभी शिक्षण कार्यक्रम सभी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तैयार किये जाने चाहिए।

(ख) समावेशी शिक्षा सभी बच्चों की सहायता के लिये विद्यालयों को सक्षम बनाने के विषय में है।

(ग) समावेशी शिक्षा के लिये शिक्षण की पारम्परिक विधि की संस्तुति की जाती है।

(घ) समावेशी शिक्षा सभी नामांकित बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करती है।

(ङ) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये केवल आयु के अनुरूप लक्ष्य ही लागु होते हैं।

21.2 समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षण अधिगम रणनीतियाँ

अब प्रश्न उठता है कि कक्षाकक्ष में सभी बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर किस प्रकार ध्यान दिया जाये? एक ही कक्षा में हम सभी बच्चों को सीखने में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? अनुसंधानकर्ताओं ने संकेत किया है कि एक समावेशी कक्षा में बच्चों के अधिगम हेतु नवचारिक शिक्षण रणनीतियाँ अधिक लाभदायक हैं। शिक्षण और आकलन की विधियों में बदलाव समावेशी कक्षाओं की आवश्यकता है।

कक्षाकक्ष में निम्नलिखित रणनीतियों के अनुसरण द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं। ये हैं :

1. विभेदिन अनुदेशन
2. सहकारी शिक्षण अधिगम नीतियाँ
3. सहयोगात्मक अधिगम

अभ्यास के अन्तर्गत विभेदित अनुदेशन

गत्यात्मक क्षेत्र में विशेष आवश्कताओं वाला बच्चा अन्य बच्चों की तुलना में जो कि जटिल चित्र बनाने में सक्षम होते हैं। कठिनाई से एक अकेली रेखा खींचने में समर्थ होता है यदि सभी बच्चों को प्रगति करनी है तो इन बच्चों में से प्रत्येक पर उनके अपने स्तर पर ध्यान देने की जरूरत है। इस प्रकार के वातावरण में वृहद् क्षमता के निर्माण हेतु शिक्षक को बच्चों की उनकी सामर्थ्य और कमजोरियों के अनुसार सहायता करने की जरूरत है। प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं के अनुरूप शिक्षक कार्य को तदनुसार संशोधित कर सकता है। ये अन्तर्क्रियाएँ और संशोधन बच्चे एवं शिक्षक के मध्य चल रहे विश्वासपूर्ण सम्बन्धों का हिस्सा होना चाहिए।

टिप्पणी

4. साथी शिक्षण

5. आकलन

21.2.1 विभेदित अनुदेशन

यह छोटे बच्चों के लिये व्यक्तिगत योजना तथा शिक्षण रणनीतियों से सम्बन्धित सम्प्रत्यय है। यह प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के अनुभव तथा वातावरण प्रदान करने की ओर संकेत करता है। प्री-स्कूल का शिक्षक यह महसूस करता है कि दो बच्चे एक गति अथवा एक ढंग से नहीं सीखते। कुछ को बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है जबकि अन्य तत्काल सीख सकते हैं। कक्षा में कुछ बच्चे नवीन सामग्री को सरलता से स्वीकार कर लेते हैं जबकि कुछ उसे धीरे से स्वीकार करते हैं। कुछ बच्चे पढ़कर सीखते हैं जबकि कुछ अन्य सुनकर या दृश्य सामग्री द्वारा सीखते हैं। ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्हें लेखन में समस्या हो जबकि अन्य जटिल विचारों को समझ सकते हैं।

विभेदित अनुदेशन में शिक्षक पहचानना सीखना है कि प्रत्येक बच्चे के साथ क्या कार्य करता है और वह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण पद्धति में समूह में प्रत्येक बच्चे को साथ जोड़ने तथा लाभान्वित होने के लिये गतिविधियाँ तथा विषयवस्तु हों।

21.2.2 सहकारी शिक्षण अधिगम रणनीतियाँ

सहकारी अधिगम में एक साझा अधिगम लक्ष्य या कार्य के अर्जन हेतु एक से अधिक बच्चों का एक साथ कार्य करना सम्मिलित है। सहकारी अधिगम छोटी मिश्रित-योग्यता अधिगम टोलियों में बच्चों के समूहीकरण का एक साधन है। समूह समस्या के हल अथवा पूर्णता हेतु प्रस्तुत किया जाता है। फिर बच्चे समूह में एक-दूसरे के बीच कार्य करते हैं, कार्य पूरा करने में एक-दूसरे की सहायता करते हैं और एक समूह निष्पादन प्राप्तांक प्राप्त करते हैं। बच्चे छोटे समूहों में कार्य करते हैं और कार्य को सीखने में एक-दूसरे का सहयोग करते हैं। शिक्षक की भूमिका बच्चों के बीच सहकारी अन्योग्याश्रितता को बढ़ावा देने की है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये सहकारी अधिगम रणनीतियों के कई लाभ हैं। जो कि हैं–

- कक्षाकक्ष की गतिविधियों में सक्रिय संलग्नता।
- बच्चे अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक विचार व्यक्त करते हैं।
- प्रमाणित तथा रचनात्मक प्रतिपुष्टि की प्राप्ति।
- प्रश्नोत्तर प्रविधियों में संलग्नता।
- अन्य बच्चों के साथ बढ़ते हुए अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धों का आनन्द लेना।
- बेहतर आत्म-सम्मान का विकास।
- व्यक्तिगत जवाबदेही बनाये रखते हुए टोली उपागम का उपयोग।
- विविधता को समझने तथा सराहना करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

टिप्पणी

- उद्दीपित आलोचनात्मक चिन्तन द्वारा विचारों को स्पष्ट करना।
- स्व-प्रबन्धन कौशलों में वृद्धि।
- साथियों द्वारा समस्या-समाधान तकनीकों का निरीक्षण तथा सीखना।
- कौशलों पर अतिरिक्त अभ्यास की प्राप्ति तथा
- प्रतिक्रिया के अवसरों में वृद्धि होती है।

इसके अतिरिक्त जब बच्चे परिचर्चा के दौरान जोर से सोच रहे होते हैं तब शिक्षक बच्चों तथा समूह की जरूरतों का आकलन करने में तथा आवश्यकता होने पर हस्तक्षेप करने में अच्छी तरह से सक्षम हो जाते हैं। बच्चों के अधिगम की सक्रिय देख-रेख द्वारा शिक्षक समूहों को अधिगम कार्यों के प्रति पुनः निर्देशित करने तथा परिचर्चा के दौरान पुनः शिक्षण प्रदान करने में समर्थ हो जाते हैं।

प्री-स्कूल में सहकारी अधिगम पर आधारित कार्य के आयोजन की विधि

कार्य : दिये गये चित्र को रंगना।

पारम्परिक अधिगम उपागम : प्रत्येक बच्चे को एक शीट और रंगने के लिये क्रेयान दिये जायेंगे। बच्चे व्यक्तिगत रूप से कार्य को पूरा करते हैं और प्रतिपुष्टि हेतु शिक्षक के पास जमा करते हैं।

सहकारी अधिगम उपागम : विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों सहित सभी बच्चों को छोटे समूहों में विभाजित किया जायेगा। पाँच बच्चों का एक समूह हो सकता है। प्रत्येक समूह को एक गोले में बैठने के लिये कहा जाता है। प्रत्येक बच्चे को रंगने की एक शीट दी जाती है। प्रत्येक समूह को दो पैकेट क्रेयान दिये जाते हैं। एक पैकेट में 12 क्रेयान होते हैं। बच्चों से शीट को रंगने तथा रंगने में एक-दूसरे की सहायता करने को कहा जाता है। समूह का एक साथ शीट्स जमा करना जरूरी है।

- उपर्युक्त कार्य का विचार करें:
  - i) क्या बच्चे कार्य में सहयोग कर रहे हैं?
  - ii) कैसे?
- जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है:
  - i) दो से अधिक बच्चे एक ही समय में समान क्रेयान के उपयोग की इच्छा रख सकते हैं।
  - ii) बच्चे एक-दूसरे की शीट्स पर लिख सकते हैं।
  - iii) जल्दी कार्य पूरा करने वाला बच्चा अन्य बच्चे की चित्रकारी को पूरा करना चाह सकता है।

समूह में सम्मिलित करना तथा आदर देना, समावेश की भावना को दर्शाता है और कक्षाकक्ष को एक समुदाय के रूप में विकसित करता है। उदाहरण के लिये, वाक् शक्ति के ह्रास वाला बच्चा या बच्ची एक समूह के सदस्य के रूप में अन्य व्यक्तियों के सामने हाव-भाव के द्वारा अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक तथा विश्वास के साथ स्वयं को अभिव्यक्त करना सीख सकता है। और उसके सम्प्रेषण कौशलों में सुधार हो सकता है। इसी प्रकार समूह के अन्य सदस्य उसे समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार करना सीख सकते हैं और उसे अन्य गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। समूह में एक साथ कार्य के द्वारा सहकारी अधिगम सहिष्णुता, स्वीकृति और तदनुभूति को बढ़ावा देने में सहायता कर सकता है।

दोनों उपागमों की तुलना	
परम्परागत उपागम	**सहकारी अधिगम उपागम**
एक शान्त कक्षा एक अच्छी कक्षा है	अधिगम में स्वस्थ ध्वनि समाहित है
यह एक स्वतन्त्र कार्य है	यह सहयोगात्मक सामूहिक कार्य है
अपनी निगाह अपने कागज पर रखें	सहयोग के लिये अपने साथी से पूछें
शान्त बैठिये	उठिये और देखिये कि अन्य क्या कर रहे हैं
बात करना नकल है	बात करना अधिगम है

21.2.3 सहयोगात्मक शिक्षण रणनीति

सहयोगात्मक शिक्षण रणनीति एक शिक्षण विधि है जिसमें बच्चे एक दत्तकार्य पर एक साथ कार्य करते हैं। इस विधि में बच्चे एक बड़े दत्तकार्य का एक छोटा भाग व्यक्तिगत रूप से पूरा कर सकते हैं तथा फिर अन्तिम कार्य को एक टोली के रूप में एक साथ एकत्रित कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चा व्यक्तिगत अधिगम शैली के अनुरूप कार्य हेतु स्वतन्त्र होता है। सहयोगात्मक शिक्षण सहकरी शिक्षण में कभी-कभी भ्रम होता है जो कि एक विधि है जिसमें बच्चे एक संरचित गतिविधि हेतु छोटे समूहों में एक साथ कार्य करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम बच्चे व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य तथा समग्र के कार्य के प्रति भी जवाबदेह होते हैं जहाँ दोनों अन्तिम उत्पादों का आकलन किया जाता है।

21.2.3.1 सहयोगात्मक शिक्षण रणनीति की विशेषताएँ

सहयोग में समता : प्रत्येक बच्चे के योगदान को समान रूप से महत्व दिया जाता है तथा बच्चों को निर्णय लेने का समान अधिकार होता है।

स्वैच्छिक-सहयोगात्मक सम्बन्ध : ये सर्वाधिक रूप से तब सफल होते हैं जब बच्चे स्वतन्त्र रूप से इसमें प्रवेश करते हैं और इच्छा से बने रहते हैं।

पारस्परिक लक्ष्य : सहयोग किसी लक्ष्य, समस्या या आवश्यकता के जवाब में होता है जो कि बच्चों द्वारा संयुक्त रूप से साझा किया जाए। इन लक्ष्यों पर सभी प्रतिभागियों की सहमति होनी चाहिए।

साझा उत्तरदायित्व : प्रतिभागी निर्णय लेने मे उत्तरदायित्वों को साझा करते हैं।

साझा जवाबदेही : अपने कार्य के परिणाम हेतु प्रतिभागी समान रूप से जवाबदेह होते हैं।

साझा संसाधन : प्रतिभागी सामग्री तथा मानव संसाधनों को साझा करते हैं।

21.2.3.2 सहयोगात्मक शिक्षण रणनीति के लाभ

इस अभ्यास के कुछ लाभ हैं–

- समूह के सभी सदस्यों की विशेषज्ञता से सभी बच्चे लाभन्वित होते हैं।
- यह नेतृत्व और उत्तरदायित्व का विकास करता है।
- बच्चे एक-दूसरे से सीख सकते हैं और समस्या का समाधान कर सकते हैं।
- अनुदेशन योग्यता के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखता है।
- यह कक्षाकक्ष में सभी बच्चों की सक्रिय सहभागिता को सुविधाजनक बनाता है।
- समुचित योजना सभी बच्चों के सक्रिय अधिगम को सुनिश्चित करती है।
- बच्चों का आकलन व्यक्तिगत निष्पादन साथ ही साथ सामूहिक निष्पादन के आधार पर किया जाता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि टीमों को प्रभावी ढंग से कार्य करना है तो विश्वास का वातावरण अपरिहार्य है।

सहयोगात्मक विधि

कक्षा के लिये एक बड़े पेड़ का पोस्टर

शिक्षक बच्चों के लिये आवश्यक कला-सामग्री प्रस्तुत करता है।

शिक्षक उन्हें कक्षा में टाँगने के लिये एक बड़े पेड़ का पोस्टर बनाने के लिये कहता है।

शिक्षक परिचर्चा की शुरुआत करता है कि प्रत्येक बच्चा पेड़ के किस भाग पर तना, शाखाएँ, पत्तियाँ, फल/फूल बनायेगा और रंग करेगा।

पेड़ के चित्र को पूरा करने के लिये इस गतिविधि में कार्यरत बच्चे निर्धारित या फिर स्वयं द्वारा चयनित भूमिका में होंगे।

कार्य का मूल्यांकन होगा :

- व्यक्तिगत निष्पादन के आधार पर
- सामूहिक निष्पादन के आधार पर

21.2.4 साथी शिक्षण

साथी शिक्षण से तात्पर्य बच्चों को बच्चों के पढ़ाने से है। एक साथी शिक्षक वह है जिसका स्तर पढ़ाये जाने वाले व्यक्ति के समान होता है। साथी शिक्षण में शिक्षक तथा अध्ययनकर्ता दोनों

एक ही वर्ग के होते हैं और शिक्षक साथी-अध्ययनकर्ता की सहायता करता है। इस सम्बन्ध में शिक्षक और अध्ययनकर्ता दोनों के लिये ही कई लाभ हैं। एक साथी-शिक्षक साथी-अध्ययनकर्ता से जिस ढंग से सम्बन्ध स्थापित कर सकता है उस ढंग से शिक्षक नहीं कर सकता। एक बच्चा जो किसी शैक्षणिक कौशल को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, वह शौक या रुचियों से सम्बन्धित कौशलों जैसे कि सिक्के इकट्ठे करना, टिकट इकट्ठे करना या अन्य कोई सृजनात्मक कला गतिविधि, को पढ़ा सकता है। साथी शिक्षक किसी भी कार्य के आकलन में सम्मिलित नहीं होता। औपचारिक स्थितियों में यह रणनीति बड़े बच्चों के साथ अधिक प्रभावी होती है।

21.2.4.1 साथी शिक्षण के लाभ

साथी शिक्षण के कुछ लाभ हैं–

- जो बच्चे वयस्कों के पढ़ाने पर अच्छी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करते उनको पढ़ाने के लिये साथी शिक्षण प्रायः अधिक प्रभावी होता है।
- यह शिक्षक और अध्ययनकर्ता के मध्य मित्रता को विकसित करता है।
- शिक्षक अन्य बच्चों को पढ़ाने में स्वयं लाभान्वित होते हैं क्योंकि अन्य बच्चों को पढ़ाते समय वे अपने अधिगम का अभ्यास करते हैं।

21.2.5 आकलन

आकलन में निरीक्षण, सूचनाओं का एकत्रीकरण और उनके आधार पर निर्णय लेना सम्मिलित है। इसमें यह पता लगाना शामिल है कि बच्चा क्या जानता है, क्या समझता है और क्या कर सकता है। आकलन सतत होता है। यह निदानात्मक हो सकता है क्योंकि यह बच्चे के सामर्थ्य के क्षेत्र के बारे में सूचना प्रदान करता है तथा उन क्षेत्रों की पहचान करता है जहाँ आगे ध्यान देने की जरूरत है। एक समावेशी स्थिति में आकलन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया को लचीला होना चाहिए तथा बच्चे की अधिगम शैली के अनुसार अपनाया जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, बच्चे की योग्यताओं के अनुसार कार्य की परिवर्तित प्रकृति, अतिरिक्त समय तथा आवश्यक सहायक संसाधन देना, आदि।

पाठगत प्रश्न 21.2

रिक्त स्थान भरिए–

(अ) .... छोटे बच्चों के लिये व्यक्तिगत योजना तथा शिक्षण रणनीतियों से सम्बन्धित है।

(ब) .... एक अनुदेशन विधि है जिसमें बच्चे एक दत्तकार्य पर एक साथ कार्य करते हैं।

(स) .... अधिगम में प्रत्येक बच्चे के योगदान को समान रूप से महत्व दिया जाता है तथा बच्चों को निर्णय लेने का समान अधिकार होता है।

(द) .... का वातावरण अपरिहार्य है यदि टीमों को प्रभावी ढंग से कार्य करना है।

(ई) साथी-शिक्षक अन्य बच्चों को पढ़ाने से .... होते हैं क्योंकि अन्य बच्चों को पढ़ाते समय वे अपने अधिगम का अभ्यास करते हैं।

21.3 सरकार की भूमिका

दिव्यांगता के प्रति धर्मार्थ प्रतिमान से मानवाधिकार प्रतिमान तक का परिवर्तित हो रहा दृष्टिकोण नीति और तौर-तरीकों की विविधता के रूप में परिणत हुआ है। 1970 में विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताएँ [SEN (Special Educational Needs] वाले अधिगमकर्ताओं को नियमित विद्यालयों में शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिये भारत सरकार द्वारा आईईडीसी योजना आरम्भ की गयी। 1990 में 92 सरकारों के प्रतिनिधियों ने सलामांका वक्तव्य एवं कार्य हेतु रूपरेखा को स्वीकार किया तथा 25 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के वास्तव में वैश्विक स्तर पर समावेशी शिक्षा हेतु नीतिगत एजेण्डा निर्धारित किया है।

21.3.1 महत्वपूर्ण कानूनी पड़ाव

(i) विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा का समावेशन, (आईडीसी) 1974 [Inclusion of Integrated Educion for Disabled Children (IEDC), 1974]

सरकार ने विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा [Integrated Education for Disabled Children (IEDC), 1974] की केन्द्र प्रायोजित योजना प्रारम्भ की। योजना का उद्देश्य नियमित विद्यालयों में दिव्यांग अधिगमकर्ताओं को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना तथा उनकी उपलब्धि एवं धारण (सीखी गयी सामग्री को मस्तिष्क में बनाये रखने की क्षमता) को सुगम बनाना था। आईईडीसी योजना दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिये प्रोत्साहन तथा हस्तक्षेपों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करती है।

(ii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 एवं इसकी कार्य योजना, 1992 [The National Policy on Education, (NPE), 1986 and its Plan of Action, (POA) 1992]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में कहा गया है कि कम दिव्यांगता वाले बच्चों को मुख्यधारा की कक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए जबकि औसत से गम्भीर दिव्यांगता वाले बच्चों को पृथक् विद्यालयों में रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समानता के मुद्दे को केन्द्र में लायी। विद्यालय छोड़ने की दर को कम करने के लिये कार्य योजना एक व्यावहारिक सिद्धान्त का सुझाव देती है कि जिन बच्चों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षित किया जा सकता है उन्हें विशिष्ट विद्यालयों के स्थान पर सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षित किया जाए। शारीरिक तथा मानसिक विकलांगों को सामान्य समुदाय के साथ सहभागी के रूप में एकीकृत करने, उनको सामान्य वृद्धि के लिये तैयार करने और विश्वास के साथ जीवन का सामना करने के उपायों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 विचार करती है।

(iii) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 [The RCI Act, 1992]

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 पुनर्वास वृत्तिकों हेतु मानक प्रदान करता है। यह विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता वाले बच्चों के शिक्षण के लिये विशेष शिक्षा के प्रशिक्षित

शिक्षकों हेतु मानक तय करता है। आरसीआई अधिनियम पूरी तरह से दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये श्रमशक्ति के विकास से सम्बन्धित है।

(iv) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 [The National Trust Act 1999]

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मन्दबुद्धि तथा बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास), 1999 एक ऐतिहासिक कानून है जो दिव्यांगता के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले तथा अन्यों की तुलना में और अधिक हाशिये पर जो लोग हैं, उन व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। पूर्ण देखभाल प्रदान करने तथा न्यास द्वारा उत्तरदान की गयी सम्पत्तियों के प्रबन्ध के उद्देश्य से इसका मुख्य निर्णय दिव्यांगजनों के लिये व्यक्तियों का एक निकाय बनाना है।

(v) विकलांगों के लिये राष्ट्रीय नीति, 2006 [National Policy for Persons with Diabilities, 2006]

इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय द्वारा फरवरी, 2006 में जारी किया गया था। नीति के अनुसार 2020 तक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक प्रत्येक बच्चे की पहुँचे होनी चाहिए। कक्षा की मुख्य धारा में इन बच्चों को शामिल करने के लिये इन साधनों के उपयोग के उद्देश्य से कार्यक्रम दिव्यांग बच्चों को "पुस्तकों, विद्यालयी वेशभूषा, परिवहन, विशेष उपकरणों एवं साधनों के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करता है।" यह इस पर भी बल देता है कि छः वर्ष तक की आयु के बच्चे की जल्दी से जल्दी पहचान की जा सकती है और आवश्यक हस्तक्षेपों को तत्काल दिया जा सकता है। जिससे कि वे सही उम्र पर समावेशी शिक्षा में शामिल होने में सक्षम हों।

(vi) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 [Right to Education (RTE) Act, 2009]

आरटीई अधिनियम वंचित समूहों एवं कमजोर वर्गों के बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करता है, किसी भी प्रकार के भेदभाव से उनका संरक्षण करता है तथा उनकी प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करता है।

यह दिव्यांगता-विशिष्ट नहीं है लेकिन विशिष्ट वर्गों के सभी दिव्यांग बच्चों के लिये समावेशी है जो दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक अधिकारों पर ध्यान देता है।

(vii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 [The Rights of Persons with Diabilities Act, 2016]

यह अधिनियम विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) का स्थान लेता है। यह विकलांग व्यक्तियों के लिये संयुक्त राष्ट्र समझौते के इकरारनामे को पूर्ण करता है जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किये हैं। यह अधिनियम दिसम्बर, 2016 में अस्तित्व में आया।

दिव्यांगता के मौजूदा सात प्रकारों को बढ़ाकर इक्कीस कर दिया गया है तथा केन्द्र सरकार के पास दिव्यांगता के और अधिक प्रकारों को जोड़ने की शक्ति होगी। अधिनियम सम्मिलित करता है।

21 दिव्यांगताएँ : अंधता, निम्न दृष्टि, कुष्ठरोग मुक्ति व्यक्ति, श्रवण शक्ति का ह्रास (बधिर तथा ऊँचा सूनने वाला व्यक्ति), गतिविषयक दिव्यांगता, बौनापन, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक रुग्णता, स्वपरायणता स्पैक्ट्रम विकार, प्रमस्तिष्क घात, पेशीय दुष्पोषण, चिरकारी तन्त्रिका दशाएँ, विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताएँ, बहु स्केलेरोसिस, वाक् और भाषा दिव्यांगता, थेलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिक्कल कोशिका रोग, बधिर अन्धता सहित बहुदिव्यांगता, तेजाबी आक्रमण पीड़ित, पार्किन्सन रोग।

6 से 18 आयु वर्ग के मध्य के प्रत्येक बच्चे को, जो न्यूनतम मानदण्ड दिव्यांगता के साथ है, नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार होगा।

दिव्यांगजन अन्य व्यक्तियों के समान अपने अधिकारों का लाभ ले सकें, इसकी सुनिश्चितता हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिये समुचित सरकारों को उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

पाठगत प्रश्न 21.3

निम्नलिखित के पूर्ण नाम लिखिए–

(अ) आईईडीसी (IEDC) : ....

(ब) पीडब्लूडी (PWD) : ....

(स) आरटीई (RTE) : ....

(द) पीओए (POA) : ....

(ई) आरसीआई (RCI) : ....

(फ) सीडब्लूएसएन (CWSN) : ....

(ग) एनपीई (NPE) : ....

21.4 समावेशी शिक्षा के प्रोत्साहन में शिक्षक, प्रबन्धन, माता-पिता और समुदाय की भूमिका

विद्यालय जाने वाली आयु के सभी बच्चों को, चाहे उनके जो भी सामर्थ्य हो, कमजोरी हो, प्रतिभा या दिव्यांगता हो, स्वीकार करने वाला विद्यालय एक समावेशी विद्यालय है।

समावेशी शिक्षा दर्शनशास्त्र तथा शिक्षाशास्त्रीय अभ्यासों का एक संयोजन है जो सभी बच्चों को सम्मानित, विश्वस्त तथा सुरक्षित महसूस करने की अनुमति देता है जिससे कि वे अपनी पूर्ण

टिप्पणी

क्षमता तक सीख सकें और विकसित हो सकें। यह बच्चों के सर्वोत्तम हितों पर केन्द्रित मूल्यों एवं विश्वासों की प्रणाली पर आधारित है। समावेशी शिक्षा को विद्यालयी समुदायों के अन्तर्गत व्यवहार में लाया जाता है जो विविधता को महत्व देती है और प्रत्येक बच्चे के कल्याण और गुणवत्तापूर्ण अधिगम का पोषण करती है। समावेशी शिक्षा इस बात का समर्थन करती है कि सभी बच्चों को उनके घर के पास उपलब्ध विद्यालय में एक साथ अध्ययन करना चाहिए।

21.4.1 ईसीसीई शिक्षकों, प्रबन्धन एवं अन्य कार्यकर्ताओं की भूमिका

अधिगम की स्थितियों में समावेशन के प्रोत्साहन में सहायता हेतु सभी हितधारकों के योगदान एवं सहयोग की जरूरत है। प्रत्येक को अपनी भूमिकाओं और अपेक्षाओं के प्रति सचेत होना चाहिए। आइए जानें कि विभिन्न हितधारक समावेशी शिक्षा कार्यक्रम में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं।

अ) ईसीसीई शिक्षकों की भूमिका

1. विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की प्रारंभिक पहचान।
2. बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवदेनशील होना और आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
3. सभी बच्चों की आवश्यकताओं को शामिल करते हुए पाठ्यचर्या का नियोजन तथा संशोधन करना।
4. प्रारंभिक पहचान के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को संवेदनशील बनाना।
5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का किस प्रकार सहयोग करें, इसके बारे में परामर्श देना तथा इसकी रणनीतियों को साझा करना।
6. समाज के अन्य सदस्यों को शामिल करके सहयोगी वातावरण तैयार करना।
7. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये केन्द्र को सुलभ बनाना।
8. बच्चे की योग्यता के अनुरूप गतिविधियों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना।
9. अन्य हितधारकों के साथ साझा करने के लिये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का विषयी केस प्रोफाइल तैयार करना।
10. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सरकारी नीतियों और कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु भेजना।
11. औपचारिक विद्यालयों के सहयोग को विस्तारित करना जिससे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे नये शिक्षकों, विद्यालयी वातावरण के साथ समायोजन कर पाएं तथा नये शिक्षक एवं विद्यालय सफल और सुचारु अवस्थान्तरण में समर्थ बन पाएं।

ब) प्रबन्धन की भूमिका

प्रबन्धन का सहयोग अनिवार्य रूप से निम्नलिखित के रूप में हो-

1. सभी बच्चों के लिये केन्द्र को सुलभ बनाना।
2. परिसर को अधिगमकर्ता के अनुकूल रखना।
3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना।
4. सकारात्मक तथा सहयोगी रवैया रखना।
5. समावेशी तथा आवश्यकता पर आधारित शिक्षण-अधिगम सामग्री तैयार करने के लिये आवश्यक सामग्री तथा सहयोग प्रदान करना।
6. वाक्-चिकित्सक, विशेष शिक्षक, मनोवैज्ञानिक जैसी व्यावसायिक सेवाओं की व्यवस्था करना।
7. पहचान एवं आकलन शिविरों का आयोजन करना, आदि।

स) माता-पिता की भूमिका

समावेशी ईसीसीई केन्द्र को सफल बनाने में माता-पिता का सहयोग निम्नलिखित कार्यों के द्वारा आवश्यक है :

1. ईसीसीई केन्द्र में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन में सहयोग प्रदान करना।
2. यह महसूस करना कि दिव्यांग बालिकाओं के भी समान अधिकार हैं और उनकी क्षमता को विकसित करने के लिये अवसरों की जरूरत है। अत: उन्हें निकटस्थ प्री-स्कूल ईसीसीई केन्द्र में नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सफलता की कथाओं को साझा करना जिससे कि अभिप्रेरणा का स्तर ऊँचा बना रहे।
4. ईसीसीई शिक्षकों द्वारा निर्धारित किये गये या सुझाए गए चिकित्सकों या विशेष शिक्षा केन्द्रों पर जाना।
5. माता-पिता स्थापित कर सकते हैं-
   - पारिवारिक नैतिक सहायता समूह
   - शिक्षा सहायता समूह
6. विद्यालय के सहयोग के लिये देखभालकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु स्वेच्छा से अपनी सेवा देना।

अन्य कार्यकर्ताओं में सहायक या आया, प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग, चपरासी, गेटकीपर और समाज का कोई अन्य स्वयंसेवक शामिल हैं जो केन्द्र के सुचारु संचालन में सहायता करते हैं। वे भी इन बच्चों के बारे में संवेदनशील बनाये जा सकते हैं और तदनुसार योगदान दे सकते हैं।

गतिविधि 21.1

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के घर जाएं तथा पता कीजिए–

अ) माता–पिता की उनके बच्चे की दिव्यांगता के बारे में समझ और उसे सम्भालने के सम्भावित तरीके।

ब) बच्चे के लिये पास–पड़ोस में उपलब्ध कोई विशिष्ट संसाधन तथा सुविधाएं।

द) समुदाय की भूमिका

सामुदायिक सदस्यों में माता–पिता, पंचायत सदस्य, ग्राम शिक्षा समिति प्रीस्कूल प्रबन्ध समिति के सदस्य, स्थानीय प्रशासन एवं प्राधिकारी सम्मिलित हैं।

ये निम्नलिखित कार्यों के द्वारा विशेष आवश्कता वाले बच्चों के समावेशन में सहायता कर सकते हैं–

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन को प्रोत्साहन देना।
- विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं के नामांकन पर बल देना।
- जागरूकता लाकर, माता–पिता को प्रेरित करके तथा आवश्यक सहायता प्रदान करके उनके विद्यालय छोड़ने की दर को रोकना।
- जागरूकता एवं पहचान शिविरों को आयोजन करना।
- मानवीय तथा गैरमानवीय सहायता संसाधनों का संगठन करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सफलता की कहानियों को साझा करना।
- पूर्व–प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद निकटस्थ औपचारिक नियमित विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन को सुनिश्चित करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की योग्यता तथा प्रतिभा पर विश्वास रखना।

पाठगत प्रश्न 21.4

स्तम्भ 'अ' तथा स्तम्भ 'ब' से सही मिलान कीजिए–

स्तम्भ (अ)	स्तम्भ (ब)
(1) साथी शिक्षण	(अ) विशिष्ट आवश्यकता सम्बन्धी सेवाएँ

टिप्पणी

(2) समावेशी विद्यालय	(ब) पाठ्यक्रम का नियोजन एवं संशोधन
(3) बच्चे को भेजना	(स) सहायता संसाधनों का संगठन
(4) प्रबन्धन की भूमिका	(द) विशिष्ट शिक्षाशास्त्रीय अभ्यास
(5) शिक्षक की भूमिका	(ई) विद्यार्थी-विद्यार्थी

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा :

- समावेशी शिक्षा की अवधारणा और महत्व
- समावेशी शिक्षा के लाभ
- समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षण अधिगम रणनीतियाँ
- विभेदित अनुदेशन
- सहकारी अधिगम रणनीति की विशेषताएँ, महत्व एवं लाभ
- सहयोगात्मक अधिगम रणनीति की विशेषताएँ, महत्व एवं लाभ
- साथी शिक्षण विशेषताएँ एवं लाभ
- समावेशी शिक्षा के प्रोत्साहन में सरकार की भूमिका
- महत्वपूर्ण कानूनी पड़ाव
  - विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा का समावेशन, (आईडीसी) 1974 [Inclusion of Integrated Education for Disabled Children (IEDC), 1974]
  - राष्ट्रीय शिक्षा की नीति, 1986 एवं इसकी कार्य योजना, 1992 [The National Policy on Education, (NPE) 1986 and its Plan of Action, (POA) 1992]
  - भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (The RCI Act, 1992)
  - दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (The Rights of Persons with Disabilities, Act, 2016)
  - राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (The National Trust Act 1999)
  - विकलांगों के लिये राष्ट्रीय नीति, 2006 (National Policy for Persons with Disabilities 2006)
  - शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 [Right to Education (RTE) Act, 2009]
- समावेशी शिक्षा के प्रोत्साहन में शिक्षक, प्रबन्धन, माता-पिता और समुदाय की भूमिका

पाठान्त प्रश्न

1. समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? समावेशी शिक्षा के लाभों की सूची बनाइए।
2. सहकारी अधिगम सहयोगात्मक अधिगम तथा साथी शिक्षण के लाभ बताइए।
3. दिव्यांगजनों हेतु सरकारी अधिनियमों तथा नीतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
4. समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये शिक्षकों तथा प्रबन्धन की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
5. ऐसे पाँच तरीके सुझाइए जिनसे समुदाय समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में सहयोग कर सकें।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

21.1

(अ) सत्य

(ब) सत्य

(स) असत्य

(द) सत्य

(ई) असत्य

21.2

(अ) विभेदित अनुदेशन

(ब) सहयोगात्मक

(स) सहकारी

(द) विश्वास

(ई) लाभान्वित

21.3

(अ) विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा (Integrated Education for Disabled Children)

(ब) दिव्यांगजन (Persons with Disabilities)

(स) शिक्षा का अधिकार (Right to Education)

(द) कार्य योजना (Plan of Action)

(ई) भारतीय पुनर्वास परिषद (Rehabilitation Council of India)

(फ) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (Children with Special Needs)

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा की नीति (The National Policy on Education)

21.4

(1) (ई)

(2) (द)

(3) (अ)

(4) (स)

(5) (ब)

सन्दर्भ

- Ministry of Human Resource Development (1986). The National Policy on Education, 1986. Retrieved from https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/npe.pdf
- Ministry of Human Resource Development. (2010). The Right to Education Act, 2009.Retrieved from https://mhrd.gov.in/rte
- Ministry of Social Justice and Empowerment. (2006). National Policy for Persons with Disabilities, 2006. Retrieved from http://www.disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/NationalPolicyForPersonswithDisabilities(1).pdffiles/National%20Trust%20Act%20-%20Englsih.pdf
- Ministry of Social Justice and Empowerment. (1999). The National Trust Act, 1999 Retrieved from http://thenationaltrust.gov.in/upload/uploadfiles/
- Ministry of Social Justice and Empowerment. (2016).The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. Retrieved fromhttp://www.disabilityaffairs.gov.in/ upload/upload files/files/RPWD%20ACT% 202016.pd

22

प्रारंभिक पहचान एवं हस्तक्षेप

प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में बहुत तेजी से प्रगति करते हैं। व्यक्तिगत रूप में बच्चों की अपनी ताकत एवं कमजोरियाँ होती हैं। उनकी विकासात्मक प्रगति एक निश्चित क्रम में होती है, किन्तु उनके विकास की गति भिन्न-भिन्न हो सकती है। हालांकि, यदि बच्चे एक (या अधिक) विकासात्मक क्षेत्रों में चिह्नित समस्याएं अथवा कठिनाइयां अनुभव करते हैं, तो उन्हें विशेष देखभाल और सहायता की आवश्यकता होती है।

बच्चों की विकासात्मक देरी अथवा अधिगम कठिनाइयों की प्रारंभिक पहचान, बच्चों को समझने एवं सहायता देने हेतु आवश्यक कदम उठाने में तथा उनका ईष्टतम विकास एवं अधिगम सुनिश्चित करने में हमारी सहायता करती है। यह प्रारंभिक पहचान शैक्षणिक कठिनाइयों के जोखिम में पड़े बच्चों के लिए आवश्यक सकारात्मक अनुभव प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप रणनीतियों के उपयोग को सुगम बनाती है।

प्रस्तुत पाठ में आप प्रारंभिक पहचान का महत्व, और विशेष देखभाल अथवा हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान का अध्ययन करेंगे।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप

- प्रारंभिक पहचान के अर्थ एवं महत्व का वर्णन करते हैं;
- प्रारंभिक पहचान की रणनीतियों पर चर्चा करते हैं;
- प्रारंभिक हस्तक्षेप की अवधारणा एवं महत्व का वर्णन करते हैं;
- प्रारंभिक हस्तक्षेप की रणनीतियों की पहचान करते हैं; और
- समावेश में सहायता हेतु सहायक तकनीकों का वर्णन करते हैं।

टिप्पणी

22.1 दिव्यांग बच्चे

विकलांगता को समाज द्वारा वांछनीय विकासात्मक गतिविधियों के निष्पादन में कोई अक्षमता अथवा बाधा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कार्यपद्धति, विकलांगता एवं स्वास्थ्य के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण बच्चे एवं युवा संस्करण (ICF-CY) दिव्यागंता को इस प्रकार परिभाषित करता है, ''न तो विशुद्ध रूप से जैविक और न ही सामाजिक बल्कि स्वास्थ्य की स्थिति, पर्यावरण एवं व्यक्तिगत कारकों के बीच अंतक्रिया''। इसने दिव्यांगता का वर्णन तीन स्तरों पर किया है।

- शरीर की कार्यपद्धति अथवा संरचना से कोई असमर्थता, जैसे कि मोतियाबिंद जो दृश्य उद्दीपन के रूप एवं आकार को पहचानने और प्रकाश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है;
- गतिविधि की सीमा जैसे कि पढ़ने अथवा चलने में असमर्थता; और
- सहभागिता पर प्रतिबंध, जैसे कि स्कूल से बहिष्कार।

'दिव्यांग बच्चे' पद का प्रयोग बीमारी, खराब पोषण अथवा चोट के परिणामस्वरूप शारीरिक दुर्बलता अथवा अक्षम स्वास्थ्य दशाओं वाले बच्चों को इंगित करने हेतु किया जाता है।

22.1.1 मुख्य अक्षमताएं

हम अपने समुदाय में ऐसे लोगों को देखते हैं जो चल नहीं सकते अथवा जिनके शरीर का कोई अंग विकृत है, जिन्हें देखने अथवा सुनने में कठिनाई हैं, समझने अथवा सीखने में कठिनाई हैं। ये लोग दिव्यांग हैं एवं कुछ दुर्बलताओं से पीड़ित हैं। विभिन्न मॉडलों द्वारा दिव्यांगता की एक श्रृंखला को परिभाषित किया गया है, जिनमें से मुख्य को नीचे सूचीबद्ध किया गया है :-

संवेदी दुर्बलता : ऐसी कोई भी स्थिति जो श्रवण, दृश्य, भाषण और घ्राण इंद्रियों जैसे संवेदी अंगों में हानि अथवा दुर्बलता को दर्शाती है। हालांकि इस प्रकार की अधिकांश स्थितियों का इलाज और पुनर्वास किया जा सकता है, कुछ स्थितियां आजीवन बनी रहती हैं और उन्हें चिकित्सा एवं निरंतर सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

विकासात्मक अक्षमताएं : ये मानसिक अथव शारीरिक दुर्बलताओं के कारण दीर्घकालिक दशाओं के विविध समूह हैं। इसमें देरी से अथवा असामान्य विकास शामिल हो सकते हैं। इसके अंतर्गत ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम एवं एस्परगर सिंड्रोम आते हैं।

अधिगम अक्षमताएं : यह संज्ञानात्मक योग्यताओं की दुर्बलता को इंगित करता है जो कि एक निश्चित प्रकार की अधिगम संबंधी अक्षमता के रूप में प्रकट होती है। ये विशेष संज्ञानात्मक कार्य-पद्धति के आधार पर हर बच्चे में भिन्न-भिन्न होती है जो कि इस प्रकार प्रभावित होते हैं:-

- इनपुट (दृश्य सूचनाओं के प्रसंस्करण में कठिनाई)
- श्रव्य अथवा भाषायी सूचनाओं के प्रसंस्करण में कठिनाई

- एकीकरण (सभी सूचनाओं को एक साथ रखना एवं उससे अर्थ निकालना)
- भंड़ारण (स्मृति-संबंधी)
- आउटपुट (सूचनाओं की अभिव्यक्ति में कठिनाई)

अधिगम अक्षमताओं के साथ सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उनकी पहचान एवं निदान कठिन है।

व्यवहारगत समस्याएं : व्यवहारगत समस्या वाले बच्चों को देखभाल के नियमित रूपों एवं अनुशासन जो कि अन्य बच्चों के साथ कार्य करता है के प्रति प्रतिक्रिया करने में कठिनाई अनुभव हो सकती है। उदाहरणार्थ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर (ADHD), अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑडर (ODD) एवं कनडक्ट डिसऑर्डर (CD) आदि विकारों की पहचान करना एवं निदान करना मुश्किल है, क्योंकि इस प्रकार के अनेक बच्चों को शुरूआत में 'जिद्‌दी' अथवा 'तुनकमिजाज' मान लिया जाता है।

मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक स्थितियां : मानसिक विकास में देरी एवं मानसिक मदंता को बच्चों में बौद्धिक विकार के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है जबकि चिंता, दीर्घकालीन अवसाद एवं मनोदशा में परिवर्तन (Mood Swings) आदि स्थितियों को मनोवैज्ञानिक विकारों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि बौद्धिक विकरों वाले बच्चों में प्रारंभिक लक्षण होते हैं जिनका निदान आसानी से किया जा सकता है, मनोवैज्ञानिक विकारों को पहचानने में अधिक समय लगता है।

चिकित्सा स्थितियां : इस श्रेणी में वे बच्चे सम्मिलित हैं, जो कमजोर दीर्घकालीन स्थितियों जैसे हृदय रोग, पेशीय दुर्विकास, कैंसर, सेरेब्रल पाल्सी आदि से पीड़ित हैं। ये बच्चे लंबे समय तक अत्यधिक खराब स्वास्थ्य, अनेकानेक परीक्षणों, अस्पताल में रहने और लंबे समय तक दवाइयों का सेवन करने आदि से पीड़ित हो सकते हैं।

यह एक सामान्य बचपन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जबकि, यह सभी स्थितियां एक-दूसरे से भिन्न हैं, इनकी पहचान, निदान और उपचार करने की आवश्यकता के साथ-साथ सही प्रकार के सहयोग, स्कूल एवं घर के वातावरण को खोजन की आवश्यकता में समानता है।

पाठगत प्रश्न 22.1

रिक्त स्थान भरिए–

(क) .... को विकासात्मक गतिविधियों के निष्पादन में अक्षमता अथवा बाधा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

(ख) संवेदी दुर्बलता का आशय .... की दुर्बलता से हैं।

(ग) .... वाले बच्चों को देखभाल एवं अनुशासन के नियमित रूपों के प्रति प्रतिक्रिया देने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है।

(ख) .... संज्ञानात्मक योग्यताओं में दुर्बलता को इंगित करता है जो एक निश्चित प्रकार की अधिगम संबंधी अयोग्यता के रूप में प्रकट होता है।

22.2 प्रारंभिक पहचान का अर्थ एवं महत्व

प्रारंभिक पहचान का तात्पर्य पूर्व बाल्यावस्था में किसी अक्षमता अथवा विकासात्मक भिन्नता को पहचानने की प्रक्रिया से हैं। अधिगम में कठिनाई अथवा अन्य संबंधित विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान बच्चों एवं उनके परिवारों के जीवन में एक बहुत बड़ा एवं सकारात्मक अंतर ला सकती है। प्रारंभिक पहचान बच्चे द्वारा अनुभव की जाने वाली सामाजिक, व्यवहारगत अथवा अधिगम कठिनाइयों को महत्वपूर्ण रूप से कम कर सकती है।

प्री-स्कूल और किंडरगार्टन शिक्षक बच्चों में विकासात्मक देरी अथवा अक्षमता के प्रारंभिक संकेतों एवं लक्षणों को जानने और उन बच्चों का पता लगाने, जो अधिगम एवं स्कूल में जोखिम में हैं, को पहचानने में लाभप्रद स्थिति में हैं। शिक्षकों को लक्षणों के प्रति जागरुक होने और अपने अवलोकन और चिंताओं को माता-पिता एवं अन्य स्कूल विशेषज्ञों के साथ साझा करने की आवश्यकता है।

नये कानून, अनुसंधान का विकास और मान्यताओं में परिवर्तन ने प्रारंभिक पहचान एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रारंभिक पहचान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किन बच्चों को विकासात्मक समस्याएं हैं जो उनके अधिगम में बाधक हो सकती है अथवा किन स्थानों पर बच्चे जोखिम में हैं। परिपक्वता की दर एवं पैटर्न में व्यापक परिवर्तनशीलता प्रारंभिक बाल्यावस्था में होने वाले विकास की विशेषता होती हैं। कुछ बच्चों के लिए क्षमताओं में भिन्नता एवं देरी अस्थायी होती है और विकास के सामान्य क्रम के दौरान हल हो जाती है। अन्य बच्चों के लिए कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में देरी बनी रह सकती है जिससे विशिष्ट आकलन तथा व्यापक मूल्यांकन हेतु बच्चे को परामर्श की आवश्यकता होती है।

विकलांगों के अधिकार अधिवेशन (UN, 2006) के अनुसार विकलांग व्यक्ति वे हैं, ''जिनमें ऐसी दीर्घकालीन शारीरिक, मानसिक बौद्धिक अथवा संवेदी दुर्बलताएं हों, जो विभिन्न बाधाओं से रुबरु होने पर, समाज में दूसरे लोगों के समान उनकी पूर्ण एवं प्रभावी प्रतिभागिता को बाधित कर सकती है।

वर्तमान में, प्रारंभिक वर्षों में बच्चों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं किया जा सकता कि किन बच्चों की समस्याएं देर तक बनी रह सकती हैं और कौन-से समय के साथ पर्याप्त प्रगति कर लेंगे। इसलिए प्रारंभिक विकास में कठिनाइयों का प्रदर्शन करने वाले बच्चे को अधिगम दुर्बलताओं का जोखिम हो भी सकता है और नहीं भी। फिर भी स्क्रीनिंग, मूल्यांकन, संबंधित अधिगम अवसर और हस्तक्षेप सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। बच्चे के ईष्टतम हित में यह अनुशंसा नहीं की जाती कि इस बात की प्रतीक्षा करते रहें कि बच्चा अपनी समस्या को स्वयं हल कर लेगा।

प्रारंभिक पहचान का उद्देश्य सुनिश्चित करना है किन बच्चों को विकासात्मक कठिनाइयाँ हैं जो उनके अधिगम में बाधक बन सकती हैं अथवा उन्हें जोखिम में डाल सकती है। अतः तत्काल एवं मूल आवश्यकता इस बात की है, कि जितना जल्दी हो सके उन छोटे बच्चों की पहचान की जाए जिन्हें सेवाओं की आवश्यकता होती है। इससे यह सुनिश्चित करने में भी

सहायता मिलेगी कि हस्तक्षेप तब प्रदान किया जाता है जब छोटे बच्चे का विकासशील मस्तिष्क परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सक्षम होता है।

अधिगम अक्षमताओं की प्रारंभिक पहचान की आवश्यकता, क्षमता से बहुत अधिक संबंधित है। ऐसे बच्चे जिन्हें शुरुआत में उनके साथियों की तुलना में कम बुद्धि वाला समझा जाता है, हो सकता है वे सामान्य बुद्धि रखते हों, लेकिन उन्हें कुछ अन्य कठिनाइयां हो सकती हैं अथवा अधिगम की भिन्न शैली/दृष्टिकोण हो सकता है जो उन्हें अपनी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। प्रारंभिक सहायता बच्चों को उनकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान कर सकती है। यह बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है और उन्हें स्कूल में एवं उनके बाद के जीवन में बेहतर प्रदर्शन के योग्य बना सकता है।

अधिगम अक्षमता का निदान करने हेतु यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बच्चा एक विशेष शैक्षिक क्षेत्र में अनअपेक्षित रूप से उच्च स्तर की कठिनाई अनुभव कर रहा है। उदाहरणार्थ, यह माना जाता है कि डिस्लेक्सिया वाले बच्चों को सही प्रकार में एवं धारा प्रवाह पढ़ने में सामान्यतया कठिनाई होती है। वास्तव में शैक्षिक उपलब्धि के विषय में बहुत जल्दी निर्णय लेना आसान नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे गलतियां करते हैं, जब वे पहली बार पढ़ना, वर्तनी, लिखना और गणना सीखना आरंभ करते हैं। यह सामान्यतया अपेक्षित है। यह 'अनअपेक्षित' तब बन जाता है, जब वे बच्चे बहुत धीमी गति से प्रगति करते हैं अथवा अपेक्षित अवधि की तुलना में अधिक समय तक संघर्ष जारी रखते हैं।

पहचानन का आशय बच्चों और उनके परिवारों को सहयोग देने हेतु कठिनाइयों को पहचानने एवं उचित हस्तक्षेप प्रदान करना है, ताकि अधिक गंभीर समस्याएं बनने से पहले ही इन मुद्दों का समाधान कर लिया जाये।

प्रारंभिक पहचान अभिभावकों, शिक्षकों एवं अन्य देखभालकर्ताओं सभी का उत्तरदायित्व है। स्कूल स्टाफ से यह उम्मीद बढ़ गई है कि वह जो बच्चा संघर्ष कर रहा है, उसकी पहचान करें और उसे सही सहयोग दें। अतः यह अति महत्वपूर्ण हैं कि वे ऐसा करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक कौशल एवं ज्ञान रखें।

22.2.1 दिव्यांग बच्चों की पहचान

दिव्यांग बच्चे यदि निम्नलिखित में से कुछ भी अनुभव कर रहे हैं तो उन्हें हस्तक्षेप और सहयोग की आवश्यकता होती है :

मौखिक भाषा में कठिनाई

1. शब्दों अथवा वाक्यों को बोलने में धीमा विकास (देर से बोलने वाले भी इसी श्रेणी में आते हैं)
2. उच्चारण संबंधी कठिनाइयां
3. नये शब्दों को याद रखने में कठिनाई, शब्दकोष का धीमा विकास
4. बोलते समय उपयोग करने हेतु सही शब्द खोजने में कठिनाई

टिप्पणी

5. सामान्य (एक–चरण) निर्देशों को समझने एवं पालन करने में कठिनाई
6. प्रश्नों को समझने में कठिनाई
7. लयात्मक शब्दों को पहचानने अथवा सीखने में कठिनाई
8. कहानी कथन में रुचि का अभाव

पठन एवं लेखन कौशलों में कठिनाई

1. वस्तुओं और रंगों के नाम बताने में मंद गति
2. स्वर संबंधी सीमित जागरुकता (तुकबंदी एवं शब्दांश सम्मिश्रण)
3. यह समझने में कठिनाई कि लिखित भाषा स्वनिम (phonemep) (व्यक्तिगत ध्वनियाँ) और अक्षरों को, जो वाक्यांश और शब्दों को बनाते हैं, से मिलकर बनती है।
4. मुद्रण (print) में कम रुचि एवं मुद्रण की सीमित जागरुकता
5. वर्णमाला के अक्षरों को पहचानने और याद करने में कठिनाई
6. अक्षरों एवं ध्वनियों के मध्य संबंध को समझने में कठिनाई

अनुभूति संबंधी कठिनाइयां :-

1. वर्णमाला, संख्याएं, सप्ताह के दिनों आदि को याद करने में कठिनाई
2. दिनचर्या (दैनिक प्रक्रिया) क्या होनी चाहिए, की खराब स्मृति
3. कारण और प्रभाव, अनुक्रमण एवं गिनती में कठिनाई
4. मूलभूत अवधारणाओं जैसे आकार, आकृति और रंग में कठिनाई

गतिक कौशलों में कठिनाई

1. अनाड़ीपन
2. खराब संतुलन
3. सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल एवं छोटी वस्तुओं (मोतियों को धागे में पिरोना, जूते बांधना, बटन लगाना) के कुशलतापूर्वक प्रयोग में कठिनाई
4. दौड़ने, कूदने अथवा चढ़ने में कठिनाई (विलंबित स्थूल गत्यात्मक कौशल)

सामाजिक व्यवहार में कठिनाई

1. दूसरों के साथ बातचीत करने अथवा अकेले खेलने में कठिनाई
2. जल्दी निराश हो जाना
3. संभालने में कठिनाई, क्रोधावेश

टिप्पणी

4. निर्देशों का पालने करने में कठिनाई
5. आसानी से विचलित हो जाना एवं ध्यान रहित
6. आवेगी
7. अति सक्रिय
8. गतिविधियों में परिवर्तन अथवा दिनचर्या में व्यवधानों को संभालने में कठिनाई

पाठगत प्रश्न 22.2

बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य–

1. प्रारंभिक पहचान दिव्यांग बच्चों की सामाजिक, व्यावहारिक अथवा अधिगम समस्याओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है।
2. प्रीस्कूल शिक्षक विकास में दूरी अथवा विकलांगता के प्रारंभिक लक्षणों को पहचानने की लाभप्रद स्थिति में है।
3. परिपक्वता की दर एवं पैटर्न में व्यापक परिवर्तन पूर्व बाल्यावस्था में विकास की विशेषताएँ हैं।
4. पहचान, समस्याओं का शीघ्रातिशीघ्र पता लगाने एवं उचित हस्तक्षेप करने से संबंधित है।
5. दिनचर्या क्या होनी चाहिए इसके विषय में खराब स्मृति, गत्यात्मक कौशलों से संबंधित है।

22.2.2 प्रारंभिक पहचान की रणनीतियाँ

दिव्यांग बच्चों की शीघ्र पहचान की आवश्यकता माता-पिता, स्कूल और समुदाय सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इन बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान हेतु अनेक रणनीतियों को अपनाया गया है। विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों ने प्रारंभिक पहचान एवं उचित हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, विशेषतया बहुत छोटे बच्चों की सहायता की जा सके।

> विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति (2006) भी इस बात पर बल देती है कि छह वर्ष तक की आयु के बच्चों की पहचान अति शीघ्र की जा सकती है और तत्काल आवश्यक हस्तक्षेप प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे उचित आयु में समावेशी शिक्षा में सम्मिलित हो सकें।

पहचान प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

1. स्क्रीनिंग
2. जोखिम संकेतकों एवं सुरक्षात्मक कारकों की उपस्थिति का परीक्षण

टिप्पणी

3. व्यवस्थित अवलोकन
4. व्यापक मूल्यांकन

स्क्रीनिंग : स्क्रीनिंग का तात्पर्य उन क्षेत्रों को सुनिश्चित करना है जिनमें बच्चे को सहायता की आवश्यकता होती है। उन सभी दिव्यांग बच्चों की पहचान करने, पता लगाने और मूल्यांकन करने की एक व्यवस्था होनी चाहिए, जिन्हें प्रारंभिक हस्तक्षेप अथवा विशिष्ट शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता होती है।

जोखिम संकेतक एवं सुरक्षात्मक कारक : पर्यावरणीय, जैविकीय, आनुवांशिक और जन्मपूर्व स्थितियों की एक श्रृंखला प्रतिकूल विकास परिणामों से जुड़ी है और उन्हें जोखिम संकेतक अथवा अधिगम अक्षमता के चेतावनी संकेत भी माना जा सकता है। हालांकि, जोखिम संकेतक सदैव यह अनुमान नहीं लगा पाते कि किन बच्चों को भविष्य में अधिगम समस्याएँ होंगी। जोखिम संकेतकों को विशिष्ट विकासात्मक अपेक्षाओं के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। सुरक्षात्मक कारक जैसे विशिष्ट स्कूल, शिक्षक और चिकित्सक के कारक हैं जो जोखिम को कम करते हैं एवं लचीलेपन को बढ़ाते हैं और बच्चों को ऐसी परिस्थितियों में जाने से रोकने में सहायता करते हैं जो उन्हें जोखिम में ड़ाल सकती हैं।

व्यवस्थित अवलोकन : समय के साथ बच्चे के व्यवहार और क्षमताओं का व्यवस्थित अवलोकन महत्वपूर्ण है। अवलोकन अनौपचारिक हो सकता है अथवा एक मानक अवलोकन पद्धति का अनुसरण कर सकता है। किसी भी मामले में, उन्हें कई बार और विभिन्न संदर्भो (जैसे कि- घर, प्रीस्कूल, कक्षाकक्ष, खेल समूह) में आयोजित किया जाना चाहिए। अवलोकनों को चिंता का कारण बनने वाले व्यवहारों की आवृत्ति, आवेग एवं तीव्रता की जानकारी प्रदान करनी चाहिए।

व्यापक मूल्यांकन : जब एक स्क्रीनिंग, जोखिम संकेतकों एवं सुरक्षात्मक कारकों की समीक्षा और व्यवस्थित अवलोकनों से यह पता चलता है कि एक बच्चा जोखिम में है, तब व्यवसायिकों को यह पता लगाने के लिए कि क्या विकास अपेक्षित पैटर्न का अनुसरण कर रहा है, आवधिक मूल्यांकन करना चाहिए। व्यापक मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य व्यैक्तिक रूप से एक बच्चे की क्षमताओं एवं आवश्यकताओं के विशिष्ट पैटर्न को निर्धारित करना और जितना जल्दी हो सके अधिगम एवं व्यवहारगत समस्याओं के समाधान हेतु रणनीतियों और संसाधनों की पहचान करना है। ये मूल्यांकन विभिन्न परिवेशों और विविध दृष्टिकोणों से किये जाने चाहिए।

उपयुक्त एवं सही समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने हेतु समुचित पहचान आवश्यक है। विकासात्मक देरी का पता लगाने हेतु प्रारंभिक पहचान बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण अंतर ला सकती है।

22.3 प्रारंभिक हस्तक्षेप

प्रारंभिक हस्तक्षेप का अर्थ है कि बच्चे की विकासात्मक, स्वास्थ्य एवं सहयोग संबंधी आवश्यकताओं पर कार्य करने हेतु जितना जल्दी संभव हो सके, प्रयास करना। प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएं बच्चों एवं उनके परिवारों को प्रारंभिक वर्षों में, सामान्यतया: जन्म से लगाकर बच्चे के

पांच वर्ष का होने तक, विशिष्ट सहयोग प्रदान करती हैं। यह आशा की जाती है कि ये सेवाएं यदि जल्दी प्रदान की जायेंगी तो ये विकास में किसी भी प्रकार की देरी का पता लगा लेंगी। प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएं उन बच्चों की सहायता हेतु, जिनमें विकासात्मक विलंब है, विशेष और विशिष्ट सेवाओं की एक श्रृंखला है। विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ इन बच्चों को विशिष्ट सहयोग देने हेतु इनके साथ काम करते हैं। इस सहयोग में विशिष्ट शिक्षक, चिकित्सक, परामर्शदाता आदि सम्मिलित हो सकते हैं। प्रारंभिक पहचान विकासात्मक देरी का पता लगाने में सहायक होती हैं और बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण अंतर ला सकती है।

एक बच्चा जो एक प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त करता है वह इन सेवाओं में से एक अथवा अधिक सेवाएं प्राप्त कर सकता है–

- स्क्रीनिंग और आकलन
- वाचन एवं भाषा चिकित्सा
- शारीरिक अथवा व्यावसायिक चिकित्सा
- मनोवैज्ञानिक सेवाएं
- घर का दौरा
- चिकित्सा, नर्सिंग अथवा पोषण सेवाएं
- श्रवण (ध्वनि विज्ञान) अथवा दृष्टि सेवाएं
- सामाजिक कार्य सेवाएं
- परिवहन अथवा गतिशीलता

प्रारंभिक हस्तक्षेप के लाभ

- बच्चों की विकासात्मक, सामाजिक और शैक्षिक उपलब्धि में सुधार करता है।
- परिवारों द्वारा अनुभव की जाने वाली अलगाव, तनाव और हताशा की भावनाओं को कम करता है।
- सकारात्मक व्यवहार रणनीतियों एवं हस्तक्षेप के उपयोग द्वारा व्यवहारगत समस्याओं को कम करता है।
- दिव्यांग बच्चों को उत्पादक और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में विकसित होने में सहायता करता है।
- भविष्य में विशिष्ट शिक्षा, पुनर्वास एवं स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता की लागत को कम करता है।

पाठगत प्रश्न 22.3

निम्नलिखित पदों की केवल एक वाक्य में व्याख्या कीजिए:

1. स्क्रीनिंग

टिप्पणी

2. व्यापक मूल्यांकन
3. प्रारंभिक हस्तक्षेप
4. जोखिम संकेतक

22.3.1 प्रारंभिक हस्तक्षेप की रणनीतियाँ

गहन प्रारंभिक हस्तक्षेप दिव्यांग बच्चों के लिए हस्तक्षेप का सर्वाधिक प्रभावी प्रकार हैं। यह केवल घंटों की संख्या के बारे में ही नहीं है, बल्कि उन घंटों की गुणवत्ता एवं चिकित्सा बच्चे के लिए किस प्रकार सहायक होगी, इसके विषय में भी है। शिशुओं एवं छोटे बच्चों में विकासात्मक देरी हेतु सबसे पहले हस्तक्षेपकर्ता प्रायः माता-पिता एवं शिक्षक होते हैं।

विभिन्न बच्चे हस्तक्षेप के प्रति भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए कोई भी एक कार्यक्रम सभी बच्चों एवं उनके परिवारों के लिए उचित नहीं होगा। बच्चे की क्या आवश्यकता है इस बात पर ध्यान दिया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चा प्रगति कर रहा है, एक अच्छे हस्तक्षेप में नियमित आकलन सम्मिलित होता है। शुरूआत में लाभ कम हो सकता है लेकिन वे सभी मिलकर बड़े हो सकते हैं। अनेक दिव्यांग बच्चे कुछ प्रकार के प्रारंभिक हस्तक्षेप अथवा चिकित्सा से लाभन्वित हो सकते हैं। जैसे कि:-

- व्यावसायिक चिकित्सा, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, खेल और आत्म-सहायक कौशलों जैसे कपड़े पहनना एवं शौचालय प्रशिक्षण आदि में सहायक हो सकती है।
- फिजियोथेरेपी, संतुलन, बैठने, रेंगने एवं घूमने जैसे गतिक कौशलों में सहायक हो सकती है।
- वाक (Speech) चिकित्सा वाचन, भाषा, खाने एवं पीने के कौशलों में सहायक हो सकती है।

कुछ अन्य प्रकार की बाल-केंद्रित रणनीतियों ने जिनमें साथियों से अन्तर्क्रिया, प्रॉम्प्ट, मॉडलिंग तकनीकें एवं अनिरंतर पुनर्बलन सम्मिलित हैं, सफलता के साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। इन रणनीतियों को एकरुपता, अनुरुपता एवं नियमितता के साथ लागू किया जाना चाहिए। इन शिक्षण रणनीतियों को लागू करने के लिए माता-पिता एवं शिक्षकों को भलीभांति प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। यह याद रखना जरूरी है कि सभी बच्चे अद्वितीय होते हैं और उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकों एवं रणनीतियों की आवश्यकता होती है।

22.3.2 गुणवत्तापरक हस्तक्षेप की विशेषताएं

परिवार-केंद्रित

- परिवार के सदस्यों को, व्यावसायिक (Professionals) व्यक्तियों के साथ कार्य करने एवं बच्चे की सहायता किस प्रकार करते हैं, यह सीखने के लिए, सम्मिलित करता है।

- लचीला होता है, घर के साथ-साथ अन्य परिवेशों जैसे कि प्रीस्कूल और प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
- परिवार को सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है।

विकासात्मक रूप से उपयुक्त

- दिव्यांगता के संदर्भ में विशेष रूप से बच्चों के लिए बनाया गया है।
- इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं एवं हस्तक्षेप में विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं।
- प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत योजना का विकास एवं योजना की नियमित समीक्षा होती है।
- नियमित आकलन के माध्यम से बच्चों की प्रगति का पता लगाना।

बाल-केंद्रित

- बच्चों को जटिल कौशलों का अभ्यास करने अथवा नये कौशल सीखने और विभिन्न परिवेशों में उनका उपयोग करने में सहायता हेतु रणनीतियों का समावेश करता है।
- बच्चों को ईष्टतम विकास हेतु तैयार करता है एवं सहयोग करता है।
- दिव्यांग बच्चों को एक समान आयु के अन्य बच्चों के साथ रखने के उपाय पता करता है।

सहयोगात्मक एवं संरचित

- सहयोगात्मक अधिगम वातावरण प्रदान करता है जहाँ बच्चे सहज एवं समर्पित अनुभव करते हैं।
- यह अत्यधिक संरचित, सुव्यवस्थित, नियमित एवं पूर्वानुमान योग्य है। यह हस्तक्षेप कौशलों में वृद्धि कर विकासात्मक देरी एवं कार्यात्मक ह्रास को कम करने और स्वास्थ्य एवं बाल-कल्याण को प्रोत्साहित करने हेतु बहुविषयक सेवाएं प्रदान करता है।

पाठगत प्रश्न 22.4

कॉलम 'अ' का कॉलम 'ब' से सही मिलान कीजिए–

कॉलम 'अ'	कॉलम 'ब'
1. व्यावसायिक चिकित्सा	(i) बोलना
2. फिजियोथेरेपी	(ii) प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत योजना
3. वाक चिकित्सा	(iii) सहयोगात्मक अधिगम वातावरण
4. सहयोगात्मक एवं संरचित	(iv) आत्म-सहायक कौशल
5. विकासात्मक रूप से उपयुक्त	(v) संतुलन, बैठना, रेंगना

22.4 सहयोगात्मक समावेशन हेतु सहायक तकनीकें

जब दिव्यांग बच्चों को अन्य सभी बच्चों की भांति फलने-फूलने के अवसर दिये जाते हैं, तो उनमें जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने और सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूप से योगदान देने की क्षमता आती है। दिव्यांग बच्चों के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीकों में से एक सहायक तकनीकों का प्रावधान है।

सहायक तकनीक से तात्पर्य है ''या तो व्यावसायिक रूप से अधिग्रहित, संशोधित अथवा स्वनिर्धारित कोई वस्तु, उपकरण का टुकड़ा अथवा उत्पाद प्रणाली, जिसे दिव्यांग व्यक्तियों की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने, बनाये रखने और उसमें सुधार करने हेतु उपयोग किया जाता है।'' सहायक सेवाओं में ऐसे उत्पाद एवं संबंधित सेवाएं सम्मिलित हैं जो दिव्यांग बच्चों की कार्यप्रणाली में योगदान देती हैं। ये बच्चों के विकास एवं स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ जीवन की विभिन्न गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को भी बढ़ाती हैं। सहायक उपकरण एवं तकनीकें वह हैं जिनका प्राथमिक उद्देश्य प्रतिभागिता को सुगम बनाने एवं समग्र कल्याण हेतु एक व्यक्ति की कार्यप्रणाली एवं स्वतंत्रता को बनाये रखना अथवा उसमें सुधार करना है। ये असमर्थता एवं सैकेण्डरी स्वास्थ्य दशाओं को रोकने में भी सहायक हो सकती हैं। व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, दृश्य सहायक सामग्री एवं विशिष्ट कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो गतिशीलता, श्रवण, दृष्टि अथवा संप्रेषण क्षमताओं को बढ़ाते हैं, सहायक उपकरणों एवं तकनीकों के उदाहरण हैं।

सहायक तकनीकी संप्रेषण, गतिशीलता, स्व-देखभाल, गृहकार्य, पारिवारिक संबंध, शिक्षा और खेल एवं मनोरंजन में संलग्नता के माध्यम से बच्चे एवं उनके परिवार दोनों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है।

सहायक तकनीकी तक पहुँच में सुधार करने हेतु संबंधित हितधारकों को सहायक तकनीकी के प्रावधान के लिए एक साथ आने की आवश्यकता है। उपयुक्त सहायक तकनीक बच्चों की आत्मनिर्भरता एवं उनकी प्रतिभागिता बढ़ाने हेतु एक सशक्त उपकरण हो सकती है। यह बच्चों को गतिशील बनाने, अधिक प्रभावी ढंग से संप्रेषण, बेहतर तरीके से देखने और सुनने, और अधिगम एवं खेल गतिविधियों में पूरी तरह से भाग लेने में सहायक हो सकती हैं।

बच्चों को यथाशीघ्र सहायक तकनीक प्रदान करना, उनके विकास को सुगम करेगा और विकृति जैसे सैकेण्डरी दशाओं की रोकथाम करेगा।

22.4.1 सहायक तकनीकों के उदाहरण

सहायक तकनीकों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

- गति संबंधी सहायक सामग्री जैसे कि व्हीलचेयर, स्कूटर, वॉकर्स, छड़ी, बैसाखी, कृत्रिम उपकरण एवं ऑर्थोटिक उपकरण
- सुनने अथवा अधिक स्पष्ट रूप से सुनने हेतु श्रवण यंत्र
- नेत्रहीन के लिए ब्रेल, स्पीच-ऑडियो रिकॉर्डर अथवा स्क्रीन-रीडर

- संज्ञानात्मक सहायक सामग्री में स्मृति, ध्यान अथवा अन्त्य चुनौतियों में सहायता करने हेतु कम्प्यूटर अथवा इलैक्ट्रीकल सहायक उपकरण सम्मिलित हैं।
- कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, जैसे आवाज पहचान कार्यक्रम, स्क्रीन रीडर्स, और स्क्रीन को बड़ा करने के अनुप्रयोग।
- दिव्यांग बच्चों की शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने में मदद करने हेतु उपकरण जैसे– स्वचालित पेज पलटने का उपकरण, पुस्तक धारक, और अनुकूलित पेंसिल की पकड़ (grip) आदि।
- निर्मित वातावरण में भौतिक परिवर्तन, जिसमें रैंप, रैलिंग और दरवाजों को चौड़ा करना स्कूल तक पहुँच को सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं।
- हल्के वजन वाले, उच्च-प्रदर्शन वाले गतिशीलता उपकरण जो खेल-खेलने एवं शारीरिक रूप से सक्रिय रहने में सहायक होते हैं।
- अनुकूलित स्विच एवं बर्तन सीमित गतिक कौशलों वालों को खाने, खेल खेलने और अन्य गतिविधियों को पूरा करने में सहायता करते हैं।
- सुरक्षात्मक टोपी जो मिर्गी के बच्चों के शारीरिक कल्याण को सुनिश्चित करती है और उन्हें समाज कल्याण के लिए महत्वपूर्ण गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम बनाती है।
- व्हील चेयर में दबाव को कम करने वाली गद्दी जो पक्षाघात वाले बच्चों को दबाव के कारण होने वाले घावों एवं संक्रमणों से बचा सकती है।
- एक संचार बोर्ड जो वॉक समस्याओं वाले बच्चों को स्वयं को अभिव्यक्त करने में सहायता कर सकता है।
- स्क्रीन रीडर एक ऐसे बच्चे के लिए इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त करना संभव बना सकता है, जो देख नहीं सकता।
- बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए समय दिखाने का वैकल्पिक तरीका सहायक हो सकता है।

गंभीर विकलांगता वाले कुछ बच्चे जो स्कूल जाने में असमर्थ हैं वे सहायक तकनीकों की सहायता से घर से ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों के साथ बातचीत कर सकते हैं। उदाहरणार्थ सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी (ICTs) अभिगम्यता की बाधाओं को दूर करने के नये तरीके प्रदान करती है और दिव्यांग बच्चों को विभिन्न अवसर प्रदान करती है।

22.4.2 सहायक तकनीकी में बाधाएं

विकलांगता का संबंध अक्षमताओं वाले बच्चे एवं अवरुद्ध वातावरण, जोकि दूसरों के साथ समान आधार पर प्रतिभागिता में बाधा डालता है, के बीच अंतर्क्रिया से है। सहायक तकनीकी इन अवरोधों को कम करने अथवा समाप्त करने में सहायक हो सकती है।

सहायक तकनीकी तक आसान पहुँच में कुछ अवरोध निम्नलिखित हैं–

जागरुकता की कमी : बहुत से दिव्यांग लोगों एवं उनके परिवारों को सहायक उत्पादों एवं सेवाओं के विषय में सीमित जागरुकता है।

कानून, नीतियों एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों सहित शासन का अभाव : कई राज्यों में, सहायक तकनीकी का प्रावधान अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता का क्षेत्र है।

सेवाओं का अभाव : सहायक तकनीकी सेवाएं अक्सर अपर्याप्त एवं दिव्यांग बच्चों के निवास स्थान से दूर स्थित होती हैं।

उत्पादों का अभाव : अनेक देशों में सहायक उत्पादों का उत्पादन या तो होता ही नहीं है अथवा बहुत छोटे पैमाने पर किया जाता है। यह न केवल मात्रा में बल्कि प्रकार, मॉडल एवं आकार में भी बहुत छोटा है।

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को जीवन के प्रारंभ में ही निदान एवं उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। अभिभावक एवं स्कूल कर्मचारी प्राथमिक हस्तक्षेपकर्ता होते हैं जो उपचारात्मक गतिविधियों हेतु अतिरिक्त सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

सभी बच्चों की शैक्षिक क्षेत्र के साथ-साथ सामाजिक अंतर्क्रिया में सफलता सुनिश्चित करने हेतु हस्तक्षेप को शीघ्र एवं सतत् रूप से लागू करने की आवश्यकता है। मुख्य धारा एवं शैक्षिक उपलब्धि में समावेशन हेतु हस्तक्षेप का एक समन्वित प्रयास बहुत बड़ा योगदान होगा।

पाठगत प्रश्न 22.5

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

1. .... दिव्यांग बच्चों में अक्षमताओं एवं सैकेण्डरी स्वास्थ्य दशाओं को रोकने में सहायक हो सकता है।
2. सहायक तकनीकी संचार, गतिशीलता एवं स्व-देखभाल के माध्यम से बच्चे और उनके परिवार, दोनों के जीवन की गुणवत्ता में .... हो सकती है।
3. व्हीलचेयर, स्कूटर, वॉकर, छड़ी, बैसाखी इत्यादि .... सामग्री के उदाहरण है।
4. अनेक दिव्यांग जन एवं उनके परिवार सहायक उत्पादों एवं सेवाओं के विषय में .... जागरूकता रखते हैं।

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा :

- दिव्यांग बच्चे

- मुख्य अक्षमताएं
  - संवेदी दुर्बलताएं
  - विकासात्मक अक्षमताएं
  - अधिगम अक्षमताएं
  - व्यवहारगत समस्याएं
  - मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं
  - चिकित्सा दशाएं
- दिव्यांग बच्चों की पहचान करना
  - मौखिक भाषा में कठिनाई
  - पठन एवं लेखन कौशलों में कठिनाई
  - संज्ञानात्मक कठिनाई
  - गतिक कौशलों में कठिनाई
  - सामाजिक व्यवहार में कठिनाई
- प्रारंभिक पहचान का अर्थ एवं महत्व
- प्रारंभिक पहचान की रणनीतियाँ
  - स्क्रीनिंग
  - परीक्षण
  - व्यवस्थित अवलोकन
  - व्यापक मूल्यांकन
- प्रारंभिक हस्तक्षेप
  - प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम सेवाएं
  - प्रारंभिक हस्तक्षेप के लाभ
- प्रारंभिक हस्तक्षेप की रणनीतियाँ
  - व्यावसायिक चिकित्सा
  - फिज़ियोथेरेपी
  - वाक् चिकित्सा

- गुणवत्तापरक हस्तक्षेप की विशेषताएं
  - परिवार केंद्रित
  - विकासात्मक रूप में उपयुक्त
  - बाल केंद्रित
  - सहयोगात्मक एवं संरचित
- सहयोगात्मक समावेशन हेतु सहायक तकनीकी
  - सहायक तकनीकों के उदाहरण
- सहायक तकनीकी में बाधाएं
  - जागरूकता का अभाव
  - कानून, नीतियों एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों सहित शासन का अभाव
  - सेवाओं का अभाव
  - उत्पादों का अभाव

पाठान्त प्रश्न

1. 'दिव्यांग' बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है?
2. उन क्षेत्रों की सूची बनाइए जिसमें बच्चे अक्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं।
3. प्रारंभिक पहचान के अर्थ एवं महत्व की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
4. प्रारंभिक पहचान की कुछ रणनीतियों की संक्षेप में चर्चा कीजिए।
5. प्रारंभिक हस्तक्षेप की रणनीतियों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
6. गुणवत्तापरक हस्तक्षेप की विशेषताओं की सूची बनाइए।
7. सहायक तकनीकी सहयोगात्मक समावेशन में किस प्रकार सहायक है?
8. सहायक तकनीकी की आसान पहुँच में क्या बाधाएं हैं?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

22.1

(क) अक्षमता (ख) संवेदी अंग (ग) व्यवहारगत समस्याएं (घ) अधिगम समस्याएं

टिप्पणी

22.2

1. गलत 2. सही 3. सही 4. सही 5. गलत

22.3

1. उन क्षेत्रों का निर्धारण करना जहाँ बच्चों को सहायता की आवश्यकता होती है।
2. बच्चों की क्षमताओं के विशिष्ट पैटर्न और आवश्यकताओं का निर्धारण करना एवं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उनकी पहचान करना।
3. बच्चों की विकासात्मक, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं पर कार्य करने हेतु यथा शीघ्र सहयोग प्रदान करना।
4. पर्यावरणीय, जैविक, आनुवांशिक एवं प्रसवपूर्व स्थितियों की एक श्रेणी।

22.4

1. (iv) 2. (v) 3. (i) 4. (iii) 5. (ii)

22.5

1. सहायक तकनीकी 2. वृद्धि 3. गतिशीलता 4. सीमित

सन्दर्भ

- Ministry of Human Resource Development (1986). The National Policy on Education, 1986. New Delhi. Retrieved from https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/npe.pdf
- Ministry of Social Justice and Empowerment. (2006). *National Policy for Persons with Disabilities, 2006*. Retrieved from http://www.disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/NationalPolicyForPersonswithDisabilities(1).pdf
- **The National Trust Act, 1999**, Acts of Parliament, 1999 (India).
- **The Right to Education Act, 2009**. Acts of Parliament, 2009 (India).